बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

BCC:ISD:115:16:122 09.06.2023

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 **BSE CODE : 532134**	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 **NSE CODE : BANKBARODA**

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda – Annual Report 2022-23 and BRSR.

We refer to our letter no. BCC:ISD:115:16:121 dated 09.06.2023 and annex Annual Report 2022-23 of our Bank along with BRSR 2022-23.

We request you to take note of the above under Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the same on your website.

Yours faithfully,

PRASHANT KAMAL AGARWAL
Digitally signed by PRASHANT KAMAL AGARWAL
Date: 2023.06.09 14:50:25 +05'30'

P K Agarwal
Company Secretary

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda

विजया VIJAYA | देना DENA

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT
2022-23

bob World Mobile App

bob World Credit

bob World Internet

bob World Merchant

bob World Prepaid

bob World Tab

bob World Debit

bob World UPI

bob World etrade

bob World

विश्वास, नवोन्मेष और उत्कृष्टता आधारित बैंकिंग

BANKING ON TRUST, INNOVATION & EXCELLENCE

विषय	पृष्ठ
अध्यक्ष का संदेश	07
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधकारी का वक्तव्य	13
निदेशकों की रिपोर्ट	19
कार्पोरट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	99
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	101
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	150
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	151
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	155
तुलन पत्र	158
लाभ व हानि खाता	159
महत्वपूर्ण लेखा नीतयां	170
नकदी-प्रवाह विवरण	268
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	270
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	286
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	287
समेकित वित्तीय विवरणियां	288
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा – समेकित	368
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	369
लाभांश संवितरण नीति	370
नोटिस	378

Contents	Page
Chairman’s Statement	10
MD & CEO’s Statement	16
Directors’ Report	59
Auditors’ Certificate on Corporate Governance	99
Corporate Governance Report	101
Declaration by MD & CEO	150
Secretarial Audit Report	153
Key Financial Indicators	155
Balance Sheet	158
Profit & Loss Account	159
Significant Accounting Policies	177
Cash Flow Statement	268
Auditors’ Report	279
Declaration of Unmodified Opinion	286
CEO / CFO Certification	287
Consolidated Financial Statement	288
Declaration of Unmodified Opinion - Consolidated	368
CEO / CFO Certification	369
Dividend Distribution Policy	374
Notice	390

नोट : शेयरधारक ‘‘व्यावसायिक दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट’’ और ‘‘बासेल-III प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं।

Note : The Shareholders can view / download "Business Responsibility and Sustainability Report" and "Basel-III disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा – श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बैंक के रूप में सम्मानित किया गया।

Bank of Baroda - recognised as Top Performing Bank

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने भारत सरकार के ईज 4.0 सुधार कार्यक्रम सूचकांक में प्रतिष्ठित 'प्रथम' स्थान प्राप्त किया है। बैंक ने यह सम्मान ईज 2.0 के लिए 'श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बैंक' के रूप में बैंक की पिछली सफलता की श्रृंखला में प्राप्त की है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बैंक को पुन: ईज 4.0 में 'श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बैंक' के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एस्पाइरिंग इण्डिया के लिए स्मार्ट लेंडिंग एवं नए युग 24x7 बैंकिंग थीम के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जो आंतरिक दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के साथ-साथ अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पुरस्कार एवं सम्मान बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों के प्रमाण है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की यात्रा जारी है और हमें ईज 5.0 सूचकांक की दूसरी तिमाही में पहली रैंकिंग की उपलब्धि हासिल करने पर गर्व है। बैंक नवोन्मेषी एवं ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमें एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अलग पहचान प्रदान करता है।

Bank of Baroda has secured the coveted 'First' position in the Government of India's EASE 4.0 reforms index. This recognition comes on the heels of the Bank's previous success in being ranked as the "Top Performing Bank" for EASE 2.0. It is heartening to note that the Bank has been recognized yet again as the "Top Performing Bank" in EASE 4.0.

Bank of Baroda ranked first under the themes of Smart Lending for Aspiring India and New Age 24X7 Banking highlighting the Bank's commitment to making banking more accessible and convenient for its customers, while also increasing internal efficiencies and reducing costs. These awards and accolades are a testament to the various initiatives taken by the Bank.

The journey continues for Bank of Baroda, and we are proud to have achieved yet another milestone of ranking first in the second quarter of the EASE 5.0 index. The Bank remains committed to providing innovative and customer-centric solutions that set us apart as a leading financial institution.

SAMAVESH SE SAMRIDDHI

10 HAZAAR TAK KI RAKAM, JAN DHAN OVERDRAFT KE SANG!

CAMPAIGN PERIOD: 01.08.2022 TO 30.09.2022

ELIGIBILITY - AGE: 18 YEARS TO 65 YEARS. ACCOUNT SHOULD BE MINIMUM 6 MONTHS OLD.

MINIMUM OD LIMIT ₹2,000/-*

MAXIMUM OD LIMIT ₹10,000/-*

INCENTIVE TO BCS: ₹25 PER ACCOUNT IN WHICH DP IS GIVEN AND 1% OF THE AVAILED AMOUNT SUBJECT TO OTHER TERMS AND CONDITIONS.

*T&C Apply

बैंक वित्तीय समावेशन को न केवल एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में मानता है बल्कि व्यवसाय सहयोगी (बीसी) मॉडल के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने के एक अवसर के रूप में भी मानता है। बैंक अपनी शाखाओं और बीसी नेटवर्क के माध्यम से देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक देश भर में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों को सेवाएँ देने हेतु अतिरिक्त 12,442 बीसी (UPSRLM परियोजना के 8861 बीसी सहित) को शामिल करके अपने बीसी नेटवर्क को 51,780 तक बढ़ाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत बैंक की हिस्सेदारी 15.30% और पीएमजेडीवाई खातों के तहत जमा राशि में हिस्सेदारी 17.50% थी। वित्त वर्ष के दौरान सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत संचयी नामांकन में 77 लाख की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2023 तक यह 3.90 करोड़ तक पहुंच गया।

इसके अलावा बैंक के पास देश भर के 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 64 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) हैं, जो स्व-रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कुल 22,405 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 6.22 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 4.24 लाख ने पहले ही अपना उद्यम स्थापित कर लिया है या पारिश्रमिक रोजगार प्राप्त कर लिया है। सभी 64 आरसेटी को आरसेटी के समग्र प्रदर्शन/ कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "एए" (उत्कृष्ट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने अभिनव और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 114 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं।

The Bank considers financial inclusion not only as a social commitment but also as an opportunity to tap business through Business Correspondent (BC) model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. The Bank has expanded its BC network to 51,780 by engaging additional 12,442 BCs (including 8861 BCs of UPSRLM project) as on March 31, 2023 to cater to rural, semi urban and urban areas across the country. The Bank's share in PMJDY accounts among PSBs stood at 15.30% and at 17.50% for deposits under PMJDY accounts. Cumulative enrolments under micro insurance during the financial year increased by 77 lakh and reached 3.90 crore as on 31st March 2023.

Further, the Bank has 64 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) functioning in 10 States/UTs across the country to impart skill development training to the youth of rural and semi urban areas for generating self-employment. An aggregate of 22,405 training programmes have been organized and imparted training to 6.22 lakh youth, out of which 4.24 lakh have already setup their own ventures or have secured wage employment. All the 64 RSETIs are graded as "AA" (outstanding) by Ministry of Rural Development, GOI based on the overall performance/functioning of the RSETIs. The Bank has also set up 114 Centers for Financial Literacy (CFLs) spread across 10 states and a Union Territory for providing financial literacy in tribal and backward blocks through innovative and participatory approach.

ईएसजी - बैंक के विकास का अनिवार्य पहलु

ESG - a growth imperative for the Bank

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के साथ संवहनीय विकास एवं समावेशी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे संगठन में जिम्मेदारीपूर्ण पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की दिशा में अग्रणी प्रयास करते हुए बैंक ने **'सीएसआर और संवहनीयता समिति'** नामक निदेशक मंडल स्तरीय 17वीं समिति का गठन किया है। यह समिति एक मजबूत ईएसजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क की नींव है और स्थायी रणनीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संवहनीयता को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, बैंक कहीं भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ कागज के उपयोग को कम करने के लिए अपने अधिकांश परिचालनों को डिजिटल बना रहा है। बैंक ने अपने कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा और जल की खपत को कम करने की दिशा में शाखाओं में एलईडी लाइट लगाने, कुछ शाखाओं में सौर ऊर्जा के क्रियान्वयन, कॉर्पोरेट कार्यालयों में वर्षा जल संचयन आदि जैसी कई पहलें की हैं।

संवहनीयता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बैंक ने **स्वच्छता पखवाड़ा** का आयोजन किया जिसमें सार्वजनिक स्थलों हेतु स्वच्छता अभियान, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए वॉकथॉन, वंचितों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आदि जैसी कई पहलें की गईं। बैंक ने एक 'पेड़ लगाओ कार्यक्रम' भी आयोजित किया जिसके तहत बैंक प्रत्येक वाहन या गृह ऋण के लिए एक पौधा लगाता है 31 मार्च, 2023 तक बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाएं हैं और इस प्रकार एक स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है।

As a responsible corporate citizen, the Bank is committed to a sustainable development and inclusive growth in a cleaner and greener environment. In an effort to spearhead towards integrating responsible Environment, Social and Governance (ESG) practices across the organisation, the Bank has constituted a 17th Board level committee titled **'CSR and Sustainability committee'.** This committee is the foundation of a robust ESG governance framework and will be instrumental in implementation of sustainable strategies.

As a part of its efforts to promote sustainability, the Bank has been digitising most of its operations to reduce paper usage while offering the ease of banking anywhere. The Bank has also taken a number of initiatives towards reducing its carbon emissions, energy and water consumption such as installation of LED lights in branches, implementation of solar power in some branches, rain water harvesting at corporate offices etc.

To create awareness about sustainability, the Bank celebrated **Swachhata Pakhwada** wherein various initiatives were taken such as cleanliness drive in public place, walkathon to discourage use of single use plastic, health check-up camps for the underprivileged etc. Bank also has a 'Plant a tree Program' in which the Bank plants a sapling for every Auto or Home loan disbursed. As of 31st March 2023, the Bank has planted more than 1.5 lakh plants under this program thereby contributing to a cleaner and greener India.

उन्नत डिजिटल जुड़ाव | Enhanced Digital Engagement

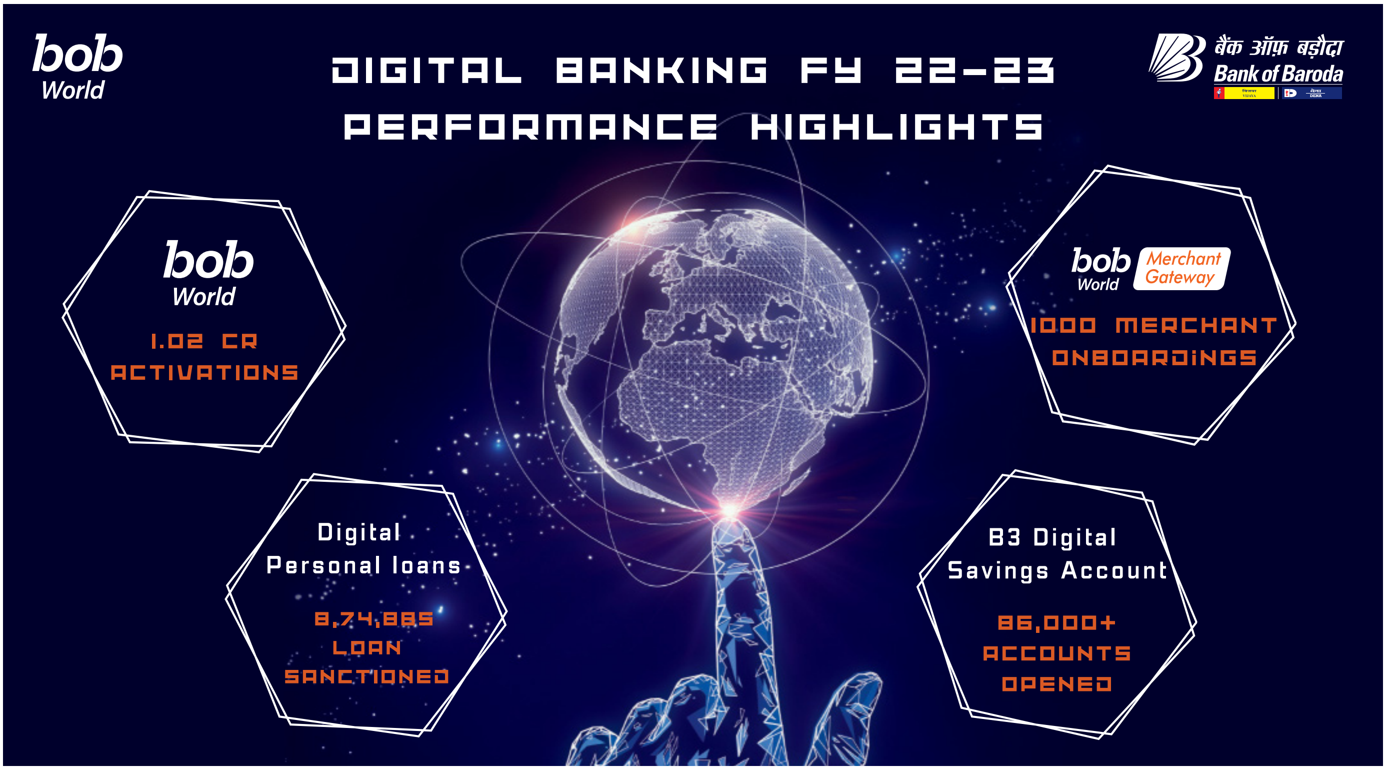

बॉब वर्ल्ड- बैंक का प्रमुख प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो जमाराशि, ऋणों के साथ-साथ निवेश और शॉपिंग संबंधी विविध प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे बैंकिंग काफी आसान एवं सुविधाजनक हो जाती है। ग्राहकों के साथ इस जुड़ाव में एनालिटिक्स आधारित मॉडलों का उपयोग करते हुए बैंक ने ग्राहकों को अधिक सेवाएं, सूचनाएं और विशिष्ट रूप से तैयार की गई उत्पादों की पेशकश करते हुए सेवा क्षेत्र को विस्तृत किया है। ई-कॉमर्स सुविधा ने इन सेवाओं के लिए पंजीकरण करने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या के साथ अपने आकर्षण को दर्शाया है। वर्ष के दौरान बॉब वर्ल्ड एक्टिवेशन ने 1 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। साथ ही, बैंक ई-स्टांपिंग एवं ई-साइन इन्फ्रा उपयोग में भी प्रथम स्थान पर है। बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए बैंक ने विभिन्न डिजिटल पहलों जैसे कि मॉरीशस, नेपाल, भूटान, यूएई और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई विप्रेषण की शुरुआत की है। मर्चेन्ट के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग सोल्यूशन्स के साथ-साथ केसीसी एसटीपी और मुद्रा एसटीपी ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है।

बैंक को इस प्लेटफ़ार्म के लिए इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा "प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग" श्रेणी में ईटी ट्रेंडिज अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। बॉब वर्ल्ड को फ्रंटियर्स फिनोविटी 2022 अवार्ड के लिए भी विजेता घोषित किया गया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के 18 वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार में बड़े बैंकों में "बेस्ट एआई एंड एमएल बैंक" का पुरस्कार प्रदान किया गया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा को दि मैडीज 2022 के 8 वें एक्सचेंज 4 मीडिया मोबाइल अवार्ड में "बेस्ट मोबाइल वेबसाइट" श्रेणी के तहत बॉब वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए भी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

'bobWorld', the Banks flagship technology banking platform, has been offering wide range of banking services covering deposits, loans as well as investment and shopping increasing the ease and convenience of banking . This engagement with customers has widened further to include more services, notifications, and customised offerings to customers using analytics based models. The e-commerce facility has shown a traction with increasing number of customers registering for these services. The bobWorld activations have crossed the 1 crore milestone during the year. Also, the Bank ranks first in e-stamping usage as well as in e-sign Infra usage. For enhanced customer convenience, the Bank has launched various digital initiatives such as international UPI remittance in Mauritius, Nepal, Bhutan, UAE and Singapore. The digital onboarding solutions for merchants has been launched as well as KCC STP and MUDRA STP loan journey has been digitised.

The Bank has been conferred various awards and accolades for this platform such as ET Trendies Award in the category "Innovative use of Technology" by Economic Times. bob World was also named the winner at the Banking Frontiers' Finnoviti 2022 Award. Bank of Baroda was awarded the "Best AI & ML Bank" among Large Banks at the Indian Banks' Association (IBA) 18th Annual Banking Technology Awards. Bank of Baroda also won an award for the bob World Digital Marketing Campaign under the category "Best Mobile Website" at the 8th Exchange4media Mobile Awards at The Maddies 2022.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में मान्यता मिली है

Bank of Baroda recognized again - "Great Place to Work"

बैंक अपने कर्मचारियों को सबसे मूल्यवान आस्ति मानता है और अपने 77,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ बेहतर कर्मचारी जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार कई पहलें कर रहा है। ये पहलें कर्मचारी संतुष्टि को बेहतर बनाकर, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरी करते हुए उनके स्वास्थ्य और कल्याण तथा क्षमता निर्माण का ध्यान रखते हुए मानव संसाधन को मजबूत और विकसित करने का प्रयास करती हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को हमेशा अपनी मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं के लिए जाना जाता है। **ग्रेट एम्प्लॉयर्स प्रा. लिमिटेड', जिसे दुनिया भर में 'ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट'** जो दुनिया भर के संगठनों में कार्य स्थल संस्कृति का निर्धारण करने **के लिए स्वर्ण मानक पहचान है, के रूप में जाना जाता है, के** द्वारा लगातार दूसरे वर्ष "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में बैंक का निर्धारण किया जाना गौरव की बात है।

इसके अलावा, बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के साथ अपने 'वॉयस ऑफ बड़ौदियंस' कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षणों के माध्यम से संपर्क रखता है। एम्प्लॉई एंगेजमेंट सर्वे वॉयस ऑफ बड़ौदियंस के चौथे संस्करण में सर्वेक्षण के समापन के समय 96.91% की उच्चतम कर्मचारी भागीदारी दर रही है और 75% का उच्चतम कर्मचारी जुड़ाव स्कोर भी दर्ज किया गया है।

बैंक अपनी विभिन्न नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से समान अवसर प्रदान करने और बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। बैंक की एक विविधता, इक्विटी और समावेशन (डीईआई) नीति है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करना, समान अवसर प्रदान करना और सभी स्तरों पर समावेशिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, बैंक अपने परिसर में बाल श्रम या किसी भी प्रकार के अनैच्छिक श्रम पर रोक लगाकर मानवाधिकारों का पालन करता है। बैंक के पास एक मजबूत नैतिक संस्कृति विकसित करने के लिए "नैतिक आचरण संहिता" है जो कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के साथ बेहतर विश्वास निर्माण करती है।

The Bank considers its employees as the most valuable assets and has been continuously undertaking multiple initiatives for ensuring better employee engagement with its more than 77,000+ employees. These initiatives endeavours to strengthen and develop the human resource by increasing employee satisfaction, addressing their training needs, taking care of their health and wellness and capacity building.

Bank of Baroda has always been recognized for its HR policies and practices. It is an honour for the Bank to be recognized as **"Great Place to Work" for the second consecutive year by Great Employers Pvt. Ltd.', known as 'Great Place to Work Institute' world-wide, which is a gold standard recognition** for recognizing work place culture in organizations around the globe.

Further, the Bank regularly engages with its employees through its 'Voice of Barodians' Employee Engagement Surveys. In its fourth edition of Employee Engagement Survey Voice of Barodians, there has been the highest ever employee participation rate of 96.91% at the time of closing of the survey and also the highest ever Employee Engagement Score of 75% was recorded.

The Bank has been striving continuously to offer and uphold equal opportunity through its various policies and practices. The Bank has a Diversity, Equity and Inclusion (DEI) policy which aims to promote greater gender diversity, provide equal opportunities and promote inclusivity at all levels. Further, the Bank abides by the human rights by prohibiting child labour or any form of involuntary labour on its premises. The Bank has a "Code of Ethics" to develop a strong ethical culture that leads to building of better trust with employees, customers and other stakeholders.

सांविधिक लेखापरीक्षक / Statutory Auditors

मेसर्स आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s R Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants

मेसर्स व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
M/S. Vyas & Vyas
Chartered Accountants

मेसर्स दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/S. Dassani & Associates
Chartered Accountants

मेसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
M/s Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants

मेसर्स एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
M/s S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

रजिस्ट्रार एंड शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)
केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लाट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, इंडिया - 500 032

डिबेंचर न्यासी
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400001

केनरा बैंक
एफ एम एवं एस विंग, प्रधान कार्यालय नं. 112, जे सी रोड, बेंगलुरु - 560002

कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.
जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट), पौड रोड, पुणे - 411 038

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया - एमएमओ बिल्डिंग, तीसरा तल (पूर्व विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई 400001

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400028

Head Office
Bank of Baroda, Baroda Bhavan, RC Dutt Road, Alkapuri, Vadodara-390 007

Corporate Office
Bank of Baroda, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051

Investor Services Department
Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051

Registrar and Share Transfer Agent (RTA)

KFin Technologies Limited
Unit: Bank of Baroda
Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032

Debenture Trustees
IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400001.

Canara Bank
FM&S Wing, Head Office, No. 112, JC Road, Bangalore – 560002.

Catalyst Trusteeship Ltd.
GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune - 411 038.

Centbank Financial Services Ltd.
Central Bank of India - MMO Bldg., 3rd Floor (East Wing), 55, MG Road, Fort, Mumbai 400001

Axis Trustee Services Ltd.
Corporate Office : The Ruby ,2nd Floor, SW,29, Senapati Bapat Marg, Dadar West Mumbai -400028.

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढ़िया
गैर–कार्यकारी अध्यक्ष
Dr. Hasmukh Adhia
Non-Executive Chairman

श्री संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

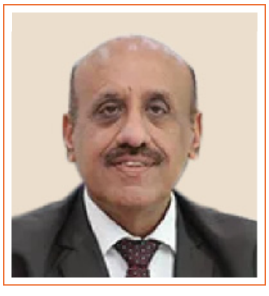

श्री अजय के. खुराना
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajay K. Khurana
Executive Director

श्री देबदत्त चाँद
कार्यपालक निदेशक
Shri Debadatta Chand
Executive Director

श्री जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक
Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director

श्री ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक
Shri Lalit Tyagi
Executive Director

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

श्री मुकेश कुमार बंसल
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Mukesh Kumar Bansal
GOI Nominee Director

श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Smt. Parvathy V. Sundaram
RBI Nominee Director

श्री अजय सिंघल
गैर – कार्यकारी निदेशक
Shri Ajay Singhal
Non-Executive Director

श्रीमती सौंदरा कुमार
शेयरधारक निदेशक
Smt. Soundara Kumar
Shareholder Director

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
शेयरधारक निदेशक
Shri Srinivasan Sridhar
Shareholder Director

श्री आलोक वाजपेयी
शेयरधारक निदेशक
Shri Alok Vajpeyi
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)	CVO
श्री दीक्षित सुरेंद्र कुमार	MR. DIXIT SURENDRA KUMAR
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा)	**KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP – OTHER THAN WHOLE TIME DIRECTORS)**
श्री डिसूजा इयान गेरार्ड मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	**MR. DESOUZA IAN GERARD** CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
श्री एल श्रीधर इनुमेल्ला वी महाप्रबंधक - निदेशक मंडल के सचिव	**MR. L SRIDHAR INUMELLA V** GENERAL MANAGER - SECRETARY TO BOARD
श्री पी के अग्रवाल कंपनी सचिव (सीएस)	**MR. P K AGARWAL** COMPANY SECRETARY (CS)
मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी (सीजीसीओ)	**CHIEF GROUP COMPLIANCE OFFICER (CGCO)**
श्री एलंगो बालासुब्रमण्यम	MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM
मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)	**CHIEF RISK OFFICER (CRO)**
श्री एस अनंतरामन	MR. S ANANTHARAMAN
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / वर्टिकल प्रमुख	**CGMs / GMs / VERTICAL HEADS**
श्री मल्होत्रा राजेश	MR. MALHOTRA RAJESH
श्री पुरुषोत्तम	MR. PURSHOTAM
श्री राठी प्रकाश वीर	MR. RATHI PRAKASH VIR
श्री एम जगन मोहन	MR. M JAGAN MOHAN
श्री चोपड़ा जेठा नंद	MR. CHOPRA JETHA NAND
श्री डोभाल संजीव	MR. DOBHAL SANJEEV
श्री ग्रोवर संजय कुमार	MR. GROVER SANJAY KUMAR
श्री खोसला अजय के	MR. KHOSLA AJAY K
श्री सिंह शैलेन्द्र एच	MR. SINGH SHAILENDRA H
श्री दिनेश पंत	MR. DINESH PANT
श्री गुप्ता मन मोहन	MR. GUPTA MAN MOHAN
श्रीमती पाण्डेय अर्चना	MRS. PANDEY ARCHANA
श्री नामदेव दिनेश कुमार	MR. NAMDEO DINESH KUMAR
श्री एस ए सुदर्शन	MR. S A SUDARSAN
श्री देवरकोंडा आनंद कुमार	MR. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री वेणुगोपाल एन	MR. VENUGOPAL N
श्री गुप्ता अमर नाथ	MR. GUPTA AMAR NATH
श्री बेहरा नित्यानंद	MR. BEHERA NITYANANDA
श्री ग्रोवर देविंदर पाल	MR. GROVER DEVINDER PAL
श्री रंजन निशांत	MR. RANJAN NISHANT
श्री शर्मा प्रभात के	MR. SHARMA PRABHAT K
श्री चौधरी कमलेश कुमार	MR. CHOUDHARY KAMLESH KUMAR
श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली	MR. DHEERENDRA SETTIPALLI

श्री नायक ए सुधाकर डी	MR. NAYAK A SUDHAKARA D
श्री श्रीजित कोट्टारत्तिल	MR. SREEJITH KOTTARATHIL
श्री कुमार मधुर	MR. KUMAR MADHUR
श्रीमती सचदेव सम्मिता	MRS. SACHDEV SAMMITA
श्री कुमार अश्विनी	MR. KUMAR ASHWINI
श्री डालाकोटी गिरीश सी	MR. DALAKOTI GIRISH C
श्रीमती गायत्री आर	MRS. GHAYATHRI R
श्री सिंह ब्रजेश कुमार	MR. SINGH BRAJESH KUMAR
श्री सिंह सुधांशु कुमार	MR. SINGH SUDHANSHU KUMAR
श्री सीताराम बुलुसु सूर्या	MR. SITARAM BULUSU SURYA
सुश्री केनी सविता दत्तात्रेय	MS. KENI SAVITA DATTATRAYA
श्री बंसल महेश मिठूलाल	MR. BANSAL MAHESH MITHOOLAL
श्री डी दास	MR. D DAS
श्री सुशांत कुमार मोहंती	MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY
श्री सिंह इंदर मोहन	MR. SINGH INDER MOHAN
श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी	MR. SOLANKI HARSHADKUMAR T
श्री शर्मा सुनील कुमार	MR. SHARMA SUNIL KUMAR
श्री भगोलीवाल संजय	MR. BHAGOLIWAL SANJAY
श्री चयानी मनोज सुंदर	MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR
श्री शुक्ल सौरभ रविशंकर	MR. SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR
श्री नेगी रवींद्र सिंह	MR. NEGI RAVINDRA SINGH
सुश्री शेट्टी सुजाया यू	MS. SHETTY SUJAYA U
श्री राव सिद्देला प्रसाद	MR. RAO SIDDELA PRASAD
श्री कौरा मनीष	MR. KAURA MANISH
श्री मित्तल पंकज	MR. MITTAL PANKAJ
सुश्री एम मिनी टी	MS. M MINI T
श्री तुली अमित	MR. TULI AMIT
श्री शंकर आनंद	MR. SHANKER ANAND
श्री तुंगारिया जगदीश कुमार	MR. TUNGARIA JAGDISH KUMAR
श्रीमती कडगटूर शीतल वेंकटेशमूर्त	MRS. KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURT
श्री नेगी विमल कुमार	MR. NEGI VIMAL KUMAR
श्री मुखर्जी अमिताभ	MR. MUKHERJEE AMITAVA
श्री जक्कैया लालम	MR. JAKKAIAH LALAM
श्री कुमार राजीव	MR. KUMAR RAJEEV
श्री सरवनकुमार ए	MR. SARAVANAKUMAR A
श्री बसेठा विजय कुमार	MR. BASETHA VIJAY KUMAR
श्री एस रंगराजन	MR. S RENGARAJAN

श्री अग्रवाल रविंदर	MR. AGGARWAL RAVINDER
श्री पाई सुरेश	MR. PAI SURESH
श्रीमती बंदोपाध्याय स्वप्ना	MRS. BANDOPADHAYA SWAPNA
श्री सिंह राजेश कुमार	MR. SINGH RAJESH KUMAR
श्री संजीव	MR. SANJEEV
श्री अनुज भार्गव	MR. ANUJ BHARGAVA
श्री पांडा समीर रंजन	MR. PANDA SAMIRA RANJAN
श्री अग्रवाल योगेश कुमार	MR. AGRAWAL YOGESH KUMAR
श्री टी एन सुरेश	MR. T N SURESH
श्री राठी विनयकुमार सत्यनारायण	MR. RATHI VINAYKUMAR SATYNARAYAN
श्री नेमा राकेश	MR. NEMA RAKESH
श्रीमती सिंह कविता	MRS. SINGH KAVITA
श्री ठाकुर यादव श्रवण	MR. THAKUR YADAV SHRAWAN
श्री लाल सुशील कुमार	MR. LAL SUSHIL KUMAR
श्री एम रवींद्र राय	MR. M RAVINDRA RAI
श्री भुटिया सोनाम शेरिंग	MR. BHUTIA SONAM TSHERING
श्री सिन्हा शैलेंद्र कुमार	MR. SINHA SHAILENDRA KUMAR
श्री ललाई धीरेन महेंद्र	MR. LALAI DHIREN MAHENDRA
श्री तिवारी संजय कुमार	MR. TIWARY SANJAY KUMAR
श्री खन्ना राजेश	MR. KHANNA RAJESH
श्री भैरवरसु मेहर कुमार	MR. BHAIRAVARASU MEHER KUMAR
श्री आर अजयकुमार के	MR. R AJAYAKUMAR K
श्री संजय कुमार सिंह	MR. SANJAY KUMAR SINGH
श्री सोमवंशी वीरेंद्र सूर्यभान	MR. SOMWANSHI VIRENDRA SURYABHAN
श्री सचदेवा सुमित	MR. SACHDEVA SUMIT
लेफ्टिनेंट जनरल सलारिया रणबीर सिंह	LT. GEN. SALARIA RANBIR SINGH
श्री हांडा अखिल	MR. HANDA AKHIL
श्री भट्टाचार्य ध्रुबाशीष	MR. BHATTACHARYA DHRUBASHISH
श्री पटनायक गिरीश	MR. PATNAIK GIRISH
श्री सबनवीस मदन	MR. SABNAVIS MADAN
श्री शिवगुरु टी.टी	MR. SHIVAGURU T T

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय हितधारको,

मुझे आपके साथ वित्त वर्ष 2022-23 (वि.व. 2023) के दौरान अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र में हुई समग्र प्रगति और विशेष रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विकास-यात्रा को साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2023 की शुरुआत रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के साये में हुई। दुनिया ने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक मंदी और कठिनाइयों से धीरे-धीरे उबरना शुरू ही किया था कि इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक टकराव उत्पन्न हो गया। ये दोनों देश खाद्य और ऊर्जा जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं और इसलिए इन दोनों देशों के बीच युद्ध होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया और वैश्विक स्तर पर कॉमोडिटी बाजारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसके बाद ऊर्जा, खाद्यान्न और धातुओं की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गईं जिससे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। तत्पश्चात, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक नीति संबंधी दृष्टिकोण को सख्त करने के लिए बाध्य हुए। यूएस फेडरल रिज़र्व ने मार्च 2022 से अपनी पॉलिसी दरों में (संचयी आधार पर) 500 आधार अंकों की वृद्धि की है जबकि इसी अवधि के दौरान बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) और यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने क्रमशः 440 आधार अंक और 370 आधार अंक की वृद्धि की है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने भी आर्थिक स्तर पर विभिन्न प्रभावों को महसूस किया। बहुत से देशों में बड़ी मात्रा में पूंजी का बहिर्गमन देखा गया जिससे उनकी घरेलू मुद्राओं के मूल्य पर दबाव बढ़ा। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 के 6.3% से घटकर 2022 में 3.4% रह गई है और 2023 में और कम होकर 2.8% तक रहने की उम्मीद है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भू-राजनैतिक मुद्दों के प्रभाव को दर्शाता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने तुलनात्मक रूप से बेहतर कार्यनिष्पादन किया है और उपर्युक्त प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में अपने नीतिपरक निर्णयों के माध्यम से बेहतर स्थिति में है। यह मुख्य रूप से सक्रिय राजकोषीय नीति और विनियामक उपायों के कारण संभव हुआ, जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने के उद्देश्य से पहले से ही किए गए प्रेरक एवं प्रोत्साहन जन्य उपायों के साथ तैयार किए गए थे। इसके अलावा, देश के कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और उससे संबंधित मामलों पर भारत की त्वरित प्रतिक्रिया ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी गिरावट से बचाया।

डॉ. हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष

वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी में 7.2% की वृद्धि हुई है जिसे विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर वृद्धि माना जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मुद्रास्फीति (सीपीआई) का स्तर औसतन 6.7% रहा, जो +/- 2% के दायरे के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के 4% के सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य से थोड़ा अधिक है। वर्ष के दौरान मासिक आधार पर मुद्रास्फीति 5.7% से 7.8% के दायरे में रही। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.2% रहने की संभावना व्यक्त की है।

बैंकिंग परिदृश्य

बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों और वैश्विक बैंकिंग संकट के गहन दबावों के बावजूद भारतीय बैंकिंग उद्योग ने इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और अपेक्षाकृत बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदर्शित किया। भारतीय बैंकिंग उद्योग में पर्याप्त रूप से पूंजी उपलब्ध है और आस्ति आकार, कुल कारोबार और लाभप्रदता की दृष्टि से भी यह सुदृढ़ बनता जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति और अपनी विभिन्न विकासात्मक और विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए हैं।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए इसे 4% से 6.50% कर दिया है। यह वृद्धि लंबे समय

तक जारी वैश्विक भू-राजनैतिक तनावों, वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों, आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के बने रहने, वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्त होने और इसके परिणामस्वरुप बैंकिंग क्षेत्र सहित भारतीय वित्तीय प्रणाली पर इसके प्रभावों के कारण हुई।

नीतिगत दरों को विनियमित करने के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और वैश्विक तथा घरेलू आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न होने वाली अभूतपूर्व अनिश्चितताओं का सामना करने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए तरलता प्रबंधन, बेहतर गवर्नेंस, बेहतर ग्राहक सेवा, केवाईसी, भुगतान और निपटान प्रणाली, बांड जारी करने इत्यादि क्षेत्रों में कई पहलें की हैं।

इस बीच भारत सरकार ने देश के वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कई नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। खनन, विनिर्माण, निर्माण, अवसंरचना, एमएसएमई, कृषि आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निवेश और नीतिगत पहलों ने अर्थव्यवस्था को उबरने और बैंक ऋण की मांग बढ़ाने में मदद की। छोटे कारोबार और कृषि को समर्थन प्रदान करने पर जोर देने के साथ डिजिटल ग्राहक अनुभव और एकीकृत समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज रिफॉर्म्स एजेंडा को जारी रखने की दिशा में वित्त वर्ष 2023 में ईज 5.0 (एनहान्स्ड एक्सेस एण्ड सर्विस एक्सिलेंस) की शुरुआत ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ऋण (खाद्येतर) में वित्त वर्ष 2022 के 8.6% की तुलना में 15.4% की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में मार्च 2022 के 8.9% की तुलना में मार्च 2023 में 9.6% की वृद्धि हुई। सरकार की पहलों, वित्त वर्ष 2024 के लिए एक दूरदर्शी बजट और भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्त वर्ष में भी बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में और वृद्धि होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यनिष्पादन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2023 में काफी उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17% की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक का कुल व्यवसाय बढ़कर ₹21.73 लाख करोड़ हो गया। बैंक का परिचालनगत लाभ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹26,864 करोड़ रहा। बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022 के ₹7,272 करोड़ की तुलना में लगभग दोगुना होकर वित्त वर्ष 2023 में ₹14,110 करोड़ रहा।

व्यावसायिक स्तर के साथ-साथ लाभ में हुई उल्लेखनीय वृद्धि दक्षतापूर्ण प्रबंधन की सफलता और इसके मानव बल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिनके समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप लाभप्रदता में वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में सुधार और ग्राहक संतुष्टि स्तर में बढोत्तरी हुई है।

शेयरधारकों को लाभांश

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹5.50 का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो बैंक की बढ़ती लाभप्रदता और बेहतर परिचालनगत दक्षता का स्पष्ट द्योतक है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक नई डिजिटल दुनिया और पर्यावरण अनुकूल बैंकिंग का अनुभव लें

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपका बैंक नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद एवं सेवाओं की पेशकश करने तथा अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में हमेशा अग्रणी रहा है। हम नवीनतम तकनीक आधारित बैंकिंग को अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। हमारा मोबाइल बैंकिंग ऐप ''बॉब वर्ल्ड'' बैंकिंग उद्योग में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ऐप में से एक है। हम लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास रहता है कि हमारे ग्राहकों को सदैव सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए और हम इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

बैंक का मानना है कि सफलता का आकलन केवल वित्तीय आंकड़ों के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अर्जित व्यवसाय की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बैंक अपनी कार्यपद्धति में **पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी)** घटकों को शामिल करते हुए अपने व्यवसाय मॉडल को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है, जो एक स्थिर व्यावसायिक मॉडल के लिए प्रमुख कारक हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक होंगे तथा इसके परिणामस्वरूप हमारी ईएसजी रेटिंग भी बेहतर होगी।

दिनांक 21 मई, 2022 को '**हमारी नैतिक आचरण संहिता**' की शुरुआत की गई, जो हमारी इस प्रगति यात्रा में मील का एक नया पत्थर है। हम अपने संस्थान में नैतिकता संबंधी समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए इस तरह की सुस्पष्ट संहिता को अपनाने और एक संस्थागत प्रणाली विकसित करने की दिशा में अग्रणी संस्थाओं में शामिल होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

आपका बैंक कार्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार श्रेष्ठ प्रर्दशन कर रहा है। उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को अपनाना बैंक के परिचालन का एक अभिन्न हिस्सा है।

आगे की राह

बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का केंद्र है जिसके माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में निधियों का संचलन होता है। भारत में बैंकिंग कंपनियों के पास तीव्र गति से और सुदृढ़ माहौल में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। आपका बैंक उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अपनी व्यावसायिक कार्यनीतियों को अनुकूल बनाते हुए सभी संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैंक बाह्य भू-राजनैतिक परिस्थितियों और घरेलू मुद्दों से संबंधित प्रतिकूल परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भविष्य में बैंक, समाज और अपने सभी ग्राहकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा, राष्ट्र की प्रगति के लिए विभिन्न सरकारी पहलों का समर्थन

करेगा और अपने हितधारकों की संतुष्टि स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करेगा।

मैं अपने शेयरधारकों और ग्राहकों सहित बैंक के सभी हितधारकों को बैंक के प्रति निरंतर समर्थन और विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी बड़ौदियन साथियों (कर्मचारियों) की ईमानदारी, उत्साह और बैंक एवं इसकी विकास यात्रा के प्रति उनके पूर्ण समर्थन की हार्दिक सराहना करता हूं जिसके फलस्वरूप बैंक उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने में सफल रहा। मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामकों को भी उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं विशेष रूप से निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनके मूल्यवान अभिमत और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूँ।

मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक और अधिक समृद्ध, समावेशी, मजबूत और स्थिर विकास हेतु अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को हासिल करने के लिए निरंतर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करता रहेगा और आने वाले दिनों और वर्षों में अपने हितधारकों के लिए और सुखद अवसर प्रदान करेगा।

डॉ. हसमुख अढ़िया

अध्यक्ष

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

Dear Stakeholders,

It is my privilege to share with you the overall developments in the economy, banking sector and journey of Bank of Baroda in FY 2022-23 (FY 2023).

Global economy

The Financial Year 2023 started amidst the shadow of war between Russia and Ukraine. The world had gradually started recovering from the economic slowdown and hardships due to the Covid19 pandemic, and it was at this time that geo-political tussle occurred between Russia and Ukraine. These two countries being the key suppliers of major commodities like food and energy, the war between these two countries led to supply chain disruptions and substantial jolt to commodity markets globally.

Following this, the prices of energy, food grains and metals have shot up substantially which has intensified inflationary pressures across advanced economies (AEs) and emerging market economies (EMEs). Subsequently central banks of the major economies were compelled to tighten their monetary policy stances. The US Fed Reserve has increased its policy rates by 500bps (cumulative) since March 2022, while Bank of England (BoE) and European Central Bank (ECB) followed with rate hikes of 440bps and 370bps respectively, during the same period.

The emerging market and developing economies also experienced the shock waves of different wave lengths. Many countries witnessed huge outflow of capital which put pressure on the value of their domestic currencies. According to IMF, the global economy has moderated to 3.4% in 2022 from 6.3% in 2021 and is expected to further come down to 2.8% in 2023. This reflects the severity of geopolitical issues on the global economy.

Domestic economy

Coming to the domestic economy, the Indian economy has comparatively performed well and positioned better through its strategic policy decisions in the context of the adverse global economic scenario as mentioned above. This was mainly because of proactive fiscal policy and regulatory measures which were already aligned to revive the economy with stimulus policy measures in order to come out of the sluggishness in economic activities caused by the Covid-'19 pandemic. Further India's quick response to International issues like the Russia-Ukraine war and related matters through country's diplomatic policies have also helped to safeguard the Indian economy from a free fall to a large extent.

India's GDP growth for the FY 2023 has been registered at 7.2%, which can be considered as a good number as compared with the growth of other economies in the world. Inflation (CPI) level in the country averaged at 6.7% during the FY 2022-23 which is marginally above the RBI's CPI inflation target of 4% within a band of +/- 2%. The inflation on a monthly basis during the year ranged from 5.7% to 7.8%. The RBI has projected CPI inflation at 5.2% for FY2023-24.

Banking scenario

With regard to Banking Sector, despite intensified pressures from the global financial markets and the global banking crisis, it may be noted that Indian Banking industry withstood these adversities and performed relatively well. The Indian banking industry is adequately capitalised and growing healthy in terms of asset size, total business and profitability. The RBI has taken several measures to protect the banking

sector through its monetary policy and through its various Developmental and Regulatory initiatives.

During FY2023, RBI has increased the repo rate by 250bps from 4% to 6.50%. This was in response to prolonged global geopolitical tensions, elevated commodity prices, continued supply bottlenecks, tightening global financial conditions and its consequent impact on the Indian financial system including the banking sector.

Apart from regulating policy rates, RBI has taken a lot of initiatives in the areas of liquidity management, good governance, improving customer service, KYC, Payment and settlement system, issuance of Bonds, etc., to strengthen the Banking system of the country and to enable Banks to withstand the unprecedented uncertainty arising out of the global and domestic economic issues.

In the meantime, the Government of India has come out with many policy stimulus to boost the financial sector and in turn the banking sector of the economy. The government's investments and policy initiatives to spur economic activities in key areas such as mining, manufacturing, construction, infrastructure, MSME, Agriculture etc., helped to revive the economy and to increase demand for Bank credit. Launch of EASE 5.0 (Enhanced Access and Service Excellence) in FY 2023 as a continuation of the EASE Reforms Agenda for the Public Sector Banks, with a focus on digital customer experience and integrated inclusive banking, with emphasis on supporting small business and agriculture, has been a significant contributor in the strengthening of Public Sector Banks.

During FY 2023, Bank credit (non-food) rose by 15.4% as compared with 8.6% in FY 2022. The aggregate deposits of the SCBs grew by 9.6% in March 2023 as compared with 8.9% growth in March 2022. Considering the Government's initiatives, a visionary budget for FY 2024 and the RBI's policy initiatives, the Bank credit is expected to grow further in the coming financial year as well.

Bank of Baroda's performance in FY 2023

Bank of Baroda performed exceptionally well in the financial year 2023. Total Business of the Bank increased to the level of Rs 21.73 lakh crore by registering 17% growth on YoY basis. Operating profit of the Bank reached to Rs 26,864 crore, registering a growth of 20% on a YoY basis. The Net Profit of the Bank has nearly doubled to Rs 14,110 crore in FY 2023 from Rs 7,272 crore in FY 2022.

The impressive growth in business levels as well as in profits reflects the success of efficient management and the commitment of its work force which together improved its profitability, asset quality and customer happiness.

Dividend to the Shareholders

I am happy to inform you that the Bank has proposed a dividend of Rs. 5.50 per share for the financial year ended 31st March 2023, which is a clear signal of the Bank's improving profitability and operational efficiency.

Experience a new Digital World & environment friendly banking with BoB

It is my privilege to inform you that your bank has always been in the forefront to offer its products and services based on the latest technology and keep improving upon its offerings to our customers. We are second to none in adopting the latest technology based banking. Our mobile banking app "bob world" is one of the best in industry. We offer almost all banking services on our digital banking platform in a most convenient and safe way. We strongly believe that our customers always deserve the best and we shall continue to strive for it.

The bank believes that success should not be measured by financials alone, it should also take into account the quality of the business generated. The bank is in the process of revamping its business model by including Environmental, Social and Governance (ESG) elements, the key factors for a sustainable business model, which will help us to reduce the carbon footprints and in turn will improve our ESG ratings.

Another major milestone in our journey is the launch of 'Our Code of Ethics' on 21st May 2022. We are proud to be amongst the pioneers in adopting such an elaborate code and devising an institutional mechanism for handling the ethical concerns and issues in the organisation.

Your bank is committed to adopting best recognised corporate governance practices and is continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of the Bank's operations.

Going forward

The banking sector being at the heart of the economy to

channelise money into growth sectors, there is a huge scope for banking companies in India to grow faster and in a healthy fashion. Your bank is all set to tap the potential benefits by streamlining its business strategies backed by latest available technology. The bank is also well prepared to face any challenges arising out of any adverse changes in external geopolitical conditions and domestic issues.

Going forward, the Bank will remain committed to serve the society and all our customers, while supporting the Government's initiatives for the progress of the Nation and maximizing our productivity and profitability to enhance the satisfaction of our stakeholders.

I would like to express my thanks to all stakeholders of the Bank including our shareholders and customers for their continued support and trust in our Bank. I would like to place on record my appreciation for all our Barodian colleagues (employees) for their sincerity, enthusiasm and wholehearted support to the Bank and its growth journey which has helped the bank to perform exceptionally well. I also express my sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India and other regulators for their support and guidance. Last but not the least is to place on record my thanks and appreciation to all the Board members for their valuable inputs and guidance.

I firmly believe that the Bank will continue to perform well to achieve its business goals and social commitments for a more prosperous, inclusive, resilient, and sustainable future and will add more happiness to its stake holders in the days and years ahead.

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय हितधारको,

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

वित्त वर्ष 2023 आपके बैंक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा जिसमें व्यवसाय विकास, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता जैसे सभी क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन के संदर्भ में व्यापक बदलाव देखने को मिला। सभी क्षेत्रों में न केवल रिकॉर्ड स्तर की उपलब्धि रही बल्कि निरंतर उच्च वृद्धि दर को भी बरकरार रखा गया। बैंक का कुल कारोबार ₹ 20 लाख करोड़ रुपये के मीलस्तंभ को पार कर गया है और शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। इसके अलावा, भू-राजनैतिक और घरेलू मोर्चों पर चुनौतियों के बावजूद अर्जन, मार्जिन, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के सभी प्रमुख मानदंडों पर लगातार दूसरे वर्ष भी प्रदर्शन में निरंतरता बनी रही।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में उच्च वृद्धि, लंबे समय से चली आ रही भू-राजनैतिक अस्थिरता और कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। साथ ही, बैंकों और कॉर्पोरेट दोनों के बेहतर तुलन-पत्रों के साथ भारतीय वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा है। इन चुनौतियों के बीच, आपके बैंक ने न केवल अपनी स्थिति को मजबूत किया है बल्कि खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए और विकास की गति एवं बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर प्रगति दर्ज की है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

देयता प्रबंधन - लागत को नियंत्रित करते हुए विकास हासिल करना

मुद्रास्फीति के बढ़ते दबावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि की और चलनिधि को नियंत्रित किया जिससे जमाराशि दरों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और उसका प्रभाव सही मायने में सकारात्मक रहा तथा प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में वृद्धि हुई। इन चुनौतियों के बावजूद, आपके बैंक ने जमाराशियों के संदर्भ में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की 9.6% की जमाराशि वृद्धि की तुलना में 15.1% की वृद्धि दर्ज की। आपके बैंक की घरेलू जमाराशियों में 13.0% और अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियों में 31.4% की वृद्धि दर्ज की गई वहीं घरेलू मीयादी जमाराशियों में 17% की वृद्धि हुई। बैंक ने चालू जमाराशियों में 9.2% और बचत जमाराशियों में 7.6% की वृद्धि के साथ कासा जमाराशियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा जिससे कासा अनुपात 42.25% के स्तर पर रहा। उद्योग स्तर पर जमाराशि में वृद्धि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भी, सावधानीपूर्वक तैयार मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण बैंक की जमा लागत 4.43% पर बनी रही जिसने बेहतर मार्जिन में उल्लेखनीय योगदान दिया।

अग्रिमों की व्यापक आधारीय वृद्धि

ऋण वृद्धि भी न केवल उद्योग स्तर से बेहतर रही बल्कि अंडरराइटिंग मानकों और मार्जिन दोनों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 में एससीबी के ऋणों में 15.4% की वृद्धि हुई जबकि आपके बैंक ने 18.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। चूंकि वर्ष के पहले भाग में हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न उपलब्ध थे, घरेलू ऋणों में 16.3% की वृद्धि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बही में 29.9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही, बैंक ने उभरते हुए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को मजबूत और पुनर्गठित करना जारी रखा और जोखिमों को प्रबंधित करने, कम प्रतिफल देने वाली आस्तियों को कम करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया। केवल लंदन, संयुक्त अरब अमीरात और न्यूयॉर्क के बाद बैंक के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के रूप में आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गांधीनगर का शुभारंभ महत्वपूर्ण कदम रहा और हमारे घरेलू ग्राहक आधार, टाइम जोन की आसान पहुंच और आकर्षक विनियामक और कर व्यवस्था गिफ्ट सिटी को बैंक की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का केंद्र बनाएगी, जिससे दक्षता के साथ-साथ विकास में मदद मिलेगी।

घरेलू बही के अंतर्गत बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद वाहन ऋण में 24.4%, गृह ऋण में 19.5% और शिक्षा ऋण में 21.8% की वृद्धि के साथ रिटेल सेगमेंट में 26.8% की वृद्धि दर के साथ उद्योग में हम अग्रणी रहे। वैयक्तिक ऋणों के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप इसमें 101.5% की शानदार वृद्धि दर्ज हुई। कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी, जिसमें पिछले वर्ष अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर्ज हुई थी, सरकार के बड़े कैपेक्स पुश, बेहतर क्षमता और कार्यशील पूंजी उपयोग के कारण 13.2% की वृद्धि के साथ सुधार हुआ ।

चुनौतियों के बावजूद भी एमएसएमई और कृषि ऋण सेगमेंट क्रमशः 11.7% और 13.2% की वृद्धि के साथ सुदृढ़ रहा ।

बेहतर आस्ति देयता संतुलन

जमाराशियों में हुई वृद्धि की तुलना में ऋण पोर्टफोलियो में बेहतर वृद्धि के कारण आस्ति देयता प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा। ब्याज दर चक्र में व्युत्क्रम, जिसकी मुद्रास्फीति के दबावों के निरंतर कम होते जाने के कारण बहुत ही

कम संभावना थी, के मद्देनजर बैंक के बचाव हेतु मीयादी जमाराशियों की वृद्धि को अपेक्षाकृत कम अवशिष्ट परिपक्वता पर लक्षित किया गया। इसके अलावा, 75.3% के घरेलू ऋण जमा अनुपात के साथ, बैंक के पास जमा बाजार में किसी भी अवशिष्ट तंगी की संभावना से बाधित हुए बिना अपने अग्रिमों में वृद्धि को जारी रखने के लिए काफी गुंजाइश है। बैंक का एलसीआर 135.4% के साथ मजबूत बना रहा।

आस्ति गुणवत्ता सुधार - उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की एक सतत् यात्रा

वर्ष के दौरान उच्च वसूली और अपग्रेडेशन के कारण बैंक की आस्ति गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2023 में सकल एनपीए अनुपात 282 बीपीएस घटकर 3.79% रह गया और निवल एनपीए घटकर 11 वर्ष के निचले स्तर 0.89% रह गया। वर्ष के दौरान नए स्लिपेज भी कम रहे, फलस्वरूप स्लिपेज अनुपात गिरकर 1.07% रह गया और क्रेडिट लागत भी 0.53% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। टेक्निकल राइट ऑफ (टीडबल्यूओ) खातों सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर), भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए बैंक की तैयारी का संकेतक है, बढ़कर 92.43% हो गया है जो सुरक्षा के उल्लेखनीय स्तर को दर्शाता है।

बैंक ने एक दक्षतापूर्ण वसूली तंत्र विकसित किया है और शुरुआती कमजोरियों एवं आरंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग कर रहा है। परिणामस्वरूप, बैंक की वसूली क्षमता 98% के उच्च स्तर पर स्थिर रही। सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को की गई बैंक की मानक रिपोर्टिंग के अनुसार एसएमए खातों की सक्रिय निगरानी के परिणामस्वरूप एसएमए1 और एसएमए2 खातों के स्तर में भारी गिरावट आई जिससे मानक ऋणों के सापेक्ष इनका अनुपात मार्च, 2022 के 0.44% की तुलना में मार्च, 2023 में 0.32% रहा।

व्यय प्रबंधन

भौतिक विस्तार को बढ़ाने के बजाय दक्षता विस्तार के फलस्वरूप व्यवसाय वृद्धि जनरेट हुई और कुशल लागत प्रबंधन ने लागत आय अनुपात को पिछले वर्ष के 49.24% की तुलना में 47.72% तक बेहतर बनाने में मदद की।

सुदृढ़ आय

बैंकिंग उद्योग में अग्रणी वृद्धि, आस्ति एवं देयताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन और व्यय पर कड़े नियंत्रण ने बैंक की आय संबंधी मानदंडों को व्यापक रूप से बेहतर बनाने में योगदान दिया। ब्याज आय में हुई उच्च वृद्धि के कारण निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 26.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि परिचालन व्यय में बढ़ोत्तरी को 12.9% के स्तर पर नियंत्रित रखा गया। राजस्व में वृद्धि और लागतों पर नियंत्रण के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान परिचालनगत लाभ 20.0% बढ़कर ₹26,864 करोड़ तक पहुंच गया। बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ, प्रावधानों में 45.1% की गिरावट दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 94.0% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹14,110 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा ।

सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता

बेहतर अग्रिम वृद्धि के साथ-साथ उच्च लाभांश वितरण के बावजूद बेहतर लाभप्रदता के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 23 में बैंक की पूंजी की स्थिति और मजबूत हुई है। उच्च प्रतिधारित आय के आधार पर मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सीईटी-1 पूंजी 12.24% के साथ स्टैंडअलोन सीआरएआर 16.24% रहा। समेकित आधार पर पूंजीगत स्थिति सीईटी-1 के 12.83% के साथ 16.73% के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहलें

बैंकिंग परिचालन का डिजिटलीकरण

बैंक परिचालनों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकृत करने और ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का इष्टतम उपयोग कर रहा है। यह बैंक के बेहतर कार्यनिष्पादन में प्रमुख घटक रहा है, क्योंकि डिजिटलीकरण ने न केवल भौतिक उपस्थिति और सहवर्ती लागतों में तदनुरूपी बढ़ोतरी के बिना तेजी से वृद्धि करने की सुविधा प्रदान की है बल्कि बेहतर क्रॉस सेलिंग और राजस्व अर्जित करने के अवसर भी प्रदान किए हैं। बैंक के उत्कृष्ट ऐप 'बॉब वर्ल्ड' के 30 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं जो बैंक के गैर-एफआई ग्राहक आधार की 41% पैठ को दर्शाता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, बैंक ने प्रत्येक वर्ष बॉब वर्ल्ड में 1 करोड़ नए ग्राहकों को जोड़ा है, जो भारतीय बैंकिंग उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि है।

आपके बैंक ने डिजिटलीकरण को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। ई-स्टांपिंग उपयोग के साथ-साथ ई-साइन इन्फ्रा उपयोग में बैंक द्वारा प्रथम स्थान हासिल करना उपर्युक्त उपलब्धि को दर्शाता है। साथ ही, बैंक को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा ''प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग'' श्रेणी में ईटी ट्रेंडिज अवार्ड, बैंकिंग फ्रंटियर्स फिनोविटी 2022, इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के 18वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी अवार्ड में बड़े बैंकों की श्रेणी में ''बेस्ट एआई एंड एमएल बैंक'' और दि मैडीज 2022 के 8वें एक्सचेंज4 मीडिया मोबाइल अवार्ड में ''बेस्ट मोबाइल वेबसाइट'' जैसे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं।

संवहनीय विकास

बैंक जलवायु परिवर्तन के महत्त्व को समझता है और वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को कारोबार और आजीविका के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में मानता है। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। बैंक जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने बैंकिंग परिचालनों के सतत् विकास की दिशा में सतर्कता से काम कर रहा है। नीतिगत मामले के रूप में बैंक उन उधारकर्ताओं, जो ओजोन डिप्लीटिंग पदार्थ (ओडीएस) का उत्पादन/ खपत करने वाली नई इकाइयों की स्थापना कर रहे हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग करते हुए एयरोसोल इकाइयों के निर्माण कार्य से जुड़े सूक्ष्म/ लघु स्तर की इकाइयों को वित्तपोषण नहीं कर रहा है ताकि इन उपायों से सामूहिक रूप से ग्रीनहाउस के प्रभाव में कमी लाई जा सके।

बैंक ने निदेशक मंडल की समिति-सीएसआर एवं संवहनीयता समिति का भी गठन किया है जो एक मजबूत ईएसजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के माध्यम से संस्थान में जिम्मेदारीपूर्ण पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) प्रक्रियाओं को एकीकृत करने और संवहनीय कार्यनीतियों को लागू करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल की समिति को परिचालनगत सहयोग प्रदान करने के लिए ईएसजी पर कार्यपालकों की कोर समिति का भी गठन किया गया है।

बैंक ने अपने स्तर पर उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा तथा जल की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना मुख्य लक्ष्य रहा है। ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक की लगभग 175 शाखाएं अब सौर ऊर्जा से संचालित हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से लगभग 2400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को

समाप्त किया गया है। इसके अलावा, बैंक की सभी 8200 शाखाओं में एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हुई है। बैंक संवहनीयता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है और संवहनीय जीवन, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए ''स्वच्छता पखवाड़ा'' जैसी पहलें आयोजित की गई हैं। इन प्रयासों में स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन के साथ-साथ सार्वजनिक पार्कों, रेलवे स्टेशन और समुद्रतटों पर स्वच्छता अभियानों में हमारे कर्मचारियों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रही है।

बैंक ने ''बॉबवर्ल्ड'' के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम बैंकिंग को प्राथमिकता दी है, जो ग्राहकों को एक ओर निर्बाध एवं सुविधाजनक बैंकिंग परिचालन की अनुमति देता है, वहीं दूसरी ओर लेन-देन के लिए कागज के उपयोग को कम करने और शाखा में आने-जाने की आवश्यकता के रूप में लागत को कम करता है। बैंक में आंतरिक रूप से पेपरलेस अनुमोदन प्रक्रिया और दस्तावेज प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की सुविधा विकसित की गई है।

बैंक ने ''एक वृक्ष लगाओ कार्यक्रम'' की भी शुरुआत की है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रत्येक वाहन/ गृह ऋण के संवितरण पर फल देने वाला एक वृक्ष लगाता है। ग्राहकों को ग्रीन ट्री प्लांटेशन प्रमाण-पत्र दिया जाता है जिसमें उनकी ओर से लगाए गए वृक्ष का विवरण होता है। प्रत्येक वृक्ष की जीओ टैगिंग की जाती है और उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उसे सुरक्षित किया जाता है। ग्राहक अपने लगाए गए वृक्ष को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, उसके सटीक भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं, और दिए गए निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूप से भी वृक्ष को देख सकते हैं। 31 मार्च तक, बैंक ने 1.5 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। बैंक का लक्ष्य संवहनीयता एवं पर्यावरण प्रबंधन को अपनाते हुए सभी के लिए एक हरित एवं स्वस्थ भविष्य को प्रोत्साहित करते हुए सकारात्मक प्रभाव डालना है।

बैंक में विविधता, समानता एवं समावेशन के साथ-साथ एक नैतिक संस्कृति विकसित करने पर बल

बैंक के लिए विविधतापूर्ण, निष्पक्ष एवं समावेशी कार्यस्थल का सृजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव रहित एवं समान अवसर नीति का पालन करता है और पदोन्नति, कॅरियर-पाथ, स्थानांतरण नीति और कर्मचारी लाभ/ कल्याण योजनाओं से संबंधित सभी मामलों में पारदर्शी है। इन पहलों का उद्देश्य कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि करके, प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करके, स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राथमिकता देकर और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर अपने मानव संसाधन को सुदृढ़ एवं विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, बैंक ''वॉयस ऑफ बड़ौदियन'' कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण के माध्यम से नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें पिछले सर्वेक्षण में 96.91% की अभूतपूर्व सहभागिता दर देखी गई है और 75% का सर्वाधिक कर्मचारी जुड़ाव स्कोर दर्ज किया गया है।

विविधता, समानता एवं समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने एक पथ-प्रदर्शक ''विविधता, समानता एवं समावेशन'' (डीईआई) नीति भी तैयार की है। इसे सभी स्तरों पर समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने, समान अवसर प्रदान करने एवं लोगों को समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। बैंक ने महिला कर्मचारियों के सहयोग हेतु सेबैटिकल अवकाश एवं क्रेश सुविधा की व्यवस्था के साथ-साथ महिला कर्मचारियों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और कॅरियर विकास में सहयोग करने जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं।

बैंक ने ''मानव अधिकार नीति'' बनायी है जो व्यवसाय एवं मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके अलावा, बैंक अपने परिसर के अंदर बाल श्रम या किसी भी प्रकार के अनैच्छिक श्रम पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाते हुए मानव अधिकार का सख्तीपूर्वक अनुपालन करता है। बैंक एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी व्यक्ति विविधता, समानता एवं समावेशन को प्राथमिकता देते हुए और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए मूल्यवान, सम्मानित एवं सशक्त महसूस करें।

बैंक संगठन में नैतिक संस्कृति स्थापित करने में अग्रणी रहा है जो इसके सभी कार्यों एवं भविष्य की सफलता के लिए आधारशिला होगी। एक व्यापक ''नैतिक आचरण संहिता'' तैयार की गई है जो सभी कर्मचारियों और बैंक के व्यवसाय से जुड़े लोगों पर लागू होती है। सभी कर्मचारियों को कवर करने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कर्मचारियों को कार्य में नैतिक संबंधी दुविधाओं के समाधान में सहायता करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। हमारा विश्वास है कि ये पहलें बैंक को नैतिक एवं मूल्य-आधारित संगठन के रूप में सुदृढ़ करेंगी।

पुरस्कार और सम्मान

ईज़ - सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दूसरी बार

भारत सरकार के ईज़ सुधार एजेंडा ने दक्षता, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और अपनी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने हेतु बैंक की यात्रा में अत्यधिक योगदान दिया है।

हमें गर्व है कि भारत सरकार के ईज़ 4.0 सुधार सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की श्रेणी में बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने प्रतिष्ठित 'प्रथम' स्थान हासिल किया।

निष्कर्ष

आपका बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी हितधारकों की उम्मीदों पर खरा उतरने, उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप मानक स्थापित करने की अपनी सुदृढ़ स्थिति के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में प्रवेश कर रहा है।

अंत में, उद्योग जगत में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ऐसी सुदृढ़ पहचान बनाने के लिए, जिस पर हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने सभी कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण एवं प्रतिबद्धता की कृतज्ञतापूर्वक सराहना करता हूँ और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निदेशक मंडल के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढ़िया और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा प्रबंधन को अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं समय-समय पर सहयोग और समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने सभी ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण और हमारे बैंक पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम उत्कृष्टता की अपनी इस अविराम यात्रा में अपने सभी सम्मानित शेयरधारकों से उनके निरंतर समर्थन और सद्भावना की कामना करते हैं।

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO'S STATEMENT

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

Dear Stakeholders,

I am delighted to present before you the highlights of the Bank's performance during the Financial Year, 2022-23.

FY2023 represents a watershed year for your Bank with a quantum shift in terms of performance in almost every area - Business Growth, Profitability as well as Asset Quality, all of which not only attained record levels but also appear to be on a sustainably higher trajectory. The Bank's total business crossed the INR 20 lakh crore milestone and the net profit has almost doubled from that of the previous year. Moreover, this is the second consecutive year of consistent performance across all major parameters of earnings, margins, profitability and asset quality notwithstanding the challenges on the geo-political and domestic fronts.

The global economy has been grappling with inflation, sharp rise in interest rates, disruptions fuelled by prolonged geo-political instability, and the lingering effects of COVID-19. The Indian economy has weathered these challenges and continues to be the fastest growing economy in the world. Also, the Indian financial sector has remained resilient with the improving balance sheets of both banks and corporates. Amidst these challenges, your Bank has not only consolidated its position but also has gained momentum by introducing measures to increase the pace of growth and market share while exercising close control on expenses.

Financial Performance

Liability management –delivering growth while containing costs

With surging inflationary pressures, the RBI increased the Repo rates by 250 basis points and tightened liquidity, exerting pressure on deposit rates, which turned positive in real terms and intensified competitive pressures. Despite these challenges, your Bank has grown its deposits at 15.1% as against Scheduled Commercial Bank's (SCBs) deposit growth of 9.6%., The domestic deposits of your Bank have grown at 13.0% and international deposits at 31.4%, while domestic term deposits increased 17%. The Bank has continued to focus on CASA deposits with current deposits growing at 9.2% and saving deposits at 7.6% and CASA ratio stood at 42.25%. Even while delivering a better than industry deposit growth, a carefully calibrated pricing strategy, helped the Bank contain cost of deposits at 4.43%, contributing significantly to improved margins.

Broad-based Advances growth

Credit growth was again not only better than industry but also achieved while maintaining an unrelenting focus on both underwriting standards as well as margins. SCB loans grew by 15.4% in FY23 while loan growth for your Bank was significantly higher at 18.5%. As there were better risk adjusted returns available in our international operations in the first part of the year the growth in the International book was significantly higher at 29.9% compared to the 16.3% growth in Domestic Loans. Simultaneously, the Bank continued consolidating and re-jigging its International Operations in line with the emerging global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability. The emergence of IFSC GIFT City, Gandhinagar as the fourth largest international operation of the Bank, behind only London, UAE and New York was an important development and advantages of ease of access to our domestic client base, time zone and the attractive regulatory and tax regime will make GIFT City the centrepiece of the Bank's international strategy, helping drive efficiencies as well as growth.

Within the Domestic Book, the Retail segment continued to be buoyant despite rising interest rates growing organically at an Industry leading 26.8% with Auto loans growing at 24.4%, Home loans at 19.5% and education loan at 21.8%. The digitisation of the personal loans has resulted in a stellar 101.5% growth. The corporate segment, which had seen relatively tepid growth in the previous year too recovered smartly with a growth of 13.2%, driven by the large capex push of the Government, improved capacity and working capital utilisation.

The MSME and Agriculture segments have been resilient despite challenges growing at 11.7% and 13.2% respectively.

Striking the right Asset liability balance

With the loan growth outpacing the deposit growth, the asset liability management has been of paramount importance. Growth of term deposits was targeted at a relatively shorter

residual maturities to hedge the Bank against a reversal in the interest rate cycle, which appears a distinct possibility with the dissipating inflationary pressures. Further, with the domestic credit deposit ratio at 75.3%, there is plenty of headroom for the Bank to continue to grow its advances without being constrained by the possibility of any residual tightness in the deposit market. The LCR of the Bank was healthy at 135.4%.

Asset Quality Improvement – a continuous journey of outperformances

The year also saw a significant improvement in the Bank's asset quality, driven by higher recoveries and upgradations. The Gross NPA ratio declined by 282 bps to 3.79% in FY23 and Net NPAs declined to an 11 year low of 0.89%. Fresh slippages were also lower during the year leading to a reduction in the slippage ratio to 1.07% with credit costs coming in at a record low of 0.53%. The Provision Coverage Ratio (PCR), including Technical Written Off accounts (TWO), an indicator of the Bank's preparedness to cover any future losses, rose to 92.43%, signifying a very significant level of protection.

The Bank has built up an efficient collection machinery and has been using advanced analytical tools for identifying incipient weaknesses and early warning signals. As a result, the collection efficiency of the Bank was sustained at a high 98%. The proactive monitoring of the SMA accounts resulted in a sharp decline in SMA1 and SMA2 accounts, from 0.44% as of Mar' 22 of standard loans to 0.32% as of Mar'23, as per the Bank's standard reporting to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).

Expense Management

Business growth was generated by driving efficiencies rather than expanding the physical build, and efficient cost management helped the Cost Income Ratio to improve to 47.72% as against 49.24% in the previous year.

Robust Earnings

Industry leading growth, prudent management of assets and liabilities and tight control over expenses contributed to a broad improvement in the Bank's earning parameters. The net interest income (NII) expanded at 26.8% driven by higher growth in interest income while increase in operating expenses was contained at 12.9%. As a result of rising revenue and contained costs, the operating profit grew by 20.0% to touch INR 26,864 crore during the year. With improving asset quality, the provisions declined by 45.1%. As a result, the net profit increased to a record high level of INR 14,110 crore, registering a growth of 94.0% over the previous year.

Healthy Capital adequacy

The Banks capital position strengthened further in FY23 due to Improved profitability, despite buoyant advances growth as well as higher dividend distribution. The standalone CRAR as of March 2023 stood at 16.24% with CET-1 capital at 12.24% on the back of higher retained earnings. Capital position on consolidated basis touched a high of 16.73% with CET-1 at 12.83%.

Key initiatives taken by the bank during the year

Digitisation of Banking Operations

The Bank has been leveraging the power of technology to progressively digitise operations and enhance customer engagement. This has been the key enabler for the Bank's improved performance, as digitalisation has not only allowed us to deliver rapid growth without a corresponding increase in physical presence and concomitant costs but also offered better cross selling and revenue generating opportunities. The Bank's super App 'bobWorld' has over 30 million activated users representing a 41% penetration of the Bank's non-FI customer base. Over the last 2 years, the Bank has incrementally added 1 crore new customers to bobWorld each year, amongst the highest additions in the Indian Banking space.

The leadership position of your Bank in driving digitalisation was reflected in the Bank being ranked first in e-stamping usage as well as in e-sign Infra usage. Recognition has also come by way of several awards and accolades such as ET Trendies Award in the category "Innovative use of Technology" by Economic Times; the Banking Frontiers' Finnoviti 2022; the "Best AI & ML Bank" among Large Banks at the Indian Banks' Association (IBA) 18th Annual Banking Technology Award and the "Best Mobile Website" at the 8th Exchange4media Mobile Awards at The Maddies 2022.

Sustainable Development

The Bank acknowledges the urgency of climate change and recognizes global warming as one of the most significant threats to businesses and livelihoods globally. Climate change risk has become a crucial challenge to the financial industry, of late. The Bank is committed to reducing the impact of climate change risk and is consciously working towards sustainable development of its banking operations. As a matter of policy, the Bank does not finance borrowers who are setting up new units producing / consuming Ozone Depleting Substances (ODS) and small / medium scale units which are engaged in the manufacturing of aerosol units using Chlorofluorocarbons (CFC), so that these steps collectively enable reduction in the greenhouse effect.

The Bank has also constituted a Board level committee - the CSR and Sustainability Committee - which will play a crucial role in implementing sustainable strategies and integrating responsible Environment, Social, and Governance (ESG) practices across the organization through a robust ESG governance framework. Additionally, a core Executive committee on ESG has also been formed to provide operational support to the Board level committee.

The Bank has taken several steps to reduce its emissions and minimise energy and water consumption. A key focus area has been the reduction of carbon emissions. Around 175 branches in rural/semi-urban areas of the Bank are now powered by solar energy, resulting in reduced power consumption and carbon dioxide emissions. Through the use of renewable energy sources, approximately 2400 tons of carbon dioxide emissions have been eliminated. Furthermore,

LED lights have been installed in all 8200 branches of the Bank, contributing to energy efficiency. The Bank is committed to generating awareness about sustainability and has organised initiatives such as "Swachhata Pakhwada" to promote a commitment to sustainable living, environmental preservation, and cleanliness. These efforts have involved active participation from our employees and fellow citizens in cleanliness drives at public parks, railway stations, and beaches, along with organising health check-up camps.

The Bank has prioritised technology-enabled banking through "bobWorld," which allows for seamless and convenient banking operations for customers on the one hand and on the other hand, reduces costs in the form of reduced paper usage for transactions and the need for commuting to the branch. The Bank has paperless approval process internally as well as a record digitisation for document management.

The Bank has also initiated a "Plant a Tree Program" wherein the Bank plants a fruit bearing tree on behalf of its customers for every auto/home loans disbursed. Customers are provided a Green Tree Plantation certificate containing details of the tree planted on their behalf. Each tree is geotagged and secured using blockchain technology to ensure its authenticity. Customers can track their planted tree online, view its exact geolocation, and even visit the tree personally using the provided coordinates. As of March 31, the Bank has planted over 1.5 lakh trees. The Bank aims to make a positive impact while encouraging a greener and healthier future for all by embracing sustainability and environmental stewardship.

Thrust On Diversity, Equity & Inclusion as well as laying an Ethical culture in the Bank

Creating a diverse, equitable, and inclusive workplace is of utmost importance to the Bank. The Bank follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees and is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. These initiatives aim to strengthen and develop our human resources by increasing employee satisfaction, addressing training needs, prioritising health and wellness, and promoting capacity building. Additionally, the Bank regularly engages with its employees through the "Voice of Barodians" Employee Engagement Surveys, with the latest edition witnessing an unprecedented participation rate of 96.91% and recording the highest-ever Employee Engagement Score of 75%.

The Bank has also put in place a path-breaking "Diversity, Equity and Inclusion" (DEI) Policy for promoting Diversity, Equity and Inclusion in the Bank. It is designed to foster greater gender diversity, provide equal opportunities and support to people while promoting inclusivity at all levels. The Bank has instituted special facilities to support women employees such as Sabbatical Leave and establishment of Crèche facility as well as adopting a sensitive approach in postings and transfers and in supporting career growth of women employees.

The Bank has a "Human Rights policy" aligned with international principles such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Furthermore, the Bank strongly upholds human rights by strictly prohibiting child labour or any form of involuntary labour within its premises. The Bank is committed to creating an environment where all individuals feel valued, respected, and empowered by prioritising diversity, equity, and inclusion, as well as respecting human rights.

The Bank also has done a pioneering work for establishing an Ethical culture in the organisation which will be the bedrock for all its actions and also its future success. A comprehensive "Code of Ethics" has been formulated which applies to all employees and people connected with Bank's business. Various training & awareness building measures are conducted on a regular basis to cover all employees and Counsellors have been appointed to help employees resolve ethical dilemmas at work. We believe that these initiatives will strengthen the Bank as an Ethical & a value-based organisation.

Awards and Recognition

EASE - best Bank Award for the second time

The Government of India's EASE reforms agenda has contributed immensely towards the Bank's journey in promoting efficiency, excellence and enhancing access to its services.

We are proud that Bank of Baroda secured the coveted 'First' position in the Government of India's EASE 4.0 reforms index among all Public Sector Banks.

In conclusion

Your bank is entering FY23-24 well positioned to support the growth aspirations of the Indian economy and fulfil the expectations of all our stakeholders, setting standards that match the best in the industry.

In conclusion, I must first gratefully acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment for making Bank of Baroda an institution that all of us can be proud of. I would like to acknowledge the valuable support, guidance and inputs to management given by the Chairman of our Board, Dr. Hasmukh Adhia and all members of the Board. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for their continuous support and guidance from time to time.

I would like to thank all our customers for their continued patronage and trust in our Bank. And to all our esteemed shareholders, we look forward to your continued support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

निदेशकों की रिपोर्ट

''आपके निदेशकगण बैंक की एक सौ पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023) के लिए लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं''.

वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख वित्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
वैश्विक जमाराशियां	10,45,938.56	1203687.79
जिसमें से - अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां	1,18,927.99	156312.58
घरेलू जमा राशियां	9,27,010.57	1047375.21
जिसमें से-चालू खाता जमा राशियां	68,779.64	75110.67
बचत बैंक जमाराशियां	3,41,343.27	367399.83
घरेलू कासा जमाराशियां	**4,10,122.92**	**442510.50**
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	**44.24**	**42.25**
निवल अग्रिम	**777155.18**	**940998.27**
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	653381.55	776589.63
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	123773.63	164408.64
वैश्विक सकल अग्रिम	**818120.39**	**969548.31**
कुल कारोबार (वैश्विक जमाराशि + वैश्विक सकल अग्रिम)	**1864058.95**	**2173236.10**
कुल आस्तियां	**12,77,999.83**	**1458561.54**
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**32621.34**	41356.01
अन्य आय	11483.95	10025.84
जिसमें से - ट्रेडिंग अभिलाभ	2728.76	1062.50
परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय)	**44105.29**	**51381.58**
परिचालनगत व्यय	21716.44	24518.31
परिचालनगत लाभ	**22388.85**	26863.54
प्रावधान (कर को छोड़कर)	13002.41	7136.90
जिसमें से - एनपीए व बट्टाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	14640.12	4,350.52
कर पूर्व लाभ	**9,386.44**	**19726.64**
कर हेतु प्रावधान	2,114.16	5617.02
निवल लाभ	**7,272.28**	**14109.62**
विनियोजन / अंतरण		
सांविधिक प्रारक्षित निधि	1,814.34	3,527.40
पूंजी प्रारक्षित निधि	523.35	92.57
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	827.40	7274.12
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	250.00	300.00
III) निवेश प्रारक्षित खाता	0.00	0.00
IV) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	2,368.42	30.00
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	14.93	41.28
प्रस्तावित लाभांश	1473.84	2,844.25

वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹12,03,688 करोड़ हो गई जो वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹10,45,939 करोड़ थी इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक का घरेलू कासा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.9% की वृद्धि के साथ ₹4,42,511 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू जमा राशियों में भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान बढ़कर ₹10,47,375 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक का निवल अग्रिम बढ़कर ₹9,40,998 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹7,77,155 करोड़ था, इस प्रकार इस अवधि के दौरान 21.1% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.5% की बढ़ोत्तरी के साथ वित्त वर्ष 2022 में ₹8,18,120 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में ₹9,69,548 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। बैंक का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2022 के ₹18,64,059 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर ₹21,73,236 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2022 के ₹32,621 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर ₹41,356 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.8% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2023 में ₹10,026 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹11,484 करोड़ थी। बैंक का परिचालन खर्च वित्त वर्ष 2023 में ₹24,518 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह ₹21,716 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2022 के ₹44,106 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹51,382 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 16.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में ₹14,110 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के ₹7,272 करोड़ के शुद्ध लाभ से लगभग दोगुना था। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2022 के ₹22,389 करोड़ की तुलना में 20% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹26,864 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक (%)	3.03	3.31
लागत-आय अनुपात (%)	49.24	47.72
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	0.60	1.03
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	11.86	18.34
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	118.97	148.80
मूल ईपीएस (₹)	14.06	27.28

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वैश्विक वित्त वर्ष 2022 में 3.03% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 3.31% हो गया। आय-लागत अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 49.24% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 47.72% हो गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए आस्तियों पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2022 के 0.60% से 43 बीपीएस बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.03% हो गया, जो लाभप्रदता में असाधारण कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023 में इक्विटी पर प्रतिफल 648 बीपीएस बढ़कर 18.34% हो गया। प्रति शेयर बुक वैल्यू वित्त वर्ष 2022 के ₹118.97 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹148.80 हो गया। प्रति शेयर अर्जन वित्त वर्ष 2022 के ₹14.06 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹27.28 हो गया।

निधियों की औसत लागत और आय तथा औसत ब्याज अर्जक आस्तियां

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
निधियों की औसत लागत (%)	3.64	4.08
निधियों पर औसत आय (%)	6.49	7.17
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹करोड़ में)	10,77,177	12,49,846
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹करोड़ में)	10,24,804	11,81,750

वित्त वर्ष 2023 में निधि की औसत लागत और निधि पर लाभ क्रमशः 4.08% और 7.17% रहा। औसत ब्याज वाली आस्तियां वित्त वर्ष 2022 के ₹10,77,177 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹12,49,846 करोड़ हो गई। औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं भी वित्त वर्ष 2022 के ₹10,24,804 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹11,81,750 करोड़ हो गईं।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

(अनुपात % में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III	15.68	16.24
सीईटी I	11.42	12.24
टीयर I	13.18	13.99
टीयर II	2.50	2.25

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) दिनांक 31 मार्च, 2022 के 15.68% से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 16.24% हो गया। वित्त वर्ष 2023 के दौरान सीईटी-1 अनुपात भी वित्त वर्ष 2022 के 11.42% से बढ़कर 12.24% हो गया। समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2022 के 16.19% की तुलना में बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2023 को 16.73% हो गया।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹2474 करोड़ के अतिरिक्त टियर I (एटी-I) पूंजी बांड जारी किए।

निवल मालियत

दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक की निवल मालियत ₹76,591.07 करोड़ रही जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,035.53 करोड़ रही और प्रारक्षित निधि ₹97,187.36 करोड़ रही (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर)। शेयर (अंकित मूल्य ₹2) का बही मूल्य 31 मार्च, 2023 को ₹148.80 रहा।

सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने ग्रेच्युटी (₹125.75 करोड़), पेंशन फंड (₹2911.62 करोड़), छुट्टी नकदीकरण, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभों (₹78.51 करोड़) में अंशदान हेतु प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान इन श्रेणियों के तहत कुल प्रावधान ₹3115.88 करोड़ रहा।

लाभांश संवितरण नीति

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹5.50 के लाभांश का प्रस्ताव किया है। लाभांश के रूप में ₹2,844.25 करोड़ का कुल भार आएगा। लाभांश का भुगतान अपेक्षित मंजूरी के अधीन है।

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

रूस द्वारा के यूक्रेन पर आक्रमण के साथ कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में विश्व अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इसकी तत्काल प्रतिक्रिया पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूस के साथ सौदों पर लगाए गए प्रतिबंध के रूप में हुई, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकास की समग्र गति को प्रभावित किया। आईएमएफ के अनुसार, युद्ध, व्यापार में व्यवधान, चीन की शून्य कोविड नीति, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी कार्रवाई जैसे कई कारकों के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2021 के 6.3% से घटकर 2022 में 3.4% हो गई।

उच्च मुद्रास्फीति, उच्च दरों और रूस-यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के लंबे प्रभाव के बीच कई देशों में आजीविका लागत संकट के कारण स्थिति और खराब हो गई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में वृद्धि वर्ष 2021 के 5.4% से घटकर वर्ष 2022 में 2.7% रह गई। इस समूह के अंतर्गत यूरो क्षेत्र में वृद्धि वर्ष 2021 के 5.4% की तुलना में वर्ष 2022 में 3.5% तक सीमित रही। इसका अधिकतम असर फ्रांस और इटली पर पड़ा। अमेरिका में भी वृद्धि दर 2021 के 5.9% से घटकर 2.1% रह गई।

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में वृद्धि बेहतर रही, जिसमें वर्ष 2021 में 6.9% की वृद्धि के बाद वर्ष 2022 में 4% की वृद्धि हुई। 2021 में चीन की विकास दर वर्ष 8.5% से घटकर वर्ष 2022 में 3% रह गई जो कि इस क्षेत्र में विकास की धीमी गति का प्रमुख कारण रहा। चीन ने साल

के अंत तक जीरो-कोविड पर अपने सख्त रुख को धीरे-धीरे वापस ले लिया और चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों को सामान्य किया।

मंहगाई के मोर्चे पर, वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2021 के 4.7% की तुलना में वर्ष 2022 में 8.7% पर बनी रही। रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गिरावट के कारण वैश्विक कमोडिटी कीमतों में तेजी आई है। कई एई के साथ-साथ ईएमडीई में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों से अधिक रही। वास्तव में, ब्रिटेन जैसे कई एई में मुद्रास्फीति इस वर्ष के दौरान दोहरे अंक तक बढ़ गई।

मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों में आक्रामक तरीके से वृद्धि की है। प्रमुख एई केंद्रीय बैंकों में से, यूएस फेड ने इसी अवधि में नीतिगत दरों में 500 बीपीएस की वृद्धि की है, इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने क्रमशः 440 बीपीएस और 375 बीपीएस की वृद्धि की है। उभरते बाजारों (ईएम) में ब्राजील और इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंकों ने भी नीतिगत दरों में वृद्धि की है।

फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख से वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत हुआ और यूरो का स्तर कुछ समय के लिए कमजोर हुआ। इससे लगभग सभी मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले गिरावट आई। प्रमुख मुद्राओं में रुपये में गिरावट का औसत स्तर अपेक्षाकृत नियंत्रित रहा है।

वैश्विक वृद्धि और मांग में गिरावट के बीच वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में गिरावट आई। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की मात्रा 2021 के 10.6% से घटकर 5.1% हो गई। ऐसा माल के निर्यात की मात्रा में 2021 के 10.7% की तुलना में 2.6% की तेज गिरावट के कारण हुआ। वस्तुओं के आयात की मात्रा भी वर्ष 2021 के 11.5% की तुलना में वर्ष 2022 में 4% कम रही।

वैश्विक वृद्धि परिदृश्य को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ी है। वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति के बीच तेजी से मौद्रिक नीति को सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्तीय स्थितियों में दबाव को काफी बढ़ाया है। हाल ही में कुछ अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों की विफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली में देखे गये दबाव के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण बैंक क्रेडिट सुइस संबंधी संकट ने, विकास की राह को प्रभावित किया है। इसी के साथ घटती मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है, और श्रम बाजार में निरंतर मजबूती के साथ और भी अधिक लंबे समय तक बनी रह सकती है। इससे वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा और अधिक सख्त रुख अपनाया जा सकता है, जो संभावित विकास को प्रभावित करेगा।

इसके आधार पर आईएमएफ ने और अधिक गिरावट की संभावना के बीच 2023 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। वास्तव में, रिपोर्ट कहती है कि 'हार्ड लैंडिंग' की संभावना बढ़ गई है। एई में वृद्धि केवल 1.3% रहने का अनुमान है। ऐसा यूरो क्षेत्र में वृद्धि दर में 0.8% की तीव्र गिरावट के कारण होगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में विकास दर 0.1% रहने की उम्मीद है। ब्रिटेन में उत्पादन वृद्धि में 0.3% की गिरावट की उम्मीद है। अमेरिका में विकास दर 1.6% रहने का अनुमान है।

दूसरी ओर कम गिरावट के साथ ईएमडीई में विकास दर 3.9% रहने का अनुमान है। ऐसा चीन में विकास दर में मजबूत सुधार के समर्थन से होगा, जहां 5.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में गतिविधि में होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। भारत की विकास दर भारतीय रिज़र्व बैंक के 6.5% के अनुमान की तुलना में 5.9% रहने का अनुमान है।

यद्यपि मुद्रास्फीति के कम होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी गति उम्मीद से बहुत धीमी है। 2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति के 7% तक गिरने की उम्मीद है। यद्यपि खाद्य और ईंधन की कीमतों में कमी के कारण वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सुधार हुआ है, कई अर्थव्यवस्थाओं में कोर मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और दुनिया के कई देशों में इसमें अभी भी वृद्धि की संभावना है। इसलिए, वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में और वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है, जो विकास को और प्रभावित करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 23 में 7.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित प्रतिकूल संकेतों के बावजूद बहुत अधिक है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वित्त वर्ष 22 में 3.5% की तुलना में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। यहां तक कि वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने पिछले वर्ष में 4.7% की तुलना में वित्त वर्ष 22 में 7.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, मजबूत घरेलू बुनियादी सिद्धांतों के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

औद्योगिक गतिविधि अप्रैल-मार्च 2022 में 11.4% के उच्च आधार से घटकर अप्रैल-मार्च 2023 में 5.1% हो गई। इसका कारण विनिर्माण और खनन गतिविधियों में मंदी रही, जबकि बिजली उत्पादन में वृद्धि जारी रही। विनिर्माण गतिविधियों में अप्रैल-मार्च 2023 की अवधि में 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल-मार्च 2022 के दौरान 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। खनन की वृद्धि दर अप्रैल-मार्च 2023 के दौरान गिरकर 5.8% रह गई, जबकि अप्रैल-मार्च 2022 में यह 12.2% थी। दूसरी ओर बिजली उत्पादन में वृद्धि अच्छी रही और अप्रैल-मार्च 2023 में अप्रैल-मार्च 2022 के 7.9% की तुलना में 8.9% की वृद्धि हुई। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जैसा कि सेवा पीएमआई (वित्त वर्ष 2022 में 52.3% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में औसतन 57.3%) से भी संकेत मिलता है। वित्त वर्ष 2023 में जीएसटी संग्रहण, बंदरगाह कार्गो की मात्रा, रेल माल ढुलाई, संपत्ति की बिक्री और घरेलू यात्रियों की वृद्धि सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया।

वित्त वर्ष 2023 में स्थिर वृद्धि भी सरकार के लिए सकारात्मक रही क्योंकि अनंतिम अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (6.4%) हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए इसे 5.9% पर लक्षित किया गया है। सकल राजस्व प्राप्तियों में उछाल के कारण वित्त वर्ष 2023 में लक्ष्य प्राप्त किया गया था जो कि ₹23.5 लाख करोड़ के संशोधित अनुमान (आरई) के सापेक्ष वित्त वर्ष 2023 में अनंतिम अनुमान के तहत ₹23.8 लाख करोड़ अधिक था। शुद्ध कर राजस्व के तहत संग्रहण ने भी आरई को पीछे छोड़ दिया और ₹20.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹21 लाख करोड़ हो गया। इस प्रकार, सरकारी वित्त पर किसी भी प्रतिकूल दबाव के बिना उर्वरक सब्सिडी (वित्त वर्ष 2023 पीई के अनुसार ₹2.51 लाख करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2023 आरई के अनुसार ₹2.25 लाख करोड़), कैपेक्स जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर उच्च लागत हासिल की जा सकी।

वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक गति में नरमी के बावजूद कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.7% रही, जो वित्त वर्ष 2022 में 5.5% थी। इस प्रकार यह भारतीय रिज़र्व बैंक की सहनशीलता सीमा 6% से उपर रही। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आरंभ होने के बाद, वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति अपने चरम (7.3%) पर थी। तब से, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

धीमा हो गया था (वैश्विक जीडीपी सीवाई 22 में 3.2% जबकि सीवाई 21 में 6% था), घरेलू मुद्रास्फीति में गिरावट आने लगी (दूसरी तिमाही: 7%; तीसरी तिमाही में 6.1%; चौथी तिमाही में 6.2% रही)। कोर मुद्रास्फीति भी स्थिर बनी हुई है (वित्त वर्ष 2022 में 6% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 6.1% है।) वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में कोर मुद्रास्फीति में गिरावट (पहली तिमाही में 6.3% के मुकाबले 5.9%) के बाद यह फिर से तीसरी और चौथी तिमाही में 6% पर स्थिर हो गई है। चालू वित्त वर्ष (FY24) में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के घटकर 5.2% रह जाने का अनुमान लगाया है। हालांकि, अनुमान में वृद्धि के महत्वपूर्ण जोखिम बने हुए हैं, जैसे कि प्रतिकूल जलवायु स्थितियां (गर्मी की लहर, मानसून का वास्तविक प्रदर्शन), चारा लागत में वृद्धि और आयातित मुद्रास्फीति दबाव।

वित्त वर्ष 2023 में बाहरी स्थिति दबावपूर्ण थी क्योंकि वित्त वर्ष 2022 के व्यापार घाटा 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 267 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। एक उच्च स्तर पर पहुंच कर वहां से लौटने के बाद, वित्त वर्ष 2022 में 54% की वृद्धि के बाद पिछले वित्त वर्ष में हमारी निर्यात वृद्धि दर घटकर 7.2% रह गई। दूसरी ओर, घरेलू मांग में सापेक्ष स्थिरता और अस्थिर कॉमोडिटी मूल्यों के कारण आयात में कमी आई (वित्त वर्ष 2022 में 64% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 19%)। विदेशी मुद्रा भंडार, जो इस मोर्चे पर सभी घटनाक्रमों का सारांश संकेतक है, में 39.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की गिरावट आई और यह 31 मार्च, 2023 तक 578.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। 31 मार्च, 2023 को रुपया 82.18 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि एक साल पहले यह 75.79 रुपये प्रति डॉलर था। यह अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण अधिकांश मुद्राओं में गिरावट के अनुरूप था।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों की तर्ज पर वित्त वर्ष 2023 में रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 24 के लिए अपनी पहली नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसे स्थिर रखने का फैसला किया, लेकिन संकेत दिया है कि अगर मुद्रास्फीति लक्षित दायरे में नहीं आती है तो वह आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में विकास दर 6.5% रह सकती है। चूंकि सीवाई 23 में अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मंदी में प्रवेश करने का अनुमान है/ आर्थिक गतिविधि में बड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए हमारे घरेलू विकास के लिए जोखिम बना हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण पर गौर करें तो, सामान्य मानसून के पूर्वानुमान, पूंजीगत व्यय के लिए बढ़े हुए सरकारी बजट और मुद्रास्फीति में कमी से वित्त वर्ष 2024 में विकास को समर्थन मिलेगा। हमारी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि 6-6.5% के बीच होगी।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विकास

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि मार्च 2022 के 8.6% से बढ़कर मार्च 2023 तक 15% के दोहरे अंक पर पहुंच गई। ऋण वृद्धि की गति तेज होने का कारण मांग में वृद्धि को माना जा सकता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के सामान्यीकरण में तेजी आई है। क्षेत्रवार ऋण में वृद्धि सेवाओं द्वारा संचालित थी जहां औसत ऋण वित्त वर्ष 2023 में 19.8% तक बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 8.7% था। सेवाओं के भीतर, एनबीएफसी को ऋण देने में वित्त वर्ष 2023 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.8% की तुलना में काफी सुधार हुआ और यह 30.2% हो गया। वैयक्तिक ऋण सेगमेंट में भी ऋण 12.6% से बढ़कर 20.6% हो गया है। इस खंड में शिक्षा, वाहन और आवास ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरी ओर उद्योगों को ऋण के मामले में वित्त वर्ष 2023 में 5.7% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.5% थी। बड़े उद्योगों (2% से 3%) के अलावा, मध्यम (54.4% से 19.6%) और सूक्ष्म और लघु उद्यम (23% से 12.3%) दोनों क्षेत्रों को ऋण में गिरावट देखी गई।

एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि ईसीएलजीएस योजना के मामले में सरकार के समर्थन और ऋणस्थगन के विस्तार के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के समर्थन के बावजूद यह क्षेत्र अभी भी नकदी संबंधी दबाव में है। विशेष रूप से, नए रुपया ऋणों पर एससीबी की भारित औसत उधार दरें मार्च 2022 के 7.63% की तुलना में मार्च 2023 तक 9.32% तक बढ़ गई हैं। उच्च उधार लागत ने स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था के बढ़ते ऋण चक्र में कोई दबाव नहीं डाला।

जमाओं में मार्च, 2023 तक 9.6% की वृद्धि हुई, जबकि मार्च, 2022 तक 8.9% की वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023 में जमा वृद्धि की गति ऋण वृद्धि की गति की तुलना में बहुत धीमी रही है। जमाओं के भीतर, सावधि जमाओं में मार्च 2022 के 8.6% की तुलना में मार्च 2023 तक 10.2% की स्थिर गति से वृद्धि हुई। एक उभरती हुई ब्याज दर चक्र में, जहां एससीबी की भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों में 113 बीपीएस (मार्च 2022 तक 5.03% से मार्च 2023 तक 6.16%) की वृद्धि हुई है, जोखिम निवारण कारक की वजह से बेहतर रिटर्न के लिए आम जनता की पसंद बैंक जमा रही है।

वर्ष के दौरान, रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि हुई, जो अप्रैल 2022 के 4% से बढ़कर मार्च 2023 में 6.5% हो गई। रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) भी फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो से 40 बीपीएस अधिक दर पर शुरू की है। इस प्रकार अप्रैल से प्रभावी दर वृद्धि 290 बीपीएस रही है। ओवरनाइट एमसीएलआर 31 मार्च, 2023 को तेजी से बढ़कर 7.5-8.5% हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.45-7.00% था। एक वर्ष से अधिक अवधि की जमा पर सावधि जमा ब्याज दर 5.00-5.60% की तुलना में 6.00-7.25% तक बढ़ गई।

इस अवधि के दौरान 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति दर लगभग 49 बीपीएस बढ़कर 7.32% हो गई, जो इस अवधि के दौरान 6.83% थी। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023 में अर्जन कर्व में काफी स्थिर स्थिति देखी गई। दीर्घावधि प्रपत्रों (29 वर्ष की परिपक्वता) और अल्पावधि प्रपत्रों (6 महीने का पेपर) के बीच का अंतर 31 मार्च, 2023 को तेजी से घटकर 31 बीपीएस रह गया, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह अंतर 306 बीपीएस था। ऐसा नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ अल्पावधि प्रपत्रों में तेजी से वृद्धि के कारण हुआ है, जबकि दीर्घावधि प्रतिफल मोटे तौर पर स्थिर रहा है। आगे बढ़ते हुए, भारत के अर्जन कर्व में कुछ हद तक तेजी देखी जा सकती है क्योंकि वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में उधार का उच्च अनुपात लंबी अवधि के प्रपत्रों की ओर केंद्रित है।

वित्त वर्ष 2023 में नकदी के मोर्चे पर काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। टीएलटीआरओ मोचन के दबाव और महामारी की अवधि के दौरान किए गए नकदी उपायों के धीरे-धीरे वापस होने के कारण नकदी में कमी आई। हालांकि, परिवर्तनीय दर रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशनों ने कुछ हद तक नकदी उपलब्धता में सहायता प्रदान की, जिससे सेक्टरों को उत्पादक उधार देने पर कोई असर नहीं पड़ा। वित्त वर्ष 2022 में ₹6.5 लाख करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में नकदी अधिशेष घटकर औसतन ₹1.6 लाख करोड़ रह गया।

बैंकिंग मोर्चे पर भारतीय रिज़र्व बैंक की दिसंबर 2022 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं और किसी भी वृहद आर्थिक दबाव का सामना करने की स्थिति में हैं। आधारभूत परिदृश्य के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2022 के 5% से बढ़कर सितंबर 2023 में 4.9% होने की संभावना है। यहां तक कि स्लिपेज अनुपात जो दिसंबर 2021 से लगातार बढ़ रहा था, उसमें भी वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में कमी आई है । पीएसबी ने इस अवधि के दौरान सबसे अधिक सुधार दर्ज किया है।

ईज़

ईज़ सुधार एजेंडा ने परिचालन के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्षता और परिचालन में सहजता प्राप्त करने में बैंक की यात्रा में अत्यधिक योगदान दिया है, जिससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने में मदद मिली है।

ईज़ कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के तहत कार्रवाई बिंदुओं के तहत दृष्टिकोण में एक बड़े रुपांतरण और नई क्षमताओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

ईज़ 4.0

एआई, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों एवं उपकरणों तथा तकनीकी सहायता सेवाओं, दस्तावेज़ सत्यापन, पृष्ठभूमि की जांच और बाधारहित ऋण संवितरण सहित महत्त्वपूर्ण बैक-एंड कार्यों के साथ यह न केवल प्रक्रिया को सुदृढ़, कागज रहित और सुगम बनाती है, बल्कि ग्राहकों को यह भी महसूस कराता है कि पूरी प्रक्रिया उनके हाथों में है।

भारत सरकार के ईज 4.0 सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की श्रेणी में बैंक ने वित्त वर्ष 22 की सभी तिमाहियों में लगातार प्रथम स्थान अर्जित किया है।

बैंक ने 'स्मार्ट लेंडिंग फॉर एसपायरिंग इंडिया' और 'न्यू एज 24x7 बैंकिंग' विषयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है वहीं 'गवर्नेंस और परिणाम-केंद्रित एचआर', 'संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग' और 'तकनीक-समर्थित ईज ऑफ बैंकिंग' संबंधी कार्यनिष्पादन में लगातार सुधार किया है।

ईज़ 5.0

ईज़ 5.0 एजेंडा मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों और कृषि के सहयोग पर जोर देने के साथ डिजिटल ग्राहक अनुभव, डेटा-आधारित एकीकृत और समावेशी बैंकिंग को बेहतर करने पर केंद्रित है।

इसके अलावा, ईज़ 5.0 सह-उधार साझेदारी, मोबाइल बैंकिंग संवर्द्धन, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान, क्लाउड प्रक्रिया को अपनाने, सर्च इंजन अनुकूलन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग की बेहतरी और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने जैसे एजेंडे पर कार्रवाई को गति दे रहा है।

ईज 5.0 के अंतर्गत बैंक ने निम्नलिखित पहलें की हैं-

- पेंशन ऋण, एमएसएमई मीयादी ऋण नवीकरण के लिए डिजिटल लेंडिंग जर्नी की शुरुआत
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में एमएसएमई और कृषि ऋण प्रक्रियाओं को संवर्धित करना
- ग्राहक जुड़ाव को सुदृढ़ बनाने, उत्पाद की पैठ को बढ़ाने के लिए एनालिटिक्स का बेहतर तरीके से उपयोग
- कॉल सेंटरों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को संवर्धित करना
- लैंगिक वैविध्य को बढ़ावा देने पर अधिक जोर
- रिटेल और एमएसएमई के लिए उन्नत दबाव परीक्षण मॉडल की शुरुआत
- डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित संग्रहण की शुरुआत, संग्रहण कार्य को संचालित करने के लिए परिचालन केंद्रों की स्थापना।
- बॉब वर्ल्ड में लेनदेन संबंधी विवरण और ग्राहक डेटा के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट सेवा, प्रोत्साहन, अनुस्मारक की सुविधा प्रदान करना।
- यूज केसिज और दस्तावेजीकरण के लिए रिपॉजिटरी की शुरुआत के साथ ओपन एपीआई उपलब्ध कराना, सैंडबॉक्स टेस्टिंग प्लेटफॉर्म- यह आपको एपीआई के साथ संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, मॉक्ड एपीआई रिस्पॉन्स बैंक के अपने डेवलपर पोर्टल में है।
- अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।

पिछले पांच वर्षों में ईज़ सुधार एजेंडा ने परिचालन के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्षता और परिचालन में सहजता प्राप्त करने में बैंक की यात्रा में अत्यधिक योगदान दिया है, जिससे बैंक को अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने में मदद मिली है।

ईज़नेक्स्ट (पिलर- II)

बैंक-सापेक्ष 3-वर्षीय रोडमैप कार्यक्रम: बैंक-सापेक्ष तीन-वर्षीय कार्यनीति रोडमैप का निर्माण, जो बैंक की शुरूआती स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की परिकल्पना के अनुकूल हो और इससे सुधार के एजेंडे से कहीं अधिक सुधार संबंधी पहलों को सक्षम बनाया जा सके।

नीतिपरक 3-वर्षीय रोडमैप: ईज़नेक्स्ट के दूसरे पिलर के भाग के रूप में, 3-वर्षीय नीतिपरक रोडमैप की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम बैंकों को रूपांतरण संबंधी पहलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है जो सामान्य सुधार एजेंडे से परे है।

इस प्रयोजन के लिए, 45 व्यापक वित्तीय और गैर-वित्तीय मेट्रिक्स की पहचान की गई है। प्रत्येक बैंक प्रत्येक मेट्रिक्स के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पहचान करेगा और इन मेट्रिक्स में सुधार लाने के लिए पहल की पहचान करेगा।

प्रोजेक्ट बॉब-नाऊ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के भावी निमार्ण की यात्रा जारी है

वर्ष 2020 में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने कार्य के नए तरीकों और रिटेल नेटवर्क के माध्यम से एक अनूठा ऑपरेटिंग मॉडल तैयार करने के लिए एक रूपांतरण यात्रा- बॉब-नाऊ की शुरूआत की। तब से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट ने विभिन्न प्रकार की पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, जिसमें हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, सभी व्यवसायों में विकास की संभावनाओं के द्वार खोलना और हमारे सभी हितधारकों के लिए मूल्यवर्धन करना शामिल है।

इन पहलों के प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:

पुनर्गठित रिटेल वितरण नेटवर्क: बैंक ने 'बीओबी एवरीवेयर' के अपने विजन को पूरा करते हुए टच प्वाइंट्स की कुल संख्या बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाकर इस साल अपने बीसी नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मार्च 2023 तक, कुल टच प्वाइंट्स की संख्या बढ़कर 51,000 से अधिक हो गई, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 24% के करीब पहुंच गई।

एक समर्पित बीसी 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है जो न केवल संभावित क्षेत्रों में बीसी नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि उनके सेवा पोर्टफोलियो में आस्ति उत्पादों जैसे गृह, वैयक्तिक, ऑटो, कृषि ऋण लीड को शामिल कर बीसी आय को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह कार्यक्रम लीडरबोर्डों और डैशबोर्डों के प्रकाशन के माध्यम से उनके कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी करता है।

संग्रहण: संग्रहण के क्षेत्र में उत्पाद आधारित वर्टिकल की संरचना पर अधिक जोर देते हुए एक पुनर्निर्मित संगठन संरचना स्थापित की गई। शाखा से लेकर केन्द्रीय स्तर तक सभी स्तरों पर रिसिवेबल्स प्रबंधकों के साथ संग्रहण कार्यों को व्यवस्थित किया गया है। यह कृषि संग्रह को बढ़ावा देने के लिए बीसी नेटवर्क का भी लाभ उठाता है। आबंटन, संग्रह, ट्रैकिंग और प्रदर्शन प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डिजिटल संग्रहण प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। डिजिटल पहल के तहत दो फिनटेक विक्रेताओं के साथ प्रायोगिक पहल भी शुरू की गई है। सफल निष्पादन के लिए का दृष्टिकोण अपनाया गया है। डैशबोर्ड के माध्यम से कार्यान्वयन की ट्रैकिंग की जा रही है और पहल करने वालों की पहचान की गई है।

कृषि ट्रैक्टर ऋण के लिए डीएसटी चैनल: बॉबनाऊ के तहत ट्रैक्टर ऋण उत्पाद को आवश्यक बढ़ावा देने के लिए डीएसटी मॉडल पेश किया गया। 10 चयनित अंचलों में डीएसटी मॉडल के लाभों का विस्तार करने के लिए ट्रैक्टर ऋण अभियान शुरू किए गए हैं। इन अभियानों ने 10 अंचलों में एक सुसंरचित मौजूदा डीएसटी मॉडल की स्थापना के साथ-साथ उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

गृह ऋण के लिए डीएसटी चैनल: बैंक ने रिटेल परिसंपत्तियों से संबंधित व्यावसायिक लीड उत्पन्न करने और उसे पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री टीम (डीएसटी) चैनल की स्थापना हेतु बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड (बीजीएसएस) को नियुक्त किया है। डीएसटी चैनल की स्थापना त्वरित तरीके से नए व्यवसाय के अधिग्रहण में बैंक की मदद करने के उद्देश्य से की जा रही है।

एनआरआई हेल्पडेस्क: बॉबनाऊ के तहत बैंक में एनआरआई ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए खाता खोलने, ई-मेल प्रबंधन और टोल फ्री संपर्क केंद्र के लिए गिफ्ट सिटी में केंद्रीकृत एनआरआई हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

डिजिटल अनुभव: बैंक ने महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के अपने लक्ष्य के करीब अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिसकी शुरुआत 49 स्वयं-सहायता वाले ग्राहक जर्नी के शुभारंभ के साथ हुई है, जिससे लेनदेन की प्रक्रिया तेज और बाधारहित हुई है। अधिदेश के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ग्राहकों की सुविधा के लिए ई-अधिदेश सेवा भी शुरू की गई है। पेपरलेस ऑफ़िस की पहल के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही और बढ़ी है।

शाखा की कार्यप्रणाली में और सुधार करने के तहत, हमने डिजिटल मोड के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ शाखाओं को सक्षम बनाया है और बेहतर ग्राहक अनुभव और सेवा के लिए अन्य सक्षम माध्यम भी प्रदान किए हैं।

डिजिटल चैनलों को अपनाने से बैंक कर्मचारियों के बीच बेहतर उत्पादकता और दक्षता सुनिश्चित होती है और ग्राहकों की समस्याओं को तेजी से दूर करने में मदद मिलती है। अत्यंत शीघ्रता के साथ सेवा प्रदान करने के लिए, हमने-2 वर्षों की अवधि में, यानी वित्त वर्ष 2022 और 2023 में अपने बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ ग्राहकों को जोड़ा है, जो सामूहिक टीम वर्क के माध्यम से हासिल किया गया एक उपलब्धि है। संचयी रूप से, अब हमारे पास 3 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं, जो बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां उनका निरंतर जुड़ाव हमारे भविष्य के विकास का आधार है।

परिचालनगत कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख अनुपात:

बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
अर्जित ब्याज	69880.78	89588.54
दिया गया ब्याज	37259.44	48232.53
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**32621.34**	**41356.01**
अन्य आय	11483.95	10025.57
उसमें से ट्रेडिंग लाभ	2728.76	1062.50
परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय)	44105.29	51381.58
परिचालनगत व्यय	**21716.44**	**24518.31**
कर्मचारी व्यय	11978.84	13352.66
अन्य परिचालनगत व्यय	9737.60	11165.65
परिचालनगत लाभ	**22388.85**	**26863.54**
प्रावधान (कर को छोड़कर)	13002.41	7136.90
जिसमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	14640.12	4,350.52
मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	(2672.26)	527.50
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	558.97	1704.03
अन्य प्रावधान	475.58	554.85
कर पूर्व लाभ	**9386.44**	**19726.64**
कर हेतु प्रावधान	**2114.16**	**5617.02**
निवल लाभ	**7272.28**	**14109.62**

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2022 के ₹32,622 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹41,355 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.8% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2023 में ब्याज आय में 28.2% की वृद्धि दर्ज करके ₹89,589 करोड़ तक पहुंचने के कारण हुआ। ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2023 में ₹48,233 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹37,259 करोड़ था।

बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2023 में ₹10,026 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹11,484 करोड़ थी। बैंक का परिचालन खर्च वित्त वर्ष 2023 में ₹24,518 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह ₹21,716 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2022 के ₹44,106 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹51,382 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष दर वर्ष 16.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

कुल प्रावधान (कर को छोड़कर) और आकस्मिक व्यय वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹13,002 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹7137 करोड़ रह गए। गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2022 के ₹14,640 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2023 में ₹4351 करोड़ रह गए।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में ₹14,110 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष के ₹7,272 करोड़ के शुद्ध लाभ से लगभग दोगुना है। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2022 के ₹22,389 करोड़ की तुलना में 20% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹26,864 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण अनुपात

महत्वपूर्ण अनुपात	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
जमाराशियों की लागत - वैश्विक (%)	3.52	3.89
जमाराशियों की लागत - घरेलू (%)	3.85	4.09
जमाराशियों की लागत - अंतर्राष्ट्रीय (%)	0.48	2.37
अग्रिम पर प्रतिफल - वैश्विक (%)	6.79	7.54
अग्रिम पर प्रतिफल - घरेलू (%)	7.61	8.25
अग्रिम पर प्रतिफल - अंतर्राष्ट्रीय (%)	2.18	4.21
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक (%)	3.03	3.31
निवल ब्याज मार्जिन - घरेलू (%)	3.09	3.42
निवल ब्याज मार्जिन - अंतर्राष्ट्रीय (%)	1.47	1.94
लागत-आय अनुपात (%)	49.24	47.72
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	0.60	1.03
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	11.86	18.34

जमा (वैश्विक) की लागत 3.89% रही और अग्रिम (वैश्विक) पर प्रतिलाभ वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 7.54% हो गई। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वैश्विक और एनआईएम घरेलू वित्त वर्ष 2023 में 3.31% और 3.42% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह क्रमशः 3.03% और 3.09% था। आय-लागत अनुपात वित्त वर्ष 2022 के 49.24% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 47.72% हो गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए आस्तियों पर रिटर्न वित्त वर्ष 2022 के 0.60% से 43 बीपीएस बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.03% हो गया, जो लाभप्रदता में असाधारण कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023 में इक्विटी पर रिटर्न 648 बीपीएस बढ़कर 18.34% हो गया।

संसाधन संग्रहण

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
I	**कुल जमा राशियां**	**10,45,938.56**	**12,03,687.79**
II	अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,18,927.99	1,56,312.58
III	**कुल कासा**	**4,33,605.23**	**4,75,096.83**
IV	कुल चालू खाता जमा राशियां	88,861.21	1,04,000.51
V	कुल बचत बैंक जमा राशियां	3,44,744.02	3,71,096.32
VI	**वैश्विक कासा %**	**41.46**	**39.47**
VII	**घरेलू जमा राशियां**	**9,27,010.57**	**10,47,375.21**
VIII	**घरेलू कासा जमा राशियां**	**4,10,122.92**	**4,42,510.50**
IX	घरेलू चालू खाता जमा राशियां	68,779.64	75,110.67
X	घरेलू बचत खाता जमा राशियां	3,41,343.27	3,67,399.83
XI	**घरेलू जमाराशियां में घरेलू कासा (%)**	**44.24**	**42.25**

वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹12,03,688 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹10,45,939 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 15.1% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय जमा भी 31.03.2023 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31.4% की दर से एक बड़ी वृद्धि के साथ ₹1,56,313 करोड़ हो गया, जो 31.03.2022 को ₹1,18,928 करोड़ था।

31 मार्च 2022 को ₹ 4,33,605 करोड़ के स्तर की तुलना में बैंक का वैश्विक कासा 31 मार्च 2023 को बढ़कर ₹4,75,097 करोड़ हो गया और इस तरह इस अवधि के दौरान 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक की वैश्विक चालू जमा राशि 31 मार्च 2023 को बढ़कर ₹1,04,001 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2022 को ₹88,861 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 17% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की वैश्विक बचत जमा 31 मार्च, 2023 को बढ़कर ₹3,71,096 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2022 को ₹3,44,744 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान वैश्विक जमा के सापेक्ष वैश्विक कासा 39.47% रहा।

घरेलू जमा और घरेलू कासा

बैंक की घरेलू जमाराशि 31.03.2022 के ₹9,27,011 करोड़ से बढ़कर 31.03.2023 को ₹10,47,375 करोड़ हो गई, इस अवधि के दौरान 13% की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च, 2023 को बैंक की घरेलू कासा जमा में 7.90% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹4,42,511 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक ने घरेलू जमाराशियों के सापेक्ष 42.25% के घरेलू कासा अनुपात को हासिल किया। 31.03.2023 को चालू खाता जमा में 9.20% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹75,111 करोड़ हो गया, जबकि बचत बैंक जमा 7.63% की वृद्धि के साथ ₹3,67,400 करोड़ रहा।

कम लागत वाली जमा जुटाने की पहल

वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक ने 1.09 करोड़ नए कासा खाते खोले। इसके अंतर्गत, टैबलेट (टीएबी) का उपयोग करके कागज रहित माध्यम से खाते खोलने और खाता खोलने की वीडियो आधारित ग्राहक निर्धारण प्रक्रिया (वीसीआईपी) माध्यम की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैंक ने ग्राहकों के विशिष्ट वर्गों के लिए उपयुक्त नए उत्पादों का भी शुभारंभ किया जैसे- बड़ौदा पेशेवर बचत खाता, रेरा चालू खाता, सरकारी निकायों के लिए खाते। सरकारी कारोबार संपर्कों और नए खातों को प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एसएनए खातों पर व्यापक ध्यान केंद्रित किया गया । पीओएस, आईपीजी और बीसीएमएस जैसे प्रमुख कासा साधकों तक पहुंच बढ़ाने और निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया।

डिजिटल क्षेत्र में बैंक ने वीसीआईपी, टैब और डिजिटल ओनली खातों जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक अधिग्रहण की पहुंच बढ़ाई है और वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1,22,020 वीसीआईपी बचत खाते 87,290 बी3-डिजिटल ओनली खाते खोले गए। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान खोले गए 2,71,800 चालू खातों में से 2,30,046 चालू खाते (खोले गए पात्र चालू खातों का 89.88%) और वर्ष के दौरान खोले गए 72,27,954 गैर-वित्तीय बचत खातों में से 62,50,104 गैर-वित्तीय बचत खाते (खोले गए पात्र गैर-वित्तीय बचत खातों में से 97.90%) टैब के माध्यम से खोले गए।

नवगठित कंपनियों के चालू खाते खोलने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 4,641 चालू खाते खोले गए हैं।

बैंक ने एक पृथक रक्षा बैंकिंग वर्टिकल की स्थापना की है जिसके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संवर्ग के मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार हैं जिन्हें रक्षा सेगमेंट में पहुँच बढ़ाने हेतु प्रमुख स्थानों पर तैनात उपरक्षा बैंकिंग सलाहकारों द्वारा सहयोग प्राप्त है।

पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में बैंक अग्रणी है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 1,42,955 डोर स्टेप बैंकिंग सेवा अनुरोधों पर सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक कार्रवाई की है।

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक का नकदी प्रबंधन व्यवसाय, बड़ौदा डिजीनेक्स्ट कॉर्पोरेट और सरकारी ग्राहकों को नकदी प्रवाह और लिक्विडिटी के प्रबंधन हेतु ओमनी-चैनल डिजिटल सोल्यूशनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों में इसमें काफी तेजी देखी गयी है। इस सॉल्यूशन का उपयोग कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉल्यूशन के अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) संग्रह जैसी प्रमुख सरकारी पहलों में किया जाता है। यह अपनी सभी शाखाओं में सभी प्राप्तियों-इलेक्ट्रॉनिक, चेक और नकद जमाओं के वास्तविक समय के आधार पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

बड़ौदा डिजीनेक्स्ट नकदी प्रबंधन वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 1,700+ नए बड़े कॉर्पोरेट और सरकारी संपर्कों को प्राप्त करने के साथ तेजी से विकास कर रहा है। बैंक के 6,600 से अधिक ग्राहकों ने वर्ष के दौरान 6 करोड़ से अधिक लेन-देन के लिए बैंक की नकदी प्रबंधन सेवाओं का उपयोग किया।

ऋण विस्तार

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹8,18,120 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹9,69,548 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 18.5% की वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2023 को सकल घरेलू अग्रिम राशि बढ़कर ₹7,95,560 करोड़ हो गई, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह ₹6,84,153 करोड़ थी, इस प्रकार इस अवधि में 16.3% की वृद्धि हुई। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम वित्त वर्ष 2023 के दौरान बढ़कर ₹1,73,988 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹1,33,968 करोड़ था, इस प्रकार इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 29.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

(राशि रु करोड़ में)

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो			
सेगमेंट	**वित्त वर्ष 2022**	**वित्त वर्ष 2023**	**वर्ष दर वर्ष (%)**
रिटेल *	**1,40,399**	**1,78,037**	**26.8**
कृषि	**1,09,796**	**1,24,247**	**13.2**
एमएसएमई*	**96,863**	**1,08,196**	**11.7**
कॉर्पोरेट	**3,00,693**	**3,40,408**	**13.2**
अन्य	36,402	44,672	22.7
सकल घरेलू अग्रिम	**6,84,153**	**7,95,560**	**16.3**
अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम	1,33,968	1,73,988	29.9
वैश्विक सकल अग्रिम	**8,18,120**	**9,69,548**	**18.5**

*पूल खरीद (ऑर्गेनिक) को छोड़कर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि, रिटेल ऋण खंड (ऑर्गेनिक) द्वारा समर्थित है जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.8% बढ़कर ₹1,78,037 करोड़ रहा, कृषि खंड बढ़कर ₹1,24,247 करोड़ रहा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 13.2% की वृद्धि दर्ज की गई, एमएसएमई खंड (ऑर्गेनिक) बढ़कर ₹108,196 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.7% की वृद्धि हुई। 31.03.2023 तक पूल खरीद सहित रिटेल अग्रिम ₹187,688 करोड़ और पूल खरीद सहित एमएसएमई ₹1,14,918 करोड़ रहा।

बैंक के रिटेल अग्रिम (ऑर्गेनिक) पोर्टफोलियो में वृद्धि का मुख्य आधार वैयक्तिक ऑटो ऋण (ऑर्गेनिक) जो 24.4% की वृद्धि के साथ ₹31,261 करोड़ रहा, गृह ऋण (ऑर्गेनिक) जो 19.5% की वृद्धि के साथ ₹98,014 करोड़ रहा, वैयक्तिक ऋण जो 101.5% की वृद्धि के साथ ₹19,645 करोड़ रहा, बंधक ऋण (ऑर्गेनिक) जो 18% की वृद्धि के साथ ₹16,801 करोड़ रहा और शिक्षा ऋण जो 21.8% की वृद्धि के साथ ₹8,196 करोड़ रहा, जैसे प्रमुख पोर्टफोलियो में उछाल रहा।

बैंक का कॉरपोरेट ऋण वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर ₹3,40,408 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹3,00,693 करोड़ था, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.2% की वृद्धि हुई।

नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल बैंकिंग पर निरंतर जोर देने से बैंक को अत्यधिक लाभ हुआ। बैंक ने प्री-अप्रूव्ड ऑटो लोन, डिजिटल एजुकेशन लोन, प्री-अप्रूव्ड होम लोन टॉप-अप, डिजिटल पेंशनर लोन जैसी कई नई पहलें शुरू की हैं। डिजिटल ऋण उत्पादों का विस्तार एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों के लिए किया गया था, जहां बैंक को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। बैंक ने अपनी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम गुणवत्ता वाले ऋण व्यवसाय को बढ़ाने के लिए शाखा, क्षेत्रीय और अंचल स्तर पर विभिन्न अभियान शुरू करके प्रमुख सेगमेंट पर भी अधिक जोर दिया है। अपनी शाखा बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर निरंतर और समान रूप से जोर देने से बैंक को वित्त वर्ष 2023 के दौरान अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद मिली।

कॉर्पोरेट क्रेडिट

बैंक में कॉर्पोरेट ऋण 30 विशेष कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाओं (सीएफएस) और मध्यम कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी) के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है जो बैंक के कुल मानक कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो के लगभग 90% का प्रबंधन करते हैं। बैंक का कॉरपोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2023 को बढ़कर ₹3,40,408 करोड़ हो गया।

कॉर्पोरेट क्रेडिट डिलीवरी संबंधी दृष्टिकोण में सुधार हुआ हैं और उसके कारण वित्त वर्ष 2023 के दौरान पोर्टफोलियो के जोखिम प्रोफाइल में और सुधार हुआ है, जैसा कि निम्नानुसार घरेलू क्रेडिट पोर्टफोलियो के रेटिंग निर्धारण में देखा गया है:

क्रेडिट रेटिंग निर्धारण*	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
ए और इससे अधिक	78%	86%
बीबीबी	10%	7%
बीबीबी से कम	6%	3%
अनरेटेड	5%	4%

₹50 करोड़ से अधिक के घरेलू अग्रिम का बाह्य रेटिंग निर्धारण

वित्त वर्ष 2023 में ए और उससे अधिक का कुल पोर्टफोलियो 86% था, जबकि पिछले वर्ष यह 78% था।

कॉर्पोरेट बैंकिंग-नवीनीकृत ढांचा

वर्ष के दौरान बैंक ने मिड कॉर्पोरेट अग्रिम पर अधिक जोर देने की कार्यनीति के साथ अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग संरचना का पुनर्गठन किया है। बैंक ने नीतिपरक स्थानों अर्थात नई दिल्ली (उत्तर), चेन्नई (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम) और कोलकाता (पूर्व) में स्थित-4-मिड कॉर्पोरेट क्लस्टर खोले हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में 15 नई मिड कॉर्पोरेट शाखाएं खोली हैं ताकि कॉर्पोरेट प्रोपोजल पर तेजी से कार्रवाई की जा सके और मिड कॉर्पोरेट क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

लक्षित बाजार दृष्टिकोण

बैंक लक्ष्य आधारित बाजार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- उद्योग दृष्टिकोण अर्थात् बाजार के आकार, विकास, मांग-आपूर्ति दृष्टिकोण, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रदर्शन, सरकारी नीतियों और निवेश परिव्यय सहित विभिन्न उद्योग मानदंडों का संयुक्त उत्पादन के आधार पर विकास के लिए उद्योगों/ क्षेत्रों का निर्धारण
- एक्सपोजर सीमा, मौजूदा एक्सपोजर और नए अधिग्रहण हेतु भविष्य की आवश्यकता के आधार पर लक्षित बाजार ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्र-वार कारोबार योजना।
- बैठकों के लिए संरचित कॉलिंग योजनाओं के साथ विस्तृत खाता योजना, व्यावसायिक अवसरों की पहचान, अनुमोदन और निपटान।
- पूरे बैंक में समर्पित रिलेशनशिप मैनेजरों के माध्यम से लक्षित बाजार दृष्टिकोण के तहत कारोबार योजना का निष्पादन।
- बैंक सप्लाइ चेन फाइनेंस, वैल्यू चेन फाइनेंस, सीएमएस सुविधा और अन्य रिटेल उत्पादों जैसी सहायक सेवाओं की पेशकश करके ब्याज आय के बजाय ग्राहक से प्राप्त समग्र प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक देश भर में 6 अतिरिक्त मिड कार्पोरेट शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है।

एमएसएमई ऋण

बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलिओ वित्त वर्ष 2022 के ₹1,00,131 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹1,14,918 करोड़ (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर हो गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.8% की वृद्धि दर्ज की गई। एमएसएमई (ऑर्गेनिक) व्यवसाय वित्त वर्ष 2022 के ₹96,863 करोड़ से वित्त वर्ष 2023 में ₹1,08,196 करोड़ तक पहुंच गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अधिकतम एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई व्यावसायिक पहलें की हैं, जिससे बैंक को एमएसएमई सेगमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत लक्ष्य (106%) को हासिल कर लिया है।

मार्च, 23 तक बैंक ने 4,81,771 आवेदकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण मंजूर किया है और 4,45,511 ग्राहकों को ऋण संवितरण किया।

उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- एनटीबी ग्राहकों के लिए फास्ट-ट्रैक लेन और ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों के लिए सरलीकृत एआईपी/ संशोधन - टीएटी में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- गुणवत्तापूर्ण एमएसएमई एनटीबी व्यवसाय कैनवास करने के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ 15.06.2022 को 'एमएसएमई महोत्सव' अभियान शुरू किया गया। यह अभियान मार्च, 23 तक चला जिसके अंतर्गत हमने 17,677 ग्राहकों को ₹10,162 करोड़ की राशि संवितरित की।
- वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 'द लास्ट माइल' अभियान चलाया गया जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एमएसएमई खातों को प्राथमिकता के आधार पर मीयादी ऋण सुविधाओं लिए कैनवास करना था।

अभियान के अंतर्गत कार्यनिष्पादन:

(₹ करोड़ में)

लक्ष्य	स्वीकृत की गई राशि	संवितरित राशि
9,935	13,921	11,848

- सीवी और सीएमई के लिए योजना विशिष्ट अभियान 'रफ्तार' शुरू किया गया और वित्त वर्ष 23 में 225% की वृद्धि दर्ज की गई।
- नया उत्पाद:- 'निर्यात के क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण हेतु योजना' प्रारंभ की गई है।
- बड़ौदा प्रॉपर्टी प्राइड (ओवरड्राफ्ट) में संशोधन और नई योजना एलएपी प्रीमियम (मीयादी ऋण) की शुरुआत।
- नकदी प्रवाह मूल्यांकन के आधार पर टिअर 1, 2 और 3 शहरों में स्थित 'सूक्ष्म से मध्यम-स्तरीय' स्वास्थ्य पेशेवरों/ डॉक्टरों/ डायग्नोस्टिक सेंटरों/ हॉस्पिटल/ क्लिनिक को चिकित्सा उपकरणों के लिए संपाश्विक

प्रतिभूति रहित वित्त सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई योजना बड़ौदा स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई।

- बैंक ने विनिर्माण और खनन उपकरणों में कारोबारी बढ़त हासिल करने के लिए हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एरेम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन: हमारा बैंक एमएसएमई द्वारा कैप्टिव उपयोग के लिए सोलर रूफटॉप परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति रहित योजना लेकर आया है।
- ल्यूगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इक्यूपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन: हमारा बैंक सीवी-सीएमई योजना के तहत विनिर्माण उपकरण हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवा रहा है।
- को-लेंडिंग:- पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के साथ को-लेंडिंग मॉडल के तहत वित्तपोषण, जिसमें व्यक्तियों (मुख्य रूप से महिलाओं) को छोटे टिकट साइज के ऋण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एसएमई को सक्रियता से ऋण देना शामिल है।

को-लेंडिंग व्यवस्था के तहत एमएसएमई को प्रतिभूति रहित ऋण सुविधा की शुरुआत: हमने को-लेंडिंग व्यवस्था के तहत दिनांक 31.03.2023 को डिजिटल को-लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड के साथ इस उत्पाद की शुरुआत की है।

रिटेल ऋण

बैंक की रिटेल आस्तियां 31 मार्च, 2022 के ₹1,50,253 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2023 को 25% की समग्र वृद्धि (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) के साथ बढ़कर ₹1,87,688 करोड़ रही। ऑर्गेनिक रिटेल ऋण (स्टाफ ऋण) पिछले वर्ष की तुलना में 26.8% की वृद्धि के साथ ₹1,78,037 करोड़ रहा। 31 मार्च, 2023 को रिटेल आस्तियों (लाबोड़ और स्टाफ ऋण को छोड़कर) में घरेलू अग्रिमों का हिस्सा 23.5% रहा।

बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

रिटेल पोर्टफोलियो			
पोर्टफोलियो	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023	वर्ष-दर-वर्ष (%)
रिटेल ऋण*	**1,40,399**	**1,78,037**	**26.8**
गृह ऋण*	82,009	98,014	19.5
ऑटो ऋण*	25,130	31,261	24.4
मॉर्गेज ऋण*	14,242	16,801	18
शिक्षा ऋण	6,731	8,196	21.8
वैयक्तिक ऋण	9,748	19,645	101.5
स्वर्ण ऋण	1,371	2,420	76.5
अन्य	1,168	1,700	45.5

*पूल खरीद (ऑर्गेनिक) को छोड़कर

वित्त वर्ष 2023 में रिटेल कारोबार की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- हमारे बैंक को नवभारत ग्रुप से 'बेस्ट बैंक इन होम लोन एंड कार लोन' का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- हमारे बैंक को फाइनेंशियल एक्सप्रेस से 'बेस्ट बैंक इन होम लोन' का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- हमारे बैंक को हुडको से पीएमएवाई (यू) सीएलएसएस के अंतर्गत 'बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूट' का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 31 मार्च, 2023 को बैंक की मॉर्गेज आधारित ऋण बही (गृह, मॉर्गेज और किराया प्राप्तियां) ₹ 1,25,737 करोड़ (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) रही।
- रिटेल सेगमेंट (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) में ऑर्गेनिक ऑटो, शिक्षा और गृह ऋणों में क्रमशः 24.96%, 24.55% और 19.52% की वृद्धि हुई।
- बैंक की वैयक्तिक ऋण बही में 102% की वृद्धि हुई।
- बैंक ने 2 और नए विशेषीकृत मॉर्गेज स्टोर (एसएमएस) खोले हैं, जिसके साथ 31 मार्च, 2023 को एसएमएस की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। ये स्टोर विशेषीकृत और त्वरित - मॉर्गेज आधारित रिटेल क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करने के लिए पूरे देश में स्थित हैं।
- कार्पोरेट के लिए आवास ऋण तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पेशकशों की शुरुआत की गई।
- 1357 नई परियोजना को मंजूरी दी गई।
- डीएसटी चैनल को मजबूत करते हुए डीएसटी की संख्या 31.03.2022 के 660 से बढ़कर 31.03.2023 को 2101 हो गई।
- ईटीबी/ एनटीबी हेतु पूर्व-अनुमोदित और गैर-पूर्व-अनुमोदित जर्नी के लिए डिजिटल एंड-टू-एंड ऑटो ऋण जर्नी सुविधा शुरू की गई। डिजिटल रूप से एंड-टू-एंड ऑटो ऋण द्वारा 1562 खातों में ₹131.53 करोड़ की राशि स्वीकृत और संवितरित की गई।
- मारुति और हुंडई के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूदगी।
- गूगल 10 शीर्ष सर्च रैंकिंग हासिल की गई- एफ़एक्यू योजना स्निपेट के साथ शिक्षा ऋण में पहला स्थान अर्जित किया।
- प्रमुख संस्थानों में अध्ययन के लिए डिजिटल एंड-टू-एंड शिक्षा ऋण का शुभारंभ किया गया।
- शिक्षा ऋण के संबंध में बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आबंटित ₹2030 करोड़ के ऋण संवितरण के लक्ष्य के सापेक्ष ₹2799.38 करोड़ की राशि संवितरित की।
- ईटीबी/ एनटीबी के लिए डिजिटल एंड-टू-एंड गैर-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण की शुरुआत की गई।
- नया एपीआई-2.0 फिनेकल में खाता खोलने के लिए एलएलपीएस में एकीकृत किया गया है जो खाता खोलने में लगने वाले श्रम को कम करेगा और डेटा की गुणवत्ता में सुधार करेगा और साथ ही धोखाधड़ी/ गलत रिपोर्टिंग को रोकेगा।
- रिटेल ऋण में स्वीकृति पश्चात निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया।
- भविष्य में प्राप्त होने वाले किराए के पेटे बड़ौदा ऋण (एफआरआर), गृह ऋण, मॉर्गेज ऋण, शिक्षा ऋण योजनाओं को संशोधित किया गया।

- गृह ऋण, ऑटो ऋण तथा अन्य रिटेल ऋणों के लिए बीसी की सेवाएं ली जा रही है।
- प्रतिधारण और क्रॉस सेल प्रक्रिया को लागू किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान के लिए स्वचालित पूल पोर्टफोलियो।
- पेंशनरों के लिए डिजिटल एंड-टू-एंड ऋण, गृह ऋण के ग्राहकों हेतु टॉप-अप ऋण की शुरुआत
- भागीदारों द्वारा फाइल लॉगिन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत।

ग्रामीण और कृषि ऋण

निसंदेह ही कृषि क्षेत्र, अपने संबद्ध क्षेत्रों के साथ भारत में, विशेष रूप से व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे बड़ा आजीविका प्रदाता क्षेत्र है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी यह उल्लेखनीय योगदान देता है।

बैंक में 8,200 घरेलू शाखाओं का नेटवर्क है जिसमें से 4,942 ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं का उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से संबद्ध ऋण के लिए किया जा रहा है। 31 मार्च, 2023 को बैंक का कृषि अग्रिम बढ़कर ₹1,24,247 करोड़ हो गया जो कि सकल घरेलू ऋण का 16% है।

बैंक 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है। बैंक पूरे देश के 69 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहा है।

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में लगातार अग्रणी बना हुआ है, जिसे सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के साथ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। किसानों को पूंजी जनरेशन और कृषि और पशुपालन में एक मजबूत सुदृढ़ ढांचे का निर्माण करने के लिए बैंक सामान्य कृषि ऋण से अधिक विविधिकृत ग्रामीण नीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष स्कीम (एएचआईडीएफ), पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कंप्रेस्ड बायो गैस जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एआईएफ के तहत 'बेस्ट' अभियान में हमारे बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के बीच 113.50% का लक्ष्य हासिल करके 'अभियान के दौरान स्वीकृति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति' के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैंक ने अन्य दो श्रेणियों अर्थात् 'एआईएफ के तहत स्वीकृत राशि' और बैंकिंग उद्योग से शीर्ष 5 बैंकों के बीच स्वीकृत परियोजना की संख्या में भी क्वालिफाइ किया है।

बैंक ने अपने प्रमुख उत्पादों जैसे केसीसी, स्वर्ण ऋण, कृषि मशीनीकरण (ट्रैक्टर ऋण), बागवानी ऋण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण, किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ)/ किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को वित्तपोषण, उच्च तकनीक कृषि और खाद्य एवं कृषि- प्रोसेसिंग हेतु ऋण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। केसीसी तंत्र के दायरे में वर्ष के दौरान, बैंक ने 3.17 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं जिनमें से 1.18 लाख पशुपालन और डेयरी (एएचडी केसीसी), पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे किसानों को जारी किए गए। बैंक ने अपनी माइक्रोफाइनेंस पहल के भाग के रूप में वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹2,899 करोड़ की राशि के ऋण प्रदान कर 84,573 स्वयं सहायता समूह को ऋण से जोड़ा है।

एसएचजी के ऋण लिंकेज को बढ़ाने हेतु बैंक विभिन्न निजी भागीदारों के साथ टाई-अप को प्रोत्साहित कर रहा है। टर्नअराउंड समय में सुधार करने और एसएचजी के लिए बाधा रहित तत्काल बचत बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए पिछले वर्ष टैब बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। ट्रैक्टर ऋणों में किसानों की सुविधा के लिए ब्याज दर को ट्रैक्टर के एलटीवी से जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जन समर्थ पोर्टल पर डिजिटल केसीसी प्रक्रिया के विकास में हमारा बैंक भागीदार है। इसके कुछ महीनों में लाइव होने की संभावना है, हमने पहले ही स्वर्ण ऋण के लिए एक डिजिटल जर्नी की शुरुआत कर दी है।

बैंक ने कृषि विपणन और प्रसंस्करण केंद्र (सीएएमपी) की शुरुआत की है, जो गैर-पारंपरिक और उच्च मूल्य वाले कृषि अग्रिमों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ऋणों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित केंद्र है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएएमपी ने 30,473 किसानों को ₹2,898 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं।

बैंक ने 15.11.2022 से 30.11.2022 तक अपने विशिष्ट वार्षिक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम 'बड़ौदा किसान पखवाड़ा' का आयोजन किया। 15 दिनों (पखवाड़ा) तक चलाए गए बड़ौदा किसान पखवाड़ा के दौरान शाखाओं/ क्षेत्रों एवं अंचलों द्वारा कुल -20152- आउटरीच कार्यक्रम यथा- किसानों के साथ बैठकें/ चौपाल/ किसान मेला/ स्वास्थ्य शिविर (मृदा/ पशु/ किसान) इत्यादि आयोजित किए गए जिनमें 3,87,179 किसानों ने भाग लिया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वित्त वर्ष 2022 के रु 2,60,818 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के दौरान रु 2,87,589 करोड़ हो गया इसमें 10.26% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण सेगमेंट की सभी श्रेणियों के अंतर्गत अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

31 मार्च, 2023 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों को बकाया ऋण 17,519 करोड़ हो गया। बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 17.73% हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को वित्त पोषण के लिए बैंक द्वारा विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

स्वर्ण ऋण

बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2022 के ₹29,316 से बढ़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31.38% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2023 को ₹38,518 करोड़ हो गया। स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत, कृषि स्वर्ण ऋण 30.47% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 के ₹27,459 करोड़ से वित्त वर्ष 2023 में ₹35,829 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2023 में रिटेल स्वर्ण ऋण बढ़कर ₹2,419

करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹1,371 करोड़ था, इस खंड में 76.44% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने 303 नई स्वर्ण ऋण संवितरण शाखाएं जोड़ी जिसके साथ स्वर्ण ऋण हेतु चयनित शाखाओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2022 में 5601 शाखाओं से बड़कर वित्त वर्ष 2023 में 5900 शाखाएं हो गई। दक्षिणी भागों के अलावा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी के साथ देश भर में चयनित स्वर्ण ऋण शाखाओं के विस्तार में वित्त वर्ष 2022 के 25.18% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 27.11% की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023 में स्वर्ण ऋण खातों में महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 10,09,856 हो गई, जो वित्त वर्ष 22 में 8,13,502 थी, वर्ष के दौरान इस प्रकार 1,96,354 नए खाते जोड़े गए। वित्त वर्ष 2023 में कुल कृषि अग्रिमों में कृषि स्वर्ण ऋण का योगदान बढ़कर 28.49% रहा, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 25.14% एवं वित्त वर्ष 2021 में 22.30% था। वित्त वर्ष 2023 में स्वर्ण ऋण का औसत टिकट आकार बढ़कर ₹1.58 लाख हो गया जो वित्त वर्ष 2022 में ₹1.46 लाख था। वित्त वर्ष 2023 में प्रति शाखा स्वर्ण ऋण की औसत राशि बढ़कर ₹6.52 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹5.23 करोड़ थी। 31 मार्च, 2023 को जीएनपीए अनुपात 0.22% के साथ स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता अच्छी रही।

वित्त वर्ष के दौरान, उत्पाद में कई परिवर्तन करने के साथ-साथ बैंक ने अपने कर्मचारियों को सोने के गहनों/ सिक्कों के मूल्यांकन और प्रमाणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया ताकि एसेयर द्वारा स्वर्ण आभूषणों के मूल्यांकन के समय कर्मचारियों के विश्वास को बढ़ाया जा सके।

वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में माना है। बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तकनीक के आगमन के साथ बैंकिंग रहित क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने 12,442 अतिरिक्त बीसी (यूपीएसआरएलएम परियोजना के 8861 बीसी सहित) जोड़कर 31 मार्च, 2023 को 51,780 से अधिक बीसी नियुक्त कर लिए हैं और अपने बीसी नेटवर्क में विस्तार किया है। बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की है:

- बीसी के लिए ऑनलाइन एनपीए वसूली पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
- बीसी के लिए ऑनलाइन लोन लीड पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
- बीसी केंद्र पर लेनदेन करने वाले ग्राहकों का सर्वेक्षण किया गया और 94% ग्राहकों ने बीसी केंद्र पर सेवाओं को संतोषजनक और उससे अधिकी रेटिंग दी।
- बीसी पॉइंट पर गैर-बीएसबीडी खाता खोलने का शुभारंभ किया गया ।
- बैंक के अधिकारियों और बीसी पर्यवेक्षकों द्वारा बीसी केंद्रों के मासिक निरीक्षण के लिए एंड्रॉइड आधारित बीसी निरीक्षण ऐप का शुभारंभ किया गया।
- जोखिम कम करने के उपाय के रूप में बीसी केन्द्रों पर प्रत्येक लेनदेन के लिए द्विभाषिक में वॉयस ओवर की शुरुआत की गई।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में 31.21 लाख (5.63%) की वृद्धि हुई और पीएमजेडीवाई जमाराशियों में ₹4,920 करोड़ (21.76%) की वृद्धि हुई।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में पीएमजेडीवाई खातों की संख्या के संदर्भ में बैंक की हिस्सेदारी 15.30% और पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशियों के संदर्भ में 17.50% रही ।
- बैंक में शून्य शेष राशि वाले पीएमजेडीवाई खाते 31 मार्च, 2022 के 5.75% की तुलना में घटकर 31 मार्च, 2023 को 5.22% रह गए।
- वित्त वर्ष के दौरान सूक्ष्म बीमा के तहत संचयी नामांकन 77 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 3.90 करोड़ हो गया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक नामक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है। इन तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2022 के रु 1,33,080 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹ 1,48,737 करोड़ हो गया। तीनों आरआरबी ने समेकित रूप से वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹594 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में 15.49% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023 में ₹ 719 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इन आरआरबी की निवल मालियत 31 मार्च 2022 के ₹4,986 करोड़ के स्तर से बेहतर होकर 31 मार्च 2023 को कुल संपत्ति ₹5704 करोड़ दर्ज की गई।

पुरस्कार

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित अटल पेंशन योजना के नामांकन के लिए विभिन्न अभियानों के तहत हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी ने 21 शीर्ष कार्यनिष्पादनकर्ता पुरस्कार (बीजीजीबी-9, बीयूपीबी-6 और बीआरकेजीबी 6) अर्जित किए।
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को 18वें आईबीए प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और अवाड्‌र्स में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी प्रतिभा के लिए उप विजेता घोषित किया गया।
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को 18वें आईबीए प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और अवाड्‌र्स में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन आरआरबी और आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- आईबीए वार्षिक प्रौद्योगिकी पुरस्कार में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को निम्नलिखित पांच पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

1. बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ दी इयर (लगातार 8वां वर्ष)।
2. बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंकल्यूशन अवार्ड (लगातार चौथे वर्ष)।
3. बेस्ट आईटी रिस्क मेनेजमेंट
4. बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग।
5. बेस्ट डिजिटल इंगेजमेंट।

इसके अलावा, निम्नलिखित दो श्रेणियों में उप विजेता रहा:

1. टेक्नोलॉजी टेलेंट

2. फिनटेक कोलाब्रेशन

- कृषि और एनआरएलएम मंत्रालय द्वारा एआईएफ (कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि) योजना और एनआरएलएम में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भी पुरस्कार अर्जित किया।

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक यह मानता है कि निरंतर दैनिक निगरानी अनर्जक ऋणों में कमी और अच्छी वसूली सुनिश्चित करने के प्रति पहला कदम है। इसके लिए बैंक ने विभिन्न कार्रवाई की है तथा वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए रणनीति बनाई है।

बैंक के पास प्रत्येक एनपीए खाते को विधिवत रूप से परखने हेतु कार्यनीति है। इसलिए बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक शीर्ष वर्टिकल 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल' के तहत विशेष सक्षम व्यवस्था स्थापित की है। इस वर्टिकल के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतर्गत सभी खातों के लिए आवश्यक विशेष दक्षता व्यवस्था के साथ -5 दबावग्रस्त आस्ति शाखाओं को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीएलटी से इतर ₹5 करोड़ से अधिक बकाया राशि वाले अन्य एनपीए खातों को हैंडल करने के लिए अंचल स्तर पर 12 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाओं (एसएआरबी शाखा) की स्थापना की गई है। टीएटी को कम करने के लिए ये शाखाएं कॉर्पोरेट कार्यालय की सीधी निगरानी में हैं। इसके अलावा ₹50 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों को हैंडल करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर -65- दबाबग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी शाखा) स्थापित की गई है।

भारत सरकार की डिजिटल पहल के अंतर्गत बैंक ने बिना कागज संचलन और वास्तविक समय के आधार पर वसूली और निगरानी की पूरी प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में,

1. 'क्यूलिक', यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना वास्तविक समय के आधार पर फिनेकल से कई डेटा बिंदुओं को प्राप्त करता है और दैनिक डीग्रेडेशन के पूर्वानुमान के लिए डे पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट और मॉक रन की गणना करता है।

2. 'आईएलएमएस' मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित पोर्टल जो राशि पर विचार किए बिना संपूर्ण एनपीए खातों की ऑनलाइन रेपोजिटरी है। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खातों की ऑनलाइन संपूर्ण लाइव निगरानी जैसे सरफेसी स्थिति, डीआरटी/ एनसीएलटी स्थिति, प्रावधान, दैनिक वसूली, वकीलों के निष्पादन का विश्लेषण और ओटीएस की ऑनलाइन प्रस्तुति/ स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराता है जिससे टीईटी में सुधार होता है।

3. बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के तहत संपत्तियों की नीलामी के लिए उपयोग किए जा रहे ई-बिक्रय पोर्टल का सदस्य है और सरफेसी के तहत बैंक की सफलता दर 52% है।

   बैंक ने वसूली को प्रभावी बनाने और स्लिपेज को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां भी अपनायी हैं।

1. कृषि, एमएसएमई और रिटेल ऋणों के पोर्टफोलियो की उचित निगरानी के लिए हमने समर्पित वसूली अधिकारियों के साथ क्लस्टर/ एरिया संबंधी कार्यपद्धति को अपनाया है।

2. अंचल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभाग प्रबंधकों द्वारा वसूली एजेन्टों/ व्यवसाय प्रतिनिधियों को कम ऋण राशि वाले एनपीए खातों का उचित आबंटन तथा उनकी समुचित निगरानी।

3. लोक अदालत के दौरान अधिकतम उधारकर्ताओं की सहभागिता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था करना और लोक अदालत से पूर्व बैठकें आयोजित करना।

4. बैंक ने सभी पात्र एनपीए खातों में सरफेसी कार्रवाई शुरू कर दी है और खाते में आस्ति और वसूली की प्रक्रिया पूर्ण होने/ निपटान होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। हम नीलाम की जाने वाली संपत्ति के विवरणों को बैंक की वेबसाइट, समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया वेब पोर्टलों और अग्रणी संपत्ति वेब साइटों पर सूचीबद्ध/ प्रकाशित कर रहे हैं।

   पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
सकल एनपीए	54059	36764
सकल एनपीए (%)	6.61%	3.79%
निवल एनपीए	13365	8384
निवल एनपीए (%)	1.72%	0.89%
एनपीए में बढ़ोत्तरी	14255	11150
वसूली/ अपग्रेडेशन	8448	10100
टीडबल्यूओ सहित बट्टे खाते	17967	17998
बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली	3578	4781
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%)	88.71%	92.43%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%)	75.28%	77.19%

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही का विभाजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
मानक अग्रिम	764061	932784
सकल एनपीए	54059	36764
कुल सकल अग्रिम	818120	969548
सकल एनपीए जिसमें		
अवमानक	5280	5439
संदिग्ध	31512	19182
हानि	17267	12143
कुल सकल एनपीए	54059	36764

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचना के माध्यम से दबावग्रस्त उद्यमियों का सहयोग कर राष्ट्र निर्माण करने में विश्वास रखता है।

बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों से निपटने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 22-23 में कम मूल्य के राशि वाले डीबी-II, डीबी-III, हानि, पीडब्ल्यूओ और टीडब्ल्यूओ श्रेणी के एनपीए खातों में अधिकतम संख्या में निपटान के लिए अपनी विशेष एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना "ऋण मुक्ति योजना" की शुरुआत की और एनपीए/ टीडब्ल्यूओ/ पीडब्ल्यूओ खातों जिनमें ₹1.00 करोड़ तक की बकाया शेष थी, के निपटान के लिए "वसूली संकल्प" की शुरुआत की। बैंक ने एनपीए खातों में ऋण मुक्ति योजना के अंतर्गत ₹596 करोड़ (एनपीए खाते में ₹1326 करोड़ की कमी) की राशि वसूली की और वसूली संकल्प योजना के अंतर्गत ₹1665 करोड़ की वसूली की।

समाधान सुनिश्चित करने और वसूली की सभी संभावनाएं तलाशने के लिए ऋण निगरानी वर्टिकल के साथ समन्वय करते हुए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल द्वारा बड़े कॉर्पोरेट के एसएमए-I और एसएमए-II खातों की बेहतर और लक्षित निगरानी प्रणाली और खातों की संख्या में आई कमी की निगरानी की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

हमारे बैंक की 17 देशों में 93 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं, जिनमें 40 विदेशी शाखा/ कार्यालय (यूएई में 9 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट, मॉरीशस में 1 मोबाइल यूनिट और गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, भारत में 1 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट सहित) और बैंक की 7 विदेशी अनुषंगियों की 53 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा, बैंक का एक संयुक्त उद्यम मलेशिया में इंडिया इंटरनेशल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और एक सहयोगी बैंक जांबिया में इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 30 शाखाएं हैं।

बैंक की विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर और अस्ट्रेलिया में उपस्थिति है। इसके अलावा, गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गुजरात, भारत में बैंक की एक होलसेल शाखा है, जिसे एक ऑफशोर बैंकिंग इकाई के रूप में माना जाता है और अपार व्यावसायिक संभावनाओं, कर लाभ, सरकारी पहलों आदि को ध्यान में रखते हुए शाखा को व्यवसाय विकास केंद्र के रूप में चुना गया है। बैंक ने आईएफएससी में शाखा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय ट्रेजरी हेतु वैश्विक मानक के अत्याधुनिक डीलिंग रूम भी शामिल है।

हमारा बैंक भारतीय कार्पोरेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करके, भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया लिंक्ड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए पसंदीदा बैंक बनकर विकास को गति देने और मूल्यवर्धन की नीति अपना रहा है।

उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों को देखते हुए, बैंक द्वारा प्राथमिक और गौण बाजार में भारत के अलावा अन्य संबंधित सिंडिकेशन ऋणों पर एक्सपोजर लेते हुए अग्रिम पोर्टफोलियो में भी विविधता लाई गई है। साथ ही, उत्पाद समूह को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न नए उत्पादों का शुभारंभ किया गया है।

इसके अलावा, विदेशी केंद्रों में उत्पादकता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संपूर्ण बिजनेस सोल्यूशन के लिए आईटी उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सहक्रिया जनरेट करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी के कई प्लेटफार्मों को लगातार एकीकृत कर रहा है।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाने का कार्य नीतिपरक रूप से किया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2023 में बैंक ने यूएई में अपनी एक शाखा का भी परिचालन बंद कर दिया है। बैंक नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को लगातार समेकित और पुनर्गठित कर रहा है और इसने जोखिमों का प्रबंधन करने, कम-प्रतिफल वाली आस्तियों को कम करने और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

31 मार्च 2023 तक, अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार (शुद्ध) ₹3,20,722 करोड़ रहा जो वैश्विक कारोबार का 14.95% है। कुल जमाराशियां ₹1,56,313 करोड़ रही जबकि 31.3.2023 तक निवल अग्रिम ₹1,64,409 करोड़ रहा।

घरेलू ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है। ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज दर, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। बैंक आधुनिक डीलिंग पद्धतियों और पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प और वायदा संविदा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ट्रेजरी बैंक की सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) संबंधी सांविधिक आवश्यकताओं की देखरेख करती है और निधि की आधिकता/ कमी का प्रबंधन करती है। ट्रेजरी निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में मनी मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट लिखतों में ऋण लेती/ निवेश करती है।

31 मार्च, 2023 को बैंक की कुल घरेलू निवेश बही ₹3,52,875 करोड़ रही। कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 83.22% रही। 31 मार्च, 2023 को शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 23.89% रही। बैंक यील्ड मूवमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों को भुनाने में सक्षम रहा है। बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को कुशलता से प्रबंधित किया है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज-युक्त निवेश पर 6.84% (बिक्री पर लाभ सहित) औसत लाभ बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक द्वारा निवेश की बिक्री पर लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः ₹1,115 करोड़ और ₹124 करोड़ रही।

सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार वर्टिकल बैंक की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सम्पूर्ण भारत में केंद्र/ राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।

हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की पेंशन, डाक विभाग की लेन-देन, ट्रेजरी/ उप-ट्रेजरी लेन-देन, लोक भविष्य निधि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ई-किसान विकास पत्र, भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड, प्रत्यक्ष कर संग्रहण (सीबीडीटी), सीबीईसी, ईएसआईसी, एमएचएफडब्ल्यू, जीएसटी, ई-स्टैम्पिंग एवं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड संबंधी भुगतान का प्रबंधन करते हैं। इन उत्पादों ने

₹120.48 करोड़ की शुल्क आय के संग्रहण में योगदान दिया है और बैंक की साख को भी बढ़ाया है।

हम विभिन्न राज्य/ केंद्र सरकार के संगठनों के खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान करते हैं एवं बैंक के लिए कासा जमा राशि जुटाने में मदद करते हैं। हम विभिन्न सेवाओं की पेशकश जैसे कि हमारे ग्राहकों को जीईएम पोर्टल, पीएफएमएस आदि में ऑनबोर्ड करना आदि पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमें ग्राहकों के साथ नए संबंध स्थापित करने एवं कासा कैनवास करने में मदद करता है। नए शुरू किए गए ई-फाइलिंग पोर्टल (सीबीडीटी टीआईएन 2.0) के साथ बैंक ने दिनांक 01.02.2023 को इंटीग्रेशन किया है। बैंक की सभी शाखाओं को अब ओटीसी सीबीडीटी चालान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

हमारा बैंक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कानूनी मामलों के मंत्रालय के लिए एक अधिकृत बैंकर है।

हमारा विशेष ध्यान संबद्ध सेवाएं अर्थात् पीएफएमएस पोर्टल पर सरकारी विभागों की ऑनबोर्डिंग सरकारी कासा खातों को कैनवास करने, सरकारी व्यवसाय करने वाली सभी शाखाओं की निगरानी करने तथा उनके प्रश्नों के संबंध में सहायता एवं उनकी शंकाओं का समाधान प्रदान करने पर है। हम विभिन्न अभियानों के माध्यम से लगातार सभी शाखाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय संगृहीत करने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान सरकारी संगठनों से सराहना;

- अटल पेंशन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसमें अपेक्षित योगदान देने के लिए विनिंग वेडनेसडे हेतु उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- अवार्ड मेकर्स ऑफ एक्सिलेन्स 5.0, बेस्ट परफॉर्मिंग एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लीडरशिप कैम्पेन 4.0, पीएफआरडीए से अवार्ड ऑफ एक्सिलेन्स एवं एपीवाई वार्षिक अवार्ड प्राप्त हुए।
- पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना हेतु शुरू किए गए बीट द बेस्ट एंड बी द बेस्ट अभियान के तहत क्वालिफाई हुआ और उत्कृष्टता के मानक को हासिल करने हेतु अनुकरणीय पुरस्कार दिया गया।

धन संपदा प्रबंधन

धन संपदा प्रबंधन व्यवसाय की वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई वृद्धि का सूचक है जो 160 मिलियन के कैप्टिव ग्राहक आधार के साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा की प्रगति के संकेत देती है। अतः हमारे बैंक के लिए धन संपदा एक प्रमुख संकेंद्रित क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। हमारे बैंक के प्रयासों को उद्योग जगत में सराहा जा रहा है और हमारे बैंक को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है तथा समृद्ध ग्राहकों को उत्कृष्ट धन संपदा प्रबंधन उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु 'ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड 2022' का हमारा बैंक विजेता रहा है।

बैंक समृद्ध ग्राहक वर्ग (रेडिएंस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से लगातार दक्षतापूर्ण मानव संसाधनों की भर्ती कर रहा है, जबकि ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए संभावित शाखाओं में विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और धन संपदा उत्पादों की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

बैंक ने अत्यधिक संभ्रांत श्रेणी के ग्राहकों के लिए "रेडियंस प्राइवेट" सेगमेंट की भी शुरुआत की है और सुदृढ़ टीम बनाने तथा मूल्यवर्धित उत्पादों की पेशकश हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठा रहा है।

बैंक उत्पाद, प्रक्रिया और कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहकों को उत्कृष्ट और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है। निवेश और बीमा उत्पादों के वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमारा बैंक डिजिटल मोड के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है जिससे उन्हें सुखद ग्राहक अनुभव प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में डिजिटल और ग्राहकोन्मुख प्रक्रिया विकसित करने, बीमा और निवेश संबंधी समाधान उपलब्ध कराने के लिए नई प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है। उपर्युक्त समाधान बैंक को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट उत्पादों की पेशकश करने के लिए एआई एवं एनालिटीक के समुचित उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे।

बैंक का मानना है कि केवल दक्षतापूर्ण मानव संसाधन ही ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और इसलिए बैंक ने विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया है।

तथापि शाखाओं के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए बैंक ने जीवन बीमा के तहत ₹1288 करोड़ का प्रीमियम संग्रहीत किया और बैंकएश्योरेंस चैनल के माध्यम से ₹1000 करोड़ के प्रीमियम के मानक स्तर को हासिल करने वाले चुनिंदा बैंकों के समूह में शामिल हो गया है। इस कार्यनिष्पादन ने आपके बैंक को जीवन बीमा प्रीमियम सेगमेंट में 31% वृद्धि दर्ज करने में सक्षम बनाया है। इस प्रकार गैर-जीवन बीमा से सामूहिक प्रीमियम 23% बढ़कर ₹490 करोड़ से ₹605 करोड़ हो गया है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद एमएफ एयूएम ₹9740 करोड़ रहा। आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ जुड़ाव की बात करें तो बैंक 'वेल्थ इनसाइट' मासिक पत्रिका और प्रमुख शहरों में ग्राहक जुड़ाव कार्यक्रमों से समृद्ध ग्राहकों तक पहुंच बना रहा है ताकि ग्राहकों को बाजार की गतिविधियों और धन संपदा के क्षेत्र में बैंक की पहलों से अवगत कराया जा सके। जबकि आंतरिक कर्मचारियों के लिए आपका बैंक वेबिनार आयोजित करके, नियमित अंतराल पर बाजार विशेषज्ञों को आमंत्रित करके धन संपदा व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि कर रहा है।

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से लेनदेन को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने का प्रयास कर रहा है जिससे बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त होता है। डिजिटल बैंकिंग का प्रमुख ध्यान डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है। डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख सुविधाएं बॉब वर्ल्ड, भीम बड़ौदा पे, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), आदि शामिल हैं।

बॉब वर्ल्ड

बॉब वर्ल्ड एक्टिवेशन वित्त वर्ष 2022 के 101.45 लाख की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के दौरान 102.72 लाख हो गया और इस अवधि के दौरान 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। बॉब वर्ल्ड पर वित्तीय लेनदेन भी वित्त वर्ष 2022 के 1,483.94 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1,864.7 लाख रहे। इस अवधि के दौरान 25.66% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष-2023 में गैर-वित्तीय लेनदेन 26.51% बढ़कर 27,745 लाख रहे, जो वित्त वर्ष-2022 में 21,931.55 लाख थे।

डेबिट कार्ड

31 मार्च, 2023 तक बैंक का सक्रिय कार्ड आधार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11% की वृद्धि के साथ 8.25 करोड़ है। ई-कॉमर्स/ पीओएस लेन-देन को बढ़ाने एवं बैंक के डेबिट कार्ड को ग्राहक का पसंदीदा कार्ड बनाने हेतु बैंक ने डेबिट कार्ड ग्राहकों को आकर्षक ऑफर प्रदान करने के लिए विभिन्न मर्चेंटों के साथ टाई अप किया है और अक्तूबर, 2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि में शियोमी, स्वीगी, मिशो, मिंतरा, ईज माइ ट्रिप, यात्रा, जियोमार्ट, टाटा आदि जैसे विभिन्न लोकप्रिय मर्चेन्ट के साथ मिलकर कुल 26 अभियान शुरू किए गए।

वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक ने 'बॉब वर्ल्ड सफायर' (पुरुष और महिला सब-वेरियंट) और 'बॉब वर्ल्ड ओपुलेंस' (मेटल कार्ड) डेबिट कार्ड शुरू किए जो हमारे प्रीमियम और सुपर प्रीमियम ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित विशेषताओं के साथ तैयार किए गए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने रक्षा कार्मिकों के लिए 'बॉब वर्ल्ड योद्धा' और 'बॉब वर्ल्ड अग्निवीर' डेबिट कार्ड और तमिलनाडु राज्य में महिला विद्यार्थियों के लिए 'बॉब वर्ल्ड पुदुमई पेन' डेबिट कार्ड भी शुरू किया। बैंक का प्लैटिनम डेबिट कार्ड आधार 31 मार्च, 2023 को बढ़कर 1.24 करोड़ हो गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 83% अधिक है।

बड़ौदा फास्टैग (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण - एनईटीसी)

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में 1.71 लाख फास्टैग जारी किए हैं। बॉब ग्राहकों के लिए बैंक का फास्टैग अब बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है और ग्राहक और गैर-ग्राहक दोनों फास्टैग ग्राहक पोर्टल के माध्यम से फास्टैग के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पुनरावृत्ति बिल भुगतान हेतु एक अन्तः प्रचलनीय प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वास्तविक समय आधारित बिल भुगतान और रिचार्ज संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। बीबीपीएस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उत्पादों में से एक है एवं इसका प्रबंधन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। हमारा बैंक बीबीपीएस सेवाओं की सुविधा के लिए ग्राहक परिचालन इकाई एवं बिलर परिचालन इकाई के रूप में अधिकृत है। वित्त वर्ष 2023 में बैंक ने लगभग ₹4,800 करोड़ के 3.29 करोड़ बिल भुगतान लेनदेन संसाधित किए। बैंक ने बैंक के बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) के माध्यम से अपने बिल संग्रहण की सुविधा के लिए म्यूनिसिपल टैक्स श्रेणी के तहत पिम्परी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीसीएमसी) बिलर्स को भी ऑन-बोर्ड किया है।

एटीएम

31 मार्च, 2023 तक हमारे बैंक में 9,764 एटीएम एवं 1,637 कैश री-साइक्लर का व्यापक नेटवर्क है, जिसमें 8 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा के तहत नेविगेट करने हेतु यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है, जो हमारे ग्राहकों को दैनिक बैंकिंग परिचालन संबंधी सहज अनुभव प्रदान करती है। हमारे एटीएम ग्रीन पिन जनरेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कैश ऑन मोबाइल सेवाओं जहां ग्राहक डेबिट कार्ड आदि का उपयोग किए बिना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जैसी सुविधाओं से युक्त हैं। हमारे बैंक ने 4725 स्थानों पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश आहरण (यूपीआई एटीएम) की सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक बैंक की यूपीआई क्यूआर सेवाओं (आईसीसीडबलू) का उपयोग करके राशि निकाल सकते हैं।

बैंक ओपेक्स मॉडल के तहत मौजूदा 6592 एटीएम साइटों और मशीनों को रिवेंपिंग/ बदलने की प्रक्रिया में भी है। 31 मार्च, 2023 तक 4646 एटीएम ओपेक्स मॉडल के तहत लाइव हैं ताकि ग्राहकों को निर्बाध एटीएम सेवाएं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किए जा सकें।

इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)

बैंक का आईपीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे एक ऑनलाइन सेवा है जो ग्राहकों को भुगतान को सुरक्षित रूप से तत्काल स्वीकार करते हुए ऑनलाइन व्यवसाय करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इंटरनेट पेमेंट गेटवे ऑनलाइन मोड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान प्रोसेसिंग के लिए मर्चेन्ट और उनके ग्राहकों के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है।

बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, एईपीएस, आधार पे, क्यूआर कोड आदि द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने और ऑफ़लाइन मोड अर्थात् एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से आसान और सुरक्षित तरीके से ई-कॉमर्स/ ऑनलाइन व्यवसाय के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करता है।

निर्बाध और ग्राहकोन्मुख सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने 13 एग्रीगेटर्स और 3 मास्टर मर्चेन्ट के साथ टाई-अप किया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में आईपीजी मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग में 16% की वृद्धि दर्ज की है।

भीम बड़ौदा पे:

यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) पर संग्रहीत करता है, विभिन्न बैंकिंग विशेषताओं, बाधारहित निधि राउटिंग एवं मर्चेंट भुगतान को एक प्लेटफार्म पर समेकित करता है। यह 'पीयर टू पीयर' संग्रहण अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा अनुसार शेड्यूल कर भुगतान किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान यूपीआई क्यूआर के लिए मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग में 46% की वृद्धि हुई। यूपीआई क्यूआर लेनदेन में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई जो 2.34 करोड़ से बढ़कर 6.63 करोड़ रहे।

बॉब वर्ल्ड (इंटरनेट बैंकिंग)

वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर अनेक नए ग्राहकों को सफलतापूर्वक जोड़ा है। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2022 के 88.09 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के दौरान 99.71 लाख हो गई।

बड़ौदा टैबिट:

बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओनबोर्ड करने की पहल के तहत टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म-बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से टैबलेट द्वारा तत्काल कासा खाता खोलने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं (व्यक्तिगत चेक बुक, व्यक्तिगत डेबिट कार्ड, एमपिन के साथ मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग) और पीओएस, यूपीआई क्यूआर, आईपीजी लीड जनरेशन की शुरुआत की है। बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 63 लाख से अधिक बचत खाते और 2.3 लाख चालू खाते खोले।

बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से क्रेडिट कार्ड जारी करने और स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने की सुविधा शुरू की गई है। ग्राहकों के अनुभवों को समझने एवं तदनुसार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बॉब वर्ल्ड टैब प्लेटफार्म पर फीडबैक सुविधा की शुरुआत की गई है।

बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से कंपनी खाता (सार्वजनिक/ निजी) खोलने की शुरुआत की गई है और अब तक बॉब वर्ल्ड टैब (22 नवंबर 2022 को शुरू की गई) के माध्यम से कुल 1413 खाते खोले गए हैं।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए 17 नई सेवाओं के साथ बॉब वर्ल्ड टैब ऑन-बोर्डिंग प्लेटफॉर्म को अब मौजूदा ग्राहकों के लिए विस्तारित किया गया है। ये सेवाएं हैं;

ग्राहक शिकायत पंजीकरण - शिकायत की ट्रैकिंग और सुझाव/ पंजीकरण (रीडायरेक्शन)

ईटीबी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन एफडी खाता खोलना

ईटीबी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन आरडी खाता खोलना

डेबिट कार्ड सेवा को ब्लॉक करना

ई-मेल आईडी अपडेशन

ऑनलाइन पैन नंबर अपडेशन

खाता विवरणी सेवा

चेक बुक हेतु अनुरोध - ईटीबी

नामिती अपडेशन - ईटीबी

लीड जनरेशन (एचएल/ पीएल/ एएल/ईएल) - रीडायरेक्शन - (सेल्फ सर्विसेज)

टैब के माध्यम से ईटीबी ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण की सेवा

टैब के माध्यम से ईटीबी रिटेल ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण की सेवा

टैब के माध्यम से एपीवाई खाते खोलना

पीएमजेजेवाई - पीएमएसबीवाई सूक्ष्म बीमा

सेल्फ सर्विसेस- जनसमर्थ पोर्टल, इंटरनेट बैंकिंग, बॉब वर्ल्ड किसान, बी-3 खाते

आस्ति उत्पादों के लिए लीड जनरेशन (रीडायरेक्शन)

वैयक्तिक ऋण और ऑटो ऋण (एसिस्टेड मोड- रीडायरेक्शन)

सुविधाएं	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023	वर्ष- दर- वर्ष आधार पर वृद्धि %
बचत बैंक खाता	5046885	6301204	24.85
चालू खाता	147908	230046	55.53
एसएचजी खाता	11221	50077	11.50
क्रेडिट कार्ड आवेदन	190960	1196735	56.00
यूपीआई मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग	199772	520424	160.51
कंपनी खाता	0	1413	

वाट्सऐप बैंकिंग

- व्हाट्सऐप बैंकिंग उपयोगकर्ता पंजीकरण -

वर्ष	व्हाट्सऐप बैंकिंग में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या (लाख में)
वित्त वर्ष 2021	6.16
वित्त वर्ष 2022	14.04
वित्त वर्ष 2023	40.48
कुल पंजीकरण	60.68

- व्हाट्सऐप बैंकिंग लेन-देन -

वर्ष	व्हाट्सऐप बैंकिंग लेन-देन की संख्या (लाख में)
वित्त वर्ष 2021	47.8
वित्त वर्ष 2022	207.5
वित्त वर्ष 2023	343.4

डिजिटल बैंकिंग यूनिट:

वर्ष 2022 के बजट में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की गई थी।

हमारे बैंक को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए आईबीए द्वारा कोर समिति के सदस्य के रूप में चयनित किया गया था । आईबीए द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ कई बैठकें की गईं हमारे बैंक ने 8 जिलों (वडोदरा, सिलवासा, कानपुर देहात, वाराणसी, करौली, कोटा, इंदौर और लेह) में डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित की हैं । दिनांक 31.03.2023 तक बैंक ने 12 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों का परिचालन शुरू कर दिया है ।

डिजिटल ऋण

वर्तमान दौर में तकनीकी प्रगति में हो रहे आमूल-चूल परिवर्तन ने डिजिटलीकरण के वैश्विक युग को एक नया रूप दिया है । लगभग हर उद्योग डिजिटलीकरण के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है और बैंकिंग उद्योग इस बदलाव एवं नवोन्मेषिता में सबसे अग्रणी हैं।

वित्तीय सेवा उद्योग तेजी से और दूरगामी बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिसे उभरती तकनीक और सामाजिक-आर्थिक विकास से गति मिल रही है। यह बदलाव बुनियादी रूप से बाजार स्ट्रक्चर को बदल रहा है तथा नवोन्मेषी, गेम-चेंजिंग वैकल्पिक उत्पाद एवं सेवाएं तैयार करने हेतु उद्यमियों और जोखिम लेने वालों दोनों को अवसर प्रदान कर रहा है।

जैसे-जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे-वैसे ग्राहकों ने ऐसी सेवाएं लेना शुरू कर दिया है, विशेषकर अपनी नियमित बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए, कि उन्हें कहीं जाना ही न पड़े । ग्राहक वरीयताओं के इस बढ़ते परिदृश्य ने हमें डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंक को मौजूदा ग्राहक की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए विविध क्षेत्रों से नए ग्राहकों को जोड़ने, नवीन एवं अब तक अप्रयुक्त बाजारों में प्रवेश करने तथा बैंक की ब्रांड पहचान में एक प्रमुख डिजिटल आयाम जोड़ने में मदद कर रहा है ।

यह प्लेटफॉर्म भौतिक रूप से बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता को कम करते हुए उधारकर्ता को अपने घरों / कार्यालयों से सुविधानुसार संपर्क रहित एवं कागज रहित प्रक्रिया का उपयोग कर न्यूनतम अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण सहित कुछ ही क्लिक में लीड से लेकर मंजूरी एवं संवितरण की प्रक्रिया को पूरा करने में सशक्त बना रहा है।

इस डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के केंद्र में फिनटेक वैकल्पिक ऋण चैनल निर्मित करते हुए क्रेडिट इकोसिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जो बैंक एवं उधारकर्ता दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं ।

बैंक के व्यावसायिक पोर्टफोलियो में सुधार के लिए डिजिटल ऋण की पहल;

रिटेल संबंधी पहलें :

- बैंक ने ग्राहक स्वयं-सेवा प्रक्रिया, बैंक अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त प्रक्रिया और डीलर द्वारा सहायता प्राप्त प्रक्रिया के साथ **डिजिटल वाहन ऋण** प्रक्रिया की शुरूआत की है ।
- बैंक ने ईटीबी ग्राहकों के लिए **पूर्व-स्वीकृत वाहन ऋण** की शुरुआत की है जिससे कोई मौजूदा ग्राहक अलग से बिना किसी आय मूल्यांकन प्रक्रिया के वाहन खरीदने हेतु डिजिटल रूप से वाहन ऋण प्राप्त कर सकता है । इससे निर्धारित समय-सीमा (TAT) में काफी कमी आएगी ।
- बैंक ने पूर्व-अनुमोदित संस्थानों और गैर-पूर्व अनुमोदित संस्थानों के लिए **डिजिटल शिक्षा ऋण** प्रक्रिया शुरू की है । यह प्रक्रिया शैक्षिक विकास कार्यक्रम के लिए तैयार की गई है।
- प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों के लिए डिजिटल वैयक्तिक ऋण प्रक्रिया को पूरा करने/ सहयोग के लिए शाखाओं की सुविधा हेतु वैयक्तिक ऋण के लिए **शाखा अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त** प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है ।
- बैंक के मौजूदा गृह ऋण ग्राहकों के लिए **पूर्व-स्वीकृत गृह ऋण टॉप-अप** की शुरुआत के साथ-साथ पूर्व-स्वीकृत गृह ऋण की सुविधा प्रदान करना ।
- बैंक ने बैंक के मौजूदा पेंशन ग्राहकों के लिए **डिजिटल पेंशनर ऋण** की शुरुआत की है।

एमएसएमई पहलें:

- बैंक ने **एमएसएमई ऋणों के डिजिटल नवीकरण** की सीमा को ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया है । सीमा में बढ़ोत्तरी के साथ, 80,000 अतिरिक्त खातों को डिजिटल रूप से नवीकृत किया जा सकता है।

कृषि संबंधी पहलें:

- बैंक ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए **स्वर्ण ऋण हेतु डिजिटल प्रक्रिया** की शुरुआत की है।
- बॉब वर्ल्ड **किसान प्लेटफॉर्म** को बॉब वर्ल्ड ब्रांडिंग के साथ अनुकूल करने के लिए इसे बेहतर बनाया गया है। ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और ऋण, बीमा, एकीकृत मार्केटप्लेस और नई एडवाइजरी सेवाओं जैसी नई सुविधाओं की पेशकश करके इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनाने हेतु इस प्लेटफॉर्म को अधिक बेहतर बनाया गया है ।
- बैंक ने **बीकेसीसी ऋणों के नवीकरण** के लिए डिजिटल प्रक्रिया की शुरूआत की है।
- बैंक ने बीकेसीसी के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी तक की प्रक्रिया हेतु डिजिटल प्रक्रिया की शुरूआत की है।

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (ACoE)

बैंक ने डेटा संचालित बैंकिंग की गति को बनाए रखा है । स्वयं-सेवा विश्लेषणात्मक क्षमताएं सभी व्यावसायिक इकाइयों और शाखाओं में शुरू की गई हैं । डिजिटल बैंकिंग पहलों को उन्नत विश्लेषण और रियल टाइम यूज केसेज के साथ विकसित किया जा रहा है । बैंक क्रॉस सेल, अप-सेल, प्रारंभिक चेतावनी संकेत आदि से आगे बढ़कर उन्नत मशीन शिक्षण तकनीक के साथ उन्नत एएलएम, जोखिम और एएमएल/ धोखाधड़ी प्रबंधन के लिए यूज केसेज पर कार्य कर रहा है । डेटा और विश्लेषण के आधार पर एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करते हुए बैंक का ध्यान व्यक्तिगत संबंध को बढ़ावा देना है ।

सूचना प्रौद्योगिकी

- बैंक ने ग्राहकों की सहमति से इकोसिस्टम के माध्यम से बैंक की विवरणी और संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया है ।
- बैंक ने लेन-देन की मात्रा में हो रही कई गुना वृद्धि के अनुसार बेहतर लेन-देन प्रोसेसिंग क्षमता को संभालने हेतु यूपीआई प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया है।
- बैंक ने रुपे और मास्टरकार्ड वेरिएंट के लिए फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) और टोकन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से संबंधित कार्ड शुरू किया है ।
- बैंक ने डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की डिलिवरी के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल रूप से सेवा प्रदान करने हेतु डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की है ।
- बैंक ने वीसीआईपी (वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया/वीडियो केवाईसी) प्रक्रिया में नए केंद्रों के साथ-साथ जीवन प्रमाण पत्र, भाषा आधारित कॉल असाइन करना, डिजिटल शिक्षा ऋण आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं की शुरुआत की है ।
- बैंक ने भारत सरकार की केंद्रीकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधि जारी करने की सुविधा के लिए नया पोर्टल लागू किया है।
- किसान पोर्टल को बेहतर बनाया गया है ताकि इस पोर्टल को और अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया जा सके तथा गैर-बैंक ग्राहकों को भी यह सेवा प्रदान की जा सके ।
- बैंक ने प्रायोगिक तौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) जिसे ई-₹ (डिजिटल रुपया) के रूप में जाना जाता है, की शुरूआत की है । यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है । यह डिजिटल रुपया नकदी रुपए का एक विकल्प प्रदान

करता है जो व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए सुरक्षित, त्वरित (त्वरित निपटान) और किफायती भुगतान प्रणाली है ।

- बैंक ने ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन 'बॉब वर्ल्ड' में नई सेवाओं को शामिल किया है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यक्तित्व आधारित थीम, बॉब वर्ल्ड के माध्यम से एनपीएस सदस्यता, इंस्टा-डीमैट खाता खोलना, यूपीआई और भारत क्यूआर के लिए सामान्य क्यूआर स्कैनर, वेयरेबल (बॉब वर्ल्ड वेव) जारी और प्रबंधित करना, चैटबॉट, पीसी/एफबी खातों के एक्सेस की अनुमति देना, हिंदी में खाता विवरणी/ब्याज और टीडीएस प्रमाणपत्र, स्मार्ट सर्च, क्रेडिट कार्ड एकीकरण, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करना, ईकेवीपी खाता खोलना आदि बॉब वर्ल्ड में ग्राहकों की संपूर्ण बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए 200 से अधिक सेवाएं शामिल हैं ।
- बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में ईपीए पीएफएमएस ऑनलाइन भुगतान, कर भुगतान के लिए टीआईएन 2.0 के साथ एकीकरण, कर भुगतान के लिए राज्य के कोषागारों के साथ बहु-एकीकरण, कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए थोक एनईएफटी/ आरटीजीएस अपलोड की सुविधा को इनेबल करना, एनपीएस पंजीकरण और अंशदान आदि जैसी नई सेवाओं को शामिल किया गया है ।
- बैंक ने वर्तमान वॉल्यूम और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर सभी ऐप्लिकेशनों के भार को वहन करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है ।
- बैंक ने कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई आंतरिक बैंकिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है।
- बैंक ने खुदरा आस्ति उत्पादों, खुदरा, एमएसएमई, कृषि, क्रेडिट कार्ड और धन-संपदा उत्पादों के लिए लीड प्रबंधन मॉड्यूल को एकीकृत करके सीआरएम क्षमताओं में वृद्धि की है।
- बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में (आईएफएससी बीयू, युगांडा, बोत्सवाना, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स, फिजी और यूके होलसेल) एएमएल को अपग्रेड किया है।

साइबर सुरक्षा

बैंक के पास सुनिर्धारित साइबर सुरक्षा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो प्रबंधन संरचना, नीतिगत ढांचे और परिचालनगत नियंत्रणों के संयोजन से संचालित होता है और जिसे व्यापक आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की व्यावसायिक रणनीतियों के साथ अलाइन किया गया है । साइबर सहन-क्षमता प्रदान करने और उद्यम जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बैंक जोखिमों को कम करने हेतु अनुकूल सुरक्षा नियंत्रणों को लगातार लागू करता रहता है, जिससे साइबर हमले का जोखिम कम हो जाता है । बैंक एनआईएसटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएसए) साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और भारतीय रिज़र्व बैंक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क दोनों का पालन करता है।

बैंक के परिवेश में सक्रिय खतरों की निगरानी के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) द्वारा 24X7X365 आधार पर साइबर सुरक्षा की निगरानी और प्रबंधन किया जा रहा है। ग्लोबल सीएसओसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बैंक के सभी वर्टिकल के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। यह साइबर खतरों की मॉडलिंग, पता लगाने, विश्लेषण और इसे कम करने के लिए अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा समाधानों से युक्त है । बैंक के डेटा सेंटर और डेटा रिकव्हरी केंद्र आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित हैं।

मौजूदा जांच बिन्दु और नियंत्रण के अलावा बैंक ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- पहले से स्थापित सुरक्षा एवं जोखिम को कम करने संबंधी नियंत्रण और प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण और निष्पक्ष इनसाइट प्रदान करने के लिए रेगुलर रैंडम अर्ली डिटेक्शन (RED) टीम एक्सरसाइज की गयी ।
- इंटरनेट आधारित जोखिमों और धोखाधड़ी से व्यवसाय और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित बीमा प्रदाता से साइबर बीमा पॉलिसी ली गई है।
- ग्राहक जागरूकता में एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता संदेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए एटीएम शामिल हैं।
- डेटा लीक रोकथाम (डीएलपी) यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी गोपनीय जानकारी बैंक नेटवर्क से बाहर नहीं जा रही है । डेटा लीक रोकथाम ऐप्लिकेशन की निगरानी, ई-मेल की निगरानी, मालवेयर सुरक्षा और उपयोगकर्ता एक्सेस नियंत्रण में मदद कर रही है।
- नेटवर्क एक्सेस नियंत्रण (एनएसी) संगणक संसाधनों के लिए प्रतिबंधित एक्सेस प्रदान करने में बैंक की सहायता कर रहा है । यह दृश्यता, एक्सेस नियंत्रण और अनुपालन प्रदान करता है जो नेटवर्क सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।
- एंटी-फिशिंग और ब्रांड निगरानी सेवाएं

विपणन

बैंक इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, ओओएच, डिजिटल और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सभी मीडिया स्पेक्ट्रम पर अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाए हुए है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रमुख डिजिटल उप ब्रांड "बॉब वर्ल्ड" पर अतिरिक्त नई सुविधाओं और अन्य उत्पाद संबंधी अभियानों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, एमएसएमई ऋण, ऑनलाइन एसबी खाता खोलने आदि की सुविधा उपलब्ध करा कर इसे लगातार लोकप्रिय बनाया है। बैंक ने एसएलबीसी राज्यों (गुजरात, यूपी और राजस्थान) पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर एंकर महीनों (जुलाई 2022 और जनवरी 2023) के दौरान "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाया।

एक अभिनव दृष्टिकोण रखते हुए बैंक के 115वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंक ने 115 घंटे की आरजे मैराथन का शुभारंभ किया, जो वर्षों से समृद्ध इतिहास, विरासत, उत्पादों और उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित करती है। उसी तर्ज पर बैंक राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन, भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन और साहित्य आजतक जैसे प्रतिष्ठित और वाइब्रेन्ट मंचों से जुड़ा है, जो भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, साहित्य आदि के बारे में स्वतंत्र बातचीत को बढ़ावा देते हैं।

बैंक सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और खिलाड़ियों के साथ हमेशा जुड़ता रहा है और उन्हें ब्रांड एंडोर्सर बनाता है एवं उनके खेल करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक अपनी विभिन्न बैंकिंग और गैर-बैंकिंग पहलों के माध्यम से लगातार देश के युवाओं का समर्थन करता है। यह सहयोग विभिन्न खेलों में सहयोगी बनकर बैंक के ग्राहक अनुभव में संवर्धन करने की बैंक की प्रकृति को दर्शाता है। इन मिलेनियल्स और खेल प्रेमी युवाओं तक पहुंचने के लिए बैंक ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2023 और ओडिशा में एफआईएच

हॉकी विश्व कप के दौरान टेलीविजन अभियान शुरू किया और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भी एक विशेष टीवी अभियान चलाया।

बैंक ऑफ बड़ौदा अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से हमेशा महिला सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक रहा है। इसके अलावा, बैंक हमेशा खेलों में महिलाओं के लिए एक मजबूत लॉन्चपैड के रूप में रहा है, जैसे सुश्री पी वी सिंधु के मामले में, जो एक जानी-मानी खिलाड़ी हैं और बैंक के ब्रांड एंडोर्सर के रूप में जुड़ी हुई हैं। अपनी नई ब्रांड एंडोर्सर सुश्री शेफाली वर्मा के साथ अपने जुड़ाव को और अधिक गहन करने के लिए बैंक ने टी20 महिला एशिया कप 2022, अंडर19 महिला टी20 विश्व कप और महिला आईपीएल 2023 के दौरान टीवी मीडिया अभियान चलाए।

बैंक ऑफ बड़ौदा की सन रन 2.0 मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में 29 जनवरी, 2023 को आयोजित की गई । भारत की बैडमिंटन सुपरस्टार और बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर सुश्री पीवी सिंधु, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री अजय के खुराना, श्री देबदत्त चाँद और श्री ललित त्यागी सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के शीर्ष प्रबंधन ने इस रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ एक रोमांचक और मजेदार माहौल था। सन रन 2.0, जिसमें दो दौड़ श्रेणियां थीं - निर्धारित समय में 10 किमी की बीओबी प्रो रन और 5 किमी की बिना किसी समय की बॉब फन रन, का उद्देश्य कॉर्पोरेट कर्मचारियों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देना था जिससे एक मजबूत और हरित वातावरण का निर्माण हुआ।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा 100 दिनों में 5,933 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बीओबी गोल्डन क्वाड्रीलैटरल दौड़ के लिए अल्ट्रा-मैराथनर और टीम फैब फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक श्री कुमार अजवानी से जुड़ा। सबसे कम समय में भारतीय गोल्डन क्वाड्रीलैटरल की पैदल यात्रा (पुरुष वर्ग में) करने के लिए इस दौड़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई और वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा भी मान्यता दी गई । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने श्री कुमार अजवानी की #GoldenQuadrilateralRun का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया और भारतीय सैनिकों के पुनर्वास का समर्थन किया, जो हमारे देश की रक्षा करते हुए और आदिवासी स्कूलों की मदद करते हुए युद्ध में घायल हो गए थे।

बैंक की ग्रीन पहल '# BOBGreenRideWithMilind 2.0, एक पहल स्वच्छ हवा की ओर' को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया जिसमें पर्यावरण के संरक्षक और फिटनेस उत्साही मिलिंद सोमन के साथ भागीदारी की गई थी। इस पहल के अंतर्गत मिलिंद ने मुंबई से मैंगलोर तक लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक साइकिल और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 8 दिनों की स्थायी यात्रा शुरू की। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, एक हरित जीवन शैली और स्वास्थ्य एवं फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो प्रकाशित किए गए।

बैंक हमेशा से युवाओं और मिलेनियल्स के बीच ज्ञान अर्जन और शिक्षण को बढ़ावा देने का पक्षधर रहा है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो एक प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्यिक उत्सव होता है, इस क्षेत्र में विशेष करने के लिए एक सही अवसर था। साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों के हिन्दी अनुवाद के लिए 'बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान' की शुरुआत की है।

डिजिटल मोर्चे पर, बैंक ने गृह ऋण, कार ऋण, वैयक्तिक ऋण, एमएसएमई, मुद्रा ऋण आदि के लिए शुरू की गई डिजिटल यात्रा का लाभ उठाकर इससे व्यवसाय बढाने के लिए अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों को मजबूत किया। गृह, कार, वैयक्तिक और एमएसएमई ऋण जैसे विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और व्यवसाय संवर्धन के लिए 100 से भी अधिक अभियान चलाए गए । डिजिटल पेड मार्केटिंग गतिविधियों के माध्यम से लगभग 10 लाख से अधिक लीड जनरेट की गईं जिनमें ₹170002 की राशि स्वीकृत की गई।

बैंक के सोशल मीडिया परिवार ने वित्त वर्ष 2022-23 में निरंतर और आक्रामक सोशल मीडिया रणनीति के साथ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। परिणामस्वरूप, बैंक ने कुल 5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स का कीर्तिमान हासिल किया है। इस वृद्धि में #IAmSocial अभियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें लगभग 80% बड़ौदियन एक साथ आए और बैंक के लिए एक मजबूत प्रशंसक आधार बनाने के लिए इसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

इसके अलावा बैंक ने अपनी आक्रामक सोशल मीडिया कार्यनीति को जारी रखा, पूरे वर्ष अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देते हुए अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया। बैंक ने जुलाई 2023 तक सभी प्लेटफार्मों पर 5 मिलियन फॉलोअर्स की उपलब्धि हासिल की।

महिलाओं को सशक्त बनाने और समानता को बढ़ावा देने के लिए बैंक कई सोशल मीडिया अभियान चलाता रहा है। अपने प्रयासों को जारी रखते हुए डिजिटल आईपी #SmashItWithSindu का तीसरा संस्करण, जिसमें बैंक ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को आगे लाने और पीवी सिंधु और शेफाली वर्मा से मिलने के लिए एक मंच प्रदान किया।

पूरे वर्ष भर बैंक की सोशल मीडिया रणनीति ने बॉबवर्ल्ड की विभिन्न सुविधाओं और पेशकशों को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया। खासकर त्योहारी मौसम में खूब प्रचार-प्रसार किया गया ।

बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सोशल मीडिया चैनल	31 मार्च 2023 तक के आंकड़े (लाइक्स/फॉलोअर्स की संख्या)
फ़ेसबुक लाइक्स	2.96 मिलियन +
ट्विटर फॉलोअर्स	9.29 मिलियन +
यू ट्यूब सब्सक्राइबर	5.22 मिलियन +
लिंक्डइन फॉलोअर्स	2.57 मिलियन +
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स	4.43 मिलियन +
क्वोरा व्यू (1 जनवरी 2022 को शुरूआत हुई)	381,412 +

जहां तक वेबसाइट की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा यूके लिमिटेड की वेबसाइट के लाइव होने के साथ बैंक ने वेबसाइट के केंद्रीयकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। इसके साथ बैंक ने केंद्रीयकरण परियोजना के तहत घरेलू कॉर्पोरेट वेबसाइट, अंतर्राष्ट्रीय टेरिटैरी/सहायक अनुषंगियों की वेबसाइटों और बॉब वर्ल्ड वेबसाइट सहित अपनी सभी 19 वेबसाइटों को सफलतापूर्वक संशोधित और केंद्रीकृत किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में वेबसाइट में कुल 71.65 मिलियन सेशन रहे और कुल 34.71 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट को देखा, कुल सेशनों में से 67.44% ट्रैफिक आर्गेनिक स्रोतों से आ रहा है।

वेबसाइट की उन्नत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं में अब निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

- बेहतर वाइस सर्च के साथ मजबूत सर्च सुविधा
- आधिकारिक ब्लॉग, लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और परिष्कृत कैलकुलेटर
- बहुभाषी क्षमताएं उन्नत फ़िल्टर
- डब्लूसीएजी 2.0, जीडीपीआर अनुपालित, कुक्स प्रबंधन क्षमताएं

एक्सलेरेटिंग डिजिटल ग्रोथ

- रेगुलराइज्ड सर्च इंजन
- डेटा एकत्र करने, विश्लेषण और ट्रैकिंग एवं कनवर्जन के साथ कार्रवाई में सहायक डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम हेतु सभी वेबसाइट विश्लेषण सेटअप के लिए इष्टतम उपयोग (एसईओ)
- सर्वोत्तम एसईओ प्रक्रियाओं को लागू करके पेज के लोड होने के समय में सुधार करना

बैंक ने ईज 5.0 में दो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कार्यनिष्पादन संबंधित पैरामीटर, **डोमेन अथॉरिटी** और **कीवर्ड रैंकिंग** के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया। बैंकिंग मंत्र सेक्शन में आर्गेनिक सेशन वर्ष-दर-वर्ष 417% बढ़ा। वित्त वर्ष 2023 के गूगल सर्च कंसोल डेटा के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा वेबसाइट के पेजों पर कुल 511 मिलियन इंप्रेशन थे, जिनमें से क्लिक की कुल संख्या 53.8 मिलियन थी। उत्पाद संबंधी पृष्ठों के कार्यनिष्पादन में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

उत्पाद	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
वैयक्तिक ऋण	150%
बचत खाता	58%
गृह ऋण	40%
गोल्ड लोन	342%

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के कॉर्पोरेट वेबसाइट चैनल के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के लिए कुल 3,95,899 लीड जुटाई गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान सबसे अधिक लीड जुटाने वाले शीर्ष 5 उत्पादों में मुद्रा ऋण (74,073), नए बहादुर-अग्निवीरों के लिए वेतन पैकेज (58,217), बड़ौदा गृह ऋण टेकओवर योजना (37,245), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (36,957) और बंधक ऋण (17,406) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक को प्राप्त विभिन्न सोशल मीडिया पुरस्कारों का विवरण इस रिपोर्ट के पुरस्कार खंड में दिया गया है।

जनसंपर्क की बात करें तो इसका उद्देश्य बैंक ऑफ़ बड़ौदा ब्रांड को बढ़ावा देना, बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन को उजागर करना और डिजिटल बैंकिंग, व्यावसायिक पहलों, उत्पाद लॉन्च, ब्याज दर ऑफरों, साझेदारियों, विपणन अभियानों, प्राप्त पुरस्कारों आदि संबंधी अन्य प्रमुख घोषणाओं को संप्रेषित करना था। वित्त वर्ष 2023 में, बैंक की विजिबिलिटी में बढ़ोतरी हुई और बैंक ऑफ बड़ौदा को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में #2 स्थान और देश के शीर्ष बैंकों में स्थान मिला।

बैंक ने नए युग की डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठाना जारी रखा है एवं भौतिक तथा डिजिटल मार्केटिंग के बीच संतुलन बनाए रखा है, इसका उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी ब्रांड बनना है जो उपयोगी सामग्री प्रदान करके डिजिटल दर्शकों को जोड़ता है, सशक्त बनाता है एवं शिक्षित करता है तथा सतत विश्लेषण, आकलन और अनुभव, प्रतिक्रिया और क्षमताओं में सुधार कर बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है।

कॉर्पोरेट नैतिकता

बैंक ने 21 मई, 2022 को 'हमारी नैतिक आचरण संहिता' का शुभारंभ किया जो नैतिकता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिसे बैंक ने वर्ष 2021 में एक विशेष कॉर्पोरेट नैतिकता विभाग और एक शीर्ष स्तरीय नैतिकता समिति स्थापित कर अपनाया है । बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में इस नैतिक आचरण संहिता का शुभारंभ किया गया जिसमें बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकगण उपस्थित रहे । यह विभाग बैंक की नैतिकता संबंधी योजना के आधार पर कार्य करता है जिसमें मुख्य रूप से नैतिक आचरण संहिता तैयार करना और इसे लागू करना, पूरे वर्ष शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना तथा नैतिकता मापन के लिए मेट्रिक्स तैयार करना शामिल है ।

यह आचरण संहिता देश में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। हमें आचरण संहिता को अपनाने तथा संगठन में नैतिक समस्याओं और मुद्दों को संभालने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करने में अग्रणी होने पर गर्व है। आचरण संहिता को दुनिया भर के समकक्ष संगठनों के साथ बेंचमार्क किया गया है और इस संस्कृति के अंतिम वाहक और संचालक के रूप में कर्मचारियों को इसके केंद्र में रखते हुए इसे हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है । आचरण संहिता का हमारे बुनियादी मूल्यों के साथ गहरा संबंध हैं और यह संहिता हमारे सहकर्मियों और हितधारकों के साथ हमारे व्यवहार तथा हमारे साथ काम करने वालों से हमारी अपेक्षाओं के लिए एक मार्गदर्शी फ्रेमवर्क स्थापित करती है । यह संहिता बैंक और इसके कर्मचारियों के सम्मुख समकालीन चुनौतियों को दूर करती है और साइबर सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में उभरते महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करते समय उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

बदलते समय के साथ बैंकिंग उद्योग ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी नैतिकता और विश्वास हमेशा बैंकिंग उद्योग के केंद्र में रहा है । यह संहिता हमें 'सही' करने के लिए सुदृढ़ता प्रदान करती है और यह हमारे बैंक की ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी सहायक होगी । बैंक के शीर्ष कार्यपालक विभिन्न कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रमों के माध्यम से संहिता को लागू करने में समर्थन कर रहे हैं।

हमारी नैतिकता संबंधी योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक संप्रेषण के प्रभावी चैनल विकसित करना है और इस प्रयास की दिशा में आचरण संहिता के अनुरूप 'स्पीक अप' पहल की शुरूआत की गई जो अनैतिक प्रक्रियाओं के विरूद्ध शिकायतों और मामलों को दर्ज करने के लिए बैंक में उपलब्ध चैनलों को उजागर करती है । इसके अलावा, कर्मचारियों के रचनात्मक योगदान को संकलित कर एक त्रैमासिक इन-हाउस पत्रिका-'बड़ौदा संस्कृति' की शुरुआत की गयी । नैतिक आचरण संहिता से नियमित स्निपेट, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिताओं, सीओई पर द्विभाषी ऑडियो बुक और अन्य डिजिटल संप्रेषणों जैसे नैतिक दुविधाओं पर आधारित वीडियो -नैतिक श्रृंखला- जैसी नैतिकता विभाग की पहल भी नैतिकता के संबंध में बेहतर जागरूकता सुनिश्चित करती हैं । विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए एचआर कनेक्ट में नैतिकता का शपथ ग्रहण करने हेतु एक अभियान भी चलाया और इस अभियान में समग्र रूप से बैंक ने 97% की उपलब्धि हासिल की ।

सभी कर्मचारियों के लिए नैतिकता से संबन्धित वेबिनार, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनिवार्य ई-लर्निंग पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारियों के लिए नैतिकता संहिता लागू हो और हमारे बैंक में नैतिकता एवं

पारदर्शिता की संस्कृति सुदृढ़ हो ।

एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति जो कर्मचारियों को नैतिक रूप से व्यवहार करने और अनैतिक व्यवहारों के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है, विकसित कर हम आशा करते हैं कि हमारा संगठन एक ऐसा सशक्त माहौल प्रदान करने, सोशल एंड गवर्नेंस (ईएसजी) अपनाने में सक्षम होगा जिसमें अपने सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जा सकेगा ।

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार उद्योग बेंचमार्क निर्धारित करने और उत्पाद, प्रक्रिया तथा सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी नवोन्मेषी प्रयासों में अग्रणी रहता है जो अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। सभी चैनलों पर ग्राहकों से संवाद की लगातार निगरानी की जाती है और घर बैठे बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए चैनल की क्षमताओं (सुविधाओं और उपयोगकर्ता अनुभव) को संवर्द्धित किया गया है । बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहकों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सुविधाओं को डिजिटल चैनलों और संपर्क केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए । 24*7 कार्यरत संपर्क केंद्र में ग्राहकों से उनकी पसंदीदा भाषाओं में जुड़ने की सुविधा उपलब्ध है । हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, भाषा की उपलब्धता को बढ़ाकर नौ क्षेत्रीय भाषाओं में कर दिया गया है ।

संपर्क केंद्र की विशेषताएं :

1. संपर्क केंद्र में वर्ष के दौरान प्रति दिन 1.5 लाख से अधिक औसत इनबाउंड ग्राहक कॉल प्राप्त हुए और आईवीआर के माध्यम से प्रतिदिन 1.00 लाख से अधिक कॉल का जवाब दिया गया।
2. बिक्री और सर्वेक्षण के लिए प्रति दिन औसतन 1.00 लाख से अधिक आउटबाउंड कॉल ।
3. संपर्क केंद्र ने 6 विदेशी क्षेत्रों अर्थात् बोत्सवाना, मॉरीशस, युगांडा, ओमान, फिजी और सेशेल्स को आपातकालीन सेवाएं प्रदान कीं।
4. संपर्क केंद्र द्वारा 24*7 एफआरएमएस अलर्ट।
5. विशेष रूप से बॉब वर्ल्ड इंटरनेट और बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों के लिए संपर्क केंद्र पर L2 हेल्पडेस्क उपलब्ध हैं ।
6. संपर्क केंद्र, एजेंटों के माध्यम से 24*7 आधार पर 15 आईवीआर सेवाएं और 16 अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।
7. बैंकिंग उद्योग में ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो कॉल और लाइव वेब चैट की सुविधा शुरू करने वाला पहला संपर्क केंद्र है ।
8. अब संपर्क केंद्र में एआई-आधारित कई तकनीक जैसे स्पीच एनालिटिक्स, सोशल मीडिया टूल्स, स्वचालित ई-मेल टूल, जीनी प्रशिक्षण टूल, ऑरा कॉल क्वालिटी टूल, पॉवर बीआई स्मार्ट डैशबोर्ड और कई अन्य तकनीक उपलब्ध हैं ।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, बैंक ने शिकायतों को प्रबंधित करने के लिए दूरस्थ चैनलों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है । लगभग 93% शिकायतों का निपटान पूर्व-निर्धारित टर्न अराउंड टाइम के भीतर किया गया । बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक कार्यनिष्पादन संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निवारण की गुणवत्ता में भी सुधार किया है । शाखाओं के नेटवर्क में सेवा स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग/ सेवा लेखापरीक्षा और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के लिए महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं को प्रधान नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । इसके अलावा, सभी अंचल प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों एवं क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क नंबर बैंक की सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं । बैंक ने ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु एक आंतरिक लोकपाल फोरम उपलब्ध कराया है, जहां वे भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल तक जाने से पहले संपर्क कर सकते हैं । ऐसी सभी शिकायतें जो बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल के पास व्यवस्थित रूप से भेज दिया जाता है । इससे बैंक के सिस्टम के प्रति ग्राहकों का विश्वास और सुदृढ़ होता है तथा शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी आती है जिससे यह और भी अधिक पारदर्शी हो जाता है ।

विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राहकों और एमएसएमई के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण पॉलिसी और भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है । निदेशक मंडल स्तर पर, ग्राहक सेवा बोर्ड की उप समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और इसके अनुपालन के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देती है ।

बैंक का चैटबॉट "ADI" पहले से ही वेबसाइट पर काम कर रहा है। ADI ग्राहकों को वेबसाइट के विभिन्न पृष्ठों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है और ग्राहकों को एक संवादात्मक अनुभव प्रदान करता है । हमारे ग्राहकों के प्रश्नों का त्वरित जवाब देना, चैट करने की सुविधा, 24x7 उपलब्धता, डिजिटल सहायता और एक निर्बाध चैटिंग अनुभव आदि "ADI" की कुछ विशेषताएं हैं । बैंक ने आउटबाउंड सेल्स कॉल हेतु ट्रू कॉलर सर्विसेज के साथ भी करार किया है । इसका मतलब है कि जब भी कोई कॉल बैंक के प्राधिकृत फोन नंबर से किया जाता है तो बैंक का लोगो और एक "ब्लू टिक" ग्राहकों को उनके फोन स्क्रीन पर दिखाई देगा, इस प्रकार ग्राहकों को आश्वासन दिया जाता है कि यह कॉल वास्तविक है। इससे ग्राहकों को धोखाधड़ी का शिकार होने से भी बचाया जा सकेगा।

बैंक ने अपना टोल फ्री नंबर भी बदल दिया है। अब यह पहले की 11 अंकों की संख्या के बजाय 8 अंकों की है । यह तब किया गया जब यह पता चला कि जालसाज बैंक के टोल-फ्री नंबर के समान नंबर प्राप्त करते हैं और बैंक अधिकारी होने का ढोंग करके ग्राहकों को ठगने की कोशिश करते हैं। यह हमारे ग्राहकों को विशिंग से बचाने के लिए किया गया है ।

ग्राहक शिकायत पर कार्रवाई

ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर जाकर और उपयुक्त लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से सीधे बैंक में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं । वैकल्पिक रूप से, ग्राहक टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और बैंक के सीआरएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं । ग्राहकों के लिए शाखाओं और अन्य कार्यालयों में किसी भी माध्यम से अपनी शिकायतें भेजने का विकल्प भी उपलब्ध है । सभी शिकायतें सीआरएम पोर्टल में दर्ज की जाती हैं । शिकायतें, शिकायत दर्ज करते समय चुनी गई शिकायत की श्रेणी के आधार पर स्वचालित रूप से संबंधित निस्तारणकर्ता को भेज दी जाती हैं ।

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों में उनकी शिकायतों के निस्तारण के संबंध में विश्वास जगाने के लिए बैंक में एक आंतरिक लोकपाल तंत्र भी उपलब्ध है ।

ऑनलाइन लेन-देन संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन विवाद निवारण (ओडीआर) तंत्र भी लागू किया है । साथ ही, संपर्क केंद्र में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर) के माध्यम से बड़ौदा कनेक्ट ब्लॉकिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

बैंक ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा रहे निस्तारण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 100% गैर-एडीसी शिकायतों और 5-10% एडीसी शिकायतों की गुणवत्ता की जांच करता है । गुणवत्ता जांच के परिणाम संबंधित निस्तारणकर्ता समूह के साथ साझा किए जाते हैं । गुणवत्ता जाँच की प्रक्रिया को और अधिक कुशल तथा कम श्रमसाध्य बनाने के लिए बैंक ने आईआईटी- बॉम्बे के सहयोग से एक AI टूल विकसित किया है जो निवारण की गुणवत्ता का आकलन करेगा, इस प्रकार अपेक्षित समय और मानव बल में भी कमी आएगी ।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2023 को बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	
घरेलू शाखाएं	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा
मेट्रो	1,766	21.62	1,787	21.79
शहरी	1,475	18.06	1,471	17.94
अर्द्ध-शहरी	2,083	25.50	2,075	25.31
ग्रामीण	2,844	34.82	2,867	34.96
कुल	8,168	100.00	8,200	100.00
विदेशी शाखाएं / कार्यालय (विदेशी अनुषंगियों की शाखाओं सहित)	94		93	

वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक ने 73 नई घरेलू शाखाएं खोली और 41 शाखाओं को मौजूदा शाखाओं के साथ विलय किया गया ।

करेंसी चेस्ट

दिनांक 31 मार्च, 2023 को करेंसी चेस्ट की संख्या 137 थी । ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नकदी को तिजोरी में रखने में सहयोग प्रदान करते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी करेंसी चेस्टों के साथ-साथ शाखाओं को भी नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) उपलब्ध करवाई गई है ।

जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

जोखिम पर अधिक ध्यान केंद्रित और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का समर्थन के तहत जोखिम की पहचान करने, इसकी निगरानी करने एवं जोखिम से निपटने और उसका प्रबंध करने हेतु बैंक के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है । प्राय: जिसका उल्लेख "सुरक्षा की तीन पंक्तियों" के रूप में किया जाता है, इन तीनों पंक्तियों में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये निम्नानुसार हैं :

i. बचाव की प्रथम पंक्ति - इसमें बैंक के व्यवसाय वर्टिकल और परिचालन इकाइयों का समावेश है क्योंकि उन्हें जोखिम का प्रभावी प्रबंधन एवं विनियमों, बैंक की पॉलिसियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है ।

ii. बचाव की दूसरी पंक्ति - इसमें जोखिम नियंत्रण के स्वामियों, जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं अनुपालन कार्यों का समावेश है । यह बचाव की प्रथम पंक्ति से स्वतंत्र रूप से इंटरप्राइज़ आधार पर जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है ।

iii. बचाव की तीसरी पंक्ति - यह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक जोखिम आधारित और अन्य लेखापरीक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया स्वतंत्र आश्वासन है । इसकी समीक्षा निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि जोखिम गवर्नेन्स फ्रेमवर्क सहित समग्र गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रभावी है और पॉलिसियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया जाता है । लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका सुनिर्धारित है और उनका निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अवलोकन किया जाता है ।

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और रिटर्न के बीच एक उचित संबंध स्थापित करना है । सतत एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा माने गए जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके । बैंक परिभाषित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप अंदर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है । विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है । निदेशक मंडल ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है । इसमें निदेशक मंडल की विशेषज्ञ जोखिम सलाहकारों की सहायता ली जाती है । निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय - समय पर अनुमोदित पॉलिसी प्रत्येक प्रकार के जोखिम के गवर्निंग फ्रेमवर्क के अनुरूप होती हैं ।

बासेल III फ्रेमवर्क

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन बेसल स्तंभों, यानी स्तंभ I- पूंजी पर्याप्तता, स्तंभ II-पर्यवेक्षी समीक्षा और स्तंभ III-बाजार अनुशासन पर मजबूती से टिका हुआ है । बैंक सुदृढ़ पूंजी स्तर के बने रहने से मजबूत हुआ है । बैंक ने अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफर सहित सामान्य इक्विटी टियर I, अतिरिक्त टियर I और टियर II पूंजी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा है । फ्यूचरिस्टिक कैपिटल प्रोजेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए हमेशा तैयार है । ऋण जोखिम और पूंजी पर्याप्तता टीम द्वारा जोखिम भारित आस्तियों की स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है । पर्याप्त पूंजी और औचित्यपूर्ण जोखिम भारित आस्तियां बैंक के लिए जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु मजबूत पूंजी सुनिश्चित करती हैं ।

बैंक के पास व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है । पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार

पिलर 2 जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम आदि और दबाव वाली स्थितियों (सामान्य और प्रतिकूल दोनों स्थितियों के तहत) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए निर्धारित प्रणाली की एक संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है ।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है । सभी जोखिम अति महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क द्वारा स्वीकृत हैं और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैं । बैंक सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न स्थानीय कार्यशालाओं का आयोजन करके एक मजबूत जोखिम जागरूकता संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रहा है ।

जलवायु जोखिम

बैंक यह मानता है कि हमारे व्यवसाय की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए पर्यावरण संवहनीयता महत्त्वपूर्ण है और तदनुसार, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट में कमी, जैव विविधता, जल संरक्षण, हरित अवसंरचना, स्थायी कृषि आदि के विशिष्ट डोमेन में कार्य करना शुरू कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में संवहनीयता को प्राथमिकता देकर हम संवहनीय विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि उभरते हुए खतरों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए और हितधारकों-ग्राहकों और विक्रेताओं, दोनों को दीर्घकालिक पर्यावरण संवहनीयता हासिल करने की बेहतर प्रक्रियाओं पर समान रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

संवहनीय वित्त पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, निवेश के बदलते स्वरूप ने वित्तीय बाजारों के विन्यास और दायरे को बदलना शुरू कर दिया है जो इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम मानते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थिति में एकाधिक-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बैंक संवहनीय वित्त कार्यनीति संबंधी प्रणालियों और वितरण पर जोर देने के साथ-साथ डीकार्बोनाइजेशन, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव और बेहतर गवर्नेंस की दिशा में वित्त और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। बैंक जलवायु जोखिम से संबंधित चुनौतियों को कम करने, उनका सामना करने और अनुकूलन के लिए उत्पादों और प्रणालियों हेतु एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।

बैंक ने जलवायु जोखिम और संवहनीयता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गवर्नेन्स संरचना, जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों का सामना करने की कार्यनीति और जोखिम प्रबंधन की संरचना शामिल है ताकि सूक्ष्म-विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से उनका प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरुप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करते हैं। बैंक के पास क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिम की पहचान, मापन निगरानी और नियंत्रण हेतु मजबूत ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है।

बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडलों एवं स्कोरकार्डों का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मॉडल आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं। उनकी समीक्षा बाहरी सत्यापन के साथ व्यापक सत्यापन के माध्यम से की जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। तीन एमएसएमई स्कोर कार्ड मॉडेल को शामिल करते हुए, दक्षतापूर्ण और मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए बैंक ने हाल ही में अपनी आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को अपग्रेड किया है। आंतरिक रेटिंग को स्वतंत्र रेटिंग मानक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

स्थिर पोर्टफोलियो का निर्माण और पोर्टफोलियो संकेन्द्रण से जोखिम को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं। बैंक ने विभिन्न देशों, राज्य सरकारों, समूह उधारकर्ताओं आदि के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन-हाउस मॉडल विकसित किए हैं और जोखिम की सीमा तय की है। बेहतर जोखिम निगरानी के एक भाग के रूप में बैंक के प्रमुख एक्सपोजर, सेगमेंट, उद्योगों और सेक्टरों के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। एक समर्पित टीम पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक और बाहरी कारकों को ट्रैक करती है और सक्रिय उपचारात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश करती है। बैंक व्यापक विषयगत समीक्षा भी करता है जिसमें सेक्टर आउटलुक और अन्य घटना-विशिष्ट प्रभाव का अध्ययन शामिल हैं।

मजबुत ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम का अर्थ बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है। विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज आदि की दरें, विनिमय दरें, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन शामिल हैं। बैंक ने अपने ट्रेजरी-कार्यो को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं जो बाज़ार जोखिम स्थितियों को संभालती है।

जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम का दैनिक आधार पर नेट ओवरनाईट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, कुल गैप सीमाएं (एजीएल), इंडिविजुअल गैप लिमिट (आईजीएल) के संदर्भ में आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है। इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि-सीमा और डीलर-वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। मिड ऑफिस दैनिक आधार वीएआर नंबरों की बैक टेस्टिंग भी करता है। अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही-पोर्टफोलियो और ट्रेजरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न का व्यापक दबाव विश्लेषण करता है। बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना मिड ऑफिस द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने की अक्षमता है। बैंक में प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण माध्यमों से तरलता जोखिम निर्धारण किया जाता है एवं इसकी निगरानी की जाती है। बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क, तरलता कवरेज अनुपात, तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है। एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण गंभीर तरलता दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके। बैंक हमेशा एकल के साथ-साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर के निर्धारित स्तर से ऊपर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर निधियाँ अनुपात) भी लागू किया है जो लंबी अवधि में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/ आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर संचलन का अल्पकालिक प्रभाव "जोखिम पर अर्जन" दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑप्शन्स जोखिम में समानांतर रूप से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। ब्याज दर संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव को इक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है।

परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) है। ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है। ओआरएमएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं।

बैंक के पास डाटा कैप्चर करने एवं परिचालनगत जोखिम के एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम है। बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के हमारे प्रयासों के तहत परिचालनगत जोखिम अनुपालन एवं गवर्नेंस को लागू करने के लिए हमारे बैंक ने वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को स्थापित किया है।

मुख्य जोखिम संकेतक प्रोग्राम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएसए) की निगरानी और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया है। बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक क्षति डेटा का भंडार बनाया है। बदलते व्यवसायी माहौल में उत्पादों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा जोखिम संस्कृति को और मजबूत बनाती है।

कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति, मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान, दृष्टिकोण और जोखिम के बारे में समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए ईमेल, वर्कशॉप, वेबिनार, मीटिंग, फ़्लायर, मैगज़ीन, ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि के माध्यम से कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं।

व्यवसाय निरंतरता योजना

व्यवधानों के दौरान शाखाओं और कार्यालयों में परिचालन की निरंतरता और ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के पास एक विस्तृत और प्रभावी व्यवसाय निरंतरता की योजना (बीसीपी) है। यह ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। बैंक व्यवसाय निरंतरता तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम करता है। बैंक ISO 22301:2019 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी अग्रसर है।

बैंक के पास आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट है। डेटा सेंटर में किसी भी प्रकार की बाधा की स्थिति में बैंक की डिजास्टर रिकवरी साइट सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है।

अनुपालन

अनुपालन कार्यकलाप बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है। बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है। अनुपालन विभाग बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों में निहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है। यह बैंक की आंतरिक नीतियों और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है। बैंक के पास सुव्यवस्थित अनुपालन नीति है जो बैंक के अनुपालन के दर्शन, भूमिका और अनुपालन विभाग के गठन, उसके स्टाफ की संरचना और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

अनुपालन प्रणाली बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को लागू कानूनों, नियमों और वैश्विक मानकों पर सलाह देती है और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से उनको अवगत कराती है। यह बैंक के व्यवसाय से जुड़े स्टाफ और नामित अनुपालन अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के द्वारा अनुपालन के मामलों पर उन्हें शिक्षित करती है। इस उद्देश्य के लिए बैंक की वेबसाइट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल को भी अपलोड किया गया है। बैंक ने अनुपालन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में प्रत्येक स्तर पर प्रमाणीकरण और विभिन्न नियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबंधन समाधान को कार्यान्वित किया है। बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण कोड में परिभाषित "इनसाइडर" से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को स्वचालित किया है।

अन्य गतिविधियों के तहत क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों (आरसीओ) के माध्यम से केवाईसी-एएमएल से संबंधित 93 से अधिक मानदंडों एवं अनुपालन

के अन्य मानदंडों पर ऑन-साइट अनुपालन जांच संबंधी घरेलू अनुपालन कार्य पूरा किया गया। तिमाही आधार पर लगभग 25% शाखाओं का रैंडम रूप से चयन किया जाता है। बैंक छमाही आधार पर विभिन्न कार्यों की ऑन-साइट अनुपालन लेखा परीक्षा भी करता है। केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों और अनुपालन के अन्य मानदंडों से संबंधित लगभग 52 मानदंडों पर वेब आधारित टूल-ऑफ़साइट कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीआरएमएस) के माध्यम से मासिक आधार पर ऑफ़साइट अनुपालन जांच कार्य पूरा किया गया।

एक वार्षिक समूह व्यापी अनुपालन योजना तैयार की जाती है और योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाती है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के ट्रेंच-III डेटा टेम्प्लेट, ऑनसाइट/ऑफसाइट/वर्टिकल टेस्ट चेक रिपोर्ट आदि से मापदंडों को सोर्स करके सालाना आधार पर बैंक का अनुपालन जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) भी करता है और सीआरए स्कोर प्राप्त करता है। गैर-अनुपालित विनियामक मापदंडों के समय पर अनुपालन के लिए जोखिम उन्मुख गतिविधि योजना तैयार करने के लिए बैंक सीआरए मैट्रिक्स का भी उपयोग करता है।

बैंक ने सिस्टम और प्रक्रियाओं में गैप को चिन्हित करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए डेटा डंप विश्लेषण के लिए डेटा एनालिटिक्स सेल (DAC) के निर्माण जैसी कई नई पहल की हैं। उत्पाद विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नया/ मौजूदा उत्पाद उम्मीद के मुताबिक कार्य कर रहा है और सभी नियामक दिशानिर्देशों को पूरा कर रहा है। इसी तरह, परिपत्र की वेटिंग यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वर्टिकल द्वारा जारी दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक/सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विनियामक और/या वैधानिक दिशा-निर्देशों की पहचान की गई है, जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिशा-निर्देशों में कोई भी उल्लंघन नियामक के प्रतिकूल अवलोकन को आमंत्रित कर सकता है। इन दिशानिर्देशों को प्रमुख अनुपालन संकेतक (केसीआई) कहा जाता है और उल्लंघन/ विचलन के मामले में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है। ये गतिविधियां बैंक की अनुपालन स्थिति को और मजबूत करने में बैंक की मदद करेंगी।

बैंक ने वास्तविक समय के आधार पर फील्ड अधिकारियों से दंड, अप्रसन्नता पत्र, चेतावनी पत्र आदि पर डेटा एकत्र करने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया है। यह बैंक को केंद्रीय रूप से डेटा की निगरानी करने और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में, बैंक ने अनुपालन के क्षेत्र में नवीनतम विषयों पर विभिन्न बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सभी अनुपालन अधिकारियों और नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देने हेतु बैंक स्टाफ सदस्यों को भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ), एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशिलिस्ट (एसीएएमएस) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पेशेवर पाठ्यक्रम करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान लघु खाते के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन और ब्याज दरों की शैड्यूल के अनुरूप कुछ सावधि जमा खातों में ब्याज दरों का भुगतान करने में विफलता के अलावा, अनुपालन विफलता से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण घटना दर्ज नहीं की गई।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है। इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है। बैंक इलेक्ट्रानिक रुप से नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है।

बैंक ने केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व निर्धारित अलर्ट मानदंडों के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है। ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (धन शोधन निवारण जोखिम वर्गीकरण) किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप धन शोधन जोखिम वर्गीकरण करने के पश्चात सभी पात्र ग्राहकों का अर्धवार्षिक आधार पर पुनः केवाईसी किया जाता है। इस उद्देश्य से, बैंक ने ऐसे ग्राहकों की पहचान एवं उनके लिए सूचना जनरेट करने/एसएमएस/ ई-मेल भेजने तथा उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है।

बैंक ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर नए ऑन-बोर्डेड वैयक्तिक ग्राहकों की केवायसी जानकारी के पंजीकरण के लिए सेंट्रल केवायसी (सीकेवायसी) प्रक्रिया को क्रियान्वित किया है। 31 मार्च, 2023 तक 649.15 लाख ग्राहकों को सीकेवायसी नंबर आवंटित किया गया।

बैंक ने नए कर निवासी भारतीय वैयक्तिक ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग हेतु ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू किया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक के नेतृत्व में बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा कार्यों की देख रेख करता है। बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक स्वतंत्र गतिविधि है और बैंक के भीतर यह पर्याप्त रूप से सक्षम होने के साथ-साथ इसे वांछित प्राधिकार प्राप्त हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य अन्य एश्योरेंस फंक्शन अर्थात जोखिम प्रबंधन विभाग और अनुपालन विभाग के साथ निकट समन्वय में काम करता है।

बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवधिकता के अनुसार 18 अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है। सभी शाखाएं, केंद्रीकृत इकाइयां, प्रशासनिक कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023 हेतु सभी 8,199 शाखाओं और एसआईटीबी (स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा) की जोखिम का स्वरुप निम्नानुसार है -

- कम जोखिम शाखाएं - 7003 शाखाएं (85.41%)
- मध्यम जोखिम शाखाएं - 937 शाखाएं (11.42%)
- उच्च जोखिम शाखाएं - 187 शाखाएं (2.28%)
- -72- शाखाओं की कोई रेटिंग नहीं हुई (नई शाखाएं)
- स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा कम जोखिम के अंतर्गत थीं।

समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कुल -1285- बैंक शाखाएं और अन्य इकाइयां शामिल हैं, जिनमें 52.26% जमा, 78.05% अग्रिम और 62.92% समग्र व्यवसाय कवरेज शामिल हैं। सभी श्रेणी बी शाखाएं, करेंसी चेस्ट और केंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

₹10.00 करोड़ और उससे अधिक (FB + NFB) के कुल जोखिम वाले खुदरा ऋण और पुनर्गठित खातों सहित सभी नई स्वीकृतियों/ मौजूदा खातों का क्रेडिट ऑडिट किया जाता है और 5% उधारकर्ता खातों को नए खातों से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और कुल राशि में वृद्धि के साथ ₹1.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹10.00 करोड़ से कम के संबंध में एक्सपोजर (एफबी + एनएफबी) समीक्षा की जाती है।

शाखाओं के भारतीय रिज़र्व बैंक लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में आईटी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए बैंक की सभी शाखाएं सूचना प्रणाली ऑडिट ("आईएस ऑडिट") के अधीन हैं। डेटा सेंटर और आईटी एप्लिकेशन का आईएस ऑडिट भी समय-समय पर सीआईएसए / डीआईएसए योग्य आईएस ऑडिटर्स और बाहरी सीईआरटी फर्मों की एक टीम द्वारा किया जाता है।

कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समवर्ती लेखापरीक्षा का संशोधित ढांचा लागू किया गया है और मौजूदा मासिक रिपोर्टिंग के अलावा दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट पेश की गई है।
- ऑडिट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट, अनुपालन और डैशबोर्ड की ट्रैकिंग के लिए लागू किया गया है।
- -66-पैरामीटर के तहत पूर्व-निर्धारित तर्क के आधार पर सिस्टम डेटा के अनुसार अपवादों की निरंतर निगरानी के लिए केंद्रीकृत असाधारण निगरानी इकाई की स्थापना की गई है।
- विभिन्न परिदृश्यों के अनुसार ऑफसाइट निगरानी और डेटा विश्लेषण के लिए डेटा एनालिटिक्स टीम की स्थापना की गई है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा को और मजबूत करने, अनुपालन संस्कृति में सुधार करने और लगातार अनियमितताओं और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के दोहराव में कमी लाने और अंततः निरंतर अनुपालन प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान -21- बिंदु का रोडमैप लागू किया गया है। ऑडिट के दौरान तत्काल सुधार पर विशेष जोर दिया जाता है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल -371- शाखाओं ने स्पॉट सीआरसी जमा किया।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क की बाहरी समीक्षा बाहरी फर्म द्वारा की गई है और उनके आकलन के अनुसार बैंक में आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क मजबूत है और समकक्ष बैंकों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

ऋण निगरानी

बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी आवश्यक है। ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य आस्ति गुणवत्ता को बनाएँ रखना, मंजूरी की शर्तों का अनुपालन और निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इसे यह भी सुनिश्चित करना है कि ऋण आस्तियां मानक श्रेणी में बनी रहें, पहचान किए गए दबावग्रस्त खातों / निगरानी सूची खातों को अपग्रेड करने के प्रयास किए जाएं और खातों को मानक से अनर्जक श्रेणी में जाने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। विभाग संभावित स्लिपेज को प्रभावी ढंग से रोकने के साथ-साथ अच्छी आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कमियों/संभावित चूक/कमी के संकेतों वाले दबावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के लिए विभिन्न टूल्स और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है।

दक्षतापूर्ण निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया हेतु टूल्स:-

पूर्व चेतावनी संकेत: अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडब्लूएस समाधान लागू किया गया है। हमारा ईडब्लूएस पूरी तरह से स्वचालित समाधान है जिसमें अच्छी तरह परिभाषित वर्क फ्लो है। अलर्ट, आंतरिक (सीबीएस और रेटिंग डेटा) और बाह्य डेटा (एमसीए, सीआईसी आदि) दोनों के आधार पर जनरेट होते हैं। जनरेट हुए अलर्ट, बैंक को आरंभिक कमियों की पहचान करने और उचित समय पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने में मदद करते हैं। यह समाधान बैंक को खातों में आरएफए/ धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है। यह समाधान शाखाओं को उपयुक्त समाधान/कार्रवाई सहित खातों की सघन निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग: एसएमए श्रेणी में खातों की पहचान, सुधारात्मक पहलों जैसे मानकीकरण, पुनर्रसंरचना आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सक्रिय करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, ₹5 करोड़ और उससे अधिक के क्रेडिट एक्सपोजर वाले दबावग्रस्त खातों की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाती है।

विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड: बैंक ने केंद्रित निगरानी हेतु दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड (जैसे एसएमए डैशबोर्ड, फ्यूचर डिमांड डैशबोर्ड, कलेक्शन इफिशिएंसी डैशबोर्ड, टेक्निकल स्ट्रेस डैशबोर्ड) विकसित किए हैं।

आस्ति वर्गीकरण का प्रणाली आधारित आकलन (एसएएससीएल): एक भविष्य सूचक प्रोग्राम, वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर स्टॉक / कर्ज बही विवरणी/ लंबित समीक्षा, कैश क्रेडिट खातों में अपर्याप्त/कोई जमा नहीं, एलएबीओडी/ ओडीबीओडी खातों में अपर्याप्त मार्जिन जैसी तकनीकी अनियमितताओं को दर्शाने वाले खातों के आधार पर दो महीने से अधिक की अवधि के अतिदेय को दर्शाने वाले संभावित स्लिपेज की पहचान कर रहा है। यह ऐसे खातों को डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए केंद्रीकृत रूप से समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्रिय करता है। मानक आस्तियों की स्लिपेज को कम करने के लिए इन खातों की निगरानी विशेष रूप से विभिन्न परिचालन इकाइयों द्वारा की जाती है।

ऋण लेखापरीक्षा: ऋण लेखापरीक्षा (सीपीए), मंजूरी की शर्तों/अनुबंधों के संवितरण पूर्व और पश्चात की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, जिसमें इस आशय से लेखापरीक्षा की जाती है कि क्या संवितरण अधिकारी ने मंजूरी की शर्तों के अनुसार बैंक की निधियां प्रदान करने से पूर्व, उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रतिभूतियों का सृजन/ पूर्णता हेतु सभी आवश्यक उपाय किए हैं। यह नियमित लेखापरीक्षा/निरीक्षण, जो आमतौर पर एक समय के अंतराल पर होता है, की प्रतीक्षा किए बिना, जहां भी आवश्यक हो, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। वास्तविक समय के आधार पर इसकी निगरानी के लिए सीपीए को कोर सिस्टम फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

स्टॉक लेखापरीक्षा: हम पात्र खातों में स्टॉक और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, समय पर किया जाना सुनिश्चित करते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हो,

सक्रिय / निवारक कदम उठाते हैं। स्टॉक लेखापरीक्षा उन मानक ऋण खातों के लिए लागू है जिनमें ₹1 करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी का एक्सपोजर होता है। यह ₹5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले खातों के लिए वार्षिक आधार पर करनी होती है, जबकि ₹5 करोड़ और उससे अधिक के खातों के लिए, यह अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। अंतर्निहित कमियों जैसे आउट ऑफ ऑर्डर की स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी लागू करना, अतिदेय की समीक्षा आदि जो बैंक की आस्ति गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, का संकेत देनेवाली आस्तियों पर विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

एनपीए की दैनिक मार्किंग: अनर्जक आस्तियों की पहचान और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बेहतर पारदर्शिता बरतने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की दैनिक रूप से मार्किंग आरंभ की है।

निगरानी हेतु अन्य टूल :

- बैंक ने लेनदेन की निगरानी, निरीक्षण आदि के सत्यापन के लिए ₹250 करोड़ और उससे अधिक के खातों में विशेष निगरानी के लिए एजेंसी फॉर स्पेशल मॉनिटरिंग (एएसएम) की नियुक्ति की है।
- बैंक ने स्टॉक और बही ऋण विवरणी की प्रस्तुति को भी डिजिटल कर दिया है, जो वास्तविक समय आधारित और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है।
- व्यवसाय की मजबूती का विश्लेषण करने के लिए बैंक ने सशक्त निगरानी के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग में कई टूल जैसे समय-समय पर उधारकर्ता के खातों पर नज़र रखने और निगरानी आदि के लिए जीएसटी, आईटीआर और स्टेटमेंट एनालाइजर आदि की शुरुआत की है।
- पूर्व-निर्धारित अवधि में डिजिटल निगरानी रिपोर्ट का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और ₹1 करोड़ और उससे अधिक के बड़े खातों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है और यह प्रबंधन के कार्यों का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा पारदर्शी व्यवसायिक लेन-देनों, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। बैंक के पास एक बहुत मजबूत और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन है जिसके प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सभी सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं। सहभागी / सक्रिय और निवारक सतर्कता बैंक के सतर्कता प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं।

बैंक में सतर्कता तंत्र, सतर्कता कार्यों के बारे में सभी स्तरों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है, विभिन्न अनुशासनात्मक अधिकारियों और नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को धोखाधड़ी, शिकायतों और शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच में त्वरित और सही कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

अंचल स्तर पर सतर्कता विभाग नियमित अंतराल पर सभी शाखाओं में निवारक लेखा परीक्षा की कार्रवाई करता है और प्राप्त सूचना पर पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए क्षति को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है।

बैंक में सतर्कता कार्यों के अंतर्गत तीन खंड होते हैं:

1. **निवारक सतर्कता:** भ्रष्ट और अन्य कदाचारों का पता लगाने और दंड की तुलना में क्षति को रोकने में निवारक उपायों का अधिक महत्व है। निवारक उपाय जैसे व्यवसाय के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान और उन पर पदस्थ कर्मचारियों की जांच, आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शाखा विशिष्ट अतिसंवेदनशील विषयों पर चर्चा करने के लिए शाखा स्तर पर मासिक बैठकें, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता मामलों की संख्या को कम करने के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच और विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों द्वारा नियमित रूप से निवारक सतर्कता परिपत्र जारी और परिचालित करना।
2. **खोजी सतर्कता:** खोजी सतर्कता में संवेदनशील क्षेत्र का नियमित और औचक निरीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्ट या अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्वरित जांच करना और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करना, अपने स्रोत से गलत आचरण/कदाचार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, उचित प्रक्रिया के बाद समुचित कार्रवाई के माध्यम से तार्किक निष्कर्ष के लिए उसकी जांच करना शामिल हैं।
3. **दंडात्मक सतर्कता**: यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी स्तरों पर नियमों और प्रावधानों के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन में शामिल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लिए गए वास्तविक निर्णयों का मूल्यांकन निष्पक्ष और आवश्यक विवेक के साथ किया जाता है।

   बैंक में सतर्कता कार्य, निवारक सतर्कता प्रशासन के माध्यम से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा धोखाधड़ी के निवारण के लिए नीतियों को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सक्रिय संप्रेषण के कारण अनुशासनात्मक मामलों के टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है जिसने त्वरित निवारण के साथ कर्मचारियों को प्रेरित करने में मदद की है।

विधिक सेवाएं

बैंक में एक सक्रिय विधि विभाग है जिसमें योग्य और अनुभवी विधि अधिकारी हैं। विधि विभाग की मुख्य भूमिका बैंक के कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भित या उनसे संबंधित विभिन्न मामलों में राय, दस्तावेज़ीकरण, मुकदमा आदि के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करना है। यह विभाग विधिक पहलुओं से संबंधित मामलों पर बैंक के विभिन्न अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, घरेलू और विदेशी शाखाओं और अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संदर्भों के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूल रिटेल और एसएमई सुविधाओं के लिए दस्तावेजों का एक सेट तैयार किया गया है, जो बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा। ऋण दस्तावेज नियमावली पर दोबारा गौर किया गया है और दस्तावेज़ों को सरल बनाया गया है।

इसके अलावा, मौजूदा एडवोकेट पोर्टल के दूसरे चरण में अधिवक्ताओं को सौंपे गए कार्य एवं कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया है। विधि अधिकारियों द्वारा ऋण और बंधक संबंधी दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा हाल ही में पायलट आधार पर एक ऑनलाइन वेटिंग पोर्टल शुरू किया है जो वास्तविक समय में ऋण दस्तावेजों के सत्यापन और निधियों के संवितरण से पूर्व विसंगतियों, यदि कोई हो, में सुधार और त्रुटिहीन रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करेगा और संबंधित रिकॉर्ड को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले न्यायालयों द्वारा कानूनों के निरंतर बदलते स्वरूप, नवीनतम संशोधन और कानूनों की व्याख्या के बारे में विभाग 'परिपत्र', 'विधिक समाचार फ्लैश' आदि जारी करके ज्ञान साझा करने के वातावरण को बढ़ावा दे रहा है। एपेक्स अकादमी और एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म के सहयोग से, विधिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि उन्हें विशिष्ट कानूनी क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके और साथ ही उन्हें निरंतर बदलते अधिनियमों, नियमों और विनियमों से परिचित कराया जा सके। हाल ही में, हमने "बैंकिंग-कानूनी और व्यावसायिक चुनौतियों में डिजिटल यात्रा" विषय पर 'संगोष्ठी' का भी आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य बदलते कानूनों और उनका वर्तमान बाजार के फ्रेमवर्क में उपयोग के संबंध में बैंकिंग और विधिक विशेषज्ञों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा हम राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत विविध उपभोक्ता मंचों तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा आयोजित 'ग्राहक मध्यस्ता समाधान' के अंतर्गत लंबित 211 उपभोक्ता मामलों को निपटाने में सफल रहे । हम क्षेत्रीय / अंचल कार्यालय स्तर पर विधिक टीम को संवेदनशील बनाकर अधिक संख्या में उपभोक्ता मामलों को निपटाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

मानव संसाधन

बैंक का मानना है कि हमारा मानव संसाधन बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सबसे बड़ा विभेदक हैं। बैंक के पास 77,000 से अधिक कर्मचारियों का प्रतिभाशाली कार्यबल है। बैंक के एचआर ने विभिन्न गतिविधियों जैसे क्षमता का उपयोग करने और विभिन्न कार्यक्षेत्रों और नए व्यावसायिक मार्गों में उच्च व्यवसाय/ राजस्व अर्जित करने और बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति की भरपाई करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिभा की भर्ती; प्रोजेक्ट स्पर्शप्लस के माध्यम से कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना, नेतृत्व विकास कार्यक्रमों, कोचिंग कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से पूरे बैंक में प्रशिक्षण आवश्यकताओं/ नेतृत्व विकास आवश्यकताओं को पूरा करना; उत्तराधिकार योजना और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण इत्यादि पहल के माध्यम से अपने मानव संसाधनों की भर्ती, सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप वर्षों से कर्मचारियों के जुड़ाव और उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हुई है।

जब नए विचारों और तरीकों को लागू करने की बात आती है तो बैंक ने हमेशा अपना मानक ऊंचा रखने का इतिहास रखा है। प्राथमिक व्यवसाय सूत्रधार 'कर्मचारी' हैं, जो सभी गतिविधियों के केंद्र में हैं। बैंक ने अपनी संगठनात्मक परिवर्तन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में कई रचनात्मक कर्मचारी-केंद्रित पहलें शुरू की हैं, जो कर्मचारियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर केंद्रित हैं। बैंक ने महत्वपूर्ण प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भी पहल की है।

बैंकिंग जगत में अपनी मानव संसाधन संबंधी नीतियों और व्यवहारों के लिए बैंक की विशिष्ट पहचान है। विगत कुछ वर्षों के दौरान बैंक अपनी मानव संसाधन संबंधी पहलों, सुधारों और उत्कृष्टता के कारण कई पुरस्कार प्राप्त कर सुर्खियों में रहा है। चालू वर्ष के दौरान बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह दुनिया भर के संगठनों में कार्यस्थल संस्कृति के मूल्यांकन, समर्थन और उसे सम्मानित करने संबंधी गोल्ड स्टैंडर्ड स्तरीय सम्मान फ्रेमवर्क है। बैंक ने जनवरी 23 में बीटी-केपीएमजी द्वारा टैलेंट वर्क फोर्स के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार भी जीता है। इस प्रमाणीकरण के साथ, बैंक ने देश में समकक्ष बैंकों के बीच सर्वोत्तम और प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं वाले संस्थान के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं जिनका हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव रहा:

सेहत एवं स्वास्थ्य संबंधी अभियान

समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अलावा, बैंक अपने कर्मचारियों की सेहत एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर, सेहत संबंधी अभियान, योग सत्र आदि आयोजित करता है। बैंक द्वारा नवंबर 2022 के दौरान 'वेलनेस माह' मनाया गया जिसके तहत निवारक स्वास्थ्य जांच और सेहतमंद रहने संबंधी अभियान आयोजित किए गए। आरोग्य माह के दौरान बैंक स्तर पर सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षाओं का आयोजन किया गया। प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जांच, नेत्र/ दंत जांच, रक्तदान शिविर, योग/ जुम्बा शिविर और वेबिनार जैसी 200 से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिनमें 15,000+ स्टाफ सदस्यों और 2800+ परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से कवर किया गया है।

बैंक की वार्षिक अनिवार्य स्वास्थ्य जांच योजना सभी स्थायी कर्मचारियों और उनके पत्नी / पति के लिए है, जो स्वास्थ्य समस्या के शुरू होने से पहले उनका पता लगाने की सुविधा प्रदान करती है और सही स्वास्थ्य सेवाओं, जांच और उपचार के साथ समय पर रोकथाम और इलाज करने में सक्षम बनाती है। सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अंचल कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर टाई-अप अस्पतालों/ स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। चिकित्सा स्वास्थ्य जांच के संबंध में केंद्रों की संख्या में वृद्धि और कर्मचारियों के बीच जागरूकता के कारण, स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों का% वित्तीय वर्ष 2022 के 25% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 17% की वृद्धि के साथ 42% हो गया है।

एम्पलॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम

बैंक ने 'कार्यस्थल परामर्श' की शुरुआत की है जिसे 'एम्पलॉयी असिस्टेंस कार्यक्रम' (ईएपी) कहा जाता है। इस पहल के अंतर्गत कर्मचारी-चिंता, अवसाद, तनाव, असुरक्षा, भय, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, पारस्परिक संबंधों एवं संवाद संबंधी मुद्दे, पारिवारिक समस्याएं, शोक, किसी दर्दनाक स्थिति, बीमारी (जैसे कैंसर आदि), व्यसन, प्रेरणा, व्यक्तिगत विकास, कार्य-जीवन संतुलन या कोई अन्य समस्याएं, जो मन को अशांत करती हों सहित किसी भी समस्या के लिए परामर्श सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से सेहतमंद रहने संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील

बनाने के उद्देश्य से 184 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें 13,000 से अधिक कर्मचारियों को कवर किया गया। शाखा प्रबंधकों के लिए केंद्रित 'इमोशनल कोशेंट' (EQ) कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। EQ कार्यशालाओं ने विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका उद्देश्य शाखा प्रबंधकों की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करने, बदलते व्यावसायिक लक्ष्यों/ परिदृश्यों और निर्णय लेने के लिए अनुकूल बनाने हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करना रहा। इसका उद्देश्य सहयोगी दृष्टिकोण और प्रभावी संप्रेषण विकसित करने में मदद करना भी रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए, 'ईएपी इंडिया' (सेवा प्रदाता) के सहयोग से संयुक्त प्रबंधकों के लिए 'फ्रम स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ: दबाव में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग' विषय पर कार्यशालाओं के माध्यम से एक केंद्रित आउटरीच कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। 500 से अधिक परामर्श सत्र आयोजित किए गए, जिससे 468 कर्मचारियों को उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को दूर करने में मदद मिली। इन परामर्श सेवाओं को कई चैनलों जैसे प्रत्यक्ष परामर्श, फोन-कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और चैट के माध्यम से सुगम बनाया गया था।

'वॉयस ऑफ़ बड़ौदियन'- कर्मचारी जुड़ाव संबंधी सर्वेक्षण

प्रगतिशील एचआर प्रथाओं वाले एक संस्थान के रूप में हमारा बैंक कर्मचारियों से सुझाव लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आवधिक आधार पर सभी कर्मचारियों से रचनात्मक और निष्पक्ष प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक 'वॉयस ऑफ़ बड़ौदियन' - कर्मचारी जुड़ाव संबंधी सर्वेक्षण आयोजित करता है, ताकि कर्मचारी जुड़ाव के स्तर और जुड़ाव के स्तरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर कर्मचारियों के विचारों को समझा जा सके। नवीनतम 'वॉयस ऑफ़ बड़ौदियन' - 2023 सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार बैंक का स्कोर 75% रहा।

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

यह एक कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम है, जिसे टीम एकजुटता की भावना और सहयोग तथा कार्यस्थल को खुशनुमा बनाने के लिए तैयार किया गया है। समग्र रूप से कर्मचारी जुड़ाव के स्तरों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न पहलें जैसे सभी शाखाओं / कार्यालयों में माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, स्पॉट रिकॉग्निशन-वॉव मूवमेंट को कैप्चर करना, मनोरंजन का समय, स्थानीय सामुदायिक सेवा/ सामाजिक गतिविधियां आदि प्रारंभ की गईं हैं। सभी शाखाओं/ कार्यालयों के माध्यम से छ: महीनों में एक बार अनिवार्य रूप से सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

20 जुलाई 2022 को या उसके आसपास हमारे बैंक के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बैंक ने निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं:

- रक्तदान - 15000 यूनिट से अधिक रक्त
- पौधों का वितरण/ पौधारोपण - लगभग 45000 पौधे रोपे गए
- स्वच्छता अभियान - विभिन्न इलाकों में 2700 से अधिक अभियान
- गरीबों और जरूरतमंदों को सामग्री और विविध वस्तुओं का वितरण - 90000 से अधिक वस्तुएं
- वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, दिव्यांग केंद्रों आदि के लिए सामग्री और विविध वस्तुओं का वितरण - 65000 से अधिक सामग्री
- स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन - 5000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया

ज्ञानार्जन और विकास

बैंक अपनी मानव पूंजी के पोषण के लिए ज्ञानार्जन और विकास के महत्व में दृढ़ विश्वास रखता है। यह एक संवहनीय और अनुकूलित शिक्षण प्रणाली पर ज़ोर देता है जिसे महामारी के समय अत्यधिक उपयोग में लाया गया है। संकट के प्रति बैंक की त्वरित प्रतिक्रिया ने एक सुदृढ़ डिजिटल प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थापना की सुविधा प्रदान की है जो कर्मचारियों की सीखने और विकासात्मक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से मजबूत करती है।

इस वित्तीय वर्ष में 68,830 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने एपेक्स अकादमी, 18 अंचल अकादमियों और 4 बड़ौदा सैटेलाइट लर्निंग यूनिट्स के साथ-साथ बड़ौदा गुरुकुल के जरिए से ई-लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने में मदद की।

वित्त वर्ष 2023 में, बैंक ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (बड़ौदा गुरुकुल) के सहयोग से विदेशी कार्यालयों सहित पूरे बैंक में ज्ञानार्जन और विकास को सुनिश्चित किया, जिससे बैंक को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अनुकूल करने और सभी क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिली है। डिजिटल प्रक्रिया और एलएमएस प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण उपयोग ने बैंक को कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से ज्ञानार्जन और शेयरधारकों को लागत अनुकूलन का लाभ प्रदान करने में मदद की।

बैंक अपनी मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए नए युग के कौशल और आईडीपी आधारित प्रशिक्षण के अधिग्रहण पर जोर दे रहा है। इसके अनुरूप, इसने सिमुलेशन गेम्स पेश किए हैं जो अपने कर्मचारियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक जीवन के व्यावसायिक परिदृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। ज्ञानार्जन के अनुभव को और बढ़ाने के लिए, बैंक ने एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया है जो 365*24 उपलब्धता के साथ पारंपरिक और डिजिटल तरीकों को जोड़ता है।

बाहरी संसाधनों के तालमेल और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक सहक्रियात्मक प्रयास में, बैंक ने अपने संपदा प्रबंधन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए AAFM, CRISIL और NIIT जैसे प्रमुख संगठनों के साथ भागीदारी की है। यह पायलट फेज बैंक को अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और अपने कर्मचारियों की सीखने और विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सक्षम करेगा।

समग्रत: बैंक अपने कर्मचारियों को उनके कार्यनिष्पादन में सफल होने और उनके कैरियर की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्व कर्मचारी

अपने पूर्व कर्मचारियों की अमूल्य सेवाओं को सम्मान देते हुए, बैंक अपने सेवानिवृत्त बड़ौदियनों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आरामदायक और परेशानी मुक्त बनाने हेतु निरंतर उपाय करने का प्रयास करता है।

बैंक ने अपने पूर्व कर्मचारियों के कल्याण हेतु अनेक उपाय किए हैं, इसने पूर्व कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच सुविधा के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, हालांकि, उनके स्वयं के खर्च पर, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की निगरानी कर सकें। स्वास्थ्य जांच पैकेजों को कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए और उनकी सामर्थ्य और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। बैंक ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

बैंक ने अपने पूर्व कर्मचारी पोर्टल को एचआर-कनेक्ट में माइग्रेट कर लिया है जो अपने पूर्व कर्मचारियों को विभिन्न मॉड्यूल और सुविधाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा जैसे कि पेंशन पे स्लिप, पीपीओ जनरेशन, फैमिली पेंशन कन्वर्जन, कर गणना, हॉलिडे होम बुकिंग आदि। पूर्व कर्मचारी भी एचआर कनेक्ट के माध्यम से टीई/डीए दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आरक्षण कक्ष :

अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी)/ भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए आरक्षण व अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष आरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है।

महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों एवं अ.पि.व कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान करता है।

31.03.2023 तक जाति वर्गवार संख्या

संवर्ग	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आ.पि.व.
अधिकारी	41837	19063	7362	3284	12118	10
लिपिक	27328	11636	4501	2835	8274	82
सब स्टाफ	7348	2217	2333	728	2070	0
कुल	76513	32916	14196	6847	22462	92
कुल कर्मचारियों का %		43.02	18.55	8.95	29.36	0.12

संवर्ग	पीडब्ल्यूडी	भूतपूर्व - सैनिक
अधिकारी	1052	577
लिपिक	1055	3055
सब स्टाफ	164	598
कुल	2271	4230
कुल कर्मचारियों का %	3.00%	5.53

आवधिक बैठकें: बैंक, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी/ एसटी (एआईबीओबीएससीएसटी) एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें और ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन (एआईबीओबीओबीसी) के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठकें आयोजित करता है।

कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम: बैंक एआईबीओबीएससीएसटी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन और एआईबीओबीओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के सदस्यों तथा एससी/ एसटी एवं ओबीसी संपर्क अधिकारियों के लिए हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

- एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण।
- आरक्षण नीति के संबध में कार्यशाला।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कॅरियर विकास

बैंक ने कर्मचारियों को उनके कॅरियर विकास के लिए प्रोत्साहित करने, उनके कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। कर्मचारियों को व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा अधिकारियों को अलग-अलग कार्यों के दायित्व सौंपे जाते हैं और उन्हें विदेशों में भी नियुक्ति का अवसर दिया जाता है।

कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए स्कूल के साथ टाई-अप

स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन भी बैंकिंग करियर का एक अनिवार्य हिस्सा है और प्रत्येक वर्ष सभी संवर्गों के कर्मचारियों को बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है। स्थानान्तरण में स्थान परिवर्तन शामिल है और स्थानांतरण पर कर्मचारियों के सामने एक बड़ी चुनौती मध्य शैक्षणिक वर्ष के प्रवेश, देर से प्रवेश, स्कूल के परिवर्तन आदि के कारण उनके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है।

कर्मचारियों को होने वाली असुविधा को कम करने और उनके बच्चों के स्कूल में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, चालू वर्ष में बैंक ने अखिल भारतीय उपस्थिति वाले स्कूलों की दो प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित श्रृंखला 'रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस' और 'विबग्योर ग्रुप ऑफ स्कूल्स' के साथ टाई-अप व्यवस्था की है। यहां किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चलती हैं। स्कूल की स्थानांतरण नीति के अनुसार बच्चे बिना किसी परेशानी के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट भी हो सकते हैं।

विविधता और समावेशन पर जोर

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव रहित और समान अवसर नीति का पालन करता है और पदोन्नति, कॅरियर-पाथ, स्थानांतरण नीति और कर्मचारी लाभ/ कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों में पारदर्शिता है। बैंक ने विविधता, एसएएम, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक डीईआई नीति भी बनाई है। इसके अलावा, महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए, बैंक ने अन्य पहलों के अलावा महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसे सबेटिकल अवकाश, महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, क्रेच सुविधा की स्थापना आदि की व्यवस्था की है।

बैंक अपनी महिला कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और अभिप्रेरणा पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और पीओएसएच (POSH) दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूक भी करता है।

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

अपनी शाखाओं को एक ऐसा स्वच्छ परिवेश उपलब्ध करवाने, जो अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, के उद्देश्य से बैंक रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए पेशेवर कंपनियों को नियुक्त कर दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) (रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन को लागू करने वाले पीएसबी में पहला) की पहल का क्रियान्वयन करने वाला अग्रणी पीएसबी है। रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अंतर्गत भौतिक रिकॉर्ड को बारकोड किया जाता है, अनुक्रमित किया जाता है और उन्हें स्टोरेज के लिए वेंडर के वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जिसे बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। जिस स्थान को खाली किया गया है,

उसका उपयोग नए एटीएम/ ई-लॉबी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है या लागत बचाने के लिए उसे सरेंडर किया जा रहा है।

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), हरित पहल के तहत पेपरलैस बैंकिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें पहचाने गए दस्तावेजों (ऋण फाइलें/ मानव संसाधन संबंधी दस्तावेज/ विधिक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज) की स्कैनिंग और 'बड़ौदा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (बीडीएमएस)' सर्वर, एक डिजिटल रिपाज़िटरी, पर स्कैन किए गए डेटा को अपलोड करना शामिल है। यह हमारे बैंक की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत -7000- से अधिक शाखाओं को कवर करते हुए लगभग 52.77 करोड़ इमेजेस को स्कैन किया जा चुका है। साथ ही, बैंक ऑफ बड़ौदा के चिन्हित शाखाओं में लगभग -3.01- लाख वर्ग फुट जगह को खाली किया गया है। बैंक की मेट्रो और शहरी शाखाओं और अर्ध-शहरी क्षेत्र की निर्धारित शाखाओं में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)/ दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के सफल कार्यान्वयन के बाद, अब इसे बैंक की अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शेष चिन्हित शाखाओं में लागू किया जा रहा है।

परिसर पुनर्सरचना

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में बैंक की कुछ मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर के लिए गोल्ड रेटिंग और बड़ौदा सन टॉवर बिल्डिंग (कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग) के लिए सिल्वर रेटिंग प्राप्त किया है। भारत में बैंक की अन्य चार भवनों को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त हुई है।
- बीसीसी और बीएसटी के सभी वाशरूम में जल रहित मूत्रालय स्थापित किए गए हैं, जिससे साल में लगभग सात लाख लीटर पानी की बचत हुई है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।
- ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में लगभग 175 शाखाएं सौर ऊर्जा पर चलाई जा रही हैं, जिससे बिजली की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। हरित ऊर्जा/ नवीकरणीय/ सौर ऊर्जा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप लगभग 2400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ।
- सभी घरेलू शाखाओं में ऊर्जा की बचत के लिए परिसर में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।
- बैंक के बीकेसी, मुंबई स्थित भवन में एक बड़े आकार का बायो-गैस संयंत्र (500 कि. ग्रा. गीले अपशिष्ट की क्षमता) स्थापित किया गया है, जो कूकिंग गैस का उत्पादन करता है जो की बैंक के कैंटीन और बगीचे/ लॉन में प्रयोग में लाया जाता है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय भवन, मुंबई की सभी बाउंड्री लाइटें सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं, इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाया गया है।

अन्य पहलें

- स्वच्छता पखवाड़ा, विशेष अभियान 2.0 जैसी सरकार द्वारा निर्देशित कई योजनाओं का कुशलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- शाखाओं के परिवेश का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता अभियान भी निरंतर आधार पर चलाया जा रहा है।
- बैंक के महत्वपूर्ण भवन यानी बीसीसी, बीएसटी और प्रधान कार्यालय में सभी स्टाफ सदस्यों को उच्च गति की निर्बाध वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है।

राजभाषा (रा.भा.) नीति का कार्यान्वयन

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद प्रदान करना बैंक की राजभाषा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत सरकार और नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर इस दृष्टिकोण की सराहना की गई है। आपके बैंक ने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2022-23 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और बैंक के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के निरीक्षण के दौरान राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में एक सुव्यवस्थित वार्षिक कार्य योजना को अपनाया है। समिति को दिए गए सभी आश्वासन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए गए हैं।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की गईं और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कई नई पहलें प्रारम्भ की गईं। आपके बैंक ने हिंदी और 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग तथा लेनदेन संबंधी एसएमएस सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे ग्राहकों के लिए व्हाट्सऐप बैंकिंग सेवा और इंटरनेट बैंकिंग सेवा हिंदी में भी उपलब्ध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक नई पहल के रूप में बैंक की चैटबॉट सुविधा, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, बीसीएमएस पोर्टल और बीसी नॉलेज पोर्टल हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया गया है। बैंक के विभिन्न ऐप और डिजिटल चैनलों/पोर्टलों के माध्यम से ऑटो जनरेट होने वाले सभी ईमेल तथा बैंक के एलएलपीएस पैकेज के माध्यम से जनरेट होने वाले नियम एवं शर्तों से युक्त ऋण मंजूरी पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए हैं।

वर्ष के दौरान उठाए गए विभिन्न पहलों के तहत आपके बैंक ने अमृतसर में 'डिजिटल ऋण' पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैंक ने अपनी शाखाओं/कार्यालयों के लिए राजभाषा रेटिंग प्रणाली लागू की है और स्टाफ सदस्यों के लिए 'भाषाई चौपाल' कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग मशीन 'कियोस्क' को हिंदी में पासबुक प्रिंटिंग हेतु सक्षम किया गया है। 'बैंकिंग में साइबर अपराध', 'एमएसएमई ऋण मार्गदर्शिका' और 'कासा मार्गदर्शिका' जैसे विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की गईं। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और मातृभाषा दिवस पूरे भारत एवं विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में मनाए गए। आपके बैंक ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए 'बॉब अभिव्यक्ति 2.0' नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जो सभी पत्रिकाओं/ समाचार पत्रों/ हाउस जर्नलों को ऑनलाइन पढ़ने का रोचक अनुभव प्रदान करता है। यह गो-ग्रीन पहल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

अपने बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने के लिए विभिन्न ई-टूलों के बारे में स्टाफ सदस्यों को जागरूक करने के संबंध में बैंक द्वारा एक 'सामर्थ्य टूलकिट/ शाखा

सामर्थ्य' (तकनीकी टूलकिट) विकसित किया गया है और इस अवधि के दौरान कुल 508 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें लगभग 18643 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, युवा पीढ़ी को आपके बैंक से जोड़ने के लिए देश भर के स्कूलों/कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिससे व्यवसाय जुटाने/बढ़ाने में मदद मिली। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसे 819 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50411 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

आपके बैंक के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सराहना की जाती रही है। वर्ष के दौरान आपके बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत सरकार की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, बैंक के तत्वावधान में वडोदरा में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) को उक्त योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा बैंक के संयोजन में कार्यरत राजकोट नराकास को पुरस्कार के लिए चयनित गया। हमारे अंचल कार्यालय, भोपाल और क्षेत्रीय कार्यालयों सूरत शहर, गोवा और चंडीगढ़ को भी भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

बैंक ने देश के 71 विश्वविद्यालयों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना "मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना" को जारी रखा। इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति उन दो विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने प्रत्येक अकादमिक वर्ष की एम. ए. (हिन्दी) में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने भारतीय भाषा में लिखे गए उपन्यासों का हिंदी अनुवाद करने वाले अनुवादकों/मूल लेखकों को सम्मानित करने हेतु 'बैंक ऑफ़ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान" की स्थापना की है।

संवहनीयता - ईएसजी- एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण

बैंक जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है और ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया भर के व्यवसायों और समुदायों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में स्वीकार करता है। हाल के समय में जलवायु परिवर्तन का जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बैंक जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रभाव को कम करने और अपने बैंकिंग परिचालनों के सतत विकास की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास हासिल करना है।

एक जिम्मेदार नीतिगत उपाय के रूप में, बैंक उन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उत्पादन या उपभोग करने वाली नई इकाइयों की स्थापना में शामिल उधारकर्ताओं को वित्तपोषण करने से निषिद्ध करता है। इसी तरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग कर एरोसोल इकाइयों के विनिर्माण में लगी लघु और मध्यम स्तर की इकाइयां बैंक वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं। ये उपाय ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने और अधिक स्थिर भविष्य के प्रति योगदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर सीएसआर और स्थिरता समिति की स्थापना की है। यह समिति पूरे संगठन में स्थिरता संबंधी रणनीतियों को लागू करने और जिम्मेदार पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) प्रथाओं को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति को परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट कोर समिति का गठन किया गया है।

बैंक ने उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। **वर्तमान में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित लगभग 175 शाखाएँ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हैं,** जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत कम हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अत्यधिक कमी आई है। **नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग के माध्यम से हमने लगभग 2400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सभी 8200 शाखाओं में एलईडी लाइटों की स्थापना ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में योगदान दिया है।**

बैंक सक्रिय रूप से हितधारकों के बीच स्थिरता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है और स्थिर जीवनशैली, पर्यावरणीय संरक्षण और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने स्वच्छता पखवाड़ा जैसी पहलों का आयोजन किया है। इन प्रयासों ने स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन के अलावा सार्वजनिक बगीचों, रेलवे स्टेशनों और समुद्र तटों पर स्वच्छता अभियान में नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ाया है। बैंक का उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।

बैंक अपने प्लेटफॉर्म "बॉबवर्ल्ड" के माध्यम से प्रौद्योगिकी-आधारित बैंकिंग पर जोर दे रहा है। यह लेन-देन के लिए कागज के उपयोग और शाखाओं में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता को कम करते हुए हमारे ग्राहकों के लिए निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग परिचालन को सक्षम बनाता है। बैंक ने आंतरिक रूप से एक पेपरलेस अनुमोदन प्रक्रिया को लागू किया है और दस्तावेज़ प्रबंधन का डिजिटलीकरण किया है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है और पर्यावरणीय प्रभाव कम हुआ है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बैंकों की प्रतिबद्धता के अंतर्गत बैंक ने 'प्लांट ए ट्री प्रोग्राम' शुरू किया है। प्रत्येक ऑटो या गृह ऋण के लिए बैंक अपने ग्राहकों की ओर से एक फलदार पेड़ लगाता है। ग्राहकों को एक हरित वृक्षारोपण प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसमें उनकी ओर से लगाए गए पेड़ का विवरण होता है। प्रत्येक पेड़ को जियोटैग किया जाता है और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है। ग्राहक अपने लगाए गए पेड़ को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, उसकी सटीक भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं और यहां तक कि प्रदान किए गए कॉऑर्डिनेट्स का उपयोग कर व्यक्तिगत रूप से पेड़ तक पहुँच सकते हैं। **31 मार्च तक, बैंक ने 1.5 लाख से** अधिक पेड़ लगाए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी के लिए हरित और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। बैंक लगातार जिम्मेदार प्रथाओं को एकीकृत करने, उसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सक्रिय रूप से उन पहलों में शामिल होने का प्रयास करता है जो हमारी पृथ्वी और पूरे समाज को लाभान्वित करती हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा का एक लंबा इतिहास है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक समाज कल्याण में विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं किसानों के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं। बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है।

बैंक के पास देश के 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 64 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) केंद्र हैं जो ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के नवयुवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रारम्भ से इन केंद्रों ने 22405 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 6.22 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 4.24 लाख ने पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है या अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं। आरसेटी के समग्र कार्यनिष्पादन/ कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी 64 आरसेटी केंद्रों को "एए" (उत्कृष्ट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक ने 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 85 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं। ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय आयोजना और किसी व्यक्ति के ऋण से संबंधित संकट को दूर करने संबंधी कार्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 114 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य अभिनव पहलों और सहभागिता आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी और पिछड़े ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है।

पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) सिद्धांतों के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में बैंक ने प्रत्येक ऑटो ऋण/ गृह ऋण संवितरण की एवज में एक पौधा रोपण की प्रायोगिक पहल भी शुरू की है। दिनांक 31.03.2023 तक 1.50 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं।

बैंक ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी दान दिया है, जैसे गरीब छात्रों को उनके पूर्व स्नातक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं से वंचित और महरूम बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए एनजीओ को 2 वितरण वाहनों का दान, सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में संवेदनशील स्थानों पर 11 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, जंगल में हाईवे पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए वाहन का दान, छोटे बच्चों की कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता परियोजना।

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की स्थापना 1994 में बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख व्यवसाय क्रेडिट कार्ड जारी करना है इसकी मुख्य विशेषता जो इसे दूसरों से अलग करती है, सरल, आसानी से समझ में आने वाले उत्पाद हैं, जो उचित मूल्य, सक्षम सेवा और संपूर्ण डिजिटल आवेदन के साथ आते हैं।

वित्त वर्ष 2023 बॉब फाइनेंशियल के लिए उल्लेखनीय वृद्धि का वर्ष रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने क्रेडिट कार्ड की संख्या (76%, वहीं उद्योग के लिए यह 16% थी) और उस पर व्यय (152%, वहीं उद्योग के लिए यह 47% थी) दोनों के मामले में उद्योग की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि की। कंपनी वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली 8वीं सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरी।

- बॉब फाइनेंशियल ने करीब 1.2 मिलियन क्रेडिट कार्ड (वित्त वर्ष 2022 में जारी 0.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड की तुलना में) जारी करके वित्त वर्ष 2023 में नए क्रेडिट कार्ड के अधिग्रहण को दोगुना कर दिया है। यह वित्त वर्ष के दौरान लगातार शीर्ष 10 जारीकर्ताओं में से एक रही है।
- वित्त वर्ष 2022 की तुलना में रिटेल खर्च में भी लगभग दोगुने से अधिक वृद्धि हुई और यह ₹17,300 करोड़ हो गया (जो वित्त वर्ष 2022 में ₹7,000 करोड़ था)

कंपनी ने रक्षा बलों (सेना, असम राइफल्स और तटरक्षक), एचपीसीएल और स्नैपडील के साथ विशेष साझेदारी सहित दोनों बड़े और विश्वसनीय संगठनों के साथ सह-ब्रांड साझेदारी कर अपनी दो-तरफा विकास रणनीति (एक तरफ बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ग्राहक और दूसरी तरफ प्रमुख साझेदार के ग्राहक) को और मजबूत किया है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा इकोसिस्टम के भीतर कंपनी ने नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। कंपनी ने पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के लिए एक क्रेडिट कार्ड 'विक्रम' और स्व-रोजगार वाले ग्राहकों के लिए एक क्रेडिट कार्ड 'एमपावर' भी लॉन्च किया है।

कंपनी ने कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कई ग्राहक संचार पहलें शुरू की। यह विशेष रूप से नए कार्डों के सक्रियण और विंटेज कार्डों के उपयोग के संबंध में नियामक मैंडेट के आलोक में महत्वपूर्ण था।

ब्रांड छवि को बेहतर बनाने और नियमित व्यावसायिक कारणों से इतर संबंधों में जुड़ाव हेतु एक विशिष्ट ब्रांड संगीतमय पहचान का शुभारंभ किया गया और अब सभी ब्रांडेड वीडियो सामग्री की पृष्ठभूमि में इसका उपयोग किया जा रहा है।

बॉब फाइनेंशियल ने व्यवसाय वृद्धि और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखा। कार्डधारक के स्मार्टफोन पर उनके क्रेडिट कार्ड का पूरा नियंत्रण देने के लिए एक स्टैंडअलोन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है और इसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बॉबवर्ल्ड ऐप के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे बैंक के ऐप में ही बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ग्राहकों को निर्बाध सुविधाएं मिलती रहें।

विभिन्न प्रक्रियाओं का स्वचालन एक अन्य ध्यान केंद्रण का क्षेत्र था। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के मेंडेट से संबंधित प्रक्रियाएं, ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण, री-केवाईसी जैसी कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया। ओरेकल फ्यूजन द्वारा संचालित फायनांस एंड प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल का क्रियान्वयन भी वित्त वर्ष 2023 के अंत में शुरू हुआ।

अपनी वितरण क्षमताओं के निर्माण के दौरान बैंक की वितरण क्षमताओं का

पूरा लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सभी अंचलों और क्षेत्रों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय स्थापित करने के लिए, बॉब फाइनेंशियल ने मानव संसाधन के साथ-साथ उपस्थिति बिंदुओं के विस्तार में निवेश करना जारी रखा।

वित्त वर्ष 2023 के लिए बीएफएसएल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ में)

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड		
विवरण	**वित्तीय वर्ष 2022**	**वित्तीय वर्ष 2023**
कुल आस्तियां	**1562.45**	**3,520.45**
चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि)	**10. 07**	**24. 62**
चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल एनपीए स्तर	29.07	68.55
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल एए1+	क्रिसिल एए1+
	इंडिया रेटिंग एए1+	इंडिया रेटिंग एए1+
आस्तियों पर रिटर्न	**0.66%**	**0.71%**

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो सेबी पंजीकृत श्रेणी- मर्चेंट बैंकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सदस्यता के साथ स्टॉक ब्रोकर भी है।

बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्राइमरी मार्केट/ पीई फंड, ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, इक्विटी मूल्यांकन, विलय एवं अधिग्रहण एडवाइजरी तथा स्टॉक ब्रोकिंग (संस्थागत और रिटेल दोनों) शामिल है. इसमें दो परिचालन सेगमेंट हैं यथा - निवेश बैंकिंग और ब्रोकिंग एवं वितरण।

बॉबकैप्स ने चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023 के दौरान अपने व्यवसाय में अच्छी वृद्धि करना जारी रखा। निवेश बैंकिंग टीम ने कर्ज प्रस्तावों, कर्ज सिंडिकेशन, डीसीएम, एमएंडए एडवाइजरी और पूंजी बाजारों में कई लेन-देन सफलतापूर्वक पूर्ण किए। रिटेल इक्विटी व्यवसाय ने निर्बाध व्यापार क्षमताओं के साथ एक परिष्कृत और ग्राहक अनुकूल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/ एप्लीकेशन की सफलतापूर्वक शुरुआत की है, जो पूरे उद्योग की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। इसके परिणामस्वरूप हाल के महीनों में मासिक ग्राहक अधिग्रहण दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह पिछले वित्त वर्ष में प्रति माह औसतन 1,000 खातों से बढ़कर हाल के दिनों में 11,000 खातों तक पहुंच गई है। एक्सचेंजों के इक्विटी और एफएंडओ सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट के बावजूद संस्थागत ब्रोकिंग राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान बॉबकैप्स को सेबी से डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट लाइसेंस प्राप्त हुआ। यह कंपनी को अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए ट्रेडिंग खातों के साथ-साथ डीमैट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। बॉबकैप्स ने विदेशी संस्थागत ग्राहक व्यवसाय हेतु बैंक सिक्योरिटीज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के साथ टाई-अप भी किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉबकैप्स की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इन पहलों से आगे चलकर कंपनी के लिए राजस्व के नए स्रोतों में वृद्धि होगी।

वित्त वर्ष 2023 के लिए बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ में)

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड		
विवरण	**वित्त वर्ष 2022**	**वित्त वर्ष 2023**
कुल आस्तियां	187.97	179.34
निवल लाभ/ हानि	7.72	1.25
ग्राहक आधार (संख्या)	35,191	1,00,929
शाखाओं की कुल संख्या	2	3

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज 2017 में बैंक द्वारा लिए गए एक रणनीतिक निर्णय का परिणाम है। इसका उद्देश्य सेवा कार्यों को एक इकाई में एकीकृत करना था, जिससे सेवा दोहराव और व्यापार इकाई के साइलो को कम किया जा सके, तालमेल और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया जा सके। केंद्रीयकरण के कारण बैंक की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है और लागत में काफी बचत हुई है। बाद में विभिन्न प्रक्रियाओं के स्वचालन के परिणामस्वरूप शाखाओं में कार्यबल बैंडविड्थ को मुक्त कर दिया गया है और मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया गया है। इस स्थापना ने बैंक को बिक्री और सेवा कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बैंक के लिए क्रॉस-सेल पहलों को वितरित करके महत्वपूर्ण मूल्य का योगदान करने में सक्षम बनाया है।

बीजीएसएस द्वारा केंद्रीकृत प्रोसेसिंग के सफल स्थापना और विस्तार के आधार पर, बैंक ने ऋण सोर्सिंग और संग्रह क्षमता में सुधार के नए क्षेत्रों में इसकी क्षमताओं का उपयोग कर बीजीएसएस में विश्वास व्यक्त किया है, जिससे बैंक की क्षमता में वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2023 में, बीजीएसएस ने बैंक के लिए डिजिटल पेनेट्रेशन, ग्रामीण और कृषि बैंकिंग (डीएसटी) और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) कर संग्रह (सरकारी व्यवसाय) की शुरुआत की। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बीजीएसएस को बीसी एजेंटों को अखिल भारतीय स्तर पर (विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में) नियोजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

शेयर्ड सर्विसेस सामान्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर आंतरिक एवं बाह्य आकलनों के द्वारा सुदृढ़ एवं सख्त नियंत्रण रखना भी सुनिश्चित करता है। बीजीएसएस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1. 17 अंचल कार्यालयों में डिजिटल मोड के माध्यम से 26,800 से अधिक लेन-देन के साथ ₹109 करोड़ के संपत्ति कर संग्रह किया गया, जो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) कर संग्रह व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय) में 184% की वृद्धि दर्शाता है।
2. 10 माह की अवधि के भीतर, अधिक बीसी सहायता प्रदान करने के लिए निष्पादित किए गए 1440 केओआईडी के साथ 1,258 बीसीए की नियुक्ति की गई, जिससे समग्र वित्तीय समावेशन व्यवसाय का विस्तार हुआ।

3. डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के क्रम में बॉब वर्ल्ड, कॉर्पोरेट बैंकिंग, बी3 खाता खोलने और इनबाउंड सेवाओं को शुरू किया गया है। शाखा में आने वाले ग्राहकों को डिजिटल चैनलों पर स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मैनुअल कॉलिंग के लिए रूपांतरण संख्या में माह-दर-माह सुधार हुआ है।
4. छह राज्यों के सीपीपीसी (सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर) का परिचालन गिफ्ट सिटी में स्थानांतरित किया गया है।
5. बीजीएसएस नई एटीएम मशीनें लगाने में बैंक का सहयोग कर रहा है- 4,500 से अधिक मशीनें लगाई गई हैं।
6. टीआरआरएसीएस पोर्टल (नियामक आवश्यकता) में प्रवर्तन निदेशक (डीओई) के रूप में 5,000 शिपिंग बिलों को चिह्नित करने के लिए ईडीपीएमएस टीम को सहायता प्रदान की गई है।
7. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीजीएसएस ने बैंक की सहायता की है और एनआरआई/एनआरओ ग्राहकों के लिए एंड-टू-एंड क्वेरी रिज़ॉल्यूशन, शिकायत प्रबंधन, फीडबैक और सुझावों की प्राप्ति सूचना जैसी सेवाओं को विस्तारित कराने के लिए जनवरी 2023 में एक एनआर ऑपरेशंस हेल्पडेस्क स्थापित करने में मदद की है।
8. डीएसटी उत्पादों- ऑटो ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण और एलएपी के लिए ₹1,200 करोड़ से अधिक के व्यापार के साथ मार्च 23 हेतु 100% लक्ष्य हासिल किया गया।
9. साइबर सिक्योरिटी इंसीडेंट टीम (सीएसआईआर) का मूल्यांकन पूर्ण हो गया है; सीएसआईआरटी की योजना लागू है।
10. बॉब वर्ल्ड ऑर्बिट पोर्टल- व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन सार्वजनिक बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) विकसित किया गया है।
11. बीजीएसएस ने चालू खाता खोलने (गैर-व्यक्तिगत) प्रक्रिया में एफटीआर% में सुधार लाने के लिए लीन सिक्स सिग्मा परियोजना विकसित की है और एफटीआर% में 24.72% से 50% दक्षता लाभ हासिल किया है।
12. उत्कृष्ट और बहुत अच्छी श्रेणी वाले 87% दर्शकों के लिए दिसंबर 2022 में वार्षिक सीएसएटी सर्वेक्षण आयोजित किया गया।

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 5 जुलाई, 2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज, मुंबई, महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई। कंपनी को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में बदलते आईटी समर्थित व्यवसाय समाधान/ आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद की प्रयोक्ता और क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर सिस्टम इंटीग्रेट/ परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

कंपनी ने अभी तक पूर्ण परिचालन शुरू नहीं किया है और यह बैंक के विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में तकनीकी दक्षता प्रदान करने वाली विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उद्यमवार आईटी परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और समाधानों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम / परियोजना प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

दि नैनीताल बैंक लि.

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल) मूल रूप से 1922 में स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अन्य द्वारा प्रवर्तित है जो वर्ष 1973 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी बनी। नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की धारिता 98.57% है। एनबीएल का नैनीताल में अपना पंजीकृत कार्यालय है और यह पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हरियाणा और राजस्थान में इसका परिचालन करती है। 31 मार्च, 2023 तक एनबीएल की 167 शाखाएं हैं। एनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2022 के ₹11,698 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹12,305 करोड़ हो गया। बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 28.93 करोड़ के निवल लाभ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2023 में रू. 46.30 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीबीएनपीए एएमसी)

बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (50.10% शेयरधारिता) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (49.90% शेयरधारिता) की एक संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजर है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बीएनपी एशिया लिमिटेड (बीएनपी एशिया) ने दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को भारत में अपनी एसेट मैनेजमेंट और ट्रस्टी कंपनियों का विलय करने के लिए बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नियामक अनुमोदन प्राप्त होने और सेबी (एमएफ) विनियम के तहत आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर, संस्थाओं का 14 मार्च, 2022 से विलय प्रभावी हो गया और बैंक की अनुषंगी कंपनी बन गई।

विलय के पश्चात् पूरे भारत के 140 कस्बों और शहरों में टच पॉइंट के साथ-साथ उत्पाद रेंज, एयूएम और एयूएम में इक्विटी की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एएमसी में उद्योग की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के दौरान एएयूएम 6% की उद्योग वृद्धि की तुलना में 15% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹24,507 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने आईएफए पर विशेष ध्यान देने के साथ वर्ष-दर-वर्ष अपने तृतीय-पक्ष वितरण नेटवर्क का 16% विस्तार करना जारी रखा। कंपनी ने 4 नए उत्पाद सफलतापूर्वक लॉन्च किए। इसमें एक इक्विटी फंड- बीबीएनपीपी फ्लेक्सी कैप फंड, एक हाइब्रिड फंड- बीबीएनपीपी मल्टी एसेट फंड और दो पैसिव डेट इंडेक्स फंड- बीबीएनपीपी निफ्टी एसडीएल दिसंबर 2026 इंडेक्स फंड और बीबीएनपीपी निफ्टी एसडीएल दिसंबर 2028 इंडेक्स फंड शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023 के लिए बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		
विवरण	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023
कुल आस्तियां	200.24	187.36
चालू वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ	(22.28)	(6.88)
प्रबंधन के तहत औसत आस्तियां (एएयूएम)	23,453*	26,436*
कुल एएयूएम के लिए इक्विटी (%)	53%	56%

* इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में ₹2,060 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 में ₹1,929 करोड़ की एडवाइजरी एयूएम शामिल है।

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. इंडिया

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, देश की सबसे नवीनतम बीमा कंपनियों में से एक है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,433 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) है। यह कंपनी बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक घरेलू अनुषंगी है जो कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रवर्तित है, जिसका स्वामित्व वारबर्ग पिंकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के पास है। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया कंपनी का तीसरा निवेशक है।

वित्तीय वर्ष 2023 में, इंडियाफर्स्ट लाइफ ने व्यक्तिगत नए व्यापार एपीई (एनुअल प्रीमियम इक्वेलेंट) में 27% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है। व्यक्तिगत नए व्यापार एपीई के आधार पर, इंडिया फर्स्ट लाइफ की निजी बाजार हिस्सेदारी 2.5% थी और इसने समग्र जीवन बीमा उद्योग (एलआईसी सहित) के सापेक्ष 1.4 गुना की वृद्धि दर्ज की। समग्र उद्योग की तुलना में तीव्र दर से वृद्धि के इस रिकॉर्ड को इंडियाफर्स्ट लाइफ द्वारा लगातार पिछले 9 वर्षों से (वित्त वर्ष 2014-15 से) बनाए रखा गया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में निजी समकक्षों के बीच व्यक्तिगत नए व्यापार एपीई में अपनी रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार करते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया है और इसके पास 31 मार्च, 2023 को ₹21,683 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) है। इंडिया फर्स्ट लाइफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए ₹76.25 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जिसमें ₹6074 करोड़ की कुल प्रीमियम आय सहित ₹7380 करोड़ की कुल आय शामिल है।

इंडिया फर्स्ट लाइफ को लगातार पांचवीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) के रूप में प्रमाणीकृत किया गया जिसे जीपीटीडब्ल्यू बीएफ़एसआई सर्वेक्षण द्वारा लगातार पांचवीं बार 'बीएफ़एसआई में सर्वोत्कृष्ट वर्कप्लेस' में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी संगठनों में उत्कृष्ट कार्यस्थलों को परिभाषित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक के रूप में माना जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा कंपनी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड में भी सम्मानित किया गया है।

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) एनबीएफसी है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक इस इंफ्राडेब्ट के प्रायोजक हैं और सिटी कॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवम बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं। यह इंफ्राडेब्ट अपेक्षाकृत ऐसी सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया हो। इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए/ स्टेबल आउटलुक के रूप में रेट किया गया है। इंफ्राडेब्ट को इसकी सभी आय पर 100% आयकर रियायत प्राप्त है।

मजबूत, स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं- विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर इंफ्राडेब्ट का ध्यान केंद्रित होने के कारण बैंक में सहक्रियता उत्पन्न होती है और इस प्रकार भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जाता है। इन्फ्राडेब्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है।

31 मार्च, 2023 को इसकी ऋण बही ₹17,711 करोड़ रही और वित्त वर्ष 2023 के लिए शुद्ध लाभ ₹369 करोड़ और इक्विटी पर रिटर्न 14% रहा। इंफ्राडेट पिछले छह वर्षों से लगातार लाभांश भी दे रही है।

बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

(₹करोड़ में)

इकाई	स्वामित्व वाली निधि	कुल आस्तियां	निवल लाभ	कार्यालय	कर्मचारी
बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड	1009.52	3520.45	24.62	44	485
बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	161.29	179.34	1.25	3	106
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	4.55	4.69	0.06	1	1
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.	39.55	56.50	9.50	4	5789
दि नैनीताल बैंक लि.	727.79	8656.67	46.30	171	1223
बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	154.15	187.36	(6.88)	13	166
बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.25	0.38	0.01	1	1
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1069.00	22090.00	76.00	29	3,595
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	2781.30	19301.70	368.60	1	28

पुरस्कार

वित्तीय, डिजिटल फ्रंट और अन्य अनूठी पहलों में बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के सम्मान में, बैंक को वित्त वर्ष 2023 के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए जो निम्नानुसार हैं;

वित्त वर्ष	प्राप्त पुरस्कारों के विवरण
वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रतिष्ठित एक्सप्रेस बीएफएसआई टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2022 में दो पुरस्कार प्राप्त हुए। बॉब वर्ल्ड को एंटरप्राइज मोबिलिटी श्रेणी में विजेता घोषित किया गया और बैंक के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को मई 2022 में एनालिटिक्स / बिग डेटा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। • बॉब वर्ल्ड को (मई 2022) में बैंकिंग फ्रंटियर्स फिनोविटी 2022 के लिए विजेता घोषित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड को 17वें थिंक बिजनेस बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में छह पुरस्कार प्राप्त हुए। • 'बेस्ट बैंक टू बॉरो' - विजेता • सबसे दक्ष बैंक - प्रथम उप विजेता • टीयर II में सर्वश्रेष्ठ बैंक - द्वितीय उप विजेता • केन्या में समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ बैंक - द्वितीय उप विजेता • सर्वाधिक ग्राहक-केंद्रित बैंक - द्वितीय उप विजेता • एसएमई बैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बैंक - द्वितीय उप विजेता (मई 2022) • फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने श्री अखिल हांडा को मॉडर्न बीएफएसआई समिट 2022 (जून 2022) में एफई विजनरी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को मार्च 2022 से मार्च 2023 की अवधि के लिए ग्रेट एम्प्लॉयर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में प्रमाणित किया गया।
वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही	• बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्लोबल प्राइवेट बैंकर द्वारा 'संभ्रान्त ग्राहकों हेतु उत्कृष्ट धन संपदा प्रबंधन पेशकश' श्रेणी के तहत ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग इनोवेशन अवार्ड्स 2022 का विजेता घोषित किया गया। (जुलाई 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को पहली बार एशियन प्राइवेट बैंकर्स इंडिया 2021 एयूएम लीग टेबल्स में #22 वां स्थान और आरएम हेडकाउंट में #8वां स्थान प्राप्त हुआ है। (जुलाई 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा की यूएई टेरिटरी ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ यूएई के तत्वावधान में अमीरात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज (ईआईबीएफएस) से 'द बेस्ट एंगेजमेंट इन द ट्रेनिंग एंड एमिरेटाइजेशन' का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। (जुलाई 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ग्रेट इंडियन बीएफएसआई ऑनलाइन लीड जनरेशन श्रेणी के तहत द ग्रेट इंडियन बीएफएसआई अवार्ड द्वारा स्वर्ण ऋण-वर्नाक्यूलर अभियान हेतु ग्रेट इंडियन बीएफएसआई पुरस्कार प्राप्त हुआ। (जुलाई 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 2019-2020 हेतु 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडिया बेस्ट बैंक अवार्ड' के लिए गृह ऋण श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। (अगस्त 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रौद्योगिकी का उपयोग कर महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन हेतु 'टेक प्लस मीडिया के सीएक्सओ टेक इनोवेशन अवार्ड 2022' से सम्मानित किया गया है। (अगस्त 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ईज 4.0 रिफॉर्म्स इंडेक्स में 'ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग बैंक' का सम्मान प्राप्त किया। बैंक को आकांक्षी भारत हेतु स्मार्ट लेंडिंग और अत्याधुनिक 24x7 बैंकिंग में प्रथम स्थान तथा तकनीक आधारित बैकिंग, विवेकपूर्ण बैंकिंग स्थापित करने, गवर्नेंस एवं परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन हेतु तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। (सितंबर 2022) • तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के चेन्नई अंचल को एमएसएमई विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित एमएसएमई एवं टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म कार्यनिष्पादन 'एक्स्टेंडिंग शोल्डर्स टू एमएसएमई' के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए सम्मानित किया गया। (सितंबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू और गवर्नमेंट समिट 2022 में सम्मानित किया गया। यह सम्मान ऐसे पीएसयू को दिया जाता है जो 1947 में या उससे पहले स्थापित हुए हैं और जिन्होंने भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (सितंबर 2022)

वित्त वर्ष	प्राप्त पुरस्कारों के विवरण
वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'मोबाइल ऐप्स' श्रेणी के तहत गवर्नेंस नाऊ बीएफएसआई पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। (अक्तूबर 2022) • नवभारत बीएफएसआई अवार्ड 2022 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को गृह और कार ऋणों के लिए विजेता घोषित किया गया। (अक्तूबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एसोचैम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड 7वें टेक्नोलॉजी एक्सिलेंस अवार्ड में 'बैंक ऑफ़ द इयर (डिजिटल बैंक)' घोषित किया गया। (नवंबर 2022) • बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'टॉप परफॉर्मिंग बैंक इन म्यूचुअल फंड सेगमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। (नवंबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को इंडियन बैंक एसोसिएशन के 18वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार में बड़े बैंकों में 'बेस्ट एआई एंड एमएल बैंक' का पुरस्कार प्रदान किया गया। बैंक को 'बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट' और 'बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट' श्रेणियों में भी उप विजेता घोषित किया गया। (दिसंबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को रूस के सोची में वित्तीय सुरक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय ओलिंपियाड में ईएजी लॉरेट पुरस्कार प्राप्त हुआ। ईएजी ने सदस्य देशों के अनुपालन अधिकारियों के बीच 'बेस्ट एक्जाम्पल ऑफ़ एएमएल-सीएफटी फाइनेंशियल विश्लेषण' पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। (दिसंबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को दि मैडीज 2022 के 8वें एक्सचेंज4 मीडिया मोबाइल अवार्ड में 'बेस्ट मोबाइल वेबसाइट' श्रेणी के तहत बॉब वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। (दिसंबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सोशल समोसा के SAMMIE 2022 में बीएफएसआई (बैंक) श्रेणी के तहत बेस्ट सोशल मीडिया ब्रांड अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ। (दिसंबर 2022) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एक्सचेंज4मीडिया द्वारा इंडियन कंटेंट मार्केटिंग अवाड्र्स 2022 में बीएफएसआई श्रेणी के तहत अपने अभियान 'पहचानकॉन' के लिए कांस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। (दिसंबर 2022)
वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बिजनेस टूडे-केपीएमजी इंडियाज बेस्ट बैंक एंड फिनटेक सर्वे 2021-22 में 'बेस्ट बैंक इन फिनटेक इनीशिएटिव' और 'बेस्ट बैंक इन टैलेंट एंड वर्कफोर्स' का अवार्ड प्राप्त हुआ। (जनवरी 2023) • श्री इयान डिसूजा, सीएफओ, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सीआईआई-सीएफओ एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में सीएफओ ऑफ द ईयर - टर्नअराउंड अवार्ड प्राप्त हुआ। (फरवरी 2023) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग बैंक का अवार्ड प्राप्त हुआ और सीआईएमएसएमई एमएसएमई बैंकिंग एंड एनबीएफ़सी एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में सीएसआर पहल एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व बैंक के लिए उप विजेता घोषित किया गया (फरवरी 2023) • वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक के कार्यनिष्पादन के आधार पर स्टेट फोरम ऑफ़ बैंकर्स क्लब केरल (एसएफबीसीके) द्वारा बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में बैंक ऑफ बड़ौदा को 'सर्वश्रेष्ठ बैंक' नामित किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंक की बालारामापुरम शाखा को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केरल में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा घोषित किया गया। (फरवरी 2023) • धनम बिजनेस मैगज़ीन द्वारा आयोजित धनम बीएफ़एसआई सम्मेलन एवं पुरस्कार 2023 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'बेस्ट पीएसयू बैंक ऑफ़ द ईयर' का अवार्ड प्राप्त हुआ। (फरवरी 2023) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने #बॉब वर्ल्ड चैलेंज इंस्टाग्राम अभियान हेतु द इकोनॉमिक टाइम्स डिजी प्लस गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किया। (फरवरी 2023) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एक्सचेंज4मीडिया द्वारा इंडियन मार्केटिंग अवाड्र्स में कार ऋणों हेतु सर्च मार्केटिंग के सर्वोत्तम उपयोग के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। (फरवरी 2023) • श्री इयान डिसूजा को सीआईआई-सीएफओ एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में सीएफओ ऑफ द ईयर-टर्नअराउंड अवार्ड प्राप्त हुआ। (मार्च 2023) • श्री अखिल हांडा, सीडीओ, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को फिनटेक क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए फाइनेंशियलएक्सप्रेस.कॉम द्वारा एफई विजनरी लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। (मार्च 2023) • श्री इयान डिसूजा, सीएफओ, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एसोचैम वाइब्रेंट भारत सीएफओ सम्मेलन एवं पुरस्कार 2023 में बैंकिंग एवं बीमा श्रेणी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सीएफओ घोषित किया गया। (मार्च 2023) • सुश्री स्वप्ना बंदोपाध्याय, महाप्रबंधक-मानव संसाधन प्रबंधन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एडवांटेज क्लब द्वारा एक्सेप्शनल वोमेन अवार्ड इन ह्यूमन रिसोर्सेस से सम्मानित किया गया। (मार्च 2023) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बैंकिंग क्षेत्र में अपने नेतृत्व के लिए द इकॉनॉमिक टाइम्स बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स 2023 में सम्मानित किया गया। (मार्च 2023) • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग' की श्रेणी के तहत इसके 'बॉब वर्ल्ड चेलेंज' अभियान हेतु ईटी ब्रांडइक्विटी.कॉम-ट्रेडिज अवार्ड 2023 में कांस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। (मार्च 2023)

लाभांश वितरण नीति

बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹5.50 के लाभांश की अनुशंसा की है। इस प्रकार लाभांश के रूप में कुल ₹2,844.25 करोड़ का व्यय होगा। इस लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदनों के अधीन हैं। लाभांश वितरण नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां

श्री मुकेश कुमार बंसल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2022 से अगले आदेशों तक सरकार के नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु नामित किया गया।

श्री ललित त्यागी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर, 2022 से -3- वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 20 नवंबर 2025 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कार्यकाल की समाप्ति:

श्री अमित अग्रवाल के स्थान पर श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति के कारण सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल दिनांक 14 दिसंबर, 2022 से समाप्त हो गया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची की अधिवर्षिता की आयु होने पर कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल दिनांक 31 जुलाई, 2022 से समाप्त हो गया।

बोर्ड का मूल्यांकन

बैंक, पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-सरकारी निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 30 अगस्त, 2018 का पालन कर रहा है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के 'भाग ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है।

व्यावसायिक दायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यावसायिक दायित्व और स्थिरता संबंधी रिपोर्ट (बीआरएसआर) बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

डी) निदेशकों ने, लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया है; और

ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे हैं। स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है। इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डो की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं।

आभार

निदेशक मंडल पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची और सरकार द्वारा नामित पूर्व निदेशक श्री अमित अग्रवाल के योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत तथा विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल बैंक के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण योगदान के लिए उनके प्रति हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता है।

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIRECTORS' REPORT

"Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Fifteenth Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2023 (FY 2023)."

Business Performance & Key Financials

(₹ in crore)

Particulars		FY 2022	FY 2023
Global Deposits		**10,45,938.56**	**1203687.79**
of which - International Deposits		1,18,927.99	156312.58
Domestic Deposits		**9,27,010.57**	**1047375.21**
of which	Current Account Deposits	68,779.64	75110.67
	Savings Bank Deposits	3,41,343.27	367399.83
Domestic CASA Deposits		**4,10,122.92**	**442510.50**
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)		**44.24**	**42.25**
Net Advances		**777155.18**	**940998.27**
of which	Domestic Advances	653381.55	776589.63
	International Advances	123773.63	164408.64
Global Gross Advance		**818120.39**	**969548.31**
Total Business (Global Deposit + Global Gross Advance)		**1864058.95**	**2173236.10**
Total Assets		**12,77,999.83**	**1458561.54**
Net Interest Income (NII)		**32621.34**	**41356.01**
Other Income		11483.95	10025.84
Of which Trading Gains		2728.76	1062.50
Operating Income (NII + Other Income)		**44105.29**	**51381.58**
Operating Expenses		21716.44	24518.31
Operating Profit		**22388.85**	**26863.54**
Provisions (Other than Tax)		13002.41	7136.90
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off		14640.12	4,350.52
Profit Before Tax		**9,386.44**	**19726.64**
Provision for Tax		2,114.16	5617.02
Net Profit		**7,272.28**	**14109.62**
Appropriations/Transfers			
Statutory Reserve		1,814.34	3,527.40
Capital Reserve		523.35	92.57
Revenue and Other Reserves			
I) General Reserve		827.40	7274.12
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961		250.00	300.00
III) Investment Reserve Account		0.00	0.00
IV) Investment Fluctuation Reserve		2,368.42	30.00
V) Statutory Reserve (Foreign)		14.93	41.28
Proposed Dividend		1473.84	2,844.25

Total deposits of the bank increased to ₹12,03,688 crore during FY 2023 from ₹10,45,939 crore during FY 2022, there by registered a growth of 15.1 % on a YoY basis. The domestic CASA of the bank recorded a growth of 7.9% on YoY basis, to reach to the level of ₹4,42,511 crore, during FY 2023. The Domestic Deposit marked a growth of 13% on a YoY basis, which increased to ₹10,47,375 crore, during the FY 2023. The Net advance of the bank increased to ₹9,40,998 crore during FY 2023 from ₹7,77,155 crore during FY 2022, there by recorded a growth of 21.1% during the period. The Global Gross advance of the Bank reached to the level of ₹9,69,548 crore in FY 2023 as compared with ₹8,18,120 crore in FY 2022 by registering a growth of 18.5% on a YoY basis. The Total Business of the Bank grew to ₹21,73,236 crore in FY 2023 crore from ₹18,64,059 crore in FY 2022, registered a growth of 16.6% on YoY basis.

Net Interest Income of the Bank increased to ₹41,356 crore in FY 2023 from ₹32,621 crore in FY 2022, registered a growth of 26.8% on a YoY basis. Other Income of the Bank stood at ₹10,026 crore in FY 2023 which was at ₹11,484 crore in FY 2022. Operating expenses of the Bank stood at ₹24,518 crore in FY 2023 as compared with ₹21,716 crore in FY 2022. Operating Income of the Bank increased to ₹51,382 crore in FY 2023 from ₹44,106 crore in FY 2022, registered a growth of 16.5% on a YoY basis.

The Bank reported a Net Profit of ₹14,110 crore in FY 2023 which was nearly double of previous year's Net Profit of ₹7,272 crore. The Operating profit of the Bank grew by 20% to reach to ₹26,864 crore in FY 2023 as compared with ₹22,389 crore in FY 2022.

Key Performance indicators

Key Performance Indicators	FY 2022	FY 2023
Net Interest Margin – Global (%)	3.03	3.31
Cost-Income Ratio (%)	49.24	47.72
Return on Average Assets (ROAA)(%)	0.60	1.03
Return on Equity (%)	11.86	18.34
Book Value per Share (₹)	118.97	148.80
Basic EPS (₹)	14.06	27.28

Net Interest Margin (NIM) global improved to 3.31% in FY 2023 as against 3.03% in FY 2022. Cost to income ratio decreased to 47.72% in FY 2023 from 49.24% in FY 2022. Return on Assets for FY 2023 improved by 43 bps to 1.03% in FY 2023 from 0.60% in FY 2022, reflects exceptional performance in profitability. Return on Equity increased by 648 bps to 18.34% in FY2023. Book value per share increased to ₹148.80 in FY 2023 from ₹118.97 in FY 2022. Earnings Per share increased to ₹27.28 in FY 2023 from ₹14.06 in FY 2022.

Average Cost & Yield of funds and Average Interest earning Assets

Key Performance Indicators	FY 2022	FY 2023
Average Cost of Funds (%)	3.64	4.08
Average Yield on Funds (%)	6.49	7.17
Average Interest Earning Assets (₹ in crore)	10,77,177	12,49,846
Average Interest Bearing Liabilities (₹ in crore)	10,24,804	11,81,750

The average cost of fund and yield of fund stood at 4.08% and 7.17% in FY 2023. Average Interest bearing asset increased to ₹12,49,846 crore in FY 2023 from ₹10,77,177 crore in FY 2022. The Average Interest Bearing Liabilities also increased to ₹11,81,750 crore in FY 2023 from ₹10,24,804 crore in FY 2022.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

(Ratios in %)

Particulars	FY 2022	FY 2023
Capital Adequacy Ratio Basel III	15.68	16.24
CET I	11.42	12.24
Tier I	13.18	13.99
Tier II	2.50	2.25

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the bank increased to 16.24% as of March 31, 2023 from 15.68% as of March 31, 2022. CET-1 ratio increased to 12.24% in FY 2023 from 11.42% in FY 2022. The consolidated group capital adequacy ratio increased to 16.73% as of March 31, 2023 as compared with 16.19% as of March 31, 2022.

During FY 2023, the Bank issued Additional Tier I (AT-I) capital bonds of ₹2,474 crore.

Net worth

The Bank's net worth as of March 31, 2023 was ₹76,591.07 crore comprising of paid-up equity capital of ₹1,035.53 crore and reserves of ₹97,187.36 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets). The book value of the share (Face Value ₹2) was ₹148.80 as of March 31, 2023.

Provisions towards Retirement and other benefits

During FY 2023, the Bank made provision towards contribution to gratuity (₹125.75 crore), pension funds (₹2911.62 crore), leave encashment, additional retirement benefits and other benefits (₹78.51 crore). Total provisions under these categories amounted to ₹3115.88 crore during FY 2023.

Dividend Distribution

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹5.50 per share for the financial year ended March 31, 2023. The total outgo in the form of dividend will be ₹2,844.25 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals.

Management Discussion and Analysis

Global Economy

The world economy witnessed a major shock in the first quarter of the calendar year with Russia invading Ukraine. This had an immediate response of a ban being imposed by the western powers on dealings with Russia that led to supply chain disruptions. This in turn affected the overall pace of growth across various geographies. Global economic growth moderated to 3.4% in 2022 from 6.3% in 2021 according to the IMF, due to several factors such as war, disruptions in trade, zero covid policy of China, aggressive action by central banks to quell inflation etc.

The situation was further exacerbated by cost of living crisis in many countries amidst high inflation, tightening financial conditions due to higher rates and prolonged impact of the Russia-Ukraine war and Covid-19 pandemic. Growth in Advanced Economies (AEs) halved to 2.7% in 2022 from 5.4% in 2021. Within this group, growth in Euro Area moderated to 3.5% in 2022 compared with 5.4% in 2021. This was led by France and Italy. Growth in US also slowed down to 2.1% from 5.9% in 2021.

Growth in Emerging and Developing Economies (EMDEs) held up better, expanding by 4% in 2022, after increasing by 6.9% in 2021. A severe slowdown in growth in China from 8.5% in 2021 to 3% in 2022 accounted for most of the moderation in growth in this region. China had gradually withdrawn from their strict stance on zero-covid by the end of the year and normalized economic activity, albeit in a phased manner.

On the prices front, global inflation remained elevated at 8.7% in 2022 compared with 4.7% in 2021. Higher global commodity prices due to the Russia-Ukraine war as well as strained global supply chains were responsible for the steep increase in prices. Inflation in several AEs as well as EMDEs remained well over the central banks' targets. In fact, inflation in several AEs such as UK surged to double digits during the year.

To bring inflation under control, global central banks world over raised policy rates aggressively. Amongst major AE central banks, US Fed has raised policy rates by 500bps, followed by Bank of England (BoE) and European Central Bank (ECB) with rate hikes of 440bps and 375bps respectively, in the same period. Amongst Emerging Markets (EMs), central banks in Brazil and Indonesia have also raised policy rates aggressively.

The aggressive stance of the Fed also led to the dollar strengthening in the global market with the parity level with euro being breached for a short while. This did cause virtually all currencies to depreciate against the dollar. The rupee held out relatively well falling the median level of depreciation across major currencies.

Global trade volumes dipped in 2022 amidst a decline in global growth and demand. Volume of goods and services trade moderated to 5.1% from 10.6% in 2021. This was led by a sharp deceleration in volume of goods export to 2.6% compared with 10.7% in 2021. Volume of goods imports was also lower at 4% in 2022 compared with 11.5% in 2021.

Uncertainties have once again risen over the global growth outlook. Financial conditions have tightened considerably as global central banks embarked on an accelerated monetary policy tightening path, amidst stubbornly high inflation. This coupled with the recent stress seen in the banking system due to the failure of a few US regional banks as well as strain in Credit Suisse, a systemic important bank, impinge on the growth outlook. Concomitantly, inflation though declining has remained stubbornly high led by core, and with continued strength in the labour market can prove to be even more long lasting. This can lead to a much more aggressive stance by global central banks which will further tip the scale against a possible growth recovery.

Based on this, IMF projects global GDP growth at 2.8% in 2023 with risks heavily tilted to the downside. In fact, the report notes that the possibility of a "hard landing" have increased. Growth in AEs is expected to moderate further to just 1.3%. This will be led by a sharp slowdown in growth in Euro Area to just 0.8%. Significantly, growth in Germany, the region's biggest economy is expected to contract by 0.1%. In UK, output growth is expected to decline by 0.3%. Growth in US is expected at 1.6%.

On the other hand, growth in EMDEs is expected at 3.9%, slowing only marginally. This will be supported by a strong rebound in growth in China, which is expected to grow by 5.2%. This will offset the loss in momentum in activity in other countries such as India, Brazil and South Africa. India's growth is projected at 5.9% for the year against RBI's forecast of 6.5%.

While inflation is expected to moderate, the pace has been much slower than anticipated. Global inflation is expected to decelerate to 7% in 2022. While global commodity prices have corrected, led by food and fuel, core inflation in several economies has continued to remain high and is yet to peak in several countries across the globe. Hence, this could necessitate more rate hikes by global central banks which will further push growth lower.

Indian Economy

India's economy registered a strong growth of 7.2% in FY23, much higher than anticipated signal resilience in the economy. Agriculture and allied activities registered a growth of 4% compared with 3.5% in FY22. Even Financial, real estate and professional services recorded a strong growth of 7.1% in FY22 against 4.7% in the previous year. Despite global headwinds at play, Indian economy is poised to do much better than the global counterparts on the back of strong domestic fundamentals.

Industrial activity, came down from a high base of 11.4% in Apr-Mar'22, to 5.1% in Apr-Mar'23. This was led by slowdown in manufacturing and mining activity, while electricity production continued to inch up. Manufacturing activity moderated by 4.5% in FY'23 period versus 11.8% growth noted in during FY'22. Mining output eased to 5.8% during Apr-Mar'23 from 12.2% in Apr-Mar'22. Electricity production growth on the other hand remained robust and rose by 8.9% in FY'23 compared with 7.9% in the previous year. Separately, services sector performed very well, as was also indicated by services PMI (averaged 57.3 in FY23 versus 52.3 in FY22). GST collections, port cargo volume, rail freight, property sales and domestic passenger growth all did well in FY23.

The steady growth in FY23 was also positive for the government as the fiscal deficit target (6.4%) has been achieved as per the provisional estimates. The same for FY24 has been targeted at 5.9%. FY23 target was achieved owing to buoyancy in overall revenue receipts which were higher under the provisional estimates at ₹23.8 lakh crore in FY23 against a revised estimates (RE) of ₹23.5 lakh crore. Collections under net tax revenue also beat RE and rose to ₹21 lakh crore from ₹20.9 lakh crore. Thus, higher outlays on certain essentials like fertilizer subsidies (₹2.51 lakh crore as per FY23PE versus ₹2.25 lakh crore as per FY23RE), capex, was achieved without any untoward pressure on the government finances.

Despite moderation in economic momentum in FY23, prices continued to remain elevated. CPI inflation averaged 6.7% in FY23, up from 5.5% in FY23, thus also crossing RBI's upper tolerance band of 6%. Q1FY23 was when inflation was at its peak (7.3%), following the breakout of war between Russia and Ukraine in Feb'22. Since then, as global economic outlook was dampened (global GDP at 3.2% in CY22 versus 6% in CY21), domestic inflation began coming down (Q2: 7%; Q3: 6.1%; Q4: 6.2%). Core inflation too remains sticky (6.1% in FY23 versus 6% in FY22). Following the dip in core inflation in Q2FY23 (5.9% versus 6.3% in Q1), it has again inched up and steadied at 6% in Q3 and Q4. In the current fiscal year (FY24), RBI expects headline CPI to ease to 5.2%. However, significant upside risks to the projection remain, such as adverse climate conditions (heat wave, actual performance of monsoon), increased fodder cost and imported inflationary pressures.

The external situation in FY23 was strained as trade deficit ballooned to US$ 267bn from US$ 191bn in FY22. Coming off a high base and due to weakening global demand, our export growth slowed to 7.2% in the last fiscal year, following 54% growth witnessed in FY22. On the other hand, relative stability in domestic demand and volatile commodity prices led to less sharper dip in imports (19% in FY23 versus 64% in FY22). Forex reserves, which is the summary indicator of all developments on this front fell by US$ 39.2bn to reach US$ 578.4bn as of March 31, 2023. The rupee, on a point to point basis, ended at ₹82.18/$ on 31st March 2023 compared with ₹75.79/$ a year back, thus showing a depreciation of 7.8%. This was in line with depreciation witnessed across most currencies due to strengthening US dollar.

On the monetary policy front, RBI has increased repo rate by 250 bps in FY23, in line with global central banks. In its first policy for FY24 RBI decided to pause, but has indicated that it stands ready to take action if inflation does not fall within the targeted band.

Going forward, RBI expects FY24 growth to settle at 6.5%. As most developed economies are projected to enter recession/ face significant slowdown in economic activity in CY23, and uncertainty prevails in global financial systems, risks to our domestic growth persists. On the positive side, prediction of normal monsoon, enhanced government budget for capex spending, and ebbing inflation, will provide support to growth in FY24. Our expectation is that GDP growth will be in the region of 6-6.5% for FY24..

Developments in Indian Banking

Credit growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) rose at a double digit of 15% as of March 2023 from 8.6% as of March 2022. The faster pace of credit off take is attributable to pent up demand factor as normalisation of economic activity gained pace. Sector wise, pick up in credit was driven by services where credit on an average rose by 19.8% in FY23 compared with 8.7% in FY22. Within services, lending to NBFCs improved significantly to 30.2% in FY23 versus 7.8% in FY22. Credit to the personal loan segment also grew at a healthy pace of 20.6% from 12.6%. Within this segment, education, vehicle and housing loan grew at a robust pace. Credit to industry on the other hand, moderated and grew by 5.7% in FY23 from to 7.5% in FY22. Apart from large industries (3% from 2%), credit to both medium (19.6% from 54.4%) and micro and small enterprise (12.3% from 23%) showed moderation.

A plausible explanation could be that this sector is still reeling under liquidity pressure despite government's support in terms of ECLGS scheme and RBI's support in terms of extension of moratorium. Notably, weighted average lending rates of SCBs on fresh rupee loans rose to 9.32% as of March 2023 compared to 7.63% as of March 2022. Clearly higher borrowing cost did not put a strain in the rising credit cycle of the economy.

Growth in deposits also picked up to 9.6% as of March 2023 compared to 8.9% as of March 2022. This is to be noted that, the pace of deposit accretion in FY23 has been much slower compared to the pace of accretion in credit. Within deposits, time deposits grew at a steady pace of 10.2% as of March 2023 from 8.6% as of March 2022. In a rising interest rate cycle, where weighted average domestic term deposit rates of SCBs rose by 113bps (5.03% as of March 2022 to 6.16% as of March 2023), household's preferred choice has been bank deposits for better returns due to risk aversion factor.

During the year, the repo rate increased by 250bps, from 4% in April 2022, it rose to 6.5% in March 2023. Apart from the 250bps increase in repo rate, RBI has also introduced Standing Deposit Facility (SDF) at a rate 40 bps higher than the fixed rate reverse repo. Thus, the effective rate hike since April has been 290 bps. The overnight MCLR rose sharply to 7.5-8.5% as of 31 March 2023 from 6.45-7.00% in the same period of previous year and in consonance with rising policy rate. The term deposit rate for deposit of above 1 year rose to 6.00-7.25% compared to 5.00-5.60%.

The 10-year Gsec rate increased by around 49bps to 7.32% from 6.83% during this period. Another notable thing worth mentioning is, FY23 witnessed considerable flattening of the yield curve. The difference between long end papers (29Years maturity) and short term papers (6months paper) fell sharply to 31bps as on 31 March 2023 compared to 306bps as on 31 March 2022. This is because of sharp pace of increase in short term papers with increase in policy rate, whereas long end yields remained broadly stable. Going forward, some degree of steepening in India's yield curve may be observed as higher proportion of borrowing in H1FY24 is concentrated towards longer tenor papers.

FY23 witnessed quite a bit of volatility on liquidity front. Liquidity went into deficit with pressure from TLTRO redemption and gradual scale back of liquidity measures undertaken during the pandemic period. However, RBI's fine tuning operations through conduct of Variable rate repo and reverse repo supported liquidity to an extent which did not put stain on productive lending to sectors. On an average, liquidity surplus fell down to ₹1.6 lakh crore in FY23 compared to ₹6.5 lakh crore in FY22.

On the banking front, RBI's Dec'2022 Financial Stability Report highlighted that Indian banks are well capitalized and are in a well-equipped position to absorb any macroeconomic shocks. Under baseline scenario, GNPA ratio of SCBs is likely to improve to 4.9% in Sep'23 from 5% in Sep'22. Even the slippage ratio which has been on the uptrend since Dec'21 has cooled off in Q2FY23. PSBs have registered the most improvement during this period.

EASE

EASE reforms agenda has contributed immensely towards the Bank's journey in achieving efficiency and ease of operations in almost all areas of operations, helping in providing an enhanced experience to its customers.

The action points under each phase of EASE Programme envisaged deep-rooted transformation in approach and building new capabilities.

EASE4.0

With innovative technologies & tools such as AI, Automation, data analytics and technical support services, critical back-end functions including document verification, background checks and seamless loan disbursals, making the process not only efficient, paperless and non-cumbersome, but also makes the customer feel in-charge of the entire process.

In Government of India's EASE 4.0 index, Bank consistently secured 1st position in all quarters of FY22 among all the Public Sector Banks.

The Bank topped in the themes 'Smart Lending for Aspiring India' and 'New Age 24*7 Banking' while consistently improving the performance in the themes 'Governance and Outcome-centric HR', 'Institutionalizing Prudent Banking' and 'Tech-enabled ease of Banking'.

EASE 5.0

The EASE 5.0 agenda mainly focusses on Enhancing Digital Customer Experience, Data-driven Integrated and Inclusive Banking with emphasis on supporting small businesses and agriculture.

Further, EASE 5.0 continues to drive progress in ongoing agendas such as co-lending partnerships, mobile banking enhancements, payments in semi-urban and rural areas, cloud adoption, digital marketing improvement through Search Engine Optimization and deepening financial inclusion.

Under EASE 5.0, Bank has –

- Launched Digital Lending Journey for Pension Loan, MSME Term Loan Renewal
- Enhanced MSME & Agri functionalities in Mobile Banking and Internet Banking
- Improved use of Analytics to enable customer retention; increase product penetration
- Further enhanced the services provided at call centres
- Increased thrust on promotion of gender diversity
- Introduced advanced stress testing model for retail and MSME.
- Introduced digital and analytics driven Collection; set up operating hubs for driving collection function
- Provides customised services, nudges, reminders based on analytics driven mining of transaction history and customer data in BOB World
- Provides open APIs with Introduction of Repository for use cases and documentation, Sandbox Testing platform - It lets you interact with APIs, Mocked API response is in Bank's own Developer Portal
- Increased focus on Digital Adoption in semi-urban and Rural Areas

All through the past five years, EASE reforms agenda has contributed immensely towards the PSBs' journey in achieving efficiency and ease of operations in almost all areas of operations, helping the Banks in providing an enhanced experience to the customers.

EASE Next (Pillar – II):

Bank-specific 3-year roadmap program: Creation of bank-specific three-year strategic roadmaps, conceptualised to each bank's starting position and business priorities, to enable reforms above and beyond the common reform agenda.

Strategic 3-Year Roadmap: As a part of EASENext's second pillar, 3-year strategic roadmap is conceptualised. The program has been designed with a view to encourage banks to adopt transformational initiatives that go beyond the common reforms agenda.

For this purpose, 45 wide-ranging financial and non-financial metrics have been identified. Each bank will identify short-term and long-term targets for each metric, and identify initiatives to drive improvement in these metrics.

Project BOB-NOWW:
The journey to shape the future Bank of Baroda continues

In the year 2020, Bank of Baroda embarked on a transformation journey - BOB-NOWW to build an industry-first operating model through new ways of working and reimagined retail network. Ever since, the Project has successfully executed a variety of initiatives, bringing superior, tailored services to our customers, unlocking growth potential across businesses, and creating value for all our stakeholders.

The impact of these initiatives is captured below:

Reimagined retail distribution network: Staying true to its vision of 'BOB everywhere', the Bank accelerated efforts to ramp up the total number of touch points, adding significantly to its BC network this year. As of March 2023, the total number of touch points grew to over 51,000, jumping close to 24 percent YOY.

A dedicated BC 2.0 programme have been introduced which not only focuses on increasing the BC network at potential areas but also on increasing BC earnings by adding Asset Products such as housing, personal, auto, agriculture loan leads in their service portfolio. This programme continuously monitor their performance through publishing of leaderboards and dashboards.

Collection: Collection saw a revamped organization structure with more focus on product based vertical structure. Collections organization has been set up with receivables managers across all levels from Branch to central level. It leverages BC network also to drive agri collections. An integrated digital collection platform have been introduced for allocation, collections, tracking and performance management. Pilots with two Fintech vendors have also been launched for digital interventions. Collaborations have been made for successful execution. Implementation tracking is being done through dashboards and initiative owners have been identified.

DST channel for Agri Tractor Loan: BOBNOWW introduced DST model in Tractor loan product to give it the necessary boost. Tractor loan campaigns have been launched to expand the benefits of DST model across 10 identified zones. These campaigns have given encouraging results simultaneously establishing well-structured existing DST model across 10 zones.

DST channel for Home Loan: Bank has engaged Baroda Global Shared Services Limited (BGSS) for setting up of Direct Sales Team (DST) channel to generate and fulfil business leads related to Retail Assets. DST channel is being set up with an objective to help Bank in acquiring new business in an accelerated manner.

NRI helpdesk: BOBNOWW initiated establishment of centralized NRI help desk at GIFT City for Account opening, e mail management and toll free contact center in order to provide superior customer service to its NRI clients.

Digital led experience: The Bank moved a step closer to its goal of digitizing critical banking services and processes, starting with the launch of 49 self-assisted customer journeys that enables faster and straight-through processing of transactions.48 bob World service outlets has been opened at different locations to serve the customer digitally. E- Mandate service have also been launched to facilitate the customers for online registration of mandate. Through the paperless office initiative, approval process have been digitized, bringing transparency and accountability to the operations.

Under branch reformatting, we have enabled the branches with requisite infrastructure to service the customers through digital mode and provided other enablers for enhanced customer experience & service.

Adopting digital channels allows for improved productivity and efficiency among the Bank staff and helps customers solve queries swiftly. To provide best in class service in the quickest possible manner, we embarked on the journey of on-boarding customers to our best in class Banking App bob World Over a period of -2- Years, i.e. FY 2022 and 2023 we have added 2 Crs customers on to our bob World platform, a feat achieved through collective team work. We cumulatively, now we have 3 crore customers on boarded on bob World platform wherein their continuous engagement is the key to further growth.

Operating Performance & Key Ratios

The highlights of operating performance of the bank are as below:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2022	FY 2023
Interest Earned	69880.78	89588.54
Interest Expended	37259.44	48232.53
Net Interest Income (NII)	**32621.34**	**41356.01**
Other Income	11483.95	10025.57
Of which- Trading Gains	2728.76	1062.50
Operating Income (NII + Other Income)	44105.29	51381.58
Operating Expenses	**21716.44**	**24518.31**
Employee Expenses	11978.84	13352.66
Other Operating Expenses	9737.60	11165.65
Operating Profit	**22388.85**	**26863.54**
Provisions (Other than Tax)	13002.41	7136.90
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off	14640.12	4,350.52
Provision for Standard Advances	(2672.26)	527.50
Provision for Depreciation on Investment	558.97	1704.03
Other Provisions	475.58	554.85
Profit Before Tax	**9386.44**	**19726.64**
Provision for Tax	**2114.16**	**5617.02**
Net Profit	**7272.28**	**14109.62**

Net Interest Income of the Bank increased to ₹41,355 crore in FY 2023 from ₹32,622 crore in FY 2022, registered a growth of 26.8% on a YoY basis. This was mainly due to increase in the Interest Income to reach to ₹89,589 crore in FY 2023 by registering a growth of 28.2% on a YoY basis. The Interest Expense stood at ₹48,233 crore in FY 2023 which was at ₹37,259 crore in FY 2022.

Other Income of the Bank stood at ₹10,026 crore in FY 2023 which was at ₹11,484 crore in FY 2022. Operating expenses of the Bank stood at ₹24,518 crore in FY 2023 as compared with ₹21,716 crore in FY 2022. Operating Income of the Bank increased to ₹51,382 crore in FY 2023 from ₹44,106 crore in FY 2022, registered a growth of 16.5% on a YoY basis.

Total provisions (other than tax) and contingencies declined to ₹7137 crore during FY 2023 from ₹13,002 crore during FY 2022. Provisions for Non- Performing Assets (NPA) declined to ₹4351 crore crore in FY 2023 from Rs 14,640 crore in FY 2022.

The Bank reported a net profit of ₹14,110 crore in FY 2023 which was increased nearly double of previous year's Net Profit of ₹7,272 crore. The Operating profit of the Bank grew by 20% to reach to ₹26,864 crore in FY 2023 as compared with ₹22,389 crore in FY 2022.

Key Ratios

Key Ratios	FY 2022	FY 2023
Cost of Deposits - Global (%)	3.52	3.89
Cost of Deposits - Domestic (%)	3.85	4.09
Cost of Deposits - International (%)	0.48	2.37
Yield on Advances – Global (%)	6.79	7.54
Yield on Advances (Domestic) (%)	7.61	8.25
Yield on Advances (International) (%)	2.18	4.21
Net Interest Margin – Global (%)	3.03	3.31
Net Interest Margin – Domestic (%)	3.09	3.42
Net Interest Margin – International (%)	1.47	1.94
Cost-Income Ratio (%)	49.24	47.72
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.60	1.03
Return on Equity (%)	11.86	18.34

Cost of deposit (global) stood at 3.89% and Yield on Advances (global) improved to 7.54% in FY 2023. Net Interest Margin (NIM) global and NIM domestic improved to 3.31% and 3.42% in FY 2023 as against 3.03% and 3.09%

respectively in FY 2022. Cost to income ratio decreased to 47.72% in FY 2023 from 49.24% in FY 2022. Return on Assets for FY 2023 improved by 43 bps to 1.03% in FY 2023 from 0.60% in FY 2022, reflects exceptional performance in profitability. Return on Equity increased by 648 bps to 18.34% in FY2023.

Resource Mobilisation

(₹ in crore)

SL No	Particulars	FY 2022	FY 2023
I	**Total Deposits**	**10,45,938.56**	**12,03,687.79**
II	International Deposits	1,18,927.99	1,56,312.58
III	**Total CASA**	**4,33,605.23**	**4,75,096.83**
IV	Total Current Account Deposits	88,861.21	1,04,000.51
V	Total Savings Bank Deposits	3,44,744.02	3,71,096.32
VI	**Global CASA %**	**41.46**	**39.47**
VII	**Domestic Deposits**	**9,27,010.57**	**10,47,375.21**
VIII	**Domestic CASA Deposits**	**4,10,122.92**	**4,42,510.50**
IX	Dom. Current Account Deposits	68,779.64	75,110.67
X	Dom. Savings Bank Deposits	3,41,343.27	3,67,399.83
XI	**Domestic CASA to Domestic Deposits (%)**	**44.24**	**42.25**

Total Deposit of the Bank increased to ₹12,03,688 crore during FY 2023 from ₹10,45,939 crore during FY 2022, there by recorded a growth of 15.1% during the period. The International Deposit of the Bank also increased to ₹1,56,313 crore as on 31.03.2023 from to ₹1,18,928 crore as on 31.03.2022, recorded a robust growth of 31.4% on a YoY basis.

The global CASA of the bank increased to ₹4,75,097 crore as on 31st March 2023 from the level of ₹4,33,605 crore as on 31st March 2022, registered a growth of 9.8% on a YoY basis. The global current deposit of the bank increased to ₹1,04,001 crore as on 31st March 2023 from ₹88,861 crore as on 31st March 2022, marked a growth of 17% on a YoY basis. The global Savings deposit of the bank increased to ₹3,71,096 crore as on 31st March 2023 from ₹3,44,744 crore as on 31st March 2022, recorded a growth of 7.6% during the period. The global CASA % to global deposit stood at 39.47% during the period.

Domestic Deposits and Domestic CASA

Domestic Deposit of the Bank increased to ₹10,47,375 crore as on 31.03.2023 from ₹9,27,011 crore as on 31.03.2022, registering a growth of 13% during the period.

Bank's domestic CASA deposits increased by 7.90% and rose to ₹4,42,511 crore as on March 31, 2023. Bank has achieved Domestic CASA ratio to the domestic deposit of 42.25% during FY 2023. Current Account deposits registered growth of 9.20% and reached to ₹75,111 crore, while Savings Bank deposits reached to ₹3,67,400 crore with an increase of 7.63% as on 31.03.2023.

Low cost deposit mobilization initiatives

During FY 2023, Bank opened 1.09 crore new CASA accounts. Within this, the thrust was for opening accounts in paperless mode using Tablets (TAB) and increasing penetration of Video Based Customer Identification Process (VCIP) mode of account opening. Bank also launched New Products suiting to specific segments of customers viz. Baroda Professional Savings account, RERA Current accounts, Current Account for Government Bodies. Extensive focus was given on Government business relationships and acquiring new accounts particularly SNA accounts of Centrally sponsored schemes across States. Special Emphasis was given for Increasing penetration of Key CASA enablers like POS, IPG& BCMS and activation of dormant accounts.

On Digital front, Bank has increased penetration of client acquisition through digital channels like VCIP, TAB & Digital ONLY accounts and during the FY 2023, 1,22,020 VCIP Savings Accounts, 87,290 B3- Digital only A/c were opened. Also out of 2,71,800 Current Accounts opened during the year, 2,30,046 Current Accounts (89.88% of eligible Current Accounts opened) and out of 72,27,954 Non FI Savings accounts opened during the year, 62,50,104 Non FI Savings Accounts (97.90% of eligible Non FI Savings accounts opened) were opened through TAB during FY 2023.

Bank's integration with the Ministry of Corporate Affairs Portal for opening Current Accounts of newly formed Companies has yielded opening of 4,641 current accounts during the year.

Bank is having a separate Defence Banking Vertical headed by Chief Defence Banking Advisor in the Cadre of Retired Lieutenant General and ably supported by Deputy Defence Banking Advisors posted at key locations to penetrate the Defence segment.

Bank is leading from front in extending Door Step Banking Services through the PSB Alliance Door Step Banking Services. Bank has successfully completed 1,42,955 Door Step Banking service requests during FY 2023.

Baroda Cash Management Services

The Bank's cash management business, Baroda DigiNext, providing a wide range of Omni-channel digital solutions for Corporate and Government Customers for management of their cash flows and liquidity has witnessed rapid growth in the last 3 years. The solution is used in key Government initiatives like Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana, digitization of land records and Agricultural Produce Market Committee (APMC) collections in addition to solutions used by Corporates. It provides valuable information on real-time basis of all receipts - electronic, cheques and cash deposits at all its branches.

Baroda DigiNext Cash Management continues to rapidly expand its footprint acquiring more than 1,700+ new large corporate and government relationships in FY 2023. Over 6,600 large customers of the bank are utilizing Bank's cash management services for executing over 6 crore transactions during the year.

Credit Expansion

The Global Gross advance of the bank increased to ₹9,69,548 crore during FY 2023 from ₹8,18,120 crore during FY 2022, thereby registering a growth of 18.5% on YoY basis. The gross domestic advance increased to ₹7,95,560 crore as on 31st March 2023 from ₹6,84,153 crore as on 31st March 2022, there by marked a growth of 16.3% during the period. The international gross advance of the bank increased to ₹1,73,988 crore during FY 2023, from ₹1,33,968 crore during FY 2022, there by registered a robust growth of 29.9% on a YoY basis.

(₹ in crore)

Credit Portfolio of the Bank			
Segment	**FY 2022**	**FY 2023**	**YoY (%)**
Retail*	**1,40,399**	**1,78,037**	**26.8**
Agriculture	**1,09,796**	**1,24,247**	**13.2**
MSME*	**96,863**	**1,08,196**	**11.7**
Corporate	**3,00,693**	**3,40,408**	**13.2**
Others	36,402	44,672	22.7
Gross Domestic Advances	**6,84,153**	**7,95,560**	**16.3**
International Gross Advances	1,33,968	1,73,988	29.9
Global Gross Advances	**8,18,120**	**9,69,548**	**18.5**

*Ex-pool purchase (Organic)

The growth in Advance portfolio was supported by Retail Advance (organic) which increased to ₹1,78,037 crore grew by 26.8%, Agriculture advance which increased to ₹1,24,247 crore grew by 13.2%, MSME (organic) segment which rose to ₹108,196 crore by 11.7%, on a YoY basis during FY 2023. The retail advance including pool purchase stood at ₹187,688 crore and MSME including pool purchase stood at ₹1,14,918 crore as on 31.03.2023.

The growth in Retail advance (organic) portfolio was led by key portfolios like Personal Loan Auto Loan (organic) which grew by 24.4% to reach to ₹31,261 crore, Home Loan (organic) which grew by 19.5% to reach to ₹98,014 crore, Personal Loan which grew by 101.5% to reach to ₹19,645 crore, Mortgage Loan (organic) which grew by 18% to reach to ₹16,801 crore and Education Loan which grew by 21.8% to reach to ₹8,196 crore on a YoY basis.

Corporate Loan of the Bank increased to ₹3,40,408 crore in FY 2023 from ₹3,00,693 crore in FY 2022, grew by 13.2% on YoY basis.

The bank was highly benefited by its continuous focus on digital banking backed by latest technology. The Bank has launched many new initiatives on its ditgital platform like Pre-approved Auto Loan, Digital Education Loan, Pre-approved Home Loan Top-up, Digital Pensioner Loan etc. The digital loan products was also extended to MSME and Agri segments wherein Bank has got a very good responds. The Bank has also well focused on key segments through its traditional banking activities by launching various campaigns at branch, regional and zonal level to augment maximum quality loan business. The continuous and equal focus on its branch banking and digital banking helped the bank to expand its loan portfolio in a healthy manner during FY 2023.

Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 30 specialized Corporate Financial Services (CFS) & Mid Corporate branches (MCB) which manage approximately 90% of the total standard corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased to ₹3,40,408 crore as on March 31, 2023.

With revamp in approach towards corporate credit delivery, the risk profile of the portfolio further improved during FY 2023 as observed in the rating distribution of domestic credit portfolio as below:

Credit Rating Distribution*	**FY 2022**	**FY 2023**
A and above	78%	86%
BBB	10%	7%
Below BBB	6%	3%
Unrated	5%	4%

**External Rating Distribution of Domestic Advances above ₹50 crore*

Total portfolio comprising of A and above in FY 2023 was 86% as against 78% in the previous year.

Corporate Banking – Revamped Structure

During the year bank has revamped its Corporate Banking Structure with a strategy to focus more on Mid Corporate Advances. Bank has opened -4- Mid Corporate Clusters located at strategic locations i.e. New Delhi (North), Chennai (South), Mumbai (West) and Kolkata (East). During the year bank has opened -15- New Mid Corporate branches across the country for quick processing of corporate proposals and tap the opportunities available in the Mid Corporate Segment.

Target Market approach

The Bank follows a target market approach which has the following features:

- Identification of industries / sectors for growth based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, government policies and investment outlay.

- Sector-wise business plan for target market lending, based on exposure caps, existing exposures and further appetite for fresh acquisitions.
- Detailed account planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.
- The Bank focuses on overall yield from the customer rather than interest income by offering ancillary services like supply chain finance, value chain finance, CMS facility and other retail products.
- During FY 2023-24 bank is planning to open additional -6- New Mid Corporate Branches across the country.

MSME Credit

The MSME portfolio of the Bank increased to ₹1,14,918 crore (excluding TWO)in FY 2023 from ₹1,00,131 crore in FY 2022, registered a growth of 14.8% on a YoY basis. The MSME (organic) business reached to ₹1,08,196 crore in FY 2023 from ₹96,863 crore in FY 2022, thereby registered a growth of 11.7% on a YoY basis. During the year, the Bank has taken many business initiatives to augment maximum MSME business into its fold which helped the Bank to achieve a healthy business growth in MSME segment.

Bank has achieved the Target (106%) under PMMY Scheme for the FY 2023.

As on Mar'23 – Bank has sanctioned PMSvanidhi loan to 4,81,771 applicants and disbursed facilities to 4,45,511 customers.

To reach to the above target following initiatives have been taken by the department:

- Fast-track lane for NTB customers & simplified AIP/ Modifications for ETB and NTB customers – focus for reduction of TAT.
- "MSME Mahotsav" campaign, was launched on 15.06.2022 with aggressive pricing to capture quality MSME NTB business. The Campaign was in force upto Mar'23. Under the campaign, we have disbursed ₹10,162 cr. to 17,677 customers.
- "The Last Mile" Campaign was launched for Q4-FY'23 with a target to canvass quality MSME accounts preferably with term loan facilities.

Performance under the campaign:

(₹ in crore)

Targets	Sanction Amount	Disbursement Amount
9,935	13,921	11,848

- Scheme specific campaign "Raftaar" was launched for CV and CME and recorded 225% growth in FY'23.
- New Product: - "Scheme for Financing Micro units engaged in Exports" has been floated.
- Modification in Baroda Property Pride (Overdraft) and Launch of a new scheme LAP Premium (Term Loan)
- The new Baroda Healthcare scheme with focus on providing collateral-free finance to medical equipment, to 'micro to mid-level' healthcare professionals/Doctors/ Diagnostic centers/ Hospitals/ Clinics located in Tier 1, 2 & 3 cities, for purchase of healthcare equipment based on cash flow assessment has been launched.
- Bank entered into MoU arrangement with Hyundai Construction Equipment India Pvt. Ltd, for obtaining business leads in construction & mining equipment, for 2 years
- MOU with Aerem Finance Pvt. Ltd: Our bank has come with a collateral free scheme to finance Solar Rooftop Projects for captive use by MSMEs.
- MOU with LiuGong India Pvt. Ltd. Equipment's: Construction Equipment's financing under our bank CV-CME scheme.
- Co-Lending :- Financing under Co-lending model with Paisa Lo Digital Limited which is actively involved in extending loans to SMEs with focus on small ticket size to individuals (mainly women)

Launch of Unsecured Loans to MSMEs under co-lending arrangement: We had launched the product under co-lending arrangement with UGRO Capital Limited on Digital Co-Lending platform on 31.03.2023.

Retail Credit

The Retail Asset of the Bank increased to ₹1,87,688 crore (excluding TWO)in FY 2023 from ₹1,50,253 crore in FY 2022, registeed a growth of 25% on a YoY basis. The organic Retail Loans increased to ₹1,78,037 crore in FY 2023 from ₹1,40,399 crore in FY 2022, an increase of 26.8% over the previous year. Retail Assets constitutes 23.5% (excluding LABOD and Staff Loan) of Domestic Advances as on 31st March 2023.

Retail portfolio of the Bank

(₹ in crore)

Retail Portfolio			
Portfolio	**FY 2022**	**FY 2023**	**YoY (%)**
Retail Loans*	**1,40,399**	**1,78,037**	**26.8**
Home Loans*	82,009	98,014	19.5
Auto Loans*	25,130	31,261	24.4
Mortgages Loans*	14,242	16,801	18
Education Loans	6,731	8,196	21.8
Personal Loans	9,748	19,645	101.5
Gold Loans	1,371	2,420	76.5
Others	1,168	1,700	45.5

*Ex-pool purchase (Organic)

The key highlights of retail business in FY 2023 include:

- Our Bank got award for "Best Bank in Home Loan and Car Loan" from NAVBHARAT Group.
- Our Bank got award for "Best Bank in Home Loan" from Financial Express.
- Our Bank got award for "BEST PERFORMING PRIME LENDING INSTITUTION" under PMAY (U) CLSS from HUDCO.
- Bank's Mortgage-based loan book (Home, Mortgage and Rent Receivables) stood at ₹1, 25,737 crore as on 31st March 2023 (excluding TWO)
- Within Retail segment (Excluding Two) Organic Auto, Education and Home loans posted an increase of 24.96%, 24.55% and 19.52% respectively.
- Personal Loans Book of Bank increased by 102%.
- Bank opened 2 more new Specialised Mortgage Stores (SMS), with that SMSs increased to 137 as on 31st March 2023. These stores are located all across the country to deliver specialized and faster mortgage-based retail credit delivery.
- Introduced Home Loan to Corporates and special offerings to Govt. Employees.
- 1357 New Project Approved.
- DST channel strengthened, number of DSTs increased to 2101 as on 31.03.2023 from 660 as on 31.03.2022.
- Digital End-to-End Auto Loan journey for ETB / NTB Pre-approved & non-preapproved journey launched. 1562 digitally end-to-end Auto Loans sanctioned and disbursed amount of ₹131.53 Crores.
- Presence on Maruti & Hyundai online portal.
- Google Top 10 search ranking achieved – Education Loan #1st position with FAQ scheme snippet.
- Digital End-to-End Education Loan launched for study in Premier Institutions.
- In Education Loan, Bank disbursed amount of ₹2799.38 Crores in the financial year 2022-23 as against disbursement target of ₹2030 Crores given by DFS.
- Digital End-to-End non pre-approved Personal Loan for ETB / NTB launched.
- New API – 2.0 integrated in LLPS for account opening in FINCALE which will reduce efforts & improve account opening data quality as well as prevent fraud / MIS reporting.
- Mobile App for post sanction inspection in Retail Loan launched.
- Baroda Loan against Future Rent Receivable (FRR), Home Loan, Mortgage Loan, Education Loan schemes revamped.
- BCs been engaged for Home Loan, Auto Loan & Other Retail Loans.
- Implemented retention & cross sell process.
- Automated Pool Portfolio for NPA classification & provisioning in line with RBI directions.
- Introduced digital End-to-End loan to Pensioners, Top-up Loan to Home Loan customers.
- Introduced Mobile Apps for file login by partners.

Rural and Agricultural Lending

Agriculture, with its allied sectors, is unquestionably the largest livelihood provider in India, more so in the vast rural areas and it also contributes significantly to the Gross Domestic Product (GDP).

Bank has a network of 8,200 domestic branches, of which 4,942 rural and semi urban branches are leveraged fully for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances increased to ₹1, 24,247 crore as on 31st March 2023 forming about 16% of the gross domestic credit.

Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 69 districts across the country.

Bank continues to be one of the leaders in lending to agriculture sector, which received an impetus with the Government's vision of "Atmanirbhar Bharat". The Bank has moved beyond granting simple farm based credit to a more diversified rural lending strategy to encourage capital generation to farmers and build a robust infrastructure in agriculture and Animal Husbandry. We are focusing more on newly introduced products such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme (AHIDF), PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME), Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evem Utthan Mahabhiyan Scheme (PM Kusum), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme (PMMSY) and compressed biogas products.

In the recently concluded 'BEST' campaign under AIF launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, our Bank secured the 1st position under "Achievers of Campaign Sanction Target" by achieving 113.50% of target among all Commercial Banks. Bank has also qualified in the remaining two categories i.e. "Amount sanctioned under AIF" and No. of project sanctioned" among TOP 5 Banks from the Banking Industry.

Bank continues to focus on its flagship products like KCC, Agri Gold Loans, Farm mechanisation (Tractor loans), Horticulture loans, Financing to Self Help Groups (SHGs), Financing to Farmer Producer Organization / Farmer producer company (FPO/FPC), Hi-tech Agriculture and Food and agro-processing. During the year, the Bank has issued 3.17 lakh new Kisan Credit Card (KCC) of which 1.18 lakh are Animal Husbandry and Dairy (AHD) KCC issued to farmers engaged in animal husbandry and fisheries activities. As part of its microfinance initiatives, Bank has credit linked 84,573 SHGs by granting loans amounting to ₹2,899 crore during FY 2023.

Bank is pursuing tie ups with various private partners to enhance credit linkage of SHGs. To improve Turnaround Time and to enable hassle free instant Savings Bank Account opening for SHGs, TAB banking was introduced last year. In Tractor loans, rate of interest has been linked with LTV of Tractor for the convenience of farmers. Our Bank is a partner in the development of the digital KCC journey, on the Jan Samarth portal, initiated by the Government of India. It is expected to go live in a few months. We have already introduced a digital journey for Gold Loans.

Bank had introduced Centre for Agriculture marketing and Processing (CAMP), a dedicated centralized centres for processing of agriculture loans with a special focus on non-traditional and high value Agri advances. During FY 2022-23, CAMP has sanctioned loans to 30,473 farmers, amounting to ₹2,898 crore.

Bank had also organized its unique annual customer outreach programme "Baroda Kisan Phakwada" from 15.11.2022 to 30.11.2022. During the fortnight long programme, a total of -20152- outreach programmes like Farmer Meetings/ Choupals/ Kisan Melas/ Health Camps (Soil / Animal / Farmer) etc were organized by the Branches/ Regions & Zones, connected with -3,87,179- farmers.

Priority Sector Lending

Priority sector advances of the bank increased to ₹2, 87,589 crore during FY 2023 from ₹2,60,818 crore during FY 2022, growing @ 10.26 %. Bank achieved the mandatory targets under all the categories of Priority Sector Lending as on 31st March 2023.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (SC/ST) communities went up to ₹17,519 crore as of 31st March 2023. The SC/ST communities accounted for 17.73% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Further, special thrust is given by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India.

Gold Loan

Bank's gold loan portfolio increased to ₹38,518 crore as on 31st March 2023 from ₹29,316 crore as on 31st march 2022, registering a growth of 31.38% on YOY basis. Within gold loan portfolio, Agriculture gold loan grew by 30.47% contributing ₹35,829 crore (excluding TWO) in FY 2023 from ₹27,459 crore in FY 2022. Retail gold loan increased to ₹2,419 crore in FY 2023 from ₹1,371 crore in FY 2022, registered a growth of 76.44%. During the year, the Bank has added 303 new gold loan disbursing branches taking total number of Gold Loan designated branches to 5,900 in FY 2023 from 5,601 branches in FY 2022. The increase in spread of Gold loan designated branches across the country with share of geographies other than southern parts stands at 27.11% in FY 2023 as compared to 25.18% in FY 2022. The number of Women beneficiaries of gold loan accounts increased to 10,09,856 in FY 2023 from 8,13,502 in FY'22, added 1,96,354 new such accounts during the year. The contribution of Agri Gold Loan in total Agriculture advances increased to 28.49% in FY 2023 which was at 25.14% in FY 2022 and 22.30% in FY 2021. Average ticket size of gold loan increased to ₹1.58 lakhs in FY 2023 from ₹1.46 lakhs FY 2022. Average amount of gold loan per branch increased to ₹6.52 crore in FY 2023 from ₹5.23 crore in FY 2022. Credit quality of Gold Loan portfolio remained healthy with GNPA ratio of 0.22% as on 31st March 2023.

During the financial year. Beside many changes in the product bank has imparted training on appraisal of gold jewels/coins and certification to our own staff, in order to build confidence among the staff while appraising of gold ornaments done by assayers.

Financial Inclusion (FI)

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through BC model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. With the advent of technology, innovative steps are being taken for serving the unbanked areas. Bank expanded its BC network to 51,780 by engaging additional 12,442 BCs (including 8861 BCs of UPSRLM project) as on March 31, 2023 to cater to rural, semi urban and urban areas across the country. Bank took the following initiatives towards promoting financial inclusion:

- Online NPA Recovery portal for BCs was launched.
- Online Loan Lead portal for BCs was launched.
- Survey of Customers who transacted at BC point was conducted and 94% of Customers rated the services at BC point were satisfactory and above.

- Launched opening of NON BSBD Account at BC Point.
- Launched Android based BC Inspection App for monthly inspection of BC points by officials of the Bank and BC Supervisors.
- As a risk mitigation measure voice over in Bilingual for every transaction was introduced at BC points.

Performance highlights under financial inclusion during FY 2022-23:

- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased by 31.21 lakh (5.63%) and PMJDY deposits increased by ₹4,920 crore (21.76%).
- The Bank's share in comparison with PSBs stood at 15.30% for PMJDY accounts and 17.50% for deposits under PMJDY accounts.
- Zero balance PMJDY accounts of the Bank reduced to 5.22% as on 31st March 2023 as against 5.75% as on 31st March 2022.
- Cumulative enrolments under micro insurance during the financial year increased by 77 lakh and reached to 3.90 crore as on 31st March 2023.

Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda

The Bank sponsors three Regional Rural Banks (RRBs) namely Baroda U.P. Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank in the state of Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat respectively. The aggregate business of these three RRBs increased to ₹1,48,737 crore as on 31st March 2023 from ₹1,33,080 crore as on 31st March 2022. These RRBs together posted a net profit of ₹719 crore during FY 2023, increased by 15.49 % as compared with net profit of ₹594 crore during FY 2022. The net worth of these RRBs put together improved to ₹5704 crore as of 31st March 2023 from the level of ₹4,986 crore as of 31st March 2022.

Awards:

- Our sponsored RRBs put together bags 21 Top Performing Awards (BGGB-9, BUPB-6, and BRKGB-6) under various campaigns conducted for enrolment of Atal Pension Yojana by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- Baroda Gujarat Gramin Bank was Runner UP for Best Technology Talent at 18th IBA Technology Conference, Expo and Awards.
- Baroda Gujarat Gramin Bank also conferred with the special prize for Best Financial Inclusion RRB and IT Risk Management at 18th IBA Technology Conference, Expo and Awards.
- Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank was recognized with following five awards at IBA Annual Technology Awards:

1. Best Technology Bank of the Year (Consecutive 8th Year).
2. Best Digital Financial Inclusion Award (Consecutive 4th Year).
3. Best IT Risk Management.
4. Best Artificial Intelligence and Machine Learning.
5. Best Digital Engagement.

Further Runner Up in following two categories:

1. Technology Talent.
2. Fintech Collaboration.

- Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank also won award for outstanding performance in AIF (Agri Infra Fund) Scheme and NRLM by Ministry of Agriculture and NRLM.

Stressed Asset Management

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and in ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages.

Bank has strategies to touch each and every NPA account in a scientific manner. Hence Bank has having special skill set under an Apex Vertical 'Stressed Assets Management Vertical', at Corporate Office. In this vertical -5- Stressed Assets Branches (SAM) were set up with special skill set to cater all accounts under National Company Law Tribunal (NCLT), -12- Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at zonal level were established to handle NPA accounts other than NCLT with outstanding balance above ₹5 crore. These Branches are under direct supervision of corporate office to reduce TAT. Further -65- Regional Stressed Assets Recovery Branches (ROSARB Branch) at Region level were established to handle NPA accounts with outstanding balance above ₹50 lacs to ₹5 crore.

Under Govt of India Digital Initiative, Bank has taken several steps for end to end digitalization of the entire recovery and monitoring procedure without paper movement and Real Time basis. In this connection,

1. "QLICK" It picks several data points from FINACLE on real time basis without manual intervention and calculates Days Past Due (DPD) Report, NPA Movement Chart and Mock Runs – for forecasting daily degradations.
2. "ILMS" Mobile app and Desktop based portal which is an online repository of entire NPA A/Cs irrespective of amount. It provides online 360 degree live monitoring of accounts without any manual intervention, like SARFAESI status, DRT/NCLT status, Provisioning, Daily

Recovery, lawyers performance analysis and online submission/ sanction of OTS proposals it reduced the TAT.

3. Bank is member of eBkray portal which is being used for auction of properties under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI) & banks success rate under SARFAESI is 52%.

Bank also adopted the following strategies for recoveries and reduce slippages.

1. To have a proper monitoring of the portfolio of Agriculture, MSME and Retail Loans we have taken a cluster / area approach with dedicated recovery officers.
2. Proper allocation of small NPA accounts to Recovery Agents / Business Correspondents / Feet on Street to be done by Portfolio Managers at ZO/RO level and properly monitoring them.
3. Arranging the National Lok-Adalats & Introducing the Pre Lok-Adalat meetings for maximum participation of borrower during the Lok Adalats.
4. Bank has initiate the SARFAESI action in all eligible NPA accounts and continue the action till conclusion / disposal of asset & recovery in the account. We are also listing/ publishing the auction property details on Bank's website, Newspaper, Radio, social media web portals and as well as leading property web sites.

The movement of NPAs during the last two years is as under:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2022	FY 2023
Gross NPA	54059	36764
Gross NPA (%)	6.61%	3.79%
Net NPA	13365	8384
Net NPA (%)	1.72%	0.89%
Additions to NPAs	14255	11150
Recovery/ Upgradations	8448	10100
Write offs including TWOs	17967	17998
Recoveries in write off accounts	3578	4781
Provisional Coverage Ratio (including TWO) (%)	88.71%	92.43%
Provisional Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	75.28%	77.19%

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

(₹ in crore)

Asset Category	FY 2022	FY 2023
Standard Advances	764061	932784
Gross NPA	54059	36764
Total Gross Advances	818120	969548
Gross NPAs comprising		
Sub-standard	5280	5439
Doubtful	31512	19182
Loss	17267	12143
Total Gross NPA	54059	36764

Bank believes in Nation Building by extending hands to stressed entrepreneurs through restructuring as per RBI guidelines.

In order to address the large number of small NPA accounts, Bank had launched in FY 22-23 its special One-Time Settlement (OTS) scheme "Rin Mukti Yojana" for settlement of NPAs in small value DB - II, DB - III, Loss, PWO & TWO accounts and "Vasooli Sankalp" for settlement of NPA/TWO/ PWO accounts having outstanding balance up to ₹1.00 Crs. The Bank recovered NPA accounts amounting to ₹596 crore (NPA accounts Balance reduced by the ₹1326 crore) under Rin Mukti Yojana and recovered ₹1665 crore under Vasooli Sankalp scheme.

To have better and targeted monitoring mechanism & reduction in SMA – I & SMA - II accounts of large corporate are being monitored by Stressed Asset Management Vertical in coordination with Credit Monitoring Vertical to find out the resolution and exploring all prospects of recovery, up gradation.

International Banking

The Bank has -93- overseas branches/offices across -17- countries comprising of -40- overseas branches/offices (including -1- International Banking Unit in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, India, -9- EBSUs in UAE and -1- Mobile Banking Unit in Mauritius), -53- branches of the Bank's -7- overseas subsidiaries. In addition, the Bank has one Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and one associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with -30- branches.

The Bank has presence in the world's major financial centers of New York, London, Dubai, Singapore and Australia. In addition, Bank has a wholesale branch in GIFT City (SEZ), Gujarat, India which is treated as an offshore banking unit and has been chosen the branch as a center for business growth taking into consideration the immense business potential, tax advantage, Government initiatives etc. Bank has taken various proactive steps in creating world class infrastructure for the branch in IFSC including state of the art dealing room for International treasury of global standard at GIFT city.

Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin.

Looking into the available business opportunities, Bank has also diversified the advances portfolio by taking exposure on Non-India related syndication loans in the primary and secondary market. Also, various new products have been launched to broaden the product basket.

Further, in overseas centers, substantial progress was made in IT up gradation for end-to-end business solution, with a focus on digitization and centralization, to improve productivity and customer experience. Bank is continuously integrating multiple platforms of technology to generate synergies.

In line with directives of Government of India, Bank has strategically undertaken rationalization of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. As part of this exercise, during FY'22 Bank has closed its operations in Hong Kong and South Africa while in FY 2023, Bank had closed one of its branches in UAE. The Bank is continuously consolidating and re-organising its International Operations in line with the new global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

As of March 31, 2023, the Bank's total business (net) from international branches was ₹3,20,722 crore and constituted 14.95% of the global business. Total deposits were at ₹1,56,313 crore while net advances were ₹1,64,409 crore as on 31.03.2023.

Domestic Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state of-the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets such as foreign exchange, interest rates, fixed income, money market, derivatives, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

Treasury maintains the regulatory requirements of CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) and manages the surplus/ deficit funds. Treasury borrows/invests in money market and capital market instruments as part of fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of 31st March 2023 stood at ₹3,52,875 crore. The share of SLR securities in total investments was 83.22%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to Net Demand and Time Liabilities (NDTL) as of 31st March, 2023 was at 23.89%. The Bank capitalized on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained yields on total investment for FY 2022-23 at 6.84% (including profit on sale). During FY 2023, the profit on sale of investment and foreign exchange earnings were ₹1,115 crore and ₹124 crore respectively.

Government Business

The Government Business Vertical is an important part of the bank's strategy. It caters to the Banking requirements of Central/State Government and PSUs across India.

We handle payment of Central Government and State Government pensions, postal transactions, Treasury/sub-Treasury transactions, Public Provident Fund scheme, Senior Citizens' Saving Scheme, Sukanya Samriddhi Yojana, National Pension System, Atal Pension Yojana, e-Kisan Vikas Patra, RBI bonds, Direct Tax collection (CBDT), CBIC, ESIC, MHFW, GST, e-stamping and Sovereign Gold Bonds. These products have contributed towards collection of fee income of ₹120.48 crore and also enhancing Bank's goodwill.

We also facilitate opening of Accounts of various State/ Central Government organizations and helps in mobilizing CASA deposits for the Bank. We also focus on offering various services such as onboarding of our customers to GEM portal, PFMS etc. which in turn helps us in establishing new relationships and canvassing CASA. On 01.02.2023 the bank has integrated with newly launched e-Filing portal (CBDT TIN 2.0) . All the branches of the bank are now authorized for collection of OTC CBDT challans.

Our Bank is an accredited banker to the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Legal Affairs.

Our main focus is on providing the allied services i.e. on boarding of Govt. departments on PFMS Portal, canvassing Govt, CASA accounts, monitors all the branches conducting Government business and provide endless support to their queries and address their doubts. We launch campaigns to constantly motivate all the branches to enhance business.

Appreciations from Government bodies during FY 2023;

- Awarded Certificate of Excellence for Winning Wednesday in recognition of achievement of Targets & contribution towards Atal Pension Yojana.
- Awarded Makers of Excellence 5.0, Best Performing Executive Director, Leadership Campaign 4.0, Award of Excellence & APY Annual Award from PFRDA.
- Qualified under Beat the Best & Be the Best campaign for APY launched by PFRDA and awarded Exemplary Award of Par Excellence.

Wealth Management

Growth of Wealth Management business is linear to growth in economy and burgeoning growth of India economy augurs well for Bank of Baroda with captive clientele base of 160 million. Hence, Wealth is emerging as a key focused area for your Bank. The efforts of your Bank are being recognized in the industry, and your Bank is now internationally accredited & winner of 'Global Private Banking Innovations Awards 2022' for Outstanding Wealth Management Offerings for affluent clients.

The Bank is constantly hiring skill resources from the market to cater to the affluent segment (Radiance) whereas incumbent staff, having requisite regulatory certificates and

knowledge of Wealth, is deployed at potential branches to reach out to the customers.

Bank has also launched 'Radiance Private' segment for the super affluent clients and is on hiring spree to create robust team and value proposition.

The Bank is bracing up for delivering efficient and seamless services to the customers by focusing on product, process and people. To smoothen the process of distribution of investment and insurance products, your Bank is investing in robust technology to reach out to customers, through digital mode giving them a delightful experience. With this objective your Bank has on boarded new aged tech companies in FY 2023, to develop digital and customized journey, providing insurance and investment solutions. These solutions will enable Bank to make efficient use of AI and analytic to offer customized products to the customers.

The Bank believes that only skilled resource can cater to the clients' requirement and hence the Bank has entered into some reputed training providers institutions.

However, leveraging the vast network of branches Bank collected premium of INR 1288 Crore under Life Insurance and joined the league of handful of Banks having cross the milestone of ₹1000 crore premium through bancassurance channel. This performance has enabled your Bank to register 31 % growth in Life insurance premium segment. Similarly, collective premium from non-life insurance has grown 23 % from ₹490 Cr to ₹605 crore. MF AUM stands at INR 9740 Cr despite the market volatility.

On engagement front, with internal and external stakeholders, Bank is reaching out to affluent clients with '*Wealth Insight*' monthly magazine and customer engagement conclaves at major cities, keeping customers abreast of market happenings and Bank's initiatives in Wealth space. Whereas for internal staff your Bank is enhancing skill & knowledge of staff deployed in Wealth Business by arranging Webinars, inviting market experts on regular basis.

Digital Banking products

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World, BHIM Baroda Pay, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers(SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

bob World

bob World activation increased substantially during FY 2023 to 102.72 Lakh from 101.45 Lakh during FY 2022, thereby registering a growth of 1.2% during the period. Financial transactions on bob World also increased to 1,864.7 lakh in FY 2023 from 1,483.94 lakh in FY 2022, grew by 25.66% during the period. The Non-Financial transactions increased by 26.51% to 27,745lakh in FY-2023 from 21,931.55 lakh in FY-2022.

Debit cards

The Bank has an active card base of 8.25 crore as on 31st March'2023, an YoY increase of 11%.To increase e-commerce/POS transactions and to make Bank's debit card as the preferred card of choice for the customer, the Bank tied up with various merchants for providing lucrative offers to debit card customers and launched 26 campaigns during the period from Oct'22 to March'23 with various popular merchants such as Xiaomi, Swiggy, Meesho, Myntra, EaseMyTrip, Yatra, JioMart, Tata.

In FY 2022-23, Bank has launched "bob World Sapphire" (Male & Female sub-variants) and "bob World Opulence" (Metal card) debit cards which are exclusively curated for our premium and Super premium customers bundled with value added features. During the year Bank has also launched "bob World Yoddha" & "bob World Agniveer" debit card exclusively for Defence personnel and "bob World Pudhumai penn" debit card for Girl Students in the state of Tamil Nadu. Bank's Platinum debit card base has increased to 1.24 crore as on 31st March 2023 registering an increase of 83% over the previous year.

Baroda FASTag (National Electronic Toll Collection - NETC)

Bank has issued 1.71 lakh FASTag in FY 2023. Bank's FASTag is available to BOB customers through bob World mobile app and customers as well as non-customers can apply for FASTag through FASTag customer portal.

Bharat Bill Payment System (BBPS)

Bharat Bill Payment System (BBPS) is an interoperable platform for repetitive bill payments which offers real time bill payment and recharge services to customers. BBPS is an RBI initiative product and managed by NBBL (wholly owned subsidiary of NPCI). Our Bank is authorized as Customer Operating Unit (COU) and Biller Operating Unit (BOU) for facilitating BBPS services. In FY 2023, Bank has processed 3.29 crore bill payment transactions amounting approx. ₹4,800 crore. Bank has also on-boarded Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) biller under Municipal Tax category for facilitating their bill collections through Bank's Biller Operating Unit (BOU).

ATM

Our Bank is having the wide network of 9,764 ATMs and 1,637 Cash re-cyclers as on 31st March 2023 with very user friendly screen to navigate under 8 languages Hindi, English and local language of place of deployment offering a smooth experience for our customers in their day to day banking operation. Our ATMs are enriched with features such as green pin generation, National Electronic Fund transfer, Cash on mobile services where customer can withdraw money from ATM without using Debit card etc. Our Bank has launched the facility of Interoperable Card less Cash withdrawal (UPI ATM)

at 4725 locations where customer can withdraw money using UPI QR services (ICCW) of Bank.

Bank is also in process of revamping/replacing the existing 6592 ATMs sites and machine under OPEX Model. As of 31st March 2023, 4646 are made live under OPEX model for seamless ATM services and enhanced customer's experience.

Internet Payment Gateway (IPG)

The Bank's IPG infrastructure bob World Merchant Gateway is an online service that is being offered to customers to conduct their business online by accepting payments securely in real time. The Internet Payment Gateway provides an interface between merchants and their customers for secure payment processing using online modes.

bob World Merchant Gateway facilitates receiving payment online from debit/credit card, Net Banking, UPI, Wallet, AEPS, AADHAR PAY, QR code etc. And offline modes i.e. NEFT/RTGS in a simple and secured manner, which is essential for e-Commerce/online business.

To provide a seamless and customizable service, Bank has tied up with 13 aggregators and 3 master merchants. Bank achieved a growth of 16% in IPG merchant on-boarding in FY 2023.

BHIM Baroda Pay:

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect requests which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. During FY 2023, an increase of 46% merchant on-boarding for UPI QR in comparison to FY 2022. There is tremendous growth in UPI QR transactions from 2.34 Crores to 6.63 Crores.

bob World (Internet Banking):

During FY 2023, Bank has successfully on boarded many new customers on its internet banking platform. The total number of Internet Banking users of the bank increased to 99.71 lakh during FY 2023 from 88.09 Lakh during FY 2022.

Baroda TabIT:

The Bank embarked upon digitizing its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with bundle of services (Personalized Cheque Book, Personalized Debit Card, Mobile Banking with MPIN, SMS Alert, Internet Banking) and POS, UPI QR, IPG lead generation through its TAB banking platform – bob World Tab. Bank opened more than 63 lakh savings account and 2.3 Lakh Current accounts through this platform during the FY 2023.

Credit Card Issuance and Self-help Group account opening has been initiated through bob World Tab. Feedback functionality has implemented in bob World Tab Platform for capturing customer experience.

Company Account (Public / Pvt) Opening has started through bob World Tab and total 1413 account are opened so far through bob World Tab (Launch on 22 Nov 2022)

The bob World TAB on-boarding platform is now extended for Existing Customer with new 17 Services to Digital Banking Units. These Services are;

Customer Complaint Registration - Tracking of Complaint & Suggestion/Registration (Redirections)

Online FD account opening for ETB customers

Online RD account opening for ETB customers

Blocking, of Debit Card service

Email ID Updation service

Online PAN Number Updation

Account Statement Service

Cheque Book Request –ETB

Nomination Update – ETB

Lead Generation (HL/PL/AL/EL) – Redirections – (Self Services)

Mobile Banking Registration service for ETB customers through TAB:

Internet Banking Registration service for ETB Retail customers through TAB

APY Opening through TAB

PMJJY – PMSBY Micro Insurance

Self-Services – Jansamarath Portal , Internet Banking , bob Wolrd Kishan , B-3 Accounts

Lead Generation for Assets products (Redirections)

Personnel Loan & Auto Loan (Assisted Mode – Redirections)

Functionality	FY 2022	FY 2023	Growth YOY %
Saving Bank Account	5046885	6301204	24.85
Current Account	147908	230046	55.53
SHG A/c	11221	50077	11.50
Credit Card Application	190960	1196735	56.00
UPI Merchant On boarding	199772	520424	160.51
Company account	0	1413	

WhatsApp Banking:

- WhatsApp Banking User registration –

Year	Number of Users registered on WhatsApp Banking (in lacs)
FY 2021	6.16
FY 2022	14.04
FY 2023	40.48
Total registration	60.68

• WhatsApp Banking Transactions -

Year	Number of WhatsApp Banking Transactions (in lacs)
FY 2021	47.8
FY 2022	207.5
FY 2023	343.4

Digital Banking Units:

In the Budget -2022, Government of India announced to set up 75 Digital Banking Units across 75 districts with an aim to take digital banking to every citizen.

Our Bank had been identified as core committee member by IBA for setting up of Digital Banking Units. IBA conducted various meeting with Public sector Banks and private sector Bank for finalizing the setup of Digital Banking Units. Our Bank has set up Digital Banking Unit in 8 districts (Vadodara, Silvassa, Kanpur Dehat, Varanasi, Karauli, Kota, Indore and Leh). As of 31.03.2023, bank has operationalised 12 DBUs.

Digital Lending

In these times, the paradigm shift in technological advancements has reshaped the global era of digitization. Almost every industry is trying to drive the change through digitization and the banking industry is on the frontline of exploration and innovation.

The financial services industry is undergoing rapid and far-reaching transformation, underpinned by emerging technologies and socio-economic drivers. This transformation is fundamentally changing market structures and opening opportunities for both incumbents & challengers to create innovative, game-changing alternative products & services.

As technology took the front seat, customers started to seek services that did not require them to travel, particularly for their routine banking needs. This evolving landscape of customer preferences led us to build Digital Lending Platform (DLP).

The Digital Platform is helping Bank to cater to existing customer borrowing needs and acquire new customers from diverse segments using digital means, enter new and hitherto untapped markets, and add a prominent digital dimension to Bank's brand identity.

The platform is empowering the borrower to complete the end-to-end loan process from lead, to sanction, and to disbursement in a few clicks with minimal including mandatory documentation using contactless and paperless process from the convenience of their homes/ office, eliminating the need to physically visit the Bank's branch.

At the core of this digital lending platform, fintech are playing a pivotal role in revolutionizing credit ecosystem by creating alternative lending channels that offer significant advantages to both Bank and borrowers.

Initiatives of Digital Lending to improve Bank's business portfolios;

Retail Initiatives:

- Bank has launched **Digital Auto Loan** journey with customer self-service journey, Bank Officer assisted journey and Dealer assisted customer journey.
- Bank has launched **Pre-approved Auto Loan** for ETB customers that enables an existing customer to get auto loan digitally for purchase of a vehicle without any separate income assessment process. This will result in significant reduction in TAT.
- Bank has launched **Digital Education Loan** journey for pre-approved institutes & non-preapproved institutes. Journey is made ready for Educational Development Program.
- **Branch Officer Assisted Journey for Personal Loan** to facilitate the branches to carry out / support the Digital Personal Loan process for customers at different stages of the journey.
- Expanded gamut of pre-approved loans with launch of **Pre-approved Home Loan Top-up** for Bank's existing home loan customers.
- Bank has launched **Digital Pensioner Loan** for Bank's existing pension customers.

MSME Initiatives:

- Bank has enhanced limit from Rs.25 lakhs to Rs.1 crore for **Digital Renewal of MSME** loans. With enhancement in limit, additional 80,000 accounts can be renewed digitally.

Agri Initiatives:

- Bank has launched **Digital Journey for Gold Loan** to provide enhanced banking experience to the customers.
- bob World **Kisan platform** has been revamped to align with bob World branding. The platform is revamped in order to enhance customer experience and to increase the traffic on the platform by offering new functionalities like lending, insurance, integrated marketplace and new advisory services.
- Bank has launched digital process for **renewal of BKCC loans**.
- Bank has launched digital journey for BKCC upto in-principle journey

Analytics Cyentre of Excellence (ACoE)

The Bank continues to accelerate in data driven banking. Self-service analytical capabilities are rolled out to all business units and branches. The digital banking initiatives are being augmented with advanced analytics and real time use cases. The Bank is going beyond cross sell, up-sell, early warning signal, etc. use cases to advanced ALM, Risk and AML/ Fraud management with advanced machine Learning

techniques. The focus of the bank is to drive personalization while establishing a strong risk management framework on the back of data and analytics.

Information Technology

- Bank has successfully implemented Account aggregator (AA) ecosystem as an alternative mechanism to provide the bank statement and related details through the ecosystem with customer's consent.
- Bank has revamped the UPI platform to handle better transaction processing capability to cater the multi fold increase in transaction volume.
- Bank has implemented Card on file tokenization (CoFT) and Token Life Cycle Management for RuPay & MasterCard variants.
- Bank has set up Digital Banking Units for delivering digital banking products & services as well as servicing existing financial products & services digitally.
- Bank has introduced various enhancements in VCIP (Video based Customer Identification Process/Video KYC) process viz. life certificate, language based call assigning, digital education loan etc. along with new centers.
- Bank has implemented new portal for facilitating release of funds under Centrally Sponsored Schemes (CSS) of Govt. of India.
- Kisan Portal revamping done to make the portal more customer friendly and to extend the service to non-bank customers.
- Bank has rolled out pilot Central Bank Digital Currency (CBDC) referred to as e₹ (Digital Rupee) is a digital form of currency notes issued by the RBI. Digital Rupee is to provide an alternate to cash which is secure, fast (instant settlement) and cost-effective payment system for both individuals and businesses.
- Bank has added new services in Mobile Banking application "bob World" for the customers including Persona based theme for Senior Citizens, NPS subscription through bob World, Insta-Demat Account Opening, Common QR scanner for UPI & Bharat QR, Wearable (bob World Wave) issuance and management, Chatbot, Allowing PC/FB accounts access, Account statement/Interest & TDS certificates in Hindi, Smart search, Credit Card integration, Sovereign Gold Bond issuance, eKVP account opening etc. bob World contains 200+ services for 360° banking needs of the customers.
- Bank has added new services in Internet Banking Platform to enhance customer experience viz. ePA PFMS online payments, Integration with TIN 2.0 for Tax payments, Multiple integrations with state treasuries for Tax payments, Enabling bulk NEFT/ RTGS upload feature for corporate Users, NPS registration & contribution etc.
- Bank has augmented the infrastructure to sustain load of all applications based on the present volumes, future projections.
- Bank has automated many internal banking processes to improve the efficiency.
- Bank has enhanced CRM capabilities by integrating Lead management module for Retail Asset products, Retail, MSME, AGRI, Credit Card & Wealth products.
- Bank has upgraded AML in international territories (IFSC BU, Uganda, Botswana, Oman, Australia, Seychelles, Fiji & UK Wholesale).

Cyber Security

The Bank has a well-defined Cyber Security Governance framework in place that is operated through a combination of management structure, policy framework and operational controls which is aligned with business strategies of Bank for comprehensive IT risk management. To provide cyber-resilience & for managing enterprise risk, Bank continuously implements adaptive security controls to mitigate risks, thereby minimizing cyber-attack surface. The Bank follows both NIST (National Institute of Science and Technology, USA) Cyber Security Framework and RBI Cyber Security Framework.

Cyber Security is being monitored and managed on 24X7X365 basis by Cyber Security Operation Center (CSOC) for monitoring active threats in Bank's environment. The Global CSOC is tightly coupled with all the verticals of the bank at domestic and international territories. It is equipped with state-of-art cyber security solutions for threat modelling, detecting, analyzing and mitigation of cyber-threats. Bank's Data Centre and Data Recovery Centre are ISO 27001:2013 certified.

In addition to the existing checks and controls, Bank undertook the following measures to enhance cyber security:

- Regular Random Early Detection (RED) team exercise carried out to provide valuable and objective insights about vulnerabilities and the efficacy of defenses and mitigating controls already in place.
- Cyber Insurance Policy from a reputed insurance provider to protect business and individuals from Internet-based risks and frauds.
- Customer Awareness includes Cyber Security awareness messages via SMS & E-mail, social media platforms, websites, ATM's for educating customers about cyber security.
- Data Leak Prevention (DLP) ensures that no confidential information is leaving the Bank network. Data leakage prevention is helping in application monitoring, email monitoring, malware protection and user access control.
- Network Access Control (NAC) is helping Bank in providing restricted access to computing resources. It provides visibility, access control, and compliance that are required to strengthen network security infrastructure.
- Anti-Phishing & Brand Monitoring Services

Marketing

The Bank continued to have its impactful presence across the media spectrum reaching out to its customers through electronic, radio, OOH, digital, and events. During the year, Bank continued to further thrust on its flagship digital sub brand 'bob World' by highlighting additional new features and other products campaigns such as Home Loan, Car Loan, MSME loans, Online SB Account Opening etc. Bank celebrated 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' during anchor months (July 2022 and January 2023) on Pan India basis with special focus on SLBC states (Gujarat, UP and Rajasthan).

Using an innovative approach, Bank launched 115 hours of RJ Marathon to commemorate Bank's 115th Foundation Day giving insights into the rich history, legacy, products, and remarkable achievements over the years. On the same lines, Bank associated with reputed and vibrant platforms like Rashtra Sarvopari Sammelan, India Economic Summit and Sahitya Aaj Tak which promotes freewheeling conversations around India's Culture, Economy, Politics, Literature, etc

Bank has a history of associating with ace athletes and sportspersons making them brand endorsers and play a crucial part in their sporting career. The Bank continuously supports the youth of the country through its various banking and non-banking initiatives. This association reflects the Bank's ethos of adding value to its customer experience by choosing to associate in various Sports. In order to reach these Millenials and sports loving youth; Bank initiated television campaigns during All England Open Badminton Championships, 2023 and FIH Hockey World Cup at Odisha and also run a special TV campaign on occasion of National Sports Day.

Bank of Baroda has always been a strong supporter and enabler of women empowerment through its various products and services. In addition, Bank has always been a strong Launchpad for women in sports like in the case of Ms P V Sindhu who is a renowned sports icon and is associated as Bank's Brand endorser. In order to further deepen the association with our new Brand endorser Ms. Shafali Verma, Bank released TV Media campaigns during T20 Women's Asia Cup 2022, U19 Women's T20 World Cup and Maiden Women's IPL 2023.

Bank of Baroda's Sun Run 2.0 took place on January 29, 2023 at Jio World Garden in Mumbai. Ms. PV Sindhu, India's badminton superstar and Bank of Baroda's brand endorser along with the top management from Bank of Baroda including Shri Ajay K Khurana, Executive Director, Shri Debadatta Chand, Executive Director and Shri Lalit Tyagi, Executive Director flagged off the event. Over 3500 people participated in the event, resulting in an electrifying and fun atmosphere. Sun Run 2.0 which featured two race categories – a 10 km timed BOB Pro Run and a 5 km non-timed BOB Fun Run was aimed at promoting fitness amongst Corporate employees thereby building a much stronger and greener environment.

Bank of Baroda associated with ultra-marathoner and Founder Director of Team Fab Foundation, Shri Kumar Ajwani for the BOB Golden Quadrilateral Run, covering 5,933 kilometers in ~100 days. The run was recognized by Guinness World Records for the fastest time to travel the Indian Golden Quadrilateral on foot (Male) and also been recognized by World Books of Records, London. On social media platforms, Bank of Baroda extensively promoted the #GoldenQuadrilateralRun of Mr. Kumar Ajwani, supporting the rehabilitation of Indian soldiers, who have been wounded in battle while defending our country as well as helping tribal schools.

As part of Bank Green initiative '#BOBGreenRideWithMilind 2.0, Ek Pehal Swachh Hawa Ki Aur,' was extensively promoted on social media which was partnered with the environment advocate and fitness enthusiast, Milind Soman. Under this initiative, Milind embarked an 8-day sustainable journey on a bicycle and an electric scooter covering about 1,400 km from Mumbai to Mangalore. Various social media posts and videos were published promoting eco-friendly transportation, a green lifestyle as well as the importance of health & fitness.

The Bank has always advocated the might of knowledge acquisition and learning in youth and millennials and Jaipur Literature Festival an iconic annual literary festival, was one of the perfect opportunities to champion the same. To promote literature Bank has initiated 'Bank of Baroda Rajbhasha Samman' awards for translation of Novels in Indian languages.

On the digital front, Bank fortified its digital marketing efforts for business conversion leveraging on the digital journeys rolled out for Home Loan, Car, Loan, Personal Loan, MSME, Mudra Loans etc. A total of 100+ Campaigns were executed for awareness as well as business conversions for various products & services such as Home, Car, Personal & MSME loans. More than 10 lakhs leads were generated through Digital paid Marketing activities with approx. sanction of ₹170002.

The Bank's social media family achieved a remarkable milestone in the FY 2022-23 by gaining over 2 million followers across various social media platforms, with the continued and aggressive social media strategy. As a result, the Bank has achieved the milestone of a total of 5 million+ followers. A significant contribution in the growth has been through the #IAmSocial campaign, wherein almost 80% of the Barodians came together and participated with full enthusiasm building an organic fan base for Bank.

Further Bank continued its aggressive social media strategy, promoting its products and services, throughout the year, strengthening its digital presence. The Bank achieved a milestone of 5 million followers across platforms by end of July 2023.

Bank has been doing multiple social media campaigns to empower women and promote gender equality. In continuation of its efforts, the third edition of digital IP #SmashItWithSindhu wherein the Bank provided a platform to bring forward the women who have done commendable work to promote gender equality and meet PV Sindhu and Shafali Verma.

Throughout the year, the Bank's social media strategy effectively showcased the numerous features and offerings of bobWorld. In particular, promotional efforts were intensified during the festive season.

The details of Bank's social media presence are as below:

Social Media Channels	Statistics (No of likes/Followers) as on March 31 2023
Facebook likes	2.96 million +
Twitter followers	9.29 million +
YouTube Subscribers	5.22 million +
LinkedIn followers	2.57 million +
Instagram followers	4.43 million +
Quora Views (started on 1st Jan 2022)	381,412 +

In Website operations, with the go live of Bank of Baroda UK Ltd website, Bank has crossed another MILESTONE in website centralization exercise. With this the bank has successfully revamped and centralized all its 19 websites including domestic corporate website, international territories/subsidiary websites and the bob World website under the centralization project. In FY 2022-23 total session in website is 71.65 million and total 34.71 million users visited the website, Out of total session 67.44% traffic is coming from Organic Sources.

The website enhanced features and functionalities now include:

- Robust search functionality with improved voice search
- Official blog, Lead Management System (LMS) and sophisticated calculators
- Multilingual capabilities Advanced filters
- WCAG 2.0, GDPR compliance, cooks management capabilities
- Accelerating Digital Growth
- Regularized Search Engine
- Optimization (SEO) for all websites Set-up of analytics for data gathering, analysis and action Supporting digital marketing ecosystem with tracking and conversions
- Improving the page load speed time by implementing the best SEO practices

Bank Secured top position in EASE 5.0 for two Search Engine Optimization Performance related parameter, **Domain Authority** and **Keywords Ranking.** Organic session in Banking Mantra section grew by %417 on Y-o-Y. As per Google search console data in FY 2023 Bank of Baroda website pages had total impression of 511 million out of which the total no of clicks was 53.8 million. Performance of product pages saw a healthy growth as listed in table below"

Product	Y-o-Y Growth
Personal Loan	150%
Savings Account	58%
Home Loan	40%
Gold Loan	342%

Total 3,95,899 Leads collected for various products through bank's corporate website channel during FY 2022-23. Top 5 products for highest leads collected during FY 2023, Mudra Loan (74,073), Salary Package for the Brave Beginners-Agniveers (58,217), Baroda Home Loan Takeover Scheme (37,245), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (36,957) and Mortgage Loan (17,406). The details of the various Social Media Awards received by the Bank during FY 2023 have been given in award section of the report.

From a Public Relations perspective, the aim was to build the Bank of Baroda brand, highlighting the Bank's financial performance as well as communicating other key announcements across digital banking, business initiatives, product launches, interest rate offers, partnerships, marketing campaigns, award wins etc. In FY2023, increased the Bank's visibility and positioned Bank of Baroda as the #2 Public Sector Bank and amongst the top banks in the country.

As the Bank continues to leverage new age digital marketing and create an equilibrium between the physical and digital marketing, the objective is to be an aspirational brand which engages, empowers and educates digital audience by providing relevant content and fulfill banking needs by constantly analyzing, measuring and improving experience, response and capabilities.

Corporate Ethics

The Bank launched 'Our Code of Ethics' on 21st May 2022, which has been a milestone in the journey of ethics which the Bank embarked upon by setting up a dedicated Corporate Ethics department and an Apex Level Ethics Committee in 2021. The launch of the Code of Ethics was undertaken at an event where the senior leadership of the Bank was assembled, in the presence of the Managing Director and Executive Directors of the Bank. The department works on the Ethics Agenda of the Bank primarily comprising of developing and implementing the Code of Ethics, conducting round the year education and awareness programmes and devising metrics for measurement of Ethics.

The Code of Ethics is a landmark initiative for a Public Sector Bank in the country. We are proud to be amongst the pioneers in adopting a Code of Ethics and devising an institutional mechanism for handling ethical concerns and issues in the organization. The Code of Ethics has been benchmarked with peer organizations from around the world and has been structured on a stakeholders-centric approach with the employees at the centre as the ultimate owners and drivers of culture. There is a strong alignment of the Code of Ethics with

our Core Values and the Code sets out a guiding framework for how we behave with our colleagues and stakeholders and our expectations from those who work with us. The Code addresses contemporary challenges that the Bank and its employees face, and outlines the responsibilities they carry when addressing emerging critical issues in areas like cyber-security and climate change.

The Banking industry has seen a lot of challenges with the changing times but amidst these, ethics and trust remain at the core of the industry on any given day. The Code gives us the strength to do what is "RIGHT" and will help to enhance our Bank's brand and reputation. The Bank's leaders have been supporting the cascade of the Code through multiple employee engagement events.

One of the most powerful strategies for ensuring the success of our ethics agenda is developing effective channels of communication and towards this endeavour, 'Speak Up!' initiative in line with the Code of Ethics was organized which highlights the channels available in the Bank to raise complaints and issues against unethical practices. Further, a quarterly in-house journal – 'Baroda Sanskriti' - was launched with creative contributions from the employees. Regular Snippets from the Code of Ethics, quizzes, competitions, bilingual Audiobook on COE and other digital communications like the initiative- 'Naitik Series' -videos on ethical dilemmas from the Ethics Department also ensure better awareness of ethics. The Department also carried out a campaign of taking the Ethics Pledge in HR Connect by all employees and achieved an overall completion of 97%, for the Bank as a whole.

Webinars, dedicated training programmes and mandatory e-learning course on Ethics being conducted for all staff members ensure that the Code of Ethics is cascaded to all employees and strengthen the culture of ethics and transparency in our Bank.

By creating a corporate culture that encourages employees to behave ethically and speak up against unethical practices, we expect our organization will be able to deliver powerful Environment, Social and Governance (ESG) outcomes that addresses the interests of all our stakeholders.

Customer Service

The Bank constantly endeavours to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and service delivery that are imperative to providing seamless experiences to its customers. Customer interactions are continuously monitored across channels and channel capabilities (functionalities and the user experience) were enhanced to ensure ease of banking from home. The Bank ensured that frequently used functionalities by customers were made available through digital channels and the contact centre. The 24*7 contact centre has the capability to connect with customers in their preferred languages. Apart from Hindi and English, the language capability was increased to nine regional languages.

The highlight of Contact Centre:

1. The contact centre handled more than 1.5 lakh average inbound customer calls per day during the year and over 1.00 lakh calls daily responded to through IVR.
2. Average more than 1.00 lakh outbound calls per day for sales and surveys.
3. Contact Centre provided emergency services to 6 overseas territories i.e. Botswana, Mauritius, Uganda, Oman, Fiji & Seychelles.
4. 24*7 FRMS alerts by Contact Centre.
5. L2 helpdesk at Contact Centre for exclusively bob World internet and bob World mobile banking related complaints.
6. Contact Centre is providing 15 IVR services and 16 services through agents 24*7.
7. First in industry contact centre started live Video call and live web chat facility for customers.
8. Now contact centre is equipped with many AI-based technologies like Speech Analytics, Social Media Tools, Automated Email Tool, Genie training Tool, AURA call quality Tool, Power BI smart dashboard and many more technologies.

During FY 2023, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances. Approximately 93% of the grievances were resolved within the pre-defined turnaround time. The Bank not only focussed on improving the quantitative performance indicators of grievance redressal but also on improving the quality of resolution to improve customer satisfaction. Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping/service audits and workshops. General Manager, Operations and Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all zonal heads and regional heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. Further, the names of respective nodal officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of the bank. The Bank has appointed an Internal Ombudsman which is a forum made available for the grievance redressal of customers before they approach the RBI Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsman for review. This enhances customer confidence in the Bank's systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it even more transparent.

The Bank's code of commitment to customers and MSMEs, citizen charter, grievance redressal policy, and RBI Integrated Ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies. At the Board level, the subcommittee of the Board for Customer Services addresses the issues relating to the formulation of policies

and assessment of compliance with the same with the aim of consistent improvement in the quality of customer service.

Bank's ChatBot "ADI" is already functional on its website. ADI assists customers in navigating through various pages of the website while providing an interactive experience to the customers. A few features of "ADI" are an instant response to our customers' queries, convenience to chat, available 24*7, digital assistance, and a seamless chatting experience. Bank has also tied up with True Caller services for outbound sales calls. This means that whenever a call is made via an authorized phone no. of the bank, Bank's Logo and a "blue tick" will be visible to the customers on their phone screens, thus assuring the customers that the call is genuine. This will also prevent customers from falling prey to fraud.

The Bank has also changed its toll-free number. It is now an 8-digit number instead of the earlier 11-digit number. This was done after it had come to notice that fraudsters obtain a number similar to Bank's toll-free number and try to dupe customers posing as Bank officials. This has been done with a view to safeguard our customers from vishing.

Handling Customer Complaints

Customers can very easily lodge their complaints directly with the Bank by visiting its website of the Bank and clicking the appropriate link. Alternatively, the customers may also call the toll-free number and get their complaints lodged in the CRM portal of the Bank. Customers also have the option of sending their complaints to Branches and other offices via any mode. All the complaints will be entered into the CRM portal. The complaints are automatically addressed to the concerned resolver based on the category of complaint selected at the time of lodging the complaint.

Bank also has an Internal Ombudsman mechanism in place, as per regulatory guidelines, to instil confidence in the customers regarding the resolution of their complaints.

Bank has also implemented an Online Dispute Redressal (ODR) mechanism for the speedy resolution of online transaction relate complaints. Also, the blocking of Baroda Connect facility has been extended via Interactive Voice Response System (IVR) in the contact centre.

To monitor the quality of resolution being given to the customers, Bank subjects 100% of Non – ADC complaints and 5-10% of ADC complaints to quality check. The outcome of the quality check is shared with the concerned resolver group. To make the process of quality check more efficient and less laborious, the Bank, in collaboration with IIT – Bombay has developed an AI Tool, which will assess the quality of redressal, thus reducing the time and manpower required.

Branch Network

As of March 31, 2023, the branch network of the bank is as under:

	FY 2022		FY 2023	
Domestic Branches	**Number of Branches**	**% Share in Total**	**Number of Branches**	**% Share in Total**
Metro	1,766	21.62	1,787	21.79
Urban	1,475	18.06	1,471	17.94
Semi Urban	2,083	25.50	2,075	25.31
Rural	2,844	34.82	2,867	34.96
Total	8,168	100.00	8,200	100.00
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	94		93	

The Bank opened new 73 domestic branches and merged 41 branches with existing branches during FY 2023.

Currency Chests

The number of currency chests stood at 137 as on 31st March 2023. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches are provided with Note Sorting Machine (NSMs) as per RBI guidelines.

Risk Governance and Internal Controls

The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identification, measurement, monitoring and controlling of risks as well as ensuring that risk-taking activities are in line with the Bank's strategy and risk appetite. Often referred to as the "three lines of defense", each of the three lines has an important role to play. These are:

i. First line of defense – This comprises of the Business verticals and Operating units, as they are required to own and ensure the effective management of risk and compliance with regulations, Bank's policies and guidelines.

ii. Second line of defense – This comprises of the risk management function and compliance function. It is responsible for identifying, measuring, monitoring and reporting risk on an enterprise-wide basis independently from the first line of defense.

iii. Third line of defense - An independent assurance is provided by the internal audit function by conducting internal risk-based and other audits. The reviews provide assurance to the Board that the overall governance framework, including the risk governance framework, is effective and that policies and processes are in place and consistently applied. The role of audit function is defined and overseen by the Audit Committee of the Board.

Risk Management and Compliance

Risk Management and Compliance is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by specialist Risk advisor on Board. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

Basel III Framework

The Bank's risk management framework rests firmly on the three Basel pillars, i.e. Pillar I- Capital Adequacy, Pillar II- Supervisory Review and Pillar III-Market Discipline. The Bank is strengthened by a healthy level of capital. The Bank maintains adequate levels of Common Equity Tier I, Additional Tier I and Tier II Capital including required Capital Conservation Buffer. Futuristic capital projection ensures that the Bank is always ready to raise additional capital from the market as per business necessity. The position of risk weighted assets is constantly under strong vigil by the credit risk and capital adequacy team. Adequate capital and rationalised risk weighted assets ensures strong Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) for the Bank.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and Stress Testing Policy in place. Capital Adequacy is assessed considering Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, etc. and stressed conditions (under both normal and adverse scenarios) as per the extant guidelines. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is given below:

Enterprise Risk Management

The diversity of the Bank's business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines. All material risk appetite limits are approved within the overarching Risk Appetite Framework and are adequately hedged. The Bank is constantly endeavouring to create a strong risk culture by imparting trainings to the employees at all levels and making them updated on various risk appetite limits.

Climate Risk

The Bank understands that environmental sustainability is critical for the long-term growth of our business, and accordingly has started working in specific domains of Energy efficiency, Waste reduction, Biodiversity, Water conservation, Green infrastructure, Sustainable agriculture etc. By prioritizing sustainability in these areas, we can create a path to sustainable development that benefits both, economy and the environment. It is also important to promote understanding and awareness on emerging threats and educate stakeholders – customers & vendors alike, on good practices to achieve long-term environmental sustainability.

With sustainable finance in focus, changing investment patterns have started altering financial markets configuration and scope which will significantly contribute towards this noble cause. As we understand, multi-stakeholder approaches are necessary for this complex global challenge. The Bank is actively looking into catalysing finance and investments towards decarbonisation, positive social impact and improved governance with an emphasis on design and delivery of sustainable finance strategy. The Bank is preparing an approach for products and practices towards augmenting mitigation, adaptation and resilience for climate risk related challenges.

Bank has also developed an Approach Paper for management of risk arising due to Climate Risk & Sustainability which covers, inter-alia, Governance Structure; Strategy to address climate change risks and Risk management structure to effectively manage them from a micro-prudential perspective.

Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

Bank uses various Internal Credit Risk Assessment Models and scorecards to assess borrower-wise credit risk. Various Credit Risk models for internal credit ratings of the borrowers were developed in-house. They are reviewed and back tested through comprehensive validation including external validation. Bank has recently upgraded its Internal Credit Rating system by adding three MSME score card models to bring in efficiency and strong data management system. The internal ratings are validated by independent rating validating authority.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers with an objective to build a resilient portfolio and de-risk from portfolio concentration. The Bank has developed in-house models for risk assessment of various Countries, State Governments, Group Borrowers etc. and setting exposure caps. As a part of enhanced exposure monitoring, quarterly reviews are carried out for the Bank's key exposures, segments, industries and sectors. A dedicated team tracks internal & external developments to assess impact on the portfolio performance and recommend pro-active remedial actions. The Bank also conducts comprehensive Thematic review comprising sector outlook & other event-specific impact studies.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market risk positions.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors interest rate risk in its trading book through risk limits like modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Individual Gap Limits (IGL), Aggregate Gap Limits (AGL) and total Aggregate Gap Limit (TAGL) on a daily basis. Equity price risk is measured and monitored through VaR limits and portfolio size limits, etc. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented as per the extant guidelines of the Bank. Mid-Office also conducts back testing of the VaR numbers on a daily basis. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis. Risk-return analysis of treasury trading portfolio is also conducted on a quarterly basis. The market risk capital charge for the Bank is computed by mid office as per the Standardised Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis. The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) is worked out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity.

Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organization. ORMF comprises the organizational structure for management of Operational Risk, Governance Structures, Policies, Procedures and Processes whereas ORMS consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk.

The Bank has a web based Operational Risk Management System for data capturing and for systemic and integrated management of Operational Risk. In our endeavor to use the best of technology, we have procured a web based Operational Risk Management System for Operational Risk Compliance & Governance.

Monitoring of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk & Control Self-Assessment Programme (RCSA) and Root Cause Analysis of various loss incidents strengthen the control environment. The Bank created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management. Ongoing review of products and processes in the light of the changing business environment further strengthens the risk culture.

Efforts are made for inculcation of risk culture, values, beliefs, knowledge, attitudes and understanding about risk among the staff. In order to ensure this, Campaigns are carried out to create awareness in the staff by the means of emails, workshops, webinars, meetings, fliers, magazines, E-Learning modules etc.

Business Continuity Plan

Bank has a detailed and effective Business Continuity Management (BCM) framework in place for ensuring continuity of operations and rendering customer service at the Branches and Offices during disruptions. The framework is in line with the guidelines issued by RBI and global best practices. The Bank continuously works towards strengthening the business continuity preparedness. Bank is also in process of obtaining ISO 22301:2019 certification.

The Bank has ISO 27001:2013 certified Data Centre and Disaster Recovery site. Bank's Disaster Recovery site is capable of handling the CBS and other functions of the bank in case of any disruption at Data Centre.

Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in

the Bank is adequately enabled and an independent function. The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Anti Money Laundering Act etc. as well as other regulatory guidelines issued from time to time. It also ensures adherence to the Bank's internal policies and fair practices code. The Bank has compliance policy, outlining the compliance philosophy of the Bank, role and set-up of the compliance vertical, composition of its staff and their specific responsibilities.

The compliance function advises senior management and the Board on the position of Bank's compliance with applicable laws, rules and global standards and keeps them informed of developments in the area. It also educates employees about compliance issues by conducting periodic training and workshops for business staff and designated compliance officers. Knowledge management tools has also been uploaded on the Bank's website. The Bank has implemented a web-based compliance management solution for certification and monitoring of various regulatory, statutory and internal guidelines at each level in the Bank for further strengthening the compliance function. The Bank has also automated the process for obtaining information from the "Insiders" as defined in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Code of Fair Disclosure and Conduct.

Amongst several activities, the domestic compliance function conducts on-site compliance test checks on more than 93 parameters on KYC-AML guidelines and other parameters of compliance through Regional Compliance Officers (RCOs) by using web based tool – Onsite Compliance Testing and Reporting System. As many as 25% branches are randomly selected on a quarterly basis. Bank also conducts on-site compliance test check of various functions on half yearly basis. Off-site compliance test check of around 52 parameters on issues related to KYC/AML guidelines and other parameters of compliance is carried out on a monthly basis through the web based tool - Offsite Compliance Reporting and Monitoring System. The above activities helps in maintaining a robust compliance posture of the Bank.

An annual group wide compliance plan is prepared and regular monitoring is carried out for ensuring adherence to the plan. Bank also undertake Compliance Risk Assessment (CRA) of the Bank annually by sourcing the parameters from RBI's Tranche-III data template, Onsite/Offsite/Vertical Test check reports etc. and derive CRA score. Bank also uses CRA matrix to prepare Risk Oriented Activity Plan for timely compliance of non-complied Regulatory parameters.

Bank has also taken various new initiatives such as creation of Data Analytics Cell (DAC) for data dump analysis in order to identify the gaps in the system and processes and to take corrective action. Product analysis is carried out to ensure that the new / existing product is working as per the expectation and fulfilling all Regulatory guidelines. Similarly, Circular vetting is done to ensure that the guidelines issued by the vertical is commensurating with the RBI / Statutory guidelines. Moreover, some Important Regulatory and/or Statutory guidelines had been identified, being of prime importance, since any breach in these guidelines may invite adverse observation of the Regulator. These guidelines are termed as Key Compliance Indicators (KCI) and monitored at periodic interval to take corrective action immediately in-case of breach/deviation. These activities shall help the Bank in further strengthening the compliance posture of the Bank

Bank has also developed a portal to collect the data from field functionaries on penalties, displeasure letters, warning letters, etc. on real time basis. It enables the Bank to monitor the data centrally and to take corrective action immediately.

In the process of capacity building, the Bank imparted training to all compliance officers and nominated officials to various external training programmes conducted by reputed institutions on latest developments in the areas of compliance. In order to promote professionalism, the Bank is encouraging staff members to pursue professional courses from reputed institutes like Indian Institute of Banking and Finance (IIBF), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) etc.

There were no significant incidents reported during FY 2023 relating to compliance failure other than breach of RBI guidelines on Small Account and failure to pay the interest rates in certain term deposit accounts as per the schedule of interest rates.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this policy, KYC norms, AML standards and CFT Measures and obligations of the bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank electronically files Cash Transaction Reports (CTRs), Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit organizations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), New Delhi on its portal every month within prescribed timelines.

The Bank has an established Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place AML Solution for monitoring and detection of unusual transaction patterns in customers' accounts and generation of system based transaction alerts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorization (money laundering risk categorization) of customers' is done on a half yearly basis. For carrying out Re-KYC of eligible customers, the Bank has developed an automated process for identification and generation of notices/ sending SMS/email to notify them for submission of requisite KYC documents.

The Bank implemented Central KYC (CKYC) process for registration of newly on-boarded customers' KYC information on Central KYC Registry. CKYC number was allotted to 649.15 lakh customers as of March 31, 2023.

The Bank has also implemented Video based Customer Identification Process (V-CIP) as an alternate method of establishing the customer's identity for on boarding new Tax Resident Indian Individual customers.

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division headed by General Manager / Chief General Manager administers various types of Audits i.e. Internal Audit, IS Audit, Credit Audit, Concurrent Audit & Management Audit. Internal Audit function in the Bank is an independent activity and has sufficient standing and authority within the Bank. The Internal Audit Department, works under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board. Bank's Internal Audit Function works in close co-ordination with other Assurance functions i.e Risk Management Department & Compliance Department.

Bank's Central internal Audit Division operates through -18- Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal Audit of Branches / offices as per the periodicity decided by RBIA Policy. All Branches, Centralized Units, Administrative Offices are covered under Risk Based Internal Audit. The summarized risk perception of all 8199 Branches & Specialized Integrated Treasury Branch as on 31st March 2023 are as under :

- Low Risk Branch – 7003 Branches (85.41 %)
- Medium Risk Branch – 937 Branches (11.42 %)
- High Risk Branch – 187 Branches (2.28 %)
- -72- Branches with no Rating (New Branches)
- Specialized Integrated Treasury Branch was in Low Risk.

Total -1285- Branches and other units are covered under Concurrent Audit covering Bank's 52.26 % Deposit, 78.05 % Advances & overall 62.92 % Business coverage. All Category B Branches, Currency Chests & Centralized Processing Cells are covered under Concurrent Audit.

Credit Audit is carried out of all Fresh Sanctions/ Existing Accounts including Retail Loans and Restructured Accounts with aggregate exposure of ₹10.00 Crores and above (FB + NFB) and 5% of borrower accounts are randomly selected from fresh Accounts and Reviewed with increase having aggregate exposure of ₹1.00 Crore above but below ₹10.00 Crores (FB + NFB).

All Bank's branches are subjected to Information System audits ("IS Audits") to assess the IT-related risks as part of the RBIA of the Branches. IS Audit of Data Center & IT Applications are also carried out periodically by a team of CISA /DISA qualified IS Auditors and external CERT-in Firms.

Few Key initiatives include the following:

- Revised framework of Concurrent Audit is implemented and Daily & weekly Report is introduced apart from existing Monthly Reporting.
- Audit Automation Software is implemented for Audit, tracking of Compliance & Dashboard.
- Centralized Exceptional Monitoring unit is established for ongoing monitoring of exceptions as per system data based on pre-defined logic under -66- parameters.
- Data Analytics team is established for offsite surveillance and data analysis as per different scenarios.
- -21- Point Roadmap is implemented during F.Y 2022-23 with objective to further strengthen Internal Audit, improve compliance culture and reduction in Persisting irregularities & Repeat Audit observations and ultimately achieve sustained compliance. Thrust is given on spot rectification during course of audit itself and total -371- Branches submitted spot CRC during F.Y 2022-23.

External Review of Internal Audit Framework is carried out by External Firm during the Year and as per their assessment Internal Audit Framework in Bank is robust and one of the best in peer Banks.

Credit Monitoring

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the Bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to maintain asset quality, ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to ensure that the credit assets remain in regular category, endeavour made for upgrading asset quality of identified stressed accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness/ potential default/ delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:-

Early Warning Signal: A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS system is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and External Data (MCA, CIC etc.). The alerts generated helps the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution help the Bank in early identification of RFA/fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches to closely monitor the accounts with appropriate resolution/ action.

CRILC Reporting: Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps, such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's guidelines, stressed accounts with credit exposure of ₹5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on a weekly basis.

Analytical Dashboard: Bank has devolved various analytical Dashboard for identification stressed accounts (Viz SMA Dashboard, Future Demand Dashboard, Collection efficiency Dashboard, Technical stress Dashboard for focused monitoring.

System based prediction of Asset Classification: A predictive program is identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/Book Debt statement, review pendency, insufficient/ no credit in CC accounts, inadequate margins in LABOD/ODBOD accounts etc. These triggers focused on timely corrective action to

prevent downgrading of such accounts. These accounts are monitored specifically by various operational units for minimizing the slippage of standard assets.

Credit Audit: Credit Audit is to ensure compliance of pre and post disbursement terms of sanction terms/ covenants, wherein it is audited whether the disbursing officer, before parting with the Bank's funds, has taken all necessary measures for creation/ perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities as per sanction terms. This facilitates prompt corrective action, wherever required, without waiting for the regular Audit/ Inspection, which usually takes place with a time lag. Credit Audit is integrated with the core system Finacle to monitor it on real-time basis.

Stock Audit: We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/ preventive steps wherever warranted. The stock audit is applicable for standard advance accounts having working capital exposure of Rs.1 crore and above. It is required to be conducted annually for such accounts with exposure below Rs.5 crore, while for accounts of Rs.5 crore and above, it is on a half yearly basis. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the Bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels.

Daily marking of NPA: The Bank has migrated to daily marking of NPA as per RBI guidelines to have better transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

Other monitoring tools:

- Bank has appointed Agency for Special Monitoring (ASMs) for specialized monitoring in accounts of ₹250 crore & above for verification of transaction monitoring, inspections etc.
- The Bank has also digitized the stock and book Debt statement submission, which is real time and user friendly.
- The Bank has also initiated many tools in credit monitoring for robust monitoring like GST, ITR & Statement analyzer for analyzing, tracking & monitoring the borrower's accounts periodically.
- Digital monitoring reports at pre-determined period are regularly evaluated & taken up for corrective measures wherever required in respect of big accounts of ₹1 crore & above.

Vigilance

The Vigilance administration in the Bank is professionally managed and an integral part of management function. It promotes clean business transactions, professionalism, productivity and ethical practices apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions. The Bank has a very strong and transparent Vigilance Administration headed by Chief Vigilance Officer who oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines from the Central Vigilance Commission. Participative / Proactive & Preventive vigilance are the important functions of Bank's vigilance administration.

The vigilance machinery in the Bank also imparts knowledge at all levels about vigilance functions, extends help to various disciplinary authorities and appointing authorities to act swiftly and correctly in examining issues arising out of frauds, complaints and serious irregularities pointed out in various inspection reports of branches/ offices.

Vigilance setup at Zonal level conducts preventive audit of all branches at regular intervals and to act proactively on information controls the damage at bare minimum level.

The vigilance function in the Bank consists of three sections:

1. **Preventive Vigilance:** Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business, identification of sensitive posts and scrutiny of personnel posted thereon, ensuring observance of conduct rules, monthly meetings at branch level to discuss branch specific vulnerabilities, training programs for staff, regular scrutiny of inspections and audit reports and circulars on preventive vigilance regularly issued and circulated by various business verticals were undertaken to reduce the number of vigilance cases.
2. **Detective Vigilance:** Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in the sensitive area to detect if there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking prompt scrutiny of annual property returns and take further action if called for, gathering intelligence from own source about the misconduct / malpractices, examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.
3. **Punitive Vigilance:** In addition to ensuring that employees at all levels indulging in willful and mala fide transgressions of rules and provisions are not allowed to go unpunished, the Bank also ensures that bona fide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

   The vigilance function in the Bank enables proactive decisions by stressing on strengthening systems and procedures through preventive vigilance administration. It also plays a major role in identifying and plugging loopholes and providing inputs to the top management in framing policies in fraud prevention. The turnaround time of disciplinary cases improved due to proactive communication which helped in motivating the employees with quick redressals.

Legal Service

The Bank has a vibrant legal department consisting of qualified and experienced legal officers. The main role of the Legal Department is to support and to provide assistance for various

matters relating to Opinion, Documentation, Litigation, etc., referred by or in relation to various functional departments of the Bank. The department also provides support for references submitted by the various Zones, Regional Offices, domestic and foreign branches, and subsidiaries of the Bank on the matters related to legal aspects.

Further, in order to meet the digitalization of banking loan process, a set of documents for retail and SME facilities compatible with digital lending platform has been prepared which will enable Bank's customers to execute the documents through electronic means. Loan Document Manual has been revisited and simplified the documents.

Additionally, in the existing Advocate Portal, second phase with regard to assignment of work and reviewing advocates' performance are made available. In order to facilitate the faster process for vetting of loan and mortgage documents by Law Officers, the Department has recently launched on pilot basis an online vetting portal for real time verification of loan documents and the correction of discrepancies, if any, prior to disbursement of funds and flawless record keeping that will enable easy retrieval when needed.

Further, the Department has been promoting environment of knowledge sharing by issuing 'Circulars', 'Legal News Flash',etc. regarding ever changing set of laws, latest amendments and interpretation of laws by Courts affecting the Banking sector. In association with APEX Academy and a reputed Law Firm, initiated Training program for Law Officers to groom them in specific legal fields as well as to make them conversant with ever changing enactments, rules and regulations. Recently, we had also organized 'Symposium' on the topic "Digital Journey in Banking-Legal and Business Challenges" with the aim to provide a platform for dialogue and discussion amongst banking and legal experts on the spectrum of changing laws and their materiality in the current market framework.

Apart from above we also succeeded in settling 211 Consumer cases pending at the various Consumer Forums under National Lok Adalat and 'Grahak Madhystata Samadhan' organized by the National Legal Services Authority (NALSA). We are continuing our efforts to settle more number of consumer cases by sensitizing legal team at Regional/Zonal Office level.

Human Resources

Bank believes that our human resources are the biggest differentiator having a direct and significant impact on Bank's overall performance. The Bank has a talented workforce of more than 77,000 employees. Bank's HR has taken a number of initiatives for recruiting, strengthening and developing its human resources through various activities viz. recruitment of talent in highly specialized fields in order to tap the potential and garner higher business/revenue across various verticals & new business avenues and also to compensate the large number of superannuation; strengthening performance management system through Project SparshPlus, addressing training needs/ leadership development needs across the Bank through leadership development programs, coaching programs and capability building; succession planning and health and wellness initiatives for the employees. These initiatives have resulted in increased level of employee engagement and productivity over the years.

The Bank has a history of setting the bar high when it comes to implementing fresh ideas and methods. The primary business facilitators are "PEOPLE," who are at the centre of all activities. The Bank has introduced a number of creative employee-centric initiatives as part of its organizational transformation projects, which focuses on people, processes, and systems. The Bank has also carried out initiatives to revamp important systems and procedures.

Bank has always been recognized for its HR Policies and Practices in the industry. During the last few years, the Bank is in the limelight for receiving number of awards in recognition of its HR initiatives, reforms and excellence. During the current year, Bank has been certified as 'Great Place to Work' for the second time in a row by Great Place to Work Institute India. It is a gold standard recognition framework in assessing, enabling and recognizing work place culture in the organizations around the globe. Bank also won the most admired Best Bank Award in Talent and Workforce by BT-KPMG in Jan'23. With this certification, Bank has made a distinctive mark among Banks with best practices in Talent Management and Workforce in the country.

The following initiatives have been taken during the year which have had a direct and significant impact on Bank's performance:

Wellness and Fitness Drives

In addition to the Group Medical Insurance Policy, the Bank regularly conducts health checkup camps, fitness drives, yoga sessions, etc. to promote the health and well-being of its employees. Bank observed 'Wellness Month' during November 2022 under which preventive health checkups and fitness drives were conducted. Online Yoga Classes for all employees during wellness month was organized at the Bank level. More than 200 activities like Health Checkup, Eye/Dental Checkup, Blood Donation Camp, Yoga/Zumba Camps, and Webinars by eminent health experts were also organized. 15,000+ staff members and 2800+ family members have been directly covered.

Bank's Annual Mandatory Health Check-up Scheme is for all permanent & confirmed employees and their spouses which facilitates to detect health issues before they start and enable to take timely prevention and cure with the right health services, screenings and treatments. Health Check-up is facilitated by tie-up hospitals/ diagnostic centers by Zonal Offices/ Regional Offices at local level and PAN India through service provider. Due to increase in the number of centers and awareness among employees regarding medical health check-up, the percentage of employees who have availed health check-up has increased tremendously from 25% in FY 22 to 42% in FY 23 with a rise of 17%.

Employee Assistance Programme

Bank has put in place 'workplace counselling' called 'Employee Assistance Programme' (EAP). Under this initiative, employees can seek counselling support for any

issues including anxiety, depression, stress, insecurity, fears, loneliness, loss of self-confidence, inter-personal relationships and communication issues, family problems, bereavement, any traumatic situation, disease (like cancer, etc.), addiction, motivation, personal development, work-life balance or any other issues which disturbs peace of mind.

During the FY 2023, 184 workshops were conducted to sensitize the employees on various aspects of mental, psychological and emotional wellbeing covering more than 13,000 employees. Focused 'Emotional Quotient' (EQ) Workshops were conducted successfully for Branch Managers. The EQ workshops focused on various aspects with an aim to provide insights to the Branch Managers to resolve conflict effectively, adapt to changing business goals / circumstances and decision making. It also aimed to help in developing collaborative approach and effective communication. For the year 2023-24, a focused outreach program is planned in association with 'EAP India' (the service provider), for the Joint Managers through workshops on the topic 'From Stress to Strength: Using Emotional Intelligence to Thrive under Pressure'. More than 500 counselling sessions were conducted helping 468 employees to overcome their issues related to their mental and psychological health. These counselling services were facilitated through multiple channels such as face-to-face counselling, phone-call and video conferencing, emails and chats.

'Voice of Barodians' – Employee Engagement Survey

As an organization with progressive HR practices, our Bank is open to employee suggestions and encourages constructive and honest feedback from all employees on a periodic basis. To facilitate this, Bank conducts 'Voice of Barodians' – Employee Engagement Survey, to understand the level of employee engagement and the opinion of the employees on various factors affecting the engagement levels. As per the outcomes of the latest 'Voice of Barodians-2023' survey, the overall employee engagement score for the Bank stood at 75%.

Baroda Anubhuti Programme

It is an employee engagement programme designed to foster the spirit of team bonding and collaboration, camaraderie and creating a happy and fun workplace. Various initiatives like employee of the month, spot recognition–capturing 'WoW' moments, fun hour at all branches/offices, local community service/ social activities are undertaken to enhance the overall employee engagement levels. Mandatory community service programmes are carried out through all branches/ offices once in six months.

On the occasion of our Bank's 115th Foundation Day on or around 20th July 2022 and on the occasion of Republic Day Bank undertook the following activities:

- Blood Donation – more than 15000 units of Blood
- Distribution of Saplings/ Tree Plantation – around 45000 saplings planted
- Cleanliness Drives – more than 2700 drives in various localities
- Distribution of materials and miscellaneous items to poor and needy – more than 90000 items
- Distribution of materials and miscellaneous items to old age homes, orphanages, disability centers etc. – more than 65000 items
- Conducting Health Check-up Camps – more than 5000 people were covered

Learning and Development

The Bank holds a strong belief in the significance of learning and development for nurturing its human capital. It boasts of a flexible and adaptable learning system that has been further strengthened by the pandemic. The Bank's swift response to the crisis has facilitated the establishment of a resilient digital training infrastructure that effectively addresses the employees' learning and developmental requirements.

More than 68,830 Bank's employees received training through the Apex Academy, 18 Zonal Academies, and 4 Baroda Satellite Learning Units, along with eLearning through Baroda Gurukul in this financial year, and help improving their performance.

In FY 2023, Bank has leveraged its Learning Management System (Baroda Gurukul) to facilitate learning and development across the Bank including overseas establishment, which has helped Bank to align training needs as per business goals and ensuring compliance across territories. Significant utilization of digital process and LMS platform helped Bank to impart learning to staff in timely manner and extending benefit of cost optimization to shareholders.

The Bank has been placing a strong emphasis on the acquisition of new age skills and IDP based training to enhance its human capital. In line with this, it has introduced simulation games that replicate real-life business scenarios to better educate its staff. To further enhance the learning experience, the Bank has adopted a blended learning approach that combines traditional and digital methods, with 365*24 availability.

In a collaborative effort to synergize external resources and promote a hybrid learning model, the Bank has partnered with prominent organizations such as AAFM, CRISIL, and NIIT to provide training to its Wealth Management Executives. This pilot phase will allow the Bank to refine its approach and fine-tune the training process to better serve the learning and development needs of its employees.

Overall, the Bank is committed to providing its employees with the necessary training and development opportunities to succeed in their roles and achieve their career aspirations.

Ex-employees

In recognition of the invaluable services of our Ex-Employees, the Bank continuously strives to put in place measures to make the post retirement life of our retired Barodians, comfortable and hassle-free.

The Bank has put in place various measures for the welfare of its ex-employees. It has also arranged to provide Health Check-up facility to Ex-employees through health check-up

facilitator, similar to that of existing employees, however at their own cost to help them monitor their health. The health check-up packages are carefully designed looking to the various categories of employees and considering their affordability and requirements. Bank has also appointed Zonal Nodal Officers for addressing the grievances of Retired Employees.

The Bank has migrated Ex-Employee portal to HR Connect which is providing one stop solution for accessing various modules and facilities viz. Pension Pay Slip, PPO Generation, Family Pension Conversion, Tax Computation, Holiday Home Booking etc. Ex-Employees can also apply for TE/DA Claims online through HR Connect.

Reservation Cell

An exclusive cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for employees belonging to Scheduled Castes (SC) /Scheduled Tribes (ST) / Person with Disabilities (PWD) /Ex-Serviceman (Ex-SM) and Other Backward Classes (OBC).

Executives in the rank of General Managers are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD & Ex-Serviceman employees and for OBC employees respectively who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from 1st February, 2019 reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWS) in direct recruitment in the Bank was implemented.

The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PwDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in officer, (identified posts), clerical and sub-staff cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste category wise count as on March 31, 2023						
Cadre	**Total**	**GEN**	**SC**	**ST**	**OBC**	**EWS**
Officer	41837	19063	7362	3284	12118	10
Clerk	27328	11636	4501	2835	8274	82
Sub staff	7348	2217	2333	728	2070	0
Total	76513	32916	14196	6847	22462	92
% to total staff strength		43.02	18.55	8.95	29.36	0.12

Cadre	PwD	Ex-SM
Officer	1052	577
Clerk	1055	3055
Sub staff	164	598
Total	2271	4230
% to total staff strength	3.00%	5.53

Periodical Meetings: The Bank holds Quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST (AIBOBSCST) Employees' Welfare Association and Half Yearly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' (AIBOBOBC) Welfare Association, for addressing their concerns.

Workshops and Training Programmes: Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/STs and OBCs at its various training academies:

- Pre-promotion training for SC/ST candidates.
- Workshop on reservation policy.
- Training programme on disciplinary proceedings.

Career Progression

Concerted efforts have been taken by the Bank for fostering career progression of employees for rewarding them for their performance and motivation. Horizontal movement of officers across different functions and overseas placements opportunities are provided to employees for wider exposure.

School Tie-up for admission of Children of employees

Transfers and relocations are an inevitable part of banking career and every year employees in all cadres are transferred as per Bank's guidelines. Transfers involve relocation and one major challenge faced by employees upon transfer is to arrange for quality education for their children due to mid-academic year admissions, late admissions, change of school etc.

To ease out the inconvenience faced by the employees and to facilitate admissions of their children, Bank has entered into a tie-up arrangement with two renowned and reputed chain of schools having PAN India presence viz. 'Ryan International Group of Institutions' and 'VIBGYOR Group of Schools' in the current year. The classes offered are from Kindergarten to 12th Class. Children can also shift from one School to other without hassle as per Schools' transfer policy.

Thrust On Diversity & Inclusion

The Bank follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees and is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. The Bank has also put in place a DEI Policy for promoting Diversity, Equity and Inclusion. Further, in recognition of the concomitant responsibilities of women, the Bank has put in place various facilities to support women employees such as Sabbatical Leave, Health Check-up programme for women employees, establishment of Crèche facility etc. among other initiatives.

The Bank conducts special training programme on capability building and motivation for its women employees and also creates awareness on POSH guidelines.

Document Management System

The Bank is one of the pioneer PSBs in initiating implementation of Document Management System (DMS) (First among PSBs to implement Records Digitisation) by engaging professional companies to manage the records with an aim to give our Branches a leaner look having better feel and experience to our customers. Under Records Management System (RMS) physical records are barcoded, indexed and moved to Vendor's warehouse for storage thereof, which can be retrieved any time as per Bank's requirement. The space which is unlocked, is being utilized for setting up new ATMs/ E-lobbies or being surrendered to save the cost.

Document Management System (DMS), is a major step towards paperless banking under green initiative, encompasses scanning of identified documents (Loan Files/ HR documents/Legal documents and other critical documents) and uploading the scanned data on “Baroda Document Management System (BDMS) server, a digital repository. This is an ambitious project of our Bank under which around 52.77 Cr images have already been scanned covering more than -7000- branches. Also, around -3.01- lac sq. ft. of space has been unlocked in identified Branches of Bank of Baroda. After successful implementation of Records Management System (RMS) / Document Management System (DMS) in Bank’s Metro & Urban and identified branches of Semi-urban, it is now being implemented in the remaining identified branches of Semi-Urban and Rural Branches of the Bank.

Premises Re-engineering

The following are some the highlights of the Bank in an attempt to reduce carbon footprint:

- Bank has Green Building Certificate GOLD rating for Baroda Corporate Centre and SILVER rating for Baroda Sun Tower Building (Corporate Office Buildings) through IGBC (Indian Green Building Council). Four of Bank’s other buildings in India have green building rating.
- Waterless Urinals installed at BCC & BST in all washrooms, saving of approx. 7 lakh liters of water a year. The same is being implemented in other Administrative Offices in PAN India in phased manner.
- Around 175 branches in rural/semi urban areas are being run on Solar Energy, thereby reducing the consumption of power and carbon dioxide emissions. Approx 2400 tons of Carbon Dioxide Emission reduced as a result of using Green Energy/renewable/solar energy.
- All domestic branches have LED lights installed in the premises for reduction of energy.
- Bio-Gas Plant (capacity of 500 kg wet waste) is installed at Bank’s building at BKC Mumbai which produces cooking gas that is used in Bank’s canteen and organic manure is used in garden/lawns.
- All boundary lights in the Corporate Office Building, Mumbai are powered through Solar Energy with the help of Solar Tree, thereby adopting renewable energy sources.

Other initiatives

- Several Govt. directed schemes viz. Swachhata Pakhwada, Special Campaign 2.0 were organized efficiently.
- Cleanliness Campaign to ensure upkeep of Ambience of Branches are also being carried out on ongoing basis.
- High speed seamless Wifi facility has been provided to all staff members at Bank’s important Building, i.e. BCC, BST & HO.

Implementation of Official Language (OL) Policy

Use of Hindi and other Indian Languages for promoting business as well as providing digital products to the customers is a significant characteristic of the Bank’s language policy. This approach has been well appreciated by Government of India and regulatory authorities from time to time. Your Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme 2022-23 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the Bank. All the assurances given to the Committee have been fulfilled within the prescribed time frame.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee, presided over by MD & CEO/ Executive Director of the Bank, were organized regularly on quarterly basis and various new initiatives were taken during the year FY 2022-23. Your Bank has made remarkable progress to provide Mobile Banking and transactional SMS services in Hindi and 11 other regional languages. Whatsapp Banking service and Internet Banking services are available to our customers in Hindi too. As a new initiative during the period under review, Bank’s Chatbot facility, Digital lending platform, BCMS portal and BC knowledge portal have been made available in Hindi also. All the auto generated emails from various apps and digital channels/portals of the Bank and loan sanction letters containing terms and conditions generated through Bank’s LLPS package have been made available in bilingual i.e. Hindi & English.

Under various initiatives taken during the year, your Bank organised an All India seminar on ‘Digital lending’ in Amritsar wherein representatives from RBI, Public Sector Banks, Insurance companies and other Financial Institutes participated actively. The official language rating system for Branches/ offices and ‘Bhashayi Choupal’ programs for staff members were continued in the Bank. Bank’s Self-service Passbook printing machine ‘Kiosk’ were enabled for printing of Passbook in Hindi for the convenience of customers. Books on topics such as ‘Cyber-crime in Banking’, ‘MSME Rin Maargdarshika’ and ‘CASA Margdarshika’ were published. Hindi Diwas, Vishwa Hindi Diwas and Matribhasha Diwas were celebrated at various offices/branches across India and overseas. Your Bank has also rolled out a Mobile app named ‘Bob Abhivykti 2.0’ for all serving and retired staff members which provides online reading experience of all the magazines/ news letters/ house journals. This has proved to be an innovative idea of promoting go-green initiative.

With a view to boost implementation of Official Language in your Bank and to create awareness among the staff members about various e-tools facilitating them to work in Hindi and regional languages, a ‘Samarthya Toolkit/Branch Samarthya’ (Technical Toolkit) was developed by the Bank and around 18643staff members were imparted training through508 programs during the period under review .Further ,various programs /competitions were also organized in Schools/ Colleges across the country to connect the young generation with your Bank which ultimately helped in mobilizing/

augmenting business .During FY ,2022-23 total 819 such programs were organized in which about 50411 students participated.

Your Bank's efforts earned accolades from Government of India from time to time .During the year ,your Bank was awarded with first Prize under" Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme of Govt .of India for outstanding performance in the area of Official Language Implementation .Also ,Town Official Language Implementation Committee) TOLIC (functioning under the auspices of the Bank at Vadodara was selected for second Prize under the said scheme .Similarly ,TOLIC functioning under the auspices of the Bank at Rajkot were selected for awards by the respective regional implementation offices of Government of India .Our Zonal Office ,Bhopal and Regional Offices Surat City ,Goa and Chandigarh were also awarded by the respective regional implementation Offices of Government of India for outstanding performance in the area of Official Language Implementation.

Bank continued with its unique scheme" Medhavi Vidyarthi Samman Yojana "for popularising Hindi in 71 Universities of the country .Under this scheme ,cash prizes and commendation certificates are given to two meritorious students securing First and Second positions respectively in M.A) .Hindi (examinations every academic year.

With a view to popularize the novels written in Indian languages ,your Bank has instituted' Bank of Baroda Rashtrabhasha Samman 'to honour the translators who have translated the novels written in Indian language to Hindi in order to make it available to mass readers.

Sustainability – ESG – *An environmental friendly approach*

The Bank recognizes the pressing importance of addressing climate change and acknowledges global warming as one of the most significant threats to businesses and communities worldwide .In recent times ,climate change risk has emerged as a critical challenge for the financial industry .In response, the Bank is deeply committed to minimizing the impact of climate change risk and actively working towards the sustainable development of its banking operations .Our objective is to achieve economic growth while ensuring the preservation of environmental and social ecosystems.

As a responsible policy measure, the Bank strictly adheres to guidelines that prohibit financing borrowers involved in the establishment of new units producing or consuming Ozone Depleting Substances (ODS). Similarly, small and medium-scale units engaged in the manufacturing of aerosol units using Chlorofluorocarbons (CFC) are not eligible for Bank financing. These measures align with our commitment to reducing the greenhouse effect and contribute to a more sustainable future.

To strengthen our commitment to sustainability ,the Bank has established the CSR and Sustainability Committee at the Board level .This committee plays a pivotal role in implementing sustainable strategies and integrating responsible Environment ,Social ,and Governance) ESG(practices throughout the organization .Furthermore ,a dedicated core committee has been formed to provide operational support to the Board level committee in fulfilling its objectives effectively.

The Bank has implemented various initiatives to reduce emissions, conserve energy, and minimize water consumption. A key focus area has been the reduction of carbon emissions. **Currently, around 175 branches located in rural and semi-urban areas are powered by solar energy,** resulting in reduced power consumption and significant reductions in carbon dioxide emissions. **Through the utilization of renewable energy sources, we have successfully eliminated approximately 2400 tons of carbon dioxide emissions. Additionally, the installation of LED lights in all 8200 branches has contributed to enhanced energy efficiency**.

The Bank actively promotes sustainability awareness among the stakeholders and have organized initiatives such as Swachhata Pakhwada to foster a culture of sustainable living, environmental preservation ,and cleanliness .These efforts have engaged citizens in cleanliness drives at public parks, railway stations ,and beaches ,in addition to organizing health check-up camps .The Bank aims to inspire and encourage active participation in creating a cleaner and healthier environment.

The Bank places significant emphasis on technology-enabled banking through our platform" bobWorld ". This enables seamless and convenient banking operations for our customers while reducing paper usage for transactions and the need for physical visits to branches .The Bank has implemented a paperless approval process internally and has digitized the document management ,contributing to enhanced operational efficiency and reduced environmental impact.

As part of the Banks' commitment to environmental conservation, the Bank has initiated the "Plant a Tree Program." For every auto or home loan disbursed, the Bank plants a fruit-bearing tree on behalf of its customers. The customers receive a Green Tree Plantation certificate that contains details of the tree planted on their behalf .Each tree is geotagged and secured using blockchain technology to ensure authenticity .Customers can track their planted tree online ,view its exact geolocation ,and even visit the tree personally using the provided coordinates. **As of March 31, the Bank has planted over 1.5 lakh trees**. Through this program ,we strive to make a positive impact on the environment while promoting a greener and healthier future for all .The Bank continually strive to integrate responsible practices ,reduce its carbon footprint ,and actively engage in initiatives that benefit our planet and society as a whole.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various development activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously

strives to contribute towards social welfare & environmental protection, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities for women and farmers continue to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has 64 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 10 States/UTs across the country to impart skill development training to the youth of rural and semi urban areas for generating self-employment. Since inception, these centers have conducted 22405 training programmes and imparted training to 6.22 lakh youth, out of which 4.24 lakh have already setup their own ventures or have secured wage employment. All the 64 RSETIs are graded as "AA" (outstanding) by Ministry of Rural Development, GOI based on the overall performance/functioning of the RSETIs.

The Bank has also set up 85 Financial Literacy Centers (FLCs) in 12 States/UTs which provide financial counselling services and education to the people in rural, semi-urban and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centers also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

As per RBI directives, Bank has also set up 114 Centers for Financial Literacy (CFLs) spread across 10 states and a Union Territory that are aimed at imparting financial literacy in tribal and backward blocks through innovative and participatory approach.

As a part of Bank's commitment towards protection of environment, under Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, Bank has implemented planting a tree against each Auto loan/Housing loan disbursement. More than 1.50 lakh trees has been planted till 31.03.2023.

Bank has also donated to various social causes viz., financial assistance to deserving poor students for their under-graduation studies, donation of 2 distribution vehicles to NGO for providing mid-day meal to underprivileged and deprived children in government schools, installation of 11 CCTV cameras at sensitive locations in Gautam Buddh Nagar District, Uttar Pradesh for the public safety and security, donation of vehicle for highway patrolling and combing operations in forest, medical support project for curing Childhood Cancer.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOB Financial Solutions Ltd.

BOB Financial Solutions Limited was established in 1994 as a Non-Banking Financial Company, wholly owned by the Bank. Its primary business is issuance of credit cards with its key differentiator being simple, easy-to-understand products that are fairly priced, efficiently serviced, and can easily be availed through a digital-all application process.

FY 2023 was a year of significant growth for BOB Financial. As per RBI data, the company grew much faster than the industry, both in terms of number of credit cards (76% vs. 16% for the industry) and spends (152% vs. 47% for the industry). The company emerged as the 8th largest issuer of credit cards in India for FY 2023.

- BOB Financial doubled the acquisition of new credit cards in FY 2023, by issuing close to 1.2 million credit cards (compared to 0.5 million credit cards issued in FY 2022). It consistently featured among the Top 10 issuers throughout the Financial Year
- Retail spends too, more than doubled compared to FY 2022, clocking approximately ₹17,300 crores (compared to ₹7,000 crores in FY 2022).

The company further cemented its two-pronged growth strategy (of BoB customers on one side and key partnerships on the other) by entering into co-brand partnerships with both large and trusted organizations including exclusive partnerships with Defence Forces (Army, Assam Rifles and Coast Guard), HPCL and Snapdeal. Within the BoB ecosystem, the company launched co-branded credit cards with Nainital Bank and the 3 Regional Rural Banks sponsored by Bank of Baroda. The Company also launched Vikram, a credit card for police and paramilitary personnel and Empower, a credit card for the self-employed customers.

The company launched multiple customer communication initiatives, both to encourage card usage, as well as enhance customer engagement. This was especially important in the light of regulatory mandates around activation of new cards and usage of vintage cards.

To evoke brand recognition & connect beyond the regular business reasons, a distinctive brand musical identity was launched and is now in use as background score for all branded video content

BOB Financial continued to invest in technology, to drive business growth and customer experience. A standalone Mobile App was launched to give complete control of their credit card on the cardholder's smartphone. And it was also integrated with BoB's bobWorld app, giving seamless access to BoB customers within the Bank's app itself.

Automation of various processes was another focus area. RBI mandate related processes, Risk categorization of customers, Re-KYC were some of the key processes automated during FY 2023. Implementation of Finance & Procurement modules powered by Oracle Fusion also began towards the end of FY 2023.

With focus on leveraging the Bank's distribution strength while building its own, BOB Financial continued to invest both in human resources as well as points of presence, to effectively align with all the Zones and Regions of Bank of Baroda.

Brief Highlights of BFSL for FY 2023 are indicated below:

(₹ in crore)

BOB Financial Solutions Ltd.		
Particulars	**FY 2022**	**FY 2023**
Total Assets	1562.45	3,520.45
Net Profit/(Loss) for current FY	10.07	24.62
Net NPA levels for current FY	29.07	68.55
Credit rating	Crisil A1+	Crisil A1+
	India rating A1+	India rating A1+
Return on Assets	0.66%	0.71%

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, is a SEBI registered Category-I Merchant Banker and also a Stock Broker with memberships of National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes fund raising from primary markets /PE funds, debt syndication, stressed asset resolution, equity valuation, mergers and acquisitions advisory and stock broking (both institutional and retail). It has two operating segments, viz. Investment Banking and Broking & Distribution.

BOBCAPS continued to receive good traction for its businesses during FY 2023 despite challenging market conditions. Investment banking team successfully closed several transactions across debt resolutions, debt syndication, DCM, M&A advisory and capital markets. Retail Equities business successfully launched a completely new revamped and customer friendly Trading Platform/ Application with seamless trading capabilities, comparable to the best in Industry. This resulted in significant increase in monthly client acquisition run rate from an average of 1,000 accounts per month last financial year to 11,000 accounts per month in recent months. Institutional broking revenue increased YoY despite drop in trading volumes across both the Equities and F&O segments of the Exchanges.

During the year, BOBCAPS received Depositary Participant license from SEBI. This will enable the Company to offer Demat services to its clients alongwith Trading Accounts to offer a seamless experience. BOBCAPS also entered into an alliance with Maybank Securities Pte. Ltd., Singapore for Foreign Institutional client's business. This will ensure BOBCAPS has presence in International market. These initiatives will augment new sources of the revenue for the company going forward.

Brief Highlights of BOB Capital Markets Ltd for FY 2023 are indicated below:

(₹ in crore)

BOB Capital Markets Ltd		
Particulars	**FY 2022**	**FY 2023**
Total Assets	187.97	179.34
Net Profit for current FY	7.72	1.25
Customer base (Nos)	35,191	1,00,929
Total number of branches	2	3

Baroda Global Shared Services Ltd.

Baroda Global Shared Services, a wholly owned subsidiary of the bank is outcome of a strategic decision made by the Bank in 2017. The intent was to integrate service functions into a single entity, thereby reducing service duplication and business unit silos, creating synergies and economies of scale. Bank has been able to achieve improved efficiency and substantial cost saving because of centralisation. Subsequent automation of various processes has resulted in freeing of workforce bandwidth at branches and providing an opportunity to focus on core activities. This set-up has enabled the Bank to focus more on sales and service function and contributing significant value by delivering on the cross-sell initiatives for the Bank.

Basis successful set-up and scaling-up of centralised processing by BGSS, Bank reposed confidence in BGSS by leveraging its capabilities in new areas of sourcing loans and improving collection efficiency, thereby augmenting Bank's capacity.

In FY 2023, BGSS launched Digital Penetration, Rural & Agri Banking (DST) and Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Tax Collection (Government Business) for the Bank. Further to aid Bank's Financial Inclusion objectives, BGSS has been empanelled as a Corporate Business Correspondent for the bank to deploy BC agents Pan-India (especially in semi-urban and rural areas).

The Shared Services entity also ensures that robust and stringent controls are in place through various internal and external assessments conducted from time-to-time, basis availability of data sets through common platforms. Some of the key achievements of BGSS are as follows:

1. Property tax collection through digital mode of INR 109 Cr. with over 26,800 transactions was executed across 17 zonal offices, an overall increase of 184% in the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) Tax Collection business (Government business).
2. Within a span of 10 months, 1,258 BCAs were appointed along with 1440 KOIDs executed to further support BCs, thereby expanding the overall Financial Inclusion business.
3. In line with augmenting of digital banking, BOB World, Corporate Banking, B3 Account Opening and Inbound services have gone live. There has been a month-on-month improvement in conversion numbers for manual calling with a focus to shift branch walk-in customers to digital channels.

4. CPPCs (Central Pension Processing Center) operations of six states migrated to GIFT City.
5. BGSS is supporting bank in deploying new ATM machines – 4,500+ machines deployed.
6. Provided support to EDPMS team for marking 5,000 shipping bills as Director of Enforcement (DOE) in TRRACS portal (Regulatory Requirement).
7. With a focus on customer delight, BGSS has supported bank and helped setting-up an NR Operations Helpdesk which went live in January 2023 to extend end-to-end query resolution, complaints handling, feedback acknowledgement & suggestions for NRI/NRO customers.
8. 100% Target achieved for Mar'23 with 1,200+ Cr. business generated for DST products – Auto Loan, Home Loan, Education Loan and LAP.
9. Evaluation of Cyber Security Incident Team (CSIRT) is complete; CSIRT plan is in place.
10. BOB World Orbit portal – an Online Public B2B e-commerce platform to carry out business activities. MVP (Minimum Viable Product) has been developed.
11. BGSS has delivered on Lean Six Sigma Project to improve the FTR% in Current Account Opening (Non-Individual) Process and achieved an efficiency gain in FTR % from 24.72% to 50%.
12. The annual CSAT survey was conducted in Dec'22 with 87% of the audience following in Excellent & Very Good category.

Barodasun Technologies Ltd.

Barodasun Technologies Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda on July 5, 2017 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The company has been formed to deliver system integration/ consultancy services on matters relating to ever evolving IT enabled business solutions/IT software product application and implementation across various lines of business, for Bank of Baroda.

The Company is yet to commence full-fledged operations and it is envisioned to initiate activities like programme / project management and support services to implement enterprise-wide IT projects and development of financial products and solutions to effectively cater to various business needs providing technological edge across different business verticals of the Bank.

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in the year 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd is 98.57%. NBL has its registered office at Nainital and has operations in five states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and National Capital Region (NCR), Haryana and Rajasthan. NBL has 167 branches as on March 31, 2023. The total business of NBL increased to ₹12,305 crore on March 31, 2023 from ₹11,698 crore as on March 31, 2022. The Bank posted a net profit of ₹46.30 crore in FY 2023 against a net profit of ₹28.93 crore during the previous year.

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd (BBNPA AMC)

BBNPP AMC is a joint venture between Bank of Baroda (50.10% shareholding) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (49.90% shareholding). This Company is the Asset manager for Baroda BNP Paribas Mutual Fund. Bank of Baroda and BNP Asia had signed binding agreements on October 11, 2019 to merge their Asset Management and Trustee Companies in India. On receipt of regulatory approvals and completing the necessary formalities under SEBI (MF) Regulations, the entities got merged effective from March 14, 2022 & became the subsidiary of the Bank.

Following the merger, the product range, AUM as well as share of equity to AUM has increased substantially with touch points in 140 towns and cities across India. During the FY 2022 -23 AMC grew faster than Industry. AAUM during Jan – March 23 quarter was ₹24,507 crores up 15% YoY compared to the industry growth of 6%.

In the FY 2022-23 company continued to expand its third-party distribution network 16% YoY, with particular focus on IFAs. The Company launched 4 new products successfully. This includes one equity fund - BBNPP Flexi Cap Fund, one hybrid fund - BBNPP Multi Asset Fund and two Passive Debt Index Funds – BBNPP NIFTY SDL December 2026 INDEX Fund and BBNPP NIFTY SDL December 2028 INDEX Fund.

Brief Highlights of Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd for FY 23 are indicated below:

(₹ in crore)

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.		
Particulars	**FY 2022**	**FY 2023**
Total Assets	200.24	187.36
Net Profit for current FY	(22.28)	(6.88)
Average Assets under Management (AAuM)	23,453*	26,436*
Equity to overall AAuM (%)	53%	56%

*Includes advisory AAuM of ₹2,060 crores in FY 21-22 and ₹1,929 crores in FY 22-23.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is one of the country's youngest life insurance companies with a share capital of ₹1,433 Crores (including share premium). The company is a domestic subsidiary of Bank of Baroda promoted along with Carmel Point Investments India Private Limited, owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC. Union Bank of India is company's third investor.

In FY 2023, IndiaFirst Life registered YoY growth of 27% in Individual New Business APE (Annual Premium Equivalent). On Individual New Business APE basis, IndiaFirst Life's had a private market share of 2.5% and grew at 1.4 times the overall Life Insurance Industry (including LIC). This record of

growing at a faster rate than overall Industry has been upheld by IndiaFirst Life for last consecutive 9 years (since FY 2014-15). The company improved its ranking by 1 position to 10th in Individual New Business APE among the private peers as compared to last year and has assets under management (AUM) at ₹21,683 Crores as on 31st March 2023. IndiaFirst Life posted Net Profit of ₹76.25 crore for FY 2023, total Income of ₹7380 crore including total Premium Income of ₹6074 crore.

IndiaFirst Life was certified as a Great Place to Work (GPTW) for the fifth time in a row, a recognition considered as the gold standard for defining great workplaces across business, academia and government organisations along with being recognised among the 'Best Workplaces in BFSI' by GPTW BFSI Survey fifth time in a row. The Company was also recognised among Best Brands of 2022 by The Economic Times

India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) NBFC to commence operations in India. Bank of Baroda and ICICI Bank are the Sponsors of Infradebt, while other shareholders include Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. Infradebt finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved at least one year of commercial operations. Infradebt has been rated AAA/Stable outlook by CRISIL, ICRA and India Ratings since inception. Infradebt also enjoys 100% income-tax exemption on all its income.

The synergy with the Bank arises from Infradebt's focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly renewable energy projects and road projects, thus promoting green energy in India and contributing to nation building. Infradebt business has grown steadily, with a loan book of ₹17,711 crores, Net Profit of ₹369 crores and Return on Equity of 14% during FY 2023. Infradebt has also been paying dividends continuously for the past six years.

A brief summary of Bank's all the domestic subsidiaries and Joint Ventures is given below:

(₹ in crore)

Entity	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOB Financial Solutions Ltd	1009.52	3520.45	24.62	44	485
BOB Capital Markets Ltd.	161.29	179.34	1.25	3	106
Baroda Sun Technologies Limited	4.55	4.69	0.06	1	1
Baroda Global Shared Services Ltd.	39.55	56.50	9.50	4	5789
The Nainital Bank Ltd.	727.79	8656.67	46.30	171	1223
Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.	154.15	187.36	(6.88)	13	166
Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.	0.25	0.38	0.01	1	1
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	1069.00	22090.00	76.00	29	3,595
India Infradebt Limited	2781.30	19301.70	368.60	1	28

Awards

In recognition of Bank's excellent performance in financial, digital front and other unique initiatives, the Bank was conferred with many awards and accolades during the FY 2023 which are given below;

Financial Quarter	AWARD RECEIVED DURING FY 2023
Q1 FY 23	• Bank of Baroda received two awards at the prestigious Express BFSI Technology Awards 2022. bob World was named the winner in the Enterprise Mobility category and the Bank's Digital Lending Platform was adjudged the best in the Analytics/Big Data category (May 2022) • bob World was named the winner at the Banking Frontiers' Finnoviti 2022. (May 2022) • Bank of Baroda (Kenya) Ltd bagged six awards at the 17th Think Business Banking Awards 2022: • Best Bank to Borrow From – Winner • The Most Efficient Bank – 1st Runner Up • Best Bank in Tier II – 2nd Runner Up • Overall Best Bank in Kenya - 2nd Runner Up • Most Customer-Centric Bank - 2nd Runner Up • Best Bank in SME Banking - 2nd Runner Up (May 2022) • The Financial Express awarded Mr. Akhil Handa with the FE Visionary Leadership Award at the Modern BFSI Summit 2022 (June 2022) • Bank of Baroda has been certified as 'Great Place to Work' by Great Employers Private Limited for the period March 2022 to March 2023.

Financial Quarter	AWARD RECEIVED DURING FY 2023
Q2 FY 23	• Bank of Baroda was named the Winner of the Global Private Banking Innovation Awards 2022 by Global Private Banker under the category "Outstanding Wealth Management Offering for Affluent Clients". (July 2022) • For the first time, Bank of Baroda was featured in Asian Private Banker's India 2021 AUM League Tables, coming in at a rank of #22 and was also ranked #8 in the RM Headcount. (July 2022) • Bank of Baroda's UAE territory received the prestigious award for 'The Best Engagement in the Training & Emiratisation' from Emirates Institute of Banking and Financial Studies (EIBFS) under the aegis of the Central Bank of UAE. (July 2022) • Bank of Baroda won the Great Indian BFSI Award for Gold Loan-Vernacular campaign by The Great Indian BFSI Award under the Great Indian BFSI Online Lead Generation category. (July 2022) • Bank of Baroda was named the Winner in the Home Loan category for 2019-2020 at The Financial Express India's Best Banks Awards. (August 2022) • Bank of Baroda was awarded the TechPlus Media's CXO Tech Innovation Award 2022 for Financial Inclusion of Women using Technology. (August 2022) • Bank of Baroda emerged as the "Overall Top Performing Bank" in the EASE 4.0 Reforms Index for FY2021-22. The Bank is ranked #1 in Smart Lending for Aspiring India and New Age 24X7 Banking and #3 in Tech-Enabled Ease of Banking, Institutionalizing Prudent Banking and Governance & Outcome-centric HR. (September 2022) • Bank of Baroda Chennai Zone was honoured by Honourable Chief Minister of Tamil Nadu Shri M K Stalin for excellent performance in MSME & TreDS platform performance "Extending shoulders to MSME" organised by MSME Department, Govt of Tamil Nadu. (September 2022) • Bank of Baroda was felicitated at the Dun & Bradstreet PSU & Government Summit 2022 - PSUs who have been incorporated on or before 1947 and who have played a critical role in India's growth journey. (September 2022).
Q3 FY 23	• Bank of Baroda won the Governance Now BFSI Awards 2022 under the category "Mobile Apps". (October 2022) • At the Navbharat BFSI Award 2022, Bank of Baroda was declared the winner for Home and Car Loans. (October 2022) • Bank of Baroda was adjudged the 'Bank of the Year (Digital Bank)' at ASSOCHAM's Futuristic Technologies & 7th Technology Excellence Awards. (November 2022) • Bombay Stock Exchange conferred Bank of Baroda with the 'Top Performing Bank in Mutual Fund Segment Award'. (November 2022) • Bank of Baroda was awarded the "Best AI & ML Bank" among Large Banks at the Indian Banks' Association (IBA) 18th Annual Banking Technology Awards. The Bank was also adjudged Runner-Up in the "Best IT Risk Management" and "Best Technology Talent" categories. (December 2022) • Bank of Baroda bagged an EAG Laureate Award in the International Olympiad on Financial Security held at Sochi, Russia. EAG had organised a contest on 'Best example of AML-CFT Financial Analysis' amongst the Compliance Officers of the member countries. (December 2022) • Bank of Baroda won an award for the bob World Digital Marketing Campaign under the category "Best Mobile Website" at the 8th Exchange4media Mobile Awards at The Maddies 2022. (December 2022) • Bank of Baroda won Silver in the Best Social Media Brand Awards under the BFSI (Bank) Category at Social Samosa's SAMMIE 2022. (December 2022). • Bank of Baroda received the Bronze Award for its campaign "PehchaanCon" under the BFSI category at Indian Content Marketing Awards 2022 by Exchange4media. (December 2022).

Financial Quarter	AWARD RECEIVED DURING FY 2023
Q4 FY 23	• Bank of Baroda won awards for "Best Bank In Fintech Initiative" and "Best Bank In Talent & Workforce" at the Business Today-KPMG India's Best Bank and Fintech Survey 2021-22. (January 2023). • Shri Ian De Souza, CFO, Bank of Baroda won the CFO of the Year - Turnaround Award at the CII-CFO Excellence Awards 2022. (Feb 2023) • Bank of Baroda won the Best Branding Bank award and was named Runner-up for CSR Initiative & Business Responsibility Bank at CIMSME MSME Banking & NBFC Excellence Awards 2022. (Feb 2023) • Bank of Baroda was named the "Best Bank" in the Large Public Sector Banks category by the State Forum of Bankers' Clubs Kerala (SFBCK) based on the Bank's performance in the financial year 2021–22. In addition, the Bank's Balaramapuram branch was adjudged the Best Performing Public Sector Bank Branch in Kerala for FY 2021-22. (Feb 2023) • Bank of Baroda won the "Best PSU Bank of the Year" at the Dhanam BFSI Summit & Awards 2023 organised by Dhanam Business Magazine. (Feb 2023) • Bank of Baroda won The Economic Times DigiPlus GOLD for the #bobWorldChallenge Instagram campaign. (Feb 2023). • Bank of Baroda won the Silver Award for Best Use of Search Marketing for Car Loans at Indian Marketing Awards by Exchange4media. (Feb 2023) • Shri Ian De Souza won the CFO of the Year-Turnaround Award at the CII-CFO Excellence Awards 2022. (March 2023). • Shri Akhil Handa, CDO, Bank of Baroda was felicitated by Financialexpress.com as FE Visionary Leader for his valuable contribution in the fintech sector. (March 2023). • Shri Ian De Souza, CFO, Bank of Baroda was adjudged the Best CFO of the Year in the Banking & Insurance Category at the Assocham Vibrant Bharat CFO Summit & Awards 2023. (March 2023). • Ms Swapna Bandopadhaya, General Manager - Human Resources Management, Bank of Baroda was presented with the Advantage Club's Exceptional Women Awards in Human Resources. (March 2023). • Bank of Baroda was felicitated at The Economic Times Best BFSI Brands 2023 for its leadership in the sector. (March 2023). • Bank of Baroda won the Bronze Award in ET Brandequity.com - Trendies Award 2023 for its 'bob World Challenge' campaign under the category of "Innovative use of Technology". (March 2023).

Dividend Distribution Policy

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹5.50 per share for the financial year ended March 31, 2023. The total outgo in the form of dividend will be ₹2,844.25 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals. The dividend distribution policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website.

Board of Directors (Appointment / Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Mukesh Kumar Bansal was nominated as Government Nominee Director w.e.f. 15th December, 2022 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Shri Lalit Tyagi was appointed as Executive Director w.e.f. 21st November, 2022 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of -3- years i.e. upto 20th November, 2025.

Cessations

Shri Amit Agrawal ceased as a Government Nominee Director w.e.f. 14th December, 2022 on the appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal in his place.

Shri Vikramaditya Singh Khichi ceased as Executive Director w.e.f. 31st July, 2022 upon attaining the age of superannuation.

Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines dated August 30, 2018 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2022-23 is annexed with this report pursuant to "Part E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)

Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Report as required by SEBI has been hosted on the website of the bank (www.bankofbaroda. co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2023

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the bank for that period;

c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The Directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by the RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors placed on record their appreciation for the contribution made by Shri Vikramaditya Singh Khichi outgoing Executive Director and Shri Amit Agrawal outgoing Government Nominee Director.

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation for the co-operation extended by all shareholders, Banks and Financial Institutions, Rating Agencies, Stock Exchanges and all well-wishers in India and Abroad.

The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र ।

सेवा में

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथासंशोधित ('सूचीयन विनियम') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपखंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा (''बैंक'') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी ''कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट'' के अनुसार की गई हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित रही है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) की खंड (बी) से (आई) और सूचीयन विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है।

यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AS AMENDED.

To

The Members of

Bank of Baroda

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended on March 31, 2023, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the "Guidance Note on Certification of Corporate Governance" issued by the Institute of the Chartered Accountants ofIndia (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2023.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते आर. देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(नीरज गोलास)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 23074392BGXJOS2763

(Neeraj Golas)
Partner
M. No. 074392
UDIN: 23074392BGXJOS2763

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(अभिषेक महेश्वरी)
साझेदार
एम नं.: 402561
यूडीआईएन: 23402561BGXKOF2973

(Abhishek Maheshwari)
Partner
M. No. 402561
UDIN: 23402561BGXKOF2973

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(ओम प्रकाश व्यास)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 23014081BGSAQQ1468

(Om Prakash Vyas)
Partner
M. No. 014081
UDIN: 23014081BGSAQQ1468

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049W

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

(पंकज जैन)
साझेदार
एम नं.: 048850
यूडीआईएन: 23048850BGSZOB8293

(Pankaj Jain)
Partner
M. No. 048850
UDIN: 23048850BGSZOB8293

कृते एस वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004656S / S200095

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S / S200095

(एस सुंदररमण)
साझेदार
एम नं.: 201028
यूडीआईएन: 23201028BGVYPZ6016

(S Sundarraman)
Partner
M. No. 201028
UDIN: 23201028BGVYPZ6016

दिनांक: 16 मई, 2023
स्थान: मुंबई
Date: May 16, 2023
Place : Mumbai

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2022-2023

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है।
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि संगठन में कारोबार, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रूप से अपनाया है। बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सोसायटी सदस्यों सहित अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है। बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना।
- सभी हितधारकों के साथ व्यवहार में नि:पक्षता, नैतिकता एवं पारदर्शिता।
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण।
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण।
- बैंक के बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना।
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना।

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और व्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं।
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है।
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं।
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं।
5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं।

Corporate Governance Report 2022-23

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance has emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirement as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to Bank's core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.

6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है। बैंक एक सूचीबद्ध संस्था है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक ने सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के लागू प्रावधानों का भी अनुपालन किया है।

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को तैयार करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का **स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है।

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे नैतिक आचरण संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

निदेशक मंडल की बैठकें :

निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान -16- बैठकें संपन्न हुई। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 16

बैठकों की तारीखें:

29.04.2022,	13.05.2022,	31.05.2022,	27.06.2022,
13.07.2022 एवं	14.07.2022,	30.07.2022,	26.08.2022,
22.09.2022,	05.11.2022,	14.11.2022,	24.11.2022,
28.12.2022,	16.01.2023 एवं	17.01.2023,	03.02.2023,
23.02.2023,	24.03.2023		

6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

The Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has also complied with the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

A report on implementation of provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board amongst others including the following:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2023 is as per **Annexure-1 and 1A.**

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all Chief General Managers, General Managers and Vertical Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in. The Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2022-23, Sixteen meetings were held.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 16

Dates of Meetings:

29.04.2022,	13.05.2022,	31.05.2022,	27.06.2022,
13.07.2022 &	14.07.2022,	30.07.2022,	26.08.2022,
22.09.2022,	05.11.2022,	14.11.2022,	24.11.2022,
28.12.2022,	16.01.2023 &	17.01.2023,	03.02.2023,
23.02.2023,	24.03.2023		

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया	16	16
श्री संजीव चड्ढा	16	16
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	6	6
श्री अजय के. खुराना	16	13
श्री देबदत्त चाँद	16	14
श्री जयदीप दत्ता राय	16	15
श्री ललित त्यागी (#)	6	6
श्री अमित अग्रवाल (*)	11	7
श्री मुकेश कुमार बंसल (#)	5	5
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	16	16
श्री अजय सिंघल	16	16
श्रीमती सौंदरा कुमार	16	16
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	16	16
श्री आलोक वाजपेयी	16	16

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वर्ष के दौरान निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां /उप-समितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. ग्रामीण एवं वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
14. निदेशक मंडल की सीएसआर और संवहनीयता समिति
15. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति
16. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति
17. श्रेणी/वेतनमान-VII और VIII के उच्च प्रबंधन कार्यपालकों के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में अपीलों पर विचार करने के लिए समिति

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia	16	16
Shri Sanjiv Chadha	16	16
Shri Vikramaditya Singh Khichi (*)	6	6
Shri Ajay K. Khurana	16	13
Shri Debadatta Chand	16	14
Shri Joydeep Dutta Roy	16	15
Shri Lalit Tyagi (#)	6	6
Shri Amit Agrawal (*)	11	7
Shri Mukesh Kumar Bansal (#)	5	5
Smt. Parvathy V. Sundaram	16	16
Shri Ajay Singhal	16	16
Smt. Soundara Kumar	16	16
Shri Srinivasan Sridhar	16	16
Shri Alok Vajpeyi	16	16

* ceased as directors during the year.

appointed as directors during the year.

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance which are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Steering Committee of the Board on Rural & FI
14. CSR & Sustainability Committee of the Board
15. Review Committee on Willful Defaulters
16. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors
17. Committee to consider Appeals in respect of Disciplinary Cases of Top Management Executives in Grade / Scales - VII and VIII

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

इसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 44

बैठकों की तारीखें:

02.05.2022,	13.05.2022,	31.05.2022,	02.06.2022,
09.06.2022,	14.06.2022,	23.06.2022,	24.06.2022,
30.06.2022,	07.07.2022,	18.07.2022,	25.07.2022,
29.07.2022,	04.08.2022,	11.08.2022,	22.08.2022,
24.08.2022,	01.09.2022,	09.09.2022,	15.09.2022,
20.09.2022,	26.09.2022,	29.09.2022,	30.09.2022,
04.10.2022,	11.10.2022	20.10.2022,	01.11.2022,
10.11.2022,	19.11.2022,	30.11.2022,	07.12.2022,
14.12.2022,	20.12.2022,	31.12.2022,	09.01.2023,
25.01.2023,	08.02.2023,	23.02.2023,	03.03.2023,
10.03.2023,	16.03.2023,	24.03.2023,	29.03.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	44	40
श्री अजय के. खुराना	44	31
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	13	9
श्री देबदत्त चाँद	44	39
श्री जयदीप दत्ता राय	44	35
श्री ललित त्यागी (#)	14	13
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	44	43
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	44	43

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो कार्पोरेट कार्यालय ऋण समिति-कार्यपालक निदेशकों को प्रायोजित शक्तियों से अधिक हैं तथा रु. 800/- करोड़ तक के हैं ऐसे ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है। समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशकों, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 30

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Director from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 44

Dates of Meetings:

02.05.2022,	13.05.2022,	31.05.2022,	02.06.2022,
09.06.2022,	14.06.2022,	23.06.2022,	24.06.2022,
30.06.2022,	07.07.2022,	18.07.2022,	25.07.2022,
29.07.2022,	04.08.2022,	11.08.2022,	22.08.2022,
24.08.2022,	01.09.2022,	09.09.2022,	15.09.2022,
20.09.2022,	26.09.2022,	29.09.2022,	30.09.2022,
04.10.2022,	11.10.2022	20.10.2022,	01.11.2022,
10.11.2022,	19.11.2022,	30.11.2022,	07.12.2022,
14.12.2022,	20.12.2022,	31.12.2022,	09.01.2023,
25.01.2023,	08.02.2023,	23.02.2023,	03.03.2023,
10.03.2023,	16.03.2023,	24.03.2023,	29.03.2023

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	44	40
Shri Ajay K. Khurana	44	31
Shri Vikramaditya Singh Khichi (*)	13	9
Shri Debadatta Chand	44	39
Shri Joydeep Dutta Roy	44	35
Shri Lalit Tyagi (#)	14	13
Smt. Parvathy V. Sundaram	44	43
Shri Srinivasan Sridhar	44	43

* ceased as member during the year.

became a member during the year.

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Corporate Office Credit Committee - Executive Directors and are upto Rs.800.00 Crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 30

बैठकों की तारीखें:

04.05.2022 से	06.05.2022,	01.06.2022 से	02.06.2022,
08.06.2022,	17.06.2022,	23.06.2022,	30.06.2022,
27.07.2022	04.08.2022,	05.08.2022,	24.08.2022,
01.09.2022,	05.09.2022,	09.09.2022,	26.09.2022,
29.09.2022,	04.11.2022,	11.11.2022,	17.11.2022,
08.12.2022,	15.12.2022,	20.12.2022,	27.12.2022,
01.02.2023,	15.02.2023,	16.02.2023,	03.03.2023,
08.03.2023,	14.03.2023,	21.03.2023,	28.03.2023

निदेशक /सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	30	30
श्री अजय के. खुराना	30	15
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	7	2
श्री देबदत्त चाँद	30	27
श्री जयदीप दत्ता राय	30	26
श्री ललित त्यागी (#)	12	12
श्री एस अनंतरामन - सीआरओ	30	24
श्री इयान डिसूज़ा - सीएफओ	30	13

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।
# वर्ष के दौरान सदस्य बने।

3. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों के अनुपालन हेतु अनुवर्तन शामिल है। यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख कार्यों, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है।
- यह, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है।
- समिति बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है। यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है।

इस समिति में-4-सदस्य अर्थात्-3-स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक शामिल हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें : 19

Dates of Meetings:

04.05.2022 to	06.05.2022,	01.06.2022 to	02.06.2022,
08.06.2022,	17.06.2022,	23.06.2022,	30.06.2022,
27.07.2022	04.08.2022,	05.08.2022,	24.08.2022,
01.09.2022,	05.09.2022,	09.09.2022,	26.09.2022,
29.09.2022,	04.11.2022,	11.11.2022,	17.11.2022,
08.12.2022,	15.12.2022,	20.12.2022,	27.12.2022,
01.02.2023,	15.02.2023,	16.02.2023,	03.03.2023,
08.03.2023,	14.03.2023,	21.03.2023,	28.03.2023

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	30	30
Shri Ajay K. Khurana	30	15
Shri Vikramaditya Singh Khichi*	7	2
Shri Debadatta Chand	30	27
Shri Joydeep Dutta Roy	30	26
Shri Lalit Tyagi (#)	12	12
Shri S. Anantharaman - CRO	30	24
Shri Ian Desouza - CFO	30	13

* ceased as member during the year.
# became a member during the year.

3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, interalia, include-

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up for compliance of the suggestions of Internal / Concurrent/ Statutory /External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and reviews the Financial, Risk Management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The Committee comprises of -4- members viz. -3- Independent Non-Executive Directors and RBI Nominee Director.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 19

बैठकों की तारीखें:

21.04.2022, 12.05.2022, 13.05.2022, 31.05.2022, 28.06.2022, 08.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 03.09.2022, 13.09.2022, 23.09.2022, 04.11.2022, 05.11.2022, 07.12.2022, 14.12.2022, 02.02.2023, 03.02.2023, 24.02.2023, 14.03.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्रीमती सौंदरा कुमार (अध्यक्ष)	19	19
श्रीमती पार्वती सुंदरम	19	17
श्री अजय सिंघल	19	19
श्री आलोक वाजपेयी	19	18
श्री अमित अग्रवाल (आमंत्रिती) (*)	15	-
श्री मुकेश कुमार बंसल (आमंत्रिती) (#)	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती) (*)	8	8
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती)	19	4
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	19	15
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती)	19	18
श्री ललित त्यागी (आमंत्रिती) (#)	6	6

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।
#वर्ष के दौरान आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसीबी ने नियमित कार्यसूची की मदों के साथ-साथ निम्नलिखित हेतु अनुमोदन दिया/ समीक्षा की:

- आरबीआईए नीति-घरेलू-2022 में संशोधन की स्वीकृति।
- आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर-2023 का अनुमोदन (वर्जन 2.0)
- लाभांश संवितरण नीति का अनुमोदन
- अचल आस्ति नीति एवं मानक परिचालन प्रक्रिया का अनुमोदन
- समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए बैंक में शाखाओं / कार्यालयों के कवरेज का अनुमोदन एवं बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा।
- संबंधित पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों से संबंधित संशोधित नीति का अनुमोदन
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर प्रस्तुत प्रतिभूति पर्याप्तता नोट संबंधी रिपोर्टिंग कार्यसूची में संशोधन का अनुमोदन।
- कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्हिसल ब्लोअर नीति का अनुमोदन
- बैंक की अनुपालन नीति को अनुमोदन
- भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त परामर्श के अनुसार संदिग्ध मनी म्यूल खातों की पहचान और निगरानी के लिए बैंक द्वारा प्रणाली स्थापित करने को अनुमोदन।

Dates of Meetings:

21.04.2022, 12.05.2022, 13.05.2022, 31.05.2022, 28.06.2022, 08.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 03.09.2022, 13.09.2022, 23.09.2022, 04.11.2022, 05.11.2022, 07.12.2022, 14.12.2022, 02.02.2023, 03.02.2023, 24.02.2023, 14.03.2023

Name of Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Smt. Soundara Kumar (Chairperson)	19	19
Smt. Parvathy Sundaram	19	17
Shri Ajay Singhal	19	19
Shri Alok Vajpeyi	19	18
Shri Amit Agrawal (Invitee) (*)	15	-
Shri Mukesh Kumar Bansal (Invitee) (#)	4	4
Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee) (*)	8	8
Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	19	4
Shri Debadatta Chand(Invitee)	19	15
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)	19	18
Shri Lalit Tyagi (Invitee) (#)	6	6

* ceased as invitees during the year.
# joined as invitees during the year.

During the FY 2022-23, ACB inter-alia approved/ reviewed the following besides regular Agenda:

- Approval of modification of RBIA Policy-Domestic-2022.
- Approval of Internal Audit Charter -2023 (Version 2.0)
- Approval of the Policy for Dividend Distribution
- Approval of Fixed Asset Policy & Standard Operating Procedure
- Approval of Coverage of Branches / Offices in the Bank for Concurrent Auditors and annual Review of Concurrent Audit System in the Bank
- Approval of the revised Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of the modification in reporting agenda on Security Perfection note put up to the Audit Committee of Board on quarterly basis
- Approval of Internal Whistle Blower Policy for Employees and Directors
- Approval of Bank's Compliance Policy
- Approval of putting in place a mechanism by the Bank for identifying & monitoring the suspected money mule accounts as per the advisory received from RBI

- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों से संबंधित नीति के अंतर्गत बहुप्रयोजन लेन-देन के नवीनीकरण को अनुमोदन।
- आंतरिक ऑफिस खाता खोलने, परिचालन, समीक्षा, निगरानी, रिकंसिलेशन एवं प्रावधानीकरण 2023 के लिए संशोधित नीति को अनुमोदन।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिचालनों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा योजना, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईएस लेखापरीक्षा योजना, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विदेशी टेरिटरी की लेखापरीक्षा योजना का अनुमोदन।
- लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट - मार्च, 2022 के संबंध में बैंक के अनुपालन का अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2023-24 की समूह-वार वार्षिक अनुपालन योजना का अनुमोदन।
- दिनांक 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त अवधि के लिए अनुपालन जोखिम मूल्यांकन के आधार पर तैयार जोखिम उन्मुख गतिविधि योजना का अनुमोदन।
- वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति और प्रकटीकरण का अनुमोदन।
- संबद्ध पार्टी लेनदेन संबंधी अनुमोदन / टिप्पणी।

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन संरचना को इस दृष्टि से तैयार किया है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके।

इस समिति में-5-सदस्य अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा-3-स्वतंत्र गैर कार्यपालक निदेशक शामिल हैं, जिनमें से एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। कार्यपालक निदेशकगण इस समिति में आमंत्रिती हैं। बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है।

बैठकों की तारीखें एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 8

बैठकों की तारीखें:

05.05.2022, 15.06.2022, 19.07.2022, 27.09.2022, 29.11.2022, 20.01.2023, 28.02.2023, 17.03.2023

निदेशक / सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)	8	8
श्री संजीव चड्ढा	8	6

- Approval of renewal of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of revised Policy for Opening, Operating, Reviewing, Monitoring, Reconciliation of Internal Office Accounts and Provisioning 2023
- Appointment of Statutory Auditors for both Domestic & International operations.
- Approval of Risk Based Internal Audit Plan for the Financial Year 2023-24, IS Audit Plan for FY 2023-24, Audit Plan of Overseas Territories for FY 2023-24
- Approval of Bank's Compliance on Long Form Audit Report -March 2022
- Approval of group-wide Annual Compliance Plan of FY 2023-24
- Approval of Risk Oriented Activity Plan prepared on the basis of Compliance Risk Assessment carried out for the period ended 31st December 2022.
- Approval of Presentation and Disclosures of Financial Statements
- Approval / Noting of Related Party Transactions

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Committee comprises of -5- members viz. Managing Director & CEO and -3- Independent Non-Executive Directors, of whom one Non-Executive Director as its Chairman. The Executive Directors are Invitees to the Committee. Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted a specialist in the area of risk management as an advisor to the Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 8

Dates of Meetings:

05.05.2022, 15.06.2022, 19.07.2022, 27.09.2022, 29.11.2022, 20.01.2023, 28.02.2023, 17.03.2023

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)	8	8
Shri Sanjiv Chadha	8	6
Shri Ajay Singhal	8	8

निदेशक / सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री अजय सिंघल	8	8
श्रीमती सौंदरा कुमार	8	7
श्री आलोक वाजपेयी	8	8
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती) (*)	3	-
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती)	8	2
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	8	7
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती)	8	7
श्री ललित त्यागी (आमंत्रिती) (#)	4	4
श्री हिमाद्री भट्टाचार्य - सलाहकार	8	8

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

#वर्ष के दौरान आमंत्रिती सदस्यता के रूप में शामिल हुए।

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को अनुमोदन दिया / समीक्षा की:

ऋण जोखिम

1. कार्यपालक निदेशक स्तर तक की विभिन्न ऋण समितियों की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर विवेकाधीन ऋण शक्तियों (डीएलपी) संबंधी संरचना में संशोधन
2. कॉर्पोरेट कार्यालय स्तरीय ऋण समिति- सीओसीसी-सीजीएम की संरचना में संशोधन
3. एनबीएफसी क्षेत्र की जोखिम उच्चतम सीमा में वृद्धि
4. ऋण नीति समिति की उप समिति का गठन
5. जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क 2022 के एसएमए संबंधित मानदंड में संशोधन
6. वैश्विक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
7. कंट्री रिस्क प्रबंधन नीति
8. ऋण जोखिम के अंतर्गत आईआरबी दृष्टिकोण के लिए नीति
9. विदेशी टेरिटरी के लिए सिंडिकेशन ऋण नीति
10. चुकौती आश्वासन पत्र/ गारंटी (विदेशों में) जारी करने संबंधी नीति
11. खाता एग्रीगेटर नीति
12. सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) ऋण नीति
13. को-लेंडिंग मॉडल पर नीति
14. डिजिटल ऋण नीति
15. अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन और वसूली के लिए कॉर्पोरेट नीति (घरेलू और विदेशी शाखाएं) 2023
16. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) और दबाव परीक्षण प्रभाव विश्लेषण

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Smt. Soundara Kumar	8	7
Shri Alok Vajpeyi	8	8
Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee) (*)	3	-
Shri Ajay K Khurana (Invitee)	8	2
Shri Debadatta Chand (Invitee)	8	7
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)	8	7
Shri Lalit Tyagi (Invitee) (#)	4	4
Shri Himadri Bhattacharya - Advisor	8	8

* ceased as invitee during the year.

joined as invitee during the year.

During the year, the Committee *inter-alia* approved/reviewed/ noted following:

Credit Risk

1. Modifications in the DLP structure based on Credit Rating of various credit committees upto the level of Executive Director
2. Revision in structure of Corporate Office Level Credit Committee - COCC-CGM
3. Enhancement in exposure cap of NBFC sector
4. Formation of Sub Committee of Credit Policy Committee
5. Modification in the SMA related parameter of Risk Appetite Framework 2022
6. Global Credit Exposure Management Policy
7. Country Risk Management Policy
8. Policy for IRB Approach under Credit Risk
9. Syndication Loan Policy for Overseas Territories
10. Policy on Issuance of Letter of Comfort/ Guarantee (Overseas)
11. Account Aggregator Policy
12. Policy on Microfinance Loans
13. Policy on Co-Lending model
14. Digital Lending Policy
15. Corporate Policy for Management & Recovery of Non Performing Assets (Domestic & Overseas branches) 2023

17. डिजिटल वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो की व्यापक समीक्षा
18. देशगत को जोखिम एक्सपोजर की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग
19. कॉर्पोरेट और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए जोखिम रेटिंग माइग्रेशन/ ट्रांजिशन मैट्रिक्स विश्लेषण की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग
20. प्रतिपक्ष बैंकों पर एक्सपोजर सीमा संबंधी नीति में जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क समीक्षा के तहत विभिन्न सीमाओं की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग
21. बेसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग
22. विभिन्न पोर्टफोलियो की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग
23. ऋण नीति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग

परिचालनगत जोखिम

1. उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
2. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति
3. दबाव परीक्षण नीति
4. जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क
5. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
6. सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर नीति
7. धोखाधड़ी से उत्पन्न हानि के संबंध में राशि की रेस्टोरेशन पर नीति
8. सूचना, प्रतिष्ठा एवं संकट प्रबंधन नीति
9. सुरक्षित जमाराशि लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा पर नीति में संशोधन
10. साइबर सुरक्षा नीति
11. सूचना सुरक्षा नीति
12. व्यापार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) पर नीति
13. बैंक में सुदृढ़ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के लागू करने में हुई प्रगति एवं भविष्य की तैयारी
14. परिचालन जोखिम हानि डेटा और उससे संबंधित पहलुओं की अर्धवार्षिक स्थिति की रिपोर्टिंग।
15. घरेलू और विदेशी परिचालनों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग।
16. उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग

बाजार जोखिम/ एएलएम

1. एलआईबीओआर के अंतरण पर नीति
2. अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए पूंजी आयोजना संबंधी नीति
3. समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2022
4. ऋण पूंजी बाजार (डीसीएम) डेस्क के परिचालन एवं व्यवस्था व्यवसाय संबंधी नीति

16. Internal capital Adequacy Assessment process (ICAAP) and Stress Testing Impact Analysis
17. Comprehensive Review of Digital Personal Loan Portfolio
18. Reporting of quarterly position of Country Risk Exposure
19. Reporting of quarterly position of Risk rating migration/ transition matrix analysis for Corporate and MSME borrowers
20. Reporting of quarterly status of various limits under Risk Appetite Framework Review in the Policy on Exposure Limits on Counterparty Banks
21. Reporting quarterly position of Capital Adequacy Ratio under Basel III Capital Adequacy Framework
22. Reporiting quarterly position of various portfolios
23. Reporting of minutes of Credit Policy Committee meetings

Operational Risk

1. Enterprise Risk Management Policy
2. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy
3. Stress Testing Policy
4. Risk Appetite Framework
5. Fraud Risk Management Policy
6. Policy on Outsourcing of Services
7. Policy on Restoration of amount in respect of loss arising out of Frauds
8. Communications, Reputation and Crisis Management Policy
9. Modification in policy on Safe Deposit Locker/ Safe Custody Article
10. Cyber Security Policy
11. Information Security Policy
12. Policy on Business Continuity Management (BCM)
13. Progress made in the implementation of a Robust Fraud Risk Management framewok in the Bank and the road ahead
14. Reporting of half yearly position of Operational Risk Loss Data and its related aspects.
15. Reporting of quarterly position of Key Risk Indicators for domestic & overseas operations.
16. Reporting of minutes of Enterprise Risk Management Committee meetings

Market Risk/ALM

1. Policy on Transitition of LIBOR
2. Policy on Capital Planning for International Operations

5. निधि अंतरण मूल्य निर्धारण नीति 2023-24

6. चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग

7. वैश्विक एएलसीओ बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग

5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/ डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है। यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1
बैठकों की तारीखें: 27.06.2022

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	1	1
श्री अजय के. खुराना	1	1
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	1	1
श्री देबदत्त चाँद	1	1
श्री जयदीप दत्ता राय	1	1
श्री अजय सिंघल	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हो गई।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित किए गए निम्नलिखित अनुरोधों/ शिकायतों को समिति द्वारा नोट किया गया:

दि. 01.04.2022 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निस्तारित	दि. 31.03.2023 तक लंबित
0	917	915	2(*)

* दिनांक 6 अप्रैल, 2023 को निस्तारित किया गया।

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के तहत बैंक के ''अनुपालन अधिकारी'' के रूप में नामित किया गया है।

6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए ''उपयुक्त एवं समुचित'' स्थिति सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान, समिति को प्रमुख प्रबंधकीय पदों (केएमपी) एवं बैंक में उच्च लागत वाली भर्तियों के लिए संविदागत नियुक्तियों के प्रतिफल पैकेज सहित नियुक्ति/ नवीकरण की शर्तें

3. Group Asset Liability Management Policy 2022
4. Policy on Operations of Debt Capital Market (DCM) desk and arrangership business
5. Fund Transfer Pricing Policy 2023-24
6. Reporting of quarterly position of Liquidity and Interest Rate Risk
7. Reporting of minutes of Global ALCO meetings

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issuance of new/duplicate certificates, general meetings etc. The Committee also monitors redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and two Non-Executive Independent Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 27.06.2022

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	1	1
Shri Ajay K Khurana	1	1
Shri Vikramaditya Singh Khichi(*)	1	1
Shri Debadatta Chand	1	1
Shri Joydeep Dutta Roy	1	1
Shri Ajay Singhal	1	1

*ceased as member during the year

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the Committee:

Pending as on 01.04.2022	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2023
0	917	915	2 (*)

* stands resolved as on 6th April, 2023.

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. Nomination & Remuneration Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons elected as shareholder directors on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies

तय करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

इस समिति में-4-गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं और एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1

बैठकों की तारीखें: 21.04.2022

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	1	1
डॉ. हसमुख अढ़िया	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	1	1

7. ग्राहक सेवा समिति

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों के संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है।

समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन भी करती है:

- विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की आवधिक समीक्षा करना।
- ग्राहक के खाते के परिचालन के लिए जमाकर्ता की मृत्यु जैसे मामलों पर उचित कार्रवाई करना।
- ग्राहक फीडबैक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा एवं विश्लेषण करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड से सामने आई प्रणालीगत कमियों, यदि कोई हो, का समाधान करना।
- वैध कारणों से 3 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी लागू न किए गए लंबित अवार्ड की समीक्षा करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- उपयुक्तता एवं सटीकता के संदर्भ में उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई करना।
- सेवाओं की त्रिवर्षीय लेखा परीक्षा करना।

इस समिति में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक एवं दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें : 4

बैठकों की तारीखें:

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. During the year, the Committee has also been assigned with the responsibility of appointment / renewal and fixing the terms of appointment / renewal including compensation package of Contractual Appointees for Key Managerial Positions (KMPs) and high cost market hires in the Bank.

The Committee consists of -4- Non-Executive Independent Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 21.04.2022

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	1	1
Dr. Hasmukh Adhia	1	1
Smt. Soundara Kumar	1	1
Shri Srinivasan Sridhar	1	1

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee is also assigned with the following tasks:

- To review status of complaints lodged on various portals periodically
- To address issues such as treatment of death of a depositor for operations of his account
- To discuss and analyse customer feedback survey report
- To address issues of systemic deficiencies, if any, brought out by the awards passed by the RBI Ombudsman
- To review the awards remaining unimplemented for more than 3 months, with valid reasons, and initiate remedial action.
- To address product approval process in terms of suitability and appropriateness
- To conduct tri-ennial audit of services

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Wholetime Directors and two Non-Executive Independent Directors as its members.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

28.06.2022, 23.09.2022, 28.12.2022, 23.03.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष))#	2	2
श्री संजीव चड्ढा	4	3
श्री अजय के. खुराना	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	1	1
श्री देबदत्त चाँद	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय	4	4
श्री ललित त्यागी (#)	2	2
श्री अजय सिंघल	4	4
श्रीमती सौंदरा कुमार	4	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हो गई।

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए।

8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति रु 1.00 करोड़ और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी एवं समीक्षा करती है:

(ए) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों यदि हो, का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना।

बी) धोखाधड़ी पता लगाने में विलम्ब के कारणों यदि है, की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग।

सी) सीबीआई/ पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी।

डी) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए।

(ई) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना।

इस समिति के सदस्यों में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक एवं दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी आमंत्रिती के रूप में शामिल हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

12.05.2022, 25.08.2022, 25.11.2022, 16.02.2023

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

28.06.2022, 23.09.2022, 28.12.2022, 23.03.2023

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)#	2	2
Shri Sanjiv Chadha	4	3
Shri Ajay K Khurana	4	4
Shri Vikramaditya Singh Khichi(*)	1	1
Shri Debadatta Chand	4	4
Shri Joydeep Dutta Roy	4	4
Shri Lalit Tyagi (#)	2	2
Shri Ajay Singhal	4	4
Smt. Soundara Kumar	4	3

* ceased as member during the year.
# joined as member during the year.

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors and reviews all the frauds of ₹1.00 crore and above to:

a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.

b) Identify the reasons for the delay in detection, if any, and report to the Top Management of the Bank and RBI.

c) Monitor progress of CBI/ Police Investigation, and recovery position.

d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of fraud and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent the recurrence of frauds, such as strengthening internal controls.

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Wholetime Directors and two Non-Executive Independent Directors as its members with a Chief Vigilance Officer as Invitee to the Committee.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

12.05.2022, 25.08.2022, 25.11.2022, 16.02.2023

निदेशक / सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	4	4
श्री संजीव चड्ढा	4	3
श्री अजय के. खुराना	4	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	1	0
श्री देबदत्त चाँद	4	3
श्री जयदीप दत्ता राय	4	4
श्री ललित त्यागी (#)	2	2
श्री अजय सिंघल	4	4
श्री आलोक वाजपेयी	4	3
श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित (सीवीओ) (आमंत्रिती)	4	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हो गई।

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए।

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया।

इस समिति में-2-गैर कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण), प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं और एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को समिति के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 5

बैठकों की तारीखें:

21.04.2022, 28.07.2022, 21.10.2022, 28.11.2022, 20.01.2023

निदेशक / सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	5	5
श्री संजीव चड्ढा	5	3
श्री अजय के. खुराना (*)	2	2
श्री जयदीप दत्ता राय (#)	3	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	5	5
डॉ. दीपक बी पाठक - सलाहकार	5	5
श्री प्रवीर कुमार वोहरा -सलाहकार	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हो गई।

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए।

बैंक ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचना को लगातार विकसित कर रहा है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटाइजेशन ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है जिससे आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरंतर उन्नयन हो रहा है।

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	4	4
Shri Sanjiv Chadha	4	3
Shri Ajay K Khurana	4	3
Shri Vikramaditya Singh Khichi(*)	1	0
Shri Debadatta Chand	4	3
Shri Joydeep Dutta Roy	4	4
Shri Lalit Tyagi (#)	2	2
Shri Ajay Singhal	4	4
Shri Alok Vajpeyi	4	3
Shri Surendra Kumar Dixit (CVO) (Invitee)	4	2

* ceased as member during the year.

joined as member during the year.

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted the IT Strategy Committee.

The Committee consists of -2- Non-Executive Director (s), Managing Director & CEO, Executive Director - Incharge of IT as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. External IT Expert has been inducted as an Advisor to the Committee. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings:

21.04.2022, 28.07.2022, 21.10.2022, 28.11.2022, 20.01.2023

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	5	5
Shri Sanjiv Chadha	5	3
Shri Ajay K. Khurana (*)	2	2
Shri Joydeep Dutta Roy (#)	3	3
Shri Srinivasan Sridhar	5	5
Dr. Deepak B. Phatak - Advisor	5	5
Shri Pravir Kumar Vohra - Advisor	1	1

* ceased as member during the year.

joined as member during the year.

Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customer's thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है। बैंक ने एक एचआर विशेषज्ञ को समिति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है.

इस समिति में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक - मानव संसाधन के प्रभारी और दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं और अन्य कार्यपालक निदेशक समिति के आमंत्रिती सदस्य होते हैं। बाह्य मानव संसाधन विशेषज्ञ को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है जो समिति का हिस्सा हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 5

बैठकों की तारीखें: 21.06.2022, 03.09.2022, 31.10.2022, 16.02.2023, 10.03.2023

निदेशक / सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	5	5
श्री संजीव चड्ढा	5	5
श्री जयदीप दत्ता राय (*)	3	3
श्री ललित त्यागी (#)	2	2
श्री अजय सिंघल	5	5
श्रीमती सौंदरा कुमार	5	4
श्री कृष शंकर-सलाहकार	5	2
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती) (*)	1	-
श्री अजय खुराना (आमंत्रिती)	5	1
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती) (#)	2	2
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	5	5

* वर्ष के दौरान सदस्यता/ आमंत्रिती समाप्त हुई।

वर्ष के दौरान सदस्य/ आमंत्रिती के रूप में शामिल हुए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/अनुमोदन किया:

- एचआर रिसोर्सिंग नीति की समीक्षा।
- बैंक की कर्मचारी नियोजन नीति की समीक्षा।
- विदेशी केन्द्रों पर अधिकारियों/कार्यपालकों के नियोजन संबंधी नीति की समीक्षा।
- बैंक द्वारा प्राप्त ग्रेट प्लेस टू वर्क श्रेष्ठ प्रमाणन की स्थिति से अवगत कराना।
- बैंक में व्यापक आधार वाले नैतिकता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में बैंक की नैतिकता संहिता का शुभारंभ।
- धन संपदा सेवाएं वर्टिकल के लिए संविदा आधार पर निश्चित अवधि हेतु विभिन्न पदों पर भर्ती।
- बैंक में शिक्षण संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण प्रणाली का संवर्द्धन (बॉबनाऊ विभाग द्वारा प्रस्तुत)।

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Strategic Advisory Committee of the Board on HR discusses various matters/issues related to Human Resources. The Bank has inducted one specialist in the area of HR as an Advisor to the Committee.

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Managing Director & CEO, Executive Director - Incharge of HR and two Non-Executive Independent Directors as its members with other Executive Directors as Invitees to the Committee. External HR Expert has been inducted as Advisor to the Board who is part of the Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings: 21.06.2022, 03.09.2022, 31.10.2022, 16.02.2023, 10.03.2023

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	5	5
Shri Sanjiv Chadha	5	5
Shri Joydeep Dutta Roy (*)	3	3
Shri Lalit Tyagi (#)	2	2
Shri Ajay Singhal	5	5
Smt. Soundara Kumar	5	4
Shri Krish Shankar - Advisor	5	2
Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee)(*)	1	-
Shri Ajay Khurana (Invitee)	5	1
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee) (#)	2	2
Shri Debadatta Chand (Invitee)	5	5

* ceased as member / invitee during the year

joined as member / invitee during the year.

During FY 2022-23, the Committee *inter-alia* approved/ reviewed the following:

- Review of HR Resourcing Policy.
- Review of Employee Engagement Policy of the Bank.
- Review of Policy for placement of Officers/ Executives at Overseas Centre.
- Apprising the status of Great Place to Work Certification received by the Bank.
- Launch of the Bank's Code of Ethics as a part of Implementation of a broad-based Ethics framework in the Bank.
- Recruitment for various positions for Wealth Management Services vertical on Fixed Term Engagement on Contract Basis.
- Revamped Training System and promoting Learning Culture in the Bank (placed by BOBNOWW Dept.).

- क्षमता इष्टतमीकरण और मानव श्रम पुनर्नियोजन (बॉबनाऊ विभाग द्वारा प्रस्तुत)।
- मृतक कर्मचारियों (संविदागत सहित) के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा जारी रखना।
- वर्ष 2022-23 के लिए स्टाफ कल्याण निधि बजट।
- सार्वजनिक आवास ऋण योजना में लागू किए गए अनुसार स्टाफ आवास ऋण योजना के तहत जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के प्रावधान को संशोधित कर 'अनिवार्य' के स्थान पर 'वैकल्पिक' करना।
- शिक्षण और विकास नीति की समीक्षा।
- अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति की समीक्षा।
- मानवाधिकार नीति तैयार करना।
- विविधता, इक्विटी और समावेशन पर नीति तैयार करना (बॉब नाऊ विभाग द्वारा प्रस्तुत)।
- घटाई गई कार्य अवधि योजना (बॉब नाऊ विभाग द्वारा प्रस्तुत)।
- बैंक की खेल नीति की समीक्षा।
- अधिकारियों के लिए कुछ परिलब्धियों/लाभों में बढ़ोत्तरी और कुछ नई शुरुआत तथा पट्टे पर लिए गए आवासों के किराए की उच्चतम सीमा में संशोधन।
- उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक वेतनमान के कार्यपालकों की नई पीढ़ी तैयार करने संबंधी योजना।
- जवाबदेही की प्रशासनिक प्रयोज्यता (एईओए) नीति को अपनाना (अनुपालन विभाग द्वारा प्रस्तुत)।

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरुप सतर्कता/ गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है।

समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सरकार द्वारा नामित निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं और कार्यपालक निदेशक - प्रभारी मानव संसाधन और मुख्य सतर्कता अधिकारी समिति के आमंत्रिती सदस्य हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

29.04.2022, 28.07.2022, 21.10.2022, 20.01.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लेने की संख्या
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	4	4
श्री अमित अग्रवाल (*)	3	2
श्री मुकेश कुमार बंसल (#)	1	1
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती) (*)	3	3
श्री ललित त्यागी आमंत्रिती (#)	1	1
श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित - सीवीओ (आमंत्रिती)	4	3

*वर्ष के दौरान सदस्यता/ आमंत्रिती समाप्त हो गई।

वर्ष के दौरान सदस्य/ आमंत्रिती के रूप में शामिल हुए।

- Capacity Optimization and Manpower Redeployment (placed by BOBNOWW Dept.).
- Continuing the facility of extending financial support to the dependents of the deceased employees (including contractual) as a direct payment as an ex-gratia amount.
- Staff Welfare Fund budget for the year 2022-23.
- Modifying the provision of obtaining Life Insurance cover under Staff Housing Loan Scheme as 'optional' instead of 'mandatory', as applicable in public Home Loan scheme.
- Review of Learning & Development Policy.
- Review of Promotion Policy for Officers.
- To put in place Human Rights Policy.
- To put in place Policy on Diversity, Equity and Inclusion (placed by BOBNOWW Dept.).
- Reduced Working Period Scheme (placed by BOBNOWW Dept.).
- Review of Bank's Sports Policy.
- Upward revision and introduction of certain perquisites/ benefits and revision of rental ceilings of leased accommodation for officers
- Succession Planning of Executives in DGM and GM Grade
- Adoption of Administrative Enforcement of Accountability (AEOA) Policy (placed by Compliance Dept.).

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines.

The Committee consists of Managing Director & CEO, Government Nominee Director and RBI Nominee Directors as members of the Committee and Executive Director - Incharge of HR and Chief Vigilance Officer are Invitees of the Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

29.04.2022, 28.07.2022, 21.10.2022, 20.01.2023

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	4	4
Shri Amit Agrawal (*)	3	2
Shri Mukesh Kumar Bansal (#)	1	1
Smt. Parvathy V. Sundaram	4	4
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee) (*)	3	3
Shri Lalit Tyagi (Invitee) (#)	1	1
Shri Surendra Kumar Dixit - CVO (Invitee)	4	3

* ceased as member / invitee during the year

joined as member / invitee during the year.

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा; वसूली प्रणाली और ऋण एवं अग्रिमों के वसूली का अन्वेक्षण और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है।

इस समिति में गैर कार्यपालक अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक, -2- गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक (कार्पोरेट बैंकिंग एवं ऋण निगरानी विभाग के प्रभारी) शामिल हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें : 6

बैठकों की तारीखें:

12.05.2022, 28.07.2022, 23.09.2022,
24.11.2022, 20.01.2023, 24.03.2023

निदेशक / सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	6	6
श्री संजीव चड्ढा	6	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	2	1
श्री अजय के. खुराना	6	6
श्री देबदत्त चाँद	6	6
श्री जयदीप दत्ता राय	6	5
श्री ललित त्यागी (#)	3	3
श्रीमती सौंदरा कुमार	6	6
श्री आलोक वाजपेयी	6	6
श्रीमती जया चक्रवर्ती डे - महाप्रबंधक (समन्वय) - ऋण निगरानी (*)	2	2
श्री सुब्रत कुमार - मु.म.प्र.- एलसीबी (*)	3	3
श्री संजय भगोलीवाल - महाप्रबंधक - सीआरएम(#)	5	5
श्री मुरली कृष्णा - मु.म.प्र.- एलसीबी(*)	1	1
श्री आनंद शंक- महाप्रबंधक-एलसीबी (#)	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हो गई।

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए।

13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति

समिति का गठन वित्तीय समावेशन के विकास पर विचार करने, इसकी समीक्षा करने तथा बैंक को कम लागत पर कठिन क्षेत्रों सहित बड़े भू-भाग तक तेजी से पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने तथा वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु बैंक को सलाह देने के लिए किया गया है। समिति बैंक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों, जो ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र पर लागू होते हैं, को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग क्षेत्र में बैंक की प्रगति की समीक्षा करती है।

इस समिति में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक और दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Wholetime Directors, -2- Non-Executive Independent Directors, CGMs / GMs (Incharge of Corporate Banking and Credit Monitoring).

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings:

12.05.2022, 28.07.2022, 23.09.2022,
24.11.2022, 20.01.2023, 24.03.2023

Name of the Director / Member	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	6	6
Shri Sanjiv Chadha	6	3
Shri Vikramaditya Singh Khichi (*)	2	1
Shri Ajay K. Khurana	6	6
Shri Debadatta Chand	6	6
Shri Joydeep Dutta Roy	6	5
Shri Lalit Tyagi (#)	3	3
Smt. Soundara Kumar	6	6
Shri Alok Vajpeyi	6	6
Smt. Jaya Chakraborty De - GM (Cord.) - Credit Monitoring (*)	2	2
Shri Subrat Kumar - CGM - LCB(*)	3	3
Shri Sanjay Bhagoliwal - GM - CRM (#)	5	5
Shri Murali Krishna - CGM - LCB(*)	1	1
Shri Anand Shanker - GM -LCB (#)	2	2

* ceased as members during the year.
# joined as members during the year.

13. Steering Committee of the Board on Rural - FI

The Committee is constituted to consider the evolution of Financial Inclusion, review and advise the Bank to adopt technology to achieve rapid reach to large territory including difficult terrains at low cost and also advise the Bank on strategy to achieve objectives of Financial Inclusion. The Committee reviews the progress of the Bank in Rural & Agri Banking side with a special focus on the achievement of the Priority Sector lending targets of the Bank which are applicable to the Rural Banking sector.

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Wholetime Director and two Non-Executive Independent Directors.

इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

06.05.2022, 25.08.2022, 25.11.2022, 16.02.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	4	4
श्री संजीव चड्ढा	4	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (*)	1	-
श्री अजय खुराना	4	3
श्री देबदत्त चाँद	4	3
श्री जयदीप दत्ता राय	4	4
श्री ललित त्यागी (#)	2	2
श्री आलोक वाजपेयी	4	4
श्री अजय सिंघल	4	4

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए।

14. निदेशक मंडल की सीएसआर एवं संवहनीयता समिति

यह समिति बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा सरकार/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीएसआर गतिविधियों की देखरेख के लिए गठित की गई है।

समिति में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक और दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक मंडल द्वारा इस समिति का गठन 23 फरवरी, 2023 को किया गया।

वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

15. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है।

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 9

बैठकों की तारीखें:

29.04.2022, 30.05.2022, 28.06.2022, 28.07.2022, 25.08.2022, 28.09.2022, 13.01.2023, 23.02.2023, 23.03.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लेने की संख्या
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	9	9
श्रीमती सौंदरा कुमार	9	9
श्री आलोक वाजपेयी	9	8

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

06.05.2022, 25.08.2022, 25.11.2022, 16.02.2023

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	4	4
Shri Sanjiv Chadha	4	3
Shri Vikramaditya Singh Khichi (*)	1	-
Shri Ajay Khurana	4	3
Shri Debadatta Chand	4	3
Shri Joydeep Dutta Roy	4	4
Shri Lalit Tyagi (#)	2	2
Shri Alok Vajpeyi	4	4
Shri Ajay Singhal	4	4

* ceased as member during the year.

joined as member during the year.

14. CSR & Sustainability Committee of the Board

This Committee is constituted to oversee all CSR activities as per the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank and Government / Regulatory Guidelines.

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Wholetime Directors and two Non-Executive Independent Directors. The Committee has been constituted by the Board on 23rd February, 2023.

No meeting was held during the year.

15. Review Committee on Willful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Willful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

The Committee consists of Managing Director & CEO and two Non-Executive Independent Directors.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 9

Dates of Meetings:

29.04.2022, 30.05.2022, 28.06.2022, 28.07.2022, 25.08.2022, 28.09.2022, 13.01.2023, 23.02.2023, 23.03.2023

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	9	9
Smt. Soundara Kumar	9	9
Shri Alok Vajpeyi	9	8

16. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति

यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में गठित की गई है:

इस समिति में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 2

बैठकों की तारीखें: 04.08.2022, 23.03.2023

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लेने की संख्या
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	2	2
श्री अमित अग्रवाल (*)	1	1
श्री मुकेश कुमार बंसल (#)	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार	2	2
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती)	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।
# वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए।

17. श्रेणी/ वेतनमान - VII और VIII के शीर्ष प्रबंधन कार्यपालकों के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में अपीलों पर विचार करने के लिए समिति

यह समिति शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों में अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए गठित की गई है।

समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, जो समिति के अध्यक्ष हैं, और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक और एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। वर्तमान में बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

16. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

This Committee is constituted as per Government of India guidelines with regard to annual performance evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors, Chief General Managers and General Managers:

The Committee consists of Non-Executive Chairman, Government Nominee Director and one Non-Executive Independent Director.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings: 04.08.2022, 23.03.2023

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	2	2
Shri Amit Agarwal (*)	1	1
Shri Mukesh Kumar Bansal (#)	1	1
Smt. Soundara Kumar	2	2
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)	2	2

* ceased as member during the year.
# joined as member during the year.

17. Committee to consider Appeals in respect of Disciplinary Cases of Top Management Executives in Grade / Scales - VII and VIII

This Committee is constituted to deal with appeals in the matters of disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII and Chief General Managers in TEG/S-VIII.

The Committee consists of Government Nominee Director, who is the Chairperson of the Committee and RBI Nominee Director and one Non-Executive Independent Director.

No meeting was held during the year.

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. Details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Directors are detailed below:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि
Remuneration and incentive paid during the Financial Year 2022-23:

नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	वेतन (ए) SALARY (A)	परिलब्धियां (बी) PERQUISITES (B)	वित्त वर्ष 2022-23 में कुल पारिश्रमिक (ए+बी) TOTAL REMUNERATION IN FY 2022-23 (A + B)	कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PERFORMANCE LINKED INCENTIVE	सेवानिवृत्ति लाभ (डी) RETIREMENT BENEFIT (D)
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष) SHRI SANJIV CHADHA	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	3628797	675084	4303881	600000	लागू नहीं/NA
श्री अजय कुमार खुराना SHRI AJAY KUMAR KHURANA	कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	3265632	655647	3921279	400000	लागू नहीं/NA
श्री देबदत्त चाँद SHRI DEBADATTA CHAND	कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	3366057	524709	3890766	400000	लागू नहीं/NA
श्री जयदीप दत्ता राय SHRI JOYDEEP DUTTA ROY	कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	2988330	501512	3489842	167000	लागू नहीं/NA
श्री ललित त्यागी SHRI LALIT TYAGI	कार्यपालक निदेशक 21.11.2022 से प्रभावी EXECUTIVE DIRECTOR w.e.f. 21.11.2022	1088958	261507	1350465	0	लागू नहीं/NA
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची SHRI VIKRAMADITYA SINGH KHICHI	कार्यपालक निदेशक (31.07.2022 को सेवानिवृत्त) EXECUTIVE DIRECTOR (RETIRED ON 31.07.2022)	1068672	672756	1741428	0	14988624

सूचीबद्ध संस्था की तुलना में गैर-कार्यपालक निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन-शून्य
All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity - NIL

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	राशि
1	डॉ. हसमुख अढ़िया	Rs.25,00,000/-
2	श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	Rs.25,00,000/-
3	श्रीमती सौंदरा कुमार	Rs.25,00,000/-
4	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Rs.25,00,000/-
5	श्री आलोक वाजपेयी	Rs.25,00,000/-
6	श्री अजय सिंघल	Rs.25,00,000/-

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2022-23 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India):

Sr. No.	Name of the Director	Amount
1	Dr. Hasmukh Adhia	Rs.25,00,000/-
2	Smt. Parvathy V. Sundaram	Rs.25,00,000/-
3	Smt. Soundara Kumar	Rs.25,00,000/-
4	Shri Srinivasan Sridhar	Rs.25,00,000/-
5	Shri Alok Vajpeyi	Rs.25,00,000/-
6	Shri Ajay Singhal	Rs.25,00,000/-

आम सभा की बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की 26वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से दिनांक 27 जून, 2022 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	डॉ. हसमुख अढ़िया	अध्यक्ष
2.	श्री संजीव चड्ढा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	श्री अजय के. खुराना	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री देबदत्त चाँद	कार्यपालक निदेशक
6.	श्री जयदीप दत्ता राय	कार्यपालक निदेशक
7.	श्री अजय सिंघल	निदेशक
8.	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	निदेशक (शेयरधारक)
9.	श्रीमती सौंदरा कुमार	निदेशक (शेयरधारक) - अध्यक्ष, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
10.	श्री आलोक वाजपेयी	निदेशक (शेयरधारक) - अध्यक्ष, हितधारक संबंध समिति

गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकों की पोस्टल बैलट के विवरण निम्नानुसार हैं:

GENERAL BODY MEETINGS

The 26th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 27th June, 2022 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in which following directors participated.

1.	Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2.	Shri Sanjiv Chadha	Managing Director & CEO
3.	Shri Ajay K. Khurana	Executive Director
4.	Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director
5.	Shri Debadatta Chand	Executive Director
6.	Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director
7.	Shri Ajay Singhal	Director
8.	Shri Srinivasan Sridhar	Director (Shareholder)
9.	Smt. Soundara Kumar	Director (Shareholder) - Chairperson, Audit Committee of the Board
10.	Shri Alok Vajpeyi	Director (Shareholder) - Chairman, Stakeholders Relationship Committee

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	कार्यवाही Business Performed
26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 26th Annual General Meeting (AGM)	27 जून 2022 प्रात: 11. 00 बजे 27th June, 2022 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश का अनुमोदन और घोषणा। Approved Annual Financial Results for the year 2021-22. To approve and declare dividend for the Financial Year 2021-22.
ईजीएम / EGM	07 दिसंबर 2021 प्रात: 11. 00 बजे 07th December 2021 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	श्री श्रीनिवासन श्रीधर का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचन। Re-elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.
25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 25th Annual General Meeting (AGM)	08 जुलाई 2021 प्रात: 11. 00 बजे 08th July, 2021 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन। विशेष संकल्प द्वारा विभिन्न माध्यमों से ₹ 2,000/- करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने को अनुमोदन। कैरी फारवर्ड हानि के समायोजन के लिए शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन को अनुमोदन। श्री आलोक वाजपेयी का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचन। Approved Annual Financial Results for the year 2020-21.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	कार्यवाही Business Performed
			Approved raising of Equity Capital upto ₹ 2,000/- crore by way of various modes by Special Resolution. Approved appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss. Elected Shri Alok Vajpeyi as Shareholder Director of the Bank
ईजीएम / EGM	23 दिसंबर 2020 प्रातः 11. 00 बजे 23rd December 2020 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्रीमती सौंदरा कुमार का पुनर्निर्वाचन। Re-elected Smt. Soundara Kumar as Shareholder Director of the Bank.
24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 24th Annual General Meeting (AGM)	31 जुलाई 2020 प्रातः 10.00 बजे 31st July, 2020 at 10.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन । विशेष संकल्प द्वारा विभिन्न माध्यमों से ₹ 9,000/- करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने को अनुमोदन। Approved Annual Financial Results for the year 2019-20. Approved raising of Equity Capital upto ₹ 9,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.

संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और हितधारकों को प्रमुख घटनाओं से अवगत कराने की आवश्यकता को समझता है। बैंक के वित्तीय परिणाम उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां बोर्ड की बैठक के समापन के तुरंत बाद सूचीबद्ध होती हैं। यह परिणाम कम से कम दो या दो से अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें से एक का प्रकाशन पूरे भारत या भारत के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा गुजरात राज्य में, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक प्रत्येक तिमाही में अपने तिमाही वित्तीय परिणाम शेयरधारकों को प्रस्तुत करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए विश्लेषकों की बैठक, मीडिया सम्मेलन आदि का आयोजन भी करता है। बैंक के तिमाही/ ईयर-टू-डेट /वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति की प्रति और बैंक द्वारा की गई अन्य घोषणाएं बैंक की वेबसाइट - http://www.bankofbaroda.in पर पोस्ट की जाती हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में विश्लेषकों की बैठक के दौरान विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति का वेबकास्ट (लाइव और संग्रहीत) वेबसाइट पर अपलोड किए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023
लेखों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने के लिए निदेशक मण्डल की बैठक	16 मई 2023
लेखा बंदी तारीख	01 जुलाई 2023 से 07 जुलाई 2023

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognises the need of keeping its members and stakeholders informed of key events. The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes its quarterly financial results to the Shareholders every quarter. The Bank also organises analysts' meets, media conferences, etc. to announce the Bank's financial results. The quarterly / year to date / annual financial results of the Bank as well as the copy of the presentation made to analysts as well as other news announcements made by the Bank are posted on the Bank's Website - http://www.bankofbaroda.in. The webcast (live and archived) of the presentation made to Analysts at the end of each quarter during the Analysts' Meet is made accessible via a link uploaded on the website.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1st April, 2022 to 31st March, 2023
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	16th May 2023

लाभांश के लिए निर्धारित तारीख	30 जून 2023
लाभांश भुगतान की तारीख	घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर
27वीं एजीएम की तारीख, समय और स्थान	तारीख : 07 जुलाई 2023 समय : प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई - 400 001 बीएसई कोड : 532134

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) (प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

Book Closure Date	From 01st July 2023 to 07th July 2023
Cut-off date for dividend	30th June 2023
Dividend Payment Date	Within 30 days from the date of declaration
Date, Time & Venue of the 27th AGM	Date: 07th July 2023 Time: 11.00 A.M. Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. **Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2022 to 31.03.2023) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)**

व्यापार से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण - शून्य

अवधि Period	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)		बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)	
	उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)
अप्रैल-22 Apr-22	122.70	109.05	122.65	109.10
मई-22 May-22	115.25	92.55	115.25	92.55
जून-22 Jun-22	105.85	89.85	105.85	89.90
जुलाई-22 Jul-22	119.85	95.60	119.85	95.70
अगस्त-22 Aug-22	131.30	113.35	131.25	113.35
सितंबर-22 Sep-22	143.45	124.00	143.40	124.00
अक्तूबर-22 Oct-22	151.60	126.90	151.65	126.90
नवंबर-22 Nov-22	172.70	143.60	172.65	143.65
दिसंबर-22 Dec-22	197.20	166.50	197.20	166.40
जनवरी-23 Jan-23	189.90	153.00	189.85	153.05
फरवरी-23 Feb-23	173.85	146.50	173.85	146.50
मार्च-23 Mar-23	176.40	155.60	176.40	155.65

बी. अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2022 to March 2023 (Monthly Closing Values)

तारीख Date	निफ्टी 50 NIFTY 50	% परिवर्तन % Change	निफ्टी बैंक NIFTY BANK	% परिवर्तन % Change	बीओबी एनएसई BOB NSE (प्रत्येक ₹ 2 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)	% परिवर्तन % Change
29-अप्रैल-22 29-Apr-22	17102.55		36088.15		112.90	
31-मई-22 31-May-22	16584.55	-3.03%	35487.40	-1.66%	100.25	-11.20%
30-जून-22 30-Jun-22	15780.25	-4.85%	33425.10	-5.81%	97.40	-2.84%
29-जुलाई-22 29-Jul-22	17158.25	8.73%	37491.40	12.17%	116.25	19.35%
30-अगस्त-22 30-Aug-22	17759.30	3.50%	39536.75	5.46%	130.85	12.56%
30-सितं.22 30-Sep-22	17094.35	-3.74%	38631.95	-2.29%	132.40	1.18%
31-अक्तू.-22 31-Oct-22	18012.20	5.37%	41307.90	6.93%	147.70	11.56%
30-नवंबर-22 30-Nov-22	18758.35	4.14%	43231.00	4.66%	166.25	12.56%
30-दिसंबर-22 30-Dec-22	18105.30	-3.48%	42986.45	-0.57%	185.70	11.70%
31-जनवरी-23 31-Jan-23	17662.15	-2.45%	40655.05	-5.42%	167.85	-9.61%
28-फरवरी-23 28-Feb-23	17303.95	-2.03%	40269.05	-0.95%	159.00	-5.27%
31-मार्च-23 31-Mar-23	17359.75	0.32%	40608.65	0.84%	168.85	6.19%

तारीख Date	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स S&P BSE SENSEX	% परिवर्तन % Change	एस एंड पी बीएसई बैंकेक्स S&P BSE BANKEX	% परिवर्तन % Change	बॉब बीएसई (प्रत्येक ₹ 2 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB BSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)	% परिवर्तन % Change
29-अप्रैल-22 29-Apr-22	57060.87		41533.91		112.90	
31-मई-22 31-May-22	55566.41	-2.62%	40907.30	-1.51%	100.15	-11.29%
30-जून-22 30-Jun-22	53018.94	-4.58%	38475.94	-5.94%	97.35	-2.80%
29-जुलाई-22 29-Jul-22	57570.25	8.58%	43130.69	12.10%	116.25	19.41%
30-अगस्त-22 30-Aug-22	59537.07	3.42%	45295.67	5.02%	130.85	12.56%
30-सितं.22 30-Sep-22	57426.92	-3.54%	44179.79	-2.46%	132.40	1.18%
31-अक्तू.-22 31-Oct-22	60746.59	5.78%	47398.64	7.29%	147.75	11.59%
30-नवंबर-22 30-Nov-22	63099.65	3.87%	49348.18	4.11%	166.20	12.49%
30-दिसंबर-22 30-Dec-22	60840.74	-3.58%	48906.28	-0.90%	185.65	11.70%
31-जनवरी-23 31-Jan-23	59549.90	-2.12%	46079.85	-5.78%	167.90	-9.56%
28-फरवरी-23 28-Feb-23	58962.12	-0.99%	45608.78	-1.02%	159.25	-5.15%
31-मार्च-23 31-Mar-23	58991.52	0.05%	46031.95	0.93%	168.80	6.00%

व्यापार से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण - शून्य

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/ कार्यों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने

Details of securities suspended from trading - NIL

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest

अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं:-

नाम	केफिन टेक्नोलोजी लिमिटेड
पता	यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032.
ई मेल	einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नं.	1800 309 4001
व्हाट्सऐप नं.	(91) 910 009 4099
केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन)	https://kprism.kfintech.com/
केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट	https://www.kfintech.com
आरटीए वेबसाइट	https://ris.kfintech.com
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक)	https://ris.kfintech.com/ clientservices/isc

निजी रूप से रखे गए बॉन्ड के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भूतल 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001 टेलीफोन : (022) 40807000 फैक्स : +91-22-66311776 / 40807080 ई मेल : itsl@idbitrustee.com
केनरा बैंक **एफएम एंड एस विंग, प्रधान कार्यालय, नं. 112,** **जेसी रोड, बैंगलोर - 560002** टेली: 080-22223165/080-22223170 ई-मेल : trustees@canarabank.com
केटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.: जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भूसारी कलोनी (दाएं), पौड रोड, पुणे - 411 038 टेलीफोन : (022) 2528 0081 ई मेल : dt@ctltrustee.com
सेंटबैंक फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लि. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट मुंबई - 400001 टेलीफोन : (022) 2261 6217 फैक्स: (022) 2261 6208 ई मेल : hv.kamdar@cfsl.in
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड **कॉर्पोरेट कार्यालय: द रूबी, दूसरी मंजिल, द.प.,29,** **सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम मुंबई -400028** टेली: +91-22- 62300451 ई मेल: debenturetrustee@axistrustee.in

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध /

payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

Name	KFIN Technologies Limited
Address	Unit: Bank of Baroda Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.
Email ID	einward.ris@kfintech.com
Toll Free/ Phone Number	1800 309 4001
WhatsApp Number	(91) 910 009 4099
KPRISM (Mobile Application)	https://kprism.kfintech.com/
KFINTECH Corporate Website	https://www.kfintech.com
RTA Website	https://ris.kfintech.com
Investor Support Centre (DIY Link)	https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001. Tel: +91-22-40807000 Fax: +91-22-66311776 / 40807080 E-mail: itsl@idbitrustee.com
Canara Bank FM&S Wing, Head Office, No. 112, JC Road, Bangalore - 560002. Tel: 080-22223165/080-22223170 E-mail: trustees@canarabank.com
Catalyst Trusteeship Ltd GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune - 411 038 Tel: 020 - 2528 0081 E-mail: dt@ctltrustee.com
Centbank Financial Services Ltd Central Bank of India - MMO Bldg., 3rd Floor (East Wing) 55 MG Road, Fort, Mumbai 400001 Tel: 022- 2261 6217, Fax: (022) 2261 6208 E-mail: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in
Axis Trustee Services Limited Corporate Office : The Ruby ,2nd Floor, SW,29 , Senapati Bapat Marg, Dadar West Mumbai -400028. Tel: +91-22- 62300451 E-Mail: debenturetrustee@axistrustee.in

शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को भी निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बडौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल: investerservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2)(डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है. इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholedrdirectors@bankofbaroda.com	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय 7 वां तल, बडोदा भवन आर.सी. दत्त रोड अल्कापुरी, वडोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल : cs.ho@bankofbaroda.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

The Company Secretary Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E - mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at - shareholderdirectors@bankofbaroda.com	The General Manager Operations and Services Bank of Baroda, Head Office 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E-mail: cs.ho@bankofbaroda.com

शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च 2023 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2023

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Description	कुल मामले Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
1	वैकल्पिक निवेश निधि	ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	42	22251290	0.43
2	बैंक	BANKS	20	6229884	0.12
3	समाशोधन सदस्य	CLEARING MEMBERS	122	4222152	0.08
4	निदेशक	DIRECTORS	3	800	0.00
5	निदेशक एवं उनके संबंधी	DIRECTORS AND THEIR RELATIVES	3	17582	0.00
6	कर्मचारी	EMPLOYEES	1685	1702708	0.03
7	विदेशी संस्थागत निवेशक	FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS	25	55000	0.00
8	विदेशी नागरिक	FOREIGN NATIONALS	5	4146	0.00
9	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प	FOREIGN PORTFOLIO - CORP	562	564871585	10.92
10	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS	1	408	0.00
11	भारत सरकार	GOVERNMENT OF INDIA	1	3308184689	63.97
12	एचयूएफ	H U F	11119	9419376	0.18
13	भारतीय वित्तीय संस्थान	INDIAN FINANCIAL INSTITUTIONS	1	4752	0.00
14	बीमा कंपनियां	INSURANCE COMPANIES	11	203439162	3.93
15	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	KEY MANAGEMENT PERSONNEL	1	8550	0.00
16	सीमित देयता सार्वजनिक सदस्य	LIMITED LIABILITY PUBLIC MEMBER	10	13288	0.00

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Description	कुल मामले Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
17	निकाय निगम	BODIES CORPORATES	3289	25432310	0.49
18	म्यूचुअल फंड	MUTUAL FUNDS	194	522633173	10.11
19	एनबीएफसी	NBFC	8	27339	0.00
20	अनिवासी भारतीय	NON RESIDENT INDIANS	8375	13694781	0.26
21	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE	4881	4573201	0.09
22	ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय	OVERSEAS CORPORATE BODIES	4	110165	0.00
23	निवासी व्यक्ति	RESIDENT INDIVIDUALS	1276398	358881159	6.94
24	पात्र संस्थागत क्रेता	QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER	63	124383095	2.41
25	ट्रस्ट	TRUSTS	44	1201040	0.02
26	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	UNIT TRUST OF INDIA	2	544	0.00
		कुल Total	**1306869**	**5171362179**	**100.00**

बी. शेयरधारकों का वितरण - 31 मार्च 2023 तक श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders - Category Wise as on 31st March 2023

क्र. सं. Slno	श्रेणी (शेयर) Category (Shares)	धारकों की संख्या No.of Holders	धारकों का % % To Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	इक्विटी % % To Equity
1	1 - 5000	1298251	99.34	277592854	5.37
2	5001 - 10000	5464	0.42	37935039	0.73
3	10001 - 20000	1360	0.10	19391236	0.37
4	20001 - 30000	444	0.03	11047940	0.21
5	30001 - 40000	197	0.02	6852201	0.13
6	40001 - 50000	150	0.01	6982333	0.14
7	50001 - 100000	308	0.02	22307962	0.43
8	100001 and above	695	0.05	4789252614	92.61
	कुल TOTAL:	**1306869**	**100.00**	**5171362179**	**100.00**

सी. प्रतिभूतियों का डिमैटरलाइजेशन:

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमैट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के डिमैटरलाइजेशन के लिए करार किया है। शेयरधारक अपने शेयरों का एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से डिमैटरलाइजेशन कर सकते हैं।

31 मार्च 2023 को बैंक के पास भौतिक एवं अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है :

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2023 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

सं Sr No	धारिता का प्रकार Nature of holding	धारकों की संख्या No. of Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत % Percentage %
1	भौतिक PHYSICAL	121154	33869151	0.65
2	एनएसडीएल NSDL	459375	1619600095	31.32
3	सीडीएसएल CDSL	726340	3517892933	68.03
	कुल : Total:	1306869	5171362179	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 इक्विटी शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2023 तक रद्द कर दिए गए।

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2023.

31 मार्च 2023 तक एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2023

ए . उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares - returned undelivered)

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2022		वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2022-23		31 मार्च 2023 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2023	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
69	86000	0	0	0	69	86000

बी. एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares - returned undelivered)

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2022		वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2022-23		31 मार्च 2023 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2023	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
154	92390	0	0	0	154	92390

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी।

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक प्रणाली से भुगतान

बैंक निवेशकों को, जहां उनके द्वारा मैंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा हैं।

निवेशक अपने मैंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मै. केफिन टेक्नोलॉजिज लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Limited, at the address given in this report.

सचिवालीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को वार्षिक सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट से संबंधित कार्य हेतु प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वार्षिक सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

प्रकटीकरण:

1. यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है।

2. बैंक पर पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज/ किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है।

3. हम सेबी सूचीयन विनियमन की अनुसूची V के उप अनुच्छेद (2) से (10) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

4. सभी निदेशकों द्वारा ये प्रकटीकरण किया गया है कि 31 मार्च 2023 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

5. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव - शून्य।

6. बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अत: 'कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां' शून्य हैं।

7. **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम**:

   बैंक के स्वतंत्र निदेशक के लिए आयोजित किए गए परिचय कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर https://www.bankofbaroda.in 'शेयरधारक कॉर्नर' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।

8. **व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश**

   भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए बैंक के व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट पर https://www.bankofbaroda.in 'शेयरधारक कॉर्नर' खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है।

9. **संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति**

   संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी बैंक की नीति का विवरण 'शेयरधारक कॉर्नर' खंड के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in पर उपलब्ध है।

SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2023. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.

3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations

4. All the Directors have disclosed that they have no relationship *inter-se* as on 31st March 2023.

5. Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.

6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2022-23 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

7. **Familiarization programme for Independent Directors**

   The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in

8. **Whistle Blower Guidelines**

   The details of the Bank's Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in. No personnel has been denied access to the audit committee.

9. **Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries**

   The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in.

10. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व निपटान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण**

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
4	22	3

11. **संबंधित वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नामे लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:**

बैंक द्वारा जारी सभी ऋण लिखतों एवं सावधि जमा कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 के दौरान रेटिंग में संशोधन के विवरणों के साथ बैंक की रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं;

10. **Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**

Number of Complaints filed during the financial year	Number of Complaints disposed off during the year	Number of Complaints pending as on end of the financial year
4	22	3

11. **List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2022-23, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad**

Details of Credit Ratings assigned by the Rating Agencies of the Bank along with details of revisions in rating during financial year i.e. 2022-23, for all debt instruments and fixed deposit programme issued by Bank are as under;

रेटिंग एजेंसी Rating Agency		लिखत Instrument	वर्तमान रेटिंग Present Rating	रेटिंग कार्रवाई Rating Action	रेटिंग कार्रवाई Rating Action
आईसीआरए ICRA	बेसल III टियर-I बॉन्ड	Basel III Tier-I Bonds	[ICRA]AA+ (Stable)	निर्दिष्ट	Assigned
	बेसल III टियर-I बॉन्ड	Basel III Tier-I Bonds	[ICRA]AA+ (Stable)	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	बेसल III टियर II बॉन्ड	Basel III Tier II Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	Infrastructure Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	सावधि जमा कार्यक्रम	Fixed Deposit Programme	[ICRA]AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
केयर CARE	टियर II बॉन्ड (बेसल III)	Tier II Bonds (Basel III)	CARE AAA; Stable	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	अपर टियर II बॉन्ड (बेसल II)	Upper Tier II Bonds (Basel II)	CARE AAA; Stable	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
इंडिया रेटिंग INDIA RATINGS	दीर्घावधि इश्युअर रेटिंग	Long-Term Issuer Rating	IND AAA'/Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	बेसल III एटी-I बॉन्ड	Basel III AT1 bonds	IND AA+/Stable	निर्दिष्ट	Assigned
	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग बांड	Infrastructure and Affordable Housing Bonds	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	अल्पावधि कर्ज कार्यक्रम	Short-term debt programme	IND A1+	अभिपुष्ट	Affirmed
	सावधि जमा	Fixed deposit	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	बेसल III टियर 2 लिखत	Basel III Tier 2 instrument	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	बेसल III एटी-I बॉन्ड	Basel III AT1 bonds	IND AA+/Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	जमा प्रमाणपत्र	Certificate of deposits	IND A1+	अभिपुष्ट	Affirmed
क्रिसिल CRISIL	टियर-I बॉन्ड (बेसल III के तहत)	Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/ Stable	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	Tier II Bonds (Under Basel III)	CRISIL AAA/ Stable	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	अपर टियर- II बॉन्ड (बेसल II के तहत)	Upper Tier-II Bonds (under Basel II)	CRISIL AAA/ Stable	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed
	लोअर टियर- II बॉन्ड (बेसल II के तहत)	Lower Tier-II Bonds (under Basel II)	CRISIL AAA/ Stable	पुन: अभिपुष्ट	Reaffirmed

रेटिंग एजेंसी Rating Agency		लिखत Instrument	वर्तमान रेटिंग Present Rating	रेटिंग कार्रवाई Rating Action	रेटिंग कार्रवाई Rating Action
मूडी MOODY'S	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिवास)**	**Bank of Baroda (Domicile)**			
	आउटलुक	Outlook	Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	बीए1 से अद्यतन	Upgraded from Ba1
	बैंक जमाराशियां	Bank Deposits	Baa3/P-3	बीए1 से अद्यतन	Upgraded from Ba1
	आधारभूत ऋण मूल्यांकन	Baseline Credit Assessment	ba3	बी1 से अद्यतन	Upgraded from b1
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन	Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)	बीए1 (करोड़)/एनपी (करोड़) से अद्यतन	Upgraded from Ba1(cr)/NP(Cr)
	बैंक ऑफ़ बडौदा (लंदन)	**Bank of Baroda (London)**			
	आउटलुक	Outlook	Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	बीए1/एनपी से अद्यतन	Upgraded from Ba1/NP
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन	Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)	बीए1 (करोड़)/एनपी (करोड़) से अद्यतन	Upgraded from Ba1(cr)/NP(Cr)
	सीनियर गैरप्रतिभूत	Senior Unsecured	Baa3	बीए1 से अद्यतन	Upgraded from Ba1
फिच FITCH	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा न्यूजीलैंड**	**Bank of Baroda New Zealand**			
	विदेशी मुद्रा दीर्घावधि आईडीआर (इश्युअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग)	Foreign Currency Long-Term IDR (Issuer Default Rating)	BBB-	अभिपुष्ट	Affirmed
	आउटलुक	Outlook	Stable	नेगेटिव से संशोधित	Revised from Negative
	शेयरधारक को समर्थित	Shareholder supporting	bbb-	अभिपुष्ट	Affirmed
	सरकारी जोखिम (भारत)	**Sovereign Risk (India)**			
	दीर्घावधि विदेशी मुद्रा आईडीआर	Long Term Foreign Currency IDR	BBB-Stable	अभिपुष्ट	Affirmed
	आउटलुक	Outlook	Stable	नेगेटिव से संशोधित	Revised from Negative
	दीर्घावधि स्थानीय मुद्रा आईडीआर	Long Term Local Currency IDR	BBB-	अभिपुष्ट	Affirmed
	अल्पावधि आईडीआर	Short-Term IDR	F3	अभिपुष्ट	Affirmed
	व्यवहार्यता रेटिंग	Viability Rating	bb-	अभिपुष्ट	Affirmed
	सरकार समर्थित रेटिंग	Government Support Rating	bbb-	अभिपुष्ट	Affirmed

12. **इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंधन तंत्र पर निर्भर नहीं हैं -** हां

13. **जहां वित्त वर्ष 2022-23 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया - शून्य**

14. **विनियम 32 (7ए) के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग के ब्यौरे** - शून्य क्योंकि वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटाई नहीं गई।

15. **सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क संस्थाओं, जिसमें लेखा परीक्षक एक भागीदार है, को सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस है - रु. 72.55 करोड़**

16. **कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक मंडल/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने अथवा बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है.** - प्राप्त किया गया।

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	**बोर्ड** सूचीबद्ध कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।	अनुपालन किया गया। भारत सरकार ने डॉ. हसमुख अढ़िया की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में की है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया।
2	**शेयरधारक के अधिकार** पिछली छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है।	बैंक अपने तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है। बैंक शेयरधारकों की सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप वित्तीय परिणामों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है।

12. **Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.** - Yes

13. **Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2022-23 -** NIL

14. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A)** - NIL as during the year, Bank has not raised funds through preferential allotment or qualified institutions placement

15. **Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/ network entity of which the statutory auditor is a part. -** Rs. 72.55 crores

16. **certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority**.- obtained

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No.	Non-mandatory requirements	Status of Implementation
1	**The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	Complied with. The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Bank publishes quarterly / half yearly / yearly financial results of the Bank on website of Stock Exchanges and on website of Bank also. Bank also publish financial results in newspapers as per prescribed format for information of shareholders.

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत** कंपनी को अशर्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए।	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं है।
4	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्ति हैं।
5	**आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

विनियम क्र.	शीर्षक/ संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
17	निदेशक मंडल	अनुपालन किया गया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें 'बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970' के अधीन है। अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे। **बोर्ड मूल्यांकन** बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है।

Sr. No.	Non-mandatory requirements	Status of Implementation
3	**Modified opinion(s) in audit report** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
4	**Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Bank of Baroda is having separate persons to the post of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer.
5	**Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
17	Board of Directors	Complied with. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through “Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970”. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders’ other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. **Board Evaluation** Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms - Enhancing governance through improved effectiveness of Non-Official Directors.

विनियम क्र.	शीर्षक/ संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
17ए	निदेशकों की अधिकतम संख्या	अनुपालन किया गया है
18	लेखा परीक्षा समिति	अनुपालन किया गया है
19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	अनुपालन किया गया है
20	हितधारक संबंधपरक समिति	अनुपालन किया गया है
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया है
22	सतर्कता प्रणाली	अनुपालन किया गया है
23	संबंधित पार्टी लेनदेन	अनुपालन किया गया है
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता	अनुपालन किया गया है
24ए	सचिवालीय लेखा परीक्षा और सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट	अनुपालन किया गया है
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	विनियमन 17 उपर्युक्त के अनुसार
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया है

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
17A	Maximum number of directorships	Complied with
18	Audit Committee	Complied with
19	Nomination and Remuneration committee	Complied with
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied with
24A	Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17, as above.
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with

विनियम क्र.	शीर्षक/ संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया है
46	वेबसाइट	अनुपालन किया गया है

भौतिक रूप में शेयर धारणकर्ता शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएस डी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत करें।
2. जिन फोलियो में दिनांक 1 अक्तूबर, 2023 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त दस्तावेज/ विवरणों में से कोई एक दस्तावेज/विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
3. जिन प्रतिभूति धारक(कों) के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही (1) शिकायत दर्ज करने या आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने (2) ऐसे फ्रोजन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान के लिए पात्र होंगे।
4. फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज ही रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

शेयरधारकों हेतु संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46	Website	Complied with

FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
2. The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
4. Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

केफिन टेक्नोलॉजी लि., यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032. **ई-मेल :** einward.ris@kfintech.com **टोल फ्री/फोन नंबर :** 1800 309 4001 **व्हाट्सऐप नंबर :** (91) 910 009 4099 **केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन):** https://kpriism.kfintech.com/ **केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट:** https://www.kfintech.com **आरटीए वेबसाइट:** https://ris.kfintech.com **निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक) :** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा** निवेशक सेवाएं विभाग, 7वीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051 **टेलीफोन:** 022-6698 5731/ 5743 **सामान्य नंबर:** 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) **ई-मेल:** investorservices@bankofbaroda.com **बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का कॉर्नर सेक्शन** - **https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/**

भौतिक शेयरों का डीमैटरलाइजेशन- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न हों। अत: हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें।
2. सेबी (सूचीयन बाध्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।
3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक रूप से डिमटेरियलाइज करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;

ii. शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;

iii. डीमैट होने से शेयरों की कागज रहित ट्रेडिंग की आसान सुविधा मिलती है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता

KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B,, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. **Email :** einward.ris@kfintech.com **Toll Free/ Phone Number:** 1800 309 4001 **WhatsApp Number :** (91) 910 009 4099 **KPRISM (Mobile Application) :** https://kprism.kfintech.com/ **KFINTECH Corporate Website :** https://www.kfintech.com **RTA Website :** https://ris.kfintech.com **Investor Support Centre (DIY Link) :** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**Bank of Baroda** Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 **Tel:** 022 - 6698 5731 / 5743 **General Number :** 022 - 6698 5000-04 (PBX) **E-Mail:**investorservices@bankofbaroda.com **Shareholder's corner section on Bank's Website** - https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS - A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly demat their physical holding immediately.
2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is

खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

भौतिक रूप में शेयरों के डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के पश्चात् शेयरधारक(कों) को डीपी को विधिवत रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) सरेंडर करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

ऐसे शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह देखना होगा कि क्या मौजूदा डीमैट खाता उसी नाम (मों) एवं स्वरूप में है जैसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता है। यदि हां, तो शेयरधारकों को विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डीआरएफ मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ डीपी को प्रस्तुत करना होगा जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाता समान नाम पर नहीं है, तो शेयरधारक(कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो कृपया उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजी लि. अथवा बैंक से संपर्क करें।

अदावाकृत लाभांश / शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन ('नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सभी अदावाकृत लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 13/2/2015-बीओ II दिनांक 29 अक्तूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,

opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM:

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned above.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated

2013 ('अधिनियम') की धारा 124 (6) के अनुसार सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावाकृत रहा है और आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

इसके अनुपालन में बैंक को उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित करना होगा जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2014-15 तक के अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावाकृत लाभांश का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर प्रदर्शित किया गया है।

हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें। यदि बैंक को 31 जुलाई 2023 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी और सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

कृपया नोट करें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में बैंक के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता।

आईईपीएफ को अंतरित/ अदावाकृत लाभांश शेयरों का दावा:

अदावाकृत लाभांश जो पहले ही अंतरित किया जा चुका हो या शेयर, जिन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के संबंध में कृपया नोट करें कि आप वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना।

बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना।

सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना।

29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2014-15 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents. In case Bank does not receive any claim by 31st July 2023, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFFERED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

Transparency Officer

In compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011. The transparency officer is responsible for the following functions:

a) To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

b) To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.

c) To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.

डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों के लिए आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना। बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड की है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है। बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू की है।

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

अनुलग्नक 1 निदेशक मंडल का गठन

डॉ. हसमुख अढ़िया - अध्यक्ष (गैर कार्यपालक)

(जन्म तिथि: 3 नवंबर, 1958)

डॉ हसमुख अढ़िया को 01.03.2019 से 3 वर्षों की अवधि के लिए गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने डॉ. हसमुख अढ़िया को 01.03.2022 से दो वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया है।

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो दि. 30 नवंबर, 2018 को भारत सरकार के वित्त सचिव और राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्तमान में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू एवं पंडित दीनदयाल उर्जा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के सदस्य भी हैं। वे गुजरात उर्जा अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान (जीईआरएमआई) के उपाध्यक्ष हैं।

डॉ. हसमुख अढ़िया को लेखा-शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। वे भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरू से स्वर्ण पदक विजेता हैं तथा उन्होंने स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है।

d) To be a contact point for the public in all RTI- related matters. The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas centres. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (India Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

ANNEXURE 1 COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman w.e.f. 01.03.2019, for a period of 3 years. Government of India has re-nominated Dr. Hasmukh Adhia as Part-Time Non-Official Director on the Board of Bank of Baroda for a further period of two years w.e.f. 01.03.2022, or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Hasmukh Adhia is an officer of Indian Administrative Service, who retired on 30th November, 2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is at present non-executive Chairman of Bank of Baroda, and also the Chancellor of Central University of Gujarat. He serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management Bangalore and Pandit Deendayal Energy University, Gandhinagar. He serves as Vice President in Gujarat Energy Research and Management Institute (GERMI).

Dr. Hasmukh Adhia has got a basic Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medallist from Indian Institute of

वित्त सचिव के रूप में उनकी पदस्थापना से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे। वित्तीय सेवाओं के सचिव के रूप में बैंकिंग सुधार हेतु ज्ञान संगम और इंद्र धनुष जैसी कई नई कार्यनीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म वित्तपोषण आदि में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्होंने आयकर के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर में भी कई अनुकूल पहलें की हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी की आवश्यकता को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी को सुचारू रूप से लागू किया गया। वे काले धन के विरुद्ध अपने अथक अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। सचिव (राजस्व) के रूप में उन्होंने आयकर के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर में भी कई अनुकूल पहलें की हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी की आवश्यकता को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी को सुचारू रूप से लागू किया गया।

वित्त मंत्रालय में पदस्थापना से पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव (2003-06) के साथ-साथ प्रमुख सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008-13), अपर मुख्य सचिव (वित्त), गुजरात (2013-14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001-02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक आदि पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

अपने पद के आधार पर, उन्होंने निम्नलिखित संस्थानों/ कंपनियों के निदेशक मंडल में कार्य किया: -

संस्थान

- भारतीय रिज़र्व बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- भारतीय जीवन बीमा निगम
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
- केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
- निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
- धीरुभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान

कंपनियां

- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
- एक्जिम बैंक
- जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड
- गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी
- नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी
- गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम

Management, Bangalore and he holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indra Dhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money. As Secretary (Revenue), he is credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST is implemented smoothly.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

By virtue of his position, he served on the Board of Directors of following institutions/companies:-

Institutions

- Reserve Bank of India
- State Bank of India
- Life Insurance Corporation of India
- Indian Institute of Management, Ahmedabad
- Indian Institute of Technology, Gandhi Nagar
- Central University, Gandhi Nagar
- Nirma University, Ahmedabad
- Dhirubhai Ambani Institute of Information & Communication Technology

Companies

- India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)
- EXIM Bank
- GST Network Limited
- Gujarat State Fertilizers Company
- Narmada Valley Fertilizer Company
- Gujarat State Petroleum Corp.

श्री संजीव चड्ढा - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 25 जून, 1963)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री संजीव चड्ढा की नियुक्ति 20.01.2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। भारत सरकार ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में श्री संजीव चड्ढा का कार्यकाल 20.01.2023 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30.06.2023 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा दिया है।

श्री संजीव चड्ढा ने 20 जनवरी 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाला है, आपको बैंकिंग क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है, आपने अपने कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1987 में भारतीय स्टेट बैंक से की थी।

श्री चड्ढा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी अध्यक्ष हैं। आप नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्यरत हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के शासी मंडल में हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यदायित्व संभालने से पूर्व श्री चड्ढा एसबीआई की मर्चेंट और निवेश बैंकिंग इकाई एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ तथा एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड एवं एसबीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के अध्यक्ष थे। श्री चड्ढा ने एसबीआई में 33 वर्षों तक कार्य किया है, जहां उन्होंने एसबीआई के यूके परिचालन में क्षेत्रीय प्रमुख, एसबीआई, लॉस एंजिलिस में सीईओ के साथ-साथ एसबीआई समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के रूप में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया है।

श्री संजीव चड्ढा सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।

श्री अजय के खुराना - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 17 मार्च, 1964)

श्री अजय के खुराना को 01.04.2020 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने श्री अजय के. खुराना, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यकाल 20.09.2021 से दो वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा दिया है।

उन्होंने सीएआईआईबी की व्यावसायिक योग्यता के साथ बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के पद का दायित्व संभालने से पूर्व आपने दिनांक 20.09.2018 से 31.03.2020 तक सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के तौर पर सेवाएं प्रदान की।

आपने दिनांक 15.11.1988 को विजया बैंक में अधिकारी के रूप में सेवा ग्रहण की। आपके पास 17 वर्षों तक फील्ड स्तर के विभिन्न पदों पर तथा 4 वर्षों तक विजया बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। आप बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए। श्री अजय के खुराना को बैंक के महत्त्वपूर्ण विभागों जैसे कि ऑडिट, एनपीए वसूली, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट में कार्य करने का गहन अनुभव है।

Shri Sanjiv Chadha - Managing Director & CEO (Executive)

(DOB: 25th June, 1963)

Shri Sanjiv Chadha was appointed as Managing Director & CEO w.e.f. 20.01.2020, for a period of 3 years. Government of India has extended the term of office of Shri Sanjiv Chadha as Managing Director and Chief Executive Officer (MD&CEO), Bank of Baroda for a further period w.e.f. 20.01.2023, till the date of his superannuation i.e. 30.06.2023, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Sanjiv Chadha, Managing Director & CEO of Bank of Baroda since 20th January 2020 has over 36 years' experience in banking & financial services having started his career with SBI in 1987.

Shri Chadha is also Chairman on the boards of Bank of Baroda (UK) Ltd., IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., BOB Capital Markets Ltd. & BOB Financial Solutions Ltd. He also serves on the board of National Insurance Co. Ltd & is on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM).

Prior to joining Bank of Baroda, Shri Chadha was the MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI, and Chairman of SBICAP Ventures Ltd. and SBI Securities Ltd. Shri Chadha spent 33 years at SBI, where he handled a diverse range of roles including the Regional Head for SBI's UK Operations, CEO of SBI Los Angeles as well as Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group.

Shri Sanjiv Chadha is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi.

Shri Ajay K. Khurana - Executive Director

(DOB: 17th March, 1964)

Shri Ajay K Khurana was appointed as Executive Director w.e.f. 1.4.2020. Government of India has extended the term of office of Shri Ajay K. Khurana, Executive Director, Bank of Baroda for a period of two years w.e.f. 20.09.2021, or until further orders, whichever is earlier.

He is a Post graduate in Business Management with Professional Qualification of CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.04.2020, he served on the Board of Syndicate Bank as an Executive Director from 20.09.2018 till 31.03.2020.

He joined Vijaya Bank as an Officer on 15.11.1988. He has a vast operational experience at field level covering 17 years in various capacities and 4 years as Regional Head at Vijaya Bank. He climbed up the ladder of Management and was promoted as General Manager. Shri. Ajay K Khurana has acquired rich experience while working in various key departments such as Audit, NPA Recovery, International Banking, Operations, Information Technology Dept. and Corporate Credit.

आपने दिनांक 20.09.2018 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति प्राप्त कर विभिन्न पोर्टफोलियो यथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वसूली, एमएसएमई, मिड कॉर्पोरेट एवं केंद्रीय लेखा विभाग के कार्यों को संभाला है।

श्री देबदत्त चांद - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 31 जनवरी, 1971)

श्री देबदत्त चांद को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और आपने दिनांक 10.03.2021 से कार्यदायित्व संभाला है।

कार्यपालक निदेशक के रूप में आप वर्तमान में कार्पोरेट एवं संस्थागत ऋण, ट्रेजरी एवं वैश्विक बाजार, मिड कार्पोरेट व्यवसाय, कार्पोरेट एवं संस्थागत बैंकिंग तथा व्यापार एवं विदेशी मुद्रा संबंधी पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय तथा बैंक में अन्य कार्यों जैसे कि एचआरएम, वित्त एवं आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा/ निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा, संपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा, घरेलू अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम, धन संपदा प्रबंधन, कैपिटल मार्केट, एनआरआई व्यवसाय इत्यादि को भी संभाला है।

आपके पास वाणिज्यिक बैंक एवं विकास वित्त संस्थानों में कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने वर्ष 1994 में इलाहाबाद बैंक में अधिकारी के रूप में अपना करियर आरंभ किया एवं तदुपरांत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में वर्ष 1998 से 2005 तक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। आप वर्ष 2005 में मुख्य प्रबंधक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े तथा आगे बढ़ते हुए मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यदायित्व संभालने के पूर्व आप पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में मुंबई अंचल के प्रमुख की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। आपने पंजाब नैशनल बैंक में अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, पटना के प्रमुख, बरेली मंडल के प्रमुख और एकीकृत ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया है।

श्री चांद बीटेक, एमबीए सीएआईआईबी, पीजी डिप्लोमा, इक्विटी रिसर्च एण्ड सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर की योग्यता से युक्त कुशल बैंकर हैं। बैंकिंग उद्योग में अपनी लंबी यात्रा के दौरान आपने ट्रेजरी एवं निवेश बैंकिंग, बाजार जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ परिचालन और नीतिपरक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है।

श्री चांद बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड, बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी हैं। इससे पहले जब आप पंजाब नैशनल बैंक में थे, तब आप पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, स्विफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य थे और कई निजी इक्विटी फंडों के शासक मंडल में भी थे।

श्री जयदीप दत्ता राय - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 01.07.1972)

श्री जयदीप दत्ता राय को 21.10.2021 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

He was elevated to the rank of Executive Director on 20.09.2018 and handled various portfolios such as Information Technology Dept., Treasury & International Banking, Recovery, MSME, Mid Corporate and Central Accounts Dept.

Shri Debadatta Chand - Executive Director

(DOB: 31st January, 1971)

Shri Debadatta Chand was appointed Executive Director of Bank of Baroda and assumed charge on 10.03.2021.

As Executive Director, he currently oversees Corporate & Institutional Credit, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, Corporate & Institutional Banking and Trade & Foreign exchange. He had also handled the International Banking Business and other functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit/Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security, Estate Management & Security, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business etc. in the Bank.

He has over 28 years of experience in Commercial Banks and Developmental Financial Institutions. He started his career in Allahabad Bank in 1994 as an Officer and subsequently worked as a Manager in Small Industries Development Bank of India [SIDBI] from 1998 to 2005. He joined Punjab National Bank (PNB) in the year 2005 as Chief Manager and rose to the level of Chief General Manager. Prior to joining Bank of Baroda as an Executive Director, he was heading Mumbai Zone of PNB as Chief General Manager. He has also successfully handled responsibilities such as Head of Zonal Audit Office, Patna, Circle Head of Bareilly Region, Head of Integrated Treasury Operations at Punjab National Bank.

Shri Chand is a B.Tech, MBA, CAIIB qualified Banker with a PG Diploma in Equity Research and a Certified Portfolio Manager. During his long stint in the banking Industry, Shri Chand has gained varied exposure in all the important spheres of operational and strategic banking with many leadership roles with specialisation in Treasury and Market Risk Management.

Shri Chand is also on the Board of BOB Capital Markets Ltd., India Infradebt Limited, Baroda Financial Solutions Limited, Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Uganda) Ltd. and Bank of Baroda (Kenya) Ltd. Earlier, when at Punjab National Bank, he was a Member on the Boards of PNB Principal Mutual Fund, SWIFT India Pvt. Ltd and was also on the Board of Governors of many Private Equity funds.

Shri Joydeep Dutta Roy - Executive Director

(DOB: 01.07.1972)

Shri Joydeep Dutta Roy was appointed as Executive Director w.e.f. 21.10.2021.

Joydeep Dutta Roy, a career Banker for around 26 years joined Bank of Baroda in the year 1996.

During his long career in the Bank, he has handled a

जयदीप दत्ता राय जिनका बैंकिंग कॅरियर 26 वर्षों का है, ने वर्ष 1996 में एचआर विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में सेवा ग्रहण की थी।

बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान आपने बैंक में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यों को संभाला है और बैंक के लिए कई परियोजनाओं और पहलों जैसे कि बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट-प्रोजेक्ट नवनिर्माण, प्रोजेक्ट उड़ान नामक एक व्यापक एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, स्पर्श जैसे विशिष्ट लीडरशिप प्रोग्राम और बड़ौदा-जेम्स नामक बैंक के डिजिटल पीएमएस टूल को सफलतापूर्वक लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

बैंक में मानव संसाधन के प्रमुख, बैंक के देहरादून और बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंकों के बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ समामेलन के समय एकीकरण प्रमुख के रूप में काफी सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद आप मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए और बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ हुए। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में आपने बैंक में कार्यनीति निर्माण और कार्यान्वयन तथा बैंक की अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के प्रबंधन के अलावा बैंक स्तर और वर्टिकल स्तर की प्रभावी समीक्षा का भी संचालन किया है। आपने बॉब-नाऊ नामक एक बैंक-व्यापी रूपांतरण परियोजना का संचालन किया है जिसकी शुरुआत महामारी के बाद उत्पन्न डिजिटलीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित परिस्थितियों के कारण की गई।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में आप वर्तमान में बैंक के परिचालन कार्यों के साथ-साथ भावी बॉब नाऊ परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, धनसंपदा प्रबंधन और बैंक के डिजिटल कार्यों का प्रबंधन कर रहे हैं। आपने पूर्व में कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक के जोखिम, अनुपालन, लेखा परीक्षा, मानव संसाधन, ऋण निगरानी विभाग और संग्रहण कार्यों को भी सफलतापूर्वक संभाला है।

आप "बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के निदेशक मंडल में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हैं तथा "इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड", "बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड" तथा "बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड" के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं। आपने पूर्व में नैनीताल बैंक लिमिटेड, "बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड" और "बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड" के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया है।

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा आपने विधि में स्नातक एवं नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई से एचआर में एमबीए डिग्री प्राप्त की है।

श्री ललित त्यागी- कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 14 जून, 1971)

श्री ललित त्यागी को 21.11.2022 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री ललित त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया था। आपके पास वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 26 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। आप एक ऑपरेशनल बैंकर रहे हैं, आपके पास भारत और विदेश में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में काम करने का व्यापक अनुभव है, इसमें

variety of functions in the Bank, across levels and has been instrumental in spearheading and successfully implementing many projects and initiatives for the Bank viz. Business Process Reengineering Project - Project Navnirmaan, Project Udaan, a comprehensive HR Transformation Project called SPARSH, customised long-term Leadership Programs like We-Lead, the Bank's Digital PMS tool called Baroda - GEMS, etc.

After completing very successful stints in the Bank as the Head of HR, Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, Head of Integration at the time of amalgamation of erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Banks with Bank of Baroda, he was elevated to the position of Chief General Manager and was posted in the Office of the MD & CEO of the Bank. As a Chief General Manager, he was in charge of strategy formulation & implementation in the Bank and for conducting Bank level and Vertical level reviews apart from managing the Subsidiaries & Joint Ventures of the Bank. He has been driving a Bank-wide transformation project called BOB-NOWW that was initiated in view of changed imperatives and push towards digitalisation, post the pandemic.

As Executive Director in Bank of Baroda, he currently manages the Operations function of the Bank besides the futuristic BOB-NOWW project, IT, Finance, Wealth Management and the Digital functions of the Bank. He has earlier held charge of the Risk, Compliance, Audit, HR, Credit Monitoring and Collections functions of the Bank as the ED in charge, with great success.

He is also the non-executive Chairman on the Board of "Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd." and a Director on the Boards of "India First Life Insurance Company Limited", "Bank of Baroda (UK) Limited" and "Bank of Baroda (Botswana) Limited". His previous directorship assignments have been on the Boards of "The Nainital Bank Ltd.", "Baroda Global Shared Services Ltd." and "Bank of Baroda (Tanzania) Ltd."

He holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate also holds MBA from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

Shri Lalit Tyagi - Executive Director

(DOB: 14th June 1971)

Shri Lalit Tyagi was appointed as Executive Director w.e.f. 21.11.2022.

Shri Lalit Tyagi, having started his career as Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996, has over 26 years of rich experience in various spectrum of commercial banking, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been a field banker having vast experience of working in different branches / offices in India and abroad, including two stints in Bank's overseas operations; viz. Brussels, Belgium and New York, USA.

बैंक के विदेशी परिचालनों में दो कार्यकाल अर्थात् - ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए शामिल हैं।

आपके पास बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे बेंगलुरू क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक और शाखा प्रमुख तथा बैंक की सबसे बड़े विदेशी टेरिटरी यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में कार्य करने का सफल अनुभव है।

दिनांक 21 नवंबर 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आपने कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल-केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के निदेशक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) इंक. के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं।

आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस (पीजीडीबीएफ) हैं तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा भावी नेतृत्व भूमिकाओं के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर के रूप में चुना गया है।

श्री मुकेश कुमार बंसल- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- भारत सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 05 अगस्त, 1978)

श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में 15.12.2022 से की गई है।

श्री मुकेश कुमार बंसल भारतीय प्रशासनिक सेवा (2005 बैच) के अधिकारी हैं। आप वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है।

श्री बंसल वाणिज्य में स्नातक हैं और स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए से एमबीए भी किया है। आपने इग्नू से भी एम.ए (अर्थशास्त्र) की परीक्षा पास की है।

अक्तूबर, 2022 के दौरान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी पदस्थापना से पूर्व आपने मार्च 2020 से अक्तूबर 2022 तक माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति से पूर्व श्री बंसल ने अपने कैडर राज्य, छत्तीसगढ़ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपने जिला पंचायत, उत्तरी बस्तर, कांकेर के सीईओ एवं नगर निगम, बिलासपुर के आयुक्त के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने 2011 से 2017 तक तीन जिलों कबीरधाम, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया है। आप 2017 से 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव थे, साथ ही इस दौरान आपने नया रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त पदभार भी संभाला। इसके अलावा आपने कृषि, जनजातीय विकास, ग्रामीण उद्योग जैसे विभिन्न विभागों में विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

He has successful experience of leading Bank's important units such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager & Branch Head of Bank's largest Corporate Financial Services Branch, Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of Bank's largest overseas territory US Operations, New York.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, he was the Chief Executive of Bank's US Operations, New York. He has also served as Director in Canbank Computer Services Ltd. (CCSL - a wholly owned subsidiary of Canara Bank) and Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc.

Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills.

He has Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been identified as one of Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Shri Mukesh Kumar Bansal - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DOB: 5th August 1978)

Shri Mukesh Kumar Bansal was appointed as a Non-Executive Director (Government Nominee) w.e.f. 15.12.2022.

Shri Mukesh Kumar Bansal is an officer of Indian Administrative Service (2005 batch). He is presently working as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Bansal is a Commerce graduate and also an MBA from the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA. He has also completed his MA Economics from IGNOU.

Prior to his posting as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance in October, 2022 he worked as Private Secretary to Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, from March, 2020 to October, 2022.

Before being deputed to the Government of India, Shri Bansal held various key positions in his Cadre State of Chattisgarh. He had worked as CEO, Zila Panchayat, North Bastar Kanker, Commissioner Municipal Corporation, Bilaspur. He worked as Collector & District Magistrate in three districts namely Kabirdham, Raigarh & Rajnandgaon from 2011 to 2017. He was Special Secretary to Hon'ble Chief Minister Chhattisgarh from 2017 to 2018 and at that time he also held additional post of CEO, Naya Raipur Development Authority. He had also worked in different departments namely Agriculture, Tribal Development, Rural Industries as Special Secretary.

श्रीमती पार्वती वी सुंदरम- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 24 नवंबर, 1959)

श्रीमती पार्वती वी सुंदरम को 13.04.2021 से गैर-कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिति) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती पार्वती वी सुंदरम ने बैंकर के रूप में अपने कॅरियर की शुरुआत की और 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद आप मार्च 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुई तथा 5 से अधिक केंद्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी प्रमुख विभागों में विविध पदों पर कार्य किया। आपको कुछ बड़े बैंकों के निदेशक मंडलों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल/ समितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की नामिती के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। आपने भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन तथा विधि विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया और आप नवंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हुई।

केन्द्रीय बैंकिंग विनियमन तथा पर्यवेक्षण में आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्यदायित्व निम्नानुसार रहे:-

- वर्ष 2015-17 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की प्रत्यक्ष निगरानी जिसमें समीक्षा की योजना एवं निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन, निष्कर्षों की जांच एवं सत्यापन, क्रिस्टलीकरण एवं कनवेयेंस प्रावधान, बैंकों के शीर्ष प्रबंधनों के साथ विचार-विमर्श, पूंजी आंकलन, परिदृश्य विश्लेषण, अभ्यावेदनों की समीक्षा तथा प्रभाव आकलन आदि शामिल है।
- सभी बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर माइग्रेशन तथा विनियामक एवं प्रणालीगत बदलावों को शामिल करने के लिए समय-समय पर मॉडल में सुधार करना, छोटे विदेशी बैंकों के लिए एक छोटा बैंक वेरियंट मॉडल विकसित करना जो स्थानीय परिचालन पर केन्द्रित हो तथा पर्यवेक्षण हेतु प्रक्रियाओं और कौशल में विकास करना।
- बैंकों के लिए संशोधित पीसीए दिशानिर्देशों के निर्धारण, अनुकूलन तथा अंतिम स्वरूप देने संबंधी कार्य की निगरानी। आप भारतीय रिजर्व बैंक के सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक अध्ययन समूह तथा भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सदस्य रही हैं।

श्री अजय सिंघल - निदेशक (गैर- कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 14 दिसंबर, 1974)

श्री सिंघल को 21.12.2021 से गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नामित किया गया है।

श्री सिंघल पेशे से सनदी लेखाकार हैं। आपने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से एलएलबी की परीक्षा भी पास की है। विगत 21 वर्षों के दौरान आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लेखा परीक्षा, कराधान, बैंकिंग व वित्त आदि शामिल है।

श्री सिंघल ने वर्ष 2016-17 के दौरान सीआईआरसी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड ऑफ़ इंडिया की ग्वालियर शाखा के अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवा प्रदान की है। श्री सिंघल ने अगस्त 2018 से जुलाई 2021 तक बामर लॉरी निवेश लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम) में

Smt. Parvathy V Sundaram - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DOB: 24th November, 1959)

Smt. Parvathy V Sundaram was appointed as Non-Executive Director (RBI Nominee) w.e.f. 13.04.2021.

Smt. Parvathy V Sundaram started her career as a commercial banker and after a 2 year stint moved over to the Reserve Bank of India in March 1984 and worked in various capacities in almost all major departments of the RBI in over 5 centres. She was deputed as RBI's nominee in a few bank boards and international working groups/ committees. She served as the Executive Director in charge of the Currency Management and Legal Departments of the Reserve Bank of India and superannuated from the RBI in November 2019.

Some of her assignments in the areas of Central Banking Regulation and supervision included:

- Direct oversight of the Asset Quality Review undertaken by the RBI in 2015-17 including planning and execution of the review, quality assurance, vetting and validation of findings, provision crystallisation and conveyance, discussions with top management of the banks, capital assessment, scenario analysis, review of representations and impact estimation.
- Migration of all banks to Risk Based Supervision and ensuring periodic improvements in the model to capture regulatory and systemic changes, developing a Small Bank Variant Model for small foreign banks with focus on niche operations and improving processes and skills for supervision.
- Overseeing the framing, fine-tuning and finalisation of the revised PCA guidelines for banks. She was a member in the Internal Study Group of the RBI to Review the Working of the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) System and a member of the High Level Task Force constituted by RBI for evaluating the need for establishing a Public Credit Registry in India.

Shri Ajay Singhal - Director (Non-Executive)

(DOB: 14th December, 1974)

Shri Singhal was nominated as Non-Executive Director (Independent Director) w.e.f. 21.12.2021.

Shri Singhal is engaged in the profession of Chartered Accountancy. He had also passed the LLB examination from the Jiwaji University, Gwalior. During last 21 years his areas of specialization includes Audit, Taxation, Banking & Finance, etc.

Shri Singhal has served as a Chairman of Gwalior Branch of CIRC of Institute of Chartered of India in the year 2016-17. Mr Singhal also served as an Independent Director in the Balmer Lawrie Investment Ltd. (A Government of India Enterprise under Ministry of Petroleum) from Aug 2018 to July 2021 and also chaired the Audit Committee of the Board. Shri Singhal was also an Executive Council Member of Barkatullah

भी स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्य किया तथा निदेशक मंडल की ऑडिट समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री सिंघल मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वे विभिन्न सामाजिक एवं वाणिज्यिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं तथा मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ़ कॉमर्स व स्टडीज के कार्यपालक सदस्य हैं।

श्री सिंघल ने विधि, बैंकिंग चार्टेड अकाउंटेंसी व अन्य संबद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार व सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है और समाज के पिछड़े वर्ग को प्रशिक्षण दिए जाने व उन्हें प्रेरित करने में उनकी विशेष अभिरुचि है।

श्रीमती सौंदरा कुमार- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार 24.12.2017 से 23.12.2020 तक निदेशक (शेयरधारक) के रूप में चुनी गयी थी। आपको शेयरधारकों द्वारा 24.12.2020 से 23.12.2023 तक के लिए पुनः चुना गया। आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है।

आपने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानृवित्त तक कार्यरत रही। इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। आपने तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया है। आप चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर भी रही और शहर में 40 से अधिक शाखाओं की देखरेख की। उप महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कैलिफोर्निया की आर्टेसिया शाखा में पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात आप बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) के प्रेसिडेंट के रूप में तथा बैंक की लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं।

आप अक्तूबर 2008 से बैंक के सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी रहीं जहां आपने 2010 में इसका सफलता पूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया। तत्पश्चात आप बैंक के बेंगलुरु अंचल कार्यालय की प्रमुख बनी जिसके अंतर्गत आपने सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य की 400 से अधिक शाखाओं का परिचालन संभाला। वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृति तक आप बैंक के कार्पोरेट सेंटर, मुंबई में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहीं।

आप बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर में 3 वर्षों से अधिक की अवधि तक होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की प्रमुख भी रहीं जहां आपने उच्च मूल्य वाले व्यावसायिक ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य किया और आप कार्पोरेट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की स्थायी सदस्य भी रही हैं। आपने वित्तीय समावेशन हेतु व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों की अनुसंशा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी समूह की सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं।

आपने एआरसीआईएल, सरसाई, सिडबी वेंचर कैपिटल आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में आप टीएनपीएल, रैमको सीमेंट, शांति गीयर्स जैसी सूचीबद्ध कंपनियों सहित कई कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

University, Bhopal appointed by the Hon'ble Governor of Madhya Pradesh. He is also associated with various social & commercial organizations. He is an Executive Member of Madhya Pradesh Chamber of Commerce & Industries Gwalior.

Shri Singhal has taken part in various National Level seminars & conferences on Law, Banking, Chartered Accountancy and other associated areas and have interest in training & motivating the down trodden class of the society.

Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DOB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar was elected as Director (Shareholder) w.e.f. 24.12.2017 till 23.12.2020. She was re-elected by shareholders w.e.f. 24.12.2020 to 23.12.2023. She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai.

She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirappalli. She held the position of Regional Manager in the Chennai Circle and had control over -40- branches in the city. On promotion as Dy. General Manager, she was posted to Artesia branch in California as Senior Vice President. Later, she performed as President of the Bank's fully owned subsidiary, State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank.

She was Managing Director of the Bank's Associate, State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. Thereafter, she headed the Bangalore circle of the Bank overseeing the operations of over -400- branches across the state of Karnataka. She also held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in the Bank's Corporate Centre, Mumbai, till her retirement in 2014.

She also headed Wholesale Banking Credit Committee of the Bank at Corporate Centre, for over -3- years, evaluating high-value commercial credit proposals and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She also served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI.

She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, SIDBI Venture Capital etc. Currently, she serves as Independent Director on the Boards of several Companies including listed Companies like TNPL, Ramco Cements, Shanti Gears etc.

श्री श्रीनिवासन श्रीधर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर को 12.12.2018 से 11.12.2021 तक के लिए निदेशक (शेयरधारक) के रूप में चुना गया था। आपको दिनांक 12 दिसंबर, 2021 से 11 दिसंबर, 2024 तक के लिए शेयरधारकों द्वारा पुन: चुना गया है। श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और आप एक सनदी लेखाकार भी हैं।

श्री श्रीधर ने 2013 से एक अग्रणी ग्लोबल मैनेजमेंट परामर्शदाता फर्म से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में आपने अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रबंधन कार्यनीति, क्लाइंट कवरेज मॉडल, उत्पाद एवं वितरण कार्यनीति तथा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर कार्य किया है।

श्री श्रीधर के पास देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में 31 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। आप सिटीग्रुप से 28 वर्षों से जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका व यूरोप के 6 देशों में कार्य किया. आपने सिटीग्रुप के 3 देशों के सीईओ, भारत के कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रमुख, अफ्रीका में ट्रांजेक्शन सेवाओं के प्रमुख तथा मध्य व पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में बैंकिंग सेवा समूहों के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। श्री श्रीधर को बैंकिंग का व्यापक अनुभव है और कॉर्पोरेट एवं निवेश बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस एवं विनियामक अनुपालन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कार्य करने का बृहद अनुभव है।

श्री श्रीधर मुंबई में रहते हैं और आप बॉलीवुड, फुटबॉल एवं वन्य प्राणियों में रूचि रखते हैं। आप बाल कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण, सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं।

श्री आलोक वाजपेयी - निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 अगस्त, 1960)

श्री आलोक वाजपेयी को दिनांक 09 जुलाई, 2021 से 08 जुलाई, 2024 तक के लिए निदेशक शेयरधारक के रूप में चुना गया है।

श्री आलोक वाजपेयी के पास वित्तीय सेवाओं और गवर्नेंस के क्षेत्र में लगभग 41 वर्षों का अनुभव है और आपने वैश्विक पूंजी बाजार, निवेश एवं धनसंपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और तत्पश्चात एक सफल उद्यमी के रूप में यूके, एशिया एवं भारत में कार्य किया है।

आपने लंदन स्थित ईवाई (EY) में भी कार्य किया है और लंदन तथा एशिया में स्विस बैंक कॉर्पोरेशन, एशिया और भारत में बार्कलेज बैंक तथा भारत में डीएसपी मेरिल लिंच, डीएसपी ब्लैकरॉक और डाइवा जैसे वैश्विक संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। आपने वर्ष 2009 में एक बड़े विविध वित्तीय सेवा कारोबार डॉने डे एवी की स्थापना की और सफलतापूर्वक इसकी बिक्री की। आपने सेबी, एएमएफआई, भारतीय रिजर्व बैंक और एक्सचेंजों - बीएसई और एनएसई जैसी भारतीय नियामक संस्थाओं में विभिन्न पदों एवं समितियों में कार्य किया है और फिनटेक पर भारत में डीआईटी (यूके सरकार) के बाह्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

श्री आलोक वाजपेयी वर्ष 2012 से विभिन्न कंपनियों के कार्यनीतिक सलाहकार, उद्यमी, निवेशक और बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं एवं चयनित व्यक्तियों के विश्वसनीय सलाहकार भी रहे हैं। आपने हाल ही में भारत में एक प्रमुख जैविक खाद्य कंपनी कॉन्शियस फूड लिमिटेड का अधिग्रहण भी

Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DOB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar was elected as Director (Shareholder) w.e.f. 12.12.2018 till 11.12.2021. He was re-elected by shareholders w.e.f. 12.12.2021 to 11.12.2024. Mr. Sridhar is a B.Com (Hons.) graduate from Delhi University and is also a Chartered Accountant.

Shri Sridhar has been associated with a leading global management consulting firm since 2013. In this role he works with CEOs, Boards of Directors and other senior leaders of top Financial Services companies in the region on topics such as Management Strategy, Client Coverage Models, Product and Distribution Strategies, Cost Optimization etc.

Shri Sridhar is a financial services expert with over 31 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. Mr. Sridhar brings deep banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Shri Sridhar lives in Mumbai and is passionate about Bollywood, Football and Wildlife. The social causes that he cares about are child welfare, economic empowerment, education and health for the under-privileged.

Shri Alok Vajpeyi - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DOB: 24th August, 1960)

Shri Alok Vajpeyi was elected as Director (Shareholder) w.e.f. 09.07.2021 till 08.07.2024.

Shri Alok Vajpeyi's career in financial services and governance spans nearly 41 years across UK, Asia and India in global capital markets, investment and wealth management and later as a successful entrepreneur.

He has worked with EY in London and held senior positions in global institutions such as Swiss Bank Corporation in London and Asia, Barclays Bank in Asia and India, DSP Merrill Lynch, DSP Blackrock and Daiwa in India. He founded and successfully sold in 2009 - Dawnay Day AV, a large diversified financial services business. He has worked closely with Indian regulators such as SEBI, AMFI, RBI and Exchanges - BSE and NSE - in various capacities and committees, and as External Adviser to DIT (UK Government) Government in India on Fintech.

Since 2012 Shri Alok Vajpeyi continues to be a Strategic Advisor, Entrepreneur, Investor and Board Director across a diverse set of companies and also relishes mentoring select individuals. He recently acquired control of Conscious Food Ltd, a leading organic food company in India, and in addition

किया है और इसके अलावा आप वर्तमान में मुख्य रूप से वित्तीय, एफएमसीजी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

आप मेसर्स एवी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रेटजीज एलएलपी, मेसर्स कॉन्शियस फूड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंस्टीट्यूशनल इंवेशटर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया (आईआईएएस), मेसर्स लिटिलमोर इनोवेशन पीटीई लिमिटेड और मेसर्स सुला विनेयाड्‌र्स प्रा. लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। आप इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी थे और जुलाई, 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में नियुक्त होने से ठीक पहले आपने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि बैंक के पास इसका स्वामित्व है और यह कंपनी का एक प्रमुख शेयरधारक है।

श्री आलोक वाजपेयी का जन्म वर्ष 1960 में हुआ। आप इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं और आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में विशेषज्ञता के साथ बीएससी (इकॉन) की डिग्री प्राप्त की है।

his current interests are largely in the financial, FMCG and technology sectors.

He sits on the Boards of M/s. AV Advisory Private Limited, M/s. Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies LLP, M/s. Conscious Food Private limited, M/s. Digital Gold India Private Limited, M/s. Institutional Investor Advisory Services (IIAS), M/s. Littlemore Innovation Pte Limited and M/s. Sula Vineyards Pvt. Ltd. He was on the Board of M/s. IndiaFirst Life Insurance Company Limited, from which he resigned just prior to being appointed to the Board of Bank of Baroda in July 2021, as the Bank is parent and a major shareholder in the company.

Born in 1960, Shri Alok Vajpeyi is an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales, having received a BSc (Econ) degree specializing in International trade & development, from the London School of Economics.

निदेशकों से संबन्धित अन्य विवरण:

अनुलग्नक - 1ए

(यथास्थिति 31.03.2023)

निदेशक का नाम	बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं(*) .	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों /इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक स्वरूप शामिल
डॉ. हसमुख अढ़िया	शून्य	--	शून्य	1. स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन 2. गुजरात एनर्जी रिसर्च एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (ट्रस्टी)
श्री संजीव चड्ढा	शून्य	--	2	1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2. बॉबकैप्स लिमिटेड 3. बॉब फाइनेंसियल लिमिटेड 4. बॉब यूके लिमिटेड 5. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड 6. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एवं फाइनेंस 7. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट
श्री अजय के खुराना	482	1	-	1. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
श्री देबदत्त चांद	शून्य	1	-	1. बॉब कैपिटल मार्केट लि. 2. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड 3. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड 4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड 5. बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशंस लि. 6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.
श्री जयदीप दत्ता राय	10600	1	-	1. इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोट्सवाना) लिमिटेड 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड 4. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड

निदेशक का नाम	बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं(*) .	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों /इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक स्वरूप शामिल
श्री ललित त्यागी	6500	1	-	1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी. 2. बॉब कैपिटल मार्केट लि.
श्री मुकेश बंसल	शून्य	-	1	1. माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) 2. नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) 3. आईएफसीआई लिमिटेड
श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	शून्य	-	-	शून्य
श्री अजय सिंघल	शून्य	2	-	शून्य
श्रीमती सौंदरा कुमार	शून्य	1	3	1. राजपल्लयम मिल्स लिमिटेड 2. तामिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड 3. शांति गियर्स 4. रामको सिस्टम्स लिमिटेड 5. सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6. कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	500	0	4	1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2. एफआईएनसीए अजरबाइजान 3. निर्लोन लिमिटेड
श्री आलोक वाजपेयी	100	2	2	1. एवी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड 2. एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रेटजीज एलएलपी 3. कॉन्शियस फूड प्राइवेट लिमिटेड 4. लिटिलमोर इनोवेशन लैब्स पीटीई लिमिटेड 5. सुला विनेयार्ड्स लिमिटेड 6. इंस्टीट्यूशनल इंवेशटर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

(*) एसीबी और हितधारक समिति के संबंध में सूचना प्रदान की गई है।

OTHER DETAILS OF DIRECTORS:

Annexure - 1A

(Position as on 31.03.2023)

Name of Director	No. of shares of Bank	No. of membership in Sub -Committees of the Bank	No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*)	Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
Dr. Hasmukh Adhia	Nil	-	Nil	1. School of Ultimate Leadership Foundation 2. Gujarat Energy Research & Management Institute (Trustee)
Shri Sanjiv Chadha	Nil	-	2	1. National Insurance Company Limited 2. BOBCAPS Limited 3. BOB Financials Limited 4. BOB UK Limited 5. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 6. Indian Institute of Banking & Finance 7. National Institute of Bank Management
Shri Ajay K. Khurana	482	1	-	1. National Payments Corporation of India 2. Baroda Sun Technologies Limited 3. Baroda Global Shared Services Ltd.

Name of Director	No. of shares of Bank	No. of membership in Sub -Committees of the Bank	No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*)	Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
Shri Debadatta Chand	Nil	1	-	1. BOB Capital Markets Ltd. 2. Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. 3. India Infradebt Limited 4. Bank of Baroda (Uganda) Ltd. 5. BOB Financial Solutions Ltd. 6. Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
Shri Joydeep Dutta Roy	10600	1	-	1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Bank of Baroda (Botswana) Limited 3. Bank of Baroda (UK) Limited 4. Bank of Baroda Asset Management India Private Limited
Shri Lalit Tyagi	6500	1	-	1. Bank of Baroda (Guyana) Inc. 2. BOB Capital Markets Ltd.
Shri Mukesh Bansal	Nil	-	1	1. Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA) 2. National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) 3. IFCI Limited
Smt. Parvathy V Sundaram	Nil	-	-	Nil
Shri Ajay Singhal	Nil	2	-	NIL
Smt. Soundara Kumar	200	1	3	1. Rajapalayam Mills Limited 2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited 3. Shanthi Gears 4. Ramco Systems Limited 5. Sundaram Trustee Company Limited 6. Carborandum Universal Limited
Shri Srinivasan Sridhar	500	0	4	1. Oracle Financial Services Software Limited 2. FINCA Azerbaijan 3. Nirlon Limited
Shri Alok Vajpeyi	100	2	2	1. AV Advisory Private Limited 2. Avendus Capital Public Markets Alternative Strategies LLP 3. Conscious Food Private Limited 4. Littlemore Innovation Labs Pte Limited 5. Sula Vineyards Limited 6. Institutional Investor Advisory Services India Limited

(*) Information provided in respect of ACB and Stakeholders Committee

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र।

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार ''बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचरण संहिता'' के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं। यह आचरण संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मंबुई

दिनांक: 16 मई, 2023

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year ended on 31st March, 2023 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

Sanjiv Chadha

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date: 16th May 2023

फॉर्म संख्या. एमआर- 3
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

प्रति,

सदस्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,

सी-26, जी-ब्लॉक

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मंबुई - 400051

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु 31मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवालीय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2023 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मो, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसमें उल्लिखित नियमों;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबध में बनाए गए विनियमन;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015;

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम जन्य इक्विटी)विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम 2008;

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं); और

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

(vi) हमने बैंक के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा स्थापित सिस्टम एवं पद्धतियों हेतु बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है.

हमारा यह मानना है कि प्रबंधन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है.

1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित)

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मास्टर निदेश, अधिसूचना एवं दिशानिर्देश

3) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

हमने लागू निम्नलिखित धाराओ के अनपुालन की भी जांच की है:

i. भारतीय सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक.

यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के तहत शामिल नहीं है.

ii. बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक नें निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम,दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 (2) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई को ऐसी निदेशक मंडल की बैठक जिसमें विनियम 29 (1) के तहत उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना देगी, सूचीबद्ध इकाई दिनांक 27 जून, 2022 के निदेशक मंडल की बैठक जिसमें निधि जुटाने के प्रस्ताव को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना देने के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी।

सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3 (5) एवं 3 (6) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई को एक संरचित डिजिटल डेटाबेस तैयार करना होगा जिसमें अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील प्रकृति की सूचना तथा स्थायी खाता संख्या अथवा कानून द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पहचान, जहां स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो, के साथ सूचना साझा करने वाले ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा इस विनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनके साथ सूचना साझा की गई है, का विवरण होगा, सूचीबद्ध इकाई सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3 (5) एवं 3 (6) के प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर पाई।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनपुालन में किए गए हैं.

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

नियुक्तियां:

श्री मुकेश कुमार बंसल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2022 से अगले आदेश तक सरकार के नामित निदेशक के रूप में पदधारण करने हेतु नामित किया गया है।

श्री ललित त्यागी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर, 2022 से -3- वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 20 नवंबर 2025 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्यकाल की समाप्ति:

श्री अमित अग्रवाल के स्थान पर श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति के कारण सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल दिनांक 14 दिसंबर, 2022 से समाप्त हो गया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची की अधिवर्षिता की आयु होने पर कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल दिनांक 31 जुलाई, 2022 से समाप्त हो गया।

बोर्ड द्वारा बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित सूचना दी गई और एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है.

अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रुप में रिकॉर्ड किया गया है.

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरुप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार:

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएं या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

1) बैंक ने - (1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने (2) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश का अनुमोदन और घोषणा करने के लिए दिनांक 27 जून 2022 को वार्षिक आम बैठक आयोजित की।

2) दिनांक 25.06.2022 को लोअर टियर-II बॉण्ड (सीरीज-XII) की कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 850.00 करोड़ है।

3) दिनांक 01.08.2022 को बासेल III एटी I- पीडीआई सीरीज VIII के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 500.00 करोड़ है।

4) दिनांक 11.08.2022 को बासेल III एटी I- पीडीआई सीरीज IX के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 850.00 करोड़ है।

5) दिनांक 17.08.2022 को प्रत्येक रु. 10,00,000/- के अंकित मूल्य के 10000 7.39% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालीन बांड - एलटीबी सीरीज I आबंटन किया गया।

6) दिनांक 02.09.2022 को प्रत्येक रु. 1,00,00,000/- के अंकित मूल्य के 2474 7.88% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - पीडीआई सीरीज XIX का आबंटन किया गया।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
रागिनी चोकशी
(साझेदार)
सी.पी.नंबर 1436
एफसीएस नंबर. 2390
यूडीआईएन: F002390E000290238
पीआर नंबर : 659/2020

स्थान: मंबुई
दिनांक: 11 मई 2023

Form No. MR – 3
Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
BANK OF BARODA
Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda** (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2023. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2023 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2023 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder; (to the extent applicable)

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

b. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

c. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

d. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

e. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the Audit Period)

f. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

g. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (to the extent applicable.)

h. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Audit Period); and

i. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

(vi) We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

1) The Banking Regulation Act, 1949 & The Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)

2) Master Direction, Notifications, and Guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

3) The Reserve Bank of India Act, 1934

4) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

(i) Company Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(This is not applicable as Bank is not incorporated under the Companies Act)

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following:

- As per Regulation 29(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the listed entity shall give prior intimation to stock exchange about the meeting of the board of directors in which the proposal mentioned under regulation 29(1) are to be considered, the listed entity could not comply with the provisions of giving prior intimation to Stock Exchanges about the meeting of Board of Directors dated June 27, 2022 in which the proposal of fund raising was approved by the Board.
- As per Regulation 3(5) & 3(6) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the listed entity shall maintain a Structured Digital Database containing the nature of unpublished price sensitive information and the names of such persons who have shared the information and also the names of such persons with whom information is shared under this regulation along with the Permanent Account Number or any other identifier authorized by law where Permanent Account Number is not available, the listed entity could not comply with the requirements of the provisions of Regulation 3(5) & 3(6) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

Appointments:

- **Shri Mukesh Kumar Bansal** was nominated as Government Nominee Director w.e.f. December 15, 2022 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
- **Shri Lalit Tyagi** was appointed as Executive Director w.e.f. November 21, 2022 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of -3- years i.e. up to November 20, 2025.

Cessations:

- **Amit Agrawal** ceased as a Government Nominee Director w.e.f. December 14, 2022 on the appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal in his place.
- **Shri Vikramaditya Singh Khichi** ceased as Executive Director w.e.f. July 31, 2022 upon attaining the age of superannuation.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

As per the information given to the Stock Exchanges:

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1) The Bank held its Annual General Meeting on June 27 2022 - (1) To approve the financial results of the Bank for the year ended March 31, 2022. (2) To approve and declare dividend for the Financial Year 2021-22.
2) Call option/Redemption of Lower Tier-II Bonds (Series XII) aggregating Rs. 850.00 Cr. on 25.06.2022.
3) Call option/Redemption of Basel III AT I - PDI SERIES VIII aggregating Rs. 500 Cr. on 01.08.2022.
4) Call option/Redemption of Basel III AT I - PDI SERIES IX aggregating Rs. 850 Cr. on 11.08.2022.
5) Allotment of 10000 7.39% - Bank of Baroda – Long Term Bonds for Financing of Infrastructure and Affordable Housing – LTB SERIES I of face value of Rs. 10,00,000/- each on 17.08.2022.
6) Allotment of 2474 7.88% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – PDI SERIES XIX of face value of Rs. 1,00,00,000/- each on 02.09.2022.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Ragini Chokshi
(Partner)
C.P.NO.1436
FCS NO. 2390
UDIN: F002390E000290238
PR No. 659/2020

Place: Mumbai
Date: 11th May, 2023

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक
Key Financial Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	5.34%	5.57%	6.52%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	3.16%	2.97%	3.51%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	2.71%	3.03%	3.31%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.18%	2.60%	3.01%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.98%	0.92%	0.73%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.56%	1.73%	1.78%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	49.21%	49.24%	47.72%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.60%	1.79%	1.96%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.06%	0.58%	1.03%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	1.50%	11.86%	18.34%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.07%	0.57%	0.97%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.07%	0.60%	1.03%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	6.98%	6.79%	7.54%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	4.01%	3.52%	3.89%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	0.00%	20.27%	20.16%
16	ऋण-जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	77.15%	79.12%	82.43%
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III	14.99%	15.68%	16.24%
	टीयर Tier - I	12.67%	13.18%	13.99%
	टीयर Tier - II	2.32%	2.50%	2.25%

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक
Key Productivity Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	82886	79806	78122
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	8258	8209	8240
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	19.57	22.05	26.66
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु. करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)	19.96	20.94	24.61
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में) Gross Profit per employee (₹ in lakhs)	25.58	28.05	34.39
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाख में) Net Profit per employee (₹ in lakhs)	1.00	9.11	18.06
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	202.63	222.08	260.28
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु. करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	2.57	2.73	3.26
9	प्रति शाखा निवल लाभ (रु. करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	0.10	0.89	1.71
10	प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earnings per share (Rupees)	1.78	14.06	27.28
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रु.) Book Value per share (Rupees)	106.72	118.53	148.80

परिभाषाएं / Definitions:

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का मासिक/ दैनिक औसत	**Average Working Funds (AWF)**	:	Monthly/Daily average of total assets
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Deposits**	:	Fortnightly/Daily average of total deposits
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Advances**	:	Fortnightly/Daily average of total advances
औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग	**Average Business**	:	Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	:	कुल निवेशों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Investments**	:	Fortnightly/Daily average of total investments
ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज आय	**Interest Income/AWF**	:	Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज व्यय	**Interest Expenses/AWF**	:	Total interest expenses Divided by AWF
ब्याज स्प्रेड/ एडब्लूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित (कुल ब्याज व्यय घटाकर कुल ब्याज आय)	**Interest Spread/AWF**	:	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैर-ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल गैर-ब्याज आय	**Non-Interest Income/ AWF**	:	Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालनगत व्यय	:	ब्याज व्यय घटाकर कुल व्यय	**Operating Expenses**	:	Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालनगत व्यय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत व्यय	**Operating expenses/ AWF**	:	Operating expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	:	(गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से विभाजित परिचालनगत व्यय	**Cost Income Ratio**	:	Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत लाभ	**Gross (Operating) Profit/ AWF**	:	Operating profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit/AWF**	:	Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	:	समायोजित निवल मालियत से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Net Worth**	:	Net Profit Divided by Adjusted Net Worth
आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	कुल आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Assets**	:	Net Profit Divided by Total Assets;
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	औसत आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Average Assets**	:	Net Profit Divided by Average Assets;
अग्रिमों पर प्रतिफल	:	औसत अग्रिम से विभाजित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	**Yield on Advances**	:	Interest earned on Advances Divided by Average Advances;
जमाराशियों की लागत	:	औसत जमाराशियों से विभाजित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	**Cost of Deposits**	:	Interest paid on Deposits Divided by average deposits;
लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	:	शुद्ध लाभ से विभाजित कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश	**Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)**	:	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit;
ऋण- जमा अनुपात	:	ग्राहकों की जमाराशियों (अर्थात् कुल जमाराशियां घटाकर अंतर बैंक जमा राशियां) से विभाजित कुल अग्रिम	**Credit - Deposit Ratio**	:	Total advances Divided by Customer Deposits (i.e Total Deposits minus Inter Bank Deposits);
ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगियों में निवेश को छोड़कर) - जमाराशि अनुपात	:	ग्राहकों की जमाओं से विभाजित (कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगियों में निवेश)	**Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio**	:	(Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries) Divided by Customer Deposits;
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (मूल जमाराशियां + शुद्ध अग्रिम)	**Business Per Employee**	:	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees;
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम)	**Average Business Per employee**	:	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees;
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित सकल लाभ	**Gross Profit Per Employee**	:	Gross Profit Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit Per Employee**	:	Net Profit Divided by total No. of employees;
प्रति शाखा व्यवसाय	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित (कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम)	**Business Per Branch**	:	Total Deposits plus total advances divided by No. of Branches;
प्रति शाखा सकल लाभ	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित सकल लाभ	**Gross Profit Per Branch**	:	Gross Profit Divided by No. of Branches;
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit Per Branch**	:	Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	:	अंकित मूल्य हेतु समायोजित भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Earning Per Share**	:	Net Profit divided by number of weighted average outstanding shares adjusted for face value;
प्रति शेयर बही मूल्य	:	बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित समायोजित निवल मालियत	**Book Value Per Share**	:	Adjusted Net Worth divided by number of outstanding shares

31 मार्च 2023 का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2023

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
पूंजी और देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**1035,53,36**	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**97187,35,77**	84874,18,91
जमाराशियां	Deposits	3	**1203687,78,81**	1045938,56,00
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**101910,48,48**	103899,28,55
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**54740,38,10**	42252,26,52
कुल	TOTAL		**1458561,54,52**	1277999,83,34
आस्तियां	**ASSETS**			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**54882,63,14**	71184,40,53
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**40820,60,75**	51470,59,05
निवेश	Investments	8	**362485,36,42**	315795,38,73
अग्रिम	Advances	9	**940998,26,98**	777155,17,78
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**8706,57,28**	9921,89,81
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**50668,09,95**	52472,37,44
कुल	TOTAL		**1458561,54,52**	1277999,83,34
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**577753,35,23**	399234,42,57
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**67712,46,67**	64741,91,59
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

संजीव चड्ढा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**अजय के खुराना** कार्यपालक निदेशक	**देबदत्त चाँद** कार्यपालक निदेशक	**जयदीप दत्ता राय** कार्यपालक निदेशक	**ललित त्यागी** कार्यपालक निदेशक
इयान डिसूज़ा मुख्य वित्त अधिकारी		**पंकज खत्री** उप महाप्रबंधक कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान		**साई गणेश उज्जिना** उप महाप्रबंधक कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन: 114207W	**कृते दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन : 009096C	**कृते व्यास एण्ड व्यास** सनदी लेखाकार एफआरएन : 000590C	**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 105049W	**कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 004656S
(नीरज गोलस) साझेदार एम. नं. : 074392	**(अभिषेक महेश्वरी)** साझेदार एम. नं. : 402651	**(ओम प्रकाश व्यास)** साझेदार एम. नं. : 014081	**(पंकज जैन)** साझेदार एम. नं. : 048850	**(एस सुंदररमन)** साझेदार एम. नं. : 201028

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2023

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022
I. आय	**I. INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**89588,54,07**	69880,78,03
अन्य आय	Other Income	14	**10025,83,59**	11483,95,03
कुल	TOTAL		**99614,37,66**	81364,73,06
II. व्यय	**II. EXPENDITURE**			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	**48232,53,23**	37259,44,21
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**24518,31,24**	21716,43,88
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies		**12753,91,52**	15116,56,81
कुल	TOTAL		**85504,75,99**	74092,44,90
III. लाभ / हानि	**III. PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/ (Loss) for the year		**14109,61,67**	7272,28,16
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		**14109,61,67**	7272,28,16
IV. विनियोजन / अंतरण	**IV. Appropriations / Transfers**			
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		**3527,40,42**	1814,33,70
बी) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		**92,57,14**	523,35,25
सी) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) निवेश उतार - चढाव प्रारक्षित निधि	I) Investment Fluctuation Reserve		**30,00,00**	2368,42,17
II) सामान्य प्रारक्षित निधि	II) General Reserve		**7274,11,02**	827,39,86
III) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961		**300,00,00**	250,00,00
IV) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	IV) Investment Reserve Account		**-**	-
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	V) Statutory Reserve (Foreign)		**41,28,17**	14,93,35
डी) प्रस्तावित लाभांश	d) Proposed Dividend		**2844,24,92**	1473,83,83
कुल	TOTAL		**14109,61,67**	7272,28,16
V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2 /-)	**V. Earning Per Equity Share** (Face Value of ₹ 2 /- per share)			
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	Basic Earnings per Share (₹)		**27.28**	14.06
प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)		**27.28**	14.06
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Ajay K Khurana
Executive Director

Debadatta Chand
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Lalit Tyagi
Executive Director

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Pankaj Khatri
Dy. General Manager
Corporate Accounts & Taxation

Sai Ganesh Ujjina
Dy. General Manager
Corporate Accounts & Taxation

As per our Report of even date attatched.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Abhishek Maheshwari)
Partner
M. No.: 402651

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(Om Prakash Vyas)
Partner
M. No.: 014081

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

(Pankaj Jain)
Partner
M. No.: 048850

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S

(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028

Place: Mumbai
Date: May 16, 2023

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
अनुसूची - 1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति शेयर ₹ 2/- के 1500,00,00,000/-)	(previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 शेयर)	(previous period 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	**1037,00,59**	**1037,00,59**
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government	**1034,27,24**	**1034,27,24**
(पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	(previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)		
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500	Add: Forfeited Shares 136,67,500	**1,26,12**	**1,26,12**
(पिछली अवधि 136,67,500)	(Previous Period 136,67,500)		
कुल	TOTAL	**1035,53,36**	**1035,53,36**

		31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
अनुसूची - 2	**SCHEDULE - 2**				
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	**RESERVES & SURPLUS**				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	**I Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**15150,54,45**		**13336,20,75**	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**3527,40,42**	**18677,94,87**	**1814,33,70**	**15150,54,45**
II प्रारक्षित पूंजी	**II Capital Reserves**				
(₹ 5860.73 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 7086.81 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 5860.73 crore (previous period ₹ 7086.81 crore)				

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**15116,27,31**		12657,42,57	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**92,57,14**		523,35,25	
	अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन		Additions/Adjustments during the period	**(2,46,12)**		2664,93,84	
				15206,38,33		15845,71,66	
	कटौतियां :		Deductions:				
	सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुर्नमूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve	**1249,38,42**	**13956,99,91**	729,44,35	15116,27,31
III	**शेयर प्रीमियम**	**III**	**Share Premium**				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**31312,15,13**		42360,56,79	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**-**	**31312,15,13**	(11048,41,66)	31312,15,13
IV	**राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**	**IV**	**Revenue and other Reserves**				
	ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)		a) Statutory Reserve (Foreign)				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**199,36,47**		184,43,12	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**41,28,17**		14,93,35	
				240,64,64		199,36,47	
	बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**6644,01,77**		6394,01,77	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**300,00,00**		250,00,00	
				6944,01,77		6644,01,77	
	सी) विदेशी मुद्रा रुपांतरित प्रारक्षित निधियां		c) Foreign Currency Translation Reserve				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**3381,90,57**		3061,05,56	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन		Addition/Adjustments during the period	**811,99,35**		320,85,01	
				4193,89,92		3381,90,57	
	डी) पूंजी हेज प्रारक्षित निधि		d) Capital Hedge Reserve	**160,89,25**		-	
	ई) निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित लेखा		e) Investment Fluctuation Reserve				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**2390,00,00**		21,57,83	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**30,00,00**		2368,42,17	
				2420,00,00		2390,00,00	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
एफ) अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि प्रारंभिक शेष	f) Other Revenue Reserves Opening Balance	**10679,93,21**		9043,34,60	
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the period	**8600,87,07**		1636,58,61	
		19280,80,28		10679,93,21	
कुल - IV (ए, बी, सी, डी, ई और एफ)	**TOTAL - IV (a, b, c, d, e & f)**		**33240,25,86**		23295,22,02
कुल (I से IV)	**TOTAL (I to IV)**		**97187,35,77**		84874,18,91

अनुसूची - 3 जमाराशियां / SCHEDULE - 3 DEPOSITS

ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	**4059,72,21**		3685,39,98	
ii) अन्य से	ii) From Others	**99940,78,69**	**104000,50,90**	85175,80,71	88861,20,69
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		**371096,32,08**		344744,02,42
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	**58001,22,38**		60015,80,37	
ii) अन्य से	ii) From Others	**670589,73,45**	**728590,95,83**	552317,52,52	612333,32,89
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**		**1203687,78,81**		1045938,56,00
बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	**1047375,20,81**		927010,57,17	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	**156312,58,00**		118927,98,83	
कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**1203687,78,81**		1045938,56,00	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 4 उधार ली गई राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I. भारत में उधार ली गई राशियां	**I Borrowings in India**				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**2429,00,00**		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	**11142,62,79**		5384,64,11	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	**54295,37,96**		67774,42,50	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी1	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1	**12355,00,00**		11231,00,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	**10756,50,00**		11606,50,00	
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	**1000,00,00**		-	
कुल (i से vi)	**TOTAL (i to vi)**		**91978,50,75**		95996,56,61
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां	**II Borrowings outside India**		**9931,97,73**		7902,71,94
कुल - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	**Total - Borrowings (I & II)**		**101910,48,48**		103899,28,55
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार ली गई राशियां	Secured Borrowings included in above		**38084,88,76**		59089,36,57
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान	**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**				
I देय बिल	I Bills Payable		**4059,17,82**		3979,35,16
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II Inter Office Adjustments (Net)		**2424,07,97**		1929,22,27
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued		**5396,85,43**		4030,37,42
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances		**7580,54,82**		6963,90,78
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)		**35279,72,06**		25349,40,89
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**		**54740,38,10**		42252,26,52
अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**				
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		**3794,80,82**		4439,08,88
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India				
चालू खाते में	in Current Account		**51087,82,32**		50745,27,47
अन्य खाते में	In Other Account		**-**		16000,04,18
कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**		**54882,63,14**		71184,40,53

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 7	**SCHEDULE - 7**				
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**				
I भारत में	**I In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**58,85,24**		104,82,41	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**5525,81,28**	**5584,66,52**	5310,44,93	5415,27,34
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
ए) बैंकों के पास	a) Banks	**-**		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	**-**	**-**	-	-
कुल (i और ii)	**TOTAL (i and ii)**		**5584,66,52**		5415,27,34
II भारत से बाहर	**II Outside India**				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	**20367,42,03**		31539,75,55	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**6037,14,23**		5611,71,08	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	**8831,37,97**		8903,85,08	
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**35235,94,23**		46055,31,71
कुल (I और II)	**TOTAL (I and II)**		**40820,60,75**		51470,59,05

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 8	**SCHEDULE - 8**				
निवेश	**INVESTMENTS**				
I भारत में निवेश (सकल)	**I Investments in India (Gross)**	**352875,16,72**		304062,04,19	
घटायें: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	**4300,63,10**		3950,07,44	
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India		**348574,53,62**		300111,96,75
अलग - अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	**314867,18,82**		273266,11,25	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	**1,41,40**		1,41,40	
iii) शेयर	iii) Shares	**2230,14,59**		2597,48,70	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	**27135,80,93**		20950,48,82	
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**3474,08,57**		2352,50,59	
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू प्रमाणपत्र, वेंचर कॅपिटल फंड, सिक्यूरिटी रसीद आदि.)	vi) Other Investments (Mutual Funds, Pass Through Certificates, Venture Capital Fund, Security Receipts etc.)	**865,89,31**		943,95,99	
		348574,53,62		300111,96,75	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
II	भारत के बाहर निवेश (सकल)	II	**Investments Outside India (Gross)**	**15537,39,78**		16753,43,28	
	घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		Less: Provision for Depreciation	**1626,56,98**		1070,01,30	
	भारत के बाहर निवल निवेश		Net Investments Outside India		**13910,82,80**		15683,41,98
	अलग - अलग विवरण		**BREAK - UP**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i)	Government Securities (Including Local Authorities)	**6028,61,31**		6108,21,94	
ii)	विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii)	Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**2034,31,06**		2034,31,06	
iii)	अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि.)	iii)	Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	**5847,90,43**		7540,88,98	
				13910,82,80		15683,41,98	
	कुल (I और II)		**TOTAL (I and II)**		**362485,36,42**		315795,38,73

अनुसूची - 9 अग्रिम / SCHEDULE - 9 ADVANCES

				31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
ए i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i)	Bills Purchased and Discounted	**33714,90,23**		23111,53,66	
ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**318447,52,65**		297981,97,16	
iii)	मीयादी ऋण	iii)	Term Loans	**588835,84,10**		456061,66,96	
	कुल ए (i से iii)		**TOTAL A (i to iii)**		**940998,26,98**		777155,17,78
बी. i)	मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B. i)	Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	**657601,93,31**		574322,26,09	
ii)	बैंक / सरकारी गारंटी से रक्षित	ii)	Covered by Bank/ Government Guarantees	**87634,57,10**		68302,03,43	
iii)	गैर - जमानती	iii)	Unsecured	**195761,76,57**		134530,88,26	
	कुल बी (i से iii)		**TOTAL B (i to iii)**		**940998,26,98**		777155,17,78
सी. I	भारत में अग्रिम	C. I	Advances in India				
i	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i.	Priority Sector	**263806,94,55**		230865,33,09	
ii	सार्वजनिक क्षेत्र	ii.	Public Sector	**116633,87,08**		119463,80,60	
iii	बैंक	iii.	Banks	**1076,70,37**		2271,06,47	
iv	अन्य	iv.	Others	**395072,11,12**	**776589,63,12**	300781,34,33	653381,54,49
II	भारत से बाहर अग्रिम	II	Advances Outside India				
i	बैंकों से देय	i	Due from Banks	**52880,88,50**		34947,25,47	
ii	अन्य से देय	ii	Due from Others				

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
ए) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	6834,23,18		3655,18,08	
बी) सिंडीकेट ऋण	b) Syndicated Loans	79268,11,18		57430,16,32	
सी) अन्य	c) Others	25425,41,00	164408,63,86	27741,03,42	123773,63,29
कुल सी (I एवं II)	**TOTAL C (I & II)**		**940998,26,98**		777155,17,78

अनुसूची - 10 / SCHEDULE - 10

अचल आस्तियां / FIXED ASSETS

I परिसर	**I Premises**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	14370,83,11		11706,58,35	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	Additions/adjustments during the period (Includes revalued amount)	58,36,84		2677,92,93	
		14429,19,95		14384,51,28	
अवधि के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	15,53,47		13,68,17	
		14413,66,48		14370,83,11	
घटाएं:- आज की तारीख तक मूल्यह्रास / परिशोधन	Less:- Depreciation/ Amortisation to date	7271,67,83	7141,98,65	5962,54,61	8408,28,50
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	**II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	8858,38,46		8324,64,52	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the period	844,77,58		726,70,95	
		9703,16,04		9051,35,47	
अवधि के दौरान कटौती / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	260,58,91		192,97,01	
		9442,57,13		8858,38,46	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	Less:- Depreciation to date	7877,98,50	1564,58,63	7344,77,15	1513,61,31
कुल (I से II)	**TOTAL (I to II)**		**8706,57,28**		9921,89,81

अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11

अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS

I उपचित ब्याज	I Interest Accrued	12786,51,46	9571,70,77
II अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	7053,30,87	7303,47,12
III लेखन सामग्री और स्टांप	III Stationery & Stamps	8,01,49	8,36,96
IV दावों के निपटान से अर्जित गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां	IV Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
V अन्य	V Others	30820,26,13	35588,82,59
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**	**50668,09,95**	52472,37,44

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

			31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**				
I बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**32343,78,28**		22085,61,69
II आंशिक रुप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		**15,28,00**		15,28,00
III बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		**325605,95,65**		164455,07,02
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
ए) भारत में	a) In India	**50941,32,98**		44000,27,80	
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	**9591,14,67**	**60532,47,65**	7230,75,86	51231,03,66
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**30935,13,54**		29175,65,05
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं	VI Other items for which the Bank is Contingently liable		**128320,72,11**		132271,77,15
कुल (I से VI)	**TOTAL (I to VI)**		**577753,35,23**		399234,42,57

लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Profit & Loss Account

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED**		
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	I Interest / Discount on Advances / Bills	**64073,48,91**	49278,52,74
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	**22155,99,59**	17617,20,56
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	**1437,41,38**	1015,17,44
IV अन्य	IV Others	**1921,64,19**	1969,87,29
कुल (I से IV)	**TOTAL (I to IV)**	**89588,54,07**	69880,78,03

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022	
अनुसूची - 14		**SCHEDULE - 14**					
अन्य आय		**OTHER INCOME**					
I	कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I	Commission, Exchange and Brokerage		**2970,01,75**		2770,97,16
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	**1299,14,90**		2864,20,52	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	**236,64,66**	**1062,50,24**	135,44,84	2728,75,68
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III	Profit on Revaluation of Investments	**41,24,88**		2,12,49	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		Less: Loss on Revaluation of Investments	**1030,20,86**	**(988,95,98)**	957,40,84	(955,28,35)
IV	भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**13,01,33**		8,72,21	
	घटाएं: भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**2,30,06**	**10,71,27**	4,65,78	4,06,43
V	विनिमय लेन-देन पर लाभ	V	Profit on Exchange Transactions	**1099,55,30**		1154,29,97	
	घटाएं: विनिमय लेन-देन पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	**450,68,58**	**648,86,72**	1,62,24	1152,67,73
VI	विदेशों / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रुप में अर्जित आय	VI	Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India		**287,46,71**		189,24,52
VII	विविध आय #	VII	Miscellaneous Income #		**6035,22,88**		5593,51,86
	कुल (I से VII)		**TOTAL (I to VII)**		**10025,83,59**		11483,95,03

विविध आय में बट्टे खातों में की गई वसूली ₹ 3,276.98 करोड़ में शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 2,510.12 करोड़)
Miscellaneous income includes recoveries made in write-off accounts ₹ 3,276.98 Crores (Previous year ₹ 2,510.12 Crores)

अनुसूची - 15		**SCHEDULE - 15**			
खर्च किया गया ब्याज		**INTEREST EXPENDED**			
I	जमाराशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits	**41697,02,17**	33289,83,46
II	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	**4395,29,38**	1727,10,40
III	अन्य	III	Others	**2140,21,68**	2242,50,35
	कुल (I से III)		**TOTAL (I to III)**	**48232,53,23**	37259,44,21

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022
अनुसूची - 16	**SCHEDULE - 16**		
परिचालन व्यय	**OPERATING EXPENSES**		
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	**13352,65,59**	11978,84,28
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	**1568,36,89**	1472,69,66
III मुद्रण और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery	**163,82,29**	121,63,30
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	**193,31,36**	175,47,46
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V Depreciation on Bank's Property	**1954,72,71**	1389,72,32
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	**2,39,50**	1,60,97
VII लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	**83,95,58**	82,00,60
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	**214,77,88**	191,00,74
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	**174,92,63**	129,21,35
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance	**1025,47,14**	992,89,16
XI बीमा	XI Insurance	**1516,71,49**	1378,93,54
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure	**4267,18,18**	3802,40,50
कुल (I से XII)	**TOTAL (I to XII)**	**24518,31,24**	21716,43,88

अनुसूची 17

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में उत्तरव्यापी प्रभाव से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश एवं डेरिवेटिव

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/ डीओआर/2021-22/81 डीओआर. एमआरजी. 42/21.04.141/ 2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार किया गया है।

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जिसमें -

i) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

ii) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है। ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

iii) ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक धारित करने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य।

बी) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है।

सी) वर्गों के बीच अंतरण

एक वर्ग से दूसरे वर्ग का पुनःवर्गीकरण निवेश, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप है। एएफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्क्रिप्ट का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है। एचटीएम से एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है।

एएफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। ऐसे निवेशों पर मूल्यह्रास, यदि हो तो, को भी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाएगा।

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाएगा और यदि अंतरण पर मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है।

3.2 मूल्यांकन

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है जबतक कि वह अंकित मूल्य से अधिक हो। इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमौरटाइज्ड किया गया है। एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमौरटाइजेशन व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त, 2021 के परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी. 42/21.04.141/2021-22 के अनुरुप ब्याज आय में से घटाया जाता है।

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप / प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर, निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23 अगस्त 2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए परिपक्वता तक धारित संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ब्रिक्री के लिए उपलब्ध में अंतरित कर दिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ रु 1/- पर मूल्यांकन किया जाएगा।

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मार्कड-टू-मार्केट (एमटीएम) होते हैं। अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यह्रास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यह्रास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है। निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता।

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता। बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए समय-समय पर प्रस्तावित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय -समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा। 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानत: जारी रहेगा। प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा।

बैंक के पोर्टफोलियो में श्रेणी I और II एआईएफ के कोटेड इक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों को वरीयत: दैनिक आधार पर किन्तु कम से कम साप्ताहिक आधार पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए।

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र /वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों का मूल्यांकन 1 रुपये प्रति श्रेणी I और II एआईएफ किया जाता है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जा रहा है।

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है। शॉर्ट सेल पोजीशन, सिक्यूरिटीज शॉर्ट सोल्ड (एसएसएस) खाते में परिलक्षित होती है जोकि विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए सृजित किया गया है। शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिन्हित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरों / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं।

जिन निवेशों के लिए दरें/ कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए	सरकारी/स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	-	ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि है पर विचार किए बिना) नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की तारीख मूल्यांकन की तारीख से पहले 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर एवं पास थ्रू प्रमाणपत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
डी	पीएसयू बॉन्ड्स	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यह्रास/ प्रावधान किए जाते हैं। क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है। अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास / प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज में सेट ऑफ नही हैं। जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है। उन शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

3.3 निवेशों का निस्तारण

एचटीएम के रुप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में लिया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है।

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

3. 4 रेपो/ रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों [भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी.एमएओ जी.नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपों) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआर डी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] के लेखांकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ ऋण परिचालन के अंतर्गत माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत एवं राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय जैसा भी मामला हो, के लिए किया जाता है।

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

यील्ड में बढ़ोतरी के पेटे संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफ़आर बनाने की सूचना दी है।

आईएफ़आर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती।

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं की मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। बैंक, हेजिंग संव्यवहार के प्रारंभ में ही हेज्ड आइटम (आस्ति अथवा देयता) का निर्धारण करता है। हेजिंग की शुरुआत के समय और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हेजिंग की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है।

3.7 डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन

बैंक डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार महत्व देता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है। हेजिंग के रूप में नामित संव्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था का पालन किया जाता है।

- उचित मूल्य के हेज के मामले में, हेजिंग लिखतों तथा हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- नकदी प्रवाह हेजिंग के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित' के तहत प्रारक्षित और अधिशेष में निर्धारित किया जाता है तथा प्रभावी हेजिंग के संदर्भ, यदि कोई हो, के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। प्रभावी हेजिंग के संदर्भ में नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित में संचित शेष राशि को उसी समय जब हेज किए गए आइटम के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, लाभ और हानि खाते में रीसाइकल किया जाता है।

डेरिवेटिव्स पोजीशन, जब तक कि हेजिंग के रूप में निर्धारित न हो, मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित किए जाते हैं और परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है तथा लाभ, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय और व्यय दैनिक आधार पर उपचित किए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति की तिथि पर तत्काल आय/ व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोडकर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।

4.3 सतत व्यवहार के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है।

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान.
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है।
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशि रु. 1 करोड़ एवं अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है। अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रुप में की जाती है।

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है । वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है । यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है ।

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है । यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि रिवर्स नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा ।

5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है । किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है । इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है ।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य (या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो) में से संचित मूल्यह्रास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है । लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है । जब ऐसी आस्ति का/से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है । अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है ।

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है । बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों को अचल आस्तियों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन पर प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है । पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है ।

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है ।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है ।

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/ व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गयी है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है । विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/ व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है ।

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है । अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं ।

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है ।

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है ।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजनः

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जन-धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिए:

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के सापेक्ष
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निदेशों के अनुसार ।
- अदालत के विनिर्दिष्ट निदेशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू ।

कॉम्प्रोमाइज / एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली ।

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए ।

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है ।

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किए गए सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के सापेक्ष
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के सापेक्ष

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है । बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है । निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है । यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है । बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है ।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रुप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है । यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है । बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है ।

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है । बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है । बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है । अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है ।

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और शेष चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान संचित मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ के लिए सेवानिवृत्ति पर संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है ।

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है ।

10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान ढपैराग्राफ 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावाज निम्नलिखित तालिका के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है ।

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है ।

वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है । कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है ।

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है ।

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है ।

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है । पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है ।

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर आधारित होता है ।

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों का मूल्यह्रास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है ।

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है । मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है । वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है । उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है । इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है । मूल्यह्रास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है ।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन" के अनुरुप किया गया है ।

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है । सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है ।

12.3 बैंक विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में वायदा विनिमय कॉन्ट्रेक्ट के उपयोग के माध्यम से अपने निवेश को हेज करता है । विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायदा विनिमय कॉन्ट्रेक्ट को आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट से संबंधित लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार हिसाब में लिया जाता है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स से संबंधित लाभ और हानि उस सीमा तक सीधे इक्विटी में मान्य होते हैं जिस सीमा तक हेज को प्रभावी माना जाता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर लाभ और हानि के अप्रभावी हिस्से (और हेजिंग के संबंध में निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी अनुपात) को लाभ और हानि खाते में

तत्काल मान्यता दी जाती है। किसी भी निवल आस्थगित विदेशी मुद्रा लाभ और हानि अर्थात् निवल निवेश और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों से उत्पन्न को विदेशी परिचालन के निपटान के समय लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

12.4 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है ।

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अंतरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इंटरपॉलेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है । इस प्रकार एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को भुनाया जाता है । इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है । इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है ।

12.5 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित बंद हाजिर दरों पर अंतरित किया जाता है ।

बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः बंद हाजिर और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के कॉन्ट्रेक्ट के लिए इंटरपॉलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है ।

सी) आय और व्यय का अंतरण फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है ।

डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग ''विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व'' खाते में जमा किया जाता है ।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है । यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है ।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणी में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि इसके फलस्वरूप ऐसी आय के निर्धारण की संभावना बन सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है ।

16 सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है .

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य जिसमें उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

a. "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

b. "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

c. "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after August 23, 2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio shall be marked to market preferably on a daily basis, but at least on a weekly basis.

The units is valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose**.** The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment

of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/ trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the hedging transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at each reporting date thereafter.

3.7 Valuation of Derivatives

The Bank values derivatives as under :

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. For transactions designated as hedges, following treatment is followed :

- in case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognised in the Profit and Loss Account,
- in case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognised in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognised in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognised in the Profit and Loss Account.

Derivative positions, unless designated as hedges, are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower.
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/initmation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life more than 2 years and in excess of original cost in of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 The Bank hedges its investments in overseas branches and offshore banking units through use of forward exchange contracts. The forward exchange contracts used to hedge its investments in overseas branches and offshore banking units are accounted for in accordance with Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI wherein gains and losses on foreign currency derivatives used as hedging instruments are recognised directly in equity to the extent that the hedge is considered to be effective and the ineffective portion of the gains and losses on the hedging instruments (and any proportion not designated in the hedging relationship) is recognised in the Profit and Loss Account immediately. Any net deferred foreign currency gains and losses, i.e., arising from both the net investment and the hedging instruments are recognised in the Profit and Loss Account at the time of disposal of the foreign operation.

12.4 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded at rate as per FEDAI guidelines.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.5 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b) Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.

c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची-18: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां
Schedule-18: Notes on Account for the year ended March 31, 2023

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण / A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए-1 (ए) पूंजी / A-1(a) Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	85,361.64	71,861.47
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	12,221.10	11,086.78
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	97,582.74	82,948.25
iv)	टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital	15,691.00	15,764.18
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	113,273.74	98,712.43
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	697,482.76	629,501.94
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.24%	11.42%
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.99%	13.18%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.25%	2.50%
x)	जोखिम भारित आस्ति अनुपात पूंजी (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.24%	15.68%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	6.22%	6.01%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत निम्नानुसार है: ए. भारत सरकार बी. राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) सी. प्रायोजक बैंक	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (specify name) c) Sponsor Bank	63.97%	63.97%
xiii)	वर्ष के दौरान अर्जित प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
xiv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर -संचयी पसंदीदा शेयर, स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Perpetual non-cumulative preference shares, Perpetual debt instruments Any Other Instrument	2,474.00 2,474.00	2,749.00 2,749.00
xv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर -संचयी पसंदीदा शेयर, स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Perpetual non-cumulative preference shares, Perpetual debt instruments Any Other Instrument	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या डीओआर.सीएपी.आरईसी 3/21.06.201/2022-23 दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

RBI vide circular No. DOR.CAP.rec.3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.

बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	Opening balance	1,034.27	1,034.27
जोड़ें: ज़ब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	1.26	1.26
समायोजित प्रारंभिक	Adjusted Opening	1,035.53	1,035.53
अधिमानी आबंटन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Preferential allotment	-	-
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के अनुरूप योग	Addition pursuant to stock options exercised	-	-
क्यूआईपी के अनुरूप योग	Addition pursuant to QIP	-	-
अंतिम शेष	Closing Balance	1,035.53	1,035.53

1)(a)(i) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I/ टियर II पूंजी अर्जित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1(a) (i) During the year ended March 31, 2023 ,the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज XIX Series XIX	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	7.88%	2,474.00
कुल Total					2,474.00

1)(a)(ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I/ टियर II पूंजी अर्जित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1(a) (ii) During the year ended March 31, 2022, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज XVII Series XVII	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	7.95%	1,997.00
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज XVIII Series XVIII	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.00%	752.00
कुल Total					2,749.00

1)(a)(iii) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1(a) (iii) During the year ended March 31, 2023, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज VIII Series VIII	लागू नहीं NA (कॉल ऑप्शन तारीख 01.08.22) (Call option on 01.08.22)	स्थायी Perpetual	8.60%	500.00
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज ईडीबी XII Series eDB XII	लागू नहीं (कॉल ऑप्शन तारीख 27-06-22) NA (Call option on 27.06.22)	स्थायी Perpetual	9.23%	850.00
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज IX Series IX	लागू नहीं (कॉल ऑप्शन तारीख 11-08-22) NA (Call option on 11.08.22)	स्थायी Perpetual	8.65%	850.00
कुल Total					2,200.00

1)(a) (iv) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1(a) (iv) During the year ended March 31, 2022, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज VI Series VI	लागू नहीं NA (कॉल तारीख 02-12-21) (Call date 02.12.21)	स्थायी Perpetual	8.50%	1,000.00
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज IV Series IV	लागू नहीं NA (कॉल तारीख 17-01-22) (Call date 17.01.22)	स्थायी Perpetual	10.49%	325.00
बासेल III अनुपालित एटी I Basel III Compliant AT I	सीरीज VII Series VII	लागू नहीं NA (कॉल तारीख 22-03-22) (Call date 22.03.22)	स्थायी Perpetual	9.14%	1,000.00
कुल Total					2,325.00

ए -1 (बी) आरक्षित पूंजी में कमी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षित पूंजी में कोई कमी नहीं हुई है (31 मार्च, 2022: शून्य)

A-1 (b) Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2022-23, there is no draw down from the reserves (March 31, 2022: Nil).

ए-2 आस्ति देयताएं प्रबंधन

ए) आस्ति और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

A-2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

31.03.2023 की स्थिति As on 31.03.2023	एक दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8-14 Days	15-30 दिन 15-30 Days	31 दिन - 2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक- 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह तक Over 3 M - Up To 6M	6 माह से अधिक - 12 माह तक Over 6 M - Up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक Over 1 Yr - Up To 3 Yr	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक Over 3 Yr - Upto 5 Yr	5 वर्ष से अधिक Over 5 Yr	कुल Total
जमा राशियाँ Deposits	7,609.02	44,030.64	27,356.74	48,665.68	39,894.92	42,927.43	96,536.39	211,280.17	301,302.42	77,791.49	306,292.89	1,203,687.79
	(7,560.95)	(27,238.83)	(23,974.53)	(38,671.42)	(42,611.83)	(46,116.74)	(65,895.94)	(117,977.83)	(317,242.89)	(70,314.79)	(288,332.81)	(1,045,938.56)
अग्रिम Advances	5,754.96	5,732.00	6,387.88	12,397.68	21,207.37	34,646.75	64,901.19	101,649.85	379,217.16	137,642.30	171,461.13	940,998.27
	(4,143.54)	(3,779.00)	(5,388.94)	(13,100.59)	(12,304.81)	(19,582.96)	(27,388.90)	(43,412.81)	(417,491.24)	(96,242.05)	(134,320.35)	(777,155.19)
निवेश # Investments#	551.18	106,261.06	5,298.52	7,272.77	8,271.59	9,307.25	20,084.71	36,349.94	65,501.38	19,962.01	83,103.04	361,963.44
	(470.22)	(98,639.07)	(3,773.95)	(6,852.83)	(6,947.21)	(6,812.62)	(13,812.13)	(25,713.66)	(60,864.67)	(18,339.98)	(72,637.44)	(314,863.78)
उधार Borrowings	1.42	44,755.00	4,131.06	703.05	632.05	1,308.91	12,638.42	12,161.10	16,398.09	5,665.83	3,515.55	101,910.48
	0.00	(61,454.14)	(418.65)	(165.30)	(389.74)	(1,413.60)	(2,684.15)	(8,362.90)	(19,105.56)	(7,385.58)	(2,519.67)	(103,899.29)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	28,147.61	6,013.76	2,819.63	7,965.72	14,474.88	14,831.56	30,053.63	25,188.39	39,545.54	33,343.12	24,951.38	227,335.24
	(35,259.06)	(6,815.85)	(3,407.83)	(9,322.52)	(10,605.65)	(13,021.18)	(14,085.63)	(13,943.82)	(57,442.89)	(24,178.63)	(12,724.81)	(200,807.87)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities	4,820.56	28,750.54	7,414.82	10,242.86	10,370.89	10,062.17	16,275.70	35,332.57	19,457.05	30,179.27	21,031.24	193,937.67
	(5,106.04)	(8,086.27)	(3,681.12)	(7,068.40)	(13,786.67)	(14,332.65)	(12,522.43)	(14,919.26)	(29,220.47)	(15,416.29)	(22,128.78)	(146,268.38)

- कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़ें पिछले वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ें हैं ।
- आस्तियों और देयताओं का वितरण बैंक के "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2021" के अनुसार किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों (कार्यनीति निवेशों को छोड़कर) को 50% हेयरकट पर माना गया है, जो 31 मार्च 2023 को ₹521.92 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹931.61 करोड़) के बराबर है।

- Figures in bracket denote previous year i.e. FY 2021-22 numbers
- The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the “Group Asset Liability Management Policy 2021” of the Bank.

Listed equity investments (except strategic investments) have been considered at 50% haircut as per RBI directions which amounts to ₹521.92 crs as of 31st March 2023 (₹931.61 crs as of 31st March 2022)

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Cr)

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात / b) Liquidity Coverage Ratio

ए-2 बी(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण / A-2 b(i) Quantitative Disclosure

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated liquidity coverage ratio (LCR) Disclosure		मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2022		जून 2022 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2022		मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2022	
बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां Total High Quality Liquid Assets		251,571.30		241,302.14		231,839.84		231,231.53		228,244.42
	कैश आउटफ्लो / Cash Outflows										
2	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमे से: Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	699,938.48	66,325.52	697,692.79	66,014.29	689,638.78	65,282.57	669,283.79	63,352.29	653,881.54	61,922.83
(i)	स्थिर जमाएं Stable Deposits	73,366.72	3,668.34	75,099.68	3,754.98	73,626.06	3,681.30	71,521.76	3,576.09	69,306.48	3,465.32
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं Less Stable Deposits	626,571.76	62,657.18	622,593.11	62,259.31	616,012.72	61,601.27	597,762.04	59,776.20	584,575.06	58,457.51
3	गैर जमानती होलसेल निधियन-जिसमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	195,928.79	111,880.69	193,996.66	107,857.30	185,740.03	100,464.12	185,425.61	103,311.73	171,887.55	92,362.67
(i)	परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	गैर परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Non-operational deposits (all counterparties)	195,928.79	111,880.69	193,996.66	107,857.30	185,740.03	100,464.12	185,425.61	103,311.73	171,887.55	92,362.67
(iii)	गैर जमानती कर्ज Unsecured debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	जमानती होलसेल निधियन Secured wholesale Funding	52,257.09	-	59,343.36	-	59,675.80	-	66,069.75	-	53,483.21	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमे से Additional requirements, of which	189,406.02	17,543.29	199,704.59	19,815.41	194,358.96	17,626.84	195,198.22	17,116.08	181,883.95	17,209.37
(i)	डेरिवेटिव एक्स्पोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	11.39	11.39	52.47	52.47	22.73	22.73	34.52	34.52	10.00	10.00

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Cr)

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated liquidity coverage ratio (LCR) Disclosure		मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2022		जून 2022 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2022		मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2022	
बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	189,394.63	17,531.90	199,652.12	19,762.94	194,336.23	17,604.11	195,163.70	17,081.56	181,873.95	17,199.37
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	2,390.49	2,390.49	1,889.68	1,889.68	2,143.09	2,143.09	1,406.58	1,406.58	1,647.44	1,647.44
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	101,688.56	3,050.66	101,665.18	3,049.96	100,367.06	3,011.01	84,806.73	2,544.20	89,230.36	2,676.91
8	कुल नकद आउटफ्लो TOTAL CASH OUTFLOWS	1,241,609.43	201,190.65	1,254,292.26	198,626.64	1,231,923.72	188,527.63	1,202,190.70	187,730.89	1,152,014.04	175,819.22
	कैश इनफ्लो / Cash Inflows										
9	जमानती ऋण (उदाहरण, रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	-	-	-	-	1.53	0.77	5,515.15	-	24,697.62	-
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से इनफ्लो Inflows from fully performing exposures	32,968.03	26,276.01	29,499.80	23,517.92	26,618.33	21,067.49	30,500.15	23,771.31	30,416.22	24,461.07
11	अन्य नकद इनफ्लो Other cash inflows	2,517.73	2,349.53	2,629.83	1,772.36	3,278.42	2,428.39	2,845.84	2,011.75	2,413.53	1,554.17
12	कुल नकद इनफ्लो TOTAL CASH INFLOWS	35,485.76	28,625.54	32,129.63	25,290.28	29,898.28	23,496.65	38,861.14	25,783.06	57,527.37	26,015.24
		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	
13	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		251,571.30		241,302.14		231,839.84		231,231.53		228,244.42
14	कुल नेट नकद आउटफ्लो TOTAL NET CASH OUTFLOWS		172,565.09		173,336.36		165,030.98		161,947.83		149,803.98
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		145.78%		139.21%		140.48%		142.78%		152.36%

ए- 2 बी (ii) गुणात्मक प्रकटीकरण :

01 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि अत्यधिक चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके। एलसीआर प्रारंभ में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रत: बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे।

एलसीओआर के दो घटक हैं:

(i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य

(ii) कुल निवल नकद बर्हिप्रवाह: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बहिर्प्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह}} \geq 100\%$$

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है। दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 से एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 09 जून 2014 के अनुसार बैंक को 01 जनवरी 2019 से न्यूनतम एलसीआर 100% बनाए रखना होगा।

एचक्यूएलए की संरचना

चलनिधि की सुविधा के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात मार्च 2023, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 65.81% है उसके बाद न्यूनतम एसएलआर आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि एचक्यूएलए का 14.24% है। स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सापेक्ष कुल एचक्यूएलए का 0.14% है।

A-2 b)(ii) Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity coverange Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

"The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.

(ii) Total net cash outflows: The term “Total net cash outflows” is defined as “Total expected cash outflows” minus “Total expected cash inflows” in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period)."

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guidelines, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. Starting from January 2017, the bank had to disclose LCR on daily average basis .Hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI guidelines on LCR dated 9th June 2014, the bank has to maintain minimum LCR of 100% with effect from January 01, 2019.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2023, Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e. 65.81% followed by Government Securities in excess of minimum SLR requirement which constitute 14.24%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.14% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) High Quality Liquid Assets (HQLAs)	31 मार्च 2023 को समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis as of March 31, 2023	31 मार्च 2022 को समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis as of March 31, 2022
लेवल 1 आस्तियां Level 1 Assets		
हाथ में नकदी Cash in hand	1.88%	1.76%
आधिक्य सीआरआर शेष Excess CRR balance	6.88%	6.64%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities in excess of minimum SLR requirement	14.24%	21.18%

एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक) Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	7.78%	8.22%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण) Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no. 1)	3.27%	2.61%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएएलएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 16.00 प्रतिशत सीमा तक) Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 16.00 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	65.81%	59.59%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां Total Adjusted Level 1 Assets	99.86%	100.00%
कुल समायोजित लेवल 2ए आस्तियां Total Adjusted Level 2A Assets	0.09%	0.00%
कुल समायोजित लेवल 2बी आस्तियां Total Adjusted Level 2B Assets	0.05%	0.00%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित. Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - Adjustment for 40% cap	100.00%	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहकः :

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान 100% की न्यूनतम एलसीआर विनियामक आवश्यकता पर रु. 1,72,565.09 की औसत आवश्यकता के सापेक्ष रु. 2,51,571.30 करोड़ एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है। इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। स्तर-2 के एचक्यूएलए में मुख्यतः एए- और उससे ऊपर के रेटेड कार्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं।

अंत: अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :

100% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में जनवरी 2023, फरवरी 2023 तथा मार्च 2023 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 143.30%, 142.34% तथा 135.36% था।

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। 31 मार्च, 2023 को कोई महत्त्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी।

एक 'महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद' को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि। 31 मार्च 2023 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 11.35%, रिटेल मीयादी जमाराशियां अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 28.47%, मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 5.15%, बचत जमाराशियां अर्थात ग्लोबल देयताओं का

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2023, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹ 2,51,571.30 Crs as against the average minimum requirement of ₹ 1,72,565.09 Crs for maintaining regulatory minimum LCR at 100%. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 143.30%, 142.34% and 135.36% for the months ending January 2023, February 2023 and March 2023 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There was no significant counterparty Deposit as of 31st March 2023.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product of Domestic Operations as of March 31, 2023 were Wholesale Deposits i.e. 11.35% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e. 28.47% of Global

25.19% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात ग्लोबल देयताओं का 1.66% थे।

घरेलू परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता एकल आधार पर हमारी कुल जमाराशियों का 4.40% है।

एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा- मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्कयताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है। प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर विनियामक सीमा के अनुसार बैंक को एलसीआर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक के समग्र तुलन-पत्र को ध्यान में रखते हुए समेकित स्तर पर अमेरिकी डॉलर के आउटफ्लो का प्रभाव न्यूनतम है। यूएसडी टेरिटरीज में आउटफ्लो का प्रबंधन टेरिटरी स्तर से किया जाता है और घरेलू ट्रेजरी के संबंध में बैंक स्तर पर पर्याप्त एचक्यूएलए बनाए रखा जाता है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल:

31 मार्च, 2023 को बैंक का डेरिवेटिव एक्सपोजर निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विवरण	(राशि रु. करोड़ में)
1.	डेरीवेटिव्स एक्सपोजर की अनुमानित राशि	4,79,430.92
2.	वर्तमान एक्सपोजर प्रक्रिया के अनुसार एक्सपोजर	12,348.44
3.	अगले 30 दिनों के लिए निवल डेरिवेटिव्स नकदी आउटफ्लो	(27.38)

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल ने अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति' और ''आस्ति देयताएं प्रबंधन समिति (एएलसीओ)'' कहा जाता है, को सौंपा है। आरएमसीबी/ एएलसीओ विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

हमारे बैंक में ग्रुप ए.एल.एम. पॉलिसी है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है। विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरुप अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है।

समूह ए.एल.एम. पॉलिसी पर संबंध में दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रुप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों पर भी लागू किए जाते है। बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात् अनुषंगिया, संयुत्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है। चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं। वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों-इनमें से जो ज्यादा कड़े है, उनके अनुसार वे अपनी स्वयं की ए.एल.एम पॉलिसी रखती हैं।

Liabilities, Demand Deposits i.e. 5.15% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e.25.19% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e. 1.66% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at domestic operations constitute 4.40% of our total deposits of Global Operations.

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities), bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 – LCR" and to monitor the same. Bank is not required to maintain LCR as per regulatory limits on each significant currency.

Considering the overall balance sheet of the bank,the impact of USD outflows at consolidated level is minimal. The outflows in USD of territories are managed by territory level and that of domestic treasury where adequate HQLA is maintained at Bank level.

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Description	(Amt is ₹ Crore)
1	Notional amount of Derivative exposure	479,430.92
2	Exposure as per current Exposure method	12,348.44
3	Net Derivatives cash outflows for next 30 days	(27.38)

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board" and "Asset Liability Management Committee (ALCO)".The RMCB/ALCO is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e. subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

ए-2 सी) शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया गया है। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फ़ंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फ़ंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ)}}$$

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों के सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च 2023 तक एनएसएफआर घटकों का गैर-भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक 122.91% हो गया।

महत्वपूर्ण/ प्रमुख वाहक:

पूंजी, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक और व्होलसेल फंडिंग उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) के महत्वपूर्ण वाहक हैं। संबद्ध भार लागू करने के बाद उपलब्ध स्थिर फंडिंग में पूंजी का 12%, रिटेल जमाराशियों और लघु व्यवसाय ग्राहक की जमाराशियों का 66% और होलसेल जमाराशियों का 22% शामिल हैं।

कुल अपेक्षित स्थिर फंडिंग मुख्य रूप से ऋण और प्रतिभूतियों के निष्पादन द्वारा संचालित होती है, जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, आवासीय बंधक का निष्पादन और उन प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं जो एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं। संबंधित भार लागू करने के बाद ये सम्मिलित रूप से कुल आरएसएफ का 69% हैं।

A-2 c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$$

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on March 31, 2023 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 122.91 % as on March 31, 2023 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

Significant /Key Drivers:

The significant drivers of Available Stable Funding (ASF) are capital, Retail & small business customer deposits & wholesale funding.The capital constitutes 12%, Retail deposits & small business customer deposits constitute 66% & wholesale deposits constitute 22% of available stable funding after applying associated weights.

The total required stabel funding is mainly driven by performing loans and securities which include financing various stake holders such as retail and small Business customer, No-financial corporate clients, performing residential mortgages and investment in securities that do not qualify as HQLA. These together constitute for 69% of total RSF after applying the associated weights.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफआर प्रकटीकरण NSFR Disclosure						
	विवरण Particulars	गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
एएसएफ़ मदें ASF Item						
1	पूंजी : (2+3) Capital: (2+3)	107,961.83	-	-	17,687.63	125,649.46
2	विनियामक पूंजी Regulatory capital	107,961.83	-	-	15,957.63	123,919.46
3	अन्य पूंजीगत लिखत Other capital instruments	-	-	-	1,730.00	1,730.00

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	एनएसएफआर प्रकटीकरण NSFR Disclosure					
		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				
	विवरण Particulars	कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
4	रिटेल जमा और जमा लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	381,062.68	144,149.76	173,771.09	79,691.98	704,977.41
5	स्थिर जमाराशि Stable deposits	36,642.98	17,306.45	20,993.35	8,445.95	79,219.30
6	घटाएं स्थिर जमाराशियाँ Less stable deposits	344,419.70	126,843.31	152,777.74	71,246.03	625,758.11
7	थोक वित्त पोषण: (8+9) Wholesale funding: (8+9)	102,100.41	100,572.83	129,791.00	74,809.19	236,547.05
8	परिचालनगत जमा Operational deposits	-	-	-	-	-
9	अन्य थोक वित्त पोषण Other wholesale funding	102,100.41	100,572.83	129,791.00	74,809.19	236,547.05
10	अन्य देयताएँ : (11+12) Other liabilities: (11+12)	47,958.88	135,879.72	-	5,744.19	1,013.27
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएँ NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-
12	अन्य सभी देयताएँ और इक्विटी जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	47,958.88	135,879.72	0.00	5744.19	1013.27
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)) Total ASF (1+4+7+10)					1,068,187.18
आरएसएफ़ मदें RSF Item						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					14,328.76
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	16.52	2,301.06	-	-	1,158.79
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1,483.25	135,636.33	74,783.28	666,054.72	600,121.24
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	64,484.84	25,788.42	-	22,566.94
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक,रिटेल तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों को ऋण, सोवरेन, केंद्रीय बैंकों तथा पीएसई को ऋण देना जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers,loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	53,777.35	34,080.13	490,631.41	428,174.55
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	24,114.06	12,955.88	152,726.38	121,057.12
21	आवासीय मोर्गेज का निष्पादन जिसमें से Performing residential mortgages, of which:	-	8,798.14	8,614.55	120,001.47	94,483.31
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	5,928.87	5,820.94	81,140.13	58,619.74
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एचक्यूएलए के लिए पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	1,483.25	8,576.00	6,300.18	55,421.84	54,896.44

एनएसएफआर प्रकटीकरण NSFR Disclosure						
	विवरण Particulars	गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
24	अन्य संपत्तियां (25 से 29 पंक्तिंयों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	58,548.50	5,339.97	765.68	176,595.94	240,568.10
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	लागू नहीं NA	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		1,757.29	-	-	1,493.70
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		1,161.28	-	-	1,161.28
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएँ NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		128.54	-	-	128.54
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	58,548.50	2,292.86	765.68	176,595.94	237,784.58
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम Off-balance sheet items	लागू नहीं NA	291,719.60	-	3,112.27	12,878.75
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					869,055.64
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					122.91%

ए-3 निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

A-3 Investments

a) Composition of Investment Portfolio

31,मार्च 2023 के अनुसार As at 31.03.2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India							भारत से बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	241,599.61	0.00	5.90	0.00	3,474.09	266.42	245,346.02	21.26	2,034.31	0.00	2,055.57	247,401.59
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	5.9*	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
निवल Net	241,599.61	0.00	0.00	0.00	3,474.09	266.42	245,340.12	21.26	2,034.31	0.00	2,055.57	247,395.69
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	73,595.94	1.41	4,061.29	28,647.88	0.00	866.45	107,172.97	6,091.27	0.00	7,390.56	13,481.83	120,654.80
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	651.96	0.00	1,862.98	1,512.07	0.00	266.98	4,293.99	83.90	0.00	1,542.67	1,626.57	5,920.56
निवल Net	72,943.98	1.41	2,198.31	27,135.81	0.00	599.47	102,878.98	6,007.37	0.00	5,847.89	11,855.26	114,734.24
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	323.66	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	356.18
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.06	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
निवल Net	323.60	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	355.44
कुल निवेश Total Investments	315,519.21	1.41	4,099.71	28,647.88	3,474.09	1,132.87	352,875.17	6,112.53	2,034.31	7,390.56	15,537.40	368,412.57
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	5.9*	0.00	0.00	0.00	5.90	0.93	0.00	435.13	436.06	441.96
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	652.02	0.00	1,863.66	1,512.07		266.98	4,294.73	82.97	0.00	1,107.53	1,190.50	5,485.23
निवल Net	314,867.19	1.41	2,230.15	27,135.81	3,474.09	865.89	348,574.54	6,028.63	2,034.31	5,847.90	13,910.84	362,485.38

*भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा अर्थात् 10% से अधिक निवेश के लिए रु 5.25 करोड़ के मानक निवेश पर प्रावधान शामिल है।

*Includes Provision on Standard investment of Rs. 5.25 Cr due to investment above prescribed limit of RBI i.e. 10%.

31.03.2022 के अनुसार

As at 31.03.2022

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India							भारत से बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश शेयर Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	196,247.87		7.40	424.25	2,352.51	242.89	199,274.92	21.31	2,034.31	-	2,055.62	201,330.54
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	7.4*	-	-	-	7.40	-	-	-	-	7.40
निवल Net	196,247.87	-	-	424.25	2,352.51	242.89	199,267.52	21.31	2,034.31	-	2,055.62	201,323.14
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	77,237.78	1.41	4,327.41	21,348.26	-	1,680.58	104,595.44	6,152.07	-	8,545.74	14,697.81	119,293.25
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	407.79	-	1,733.32	822.02	-	979.51	3,942.64	65.16	-	1,004.85	1,070.01	5,012.65
निवल Net	76,829.99	1.41	2,594.09	20,526.24	-	701.07	100,652.80	6,086.91	-	7,540.89	13,627.80	114,280.60
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	188.28	-	3.40	-	-	-	191.68	-	-	-	-	191.68
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
निवल Net	188.25	-	3.40	-	-	-	191.65	-	-	-	-	191.65
कुल निवेश Total Investments	273,673.93	1.41	4,338.21	21,772.51	2,352.51	1,923.47	304,062.04	6,173.38	2,034.31	8,545.74	16,753.43	320,815.47
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	-	-	7.4*	-	-	-	7.40	0.86	-	610.77	611.63	7.40
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	407.82	-	1,733.32	822.02	-	979.51	3,942.67	64.30	-	394.08	458.38	5,012.68
निवल Net	273,266.11	1.41	2,597.49	20,950.49	2,352.51	943.96	300,111.97	6,108.22	2,034.31	7,540.89	15,683.42	315,795.39

*भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा अर्थात् 10% से अधिक निवेश के लिए रु 5.25 करोड़ के मानक निवेश पर प्रावधान शामिल है।

* Includes Provision on Standard investment of Rs. 5.25 Cr due to investment above prescribed limit of RBI i.e. 10%.

(बी). निवेश उतार चढाव आरक्षित निधि और मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि ₹ करोड़ में) **(Amount in ₹ Cr)**

विवरण Particulars			31 मार्च 2023 31.03.2023	31 मार्च 2022 31.03.2022
i)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments			
	(ए) a)	प्रारंभिक शेष Opening balance	5,020.08	3673.50
	(बी) b)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	2,021.49	1507.76
	(सी) c)	जोड़ें /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	91.97	6.84
	(डी) d)	घटाएं : बट्टे खाते डाले गए/वर्ष के दौरान/ अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन / विनिमय पुर्नमूल्यांकन समायोजन Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ exchange reval adjustment	1,206.35	168.02
	ई) e)	अंतिम शेष Closing balance	5,927.19	5,020.08
ii)	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve			
	(ए) a)	प्रारंभिक शेष Opening balance	2390.00	21.58
	(बी) b)	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	30.00	2368.42
	(सी) c)	(घटाएं): कमी Less: Drawdown	0.00	0.00
	(डी) d)	अंतिम शेष Closing balance	2420.00	2,390.00
iii)	एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category		2.00%	2.00%

सी) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी को /से बिक्री एवं अंतरण

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/ अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में धारित एचटीएम श्रेणी निवेश के बही-मूल्य के 5.0% से अधिक नहीं रहा। एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण में प्रतिभूतियों का एक बारगी अंतरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप एसएलआर धारिताओं को कम करने के लिए एचटीएम से सीधे बिक्री, ओपेन मार्केट परिचालन कार्रवाई और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत आरबीआई को बिक्री और बायबैक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद या स्विच परिचालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण शामिल नहीं है।

c) Sales and transfer to/from Held to Maturity (HTM) Category

During the year ended March 31, 2023 and March 31, 2022 , the value of sales/transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5.0% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. Sales and transfers of securities to/from HTM category does not include one-time transfer of securities, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings consequent to a downward revision in SLR requirements by RBI, sales to RBI under open market operation auctions and government securities acquisition program, repurchase of government securities by Government of India and state development loans by concerned state government under buyback or switch operations and additional shifting of securities explicitly permitted by RBI.

डी) गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / d) Non-SLR investment portfolio

I. अनर्जक एसएलआर निवेश / I. Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2023	31.03.2022
a)	आरंभिक शेष Opening balance	3,719.95	3,268.61
b)	वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से परिवर्धन* Additions during the year since 1st April*	2,566.57	779.31
c)	उक्त अवधि के दौरान कमी Reductions during the above period	1,783.72	327.97
d)	अंतिम शेष Closing balance	4,502.80	3,719.95
e)	कुल धारित प्रावधान Total provisions held	4,193.31	3,242.24

*विनिमय संबंधी अंतर शामिल है * Includes Exchange difference

II. गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक / II. Issuer composition of Non-SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता **Issuer**	राशि **Amount**		निजी प्लेसमेंट की सीमा **Extent of Private Placement**		'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Below Investment Grade' Securities**		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Unrated' Securities**		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Unlisted' Securities**	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-22	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-22	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-22	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-22	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-22
a)	पीएसयू PSUs	4,612.51	4,445.08	1,702.91	1,238.40	226.43	242.83	751.15	835.09	-	-
b)	एफआई FIs	17,651.89	12,012.43	9,065.22	7,594.74	1,045.91	1,641.17	-	30.08	-	68.00
c)	बैंक Banks	9,534.72	8,798.20	2,634.03	2,695.68	175.10	334.18	126.20	116.61	82.17	75.79
d)	निजी कार्पोरेट Private Corporates	7,878.62	8,911.81	5,346.45	5,845.79	901.73	989.56	2,468.36	2,661.93	1,020.14	715.19
e)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम* Subsidiaries/ Joint Ventures*	5,508.40	4,386.82	5,508.40	4,386.82	-	-	-	-	-	-
f)	अन्य Others***	29,559.96	30,771.50	22,776.04	23,906.18	-	23.15	542.24	428.94	420.69	428.94
g)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	5,275.17	4,612.26								
	कुल **Total** **	**69,470.93**	**64,713.58**	**47,033.05**	**45,667.61**	**2,349.17**	**3,230.89**	**3,887.95**	**4,072.65**	**1,523.00**	**1,287.92**

* विदेशी अनुषंगियों में ₹2,034.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,034.31 करोड़) के निवेश को शामिल किया गया है।

** राज्य सरकार के गैर-एसएलआर बांड में ₹358.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹689.70 करोड़), भारत सरकार के गैर-एसएलआर रिकैप बॉण्ड में ₹21.496.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.21.496.00 करोड़) के निवेश शामिल हैं।

*** अन्य निवेश में ₹6,112.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,173.38 करोड़) की विदेशी मुद्रा वाले बांड शामिल हैं।

* Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹ 2,034.31 Crs (Previous Year ₹ 2,034.31 Crs)

** Includes in State Gov Non SLR bonds of ₹ 358.17 Crs (Previous Year ₹ 689.70 Crs), investments in GOI Non-SLR Recap Bonds of ₹.21,496.00 Crs (Previous Year ₹ 21,496.00 Crs)

*** Others includes bonds of Foreign Soverign amounting to ₹ 6,112.51 Crs (Previous Year ₹ 6,173.38 Crs).

ई) **रेपो संव्यवहार:** (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

e) **Repo Transactions: (in face value terms)-**

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2023:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2023 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2023
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	25,919.20	2,186.21	2,426.29
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	1,636.77	2,932.28	2,291.23	2,932.28
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	26,156.82	1,723.22	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	-	-	-	-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2022

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2022
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	118.12	12,418.03	2,075.85	618.12
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	1,853.77	1,323.58	1,509.73
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2022
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	3,452.00	39,433.31	20,411.74	16,000.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-

रेपो संव्यवहार चलनिधि समायोजन सुविधा सहित हैं।
Repo transactions are Including Liquidity Adjustment Facility

एफ) त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है। ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है।

f) Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2023 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

31 मार्च, 2023 को As on 31.03.2023 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2023 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2023
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	32,331.55	76,697.60	63,000.03	32,331.55
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	8,326.85	80.77	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-

31 मार्च, 2022 को As on 31.03.2022

(राशि ₹ करोड़ में (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2022
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	6,654.06	70,706.29	42,454.36	61,960.15
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	1,099.90	21.58	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-

जी) एसएलआर निवेश **g) SLR Investments**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023		31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	
	बही मूल्य **Book value**	बाजार मूल्य **Market value**	बही मूल्य **Book value**	बाजार मूल्य **Market value**
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी) * Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	293,665.04	293,021.28	251,488.23	251,074.22
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर Approved sec-SLR	1.41	1.41	1.41	1.41

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/बीएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं
* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / BSE / NSE, etc

एच) मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार है :

h) Securities kept as margin

The details of securities that are kept as margin are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2023	2022
i.	भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards:		
	ए) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - प्रतिभूति सेगमेंट a) Collateral and funds management - Securities segment	1,700.00	3,200.00
	बी) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - संपार्श्विकृत ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट /त्रिपक्षीयरेपो b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	0.00	0.00

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2023	2022
	सी) चूक निधि - फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट c) Default fund - Forex Forward segment	167.69	121.29
	डी) चूक निधि - विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट d) Default fund - Forex Settlement segment	31.92	29.42
	ई) चूक निधि - रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटित निपटान) सेगमेंट e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	16.76	56.76
	एफ) चूक निधि - प्रतिभूति सेगमेंट f) Default fund - Securities segment	22.00	21.95
	जी) चूक निधि - सीबीएलओ /त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment	34.40	24.40
ii	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with the RBI towards:		
	ए) रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) a) Real Time Gross Settlement (RTGS))	-	-
	बी) रेपो संव्यवहार b) Repo transactions	-	-
	सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार c) Reverse repo transactions	-	-
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	199.50	309.00
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	1.00
v	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	0.10	1.00
vi	इक्विटी निपटान हेतु स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Stock Holding corporation of India (SHCIL) towards Equity Settlement.	28.00	लागू नहीं N.A

i) **ए) अनर्जक निवेश** **i) A) Non-Performing Investment**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
(i)	निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%) Net NPIs to Net Investment (%)	0.09%	0.15%
(ii)	अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल) Movement of NPIs (Gross)		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	3,719.95	3,268.61
	(बी) वर्ष के दौरान जुड़े (b) Additions during the year	2,566.57	779.31
	(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए (c) Reductions during the year	1,783.72	327.97
	(डी) अंतिम शेष (d) Closing balance	4,502.80	3,719.95
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन Movement of provisions for NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	3,242.24	2,834.88

विवरण Particulars		31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	2,054.58	729.59
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	1,103.51	322.23
	(डी अंतिम शेष (d) Closing balance	4,193.31	3,242.24
(iv)	निवल एनपीआई का संचलन Movement of net NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	477.71	433.73
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	511.99	49.72
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	680.21	5.74
	(डी) अंतिम शेष (d) Closing balance	309.49	477.71

(बी) परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल)

(ए) निवेश का मूल्य

B) Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets)

(a) Value of Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
(i)	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	1,138.25	359.91
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	222.98	206.49
(ii)	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(ए) भारत में (a) In India	1,126.96	359.91
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	222.98	206.49
(iii)	(iii) निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	11.28	-
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-

(बी) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

(b) Movement of provisions held towards depreciation on investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
(i)	प्रारंभिक शेष Opening balance	566.40	607.20
(ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	767.05	13.28
(iii)	जोड़े /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	16.49	(54.08)
(iv)	घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन Less: Write-back of excess provisions	-	-
(v)	अंतिम शेष Closing balance	1,349.94	566.40

ए- 4 आस्ति गुणवत्ता
A-4 Asset Quality

ए) 31.03.2023 तक रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

a) Classification of advances and provision held as on March 31, 2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances and NPAs	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
आरंभिक शेष Opening Balance	764,061.09	5,280.48	31,512.32	17,266.60	54,059.40	818,120.49
जोड़ें : वर्ष के दौरान जोड़े गए Add: Additions during the year					11,150.39	
घटाएँ : वर्ष के दौरान घटाए गए Less: Reductions during the year					28,446.09	
अंतिम शेष Closing balance	932,784.62	5,439.26	19,181.36	12,143.06	36,763.70	969,548.31
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					3,804.60	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,294.67	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					16,051.83	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					2,294.99	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		1,565.67	22,179.17	16,949.91	40,694.75	

जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					-2,361.91	
घटाएँ :वापस आए आधिक्य प्रावधान /बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					10,123.50	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		1,575.51	14,538.99	12,094.86	28,209.36	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		3,714.81	9,333.15	316.69	13,364.65	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					13,512.30	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					18,492.63	
अंतिम शेष Closing Balance		3,846.09	4,490.03	48.20	8,384.32	
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						-
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						**170.00**
घटाएं : वर्ष के दौरान गिरावट की राशि Less: Amount drawn down during the year						-
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						**170.00**
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियां Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						64,352.98
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						18,251.57
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off-accounts during the year						4,644.35
बट्टा खाता Write-off						3,655.11
अन्य समायोजन /विनिमय अंतर सहित Other Adjustments/Exchange difference						352.38
अंतिम शेष Closing balance						73,952.71

ए) रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण -31.03.2022

a) **Classification of advances and provisions held 31.03.2022**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances and NPAs	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
आरंभिक शेष Opening Balance	684,919.17	15,056.07	35,526.49	16,088.43	66,670.99	751,590.16
जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़े Add: Additions during the year					14,255.33	
घटाएँ : वर्ष के दौरान घटाए गए Less: Reductions during the year					26,866.93	
अंतिम शेष Closing balance	764,061.11	5,280.48	31,512.32	17,266.60	54,059.39	818,120.50
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					2,394.22	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,053.93	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					16,365.70	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					2,053.09	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		3,607.19	25,353.98	15,909.93	44,871.10	
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					9,339.55	
घटाएँ :वापस आए आधिक्य प्रावधान /बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					13,515.90	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		1,565.67	22,179.17	16,949.91	40,694.75	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		11,448.89	10,172.51	178.49	21,799.88	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					4,915.78	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					13,351.02	
अंतिम शेष Closing Balance		3714.81	9,333.15	316.69	13,364.55	

अस्थायी प्रावधान Floating Provisions		
प्रारंभिक शेष Opening Balance		-
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year		-
घटाएं : वर्ष के दौरान गिरावट की राशि Less: Amount drawn down during the year		-
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions		-
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon		
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts		53,108.20
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year		17,843.15
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year		3,578.38
बट्टे खाते डालना Write offs		2,837.40
अन्य समायोजन /विनिमय अंतर सहित Other Adjustments/Exchange difference		182.58
अंतिम शेष Closing balance		64,352.98

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	31.03.2023	31.03.2022
कुल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	3.79	6.61
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	0.89	1.72
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने सहित) Provision coverage ratio (including Technical W/O)	92.43	88.71
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने को छोड़कर) Provision coverage ratio (excluding Technical W/O)	77.19	75.28

बी) क्षेत्र वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr No.	क्षेत्र* Sector	31.03.2023			31.03.2022		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	122,743.71	8,043.03	6.55	109,455.08	8,479.25	7.75
b)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	41,131.77	3,410.54	8.29	37,501.42	4,587.79	12.23
c)	सेवाएँ Services	69,859.17	6,013.96	8.61	56,761.14	6,386.58	11.25
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	41,853.41	1,089.88	2.60	40,325.76	1,302.65	3.23
	उप जोड़(i) Subtotal (i)	**275,588.06**	**18,557.41**	**6.73**	**244,043.40**	**20,756.27**	**8.51**
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,243.91	613.62	49.33	1,354.93	634.45	47.69
b)	उद्योग Industry	196,836.95	6,366.14	3.23	169,537.35	13,861.16	5.84
c)	सेवाएँ Services	305,842.01	8,476.59	2.77	250,628.86	14,272.27	5.04
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	190,037.38	2,749.94	1.45	152,555.95	4,535.25	2.92
	उप जोड़ (ii) Sub-total (ii)	**693,960.25**	**18,206.29**	**2.62**	**574,077.09**	**33,303.13**	**5.80**
	कुल (i + ii) Total (i + ii)	**969,548.31**	**36,763.70**	**3.79**	**818,120.49**	**54,059.40**	**6.61**

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

c) Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
कुल आस्तियां Total Assets	2,10,458.15	1,87,124.10
कुल एनपीए Total NPAs	10,184.63	12,788.26
कुल राजस्व Total Revenue	7,585.72	3,297.49

डी समाधान योजना और रिस्ट्रक्चरिंग के विवरण

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

समाधान योजना एवं पुनर्संरचना के अधीन अग्रिमों का आस्ति वर्गीकरण Asset Classification of advances subject to Resolution Plan & restructuring	वित्त वर्ष 2022-23 FY 2022-2023		वित्त वर्ष 2021-2022 FY 2021-2022	
	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrower	बकाया राशि Amount Outstanding	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrower	बकाया राशि Amount Outstanding
मानक Standard	5*	147.80	2	162.01
एनपीए NPA	3	200.49	10	2,861.91
कुल Total	8	348.29	12	3,023.92

*जिनमें से 2 खातों का वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ही पूर्ण निपटान कर दिया गया है।

* Out of which, 2 accounts have been fully settled during FY 2022-23 itself.

(ii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल हैं। बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक 17 खातों में रू. 719.70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा है, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:-

ii) As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7,2019 (as amended from time to time) on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets,guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular.The Bank is holding additional provision of Rs. 719.70 Crore as on March 31, 2023 in 17 no.of accounts as detailed below:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (ए) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	ऋण की राशि जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना है (बी) Amount of Loans to be classified as NPA (B)	(बी) में से ऋण की वह राशि जिसे 31.03.2023 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया (सी) Amount of Loans as on 31.03.2023 out of (B) classified as NPA (C)	31.12.2022 तक रखे गए प्रावधान (डी) Provision held as on 31.12.2022 (D)	31.03.2023 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान (ई) Additional provision made during quarter ended 31.03.2023 (E)	31.03.2023 तक रखे गए प्रावधान (एफ) Provision held as on 31.03.2023 (F)
218,750	932.38	932.38	1,389.51	(669.81)	719.70

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21जून 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार ऐसे खाते जो न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए हैं, के प्रकटीकरण के संबंध में बैंक ने न्यायालय के आदेश के अनुसार 2 (दो) खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया है और ऐसे मामलों में 31 मार्च, 2023 को बकाया राशि ₹ 208.54 करोड़ है जिसके लिए बैंक ने आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अप्राप्त ब्याज सहित ₹ 60.03 करोड़ का प्रावधान किया है।

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों के लिए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 913.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है जो आईआरएसी मानदंडों के तहत किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है।

iii) As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 (as amemded from time to time) disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, 2 (two) accounts are classified as Standard as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 208.54 Crores against which the Bank is holding provision of ₹ 60.03 Crores as on March 31, 2023 as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

The Bank is holding additional provision of Rs. 913.46 Crore as of March 31, 2023 over and above the IRAC norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

As per RBI Circular on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets vide letter RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during the year in a restructuring process is as under:

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) Face value per Share (in ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
आईएमएजीआईसीएए वर्ल्ड ईएनटी लिमिटेड IMAGICAA WORLD ENT LTD	11,340,745	10	11.34	17.34
जीएमआर वरौरा एनर्जी लिमिटेड GMR WARORA ENERGY LIMITED	4,539,172	10	4.54	1.97
सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड* SINTEX INDUSTRIES LTD*	260,845,890	1	26.08	26.08
कुल Total			41.96	45.39

* एनसीएलटी के तहत प्राप्त शेयर

* Shares received under NCLT

31.03.2022 के अनुसार As on 31.03.2022

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) Face value per Share (in ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
उत्तम गलवा मेटालिक्स * UTTAM GALVA METALLICS*	590,991	10	0.59	0.59
उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड* UTTAM VALUE STEEL LTD*	2,354,060	10	2.35	0.24
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ईक्यू JYOTI STRUCTUTES LTD EQ	4,691,966	10	4.69	1.87
एमटेक ऑटो लिमिटेड* AMTEK AUTO LTD*	4,474,454	2	0.89	0.89
कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड* CASTEX TECHNOLOGIES LTD*	801,650	1	0.08	0.16
जैन आईआरआरआई सिस्टम लिमिटेड ईक्यू JAIN IRRI SYS LTD EQ	3,094,998	2	0.61	-
सेल मैन्युफैक्चरिंग कॉम लिमिटेड SEL MANUFACTURING COM LTD	174,644	10	0.17	0.17
टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई मिस्र TCI Sanmar Chemicls S.A.E Egypt	9,796	USD 63.00	4.68	4.68
कुल Total			14.06	8.60

* एनसीएलटी के तहत प्राप्त शेयर. * Shares received under NCLT.

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से जारी समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता भी शामिल है। ऐसे मामलों में बकाया दिनांक 31 मार्च, 2023 को ₹348.28 करोड़ है और भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन हेतु बैंक ने 31 मार्च, 2023 को ₹719.70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा है।

ई) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

आरबीआई मास्टर निर्देश सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी सं 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30-08-2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

ए) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 "मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021" दिनांक 24.09.2021 के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है:

i) उन ऋणों के संबंध में जो चूक में नहीं हैं, जो अंतरित या अर्जित किए गए हैं

RBI vide their Circular no DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019 (as amended from time to time) on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets guidelines for implementation of Resolution Plan , also containing requirements of additional Provisions as per para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as on March 31, 2023 is ₹ 348.28 Crores and in compliance with the above RBI circular, The Bank is holding additional provision of ₹ 719.70 Crores as on March 31, 2023.

e) Divergence in asset classification and provisioning

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended Mar 31, 2022, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30-08-2021 (as amended from time to time).

f) Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021 is as under:

i) In respect of "Loans not in default"@, that are transferred or acquired

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए -12 महीनों के लिए रिपोर्टिंग / Reporting for the -12- months ended March 31, 2023		
	विवरण Particulars	मूल्य Values
(i)	"समनुदेशन" के माध्यम से अधिग्रहीत ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired through "assignment"	
	अधिग्रहीत ऋण की कुल राशि (₹ करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired (₹ in Cr.)	8,450.11
	भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में) Weighted average residual maturity (In months)	84.54
	भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) Weighted average holding period (In Months)	10.76
	अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण (% में) Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor (In %)	10.01%
	अधिग्रहीत ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (टाइम्स) Tangible security coverage of loans acquired (times)	1.16
	बैंक द्वारा टीएलई दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल की रेटिंग नहीं की गई है क्रेडिट स्कोर (सीआईसी) वार वितरण (अधिग्रहीत ऋणों का%) Pool purchased under TLE guidelines by the Bank are unrated. Credit Score (CIC) wise distribution (% of loans acquired)	
	- वैयक्तिक रेटिंग (जहां भी लागू हो) - Individual rating (wherever applicable)	
	- 650 से 750 - 650 to 750	48.01%

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए -12 महीनों के लिए रिपोर्टिंग / Reporting for the -12- months ended March 31, 2023		
	विवरण Particulars	मूल्य Values
	- 750 से अधिक - Above 750	51.99%
	- सीएमआर रेटिंग (जहां भी लागू हो) - CMR rating (wherever applicable)	
	- सीएमआर 4 और सीएमआर 5 - CMR 4 & CMR 5	68.46%
	- सीएमआर 3 तक - Upto CMR 3	31.54%
(ii)	"नोवेशन" के माध्यम से अधिग्रहीत ऋण Loans acquired through "novation"	शून्य NIL
(iii)	"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिग्रहीत ऋण Loans acquired through "Loan participation"	शून्य NIL

गणना का तरीका :

@खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता न होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है

Calculation modality:

@The loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

ii) **अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:**

ii) **Details of stressed loans transferred is as under:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during FY 2022-2023			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	5	-	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	254.69	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	42.13	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	160.67	-	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	118.54	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during FY 2021-2022			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	17	4	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	921.25	39.40	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	231.33	1.58	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	373.74	9.04	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	142.41	7.46	-

iii) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अधिग्रहीत दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण - शून्य

iv) 31 मार्च, 2023 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

iii) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2022-23 – Nil

iv) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2023

31 मार्च, 2023 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2023	
रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	49.85
आरआर2 RR2	33.15
आरआर3 RR3	89.46
आरआर4 RR4	68.30
आरआर 5 RR5	9.69
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	16.52
कुल योग Grand Total	266.97

31 मार्च, 2023 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे एसआर का वितरण Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2023	
रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	-
आरआर2 RR2	14.99
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	8.93
आरआर5 RR5	-
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	704.77
कुल योग Grand Total	728.69

जी) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

g) Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वित्त वर्ष 2022-23 FY 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22 FY 2021-22
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या Number of frauds reported during the year	784	280
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	1,780.99	3,990.12
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	1,180.06	3,724.47
समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान (₹ करोड़ में)) Provisions held at the end of the year (in ₹ Cr)	31,507.78	33,503.02
वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	13.59	87.02

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि हेतु धोखाधड़ी के लिए देयता उपलब्ध कराने के विकल्प का चयन किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को अग्रिमों को छोड़कर अन्य आगे शामिल किए गए प्रावधान रु. 13.59 करोड़ रहा जिसे बैंक द्वारा अगली तिमाही में परिशोधित किया जाएगा।

एच) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020(आरएफ 1.0) एवं 05.05.2021 (आरएफ 2.0) के अनुसार कोविड 19 से संबंधित दबाव हेतु समाधान फ्रेमवर्क के तहत क्रियान्वित समाधान योजना का विवरण।

As per the Reserve Bank of India (RBI) circular no. RBI/2015-16/376 DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision for other than advances as on March 31, 2023 is Rs.13.59 Cr which is to be amortized in the subsequent quarters by the Bank

h) Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2021 (RF 2.0):-

31.03.2023 के अनुसार As on 31.03.2023 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही अर्थात् 30.09.2022 के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2022 (A)	(ए) में से कुल ऐसा ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2023 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2023 (A)
वैयक्तिक ऋण Personal Loans$	4,459.82	176.32	-	300.89	4,095.12
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	3,333.35	63.63	-	178.88	3,058.23
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	255.48	-	-	18.40	204.21
अन्य Others	966.59	31.43	-	63.57	957.64
कुल Total	8,759.76	271.38	-	543.34	8,110.99

* जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

i) **बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)**

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

$ In case of pool accounts the information is provided by the originator.

i) **Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल ऋणी एक्सपोज़र सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2022-23	-	-	-	-
2021-22	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	समूह का नाम Name of Borrower	समूह ऋणी एक्सपोज़र सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2022-23	-	-	-	-
2021-22	-	-	-	-

5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

5 **Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on :-**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2023				ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2022			
		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	3	618.27	269.00	349.27	14.20	4	783.65	345.52	438.13	49.75
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	-	-	-	-		1	94.26	72.02	22.24	-
कुल Total	3	618.27	269.00	349.27	14.20	5	877.91	417.54	460.37	49.75

ए-5 एक्सपोज़र

ए) रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

A-5 Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Category	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र i) Direct exposure	133,412.82	118,121.25
(ए) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages -	112,128.36	95,719.72
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज, Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	112,128.36	95,719.72
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण (एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल होंगी) Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector Advances (Exposure would also include non-fund based (NFB) limits)	37,450.95	35,454.01
(बी) एस्टेट वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत वाणिज्यिक रियल कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारीय आवासीय भवन, बहु किराएदार परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि)। एक्सपोज़र में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी। (b) Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	21,284.46	22,401.53
(सी) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS)and other securitized exposures –	-	-
i. आवासीय i. Residential	-	-
ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट ii. Commercial Real Estate	-	-

ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र ii) Indirect Exposure	39,410.80	36,015.30
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (i) National Housing Bank (NHB)	278.41	-
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) (ii) Housing Finance Companies (HFCs)	39,132.39	36,015.30
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Real Estate Sector	172,823.62	154,136.54

बी) पूंजी बाजार एक्सपोज़र **b) Exposure to Capital Market**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Category	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कार्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,737.18	2,069.90
(ii) शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आइपीओ/ ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉन्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बाध आधार पर दिए गए अग्रिम (ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;;	3.06	3.09
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; (iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	136.33	42.26
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों या परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है. (iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	519.06	1,000.98
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां (v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	857.70	18.48
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम (vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण. (vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं. (viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना (ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.14	-

श्रेणी Category	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोज़र (x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	743.59	892.87
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Capital Market	3,997.06	4,027.58

पूंजी बाज़ार में रु. 3,997.06 करोड़ का एक्सपोज़र रु. 24,519.49 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक की निवल मालियत रु. 61,298.73 करोड़ का 40%) है।

पूंजी बाज़ार में रु. 3,997.06 करोड़ का एक्सपोजर ₹12,259.75 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक की निवल मालियत ₹61,298.73 करोड़ का 20%) है।

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए मौजूदा नियमों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन उधारदाताओं को उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है।

- यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा नियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, उसका विवरण निम्नानुसार है- लागू नहीं
- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने का विवरण जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है, उसका विवरण निम्नानुसार है।

खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
48	1,727.31

सी) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

दिनांक 31.03.2023 को कुल निवल निधियन एक्सपोजर रु. 1,63,083 करोड़ है. दिनांक 31.12.2022 को बैंक की कुल आस्तियां ₹13,92,767 करोड़ थीं जिसका 1% ₹13,928 करोड़ है. यूएसए, यूके और यूएई जैसे तीन देशों का कुल निवल निधियन एक्सपोजर क्रमशः रु. 39,760 करोड़, रु. 22,422 करोड़ और रु. 31,901 करोड़ है जो कि बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक है। यदि यूएसए, यूके और यूएई में बैंक का कुल निवल निधियन एक्सपोजर कुल आस्तियों के 1% से अधिक होता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यूएसए के लिए ₹61.47 करोड़ और यूके के लिए ₹47.27 करोड़ तथा यूएई के लिए ₹47.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंतरिक रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके को "BOBSOV1" और यूएई को "BOBSOV2" का दर्जा दिया गया है। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के वर्गीकरण के अनुसार यूएसए और यूके "नगण्य जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए 1' तथा यूएई "कम जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए 2' में हैं।

The exposure to Capital Market of ₹ 3,997.06 Crores is within the limit of ₹ 24,519.49 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 61,298.73 Crores as on March 31, 2022).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 3,997.06 Crores is within the limit of ₹ 12,259.75 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 61,298.73 Crores as on March 31, 2022).

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

- If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, details of the same is as under- NA.
- Details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits are as under.

No of Accounts	Amount (₹ in Crs.)
48	1,727.31

c) Risk Category wise Country Exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2023 is ₹ 1,63,083 Crores. Total assets of the bank as on 31.12.2022 were ₹ 13,92,767 Crores, 1% of which comes to ₹ 13,928 Crores. Total net funded exposure of three countries namely USA, UK and UAE are amounting to ₹ 39,760 Crore, ₹ 22,422 crores & ₹ 31,901 Crores respectively, is more than 1% of the total assets of the Bank . As the total net funded exposure of the Bank on USA, UK and UAE happens to be more than 1% of total assets , provision of ₹ 61.47 Crores for USA and ₹ 47.27 crores for UK and for UAE ₹ 47.08 crores has been made in terms of RBI guidelines. USA and UK are rated "BOBSOV1" and UAE is rated "BOBSOV2" by BoB internally. As per Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) classification, USA and UK are in the "Insignificant Risk Category" i.e. 'A1' and UAE is in the "Low Risk Category" i.e. 'A2'.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2023, को एक्सपोज़र (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2023	31 मार्च 2023 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2023	31 मार्च 2022 को एक्सपोज़र (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2022	31 मार्च 2022 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2022
नगण्य Insignificant	84,022.20	108.74	74,934.12	69.18
कम Low	66,511.70	47.08	55,351.14	51.54
मध्यम कम Moderately Low	6,388.95	-	4,409.94	-
मध्य Moderate	1,792.80	-	5,617.82	-
मध्यम उच्च Moderately High	4,312.22	-	62.95	-
उच्च High	5.27	-	0.05	-
अधिक उच्च Very High	49.40	-	-	-
ऑफ कवर Off cover	0.02	-	0.02	-
कुल Total	163,082.56	155.82	140,376.04	120.72

डी) गैर जमानती अग्रिमों की राशि

d) Amount of Unsecured advances

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को राशि Amount as on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को राशि Amount as on March 31, 2022
(i)	बैंक के कुल गैर जमानती अग्रिम Total unsecured advances of the bank	128,801.78	134,530.88
(ii)	उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	385.22
	ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	-	583.81

ई) फैक्टरिंग एक्सपोज़र का विवरण - शून्य

e) Details of factoring exposures – Nil

एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

f) Intra Group Exposures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023			31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि Total Amount of Intra Group Exposures	6,594.76	4,419.98	11,014.74	5,035.75	4,171.62	9,207.37
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	6,594.76	4,419.98	11,014.74	5,035.75	4,171.62	9,207.37
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.54%	0.36%	0.90%	0.47%	0.39%	0.86%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-3.3. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है। ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्सपोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है। यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ- साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है। बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं। बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है। जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है। ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंक्ड सीमा लागू है। विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहैज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है। जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्स्पोजर को कम करे।

g) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and / or has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of monthly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved credit risk rating linked limit on unhedged foreign currency position of customers is applicable when extending credit facilities to a customer. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है:

Movement of the provision is as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
ए. प्रावधान खाते में आरंभिक राशि a. Opening balance provisions account	196.58	183.88
बी. लेखांकन वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा (विनिमय अंतर सहित) b. The quantum of provisions made in the accounting year (incl. exchange difference)	85.13	12.70
सी. लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि c. Amount Reverse during the accounting year	0.00	0.00
डी. प्रावधान खाते में अंतिम शेष d. Closing balance in the provisions account	281.71	196.58

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 तक उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर के सापेक्ष बैंक का अग्रिम एक्सपोजर 20-80 बीपीएस प्रावधान रु. 281.71 करोड़ था. रु. 464.65 करोड़ की अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष इस एक्स्पोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रु. 4,040.49 करोड़ है।

उपलब्ध वित्तीय विवरणों एवं उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का आकलन किया है तथा 31 मार्च, 2023 को रु. 281.71 करोड़ का प्रावधान रखा है (पिछले वर्ष: रु. 196.58 करोड़)।

In accordance with RBI guidelines, as at March 31, 2023, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 20-80 bps provisions was ₹ 281.71 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 4,040.49 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 464.65 Crores.

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹ 281.71 Crores as on March 31, 2023 (Previous Year: ₹ 196.58 Crores).

ए-6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का सकेन्द्रन

A-6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
(ए) जमाराशियों का संकेन्द्रन (a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	56,290.56	49,997.98
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत (% में) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (in %)	4.68%	4.78%
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रन (b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों को दिया गया कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers/customers	150,235.93	109,684.58
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत (% में) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (in %)	15.49%	13.41%

(सी) एक्सपोज़र का सकेन्द्रन (c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	205,890.99	165,333.05
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	16.80%	15.31%
(डी) एनपीए का सकेन्द्रन (d) Concentration of NPAs		
शीर्ष बीस एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोज़र Total Exposure to top twenty NPA accounts	7,621.23	15,747.91
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest NPA exposure to Total Gross NPAs.	20.73%	29.13%

ए-7 डेरीवेटिव्स

ए) वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)*

A-7 Derivatives

a) Forward Rate Agreement/Interest rate Swaps (IRS)*

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
स्वैप समझौते का अनुमानित मूलधन* The notional principal of swap agreements*	96,155.16	82,882.53
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि* Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements*	1,092.66	784.04
स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्विक** Collateral required by the bank upon entering into swaps **	0.00	-
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण* Concentration of credit risk arising from the swaps*	1,980.46	1,579.09
स्वैप बही का उचित मूल्य* The fair value of the swap book *	647.95	295.47

* केवल ब्याज दर स्वैप शामिल है, जबकि पिछले वर्ष सीआईआरएस सौदों को भी शामिल किया गया था, इसलिए बिंदु संख्या i, ii, iv और v में पिछले वर्षों के आंकड़ों को तदनुसार पुनर्समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

** 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को ग्राहकों से प्राप्त निवल मार्जिन की बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करता है ।

31 मार्च, 2023 तक वायदा दर समझौतों एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

*Includes Interest Rate Swaps only, while in previous year CIRS deals were also included, so figures of previous years in point numbers i,ii,iv and v have been regrouped/reclassified accordingly.

** Represents outstanding amount of net margin received from customers as at March 31, 2023 and March 31,2022.

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2023 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	59	3,350.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVABLE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	83	2,650.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	5	500.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	16	500.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	444.95	SOFR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	37.35	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1626	38,341.61	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1726	38020.37	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	5	903.87	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	903.87	SOFR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	13	375.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	8	275.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	62	4,357.45	FIXED	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED PAY/FLOAT RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	2,321.98	FIXED	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	3,173.71	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FLOAT RECEIVE/FLOAT PAY

31 मार्च, 2022 तक वायदा दर समझौतों एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2022 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	34.46	LIBOR	अस्थायी देय/स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	75.79	SOFR	अस्थायी देय/स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	33	1,075.00	MIBOR	अस्थायी देय/स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	52	2,775.00	MIFOR	अस्थायी देय/स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	742	21,771.53	MIBOR	अस्थायी देय/स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	17	725.00	MIFOR	अस्थायी देय/स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	410.42	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	75.79	SOFR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	681	21,200.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	26	1,875.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	709	21,258.87	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	23	825.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	42	5,403.55	FIXED	स्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FIXED PAY/FLOAT RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	2,271.90	FIXED	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	3,105.22	LIBOR	अस्थायी प्राप्य /अस्थायी देय FLOAT RECEIVE/FLOAT PAY

बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives*

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का अनुमानित मूलधन (लिखत-वार)) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (10वाई जीएसईसी) A. Interest Rate Future (10Y GSEC)	22.81	2,381.26
(ii)	यथा दिनांक को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (10वाई जीएसईसी) A. Interest Rate Future (10Y GSEC)	-	-
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन तथा जो "अत्याधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य तथा जो "अत्याधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-

*एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स में केवल ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष मुद्रा फ्यूचर्स और मुद्रा विकल्प सौदे भी शामिल थे, इसलिए पिछले वर्षों के आंकड़ों को तदनुसार पुनर्समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

*Exchange Traded Interest Rate Derivatives are comprise of Interest Rate Futures only while in previous year Currency Futures & Currency Options deals were also included, so figures of previous years have been regrouped/reclassified accordingly.

सी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) बैंक की विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबंधन एवं स्वर्ण, डेरीवेटिव प्रबंधन नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं । बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाज़ार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है । मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन-देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ।

बी) बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम । बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं जो एमटीएम, जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं । इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता वाली निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है ।

सी) लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान हैं । अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं । डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम से भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल अनुमानित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

अनुमानित मूलधन राशि पर रूपांतरण घटक लागू किया जाना चाहिए।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) Qualitative Disclosure

a) Foreign exchange risk management & Gold, Derivative management policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making .Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

b) The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by the Board), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of the Board, which is presided over by the Bank's Managing Director and CEO.

c) The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
	वित्त वर्ष 2023 FY 2023	वित्त वर्ष 2022 FY 2022	वित्त वर्ष 20233 FY 2023	वित्त वर्ष 2022 FY 2022
एक वर्ष से कम Less than one year	0.50%	0.50%	2.00%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष One year to Five Year	1.00%	1.00%	10.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक Over five years	3.00%	3.00%	15.00%	15.00%

डी) निम्नलिखित खंड समान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेन-देन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं.

ब्याज दर अनुबंध

फॉरवर्ड रेट करार खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं । मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है । निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है ।

ब्याज दर स्वैप में अंतर्निहित (या अनुमानित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है ।

ब्याज दर कैप एंड फ्लोर्स खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं । कॉन्ट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ्लोर रेट से अधिक या कम होता है । ब्याज दर कैप्स और फ्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है ।

ब्याज दर वायदा सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कॉन्ट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है ।

विनिमय दर अनुबंध

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है । इन लिखतों को फेडाई (एफईडीएआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा/ बेचा जाता है ।

क्रॉस करेंसी स्वैप विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं । क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है ।

d) The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

Interest rate contracts

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

Interest rate futures are standardized interest rate derivative contracts traded on a recognized stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

Exchange rate contracts

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित) खरीदार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है ।

मुद्रा वायदा अनुबंध निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत अनुबंध है । किसी मुद्रा वायदा अनुबंध का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है ।

बैंक का डेरिवेटिव लेन-देन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है । बिक्री गतिविधियों में समय-समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरिवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाज़ार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके । बैंक डेरिवेटिव में स्वयं के खाते (व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है । बैंक अपने दायित्वों या तुलनपत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरिवेटिव में सौदा करता है ।

डेरिवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेन-देन करता है । नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है ।

<u>प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना</u>

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरिवेटिव लेन-देन करता है । बैंक एक्सपोजर के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है । उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्श्विक की मांग की जा सके या लेन-देन को निरस्त किया जा सके ।

हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए बैंक हेज की शुरुआत में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट और हेज किए गए आइटम के बीच संबंध, हेज करने हेतु जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज के प्रभावी होने के आकलन हेतु प्रक्रिया को दर्ज करता है। हेज की शुरुआत के समय और इसके बाद समय-समय पर हेज प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है । हेज की प्रभावशीलता का आकलन हेज आइटम के अंकित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की सीमा जो हेज जोखिम से व्युत्पन्न है और जो विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के अंकित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन को बराबर करने के माध्यम से किया जाता है।

हेज/ नॉन-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन-देन अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं । डेरिवेटिव की स्थिति को जब तक हेज के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) और परिणामी नुकसान, यदि कोई हो, को

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

Constituents involved in derivative business

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

<u>Provisioning, collateral and credit risk mitigation</u>

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated where required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk.

For derivative contracts designated as hedging instruments, the Bank documents, at inception of the hedge, the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter. Hedge effectiveness is measured by the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument using various qualitative and quantitative methods.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative positions, unless designated as hedges, are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized.

लाभ और हानि खाते में माना जाता है । लाभ, यदि कोई है, को नहीं माना जाता है । ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय और व्यय को उपचय आधार पर स्वीकार किया जाता है । ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2018-19/222 एफएमआरडी.डीआईआरडी.19/14.03.046/2018-19 दिनांक 26 जून, 2019 के अनुसार बैंक डेरिवेटिव अनुबंधों के हेज लेखांकन हेतु आईसीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करता है । हेज के रूप में निर्दिष्ट लेन-देन के लिए निम्नलिखित उपचार का अनुपालन किया जाता है-

- उचित मूल्य हेज के मामले में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट और हेज किए गए मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन लाभ और हानि खाते में माने जाते हैं,
- कैश फ्लो हेज के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेज रिज़र्व' के तहत आरक्षित और अधिशेष में माना जाता है और प्रभावी हेजिंग संबंध के अप्रभावी हिस्से, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है । किसी प्रभावी हेजिंग संबंध में कैश फ्लो हेज रिज़र्व में संचित शेष राशि को उसी समय लाभ और हानि खाते में रिसाइकल किया जाता है जबकि हेज किए गए आइटम से प्रभाव को लाभ और हानि खाते में माना जाता है।

बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ उनकी व्यवसाय रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर डेरिवेटिव लेनदेन शुरू करता है। उपयुक्त क्रेडिट प्रसंविदा, जहां आवश्यक हो, का ट्रिगर इवेंट के रूप में निर्धारण किया जाता है ताकि जोखिम कम करने हेतु कोलेटरल की मांग अथवा लेन-देन को रद्द किया जा सके। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन में वर्तमान एक्सपोजर को कम करने के लिए बैंक ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्षकार बैंकों और कुछ भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स ('सीएसए') समझौते किए हैं। बैंक प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की पुष्टि करता है। किसी डेरिवेटिव अनुबंध के क्रिस्टलीकृत सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट वैल्यू से संबद्ध अतिदेय प्राप्य राशियों को उधारकर्ता के खाते में अंतरित कर दिया जाता है और यदि ये 90 दिनों या उससे अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हैं तो गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में मानी जाती है।

(ii) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on accrual basis. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

As per the RBI Guideline RBI/2018-19/222 FMRD. DIRD.19/14.03.046/2018-19 dated June 26, 2019 Bank follows the ICAI guidelines for the hedge accounting of derivative contracts. For transactions designated as hedges, following treatment is followed-

- In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognized in the Profit and Loss Account,
- In case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognized in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognized in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognized in the Profit and Loss Account.

The Bank enters into derivative transactions with counterparties based on their business ranking and financial position. Appropriate credit covenants are stipulated where it is required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and minimize the risk. Further, to mitigate the current exposure in non-centrally cleared forex and derivative transactions, Bank has entered into Credit Support Annex ('CSA') agreements with major international counterparty banks and few Indian financial institutions. The Bank, at the minimum, confirms to the RBI guidelines with regard to provisioning requirements. Overdue receivables representing crystallized positive mark to market value of a derivative contract are transferred to the account of the borrower and treated as non-performing assets, if these remains unpaid for 90 days or more.

(ii) **Quantitative Disclosures**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023		31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए a) For hedging	10,839.12	17,335.44	10,373.05	38,150.54
	बी) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	10,549.41	78,819.72	15,270.44	44,731.98
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट स्थिति Marked to Market Positions				

	ए) आस्ति (+) a) Asset (+)	277.23	1,092.66	95.85	784.03
	बी) देयताएं (-) b) Liability (-)	(840.96)	(444.71)	(199.06)	(488.56)
(iii)	ऋण एक्सपोजर Credit Exposure	1,107.79	1,981.01	1,282.34	1,579.09
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	4.84	11.41	0.91	487.37
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.27	3.61	40.90	3.25
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01 Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू) a) on hedging (Domestic)	15.5 & 0.00	440.51 & 3.96	0.00 & 0.00	793.97 & 441.52
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू) b) on trading (Domestic)	16.94 & 0.10	31.52 & 0.00	85.66 & 27.22	21.87 & 0.04
	सी) हेजिंग पर (विदेशी) c) on hedging (Overseas)	(0.19)	16.75 & (5.74)	0.91 & 0.01	12.10 & (20.40)
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी) d) on trading (Overseas)	0.00 & 0.00	0.00 & 0.00	0.00 & 0.00	0.00 & 0.00

डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया लेन-देन की मात्रा को दर्शाती है और जोखिम वाली राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ।

इस प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, करेंसी डेरिवेटिव में खरीदे और बेचे जाने वाले मुद्रा ऑप्शंस और क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप, करेंसी फ्यूचर्स शामिल हैं ।

प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, ब्याज दर डेरिवेटिव में ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार और ब्याज दर कैप और फ्लोर शामिल हैं ।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

दिनांक 23 मई, 2011 को सीडीएस से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों से एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस वक्र या यदि यह अधिक कंजरवेटिव मूल्यांकन में परिणत होता है तो किसी अन्य प्रोप्राइटरी मॉडल का उपयोग करके अपने सीडीएस अनुबंधों का मूल्यांकन करना अपेक्षित है । सीडीएस स्थिति के मूल्यांकन के लिए बैंक एफआईएमएमडीए वक्र का उपयोग करता है; सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक प्रोप्राइटरी मॉडल का उपयोग नहीं करता है । हालांकि, 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022 - शून्य) तक बैंक के पास कोई सीडीएस सौदा बकाया नहीं है ।

The notional principal amounts of derivatives reflect the volume of transactions outstanding as at the Balance Sheet date and do not represent the amounts at risk.

For the purpose of this disclosure, currency derivatives include currency options purchased and sold and cross currency interest rate swaps,Currency Futures.

For the purpose of this disclosure, interest rate derivatives include interest rate swaps,Forward rate agreements and interest rate caps and floors.

Credit Default Swaps (CDS)

As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2023 (31st March 2022 - Nil)

ए-8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

A-8 Disclosure relating to Securitization

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में) (Numbers/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
1	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एसपीई (विशेष प्रयोजन संस्थाओं) द्वारा धारित आस्तियों की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाए) No of (Special Purpose Entities) SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	-	-
2	एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3	तुलनपत्र की तिथि को एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र a) Off-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोज़र b) On-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
4	एमआरआर से इतर अन्य प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	ए) तुलनपत्रेत्तर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलन-पत्र का एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
	• अन्य • Others		
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/ हानि । Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य) । Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात् क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि का अलग-अलग ब्यौरा दें । प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का कोष्ठक में प्रतिशत के रूप में उल्लेख करें । Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	(ए) प्रदत्त राशि (a) Amount paid	-	-
	(बी) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(सी) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-
8	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त / टॉप अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10	निवेशकों की शिकायतें Investor complaints	-	-
	(ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं; (a) Directly/Indirectly received and;	-	-
	(बी) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	-	-

ए-9 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है)

A-9 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
	घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	शून्य Nil	शून्य Nil
31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	शून्य Nil	शून्य Nil

ए-10 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-10 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amount transferred to DEAF	3,450.54	2,978.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	593.09	539.05
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	102.52	67.23
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of amounts transferred to DEAF	3,941.11	3,450.54

ए-11 शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल से प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण

A-11 Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Ombudsman

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित) (As compiled by the Management)

क्र.सं. S. No		विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
		बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1		वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	18,429	22,108
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	957,938	863,867
3		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या. Number of complaints disposed during the year	931,451	867,546
	3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	3,104	11,281
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	44,916	18,429
		लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		

क्र.सं. S. No		विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	7,216	10,882
	5.1	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	2,652	10,367
	5.2	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी समाधान/ मध्यस्थता/ एडवाइजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	4,557	511*
	5.3	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	7	4
6		निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	शून्य NIL	शून्य NIL
		नोट: मेंटेन करने योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं. . Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.		

* वित्त वर्ष 2021-22 में दी गई एडवाइजरी की संख्या 511 है । हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी आपसी विचार/ मध्यस्थता/ एडवाइजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संसाधित रिकॉर्ड के अनुसार 5412 है ।

* 511 is the number of advisories given in FY 2021-22. However number of complaints resolved through consolation/ mediation/advisories issued by office of ombudsman for FY 2021-22 is 5412 as per record processed by RBI

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकयतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2022-23 FY 2022-23					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	9,664	518,409	82.82%	40,376	3,839
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	7,674	308,756	(30.64)%	3,116	208

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकयतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	329	51,321	12.63%	318	18
ऋण और अग्रिम Loans and advances	157	14,639	(5.85)%	126	1
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	139	11,087	9.88%	91	-
अन्य Others	466	53,726	(15.97)%	889	59
वित्त वर्ष 2021-22 FY 2021-22					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	7,466**	283,561	(45.55)%	9,664	101
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	12,241	445,167	(4.86)%	7,674	119
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	288	45,568	18.41%	329	2
ऋण और अग्रिम Loans and advances	181	15,548	4.67%	157	0
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	175	10,090	21.13%	139	0
अन्य Others	1,757	63,933	1.89%	466	4

**विप्रेषण संबंधी शिकायतें शामिल हैं और अन्य श्रेणी से बाहर हैं

**Remittances complaints are included and excluded from Others category

बी) वर्ष की शुरुआत में निवेशकों की लंबित शिकायतों की संख्या शून्य थी । 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक को निवेशकों से 917 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । वर्ष के दौरान 915 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है । वर्ष के अंत में निवेशकों की 2 शिकायतें लंबित हैं ।

b) Number of Investors' complaints pending at the beginning of the year was NIL. The Bank has received 917 Investors' complaints during the year ended March 31, 2023. 915 complaints have been disposed of during the year. There are 2 pending Investors' complaints at the end of the year.

ए- 12 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-12 Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023		31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक दवारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	746	1.90	528	9.74
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		2	4.15	0	0.00

बी) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए आर्थिक दंड का प्रकटीकरण

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2022-23	-	-	-
2021-22	-	-	-

सी) रिवर्स रेपो लेन-देन में आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (डिफ़ॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू) - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

डी) निम्नलिखित विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी अन्य दंड का विवरण:

1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)
2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)
3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant)- Nil (Previous Year- Nil)

d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :

1) Banking Regulation Act, 1949, - Nil (Previous Year - Nil)
2) Payment and Settlement Act, 2007, Nil (Previous Year - Nil)
3) Government Securities Act, 2006. Nil (Previous Year - Nil)

ए-13 अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यावसायिक अनुपात

A-13 Other Disclosures

a) Business Ratios

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय[1] Interest Income as a percentage to Working Funds[1]	6.52%	5.57%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय[1] Net interest income as a percentage to Working Funds[1]	3.01%	2.60%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय[1] Non-interest income as a Percentage to Working Funds[1]	0.73%	0.92%

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
जमाराशि की लागत Cost of Deposits	3.89%	3.52%
निवल ब्याज मार्जिन[2] Net Interest Margin[2]	3.31%	3.03%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds[1]	1.96%	1.79%
आस्तियों पर रिटर्न[3] Return on Assets[3]	1.03%	0.60%
प्रति कर्मचारी कारोबार[4] (जमाराशि प्लस अग्रिम) (राशि ₹ करोड़ में) Business[4] (Deposits plus Advances) per employee (Rs. in Crores)	26.66	22.05
प्रति कर्मचारी लाभ (राशि ₹ करोड़ में) Profit per employee (₹ in Crores)	0.18	0.09

व्यवसाय अनुपात/ सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:

1. कार्यशील निधियों की गणना कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी जैसे कि वित्त वर्ष के 12 महीनों के दौरान फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है।
2. निवल ब्याज आय / औसत अर्जन वाली परिसंपत्ति । निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय ।
3. आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा ।
4. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है ।

बी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

थर्ड पार्टी उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

Definitions of certain items in Business ratios / information:

1. Working funds to be reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X, during the 12 months of the Financial Year.
2. Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense
3. Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
4. For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

b) Disclosure Regarding Bancassurance Business

Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling life insurance policies	212.85	168.56
गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling Non-life insurance policies	81.68	64.48
प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana	9.10	16.97
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना Prime Minister Surakasha Bima Yojana	2.50	3.48

सी) विपणन और वितरण

c) Marketing & Distribution

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु For selling mutual fund products	82.68	58.93
इक्विटी उत्पाद की बिक्री हेतु For selling on Equity product	-	0.18
पीएमएस/एआईएफ उत्पादों की बिक्री हेतू For selling PMS/AIF products	12.37	-
यूआईडीएआई-आधार UIDAI-Aadhar	18.24	17.73
अटल पेंशन योजना Atal Pension Yojna	15.59	14.62

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है :-

d) Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

The banks has purchased & sold the following PSLCs:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान / During FY- 2022-23

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य PSLC General	-	-
4	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	-	1,000.00
5.	एमएसएमई MSME	-	-
	कुल Total	-	1,000.00

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान / During FY- 2021-22

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	1,000.00
2.	पीएसएलसी कृषि PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य PSLC General	-	-
4	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	3,500.00	-
5.	एमएसएमई MSME	-	-
	कुल Total	3,500.00	1,000.00

ई) **प्रावधान एवं आकस्मिकताएं**

लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का मदवार विवरण इस प्रकार है:

e) **Provisions and Contingencies**

Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (बट्टे खाते डाले गए सहित और प्रतिलेखित को घटाकर) Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	1,704.03	558.98
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/ एनपीए के लिए प्रावधान (प्रतिलेखित को घटाकर) Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	4,454.76	14,782.31
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for standard assets	527.50	(2,672.26)
कर हेतु प्रावधान, आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के रिवर्सल को घटाकर)) Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	5,617.02	2,114.16
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	(104.25)	(142.19)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान Provision for Country Risk Management	35.10	9.37
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्द दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं) । Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	519.76	466.20
कुल Total	**12,753.92**	**15,116.57**

सतत् प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है । उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को लागू कर एनपीए उधरकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है । बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है ।

ए) **आईएफआरएस स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) का कार्यान्वयन**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया है । हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सभी बैंकों से प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । तदनुसार, बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित ईडी (आर, सी एवं एसएआरजी) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के अनुमोदन के बाद बैंक प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करता है ।

As a consistent practice, the Bank has continued to make provision of 20% on the secured sub- standard advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% Credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund based facility of the borrower. The Bank also continues to make 100% provision on certain classes of non-performing retail advances.

f) **Implementation of IFRS Converged Indian Accounting standards (Ind AS)**

RBI vide Circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank is preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS financial statements every half year after approval of Steering Committee headed by ED (R,C & SARG) formed for monitoring of implementation of Ind AS in the Bank.

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	1,287.08	1,186.50
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00

एच) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण.

बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹1454.41 करोड़ की अतिरिक्त देयता राशि का अनुमान लगाया है । हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/ 21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 से बैंकों को अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, जो प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन है । बैंक ने उक्त प्रावधान का चयन किया है और तदनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹ 290.88 करोड़ की राशि को प्रभारित किया है और ₹ 872.65 करोड़ के अपरिशोधित शेष को कैरी फॉरवर्ड किया गया है । यदि बैंक ने लाभ एवं हानि खाते पर संपूर्ण अतिरिक्त देयता प्रभारित की होती तो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 653.00 करोड़ कम हो जाता ।

i. आरक्षित एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹ 3,527.40 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1,814.34 करोड़) का समायोजन सांविधिक प्रारक्षित निधि हेतु किया है ।

आरक्षित पूंजी

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है ।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक प्रारक्षित निधि, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी से ₹92.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹523.35 करोड़) का समायोजन किया है ।

निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से 3 वर्षों की अवधि के अन्दर निवेश संबंधी

h) **Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks**

Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1,454.41 Crores. However, RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted the said provision, and accordingly charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit & Loss account for the FY ended March 31, 2023 and the balance unamortized expense of ₹ 872.65 Crores has been carried forward. Had the Bank charged the entire additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit (after tax) for the FY ended March 31, 2023 would have been lower by ₹ 653.00 Crores.

i. **Reserves and Surplus**

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 3,527.40 Crores (Previous Year: ₹ 1,814.34 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2023 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2023, the Bank appropriated ₹ 92.57 Crores (Previous Year: ₹ 523.35 Crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment

उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) सृजित करनी है जो उनके एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगी। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते से निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए ₹ 30.00 करोड़ का समायोजन किया है । (पिछले वर्ष: ₹ 2368.42 करोड़)

j) **चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति**

portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2023, the Bank has made ₹ 30.00 Crores appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: ₹ 2,368.42 Crore)

j) **Status of Letters of Comfort**

<table>
<tr><th colspan="2">जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण
Brief details of LOC issued</th><th>आकलित वित्तीय प्रभाव
Assessed Financial Impact</th></tr>
<tr><td>ए A</td><td>वर्ष के दौरान जारी Issued during the year</td><td rowspan="2">चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है ।
During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures</td></tr>
<tr><td></td><td>शून्य
NIL</td></tr>
<tr><td>बी</td><td colspan="2">बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है:-
1. The LOC issued by the Bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:-</td></tr>
<tr><td></td><td>ए) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख ।
a) Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors.</td><td>31 मार्च, 2023 को अनुषंगी कंपनी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) रु. 420.07 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं रु. 8.99 करोड़ हैं । (अर्थात् रु. 429.06 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2023 को इस अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत रु. 268.75 करोड़ है । इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता रु.160.31 करोड़ है । हालांकि, हम वर्तमान के लिए आश्वासन/गारंटी के उपर्युक्त पत्र के तहत देयता के क्रिस्टलीकरण की संभावना नहीं देखते हैं ।
As on 31st March 2023, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 420.07 Cr. and outside liabilities are INR 8.99 Cr. (i.e. total liabilities of INR 429.06 Cr). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2023 is INR 268.75 Cr. The net contingent liability on Parent Bank is INR 160.31 Cr in this regard. However, we do not foresee possibility of crystallization of liability under the above letter of comfort/ guarantee for the present.</td></tr>
<tr><td></td><td>बी) वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक - 'इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी)' में हमारे बैंक की 40% शेयरधारिता तक एलओसी जारी किया गया था —
b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia Upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB)'</td><td>31 मार्च, 2023 को आईआईबीएमबी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमा राशि के एवज में ऋण का निवल) रु. 489.43 करोड़ हैं और अन्य देयताएं रु. 3.85 करोड़ हैं । (अर्थात् रु. 493.28 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2023 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत रु. 598.45 करोड़ है । इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता शून्य है ।
As on 31st March 2023, the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 489.43 Cr and other liabilities are INR 3.85 Cr. (i.e. Total liabilities of INR 493.28 Cr). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2023 is INR 598.45 Cr. The net contingent liability on Parent Bank is NIL in this regard.</td></tr>
</table>

	सी) **आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा** के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्तूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया । c) LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for **IFSC, Gift City Branch**.	31 मार्च, 2023 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) रु. 17,781.17 करोड़ है, उधार रु. 1,107.42 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं रु. 7,039.95 करोड़ हैं । (अर्थात् रु. 25,928.54 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2023 को शाखा की निवल मालियत रु. 2,511.31 करोड़ है । आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं । इसलिए, **आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए आश्वासन पत्र को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।** As on 31st March 2023, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 17,781.17 Cr., borrowings are INR 1,107.42 Cr and outside liabilities are INR 7,039.95 Cr. (i.e. total liabilities of INR 25,928.54 Cr). The net worth of the branch as on 31st March 2023 is INR 2,511.31 Cr. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet. Therefore, **there is no requirement to recognize the Letter of Comfort, issued for IFSC Gift City Branch, as contingent liability of Bank.**

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी- 1 इस अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

(i) **पूर्व अवधि हेतु मद:**

इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे।

(ii) **लेखांकन नीति:**

बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम तैयार करने में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुपालन करना जारी रखा है, जिनका अनुपालन 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था। बैंक के अंतरराष्ट्रीय टेरीटरीज द्वारा किए गए विदेशी निवेशों के संबंध में डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन पर जारी मार्गदर्शी नोट के अनुसार विदेशी शाखाओं में निवल निवेश के लिए बकाया पूंजी हेजिंग सौदों के संबंध में बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए हेज लेखांकन को लागू किया है। अभी तक अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 तक ऐसे अनुबंधों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक -11 "विदेशी विनिमय दरों में प्रभारों का प्रभाव" के अनुसार किया जा रहा था।

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ ₹ 6,026 लाख बढ़ा और तिमाही के लिए ₹ 9,629 लाख घटा।

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the institute of Chartered Accountants of India

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of financial results for the quarter / year ended March 31, 2023 as followed in the previous financial year ended March 31, 2022. The Bank had, during the current financial year implemented the Hedge accounting for derivative contracts in respect of overseas investments made by International territories of the Bank and in respect of outstanding capital hedging deals towards net investments in overseas branches in accordance with the Guidance Note on Accounting for derivative contracts issued by Institute of Chartered Accountants of India. Hitherto, i.e. up to financial year 2021-22, the accounting for such contracts was being done as per Accounting Standard- 11. "The effects of charges in foreign exchange rates" issued by ICAI.

Consequent to this change, the profit for the year is higher by ₹ 6,026 lakhs and lower for the quarter by ₹ 9,629 lakhs.

बी-2 - एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व का संचलन

B-2 - AS 11- Changes in foreign exchange rates:
Movement of foreign currency translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
प्रारंभिक शेष Opening balance	3,381.91	3,061.06
वर्ष के दौरान जमा Credited during the year	811.99	320.85
वर्ष के दौरान आहरण Withdrawn during the year	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing Balance	4,193.90	3,381.91

बी -3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बी-3.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है.

बी-3.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों जो प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्जिट हो जाते हैं, को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक न्यास में अंशदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है। निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीएसओआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है।

बी-3.3 पेंशन

बी-3.3.1- बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('कर्मचारी') पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('कर्मचारी') पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है। कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है। बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है।

बी-3.3.2 नई पेंशन योजना पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

B-3.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-3.3 Pension

B-3.3.1- Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.3.2 New Pension Scheme- In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending

को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जिसका शुभारंभ बैंक ने संयुक्त नोट/ समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू किया है, जो दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है। निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है। हालांकि, 11वें द्विपक्षीय समझौते / 8वें संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार, बैंक के योगदान को 11 नवंबर 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

बी-3.4 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ग्रहण की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रुप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास द्वारा शासित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ चयनकर्ता के मामले में उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

बी-3.5 छुट्टी का नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण के लिए पात्र है।

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण के लिए पात्र है।

बी-3.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो।

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उन्होंने बैंक में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हो।

another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution is made by the Bank and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager. However, in terms of 11th BPS / 8th Joint Note dated 11.11.2020, Bank's contribution has been enhanced from 10% of pay plus dearness allowance to 14 % w.e.f. 11th November 2020.

B-3.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-3.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-3.6 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank of Baroda.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों।

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

बी-3.7 प्रकटीकरण

B-3.7 Disclosures

I. परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

I. Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	27,280.11	24,197.43	3,053.69	3,017.96
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	1,941.85	1,646.29	216.54	203.78
जोड़ें- पिछली सेवा लागत Add - Past Service Cost	-	-	-	-
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	2,358.55	1,730.05	212.09	285.19
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,569.33	2,344.90	340.54	414.27
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि / लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	269.02	2,051.23	(112.18)	(38.97)
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	29,280.20	27,280.10	3,029.60	3,053.69

बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष Opening Fair Value of plan assets	25,429.17	22,009.80	2,986.29	2,348.73
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न Add- Expected Return on Plan Assets	1,970.76	1,650.73	234.42	176.15
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	1,031.26	4,048.48	67.16	869.23
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,569.33	2,344.90	340.54	414.27
जोड़ें- बीमांकिक लाभ /(-) हानि Add- Actuarial gain/(-)loss	(165.92)	65.06	(41.65)	6.70
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष Closing Fair Value of Plan Assets	25,695.94	25,429.17	2,905.68	2,986.54

सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि

c) **Amount recognized in the Balance Sheet**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
i) परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष i) Closing Defined Benefit Obligation	29,280.20	27,280.10	3,029.60	3,053.69
ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष ii) Closing Fair Value of Plan Assets	25,695.94	25,429.17	2,905.68	2,986.54
iii) अंतर iii) Difference	3,584.26	1,850.93	123.92	67.15
iv) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता iv) Unrecognized transitional liability	(872.65)	(1,163.53)	0.00	0.00
v) तुलन-पत्र में मान्य देयता v) Liability Recognized in the BS	2711.61	687.40	123.92	67.15

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) **Amount recognized in the Profit & Loss Account**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
i) वर्तमान सेवा लागत i) Current Service Cost	2,358.55	1,730.05	212.09	285.19
ii) पूर्व सेवा लागत ii) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	1,941.85	1,646.29	216.54	203.78
iv) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न iv) Expected Return on Plan Assets	1,970.76	1,650.73	234.42	176.15
v) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-) v) Net Actuarial Loss/gain(-)	434.94	1,986.18	(70.29)	(45.67)
vi) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण vi) Transitional liability recognized in the year	290.88	(1,163.53)	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi) **Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi)**	3,055.46	2,548.26	123.92	267.15

ई) निवेश पैटर्न: (% में)

e) **Investment Pattern: (In %)**

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
I (सरकारी प्रतिभूतियां) I (Govt. Securities)	7.34	3.44	10.07	3.74
II (कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां) II (Corporate Securities)	11.00	8.08	10.02	4.86
III (अल्पकालिक प्रतिभूतियां) III (Short -term Securities)	-	-	-	-
IV (इक्विटी) IV (Equity)	2.45	1.11	2.55	0.20
बीमा Insurance	79.21	87.37	77.36	91.20
अन्य Others	-	-	-	-
कुल Total	100.00	100.00	100.00	100.00

एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

f) **Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]**

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
रियायती दर Discount rate	7.51%	7.15%	7.51%	7.25%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on plan Assets	7.75%	7.50%	7.85%	7.50%

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी * Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण
i) योजना में अधिशेष /कमी

g) Five year's disclosure for Pension
i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	13,675.83	22,441.86	24,197.43	27,280.10	29,280.20
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	13,462.89	21,846.22	22,009.80	25,429.17	25,695.94
iii.	**अंतर (ii-i) Difference (ii-i)**	**(212.94)**	**(595.64)**	**(2,187.63)**	**(1,850.93)**	**(3,584.26)**
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	(1,163.53)	(872.65)
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(212.94)	(595.64)	(2,187.63)	(687.40)	(2,711.61)

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षो का प्रकटीकरण
i) योजना में अधिशेष/ कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity
i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	1,596.49	2,669.40	3,017.96	3,053.69	3,029.60
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,187.30	2,174.14	2,348.73	2,986.54	2,905.68
iii.	**अंतर (ii-i) Difference (ii-i)**	**(409.19)**	**(495.26)**	**(669.23)**	**(67.15)**	**(123.92)**
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(409.19)	(495.26)	(669.23)	(67.15)	(123.92)

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व): संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समायोजन

II) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	1,807.26	1,712.75	289.93	290.43
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	129.16	113.12	20.59	19.71
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	259.09	250.19	6.02	6.20
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	174.84	304.96	31.50	37.21
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(128.90)	36.16	(9.84)	10.81
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	1,891.77	1,807.26	275.20	289.94

बी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
i) मौजूदा सेवा लागत i) Current Service Cost	259.09	250.19	6.03	6.20
ii) विगत सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	129.16	113.12	20.59	19.71
iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-) iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	(128.90)	36.16	(9.84)	10.81
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च Expenses Recognized in P&L	259.35	399.47	16.78	36.72

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारंभिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों) का समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/ (assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष i) Opening Defined Benefit Obligation	1,807.26	1,712.75	289.93	290.43
ii) निवल अधिग्रहण लागत ii) Net Acquisition Cost	-	-	-	-
iii) उपरोक्तानुसार व्यय iii) Expenses as above	259.35	399.47	16.78	36.72
iv) प्रदत्त लाभ iv) Benefit paid	174.84	304.96	31.50	37.21
v) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,891.77	1,807.26	275.20	289.94

डी) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022
रियायती दर Discount rate	7.51%	7.25%	7.51%	7.25%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

मॉर्टेलिटी दर: आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है।

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी- 4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. **प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -**

i. **ट्रेजरी**

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

B-4. Segment Reporting (Accounting Standard -17)

B-4.1 Segment Identification

I. **Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-**

i. **Treasury**

The Treasury Segment includes the entire

संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।

ii. **कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग**

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 7.50 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. **रिटेल बैंकिंग**

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 7.50 करोड़ तक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता के खाते शामिल हैं। रिटेल खंड के तहत डिजिटल बैंकिंग उप खंड भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शेष राशि को दर्शाता है।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन**

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) **गौण (भौगोलिक सेगमेंट)**

i) घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

III) **राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।**

IV. **आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन**

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन की आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट की आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।

सी) अन्य आय/ अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में अनाबंटित किया गया है।

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें अनाबंटित माना गया है।

investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **Corporate / Wholesale Banking**

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 7.50 Crores above.

iii. **Retail Banking**

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of upto ₹ 7.50 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directives.

iv. **Other Banking Operations**

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) **Secondary (Geographical Segment)**

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. **Segment revenue represents revenue from external customers.**

IV. **Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities**

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

बी- 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी B-4.2 Segment Information

भाग ए: कारोबार सेगमेंट Part A: Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking						अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
					डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)		अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)		कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)					
	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2021-22 FY: 2021-22
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	27,008.64	23,880.49	33,526.57	26,677.77	0.06		38,702.90		38,702.96	29,909.87	376.21	896.60	99,614.38	81,364.73
सेगमेंट परिणाम Segment Result	1,583.86	3,488.92	12,668.70	1,549.71	(3.65)		12,336.32		12,332.67	8,939.70	376.21	896.60	26,961.44	14,874.93
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense													7,234.80	5,488.49
कर पूर्व लाभ Profit before tax													19,726.64	9,386.44
घटाएं : कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax													5,617.02	2,114.16
विशिष्ट लाभ/हानि Extra-Ordinary Profit/Loss		-	-	-	-		-		-	-	-	-	.	-
निवल लाभ Net Profit													14,109.62	7,272.28
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	4,69,909.32	4,52,674.37	5,80,381.10	4,73,839.25	8.35		3,87,631.89		3,87,640.24	3,30,029.57	-	-	14,37,930.66	12,56,543.19
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets													20,630.89	21,456.64
कुल आस्तियां Total Assets													**14,58,561.55**	**12,77,999.83**
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	4,38,264.54	4,22,244.68	5,41,296.90	4,41,986.82	7.79		3,61,527.86		3,61,535.65	3,07,844.32	-	-	13,41,097.09	11,72,075.82
अनाबंटित देयताए Unallocated Liabilities													19,241.56	20,014.29
कुल देयताएं Total Liabilities													**13,60,338.65**	**11,92,090.11**

भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B – Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
	वि. .व.: 2022-23 FY: 2022-23	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2022-23 FY: 2022-23	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2022-23 FY: 2022-23	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22
राजस्व Revenue	92,028.38	78,067.24	7,586.00	3,297.49	99,614.38	81,364.73
आस्तियां Assets	14,14,840.31	10,90,875.73	43,721.24	1,87,124.10	14,58,561.55	12,77,999.83

बी-5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. **नैनीताल बैंक लिमिटेड**

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
7. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

iv) विदेशी गैर-बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड.(बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

बी) सहयोगी इकाइयां

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
7. Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
6. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)
7. IndiaFirst Life Insurance Company Limited

iv) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

b) Associatess

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) अन्य

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ii) **Others**

1. Indo Zambia Bank Limited

c) **Joint Ventures**

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India Infra debt Limited

d) **Key Management Personnel**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक / Remuneration 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	पारिश्रमिक / Remuneration 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
1	श्री संजीव चड्ढ़ा Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	49,03,881/-	40,46,242/-
2.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	43,21,279/-	35,71,195/-
3.	श्री देबदत्त चाँद Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	42,90,766/-	32,38,631/-
4.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (21.10.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 21.10.2021)	36,56,842/-	14,35,512/-
5.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 21.11.2022)	13,50,465/-	0.00
6.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची* Shri Vikramaditya Singh Khichi*	कार्यपालक निदेशक (31.07.2022 को सेवानिवृत्त) Executive Director (retired on 31.07.2022)	1,67,30,052/-	34,35,928/-
7.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक (31.08.2021 तक) Executive Director (upto 31.08.2021)	0.00	34,32,975/-

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित

*Includes retirement benefits

लेखो पर टिप्पणियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार ''राज्य नियंत्रित उद्यम'' हैं। साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण (प्रबंधन द्वारा समेकन के अनुसार)

E) Details of transactions with Related parties (as compiled by the Management)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मद/ संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	सहयोगी इकाइयां संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
उधार Borrowings	-	-	-	-	-	-
जमा Deposit	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों की प्लेसमेंट Placement of deposits	-	-	-	-	-	-
अग्रिम Advances	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	-	-	1,099.70			1,099.70
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्थाएं Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/ एचपी व्यवस्थाएं Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	74.48			74.48
उपचित ब्याज Interest accrued	-	-	36.94			36.94
सेवाओं का प्रतिपादन* Rendering of services	-	-				-
सेवाओं की प्राप्ति* Receiving of services	-	-				-
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32			10.32

बी-6 लेखांकन मानक -19 - "पट्टा"

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है।

B-6 Accounting Standard -19 – "Lease"

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च , 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च , 2022 को As on March 31, 2022
एक वर्ष से अधिक नहीं Not later than one year	149.99	63.84
एक वर्ष से अधिक व पांच वर्षों से अधिक नहीं Later than one year and not later than five years	176.69	242.19
पांच वर्षों से अधिक Later than five years	256.28	245.49
कुल Total	**582.96**	**551.52**

प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 806.89 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 768.07 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 806.89 Crores (Previous Year: ₹ 768.07 Crores)

बी-7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है।

B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या Number of share at the beginning of the year	517,13,62,179	517,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	0	0
वर्षांत पर शेयरों की संख्या Number of share at the end of year	517,13,62,179	517,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	517,13,62,179	517,13,62,179
वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नही NA	लागू नही NA
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	517,13,62,179	517,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	14,109.61	7,272.28
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	27.28	14.06
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	27.28	14.06
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- Face Value	₹ 2/- Face Value

बी-8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक -22)

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान की राशि

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

Amount of Provisions for Taxation during the year:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान Provision for Tax including deferred tax	5,205.01	1,499.66
जोड़ें/ (घटाएं) : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल Add/ (Less): Tax Provision relating to previous years	412.01	614.50
कर के लिए कुल प्रावधान Total provision for Tax	5,617.02	2,114.16

ए) **वर्तमान कर:**

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 2398.89 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 625.42 करोड़) नामे किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर:**

वर्ष के दौरान आस्थिगत कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 2806.12 करोड़ डेबिट किया गया है (विगत वर्ष: ₹ 874.24 करोड़ डेबिट किए गए)। बैंक की निवल आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) ₹ 6,579.63 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 9,348.63 करोड़ का निवल डीटीए) है।

a) **Current Tax:**

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹2,398.89 Crores (Previous Year ₹ 625.42 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid in foreign jurisdictions.

b) **Deffered Tax:**

During the year, ₹2,806.12 Crore has been Debited to Profit and Loss Account (Previous Year: ₹874.24 Crores Debited) on account of deferred tax. The Bank has a Net Deferred Tax Asset (DTA) of ₹ 6,579.63 Crores (Previous year: Net DTA of ₹ 9,348.63 Crores).

The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ए. घरेलू A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास में अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	187.10	187.99
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for fraud	157.78	146.69
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई) Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized and Realized)	560.09	336.33
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	478.70	457.89
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	8,100.89	10,625.10
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	83.37	82.77
कुल डीटीए Total DTA	**9,567.93**	**11,836.77**

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) **Deferred Tax Liabilities (DTL)**		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	1,942.51	1,867.00
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,392.80	1,097.77
कुल डीटीएल **Total DTL**	**3,335.31**	**2,964.77**
निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए) **Net Deferred Tax Assets (A)**	**6,232.62**	**8,872.00**
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन) **B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)**		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए) **Deferred Tax Assets (DTA)**		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच का अंतरर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	186.98	187.99
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	479.13	457.95
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	8,439.65	11,093.46
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित Foreign Currency Translation Reserve	560.09	336.33
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for Fraud	157.78	146.69
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	91.31	90.98
कुल डीटीए **Total DTA**	**9,914.94**	**12,313.40**
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) **Deferred Tax Liabilities (DTL)**		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	1,942.51	1,867.00
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,392.80	1,097.77
कुल डीटीएल **Total DTL**	**3,335.31**	**2,964.77**
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी) **Net Deferred Tax Assets (B)**	**6,579.63**	**9,348.63**

डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है। ₹ 13336.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6539.29 करोड़) की विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं।

Tax Paid in advance/ Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/ paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 13,336.42 Crores (previous year ₹ 6,539.29 Crores) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

बी-9 एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन

चूंकि अपनी सहबद्ध संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक - 24)

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी विदेशी टेरिटरी/ अनुषंगियों को बंद नहीं किया है।

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबन्धित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

B-9 AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements -

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard- 24)

During the Financial year 2022-23, the Bank has not closed any of its overseas territories/ subsidiaries.

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप Nature of Investments	स्वामित्व का % % of owner ship	
			31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया Malaysia	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.00%	40.00%
इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड India Infradebt Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.99%	40.99%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
देयताएं Liabilities		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि Capital & reserve	1,439.10	1,257.54
जमाएं Deposits	103.20	62.67
ऋण Borrowings	6,436.51	5,637.23
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & provisions	283.66	248.15
कुल Total	8,262.47	7,205.59
आस्ति Asset		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष Cash and Balances with RBI	2.09	0.76
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and Money at call and short notice	677.98	805.04
निवेश Investments	2,720.58	1,885.36

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	4,711.40	4,404.19
अचल आस्तियां Fixed Assets	1.41	1.72
अन्य आस्तियां Other Assets	149.01	108.52
कुल Total	8,262.47	7,205.59
अन्य आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	13.15	13.89
आय Income		
अर्जित आय Income Earned	637.80	570.27
अन्य आय Other Income	50.56	27.40
कुल Total	688.36	597.67
व्यय Expenditure		
ब्याज व्यय Interest expended	483.83	433.29
परिचालनगत व्यय Operating expenses	25.83	23.39
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय Provisions & contingencies	1.48	13.16
कुल Total	511.14	469.84
लाभ Profit	177.22	127.83

बी-12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक - 28)

एएस - 28 "आस्तियों की हानि" के अनुसार ₹1.43 करोड़ की राशि लाभ और हानि खाते में नामे की गई है, जिसमें वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है।

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक - 29):

बी-13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है।

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In terms of AS – 28 "Impairment of Assets" ₹ 1.43 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों का संचलन

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	162.81	194.26
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन Provided / Adjustment during the year	10.14	(31.45)
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि Amount Used during the year	-	-
31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	172.95	162.81
आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

बी) वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्तियां शामिल नहीं है।

B-13.2 आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं।

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है।

आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश ₹15.28 करोड़ में केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रकचर डेट फंड को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है।

सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता:

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है। वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है। मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है। ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक

a) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

b) Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

B-13.2 Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

Liability for partly paid investments of ₹15.28 Cr represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation and IL&FS infrastructure debt fund.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/ principal in two currencies, based on ruling spot rates.

नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है। वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है। विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं। मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है। आकस्मिक देयता की राशि संबंधित वायदा विनिमय और डेरिवेटिव संविदा के कल्पित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

डी) **संघटकों के पक्ष में दी गई गारंटी**

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, बैंक अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

ई) **स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व**

इसमें बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है।

एफ) **और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।**

सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान

इंटर ऑफिस समायोजन में शामिल लेखों के विभिन्न शीर्षों के नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों का दिनांक 31.03.2023 तक का प्रारंभिक मिलान कर लिया गया है जिनका समाधान प्रक्रियाधीन है। अनुषंगियों के बही खातों का मिलान, इंटरऑफिस खातों, माइग्रेशन खातों, एटीएम और एटीएम एजेंसी आदि के पास नकदी सहित अन्य ऑफिस खातों का पुष्टिकरण / रिकंसिलेशन आदि नियमित आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, उपरोक्त का, वित्तीय विवरणी पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होगा, वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

सी-2 निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी एवं एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है। 31 मार्च, 2023 तक ₹ 323.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.99 करोड़) के परिणामी मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d) **Guarantees given on behalf of constituents**

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) **Acceptances, endorsements and other obligations**

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) **And other items for which Bank is contingently liable.**

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2023, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts including cash in ATM & with ATM agency etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

C-2 Investments.

In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation of ₹ 323.74 Crores (Previous Year: ₹ 4.99 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account as on March 31, 2023.

सी-3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है।

सी-4 परिसर

सी-4.1 बैंक की कुल ₹168.72 करोड़ (पिछले वर्ष रू. 168.72 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

सी-4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास ₹1,249.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹729.70 करोड़) और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यह्रास ₹1,954.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,389.72 करोड़) है।

सी -5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों के अंतर्गत भूमि/आस्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण'

C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

C-4 Premises

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 168.72 Crores (Previous Year: ₹ 168.72 Crores).

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹1,249.38 Crores depreciation charged for FY 2022-23 (Previous year: ₹729.70. Crores) and Total depreciation charged during FY 2022-23 is ₹1,954.72 Crores (Previous Year: ₹1,389.72 Crores).

C – 5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि की राशि Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	51.95	51.95
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान Provisions held at the beginning of the year	51.95	54.96
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान Provisions made during the year by debiting profit and loss account	-	(3.01)
'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	-	-

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन सबसे पहले प्रभारों के लिए किया जाएगा उसके बाद ब्याज आय के लिए और अंत में बकाया मूलधन के लिए किया जाएगा।

सी-6 वर्ष के दौरान अदावाकृत लाभांश राशि ₹ 6.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4.69 करोड़) को अविलंब निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किया गया।

सी-7 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2023 को कुल ₹ 7336.98 करोड़ (कुल बकाये का 100%) का प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 7,656.31 करोड़ था जो कुल बकाये का 100%) किया है।

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

C-6 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is ₹ 6.20 Crores (Previous Year: ₹ 4.69 Crores).

C-7 **As per RBI letters no. DBR**No.BP.15199/ 21.04.048/ 2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹7,336.98 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2023 (Previous Year ₹ 7,656.31 Crores being 100% of total outstanding).

सी-8 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु ₹ 13.50 करोड़ का परिचालन खर्च (पिछले वर्ष: ₹ 8.29 करोड़) शामिल किया गया है।

बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक अंश के तौर पर ₹ 13.50 करोड़, पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का 1% का खर्च किया है। एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से खर्च की एक ऐसी नींव रखी है, जिस पर बैंक आगामी परियोजनाओं और साझेदारी का निर्माण कर सके। बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा।

सीएसआर हेतु संबंधित वर्ष के दौरान खर्च राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

C-8 Corporate social responsibility

Operating expenses include ₹ 13.50 Crores (previous year: ₹ 8.29 Crores) for the year ended March 31, 2023 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent total amount of ₹ 13.50 Crores upto 1% of the published profit of the Bank for the previous year, as part of its CSR for the year ended March 31, 2023. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement.

The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023			31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022		
	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
शिक्षा एवं प्रशिक्षण Education and training	11.08	-	11.08	7.10	-	7.10
स्वास्थ्य Health	0.38	-	0.38	0.91	-	0.91
समाज कल्याण Women Welfare	0.05	-	0.05	0.21	-	0.21
अन्य Others	1.99	-	1.99	0.07	-	0.07
कुल Total	**13.50**	**-**	**13.50**	**8.29**	**-**	**8.29**

₹13.50 करोड़ पिछले वर्ष के प्रकाशित शुद्ध लाभ के 1% तक और संड्री जमा खाते में सीएसआर निधि में व्यय के बाद शेष राशि शून्य है।

₹13.50 Crores upto 1% of published Net profit of previous year and ₹ Nil being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c.

सी - 9 गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में ₹ 1.50 करोड़ के पारिश्रमिक (पिछले वर्ष: ₹ 1.22 करोड़) का भुगतान किया गया।

C – 9 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2023 amounted to ₹ 1.50 Crores (Previous year: ₹ 1.22 Crores).

सी -10 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल-III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) सहित पिलर 3 प्रकटीकरणों को हमारी वेबसाइट "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii'' पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं।

C-10 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio, liquidity coverage ratio and Net stable funding ratio (NSFR) under the Basel- III framework are being made available on our website "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii". These disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank.

सी- 11 'अग्रिमों की रिस्ट्रक्चरिंग - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकबारगी रिस्ट्रक्चरिंग) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 और DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक रिस्ट्रक्चर किए गए एमएसएमई खातों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

C-11 **In accordance with RBI** Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 (as amended from time to time) on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on March 31, 2023 are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Borrowers	राशि Amount
77592	5,560.56

सी- 12 समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 और DOR.STR.REC.21/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक रिस्ट्रक्चर किए गए खातों का ब्यौरा निम्नानुसार

C-12-In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 (as amended from time to time) on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured as on March 31, 2023 are as under.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Borrowers	राशि Amount	प्रावधान Provision
12276	1,425.25	235.92

सी- 13 "**समाधान फ्रेमवर्क** - 2.0: वैयक्तिकों और छोटे व्यवसायियों के कोविड -19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. DOR.STR.REC.11/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन की मंजूरी प्रदान कर क्रियान्वित किया गया और 31 मार्च, 2023 तक ऐसे उधारकर्ताओं को दिया गया कुल एक्सपोजर निम्नानुसार हैं: -

C-13 **In accordance with the RBI** Cir.No.DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework -2.0 : Resolution of COVID-19 related stress of individual and small business" ,the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers as on 31.03.2023 is as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Borrowers	31.03.2023 तक राशि Amount as on 31.03.2023
5775	545.72

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर. नं. बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार व्यक्ति केवल व्यक्तिगत ऋण वर्ग को कवर करता है और अब भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 11/21.04.048/201-22 दिनांक 5 मई, 2021 के पैरा 5 (ए) में शामिल है।

लघु व्यवसाय (रिटेल व्यापार और थोक व्यापार सहित) को वैयक्तिकों के लिए विस्तारित किया गया है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर. सं. बीपी. बीसी./4/21.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत शामिल थे और अब भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के पैरा 5 (बी) में शामिल हैं।

(Individual covers only personal loan segment as per RBI circular No. DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in para 5 (a) of RBI circular No.DOR.STR.REC.11/21.04.048/201-22 dated May 5, 2021.

Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individual which were covered under MSME as per RBI circular No DOR.No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR. STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021).

सी-14 बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम तैयार करने में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुपालन करना जारी रखा है, जिनका अनुपालन 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था। बैंक के अंतरराष्ट्रीय टेरीटरीज द्वारा किए गए विदेशी निवेशों के संबंध में डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (जीएन) द्वारा जारी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन पर जारी मार्गदर्शी नोट के अनुसार विदेशी शाखाओं में निवल निवेश के लिए बकाया पूंजी हेजिंग सौदों के संबंध में बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए हेज लेखांकन को लागू किया है। अभी तक अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 तक ऐसे अनुबंधों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक -11 "विदेशी विनिमय दरों में प्रभारों का प्रभाव" के अनुसार किया जा रहा था।

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ ₹ 60.26 करोड़ बढ़ा।

सी-15 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

C-14 The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of financial results for the quarter / year ended March 31, 2023 as followed in the previous financial year ended March 31, 2022. The Bank had, during the current financial year implemented the Hedge accounting for derivative contracts in respect of overseas investments made by International territories of the Bank and in respect of outstanding capital hedging deals towards net investments in overseas branches in accordance with the Guidance Note on Accounting for derivative contracts issued by Institute of Chartered Accountants of India (GN). Hitherto, i.e. up to financial year 2021-22, the accounting for such contracts was being done as per Accounting Standard- 11. “The effects of charges in foreign exchange rates” issued by ICAI.

Consequent to this change, the profit for the year is higher by ₹ 60.26 Crore.

C-15 Previous year’s figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2023

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022
ए.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash flow from operating activities:**		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**19,72,664**	**9,38,644**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	1,95,473	1,38,972
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	1,70,403	55,898
	बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	4,35,052	14,81,598
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	52,750	(2,67,226)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)		Provision for Other items (Net)	55,485	29,971
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)		(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(1,071)	(406)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	1,93,520	1,95,799
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	(28,747)	(18,924)
	उप योग		**Sub total**	**30,45,529**	**25,54,326**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(47,27,243)	(54,26,918)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(1,68,19,361)	(85,67,064)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in other assets	1,55,411	5,57,071
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	33,550	36,41,276
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	1,57,74,923	78,94,163
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	11,07,502	1,74,231
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(5,36,686)	(74,231)
	परिचालन गतिविधियों (ए) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash flow from/(used in) operating activities (A)**	**(19,66,375)**	**7,52,854**

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022
बी.	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	B.	**Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(90,314)	(3,40,464)
	अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	17,446	11,333
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)		Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(1,12,158)	(86,492)
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	28,747	18,925
	निवेश संबंधी गतिविधियों (बी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash flow from/(used in) investing activities (B)**	**(1,56,279)**	**(3,96,698)**
सी.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	C.	**Cash flow from financing activities:**		
	शेयर पूंजी / शेयर आवेदन पूंजी/ शेयर प्रीमियम		Share Capital /Share application money/ Share premium	-	-
	गैर-जमानती गौण बॉन्ड		Unsecured Subordinated Bonds	(2,32,431)	63,860
	प्रदत्त लाभांश		Dividend paid	(1,46,570)	-
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	(1,93,520)	(1,95,799)
	वित्तपोषण गतिविधियों (सी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash flow from/(used in) financing activities (C)**	**(5,72,521)**	**(1,31,939)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि/ (कमी)		**Net increase/(decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**(26,95,175)**	**2,24,217**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	1,22,65,499	1,20,41,282
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the end of the year	95,70,324	1,22,65,499

टिप्पणी: / **Notes:**

1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल हैं।
   Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents

		31 मार्च 2023 को As on 31st March 2023	31 मार्च 2022 को As on 31st March 2022
नकदी एवं भा.रि.बैं. के पास शेष राशि	Cash & Balance with RBI	54,88,263	71,18,440
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	40,82,061	51,47,059
कुल	**Total**	**95,70,324**	1,22,65,499

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी नोट का समावेश है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 18 अंचल कार्यालयों, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2369 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों को शामिल करते हुए) और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 30 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है।

   तुलन-पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 6057 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों एवं केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों को शामिल करते हुए) के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं। इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिम का 18% और कुल जमाराशियों का 39%, ब्याज आय का 14% और ब्याज व्यय का 31% शामिल है।

   हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ("अधिनियम") के अनुरुप वांछित जानकारी देते हैं, जिससे कि वे बैंक स्तर पर और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के समनुरूप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) नोट के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे समुचित तरीके से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2023 को बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

बी) लाभ एवं हानि खाता, जो उसमें दिए गए नोट के साथ पठित है, लाभ संबंधी वास्तविक शेष को दर्शाता है; और

सी) नकदी प्रवाह विवरण संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु सही और उचित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''द आईसीएआई'') द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर जारी मानकों (''एसए'') के अनुसार की है। उन लेखापरीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचरण संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय वस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

ए) ₹1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की कुल राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में अनुसूची 18 की नोट सं. ए-13(एच)। बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹872.65 करोड़ के अपरिशोधित शेष व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 अनुसार शामिल किया है।

बी) अनुसूची 18 की नोट सं. ए-4 (जी) जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित ₹13.59 करोड़ के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में अगली तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है:

I. **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)**

बैंक के निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 64.51 प्रतिशत हैं, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, इनके मामलों में अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है।

निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख- रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक।

भारतीय रिज़र्व बैंक "आरबीआई" द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं।

व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ क्षेत्रों में अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित ऐसे एक्सपोजर पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

लेनदेन के स्वरूप, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा व्यावसायिक परिदृश्यों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आकलन/ निर्णय और प्रावधानों की गणना को ध्यान में रखते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभीष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय है।

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे:

ए) हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस, मूलभूत प्रक्रियाओं के स्वरूप, निर्धारित समय-सीमा के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

बी) हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की। हमें आबंटित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमने बड़ी राशि वाले अग्रिमों/ दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना के आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांककों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है।

सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई।

डी) लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं आने वाली शाखाओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न पर विश्वास किया गया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूने संबंधी आंकड़ों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बैंक की आंतरिक निगरानी प्रणाली/ प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा बैंक द्वारा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों/ विचलनों/ त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया।

ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान तथा आय का तदनुरूपी रिवर्सल की जांच की गई।

एफ) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है।

आई) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों में विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से लिंक अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्य करने पर या स्वतंत्र रूप से काम करने पर अत्यधिक निर्भर हैं।

हमारा ध्यान सिस्टम में फीड करने, माइग्रेट किए गए डेटा की सत्यता, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एक्सेस प्रबंधन और ड्यूटी के विभाजन के तर्क पर केन्द्रित रहा है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, स्पष्ट और निगरानी में हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी तैयार कर सके जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग में लायी जाती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दैनिक आधार पर बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं अत्यंत व्यापक होती हैं तथा विविध एवं जटिल लेनदेन की प्रक्रिया संपादित करती हैं जो आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। एक ऐसा जोखिम हो सकता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से परिचालित नहीं किया गया हो। अतः इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी एप्लिकेशनों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है और टेस्ट परीक्षण के आधार पर सिस्टम से जनरेट की गई रिपोर्ट/ रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी सिस्टम की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पुष्टि, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण व्यवस्था और महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को समझा जो कि लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

बी) बैंक के आईटी नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें एप्लिकेशन, एक्सेस नियंत्रण शामिल हैं जो परीक्षण जांच आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्णय लिया, वहां हम मैन्युअल वैकल्पिक नियंत्रणों पर निर्भर रहे जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्त्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूने के आकार को विस्तार दिया है।

डी) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां (एमओसी) पर भरोसा किया गया।

ई) बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा जहां कहीं भी उपलब्ध कराया गया है।

एफ) आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 24.85% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूप अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं।

गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है।

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक संकेन्द्रण की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है ;

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है;

बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

सी) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है।

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है;

ई) हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

बैंक ने उक्त संबंध में दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।

लेखा परीक्षक की प्रतिक्रियाएं

मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है।

बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है।

सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है।

डी) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चयनित किए गए मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/ बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है।

ई) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है।

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है।

जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है।

एच) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा शाखा लेखा परीक्षा/ अतिरिक्त सूचना के आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

5. अन्य मामले

ए) हमने 2369 घरेलू शाखाओं और 30 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5,45,776 करोड़ की कुल आस्तियां और ₹ 33,642 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में निर्धारित किया गया है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2023 तक कुल अग्रिमों का 47%, कुल जमा का 57% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 58% तथा 31 मार्च, 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 32% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।

बी) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म हैं और उन्होंने अपनी 31 मई, 2022 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर अन्य जानकारियां और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बेसेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो। बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जवाबदेह है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य इस आशय का पर्याप्त भरोसा प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है, उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त

करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर अधिक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

वस्तुनिष्ठता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकार यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियां सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं।

10. उपर्युक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के अनुसार हैं;

सी) बैंकिंग विनियमनन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है।

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

ए) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है;

बी) बैंक के वित्तीय लेनदेन या मामले जो बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर हमारी कोई टिप्पणी या राय नहीं है।

सी) जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी) खातों के रख-रखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई क्वालिफिकेशन प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है। हमारी रिपोर्ट में यथा 31 मार्च, 2023 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त किया गया है।

कृते आर. देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 23074392BGXJOO6991

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:009096C

(अभिषेक महेश्वरी)
साझेदार
एम नं.: 402561
यूडीआईएन: 23402561BGXKOB9653

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000590C

(ओम प्रकाश व्यास)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 23014081BGSAQR8200

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049W

(पंकज जैन)
साझेदार
एम नं.: 048850
यूडीआईएन: 23048850BGSZNX9288

कृते एस वेंकटराम एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004656S/S200095

(एस सुंदररमण)
साझेदार
एम नं.: 201028
यूडीआईएन: 23201028BGVYPV2283

दिनांक: 16 मई, 2023
स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैराग्राफ 12 ई में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र सं डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई का पत्र") के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **बैंक ऑफ बड़ौदा** (बैंक) के दिनांक 31 मार्च, 2023 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है जोकि वर्ष की समाप्ति के लिए उस तारीख को बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के अनुक्रम में है, जिनमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान "आईसीएआई" द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग "मार्गदर्शन नोट" पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जोकि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण इसमें भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गंभीरता कमजोर हो सकती हैं।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर" प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट में 2399 शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

कृते आर. देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

(**नीरज गोलस**)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 23074392BGXJOO6991

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:009096C

(**अभिषेक महेश्वरी**)
साझेदार
एम नं.: 402561
यूडीआईएन: 23402561BGXKOB9653

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000590C

(**ओम प्रकाश व्यास**)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 23014081BGSAQR8200

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049W

(**पंकज जैन**)
साझेदार
एम नं.: 048850
यूडीआईएन: 23048850BGSZNX9288

कृते एस वेंकटराम एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004656S/S200095

(**एस सुंदररमण**)
साझेदार
एम नं.: 201028
यूडीआईएन: 23201028BGVYPV2283

दिनांक: 16 मई, 2023
स्थान: मुंबई

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Bank of Baroda** (the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2023, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of the Head office, 18 Zonal offices, 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 2369 domestic branches audited by the respective Statutory Branch Auditors and 30 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (**'RBI'**).

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 6057 domestic branches (including other accounting units and Centralized Processing Centres) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 18 % of advances, 39 % of deposits, 14% of interest income and 31 % of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (**the "Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and :

a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;

b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit ; and

c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibility under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard , and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to the following:

a) Note No. A-13 (h) of Schedule 18 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended 31st March, 2023 and the balance unamortized expense of ₹ 872.65 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

b) Note No. A-4 (g) of Schedule 18 relating to deferment of provision of ₹13.59 Crores pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2023 and to be charged to the Profit & Loss Account in the subsequent quarters, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)

   The net advances of the Bank constitute 64.51 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of

advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

<u>Auditors' Responses</u>

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following :

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. **Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting**

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which

are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 24.85 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended 31st March, 2023 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17

to the financial statements):

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

5. Other Matters

a) We did not audit the financial Statements/financial information of 2369 domestic branches and 30 foreign branches whose financial statements reflects total Assets of ₹ 545776 Crores and total revenue of ₹ 33642 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 47% of total advances, 57 % of total deposits and 58% of Non-Performing assets as at 31st March, 2023 and 32% of revenue for the year ended on 31st March, 2023. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

b) The Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2022 were audited by the joint central statutory auditors, two of which are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial statements vide their report dated 31st May, 2022.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law

or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated 19th May, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in **Annexure 'A'** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at 31st March, 2023.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 23074392BGXJOO6991

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Abhishek Maheshwari)
Partner
M. No.: 402561
UDIN: 23402561BGXKOB9653

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(Om Prakash Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 23014081BGSAQR8200

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

(Pankaj Jain)
Partner
M. No.:048850
UDIN:23048850BGSZNX9288

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095

(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028
UDIN: 23201028BGVYPV2283

Date : 16th May, 2023
Place : Mumbai

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)

Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Bank of Baroda** (the "Bank") as of 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements , assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements .

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at 31st March, 2023, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 2399 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W
(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 23074392BGXJOO6991

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C
(Abhishek Maheshwari)
Partner
M. No.: 402561
UDIN: 23402561BGXKOB9653

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C
(Om Prakash Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 23014081BGSAQR8200

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W
(Pankaj Jain)
Partner
M. No.:048850
UDIN:23048850BGSZNX9288

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095
(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028
UDIN: 23201028BGVYPV2283

Date : 16th May, 2023
Place : Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं।

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2023 contain unmodified opinion.

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

दिनांक: 16.05.2023
Date: 16.05.2023
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

स्टैन्डअलोन सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- स्टैन्डअलोन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:

ए. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं हैं।

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है।

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. अवधि के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 16.05.2023
स्थान: मुंबई

Standalone CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2023- Standalone

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed Standalone financial statements for the quarter/full year ended March 31, 2023 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Date : 16.05.2023
Place : Mumbai

दिनांक 31 मार्च, 2023 की समेकित तुलन पत्र
Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
पूंजी एवं देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**1035,53,36**	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**104019,18,32**	90832,55,05
माइनोरिटी इंटरेस्ट	Minority Interest	2A	**994,59,01**	757,78,01
जमा	Deposits	3	**1234682,00,08**	1075804,43,93
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**107910,15,54**	109526,10,78
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**77237,50,98**	62180,67,62
कुल	TOTAL		**1525878,97,29**	1340137,08,75
आस्तियां	**ASSETS**			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**56696,21,14**	72774,94,08
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**45677,17,74**	57453,65,54
निवेश	Investments	8	**397487,23,37**	347587,09,61
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	**963651,83,39**	797280,93,73
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**8956,79,46**	10188,06,32
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**52498,94,29**	53941,61,57
समेकन पर सुनाम	Goodwill on Consolidation		**910,77,90**	910,77,90
कुल	TOTAL		**1525878,97,29**	1340137,08,75
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**581568,05,36**	405792,13,45
वसूली हेतु बिल	Bills for Collection		**67927,62,92**	64912,50,72
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अजय के खुराना
कार्यपालक निदेशक

देबदत्त चाँद
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक

ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

पंकज खत्री
उप महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

साई गणेश उज्जिना
उप महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर. देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

कृते दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009096C

कृते व्यास एण्ड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000590C

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105049W

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004656S

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम. नं. : 074392

(अभिषेक महेश्वरी)
साझेदार
एम. नं. : 402651

(ओम प्रकाश व्यास)
साझेदार
एम. नं. : 014081

(पंकज जैन)
साझेदार
एम. नं. : 048850

(एस सुंदररमन)
साझेदार
एम. नं. : 201028

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2023

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022
I. आय	**I. INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**94138,60,84**	73385,45,60
अन्य आय	Other Income	14	**16639,36,85**	14394,73,12
कुल	**TOTAL**		**110777,97,69**	87780,18,72
II. व्यय	**II. EXPENDITURE**			
खर्च ब्याज	Interest Expended	15	**49942,16,89**	38815,47,31
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**30644,46,35**	24838,79,23
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		**15503,46,89**	16425,69,10
कुल	**TOTAL**		**96090,10,13**	80079,95,64
माइनोरिटी इंटरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ एवं सहयोगियों से आय का हिस्सा	**Consolidated Profit before Minorities' Interest and share of earning in Associates**		**14687,87,56**	7700,23,08
सहयोगियों से आय का हिस्सा	Share of earnings in Associates	17	**317,33,79**	232,75,12
माइनोरिटी इंटरेस्ट में कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ	**Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities' interest**		**15005,21,35**	7932,98,20
घटाएं: माइनोरिटी इंटरेस्ट	Less : Minorities' Interest		**100,01,05**	83,28,96
समूह हेतु स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ	**Consolidated Profit for the year attributable to the group**		**14905,20,30**	7849,69,24
आगे लायी गई लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		**1786,78,41**	(9650,81,24)
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	**Amount available for appropriation**		**16691,98,71**	(1801,12,00)
III. विनियोजन	**III. Appropriations**			
शेयर प्रीमियम से अंतरण	Transfer from Share Premium		**-**	(11048,44,21)
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**3583,87,77**	1831,19,24
पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**229,51,91**	512,46,60
धारा 36 (1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		**300,00,00**	250,00,00
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		**7614,73,21**	1024,61,96
निवेश में उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		**30,00,00**	2368,42,17
निवेश प्रारक्षित निधि खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		**3,33,23**	-
प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend		**2844,24,92**	1473,83,83
समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		**2086,27,67**	1786,78,41
कुल	**TOTAL**		**16691,98,71**	(1801,12,00)
प्रति शेयर मूल आय (₹)	**Basic Earnings per Share (₹)**		**28.82**	15.18
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)	**Diluted Earnings per Share (₹)**		**28.82**	15.18
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखा संबंधी नोट	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Sanjiv Chadha Managing Director & CEO	**Ajay K Khurana** Executive Director	**Debadatta Chand** Executive Director	**Joydeep Dutta Roy** Executive Director	**Lalit Tyagi** Executive Director
Ian Desouza Chief Financial Officer		**Pankaj Khatri** Dy. General Manager Corporate Accounts & Taxation		**Sai Ganesh Ujjina** Dy. General Manager Corporate Accounts & Taxation

As per our Report of even date attatched.

For R. Devendra Kumar & Associates Chartered Accountants FRN: 114207W	**For Dassani & Associates** Chartered Accountants FRN: 009096C	**For Vyas & Vyas** Chartered Accountants FRN: 000590C	**For Khandelwal Jain & Co** Chartered Accountants FRN: 105049W	**For S Venkatram & Co LLP** Chartered Accountants FRN: 004656S
(Neeraj Golas) Partner M. No.: 074392	**(Abhishek Maheshwari)** Partner M. No.: 402651	**(Om Prakash Vyas)** Partner M. No.: 014081	**(Pankaj Jain)** Partner M. No.: 048850	**(S Sundarraman)** Partner M. No.: 201028

Place: Mumbai
Date: May 16, 2023

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

हिंदी	English	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**				
प्राधिकृत -पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**				
(प्रति ₹ 2/- के 1,500,00,00,000 शेयर) (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर)	1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each)		**3000,00,00**		3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**				
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2 के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)		**1037,00,59**		1037,00,59
मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**				
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं. (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ की राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)		**1034,27,24**		1034,27,24
जोड़े: **जब्त किए गए शेयर** 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500) इक्विटी शेयर	Add: **Forfeited Shares** 136,67,500 (P.Y. 136,67,500) equity shares		**1,26,12**		1,26,12
कुल	**TOTAL**		**1035,53,36**		1035,53,36
अनुसूची - 2 प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	**SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS**				
I **सांविधिक आरक्षित निधियां**	I **Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**15488,33,64**		13647,98,24	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**3583,87,77**		1831,19,24	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**(9,11,28)**	**19063,10,13**	9,16,16	15488,33,64
II ए) प्रारक्षित पूंजी (पुर्नमूल्यांकित आरक्षित निधि ₹ 5888.42 करोड़ सहित (पिछली अवधि में ₹7115.32 करोड़)	II a) Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹5888.42 crore (Previous periods ₹7115.32 crore)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**15151,90,62**		12730,95,25	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**229,51,91**		512,46,60	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**(1390,89,71)**	**13990,52,82**	1908,48,77	15151,90,62

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

			31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
बी समेकन पश्चात आरक्षित पूंजी	b) Capital Reserve on Consolidation					
प्रारंभिक शेष	Opening Balance		**71,66,10**		(31,77,93)	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year		**1,87,29**	**73,53,39**	103,44,03	71,66,10
III **शेयर प्रीमियम**	III	**Share Premium**				
प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**31430,95,22**		42608,89,20	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन		Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**-**	**31430,95,22**	(11177,93,98)	31430,95,22
IV **राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**	IV	**Revenue & Other Reserves**				
ए धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)					
प्रारंभिक शेष	Opening Balance		**6669,18,84**		6419,18,84	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year		**300,00,00**	**6969,18,84**	250,00,00	6669,18,84
बी रूपांतरित प्रारक्षित निधियां	b) Translation Reserve			**4711,58,47**		3743,09,81
सी पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	c Capital Hedge Reserve			**160,89,25**		-
डी निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	d) Investment Reserve Account					
प्रारंभिक शेष	Opening Balance		**1,03,28**		3,98,04	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year		**3,33,22**	**4,36,50**	(2,94,76)	1,03,28
निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	e) Investment Fluctuation Reserve					
प्रारंभिक शेष	Opening Balance		**2409,87,36**		33,47,75	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year		**31,07,01**	**2440,94,37**	2376,39,61	2409,87,36
ई राजस्व प्रारक्षित निधि	f) Revenue Reserves					
प्रारंभिक शेष	Opening Balance		**14079,71,77**		12187,71,34	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts		**7614,73,20**		1016,64,52	
जोड़े: अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year		**1393,36,69**	**23087,81,66**	875,35,91	14079,71,77
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	V	Balance in Profit & Loss Account		**2086,27,67**		1786,78,41
कुल प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष (I से V)		**Total Reserves & Surplus (I to V)**		**104019,18,32**		90832,55,05

अनुसूची - 2 ए माइनोरिटी इंटरेस्ट
SCHEDULE - 2A MINORITY INTEREST

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**757,78,01**		436,19,61	
जोड़े /(घटाएं): अवधि के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	**236,81,00**	**994,59,01**	321,58,40	757,78,01
कुल माइनोरिटी इंटरेस्ट	Total Minority Interest		**994,59,01**		757,78,01

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 3 जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**				
ए. I मांग जमाराशियां	**A. I Demand Deposits**				
i) बैंकों से	i) From Banks	3990,17,73		3379,63,28	
ii) अन्य से	ii) From Others	102409,85,84	106400,03,57	87690,41,64	91070,04,92
II बचत बैंक जमाराशियां	**II Savings Bank Deposits**		378078,90,39		351551,48,96
III मीयादी जमाराशियां	**III Term Deposits**				
i) बैंकों से	i) From Banks	58624,67,07		59737,36,35	
ii) अन्य से	ii) From Others	691578,39,05	750203,06,12	573445,53,70	633182,90,05
कुल (I, II एवं III)	TOTAL (I, II & III)		1234682,00,08		1075804,43,93
बी I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	**B. I Deposits of branches in India**	1054710,47,48		934233,52,23	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	**II Deposits of branches outside India**	179971,52,60		141570,91,70	
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	1234682,00,08		1075804,43,93	

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I भारत में उधार ली गयी राशियां	**I Borrowings in India**				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	2429,00,00		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	11591,89,48		5984,64,11	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	60179,30,21		72610,72,10	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	12355,00,00		11231,00,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	11116,93,99		12172,52,25	
vi) दिर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	1000,00,00	98672,13,68	-	101998,88,46
II भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	**II Borrowings outside India**		9238,01,86		7527,22,32
कुल (I और II)	Total - (I & II)		107910,15,54		109526,10,78
उपरोक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार ली गयी राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		44295,96,25		64435,57,11

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च, 2023 तक As at 31st March 2023		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022	
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान	**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**				
I देय बिल	I Bills Payable		**4109,05,84**		4040,96,05
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		**5671,84,49**		4465,91,30
III अंतर कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments		**2428,09,73**		1681,09,80
IV आस्थगित कर देयता	IV Deferred Tax Liabilities		**8,13,39**		16,08,67
V मानक अग्रिमें की एवज में आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances		**7743,71,98**		7050,35,35
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)#		**57276,65,55**		44926,26,46
कुल (I से VI)	**Total (I to VI)**		**77237,50,98**		62180,67,62

बीमा पॉलिसी देयताएं एवं लिंक्ड देयताएं हेतु प्रावधान ₹ 19720.62 करोड़ शामिल (पिछले वर्ष ₹ 17556.08 करोड़)

Includes Insurance Policy Liabilities & Provision for Linked Liabilities ₹ 19720.62 crore (Previous year ₹ 17556.08 crore)

		31 मार्च, 2023 तक As at 31st March 2023		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022	
अनुसूची - 6 नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**				
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		**3932,46,64**		4566,23,03
II भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्रीय बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	**52261,38,84**		51638,85,73	
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Account	**502,35,66**	**52763,74,50**	16569,85,32	68208,71,05
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**		**56696,21,14**		72774,94,08

		31 मार्च, 2023 तक As at 31st March 2023		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022	
अनुसूची - 7 बैंक में शेष राशि और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**				
I भारत में	**I In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खाते में	a) in Current Accounts	**178,41,65**		284,19,11	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**7407,39,62**	**7585,81,27**	7145,91,49	7430,10,60
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice				
ए) बैंकों के पास	a) with Banks	**-**		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) with Other institutions	**50,00,00**	**50,00,00**	131,90,00	131,90,00
कुल (i और ii)	**TOTAL (i and ii)**		**7635,81,27**		7562,00,60
II भारत से बाहर	**II Outside India**				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	**20930,57,31**		31845,16,75	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**6348,10,40**		5713,03,20	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	**10762,68,76**		12333,44,99	
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**38041,36,47**		49891,64,94
कुल (I और II)	**Grand Total (I and II)**		**45677,17,74**		57453,65,54

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 8 निवेश	**SCHEDULE - 8 INVESTMENTS**				
I भारत में निम्नलिखित में निवेश	**I Investments in India in**				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	**322308,60,32**		279940,77,03	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	**10251,30,54**		8823,36,29	
iii) शेयर	iii) Shares	**6300,20,48**		6182,63,55	
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	iv) Debentures and Bonds	**30174,04,62**		22886,31,01	
v) सहयोगियों में निवेश	v) Investment in Associates	**1723,84,91**		1452,65,36	
vi) अन्य	vi) Others	**1750,75,51**		2323,88,69	
कुल (i से vi)	**Total (i to vi)**		**372508,76,38**		321609,61,93
II भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश	**II Investments Outside India in**				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	**17510,77,45**		16220,57,58	
ii) सहयोगियों में निवेश	ii) Investment in Associates	**159,05,79**		120,25,22	
iii) अन्य	iii) Others	**7308,63,75**		9636,64,88	
कुल (i से iii)	**Total (i to iii)**		**24978,46,99**		25977,47,68
कुल (I और II)	**Grand Total (I & II)**		**397487,23,37**		347587,09,61
III भारत में निवेश	**III Investments in India**				
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	**376863,66,89**		325605,15,96	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**4354,90,51**		3995,54,03	
भारत में निवल निवेश	**Net Investments in India**	**372508,76,38**		321609,61,93	
IV भारत के बाहर निवेश	**IV Investments outside India**				
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	**26876,22,83**		27047,48,98	
मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**1897,75,84**		1070,01,30	
बाहरी निवल निवेश	**Net Investments outside**	**24978,46,99**	**397487,23,37**	25977,47,68	347587,09,61

अनुसूची - 9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 ADVANCES**				
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		**33728,52,74**		23126,06,78
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		**327805,34,95**		305164,95,20
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		**602117,95,70**		468989,91,75
कुल (i से iii)	**Total (i to iii)**		**963651,83,39**		797280,93,73

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
बी i)	मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋणों के पेटे अग्रिम शामिल)	B. i)	Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	676632,93,07		591849,38,82	
ii)	बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii)	Covered by Bank/ Government Guarantees	88351,63,99		69114,41,74	
iii)	गैर जमानती	iii)	Unsecured	198667,26,33		136317,13,17	
	कुल (i से iii)		Total (i to iii)		963651,83,39		797280,93,73
सी. I	भारत में अग्रिम	C. I	Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र		i. Priority Sector	265748,28,84		232728,91,56	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र		ii. Public Sector	115533,99,23		119119,00,00	
	iii) बैंक		iii. Banks	1076,70,37		2271,06,47	
	iv) अन्य		iv. Others	405327,89,67	787686,88,11	308600,97,90	662719,95,93
II	भारत से बाहर अग्रिम	II	Advances Outside India				
i	बैंकों से देय	i	Due from Banks	53200,84,25		34947,25,47	
ii	अन्य से देय	ii	Due from Others				
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		a) Bills Purchased & Discounted	6845,17,13		3669,27,30	
	बी) सिंडीकेट ऋण		b) Syndicated Loans	80064,73,06		58592,12,27	
	सी) अन्य		c) Others	35854,20,84	175964,95,28	37352,32,76	134560,97,80
	कुल (सी.I + सी.II)		TOTAL (C.I +C.II)		963651,83,39		797280,93,73

अनुसूची - 10 अचल आस्तियां
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS

I	परिसर	I	Premises				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding year	12359,79,97		10190,75,20	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the year	115,59,40		2244,37,18	
				12475,39,37		12435,12,38	
	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)		Deductions/adjustments during the year (Includes revalued amount)	19,22,17		44,28,89	
				12456,17,20		12390,83,49	
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास		Depreciation to date	7040,15,47	5416,01,73	5778,12,58	6612,70,91
	निर्माणाधीन परिसर	I A	Premises under construction		77,88,46		130,79,66

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2022	
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)**	II	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :**				
	पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding period	9443,26,03		8698,80,05	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the period	914,80,34		922,16,40	
				10358,06,37		9620,96,46	
	अवधि के दौरान कटौतियां		Deductions during the year	374,14,68		210,33,24	
				9983,91,68		9410,63,21	
	आज की तारीख में मूल्यह्रास		Depreciation to date	8254,20,08	1729,71,61	7736,07,90	1674,55,31
II ए	**पट्टे पर दी गई आस्तियां**	II A	**Leased Assets**				
	पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding period	2009,16,98		1523,31,21	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the period	3,15,74		-	
				2012,32,72		1523,31,21	
	वर्ष के दौरान प्रावधान सहित कटौतियां		Deductions during the year incl. Provisions	-		(487,45,05)	
				2012,32,72		2010,76,26	
	आज की तारीख में मूल्यह्रास		Depreciation to date	282,02,55	1730,30,17	241,32,24	1769,44,02
	कुल (I, IA, II और IIA)		**TOTAL (I, IA, II AND IIA)**		8953,91,97		10187,49,90
III -	पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (पट्टे पर आस्तियों सहित) प्रावधानों के निवल	III -	Capital-Work-in progress (Including Leased Assets) net of Provisions		2,87,49		56,42
	कुल(I, IA, II, IIA और III)		**TOTAL (I, IA, II,IIA AND III)**		8956,79,46		10188,06,32

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

				31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2022
I	उपचित ब्याज	I	Interest Accrued	13310,32,27	9668,92,15
II	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II	Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)	7286,94,84	7545,66,33
III	लेखन सामग्री एवं स्टांप	III	Stationery and Stamps	8,04,61	8,45,34
IV	दावों की संतुष्टि पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	IV	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
V	आस्थगित कर आस्तियां	V	Deferred Tax assets	6672,77,02	9408,29,59
VI	अन्य	VI	Others	25220,85,55	27310,28,16
	कुल (I से VI)		**TOTAL (I to VI)**	52498,94,29	53941,61,57

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

					31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं		**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**					
I	दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I	Claims not acknowledged as debts		**32367,80,03**		22099,25,62
II	आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II	Liability for partly paid Investments		**15,28,00**		15,28,00
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**327199,36,69**		169213,20,76
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV	Guarantees given on behalf of constituents :				
	ए) भारत में		a) In India	**51004,37,43**		44087,96,62	
	बी) भारत से बाहर		b) Outside India	**10395,35,39**	**61399,72,82**	7704,40,89	51792,37,51
V	स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V	Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**31239,14,40**		29524,30,80
VI	आकस्मिक देयताएं की अन्य मदें	VI	Other items of contingent liability		**129346,73,42**		133147,70,76
	कुल (I से VI)		**TOTAL (I to VI)**		**581568,05,36**		405792,13,45

समेकित लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज और लाभांश		**SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**			
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ डिस्काउंट	I	Interest/Discount on Advances/ Bills	**65776,50,86**	50750,66,44
II	निवेशों पर आय	II	Income on Investments	**24801,05,59**	19536,06,91
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	**1613,70,19**	1138,28,54
IV	अन्य	IV	Others	**1947,34,20**	1960,43,71
	कुल (I से IV)		**TOTAL (I to IV)**	**94138,60,84**	73385,45,60

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

अनुसूची 14 / SCHEDULE - 14
अन्य आय / OTHER INCOME

			31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
I	कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	Commission, Exchange and Brokerage		3099,70,79		2897,15,51
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Investments	2042,23,98		3246,95,27	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	506,27,47	1535,96,51	191,31,53	3055,63,74
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	Profit on Revaluation of Investments	52,45,52		(8,92,32)	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less: Loss on revaluation of Investments	1531,07,86	(1478,62,34)	1036,20,43	(1045,12,75)
IV	भूमि, इमारतों, और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	16,77,56		8,90,68	
	घटाएं: भूमि, इमारतों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	2,44,49	14,33,07	4,67,23	4,23,45
V	विनिमय लेनदेन पर लाभ	Profit on Exchange Transactions	1143,10,04		1187,66,69	
	घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	452,75,12	690,34,92	1,75,57	1185,91,12
VI	अर्जित प्रीमियम	Premium earned		5972,32,34		2193,49,03
VII	ए) लीज वित्तपोषण आय	a) Lease Finance Income		-		-
	बी) लीज प्रबंधन शुल्क	b) Lease Management Fee		-		-
	सी) अतिदेय प्रभार	c) Overdue Charges		-		-
	डी) लीज किराए प्राप्तियों पर ब्याज	d) Interest on lease rent receivables	7	7	92,60	92,60
VIII	विविध आय	Miscellaneous Income#		6805,31,49		6102,50,42
	कुल (I से VIII)	**TOTAL (I to VIII)**		16639,36,85		14394,73,12

विविध आय में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में हुई वसूली ₹ 3312.23 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 2510.13 करोड़)

Miscellaneous income includes Recoveries made in write off accounts of ₹ 3312.23 crore (Previous year ₹ 2510.13 crore)

अनुसूची - 15 / SCHEDULE - 15
खर्च किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED

			31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
I	जमाराशियों पर ब्याज	Interest on Deposits	42888,16,17	34413,94,88
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	4418,23,13	1738,95,99
III	अन्य	Others	2635,77,59	2662,56,44
	अन्य (I से III)	**TOTAL (I to III)**	49942,16,89	38815,47,31

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

			31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय		**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**				
I कर्मचारियों को भुगतान व तत्संबंधी प्रावधान	I	Payments to and Provisions for Employees		**14342,72,85**		12643,83,09
II किराया, कर और बिजली	II	Rent, Taxes and Lighting		**1674,91,43**		1552,61,59
III प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III	Printing and Stationery		**173,95,29**		129,37,17
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV	Advertisement and Publicity		**532,93,87**		314,31,66
V ए) लीज की गई आस्तियों को छोड़कर बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V	a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	**1981,20,45**		1400,48,61	
बी) लीज की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास		b) Depreciation on Leased Assets	**50,65,23**	**2031,85,68**	37,75,40	1438,24,01
VI निदेशकों की फीस एवं व्यय	VI	Directors' Fees, Allowances and Expenses		**7,55,07**		5,62,34
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		**91,94,18**		90,62,94
VIII विधि प्रभार	VIII	Law Charges		**241,71,56**		203,47,11
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX	Postages, Telegrams, Telephones etc.		**205,06,12**		151,20,13
X मरम्मत एवं रखरखाव	X	Repairs and Maintenance		**1051,55,58**		1012,31,94
XI बीमा	XI	Insurance		**1542,03,83**		1400,36,80
XII सुनाम का परिशोधन	XII	Amortisation of Goodwill		**8,12,34**		-
XIII अन्य खर्च	XIII	Other Expenditure#		**8740,08,55**		5896,80,45
कुल (I से XIII)		**TOTAL (I to XIII)**		**30644,46,35**		24838,79,23

अन्य खर्चों में पॉलिसी शेयरधारकों को प्रदत्त लाभ ₹ 3730.54 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹1763.86 करोड़)

Other Expenditure includes Benefits Paid to Insurance Policy Holders of ₹ 3730.54 crore (Previous year ₹ 1763.86 crore)

			31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022
अनुसूची - 17 सहयोगियों से अर्जित आय का हिस्सा		**SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES**		
I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	I	RRB's	**271,19,55**	207,92,29
II अन्य	II	Others	**46,14,24**	24,82,83
कुल (I और II)		**TOTAL (I & II)**	**317,33,79**	232,75,12

अनुसूची 18 - 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

i. समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिन्हें एक साथ (''समूह''), संयुक्त उद्यम और सहयोगी के रूप में और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संदर्भित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

ए. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

बी. मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ अनुषंगियों की आस्ति/देयता/ आय/ व्यय की प्रत्येक मद के क्रमवार समेकन और सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह शेष / लेन- देन, अप्राप्त लाभ/ हानि को घटाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरणों'' के अनुसार असमान लेखांकन नीतियों हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक समायोजन करने के बाद।

सी. संयुक्त उद्यमों का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में वित्तीय हितों की रिपोर्टिंग" के अनुसार 'अनुपातिक समेकन' डीआईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी प्रक्रिया' के अंतर्गत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।

ii. अनुषंगी संस्थाओं में अपने निवेश पर समूह की लागत और अनुषंगियों की शेयर पूंजी एवं प्रीमियम में समूह के हिस्से के बीच अंतर की गणना वित्तीय विवरणों में साख/ पूंजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में की गई है। विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (जेवी) के मामले में ऐसे अंतर को विनिमय प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

iii. समेकित अनुषंगियों की निवल अस्तियों में माइनॉरिटी ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. अनुषंगी में निवेश की तारीख को माइनॉरिटी के लिए आरोप्य इक्विटी की राशि, और

बी. मूल - अनुषंगी के बीच संबंधों की शुरूआत की तारीख से राजस्व प्रारक्षित निधियों/ हानि (इक्किटी) में संचलन का कुछ भाग

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय में प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/ संशोधन वर्तमान और भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. निवेश एवं डेरिवेटिव्स:

बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार किया गया है।

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

i. 'परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।

ii. 'व्यापार हेतु धारित' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है। ऐसी प्रतिभूतियां जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री हेतु रखी गई हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

iii. 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 (निवेश) में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉन्ड एवं डिबेंचर (ई) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकटीकृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी) अधिग्रहण की लागत

निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज जैसे लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकन अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। एएफएस/ एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण निम्नतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया गया है। एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर रखे गए निवेशों को एएफएस / एचएफटी श्रेणी में अर्जन मूल्य पर अंतरित किया गया है और एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखे निवेशों को एएफएस / एचएफटी में परिशोधित लागत पर अंतरित किया गया है।

एएफएस से एचएफटी में या एचएफटी से एएफएस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। इस तरह के निवेशों पर लागू किसी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित किया जाता है।

इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए पूर्णत: प्रावधान किया गया है।

3.2 मूल्यांकन

'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्कता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधीकरण संबंधी खर्च को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार ब्याज आय से घटाया गया है।

'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/ बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/ प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए पास थ्रू सर्टिफिकेटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

दिनांक 23.08.2006 के पश्चात् बैंक द्वारा वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) की इकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित के तहत, श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी का प्रयोग कर मूल्यांकित किए गए हैं। यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹1/- प्रति वीसीएफ।

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं। अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो, उसे लाभ-हानि खाते में अंकित किया गया है। पहले प्रदान किए गए मूल्यह्रास की सीमा को छोड़कर, निवल विनियोजन, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है। अलग- अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के कारण नहीं बदलता है।

पुर्नसंरचित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इन निवेशों के मूल्यों में किसी तरह की कमी को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इसी श्रेणी के तहत अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के सापेक्ष निर्धारित नहीं किया जाएगा। पुर्नसंरचित योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटि शेयर पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, ऐसे लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के निवेशों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचन कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्यों की गणना करेगा। 01 अप्रैल, 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, के मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान पुनर्संरचना कंपनी (आरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगा या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा। प्रतिभूति रसीद में अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार किया जाता है।

बैंक के पोर्टफोलियो में श्रेणी I और II एआईएफ के कोटेड इक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों को वरीयत: दैनिक आधार पर किन्तु कम से कम साप्ताहिक आधार पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए।

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र /वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों के मूल्य ₹1 प्रति श्रेणी I और II एआईएफ हैं।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है।

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है। अल्प बिक्री की स्थिति सिक्योरिटीज शॉर्ट सेल्ड (एसएसएस) खाते में जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए खोला गया है, परिलक्षित होती है। शॉर्ट पोजीशन को बाजार मार्क्ड टू मार्केट और हानि, यदि कोई हो, उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जब कि लाभ यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

'व्यापार के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के कोटेड

निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर बाज़ार दरों हेतु फाईनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / कोटेड दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए	सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर.
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की गई वह मूल्यांकन की तारीख से पहले के 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, यदि कोई हो पर विचार किए बिना) अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर और पास थ्रू. सर्टिफिकेट (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	फंड द्वारा प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित नवीनतम पुर्नखरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश की पहचान और उसके ऊपर मूल्यह्रास/ प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व, बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त रूप से प्रावधान सृजित करते हैं। इस तरह के अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता। अनर्जक निवेशों पर ब्याज को लाभ और हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक सख्त हों, वे लागू होंगे। उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे।

जीवन बीमा व्यवसाय:

बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं और उनका लेखांकन किया जाता है।

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर निवेशों को दर्ज किया जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टांप ड्यूटी, कर आदि, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन खरीद पर उपचित पूर्व-अधिग्रहण ब्याज (अर्थात् पिछली कूपन तारीख से लेनदेन निपटान की तारीख तक), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है।

बोनस पात्रता को 'एक्स-बोनस तारीख" पर निवेश माना जाता है। राइट पात्रता को टएक्स-राइट डेटट पर निवेश माना जाता है। निवेश पर किसी भी प्रकार की अग्रिम छूट को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी के अलावा, को राजस्व/ लाभ एवं हानि खाते में व्यय माना जाता है।

प्रदत/ प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट / क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/ बिक्री मूल्य की लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश की कर्ज प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर - 1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश के तहत धारित सभी कर्ज प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां और मुद्रा बाजार लिखतें शामिल हैं को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है तथा परिशोधन के अधीन हिस्टोरिकल लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

बी. छूट या प्रीमियम जो निश्चित आय प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों के खरीद मूल्य और मोचन राशि के बीच का अंतर है, इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता में शेष अवधि पर राजस्व खाते या लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. पॉलिसीधारक की गैर-लिंक निधियों के तहत एटी1 बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके किया गया है.

डी. ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ या हानि, कंपनी की बही में निवल बिक्री प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच अंतर है।

बी. पॉलिसीधारकों के लिंक निधि की ऋण प्रतिभूतियां, मुद्राबाजार लिखत और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों के लिंक निधियों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और एटी1

बॉन्ड को मूल्यांकन यथालागू क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर/क्रिसिल गिल्ट मूल्यों, का उपयोग करके किया जाता है।

बी. नियत आय प्रतिभूतियों / मुद्रा बाजार लिखतों पर छूट या प्रीमियम, जो खरीद मूल्य और शोधन राशि के बीच का अंतर होता है, को और इन प्रतिभूतियों की परिपक्कता के लिए शेष अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर

राजस्व खाते में परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि का लेखांकन राजस्व खाते में किया जाता है।

डी. लिंक कारोबार के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियों और लिंक कारोबार के साथ-साथ उससे इतर कारोबार के लिए एटी1 बॉन्ड पर प्राप्त लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है.

सी. लिंक और गैर लिंक दोनों के लिए:

ए. तुलन-पत्र की तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्यों का उपयोग करके सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएसई पर इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का व्यापार नहीं होता है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है।

बी. असूचीबद्ध इक्विटी शेयर का उल्लेख हिस्टॉरिकल लागत पर किया जाता है। इन शेयरों के मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया जाता है कि यह ह्रास अस्थायी के अतिरिक्त है।

सी. प्राइमरी बाजारों के माध्यम से अधिगृहीत इक्विटी शेयर जिनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है उनका मूल्यांकन अपने निर्गम मूल्य पर किया जाता है।

डी. म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है। एआईएफ इकाइयों का मूल्यांकन संबंधित निधि के नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है।

ई. प्राप्त लाभ/हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है। लिंक निधि के मामले में, अप्राप्त लाभ/हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में उचित मूल्य परिवर्तन के रूप में निर्धारित किया जाता है लिंक कारोबार के अतिरिक्त कारोबार के लिए, सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/ हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और तुलन-पत्र में भी शामिल किया जाता है।

एफ. कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्कता तारीख या कॉल ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है. यदि कई कॉल ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।

जी. पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या पुट ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त उच्च मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट तारीखों पर या अंतिम परिपक्कता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।

एच. एक ही दिन पुट और कॉल दोनों विकल्पों के साथ प्रतिभूतियों को पुट/ कॉल तारीख पर परिपक्व माना जाएगा और उनका मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा जारी मैट्रिक्स के आधार पर बेंचमार्क दर पर स्प्रेड का उपयोग करके परिपक्कता के आधार पर प्रतिफल पर किया जाएगा।

आई. 'रिर्वस रेपो' आधार पर खरीदे गए लिखतों का मूल्यांकन लागत और रिवर्स रेपो दर पर उपचित ब्याज पर किया जाता है।

जे. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्क होने वाले सभी निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

के. पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारकों की निधियों से पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेश का अंतरण मुद्रा बाजार लिखतों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित लागत/ बुक लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में बाजार मूल्य पर किया जाता है।

एल. लिंक निधि के मामले में पॉलिसीधारकों की निधियों से संबंधित ऋण प्रतिभूतियों का अंतर-निधि अंतरण मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है। इक्विटी, अधिमानी शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण नवीनतम ट्रेड के बाजार मूल्य पर बाजार के कार्य-अवधि के दौरान किया जाता है।

एम. गैर-लिंक पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच निवेश का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

एन. यूनिट लिंक निधियों के बीच इक्विटी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफ, आईएनवीआईटी और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की गणना, निवेश की खरीद या बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेश के अंतरण की तारीख पर किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसे अंतिम उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, निवेश के अंतरण को प्रचलित प्रतिफल पर लेखांकित किया जाता है।

ओ. यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो निवेशों की रख-रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यह्रास हानि की पहचान व्यय के रूप में की जाती है और इसे राजस्व/ लाभ या हानि खाते में 'निवेश (निवल) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत पुनर्निर्धारित उचित मूल्य और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी पूर्व ह्रास हानि द्वारा घटाई गई अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक प्रकट किया जाता है। ह्रास हानि का कोई भी रिवर्सल जिसे पहले राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया था, को क्रमशः राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा।

पी. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडड पर विनियम के अनुसार, सभी एनपीए से संबंधित बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सभी आस्तियां जहां तुलन-पत्र की तारीख को ब्याज और/ या मूलधन चुकौती की किस्त 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्यू. InvIT के लिए, सभी ट्रेड किए गए InvIT का मूल्यांकन, मूल्यांकन दिवस पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर एनएसई पर स्क्रिप का व्यापार नहीं होता है तो वह मूल्य जिस

पर बीएसई पर इसका व्यापार हुआ, पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी एक्सचेंज पर इसका व्यापार नहीं होता है तो पिछले दिन के शुरुआती मूल्य पर एनएसई/बीएसई के समापन मूल्य का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा पिछला दिन, मूल्यांकन दिवस से पहले तीस दिन से अधिक न हो।

3.3 निवेशों का निस्तारण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/ हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/ बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है तथा 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है।

एएफएस/ एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुन: खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है [परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001 /2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआर डी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ सांपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है।

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं.आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.1 02/ 21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। बैंक हेजिंग लेनदेन की शुरूआत में ही हेज किए गये मदों - (आस्ति या देयताएं) का निर्धारण करता है। हेज की प्रभावशीलता हेज की शुरूआत तथा और उसके बाद रिर्पोटींग की तारीख को सुनिश्चित किया जाता है।

3.7 डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन

बैंक डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार महत्व देता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है। हेज के रूप में नामित संव्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था का पालन किया जाता है -

- उचित मूल्य के हेज के मामले में, हेजिंग लिखतों तथा हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- नकदी प्रवाह हेज के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित' के तहत प्रारक्षित और अधिशेष में निर्धारित किया जाता है तथा प्रभावी हेजिंग के संदर्भ, यदि कोई हो, के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। प्रभावी हेजिंग के संदर्भ में नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित में संचित शेष राशि को उसी समय जब हेज किए गए आइटम के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, लाभ और हानि खाते में रीसाइकल किया जाता है।

डेरिवेटिव पोजीशनों को, जब तक हेज के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता है, बाजार के लिए चिह्नित किया जाता है और परिणामस्वरूप नुकसान, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में निर्धारित की जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्याज दर अदला-बदली से संबंधित आय और व्यय दैनिक आधार पर अर्जित होते हैं। ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में तत्काल दर्ज किए जाते हैं।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

बैंक एफईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप किया गया है।

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वाद- दायर विविध जमाओं में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।

4.3 सतत व्यवहार के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है:

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान।
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित हैं।
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रतिभूत (संपार्श्विक) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।

4.4 पुनर्संरचित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है। जहां बैंक को कुल बकाया रुपए एक करोड़ और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 5% पर की जाती है।

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए। यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है।

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य - किए गए प्रावधान) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले मे कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा।

5 अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधान बनाने की एक पॉलिसी है। प्रति वर्ष किए जाने वाले प्रावधानों की मात्रा का आकलन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पोर्व अनुमति से नीति में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियां परंपरागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यह्रास और ह्रास से नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर पर दर्शाई गई हैं। लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने संबंधी लागत शामिल है। उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपचित व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों के/ से भविष्य के लाभ/ कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं।

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है।

6.3 परिसर में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मदों को छोड़कर) / व्यय का निर्धारण सामान्यत: उपचय आधार पर किया गया है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में, उस देश के जहां संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय/ व्यय का निर्धारण किया गया है।

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर लेखांकित गया है। अनुषंगियों, संयुक्त

उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर लेखांकित गया है।

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है।

8.4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एएस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एएस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ-हानि खाते में स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय-समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्नलिखित तरीके से विनियोजित होनी चाहिए :

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

वाद दायर/ डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

समझौता /एनसीएलटी समाधान के माध्यम से निपटान द्वारा वसूली:

एनसीएलटी के माध्यम से संकल्प/ निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली को समझौता स्वीकृति / समाधान निपटान के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए।

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

मर्चेन्ट बैंकिंग:

राजस्व को गतिविधि की प्रकृति के आधार पर तब निर्धारित किया जाता है जबकि प्रतिफल की तर्कसंगत रूप से गणना की जा सके और इसकी वसूली के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हो।

ए. निवेश बैंकिंग से होने वाली आय में संगठन की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और मूल्यांकन सेवाओं, पुनरीक्षण परियोजना मूल्यांकन, डेब्ट एवं इक्विटी निर्गम प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाओं, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और लीड अरेंजर सर्विसेज, ऋण समूहन, ऋण-पुनर्सरंचना तथा संबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित हैं।

बी. ऐसे मामलों में राजस्व, कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुरूप असाइनमेंट के विभिन्न स्तरों के पूरा होने तथा इसकी वसूली की निश्चितता का आकलन होने पर जब कभी राशि देय होती है तो इसे उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सी. ब्रोकिंग गतिविधियों से होने वाली आय में एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेड पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज की गणना स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रभार और लागू अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर / जीएसटी) को घटाकर केवल यथोचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचित आधार पर की गई है।

डी. धनसंपदा प्रबंधन में परामर्श एवं रिसर्च शुल्क से प्राप्त आय और म्यूचुअल फंड वितरण से प्राप्त आय शामिल हैं। म्यूचुअल फंड वितरण से होने वाली आय में म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पादों के वितरण पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज राशि में ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन दोनों शामिल हैं। इसे राशि के केवल यथोचित आधार पर निर्धारण योग्य होने के बाद ही उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ई. मीयादी जमा से होने वाली आय, जो अल्पावधि के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में बैंक से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ. कर-मुक्त बॉन्ड से होने वाली आय को, जो एक दीर्घावधि के लिए अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में ऐसे लिखतों को जारी करने वाली संस्थान से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जी. लिक्विड म्युचुअल फंड से होने वाली आय को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें निवेश का मोचन किया जाता है और उसकी उगाही की जाती है।

न्यासी परिचालन:

ए. म्युच्युअल फंड न्यासिता शुल्क संबंधित योजनाओं से साथ सहमत निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित की जाती है जो प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों पर लागू होती है और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप होती है।

बी. राजस्व का निर्धारण तब किया जाता है जब उसकी अंतिम उगाही/ संग्रहण की पूरी निश्चितता हो।

आस्ति प्रबंधन

ए. निवेश प्रबंधन शुल्क:

निवेश प्रबंधन शुल्क को बड़ौदा म्युचुअल फंड की योजनाओं (कंपनी द्वारा योजनाओं में किए गए निवेश को छोड़कर, इंट्रा- योजना निवेश और योजना की कुछ श्रेणियों के लिए सावधि जमा में निवेश की योजनाएं), की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर जीएसटी घटाकर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और

किसी भी अन्य संशोधन (विनियम) अथवा संबन्धित योजनाओं के ऑफ़र दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक न हो।

बी. निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क :

निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क को काउंटर पक्षों के साथ करार की संबंधित शर्तों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

सी. अन्य आय

ब्याज आय को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

निवेश की खरीद और बिक्री को ट्रेड की तारीख पर रिकॉर्ड किया जाता है। निवेश पर लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरणों में ट्रेड की तारीख पर निर्धारित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सामान्य औसत लागत प्रणाली से किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

ए. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है, अन्यथा कि अन्य रूप से उल्लिखित हो.

बी. शुल्क आय को तब लेखांकित किया जाता है जब इसे ग्राहक को प्रभारित (बिल) किया जाता है.

सी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में आय की उगाही की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय का लेखांकन केवल इनके प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है.

डी. बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से वसूली को ग्राहक से वास्तविक उगाही के आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ई. निधियों के नियोजन पर आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ. ऐसे उपचित आय जिन्हें वर्ष के अंत तक बिल नहीं किया गया है, उन्हें जीएसटी जैसे लागू अप्रत्यक्ष करों पर विचार किए बिना अनुमानित आधार पर लेखांकित किया जाता है। ऐसी आय पर लागू अप्रत्यक्ष करों को वास्तविक बिलिंग के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

जीवन बीमा:

ए. गैर-लिंक पॉलिसियों के लिए प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। यूनिट लिंक व्यवसाय के लिए प्रीमियम आय को तब निर्धारित किया जाता है जब संबद्ध यूनिट सृजित हो जाते हैं।

बी. गैर-लिंक परिवर्तनीय बीमा व्यवसाय के लिए, प्रीमियम को प्राप्ति की तारीख पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

सी. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है जब ऐसी पॉलिसियों को पुनः शुरू किया जाए।

डी. प्रीमियम में शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं।

ई. यूनिट लिंक व्यवसाय के मामले में, पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबद्ध यूनिट के सृजन पर इसे आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

एफ. यूनिट लिंक पॉलिसियों से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रभार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इसे यूनिट लिंक फंड से पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर निर्धारित किया जाता है।

जी. सत्तांतरित पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संबंधित करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय लेखांकित किया जाता है। प्रीमियम में बाद के संशोधनों या निरस्त करने के कारण प्रभाव को उस वर्ष में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में वे होते हैं।

एच. निवेश से होने वाली आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है। निवेश पर ब्याज आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आई. ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित प्रीमियम में छूट और परिशोधन में वृद्धि को होल्डिंग/ परिपक्वकता अवधि पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जे. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य के संबंध में लाभांश आय और लिंक व्यवसाय के संबंध में लाभांश आय को 'पूर्व-लाभांश तारीख' पर निर्धारित किया जाता है।

के. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि, बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत परिशोधन लागत के बीच का अंतर है। लिंक व्यवसाय के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है।

एल. इक्विटी शेयरों/ म्युचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि, व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है। यूनिट लिंक व्यवसाय के अलावा लाभ या हानि में "राजस्व और अन्य आरक्षित पूंजी (अनुसूची 2)" और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताओं (अनुसूची 5)" के रूप में तुलन पत्र में पूर्व में शामिल उचित मूल्य के संचयी प्रभार शामिल है।

एम. मृत्यु और राइडर के दावों को सूचना मिलने पर लेखांकित किया जाता है। भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लाग हो, शामिल हैं।

एन. गैर-लिंक व्यवसाय के लिए वार्षिकी लाभ, मनी बैक पेमेंट्स, सर्वाइवल बेनिफिट और परिपक्वता दावा को देय होने पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और आहरण का लेखांकन अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है।

ओ. लिंक किए गए व्यवसाय के लिए, संबंधित यूनिटों को रद्द किए जाने पर परिपक्कता दावों को नियत आधार पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और निकासी का लेखांकन तब किया जाता है जब संबंधित यूनिटों को रद्द कर दिया जाता है।

पी. उस पर वसूली योग्य पुनर्बीमा को संबंधित दावे की समान अवधि के लिए लेखांकित किया जाता है। न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रबंधन के विवेक के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

क्यू. अधिग्रहण लागत उसके क्रियान्वित होने की अवधि में व्यय हुई लागत है.

अधिग्रहण लागत में मुख्य रूप से बीमा मध्यस्थों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी की छपाई का खर्च, स्टांप शुल्क और पॉलिसी को सोर्स करने और जारी करने में हुए अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। भविष्य में पहले वर्ष के कमीशन के भुगतान पर कर सहित वसूली, यदि कोई हो, तो उसे वसूली के समय लेखांकित किया जाता है।

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनिमयों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है जो कि उपदान भुगतान से अधिक है। इसका वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित लाभ देयता के रूप में परिभाषित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा पेंशन देयता के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है।

नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी) और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि को एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों के लिए, संबंधित देश में लागू कानून के आधार पर लाभों का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है।

10 मूल्यह्रास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पैराग्राफ 10.3 एवं 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय उन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है।

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	**फर्नीचर एवं फिटिंग्स**		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन		
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- गैर-आरसीसी फ्रेम संरचना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।

10.5 परिवर्धनों पर मूल्यह्रास खरीद/ उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए इम्प्रूवमेंट की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन अस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और इसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति का मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा मानक 28 ('आस्तियों का मूल्यह्रास') के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

यदि आंतरिक /बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है। इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। मूल्यह्रास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव' के अनुरुप किया गया है।

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफ़शोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है।

12.3.बैंक विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में वायदा विनिमय अनुबंधों के उपयोग के माध्यम से अपने निवेश को हेज करता है । विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायदा विनिमय अनुबंधों को आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों से संबंधित लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार हिसाब लगाया जाता है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स से संबंधित लाभ और हानि उस सीमा तक सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं जिस सीमा तक हेज को प्रभावी माना जाता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर लाभ और हानि के अप्रभावी हिस्से (और हेजिंग संबंध में निर्दिष्ट किसी अनुपात) को लाभ और हानि खाते में तत्काल मान्यता दी जाती है । किसी भी निवल आस्थगित विदेशी मुद्रा लाभ और हानि अर्थात् निवल निवेश और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों से उत्पन्न को विदेशी परिचालन के निपटान के समय लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है ।

12.4 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहार को प्राथमिक तौर पर फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ- हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान को फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एंव अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इनेटरपोलेटिड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है। इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनमूर्ल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12.5 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित बंद हाजिर दरों पर अंतरित किया जाता है ।

बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः बंद हाजिर और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपॉलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है ।

सी) फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर आय और व्यय का अंतरण किया जाता है ।

डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग ''फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व'' खाते में जमा किया जाता है ।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार यथानिर्धारित (संबद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित

कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना उस अवधि के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इससे ऐसे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी, जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है।

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

18. जीवन बीमा व्यवसाय - अन्य पॉलिसियां

ए. ऋणों का मूल्यांकन कुल बही मूल्य (चुकौतियों को घटाकर) और पूंजीकृत ब्याज के आधार पर किया जाता है, जो क्षति के प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है। यदि परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है तो ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पावधि से इतर अन्य ऋणों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी. भावी विनियोजन की निधियों को ऐसे अधिदेश आस्तियों में अतिरिक्त देयताओं को दर्शाने वाली सहभागी निधि में अलग रखा गया है ताकि पॉलिसीधारक की उचित अपेक्षा (पीआरई) को पूरा किया जा सके। यह राशि शेयरधारक या पॉलिसीधारक को तुलन-पत्र की तारीख पर आबंटित नहीं की गयी है। भावी विनियोजन के लिए निधि जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आबंटित की जाती है तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में परिणामस्वरूप अंतरण होगा।

सी. कंपनी की बीमांकिक देनदारियों की गणना, बीमा अधिनियम, 1938 और उसमे संशोधनों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एक्चुअरीअल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट्स तथा सामान्यत: स्थापित बीमांकिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं। दीर्घावधि गैर-लिंक्ड संविदाओं का मूल्यांकन सकल प्रीमियम मूल्यांकन (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

यूनिट लिंक जीवन बीमा संविदाओं के तहत, यूनिट रिज़र्व की गणना मूल्यांकन तारीख पर यूनिट मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन तारीख पर लागू पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में की जाती है। मृत्यु और व्यय के लिए गैर-यूनिट देनदारियां एक संभावित सकल प्रीमियम (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं, जिसके तहत भावी शुद्ध नकदी प्रवाह को पॉलिसी-दर-पॉलिसी आधार पर मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट बैक कर दिया जाता है और यह मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई भावी नकारात्मक नकदी प्रवाह जो अन्यथा उत्पन्न हों, को समाप्त कर दिया गया है। भावी नकदी प्रवाह को व्यक्त करने में, भावी मृत्यु/रुग्णता, भावी चूक, खर्च और यूनिट निधि के लिए निवेश वृद्धि दर और ब्याज दर के संबंध में अनुमान लगाए गए हैं। ये धारणाएं अपेक्षित भावी अनुभव पर आधारित हैं. इन अनुमानों में प्रतिकूल विचलन के लिए उपयुक्त मार्जिन रखा गया है। एक साल के नवीकरणीय संविदाओं का मूल्यांकन अनएक्सपायर्ड प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। राइडर्स को जीपीवी और यूपीआर से अधिक महत्व दिया जाता है।

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं-

(i) अनर्जित मॉर्टेलिटी/ रुग्णता प्रभार

(ii) व्यय किए गए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनआर)

(iii) बहाली की अवधि के भीतर लैप्स और प्रदत्त पॉलिसियां

(iv) फ्री लुक पॉलिसी

(v) आकस्मिकता

SCHEDULE 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

i. The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its subsidiaries together referred to as ("Group"), Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2023. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealised profit/ loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

c. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

ii. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the share capital and premium of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve. In case of overseas subsidiaries and JVs such difference is accounted under translation reserves.

iii. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

b. The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

a. "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

b. "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

c. "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of - provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio shall be marked to market preferably on a daily basis, but at least on a weekly basis.

The units is valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FBIL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

Life Insurance Business:

Investments are made and accounted for in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and various other circulars / notifications issued by the IRDAI in this context from time to time.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and stamp duty, taxes, etc, if any, but excludes pre-acquisition interest accrued i.e. (from the previous coupon date to the transaction settlement date), if any, on purchase.

Bonus entitlements are recognized as investments on 'ex-bonus date'. Right entitlements are recognized as investments on 'ex-right date'. Any front end discount on investments is reduced from cost of investments.

Diminution in the value of investments as at the balance sheet date, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Broken period interest paid/received is debited/credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale value.

A. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' non-linked funds and shareholders' investments:

a. All debt securities, including government securities, and Money market instruments held under policyholders' non-linked funds and shareholders' investments are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortisation.

b. The discount or premium which is the difference between the purchase price and the redemption amount of fixed income securities and money market instruments is amortised and recognized in the revenue account or the profit and loss account, as the case may be, on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. AT1 Bonds, under policyholder's non-linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer.

d. The realised gain or loss on debt securities is the difference between the net sale consideration and the amortised cost in the books of the company.

B. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' linked funds:

a. All debt securities, including government securities and AT1 Bonds, under policyholders' linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer/ CRISIL Gilt Prices, as applicable.

b. The discount or premium on fixed income securities / money market instruments which is the difference between the purchase price and the redemption amount is amortised and recognized in the revenue account on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. Unrealised gains or losses arising on valuation of debt securities including Government Securities are accounted for in the Revenue Account.

d. The realised gain or loss on debt securities held for linked business and AT1 bonds for linked as well as

other than linked business is the difference between the net sale consideration and weighted average cost.

C. For both Linked and Non Linked:-

a. Listed equity shares and equity ETFs are valued and stated at fair value, using the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE), at the balance sheet date. If the equity shares and equity ETFs are not traded on the NSE, then closing prices of the Bombay Stock Exchange (BSE) is considered.

b. Unlisted equity shares are stated at historical cost. A provision is made for diminution, if any, in the value of these shares to the extent that such diminution is other than temporary.

c. Equity shares acquired through primary markets and awaiting listing are valued at their issue price.

d. Mutual fund units are valued at previous day's Net Asset Value. AIF units are valued at the latest available net asset value of the respective fund.

e. The realised gain / loss is the difference between the net sale consideration and weighted average cost. In case of linked funds, unrealised gains / losses are recognised in the respective fund's revenue account as fair value change. For other than linked business, unrealized gain / loss on changes in fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change account and are carried to the Balance Sheet.

f. Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call dates or upto the final maturity date.

g. Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put dates or upto the final maturity date.

h. The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued on a yield to maturity basis, by using spreads over the benchmark rate based on the matrix released by CRISIL.

i. Instruments bought on 'reverse repo' basis are valued at cost plus interest accrued on reverse repo rate.

j. All investments maturing within twelve months from the balance sheet date are classified as short-term investments. All other investments are classified as long-term investments.

k. Transfers of Investments from Shareholders' funds to the Policyholders' funds to meet the deficit in the policyholders' account are effected at the lower of amortised cost / book cost or market value in respect of all debt securities including money market instruments and at the market value in case of other securities.

l. In case of linked funds, Inter-fund transfer of debt securities relating to Policyholders' Funds is effected at current market value. Inter fund transfer of equity, preference share, ETFs and government securities are effected during market hours at the market price of the latest trade.

m. No transfers of investments are made between non linked Policyholders' funds.

n. The purchase and sale of equity, preference shares, ETF's, InvIT's and Government Securities between unit linked funds is accounted for at the prevailing market price on the date of purchase or sale of investments, if prevailing market price of any security is not available on the date of transfer of investment, then the last available price is considered. In case of debt securities other than Government Securities, transfer of investments is accounted at prevailing yield.

o. The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the re-measured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in the Revenue / Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

p. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's. All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA.

q. For InvIT, All traded InvIT shall be valued at the last quoted closing price on the National Stock Exchange (NSE) on valuation day. In case on any particular valuation day the scrip is not traded on NSE then the value at which it is traded on BSE will be considered. In case it is not traded on either of the exchanges, the closing price on NSE/ BSE on the earliest previous day will be used, provided such previous day is not more than thirty days prior to the valuation day.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/ trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the hedging transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at each reporting date thereafter.

3.7 Valuation of Derivatives

The Bank values derivatives as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. For transactions designated as hedges, following treatment is followed -

- In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognised in the Profit and Loss Account,
- In case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognised in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognised in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognised in the Profit and Loss Account.

Derivative positions, unless designated as hedges, are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/ Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In Respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed at 5% as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank

- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Merchant Banking:

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists a reasonable certainty of its recovery.

a. Income from Investment Banking comprises of revenue from different activities of the organization and Includes revenue from Valuation Services, Vetting Project Appraisal, Debt and Equity Issue Management, investment Banking Services, Techno-Economic Viability studies, and Lead Arranger Services, debt syndication, debt restructuring and related areas.

b. The revenue in these cases recognized on the basis of accrual as and when the amount becomes due on the completion of various stages of the assignment as per the terms and Conditions of the Memorandum of Understanding entered into between the Company and the Client and assessing the certainty of its recovery.

c. Income from Broking activities comprises brokerage received on trades executed on the exchanges. The brokerage, net of Stamp Duty, STT Charges, Exchanges Transaction Charge and applicable indirect tax (service tax / GST), is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

d. Wealth Management comprises income from advisory and research fees and income from mutual fund distribution. Income from mutual fund distribution comprises brokerage received on distribution of mutual funds and other investment products. The brokerage amount includes both Trail Commission and Upfront Commission. It is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

e. Income from Term Deposits being the interest received from Bank in respect of the Investment of the surplus funds for a short term period is recognized on accrual basis.

f. Income from Tax-free bonds being the interest received from the entity issuing such instruments in respect of the investment of the surplus fund for a long-term period is recognized on accrual basis.

g. Income from Liquid Mutual Fund is recognized in the period in which the investment is redeemed and realized

Trustee Operations:

a. Mutual Fund Trusteeship fee is recognised at specific rates agreed with relevant schemes, applied on the average daily Net Assets of each scheme, and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

b. Revenue is recognized when there is reasonable certainity of its ultimate realization /collection.

Asset Management:

a. Investment Management fee:

Investment management fee are recognised net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of schemes of Baroda Mutual Fund(excluding on investments made by the company in the schemes, intra - scheme investments and schemes investment in fixed deposit for certain category of schemes),such that it does not exceed the expense limit prescribed by the Securities and Exchange Board of India(SEBI) (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments (the Regulations) or offer document of the respective schemes.

b. Investment Advisory & Research fees:

Investment advisory & research fee are recognised in accordance with the respective terms of contract with counter parties.

c. Other income:

Interest income is accounted on accrual basis.

Purchase and sale of investments is recorded on the trade date. The profit/Loss on sale of investments is recognized in the Statement of profit and loss on the trade date. Profit or loss on sale of investments is determined using simple average cost method.

Credit Card Operations:

a. Revenue from services is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

b. Fees income is accounted as and when billed to customer.

c. In view of uncertainty of realization of income in case of Non-Performing Assets (NPA) such income is accounted for only on receipt basis.

d. Recovery from bad debts written off is recognized as income on the basis of actual realization from customer.

e. Income on deployment of funds is recognized on accrual basis.

f. The income accrued but not billed till the year end, are accounted for on estimated basis without considering the applicable indirect taxes like GST. The applicable indirect taxes, on such income are accounted for in the year of actual billing.

Life Insurance:

a. Premium for non-linked policies is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created.

b. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.

c. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

d. Premium is inclusive of Good and Service Tax (GST) applicable on charges.

e. In case of unit linked business, Top up premiums paid by policyholders are considered as single premium and recognized as income when the associated units are created.

f. Income from unit linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the unit linked funds in accordance with terms and conditions of policies and recognized when due.

g. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

h. Income from Investments are recognised on an accrual basis. Interest income on investments is recognised on accrual basis.

i. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding / maturity period on a straight-line basis.

j. Dividend income, in respect of other than linked business and in respect of linked business, is recognised on the `ex-dividend date'.

k. Realised gain / loss on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average amortised cost as on the date of sale. Realised gain / loss on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost as on the date of sale.

l. Profit or loss on sale of equity shares / mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost.In respect of other than unit linked business, the profit or loss includes the accumulated changes in the fair value previously recognised in Balance Sheet as "Revenue & Other Reserves (Schedule 2)" and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the Balance Sheet

m. Deaths and rider claims are accounted for on receipt of intimation. Benefits paid consist of policy benefit amounts and claim settlement costs, where applicable.

n. For non linked business, Annuity benefits, money back payments, survival benefit and maturity claims are accounted for when due. Surrender and withdrawals are accounted on the receipt of request.

o. For linked business, Maturity claims are accounted for ondue basis when the associated units are cancelled. Surrenders and withdrawals are accounted for on receipt of intimation when associated units are cancelled.

p. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

q. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy. Clawback of the first year commission paid, if any, in future are accounted at the time of recovery.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995

and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		
	- RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	- Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life more than 2 years and in excess of original cost of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use..

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted

to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 The Bank hedges its investments in overseas branches and offshore banking units through use of forward exchange contracts. The forward exchange contracts used to hedge its investments in overseas branches and offshore banking units are accounted for in accordance with Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI wherein gains and losses on foreign currency derivatives used as hedging instruments are recognised directly in equity to the extent that the hedge is considered to be effective and the ineffective portion of the gains and losses on the hedging instruments (and any proportion not designated in the hedging relationship) is recognised in the Profit and Loss Account immediately. Any net deferred foreign currency gains and losses, i.e., arising from both the net investment and the hedging instruments are recognised in the Profit and Loss Account at the time of disposal of the foreign operation.

12.4 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded at rate as per FEDAI guidelines.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.5 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b) Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.

c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

18. LIFE INSURANCE BUSINESS - OTHER POLICIES

a. Loans are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalised interest subject to provision for impairment, if any. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

b. The funds for future appropriation in the participating fund represent the surplus assets in excess of the liabilities set aside to meet Policyholder Reasonable Expectation (PRE). This amount is not allocated to the shareholders or policyholders at the balance sheet date. The funds for future appropriation when allocated in the future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation.

c. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938 and amendments thereon, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial practices. Long term non-linked contracts are valued using a gross premium valuation (GPV) method.

Under unit linked life insurance contracts, unit reserves are calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values at the valuation date. The non-unit liabilities for mortality and expenses are determined using a prospective gross premium method (GPV) under which future net cash flows are discounted back to the date of valuation on policy-by policy basis, and is adequate on the valuation basis to ensure that any future negative cash flows which would otherwise arise are eliminated. In projecting the future cash flows, assumptions have been made in respect of future mortality/morbidity, future lapses, expenses & expense inflation and investment growth rate for unit funds and interest rate. These assumptions are based on emerging and expected future experience. Appropriate margins for adverse deviations have been kept in these assumptions. The one year renewable contracts are valued using the Unexpired premium reserve (UPR) methodology. Riders are valued as the higher of GPV and UPR.

Additional provisions have been made in respect of:

(i) Unearned mortality/morbidity charges

(ii) Incurred but not reported claims(IBNR)

(iii) Lapsed and paid up policies within period of reinstatement.

(iv) Free look policies

(v) Contingency

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट

Schedule-19 : Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2023

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर लेखांकन मानक 21,सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल/ बैंक) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

1.1 अनुषंगियां

The Consolidated Financial Statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the Financial statements of the Bank of Baroda (Parent/Bank) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

1.1 Subsidiaries:

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2023 को March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को March 31, 2022
घरेलू अनुषंगियां	**Domestic Subsidiaries**			
ए) बैंकिंग	**a) Banking:**			
i. द नैनीताल बैंक लि.	i. The Nainital Bank Limited	भारत / India	98.57	98.57
बी) गैर-बैंकिंग:	**b) Non-Banking:**			
i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	i. BOB Capital Markets Limited.	भारत / India	100.00	100.00
ii. बॉब फाइनेंशियल सॉल्युशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लिमिटेड)	ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Limited)	भारत / India	100.00	100.00
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड	iii. Baroda Global Shared Services Limited	भारत / India	100.00	100.00
iv. बड़ौदा सन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड	iv. Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formerly known as BNP Paribas Asset Management India Private Limited)	भारत / India	50.10	50.10
vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)	भारत / India	50.10	50.10
vii. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	vii. India First Life Insurance Company Limited	भारत / India	65.00	65.00
विदेशी अनुषंगियां:	**Overseas Subsidiaries:**			
ए) बैंकिंग:	**a) Banking:**			
i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड	i. Bank of Baroda (Botswana) Limited	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited	केन्या / Kenya	86.70	86.70

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2023 को March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को March 31, 2022
iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited	युगांडा / Uganda	80.00	80.00
iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी	iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयानाा / Guyana	100.00	100.00
v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00
vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	vi. Bank of Baroda (New Zealand) Limited	न्यूजीलैंड / New Zealand	100.00	100.00
vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड	vii. Bank of Baroda (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00
बी) गैर-बैंकिंग:	**b) Non-Banking:**			
i. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)	i. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Limited)	युगांडा /Uganda	100.00	100.00

1.2 सहयोगी: / Associates:

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में समाहित सहयोगियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

सहयोगियों के नाम Name of Associates	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निम्नलिखित तारीख को मूल संस्था का स्वामित्व हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
		31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया /Zambia	20.00	20.00
बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i. बड़ौदा यूपी बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक) b) Regional Rural Banks i. Baroda U P Bank (Formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक) ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक iii. Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35.00	35.00

1.3. संयुक्त उद्यम / Joint Ventures

संयुक्त उद्यम का नाम Name of Joint Ventures	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership	
		31 मार्च, 2023 March 31, 2023	31 मार्च, 2022 March 31, 2022
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40.00	40.00
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड India Infradebt Limited	भारत / India	40.99	40.99

2. सहयोगियों में निवेश के विवरण: / Particulars of the Investment in Associates: (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ए a.	सहयोगियों में निवेश की लागत Cost of Investment in Associates	256.89	256.89
बी b.	उपर्युक्त निवेश हेतु निर्धारित अधिग्रहण से संबंधित प्रारक्षित निधि Capital Reserve on acquisition identified on above investment	292.43	292.43
सी c.	अधिग्रहण के उपरान्त लाभ (निवल) और सहयोगियों की प्रारक्षित निधि का हिस्सा Share of post-acquisition profits (Net) and reserve of Associates	1,626.02	1,316.01
डी d.	31 मार्च को धारित निवेश की राशि (ए+सी) Carrying amount of Investment as at 31st March (a + c)	1,882.91	1,572.90
ई e.	भारत में निवेश Investment in India	1,723.85	1,452.65
एफ f.	भारत के बाहर निवेश Investment outside India	159.06	120.25
	कुल (ई + एफ) Total (e + f)	**1,882.91**	**1,572.90**

3. अनुषंगियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरण:

3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल कंपनी के लिए तैयार की गई तारीख है अर्थात् 31 मार्च, 2023, केवल निम्नलिखित को छोड़कर- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, (इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड सहित), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड जिनके विवरण 31 दिसंबर, 2022 तक तैयार किये गए हैं । जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो ।

3.2 चालू वित्तीय वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणी में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक लिमिटेड, बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड, इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, इंडियन इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) लिमिटेड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा न्यूजीलैंड लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं।

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2023 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2022. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2023 to 31st March, 2023 requiring adjustment therein.

3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group, and its Joint Ventures and Associates include unaudited financial statements of Baroda Gujarat Gramin Bank Limited, Baroda Sun Technologies Ltd, Bank of Baroda (UK) Ltd., Bank of Baroda (Botswana) Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., Indian International Bank (Malaysia) Ltd. and Bank of Baroda New Zealand Ltd.

3.3 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:

i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

ii. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती बॉब कार्डस लिमिटेड)

iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड

iv. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड

vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3.4 अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण सीमा के आधार पर दिए गए हैं । प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा ।

3.5 एएस 21 के अनुसार, खंड 20 ''समेकित वित्तीय विवरण, लेन-देन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए''। तथापि, इंडिया फर्स्ट इश्योरेंस कंपनी में निवेश और राजस्व निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों से शासित है । अनुषंगी का समेकित राजस्व और निवेश निम्नानुसार है:

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2023 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

i. BOB Capital Markets Ltd.

ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Ltd.)

iii. Baroda Global Shared Services Ltd.

iv. Baroda Sun Technologies Ltd.

v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Ltd

vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited

3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management, non-availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the Bank.

3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances". However, In India First Insurance Company, it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines. The consolidated Revenue and investments of the subsidiary is provided below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. SN	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2023 तक As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 तक As on March 31, 2022
1	समेकित राजस्व / Consolidated Revenues	110,777.98	87,780.19
1.1	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से राजस्व Revenues from India First Life Insurance Company Ltd.	7,213.67	2,976.45
2	समेकित निवेश / Consolidated Investments	397,487.23	347,587.10
2.2	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से निवेश Investments from India First Life Insurance Company Ltd.	21,399.03	18,581.93

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ (सांविधिक प्रारक्षित निधि के लिए कर और अंतरण का निवल) और भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/ लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है ।

5. करों के लिए प्रावधान

अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है ।

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. **प्रारक्षित निधियों में से ड्रा डाउन**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रारक्षित निधियों से ड्रा डाउन शून्य है (31 मार्च, 2022: ₹ शून्य)।

7. **फ्लोटिंग प्रावधान / काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर:**

6. **Draw Down from Reserves**

During the Financial Year 2022-23, draw down from the Reserves is NIL (March 31, 2022: ₹ Nil).

7. **Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण /Particulars	31.03.2023	31.03.2022
ए. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि a. Opening balance in the floating provisions account	62.85	62.85
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन b. Addition during the year	170.00	-
सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि c. Amount of draw down made during the accounting year	-	-
डी. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि d. Closing balance in the floating provisions account	**232.85**	**62.85**

8. **प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे :**

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

8. **Break up of Provisions and Contingencies:**

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31.03.2023	31.03.2022
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / एनपीए के लिए किए गए प्रावधान Bad debts written off / Provision made towards NPA	4655.04	14,956.88
पुनर्संरचित मानक और उप-मानक खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	(104.25)	(142.19)
देशी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान Provision for Country Risk Management	35.10	9.37
करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित) Provision for taxes (including deferred Taxes)	5876.67	2,308.07
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on investment	1718.19	567.74
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets	546.95	(2,661.73)
अन्य / Others	2775.76	1,387.54
कुल / Total	**15503.46**	**16425.68**

9. **वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**

9. **Letter of Comforts(LOC's) issued during the currect Financial year**

	जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण **Brief details of LOC issued**	आकलित वित्तीय प्रभाव **Assessed Financial Impact**
ए A.	वर्ष के दौरान जारी Issued during the year	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है । During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures.
	शून्य Nil	
ए. B.	बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)	

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण **Brief details of LOC issued**	आकलित वित्तीय प्रभाव **Assessed Financial Impact**
1. पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है: **1. The LOC issued by the Bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:**	
ए) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख । a) Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors.	31 मार्च, 2023 को अनुषंगी कंपनी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹420.07 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹8.99 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹429.06 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2023 को इस अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹268.75 करोड़ है । इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹160.31 करोड़ है । हालांकि, हम वर्तमान के लिए आश्वासन/गारंटी के उपर्युक्त पत्र के तहत देयता के क्रिस्टलीकरण की संभावना नहीं देखते हैं । As on 31st March 2023, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 420.07 Cr. and outside liabilities are INR 8.99 Cr. (i.e. total liabilities of INR 429.06 Cr). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2023 is INR 268.75 Cr. The net contingent liability on Parent Bank is INR 160.31 Cr in this regard. However, we do not foresee possibility of crystallization of liability under the above letter of comfort/ guarantee for the present.
बी) वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक - 'इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी)' में हमारे बैंक की 40% शेयरधारिता तक एलओसी जारी किया गया था ।। b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia Upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd.(IIBMB)'	31 मार्च, 2023 को आईआईबीएमबी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमा राशि के एवज में ऋण का निवल) ₹489.43 करोड़ हैं और अन्य देयताएं ₹3.85 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹493.28 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2023 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹598.45 करोड़ है । **इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता शून्य है ।** As on 31st March 2023, the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 489.43 Cr and other liabilities are INR 3.85 Cr. (i.e. Total liabilities of INR 493.28 Cr). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2023 is INR 598.45 Cr. **The net contingent liability on Parent Bank is NIL in this regard.**
सी) आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्तूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया c) LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for IFSC, Gift City Branch.	31 मार्च, 2023 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 17,781.17 करोड़ है, उधार ₹ 1,107.42 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 7,039.95 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹ 25,928.54 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2023 को शाखा की निवल मालियत ₹ 2,511.31 करोड़ है । आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं । इसलिए, आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए आश्वासन पत्र को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । As on 31st March 2023, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 17,781.17 Cr., borrowings are INR 1,107.42 Cr and outside liabilities are INR 7,039.95 Cr. (i.e. total liabilities of INR 25,928.54 Cr). The net worth of the branch as on 31st March 2023 is INR 2,511.31 Cr. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet. Therefore, there is no requirement to recognize the Letter of Comfort, issued for IFSC Gift City Branch, as contingent liability of Bank.

10. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश सं. आरबीआई/डीओआर/2021 22/83डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30-08-2021 (11-10-2022 को अद्यतन) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन पर कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है ।

11. ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी प्रकटीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश संदर्भ सं. आरबीआई/डीओआर/2021 -22/86 डीओआर.एसटीआर. आरईसी. 51/21.04.048/ 2021-22 'मास्टर निदेश-आरबीआई (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021' दिनांक 24.09.2021 के अनुरूप प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

ए) ट्रांसफर या अधिगृहीत किए गए ऐसे ऋण जो "चूक की श्रेणी में नहीं हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए -12 महीनों की रिपोर्टिंग

10. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended Mar 31, 2022, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated 30-08-2021 (updated as on 11-10-2022).

11. Disclosure of transfer of Loan exposures:

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021 is as under:

a) In respect of "Loans not in default"@, that are transferred or acquired

Reporting for the -12- months ended March 31, 2023

विवरण / Particulars	राशि / Values
(i) "असाइनमेंट" के माध्यम से अधिग्रहित ऋण (i) Loans acquired through "assignment"	
- अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired (₹ in Cr.)	8,450.11
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)	84.54
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)	10.76
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण (% में) - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor (In %)	10.01%
- अधिग्रहित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (आवृत्ति) - Tangible security coverage of loans acquired (times)	1.16
- बैंक द्वारा टीएलई दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल अनरेटेड हैं । क्रेडिट स्कोर (सीआईसी) वार संवितरण (अधिग्रहित ऋणों का %) - Pool purchased under TLE guidelines by the Bank are unrated. Credit Score (CIC) wise distribution (% of loans acquired)	
- व्यक्तिगत रेटिंग (जहां भी लागू हो) - Individual rating (wherever applicable)	
- 650 से 750 - 650 to 750	48.01%
- 750 से अधिक - Above 750	51.99%
- सीएमआर रेटिंग (जहां भी लागू हो) - CMR rating (wherever applicable)	
- सीएमआर 4 और सीएमआर 5 - CMR 4 & CMR 5	68.46%
- सीएमआर 3 तक - Upto CMR 3	31.54%

विवरण / Particulars	राशि / Values
(ii) "नवीकरण" के माध्यम से अधिग्रहित ऋण (ii) Loans acquired through "novation"	शून्य NIL
(iii) "ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिग्रहित ऋण (iii) Loans acquired through "Loan participation"	शून्य NIL
गणना पद्धति @ खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर-डिफॉल्ट ऋणों को निर्धारित किया गया है। **Calculation modality** @The loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase	

अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

Details of stressed loans transferred is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) के विवरण **Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2022 to 31.03.2023**			
	एआरसी को To ARCs	**अनुमत अंतरिती को** To permitted transferees	**अन्य अंतरिती को** To other transferees
खातों की संख्या Number of accounts	5	-	-
अंतरित ऋणों का बकाया सकल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	254.69	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	42.13	-	-
कुल प्रतिफल Aggregate consideration	160.67	-	-
पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री पर लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान का हिस्सा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	118.54	-	-

बी) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) के विवरण- शून्य

सी) 31 मार्च, 2023 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण

b) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2022-23 – NIL

c) The Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2023

31 मार्च, 2023 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का संवितरण **Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2023**	
वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	49.85
आरआर 2 / RR2	33.15
आरआर 3 / RR3	89.46
आरआर 4 / RR4	68.30
आरआर 5 / RR5	9.69
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	16.52
कुल योग / Grand Total	266.97

31 मार्च, 2023 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे एसआर का संवितरण **Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2023**	
वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	0.00
आरआर 2 / RR2	14.99
आरआर 3 / RR3	0.00
आरआर 4 / RR4	8.93
आरआर 5 / RR5	0.00
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	704.77
कुल योग / Grand Total	728.69

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण:

12.1 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

पूर्व अवधि की मदें

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की आय/ व्यय नहीं है

12.2 एएस 11 - विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधियों का संचलन

12. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

12.1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5):

Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

12.2AS 11 - Changes in Foreign Exchange Rates:

Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	**31 मार्च, 2023 March 31, 2023**	**31 मार्च, 2022 March 31, 2022**
प्रारंभिक शेष राशि / Opening Balance	3,743.10	3,404.45
वर्ष के दौरान जमा /Credited during the year	968.48	338.65
वर्ष के दौरान आहरण / Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष राशि / Closing Balance	4,711.58	3,743.10

12.3 कर्मचारी अनुलाभ (लेखांकन मानक -15)

I. परिभाषित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता - पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी)लाभ

ए) परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

12.3 Employee Benefits (Accounting Standard-15):

I. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	27,647.75	24,547.33	1,834.46	24.14	3,110.01	3,064.47
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	(1.73)	-	0.10
जोड़ें : अधिग्रहण समायोजन Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-	-	0.00
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	1,968.36	1,670.68	130.91	1.46	220.17	206.74
जोड़ें: विगत सेवा लागत Add : Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
जोड़ें: चालू सेवा लागत Add: Current Service Cost	2,362.77	1,738.70	262.10	2.86	217.96	297.92
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefits Paid	2,573.24	2,356.33	181.28	6.04	351.00	431.82
जोड़ें: बाध्यता पर एक्चूरियल लाभ/ हानि(-) Add: Actuarial loss/ gain(-) on obligation	257.57	2,051.43	(122.47)	1.93	(111.05)	(36.926)
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	**29,663.21**	**27,651.81**	**1,923.72**	**22.63**	**3,086.75**	**3,100.49**

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening Fair Value of plan assets	25,551.54	22,151.82	25.66	20.44	3,042.80	2,396.63
आरंभिक समायोजित Opening Adjusted	-	-	-	0.03	-	0.06
जोड़ें- योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Add- Expected Return on Plan Assets	1,983.03	1,660.77	1.56	1.18	239.51	178.65

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
जोड़ें- योगदान Add- Contributions	1,044.76	4,068.58	2.07	4.22	74.69	874.90
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,603.75	2,387.94	2.45	4.71	351.00	423.50
जोड़ें: एक्यूरियल लाभ/ हानि(-) Add- Actuarial gain/(-)loss	(165.92)	65.06	0.01	0.07	(34.87)	6.60
अंतिम योजना आस्तियों का उचित मूल्य Closing Fair Value of Plan Assets	**25,809.66**	**25,558.29**	**26.85**	**21.23**	**2,971.13**	**3,033.34**

सी) तुलन पत्र में निर्धारित राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ए) अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता a) Closing Defined Benefit Obligation	29,663.21	27,651.81	31.95	22.63	3,086.76	3,100.49
बी) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य b) Closing Fair Value of Plan Assets	25,809.66	25,558.29	26.85	21.23	2,964.38	3,033.35
सी) अंतर (ए-बी) c) Difference (a-b)	3,853.55	2,093.52	5.10	1.40	122.38	67.14
डी) गैर निर्धारित अंतरण देयता d) Unrecognized transitional liability	(872.65)	(1,163.53)	-	-	-	-
ई) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता e) Liability Recognized in the Balance Sheet	2,980.90	929.99	5.10	1.40	122.38	67.14

डी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ए) चालू सेवा लागत a) Current Service Cost	2,362.77	1,738.70	262.10	2.86	218.63	297.92
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	1,941.85	-	1.24	-	2.37	0.00

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	26.51	1,670.68	129.26	1.32	216.78	206.67
डी) योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय d) Expected Return on Plan Assets	1,979.58	1,660.63	1.28	1.20	237.07	179.17
ई) निवल एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) e) Net Actuarial Loss/gain(-)	420.05	1,986.23	(122.33)	2.02	(74.64)	(42.94)
एफ) वर्ष में निर्धारित अंतरण देयता f) Transitional liability recognized in the year	290.88	(1,163.53)	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय (ए+बी+सी-डी+ई+एफ) Expenses Recognized in P&L (a+b+c-d+e+f)	3,062.48	2,571.45	268.99	5.00	126.07	282.48

ई) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान

e) Principal Actuarial Assumptions

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
बट्टा दर Discount rate	7.42%-7.80%	1.88% - 7.21%	7.42%-7.80%	5.15%-7.21%	7.42%-7.80%	5.15%-7.25%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.00%-8.00%	3.37% - 5.50%	5.00%-8.00%	5.00%-8.86%	5.00%-8.00%	5.00%-8.86%
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%-5.00%	2.00%	2.00%-5.00%	2.00%-9.00%	2.00%-5.00%	2.00%-39.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर Expected Rate of Return on plan Assets	6.50%-7.50%	3.37% - 7.50%	6.50%-7.50%	5.15%-7.21%	6.50%-7.50%	5.15%-7.50%

II. परिभाषित लाभ योजनाएं (गैर निधिगत बाध्यता): संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (विशेषाधिकार छुट्टी), ग्रैच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र एक्चुरी द्वारा एक्चुरियल वैल्यूएशन के अनुसार संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (विशेषाधिकार छुट्टी), ग्रैच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

II. Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:

ए) देयता की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन
a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	1,810.04	1,716.35	5.79	4.94	289.94	290.43
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	129.29	113.16	0.41	0.32	20.59	19.71
जोड़ें- चालू सेवा लागत Add- Current Service Cost	260.01	250.95	0.67	0.75	14.34	14.52
जोड़ें- विगत सेवा लागत Add- Past Service Cost	-	0.19	0.02	0.06	-	0.00
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	175.21	305.78	1.50	0.76	39.82	45.53
जोड़ें- बाध्यता पर एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain (-) on obligation	(129.31)	35.96	0.01	0.48	(9.83)	10.81
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	1,894.83	1,810.82	5.40	5.79	275.22	289.94

बी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि
b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ए) चालू सेवा लागत a) Current Service Cost	259.88	250.95	0.67	0.75	6.02	12.13
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	-	0.19	0.02	0.06	-	-
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	129.29	113.16	0.41	0.32	20.59	19.71
डी) निवल एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) d) Net Actuarial Loss/gain(-)	(129.31)	35.96	0.01	0.48	(9.83)	10.81
लाभ हानि खातों में निर्धारित व्यय Expenses Recognized in P&L	**259.86**	**400.26**	**1.11**	**1.61**	**16.78**	**42.65**

सी) तुलन पत्र में निर्धारित देयता/ (आस्ति) की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
ए) आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता a) Opening Defined Benefit Obligation	1,810.04	1,716.35	5.79	4.94	289.94	290.43
बी) आरंभिक समायोजन b) Opening Adjusted	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
सी) निवल अधिग्रहण लागत c) Net Acquisition Cost	0.24	0.00	0.00	0.00	-	0.00
डी) उपर्युक्त अनुसार व्यय d) Expenses as above	259.75	400.26	1.11	1.61	16.78	45.04
ई) प्रदत्त लाभ e) Benefit paid	175.21	305.78	1.50	0.76	31.50	45.53
एफ) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,894.83	1,810.82	5.40	5.79	275.22	289.94

डी) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान

d) Principal Actuarial Assumptions

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
बट्टा दर Discount rate	7.30%-7.55%	6.50%-7.25%	7.30%-7.55%	6.75%-7.25%	7.30%-7.55%	7.25%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.00%-10.00%	5.50%-10.00%	5.00%-10.00%	7.30%-10.00%	5.00%-10.00%	5.50%
एट्रीशन दर Attrition Rate	15.00%-18.00%	2.00%-20.00%	15.00%-18.00%	2.00%-20.00%	15.00%-18.00%	2.00%

एक्चुरियल वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है. ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आकलन और अनुमानों को आधार बनाया है.

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, pramotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience/ immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

12.4 खंड रिपोर्टिंग (एएस - 17)

1. खंड की पहचान:

I. प्राथमिक (व्यापार खंड): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल हैं। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रुप से लेनदेन परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है।

ii. कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ और उससे अधिक राशि के उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ से कम राशि के उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं। रिटेल खंड के तहत डिजिटल बैंकिंग उपखंड भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शेष राशि को प्रकट करता है।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उर्पयुक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

II) गौण (भौगोलिक खंड)

i) घरेलू परिचालन - शाखाएं/ कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है।

ii) विदेशी परिचालन - शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर और जिन विदेशी बैंकिंग इकाइयों का परिचालन भारत में होता है।

III. खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/ प्रदत्त अवशिष्ट ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।

सी) अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है।

समूह की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है और उन्हें आबंटित माना गया है।

12.4 Segment Reporting (Accounting Standard-17):

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure above ₹7.50 Crores.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure upto ₹7.50 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directives

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are calssified under this primary segments.

II. Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India.

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities.

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The group has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

सेगमेंट संबंधी जानकारी

भाग ए: कारोबार सेगमेंट

Segment Information

Part A - Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking						अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
					डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)		अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)		कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)					
	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	28,574.12	25,246.48	34,491.33	27,402.17	0.06	-	40,048.77	-	40,048.83	30,899.91	7,663.70	4,231.63	**110,777.98**	**87,780.19**
सेगमेंट परिणाम Segment Result	2,281.09	3,896.11	13,144.87	1,877.93	(3.65)	-	12,504.24	-	12,500.59	9,079.01	207.41	887.32	**28,133.96**	**15,740.37**
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,352.09	5,582.61
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,781.87**	**10,157.76**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,876.67	2,308.07
असाधारण लाभ/ हानि Extra-Ordinary Profit/ Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ Net Profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14,905.20**	**7,849.69**
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	491,524.64	474,454.50	592,012.29	484,318.19	8.35		396,608.27		396,616.62	336,662.36	25,006.15	22,611.08	**1,505,159.70**	**1,318,046.13**
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,719.27	22,090.96
कुल आस्तियां Total Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,525,878.97**	**1,340,137.09**
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	457,683.83	441,930.05	551,253.04	451,117.57	7.78	-	369,302.32	-	369,310.10	313,583.73	23,284.51	21,061.06	**1,401,531.48**	**1,227,692.41**
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,292.78	20,576.60
कुल देयताएं Total Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,420,824.26**	**1,248,269.01**

भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू परिचालन Domestic Operations		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
	वित्त वर्ष : 2022-23 2022-23	वित्त वर्ष : 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष : 2022-23 2022-23	वित्त वर्ष : 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष : 2022-23 2022-23	वित्त वर्ष : 2021-22 FY: 2021-22
राजस्व Revenue	100,935.21	82,426.25	9,842.77	5,353.94	**110,777.98**	**87,780.19**
आस्तियां Assets	1,450,638.16	1,122,943.06	75,240.81	217,194.03	**1,525,878.97**	**1,340,137.09**

12.5 संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

I. संबद्ध पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

समूह से संबद्ध पार्टियां के ग्रुप :

ए) अनुषंगिया

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

बी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

सी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नवीनतम नाम सहित)

12.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

b) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India InfraDebt Limited

c) Key Management Personnel (Includes the latest Names)

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S No.	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक / Remuneration	
			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
1	श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	49,03,881/-	40,46,242/-
2.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	43,21,279/-	35,71,195/-
3.	श्री देबदत्त चाँद Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	42,90,766/-	32,38,631/-
4.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (21.10.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 21.10.2021)	36,56,842/-	14,35,512/-
5.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 21.11.2022)	13,50,465/-	0.00
6.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची* Shri Vikramaditya Singh Khichi*	कार्यपालक निदेशक (31.07.2022 से प्रभावी) Executive Director (retired on 31.07.2022)	1,67,30,052/-	34,35,928/-
7.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक (31.08.2021 से प्रभावी) Executive Director (upto 31.08.2021)	0.00	34,32,975/-

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित
लेखों की टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।

*Includes retirement benefits
In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

ii) **संबद्ध पार्टियों के साथ संव्यवहारों के विवरण**

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने संबद्ध पक्षों (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है) के साथ बैंक के लेनदेन के विवरण निम्नानुसार हैं:

II. Details of transactions with Related Parties

The details of transactions of the Bank with its related parties (as compiled by the management) during the year ended 31 March, 2023 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मदें/संबद्ध पार्टी Items/ Related Party	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
ऋण Borrowings	-	-	-	-
जमाराशियां Deposit	-	-	-	-
जमाराशियों का प्लेसमेंट Placement of deposits	-	-	-	-
अग्रिम Advances	-	-	-	-
निवेश Investments	1,099.70	-	-	1,099.70
गैर-निधीयन प्रतिबद्धताएं Non-funded commitments	-	-	-	-
प्राप्त लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-
उपलब्ध कराई गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest received	74.48	-	-	74.48
उपार्जित ब्याज Interest Accrued	36.94	-	-	36.94
सेवाओं का प्रतिपादन Rendering of services	-	-	-	-
सेवाएं प्राप्त करना Receiving of services	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश Dividend received	10.32	-	-	10.32

संबद्ध पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार 'राज्य-नियंत्रित उद्यम' हैं।

इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों समेत बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकार के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18.

Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.6 लेखांकन मानक -19 "पट्टे" :

12.6 Accounting Standard-19 "Leases":

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं :
Premises taken on operating lease are given below:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है।

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
एक वर्ष से कम Less than 1 year	188.88	89.33
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	242.95	299.46
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	261.61	271.75

ii) प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹843.15 करोड़ (विगत वर्ष: ₹793.62 करोड़)
नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं। इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें नहीं होती हैं ।

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 843.15 Crores (Previous Year: ₹ 793.62 Crores)
The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

12.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)

बैंक लेखांकन मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में बुनियादी और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है ।

12.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20):

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,171,362,179	5,171,362,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	0	0
वर्ष के अंत में शेयर की संख्या Number of share at the end of year	5,171,362,179	5,171,362,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,171,362,179	5,171,362,179
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,171,362,179	5,171,362,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	14905.2	7,849.69
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	28.82	15.18
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earning per share (In ₹)	28.82	15.18
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	2.00	2.00

12.8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

12.8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22):

ए. आस्थगित कर आस्तियां **a. Deffered Tax Assets**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	211.80	200.35
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	8,474.05	11,113.79
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for leave encashment	482.90	467.65
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारिक्षित निधि Foreign Currency Translation Reserve	560.09	351.63
धोखाधड़ी हेतु प्रावधान Provision for Fraud	157.91	146.69
गैर-बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य हेतु प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & Others	123.52	95.35
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred tax Asset	**10,010.27**	**12,375.46**

बी. आस्थगित कर देयताएं **b. Deferred Tax Liabilities**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	3.89	12.06
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	1,948.94	1,873.43
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,392.80	1,097.77
अन्य / Others	0.01	-
कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred tax Liability	3,345.64	2,983.26
निवल आस्थगित कर देयताएं Net Deferred tax Asset	**6,664.63**	**9,392.20**

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित मूल बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है। ₹13336.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6539.29 करोड़) के विवादास्पद आय कर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि मूल बैंक के विचार में, कर सलाहकारों की विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं ।

Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Parent Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹13336.42 Crore (previous year ₹6539.29 Crore) as in the Parent bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

12.9 समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)

चूंकि बैंक का अपने सहयोगियों में निवेश सहभागी प्रकृति का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है ।

12.9 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (AS-23)

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

12.10 परिचालन बंद करना (एएस-24)

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने किसी भी विदेशी टेरिटेरी/अनुषंगी/ सहयोगी को बंद नहीं किया है:

12.10 Discontinuing operations (AS-24)

During the Financial Year 2022-23, the group has not closed any of its Territories/Subsidiaries/Associates.

12.11 आस्तियों की हानि (एएस-28)

एएस - 28 "आस्तियों की हानि" के अनुरूप ₹ 1.43 करोड़ लाभ एवं हानि खाते से डेबिट किए गए जबकि वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है।

12.11 Impairment of Assets (AS-28)

In terms of AS - 28 "Impairment of Assets" ₹1.43 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

12.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

12.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	**विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases/Contingencies**	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022**
प्रारम्भिक शेष राशि Opening balance	171.04	201.99
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत Provided during the year	16.20	(29.82)
वर्ष के दौरान समायोजित Adjusted during the year	2.52	(1.13)
दिनांक 31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	189.76	171.04
आउटफ्लो / अनियमितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/ क्रिस्टलीकरण का आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता अवार्ड/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, साथ ही जो करार की बाध्यताओं, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है ।

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

बी) मेसर्स एसटीसीआई - स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेंट बैंकर) ने वर्ष 2010 में बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध एसपीवीसीएल द्वारा दावाकृत ₹15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज किया था। उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है। प्रबंधन की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देयता नहीं होगी और अनुमान के अनुसार न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा।

सी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

डी) आकस्मिक देयताओं के विवरण

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है

व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न प्रोसीडिंग्स के पक्षकार हैं। यह अपेक्षा नहीं है कि समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन या नकदी प्रवाह के परिणाम पर ये प्रोसीडिंग्स के परिणाम वस्तुगत प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। यह समूह विभिन्न कराधान मामलों के लिए पक्षकार है जिसके संबंध में अपील लंबित हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक एवं उसकी अनुषंगियों द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं।

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रतिबिंबित करता है।

सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता

समूह ने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है। वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है। मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है। ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है। वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है। विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं। मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है। अनुमानित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, यह समूह आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में ऑफसेट लेनदेन करता है। इससे अधिक संख्या में बकाया लेनदेन जनरेट होता है और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल

B) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of ₹15.23 Crore claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

C) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

D) Description of contingent liabilities

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts

The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows. The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank and its subsidiaries.

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts

The Group enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/ principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract,\ which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The notional amounts are recorded as contingent liabilities. With respect to the transactions entered into with its customers, The Group generally enters into offsetting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large

अनुमानित मूलधन में भारी वृद्धि होती है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम है।

डी) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है । वह गारंटी इरेवोकेबल एश्योरेंस को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा ।

ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया हैं, को शामिल किया गया है ।

एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से (कंटींजेंटली) उत्तरदायी है ।

13 (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Group issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Group on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is contingently liable.

13. a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	मामले का प्रकार Nature of Breach	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed by RBI	नियामक/ परिचालनगत Regulatory/ Operational	753	1.92	528	9.74
विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		3	4.16	11	0.33

बी) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म लौटाए जाने की तारीख	राशि	टिप्पणियां
2022-23	-	-	-
2021-22	-	-	-

सी) रिवर्स रेपो लेन-देन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (चूककर्ता प्रतिभागी हेतु लागू)।

मौजूदा वर्ष - शून्य

पिछले वर्ष- शून्य

डी) विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए अन्य जुर्माने के विवरण निम्नानुसार हैं:

	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य	शून्य
भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007	शून्य	शून्य
सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2006	शून्य	शून्य

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2022-23	-	-	-
2021-22	-	-	-

c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant)

Current Year - NIL

Previous Year - NIL

d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions is as under:

	Current Year	Previous Year
Banking Regulation Act, 1949	NIL	NIL
Payment and Settlement Act, 2007	NIL	NIL
Government Securities Act, 2006	NIL	NIL

14. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

14.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक / कंपनी की शेष राशियों का रिकंसिलेशन सतत आधार पर किया जाता है। बैंक के मामले में, अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान दिनांक 31.03.2023 तक पूरा कर लिया गया है, जिसका रिकंसिलेशन किया जा रहा है। अनुषंगी बही खातों का मिलान, अंतर-कार्यालय खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों की पुष्टि/ रिकंसिलेशन आदि सतत आधार पर जारी है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त का, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

14.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है।

14.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 (आरएफ 1.0) और 05.05.2021 (आर एफ 2.0) के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए निपटान फ्रेमवर्क के तहत लागू निपटान योजना के विवरण।

14. Additional Disclosures

14.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. In case of Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2023, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

14.2 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

14.3 Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2021 (RF 2.0) as of March 31, 2023.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार **Type of borrower**	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पूर्व छमाही अर्थात 30.09.2022 की समाप्ति पर स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2022 (A)**	(ए) में से, सकल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया **Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि **Of (A), amount written off during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि **Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year**	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही अर्थात 31.03.2023 की समाप्ति पर स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2023(A)**
वैयक्तिक ऋण$ Personal Loans$	4,459.82	176.32	-	300.89	4,095.12
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	3,333.36	63.63	-	178.88	3,058.23
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	255.48	-	-	18.40	204.21
अन्य / Others	966.59	31.43	-	63.57	957.64
कुल Total	**8,759.77**	**271.38**	**-**	**543.34**	**8,110.99**

* दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए गए अनुसार

$ पूल खातों के मामले में, जानकारी प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध किए गए अनुसार है।

14.4 दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार निपटान योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता शामिल है। बैंक के पास 31.03.2023 को 17 खातों में ₹ 719.70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

14.4 As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of ₹719.70 Crores as on 31.03.2023 in 17 number of accounts as detailed below

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋण की राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (बी)	31.03.2023 को (बी) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (सी)	31.12.2022 को धारित प्रावधान (डी)	31.03.2023 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) (ई)	31.03.2023 को धारित प्रावधान (एफ)
Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2023 out of (B) classified as NPA (C)	Provision held as on 31.12.2022 (D)	Additional provision/ (reversal) made during quarter ended 31.03.2023 (E)	Provision held as on 31.03.2023 (F)
2,187.50	932.38	932.38	1,389.51	(669.81)	719.70

आईबीसी-एनसीएलटी संबंधी प्रावधान

14.5. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/ 21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/ 21.04.048/ 2017-18 दिनांक 23 जून, 2017 और दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए समूह ने 31 मार्च, 2023 को कुल ₹ 7,336.98 करोड़ (कुल बकाया के 100% के रूप में) का प्रावधान किया है (पिछले वर्ष: कुल बकाया के 100% के रूप में ₹ 7,656.31 करोड़)।

अनहेजेड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई)

14.6 उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2023 तक ₹ 281.71 करोड़ का प्रावधान किया है।

14.7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत लीवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) सहित पिलर 3 प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii" पर उपलब्ध है। यह प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं।

14.8. न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 निर्देशों के अनुसार,

IBC-NCLT Provisions

14.5 As per RBI letters no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹7,336.98 Crore (100% of total outstanding) as on March 31, 2023 (Previous year ₹7,656.31 Crore i.e. 100% of total outstanding)

Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

14.6 Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹ 281.71 Crore as on March 31, 2023.

14.7 In terms of RBI guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio, liquidity coverage ratio and Net stable funding ratio (NSFR) under the Basel- III framework are being made available on our website "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii". These disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank.

14.8 As per Directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure

दो (2) खातों को न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सकल बकाया ₹ 208.54 करोड़ है जिसके सापेक्ष अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक ₹ 60.03 करोड़ का प्रावधान किया है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों में आईआरएसीपी मानदंडों के अलावा 31.03.2023 तक ₹ 91,346 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

14.9. बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹145441 लाख की राशि की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 के द्वारा बैंकों को प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ 5 (पांच) वर्ष की अवधि तक की अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त प्रावधान का विकल्प चुना और तदनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹872.65 करोड़ के गैर परिशोधित व्यय को आगे कैरी फॉर्वर्ड किया है। यदि बैंक ने लाभ और हानि खाते के लिए संपूर्ण अतिरिक्त देयता को प्रभारित किया होता, तो 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 653.00 करोड़ कम होता।

14.10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और जिसे हमने आधार बनाया है ।

14.11 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048 /2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि में धोखाधड़ी के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, 31 मार्च, 2023 तक कैरी फॉरवर्ड प्रावधान, ₹ 13.59 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 9.32 करोड़ था) है, जिसे बैंक द्वारा आगामी तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा ।

14.12 'अग्रिमों की पुनर्संरचना-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एक बारगी पुनर्संरचना) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, परिपत्रांक डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं परिपत्रांक डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, 31.03.2023 को एमएसएमई पुनर्संरचित उधारकर्ताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

with respect to accounts kept as standard due to the Court order 2 (Two) accounts are classified as Standard as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 208.54 Crore as on March 31, 2023, against which the Bank is holding provision of ₹60.03 Crores as on March 31, 2023 as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

Apart from above, the Bank is holding additional provision of ₹91,346 lakhs as of March 31, 2023 over and above the IRAC norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

14.9 Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹145441 lakhs. However, RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted the said provision of RBI and accordingly charged an amount of ₹290.88 Crores to the Profit & Loss account for the year ended March 31, 2023 and the balance unamortized expense of ₹872.65 Crore has been carried forward. Had the Bank charged the entire additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit (after tax) for the year ended March 31, 2023 would have been lower by ₹653.00 Crores.

14.10 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

14.11 As per the RBI circular no. RBI/2015-16/376 DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2023 is ₹13.59 Crores (Previous Year ₹9.32 Crores) which is to be amortised in the subsequent quarters by the Bank.

14.12 In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2023 is as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2023 को राशि
77,593	5,569.12

14.13 निपटान फ्रेमवर्क 2.0-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 एवं परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋणधारकों की संख्या	राशि	किया गया प्रावधान
12385	1443.16	237.94

14.14 निपटान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसाय के कोविड-19 संबंधी दबाव का निपटान" संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन अनुमोदित और क्रियान्वित किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार हैं: -

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋणधारकों की संख्या	राशि
5895	557.57

14.15 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)-खरीद-बिक्री

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Amount as on 31.03.2023
77,593	5,569.12

14.13 In accordance with RBI circular No DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(Amount in ₹ Cr)

No of Borrowers	Amount	Provision Held
12385	1443.16	237.94

14.14. In accordance with the RBI Cir.No.DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework -2.0 : Resolution of COVID-19 related stress of individual and small business" ,the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers as on 31.03.2023 is as under:

(Amount in ₹ Cr)

No of Borrowers	Amount
5895	557.57

14.15 Priority Sector Lending Certificate (PSLCs): Purchase-Sale

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	श्रेणी Category	वित्त वर्ष 2022-23 FY 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22 FY 2021-22	
		खरीद Purchase	बिक्री Sale	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	-	-	1,000.00
2.	पीएसएलसी कृषि PSLC Agriculture	-	-	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य PSLC General	-	-	-	-
4	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	-	1,000.00	3,500.00	-
5.	एमएसएमई MSME	-		-	-
	कुल Total	**-**	**1,000.00**	**3,500.00**	**1,000.00**

14.16 अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड के मामले में, अनुषंगी और मूल प्रबंधन ने कोर बैंकिंग समाधान, ऋण हानियों का वर्गीकरण एवं पहचान और अन्य पर्यवेक्षी कार्यों के क्षेत्र में विभिन्न नियामक निर्देशों के अनुसार अपेक्षित नियंत्रण में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मूल बैंक का प्रबंधन समूह की वित्तीय स्थिति पर इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुमान नहीं करता है।

14.17 बैंकों द्वारा अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि ₹ शून्य से उत्पन्न अधिशेष को चालू वर्ष के दौरान "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि" में जोड़ा गया है । साथ ही, एस-28 "आस्ति की हानि" के संदर्भ में ₹1.43 करोड़ लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए हैं, जिसमें वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है ।

14.18. बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम को तैयार करने में 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के समान ही लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना जारी रखा है। बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आईसीएआई (जीएन) द्वारा जारी डेरीवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार बैंक के अंतरराष्ट्रीय टेरीटरीज द्वारा किए गए विदेशी निवेशों के संबंध में डेरीवेटिव संविदाओं के लिए हेज लेखांकन और विदेशी शाखाओं में निवल निवेश के लिए बकाया पूंजी हेजिंग सौदों के संबंध में हेज लेखांकन को लागू किया है। अब तक, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, ऐसी संविदाओं का लेखांकन लेखा मानक-11 के अनुसार किया जाता था। 'विदेशी मुद्रा दरों में प्रभारों के प्रभाव' आईसीएफआई द्वारा जारी किया गया ।

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ ₹60.26 करोड़ अधिक है।

14.16 In the case of one of the subsidiary Nainital Bank Limited, the management of the subsidiary and the Parent has initiated various steps to improve the controls required as per various regulatory directions in the area of core Banking solution, classification and identification of loan losses and other supervisory functions. The management of Parent Bank does not foresee any material impact over the Group Financial position arising out of the same.

14.17 In terms of Banks approved revaluation policy, The immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹ NIL has been added to "Revaluation Reserve" during the current year. Also in terms of AS - 28 "Impairment of Assets" ₹1.43 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

14.18 The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of financial results for the quarter / year ended March 31, 2023 as followed in the previous financial year ended March 31, 2022. The Bank had, during the current financial year implemented the Hedge accounting for derivative contracts in respect of overseas investments made by International territories of the Bank and in respect of outstanding capital hedging deals towards net investments in overseas branches in accordance with the Guidance Note on Accounting for derivative contracts issued by ICAI (GN). Hitherto, i.e. up to financial year 2021-22, the accounting for such contracts was being done as per Accounting Standard-11. "The effects of charges in foreign exchange rates" issued by ICAI.

Consequent to this change, the profit for the year is higher by ₹60.26 Crore.

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2023

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022
ए.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A.	Cash flow from operating activities:		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**20,78,187**	**10,15,776**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	2,03,186	1,43,824
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	1,70,310	56,687
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	4,55,080	14,81,469
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	54,695	(2,66,173)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)		Provision for Other items (Net)	2,82,595	1,39,780
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) हानि (निवल)		(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(1,433)	(423)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	1,93,520	1,95,799
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	-	(646)
	उप योग		**Sub total**	**34,36,140**	**27,66,093**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(51,29,323)	(66,04,857)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(1,70,92,169)	(88,85,338)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in other assets	1,18,396	4,54,388
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	70,835	37,62,417
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	1,58,87,756	79,89,463
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	11,43,106	12,39,657
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(5,61,796)	(1,00,788)
	परिचालन गतिविधियों (ए) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash flow from /(used in) operating activities (A)**	**(21,27,055)**	**6,21,035**
बी.	निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	B.	Cash flow from investing activities:		
	अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(98,296)	(3,16,288)
	अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	19,670	(24,225)
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)		Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(31,000)	(24,640)
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	-	646
	निवेश संबंधी गतिविधियों (बी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash flow from /(used in) investing activities (B)**	**(1,09,626)**	**(3,64,507)**

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022
सी.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	**C.**	**Cash flow from financing activities:**		
	गैर-जमानती गौण बॉन्ड		Unsecured Subordinated Bonds	(2,32,430)	63,860
	प्रदत्त लाभांश		Dividend paid	(1,46,570)	-
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	(1,93,520)	(1,95,799)
	माइनोरिटी ब्याज में वृद्धि/(कमी)		Increase/(Decrease) in Minority Interest	23,680	32,158
	वित्तपोषण गतिविधियों (सी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash flow from /(used in) financing activities (C)**	**(5,48,840)**	**(99,781)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि/(कमी)		**Net increase/(decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**(27,85,521)**	**1,56,747**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and cash equivalents as at the beginning of the year**	**1,30,22,860**	**1,28,66,113**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and cash equivalents as at the end of the year**	**1,02,37,339**	**1,30,22,860**

टिप्पणी: / **Notes:**

1 नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है.

1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

2	नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2	Components of Cash & Cash Equivalents	**31 मार्च, 2023 को As on 31st March 2023**	31 मार्च, 2022 को As on 31st March 2022
	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि		Cash & Balance with RBI	56,69,621	72,77,494
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	45,67,718	57,45,366
	कुल		**Total**	**1,02,37,339**	**1,30,22,860**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (''मूल संस्था''/''बैंक'') और इसकी अनुषंगियों (मूल संस्था और इसकी अनुषंगियां मिलकर "समूह" के रूप में संदर्भित), इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों (इसके बाद ''**समेकित वित्तीय विवरण**'' के रूप में संदर्भित) संबंधी नोट का समावेश है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

ए) बैंक की लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी;

बी) 7 घरेलू अनुषंगियों, 4 विदेशी अनुषंगियों, 1 घरेलू संयुक्त उद्यम, 2 घरेलू सहयोगी संस्थाओं की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी और

सी) 1 घरेलू अनुषंगी, 3 विदेशी अनुषंगियों, 1 विदेशी संयुक्त उद्यम, 1 घरेलू सहयोगी और 1 विदेशी सहयोगी की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी ।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निदेशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यमों के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) 31 मार्च, 2023 तक समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण;

बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों का वास्तविक लाभ; और

सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण ।

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार की है । उन लेखा परीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित हैं । हम उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "नैतिक आचरण संहिता" के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं जो भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक होने के साथ-साथ लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

विषयवस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं:

ए) अनुसूची 19 की नोट सं. 14.9 जो ₹1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन से संबंधित है । बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹872.65 करोड़ के अपरिशोधित व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 के अनुसार शामिल किया है ।

बी) अनुसूची 19 की नोट सं. 14.11 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित कुछ धोखाधड़ी संबंधी खातों से संबंधित ₹13.59 करोड़ के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं. बीपी.बीसी. 92/21.04.048/ 2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में अगली तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना है ।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है ।

4. लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे । इन मुद्दों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में और इस पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं । हमने नीचे वर्णित मामलों को संबंधित संघटक लेखापरीक्षकों द्वारा

रिपोर्ट किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ प्रिंसिपल लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण हैं ।

I. **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान करना (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)**

बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 63.15% है जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है । ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी मानदंडों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, निष्पादक अग्रिमों और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं । विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और इनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है । बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लागू लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है।

निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है । बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख- रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं ।

व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है ।

साथ ही, बैंक ऐसे एक्सपोजर से संबंधित प्रावधान करता है जो कुछ सेक्टरों के लिए अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों या समूह अग्रिमों सहित एनपीए के रूप में निर्धारित नहीं की जाती हैं ।

लेन-देन के स्वरूप, विनियामक अपेक्षाओं, मौजूदा व्यावसायिक परिवेश, प्रतिभूतियों के आकलन में शामिल अनुमान/ निर्णय और प्रावधानों की गणना पर विचार करते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिप्रेत उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है ।

इसके अलावा, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए थर्ड पार्टी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और गैर-निष्पादक अग्रिमों सहित ब्याज आय के निर्धारण के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता के कारण हमने उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है ।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और इनके लिए प्रावधान करने हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया । हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे:

ए) हमने अनर्जक आस्तियों के निर्धारण, मूल प्रक्रिया के स्वरूप, समय और सीमा के निर्धारण संबंधी प्रावधान से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, जांच बिन्दु और बैलेंस के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई ।

बी) हमने हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान करने के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की जांच की है । हमें आबंटित शाखाओं में मूल प्रक्रिया करने के दौरान हमने बड़े अग्रिमों/ दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है और बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा सहित अन्य अग्रिमों की जांच नमूना आधार पर की गई है ।

सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई ।

डी) शाखाओं से प्राप्त विवरणियों जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है, को आधार बनाया गया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणाली की समीक्षा की गई और अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पाए गए उन अपवादों/ विचलनों/त्रुटियों जिन पर बैंक द्वारा पर्याप्त रूप से विचार किया गया था, को सुनिश्चित किया गया ।

ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण और आय के सापेक्ष रिवर्सल की जांच की गई.

एफ) एनपीए की पहचान और भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया ।

जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया ।

एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य को भी आधार बनाया है ।

आई) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों का विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया ।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से संचालित अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्य करने पर अत्यधिक निर्भर हैं। हमारा ध्यान सिस्टम में फीड करने, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एक्सेस प्रबंधन और ड्यूटी के विभाजन के तर्क पर केन्द्रित रहा है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि ऐप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन उचित, प्राधिकृत, स्पष्ट और निगरानी में हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी तैयार कर सके जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग में लायी जाती हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग किया जाता है । बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा जनरेट करती हैं और विविध एवं जटिल लेनदेन की प्रक्रिया संपादित करती हैं जो आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं । यह एक ऐसा जोखिम हो सकता है जिसे स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से परिचालित न किया गया हो । अतः इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना जाता है ।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी ऐप्लिकेशनों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है और टेस्ट परीक्षण के आधार पर सिस्टम से जनरेट की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी सिस्टम की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है । हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रित वातावरण और प्रमुख बदलावों जो लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, को समझा है ।

बी) टेस्ट परीक्षण के आधार पर ऐसे ऐप्लिकेशन, एक्सेस नियंत्रणों सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, की डिजाइन, क्रियान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्णय लिया, वहां हम मैन्युअल वैकल्पिक नियंत्रणों पर निर्भर रहे जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्रोतों के बीच रिकंसिलेशन या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूने के आकार को विस्तार दिया है ।

डी) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पास की गई सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) को आधार बनाया गया ।

ई) बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट जहां कहीं भी उपलब्ध कराया गया है, को आधार बनाया गया ।

एफ) आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की गई और प्रमुख आईटी नियंत्रणों सहित अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग के साथ चर्चा कि गई।

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं ।

निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.05% है. ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं ।

गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है ।

तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही ।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना का संग्रहण शामिल है ।

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक फोकस की गंभीरता में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है ।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के परिपत्रों/ निदेशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है -

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है।

बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन कर मूल्यांकन संबंधी निदेशों के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है । नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है ।

डी) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है;

ई) हमने स्वतंत्र रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है । तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधी परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

बैंक ने उक्त संबंध में दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउट फ्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है । बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक तथा स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है । तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं ।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के अनुपालन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी ।

लेखा परीक्षक की प्रतिक्रियाएं

मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है ।

बी) हमने विवादों के संभावित आउट फ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है । इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है ।

सी) इसके अलावा, संभावित आउट फ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में कंपनी के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है ।

डी) कर से इतर महत्वपूर्ण विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए चयनित मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है ।

इ) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है ।

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है ।

जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है।

एच) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां / प्रधान कार्यालय में उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी पर निर्भरता ।

5. अन्य मामले

ए) हमने 11 अनुषंगियों और 01 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ₹63256.79 करोड़ की कुल आस्ति, ₹11714.73 करोड़ के कुल राजस्व और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹297.50 करोड़ का निवल नकदी इनफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के

लिए समूह का ₹256.93 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि 2 सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

विदेशी अनुषंगियों के मामले में, वित्तीय सूचना उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है। कंपनी के प्रबंधन ने ऐसी अनुषंगियों की वित्तीय सूचना को उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामन्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में रूपांतरित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी अनुषंगियों के बकाया शेष का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

बी) हमने 4 अनुषंगियों और 01 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ₹11252.43 करोड़ की कुल आस्ति, ₹425.69 करोड़ के कुल राजस्व और दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹336.09 करोड़ के निवल नकदी आउटफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹60.41 करोड़ के निवल लाभ/ (हानि) का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि 2 सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। ये समेकित वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

सी) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी, के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने दिनांक 09 मई, 2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है और 'अन्य मामले' खंड में रिपोर्ट किया है कि मौजूदा चालू जीवन बीमा पॉलिसी और पॉलिसी जहां प्रीमियम बंद कर दिया गया है, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन की देयताएँ कंपनी के नियुक्त एक्चुअरी ("अपॉइंटेड एक्चुअरी") की जिम्मेदारी है। चालू लाइफ़ पॉलिसियों और उन पॉलिसियों जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता 31 मार्च, 2023 तक मौजूद है, के लिए इन देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन को नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है, और उनकी राय में ऐसे मूल्यांकन के लिए अनुमान प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ('आईआरडीएआई'/प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि मौजूदा जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल है, पर हमारी राय बनाई जा सके।

डी) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा संयुक्त केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने 31 मई, 2022 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारियां

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है, जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी और बासेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो

चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के कैश फ्लो का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सम्मिलित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हो तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है, जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, जिसे उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है, के लिए जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थान के संबंधित निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा समूह के संस्थान को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थानों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निगरानी करने के लिए भी जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य यह भरोसा दिलाना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम :

- समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की

तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि समेकित वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यवसाय की गतिविधियों की वित्तीय सूचना पर पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थानों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वैसे अन्य लेखा परीक्षक ही जवाबदेह होंगे। हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं।

वस्तुनिष्ठता, समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभावित करता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकार यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित विषयों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. बैंक का समेकित तुलनपत्र एवं समेकित लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हमारी लेखापरीक्षा और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित तथा अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी, जिसे 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में नोट किया गया है, के यथालागू अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई रिटर्न के अनुसार हैं ;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए)

की नियुक्ति - 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

ए) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं;

बी) वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसे कोई अवलोकन या टिप्पणियाँ नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी) जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है। भारत में गठित सरकारी कंपनी के अतिरिक्त अनुषंगियां, सहायक एवं संयुक्त उद्यम के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित अनुषंगी, सहायक एवं संयुक्त उद्यमों के कोई भी निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं, 31 मार्च 2013 तक के अनुसार अयोग्य नहीं है।

डी) खातों के रखरखाव और उनसे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई क्वालिफिकेशन प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश" के पैरा 1.14 के अनुसार आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते आर. देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 23074392BGXJOP4072

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:009096C

(अभिषेक महेश्वरी)
साझेदार
एम नं.: 402561
यूडीआईएन: 23402561BGXKOC4768

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000590C

(ओम प्रकाश व्यास)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 23014081BGSAQS6724

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049W

(पंकज जैन)
साझेदार
एम नं.: 048850
यूडीआईएन: 23048850BGSZNY3565

कृते एस वेंकटराम एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 004656S/S200095

(एस सुंदररमण)
साझेदार
एम नं.: 201028
यूडीआईएन: 23201028BGVYPW7190

दिनांक: 16 मई, 2023
स्थान: मुंबई

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Parent"/ "the Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2023, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:

a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

b) Audited Financial Statements of 7 Domestic Subsidiaries, 4 Foreign Subsidiaries, 1 Domestic Joint Ventures, 2 Domestic Associates and

c) Unaudited financial statements / financial information of 1 Domestic Subsidiary, 3 Foreign Subsidiaries, 1 Foreign Joint Venture, 1 Domestic Associate and 1 Foreign Associate.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, Joint Ventures and associates, the unaudited financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at 31st March, 2023;

b) true balance of Profit of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to following:

a) Note No. 14.9 of Schedule 19 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2023 and the balance unamortized expense of ₹ 872.65 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October, 2021.

b) Note No. 14.11 of Schedule 19 relating to deferment of provision of ₹ 13.59 Crores pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2023 and to be charged to the Profit & Loss Account in the subsequent quarters, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18th April, 2016.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

4. **Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the respective component auditors which, in our opinion, are material.

I. **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 18 to the financial statements)**

The net advances of the Bank constitute 63.15 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following :

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. **Information Technology (IT)and controls impacting financial Reporting**

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

<u>**Auditors' Responses**</u>

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 26.05 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

<u>**Auditors' Responses**</u>

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we

tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended 31st March, 2023 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 18 to the financial statements):**

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

<u>**Auditors' Responses**</u>

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the Financial Statements/information of 11 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 63256.79 Crores as at 31st March, 2023, total revenue of ₹ 11714.73 Crores, and net cash inflow of ₹ 297.50 Crores for the year ended on 31st March, 2023, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 256.93 Crores for the year ended 31st March 2023, as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of 2 Associates, whose financial statements/ financial information have not been audited by us. These financial statements/ financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates is based solely on the report of such auditors.

In the case of foreign subsidiaries, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The

Company's management has converted the financial information of such subsidiaries from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors. Our opinion in so far as it relates to the balances of such subsidiaries located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

b) We did not audit the Financial Statements/ financial information of 4 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 11252.43 Crores as at 31st March, 2023, total revenue of ₹ 425.69 Crores and net cash outflows of ₹ 336.89 Crores for the year ended on 31st March, 2023, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net Profit/ (loss) of ₹ 60.41 crores for the year ended 31st March, 2023, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 2 associates whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements/ financial information are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and joint ventures is based solely on such unaudited Financial Statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these Financial Statements/ Financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

c) The Independent Auditors of India First Life Insurance Company Ltd., a subsidiary, have vide their Audit report dated 09th May, 2023 have expressed an unmodified opinion and have reported in the 'Other Matter' section that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium has been discontinued is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at 31st March, 2023 has been duly certified by the Appointed Actuary, and in her opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI'/Authority) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as contained in the financial statements of the Company.

d) The consolidated Financial statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2022 were audited by the joint central Statutory auditors two of which are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such Financial statements vide their report dated 31st May, 2022.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial

performance and consolidated cash flow of the Group, its associates & joint ventures in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates & joint ventures and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for assessing the ability of the Group and its associates and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates and joint ventures.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and joint ventures to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint ventures to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates and joint ventures to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated 19th May, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on 31st March, 2023 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As per par 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 23074392BGXJOP4072

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Abhishek Maheshwari)
Partner
M. No.: 402561
UDIN: 23402561BGXKOC4768

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(Om Prakash Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 23014081BGSAQS6724

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

(Pankaj Jain)
Partner
M. No.:048850
UDIN: 23048850BGSZNY3565

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095

(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028
UDIN: 23201028BGVYPW7190

Date : 16th May, 2023
Place : Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं।

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2023 contains unmodified opinion.

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

दिनांक: 16.05.2023
Date: 16.05.2023
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

समेकित सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- समेकित

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:

ए. हमने वर्ष 2022-23 (समेकित) हेतु समेकित वित्तीय विवरणी और नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं है।

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है।

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

.इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 16.05.2023
स्थान: मुंबई

Consolidated CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai
Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2023 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year 2022-23 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Date : 16.05.2023
Place : Mumbai

लाभांश संवितरण नीति

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम के रूप में संदर्भित] के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण 'जिसकी गणना प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को की जाती है' के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसे सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी दिया जाएगा। इससे निवेशकों को इन हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश करते समय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

हमारा बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार द्वारा जारी लाभांश के संबंध में दिशानिर्देशों जिनको नीति में विधिवत शामिल किया गया है, का अनुपालन करना हमसे अपेक्षित है।

उद्देश्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

(1) शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं

(2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल।

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं संबंधी पूर्ति के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है। साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। बैंक का यह प्रयास रहता है कि अतिरिक्त नकद राशि अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए।

सामान्यतया, बैंक लाभजनक वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं। कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

(ए) बैंक का वर्तमान और भविष्य का वित्तीय कार्य-निष्पादन,

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएं

(सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और

(डी) उसके शेयरधारकों की अपेक्षाएं।

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

लाभांश की घोषणा हेतु पात्रता मानदंड:

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा अपने निवेश के वित्तपोषण एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन भी उपलब्ध कराता है। बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के साथ संतुलन का प्रयास करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी.नं. बीपी. बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई, 2005 के माध्यम से सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

1) लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से ही किया जाएगा।

2) बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए:

ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा

बैंक के लिए 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल है जो 9% क विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त है। जब भी बफर 2.5% से कम होता है, तो अर्जन के विवेकाधीन संवितरण (उदाहरण के लिए, लाभांश, शेयर बायबैक और विवेकाधीन स्टाफ बोनस भुगतान) पर स्वत: प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि बफर/पूंजी स्तर को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए फिर से उपयुक्त किया जा सके।

और

बी) निवल एनपीए (अनर्जक आस्तियां) 7% से कम।

यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस लेखांकन वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है, उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

3) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 **की धारा 15 (लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध**) एवं 17 (लाभांश की घोषणा से पहले निधि आरक्षित करने हेतु लाभ के हिस्से का न्यूनतम 25% अंतरण) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।[1]

---

[1]***धारा 15 - लाभांश के भुगतान के बारे में प्रतिबंध***

[(1)] कोई भी बैंककारी कंपनी अपने शेयरों पर तब तक किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब तक कि उसके सभी पूंजीगत व्यय (जिनके अंतर्गत प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-विक्रय कमीशन, ब्रोकरेज, उपगत हानियों की राशि तथा व्यय की कोई ऐसी अन्य मद जिन्हें मूर्त आस्तियां द्वारा दर्शाया नहीं गया है) पूरी तरह से बट्टे खाते न डाल दिए गए हों।

[(2)] उपधारा (1) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी निम्नलिखित को बट्टे खाते डाले बिना अपने शेयरों पर लाभांश दे सकेगी।

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में उसके निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसा मूल्यह्रास वस्तुत: पूंजीकृत नहीं किया गया है या हानि के रूप अन्यथा लेखांकन में नहीं लिया गया है;

(ii) शेयरों, डिबेंचर या बॉण्ड (अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न) में उनके निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसे मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है;

(iii) अशोध्य ऋण, यदि कोई हों, उस दशा में, जिसमें ऐसे ऋणों के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है।"

धारा 17 - प्रारक्षित निधि

"(1) भारत में निगमित प्रत्येक बैंककारी कंपनी एक प्रारक्षित निधि सृजित करेगी तथा धारा 29 के अधीन तैयार किए गए लाभ-हानि खाते में प्रकट किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से तथा लाभांश घोषित किए जाने के पूर्व न्यूनतम, ऐसे लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि प्रारक्षित निधि को अंतरित करेगी।"

वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 30 अगस्त 2021 (11.10.2022 को अद्यतन) के अनुरूप लेखा मानक-26 के अनुपालन में बैंकों के तुलन पत्र में मान्य और शामिल अमूर्त आस्तियां, बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों की ओर संकेत करती हैं, जिसके अनुरूप बैंकों को तब तक किसी भी लाभांश की घोषणा करने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि तुलन पत्र में शामिल मूर्त आस्तियों में किसी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी अमूर्त आस्ति को अपनी बहियों में शामिल करते हुए लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट प्राप्त करनी होगी।

वित्तीय विवरणियां - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश - 30 अगस्त 2021 (11.10.2022 को अद्यतन) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी.बीसी.24/21.04.018/2000-2001 दिनांक 23.09.2000 के अनुरूप पूंजी में वृद्धि के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) को विनियोजन से पूर्व 'निवल लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक है।

4) वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार, बैंक को अनिवार्य विनियोजन के बाद वर्ष के लिए निवल लाभ से निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) और निवेश प्रारक्षित निधि के लिए विनियोजन करना चाहिए।

5) लाभांश की घोषणा से पूर्व, बैंक को मौजूदा वर्ष के लाभ से आस्तियों की क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रावधान करने, कर्मचारी सेवानिवृति लाभों, सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ अंतरण, सांविधिक प्रारक्षित निधि, निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर), निवेश प्रारक्षित निधि, विशेष प्रारक्षित निधि, पूंजी प्रारक्षित निधि और अन्य विनियोजनों हेतु पर्याप्त प्रावधान करने सहित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

6) रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया होना चाहिए।

7) लाभांश की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी प्रकार के निदेशों या पत्रों के अध्यधीन होगी।

8) लाभांश की घोषणा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु "त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क" के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021 द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अध्यधीन है।

9) लाभांश केवल प्रति शेयर के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए।

10) इस नीति और मौजूदा विनियम के बीच अंतर की स्थिति में, विनियम प्रभावी होंगे।

देय लाभांश का हिस्सा:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देश:

ए1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश:

(ए) लाभांश भुगतान का अनुपात (अर्थात् कर पश्चात लाभ के सापेक्ष लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा।

		निवल एनपीए अनुपात			
श्रेणी	सीआरएआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम तक	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
ए	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या उससे अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष में 9% या उससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ' के सापेक्ष 'वर्ष के दौरान देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर, जहां भी लागू हो) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

(बी) यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल हो, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

(सी) वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी ऐसी योग्यता से मुक्त होनी चाहिए जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। उस प्रभाव के लिए किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

ए2. भारत सरकार के दिशानिर्देश:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18 जनवरी 2013 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 20% अथवा निवल लाभ का 20% (जो भी अधिम हो) लाभांश के रुप में भुगतान करेगा।

यदि बैंक अंतरिम लाभांश भुगतान का निर्णय लेता है, बैंक द्वारा वार्षिक परिणामों के आधार पर कुल लाभांश का भुगतान उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इन प्रावधानों में किसी भी छूट के मामले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 04 जून 2021 के अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा, तदनुरुप विशेष पूर्वानुमति की आवश्यकता तभी होगी जब भुगतान दिशानिर्देशों और नियामक दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित से कम लाभांश के भुगतान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

बी. अंतरिम लाभांश

बैंक लाभप्रदता के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश घोषित करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति/भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित सीमा (अधिकतम/न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा।

सी. आंतरिक और बाह्य कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाह्य कारकों जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, सांविधिक और विनियामक प्रावधानों, कर विनियम पर भी निर्भर करेगा, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकते हैं। उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, निदेशक मण्डल विभिन्न आंतरिक कारकों जैसे कि व्यवसाय विकास संबंधी योजनाओं, भावी पूंजीगत आवश्यकताओं, पूंजीगत आस्तियों के प्रतिस्थापन, प्रदत्त अंतरिम लाभांश, लेखा विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षक की समझ और एनपीए खातों के निर्धारण में विचलन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण संबंधी निष्कर्षों और प्रावधानीकरण में कमी आदि को भी ध्यान में रखेगा। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मण्डल को लाभांश के भुगतान हेतु सिफारिश करेंगे। लाभांश के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

ऐसी परिस्थितियां जिसमें शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं।

लाभांश का वितरण निम्नलिखित यथा लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

i) समीक्षाधीन वर्ष में लाभ

ii) सीआरएआर>=11.50% (सीईटी 1>=5.50% सहित) (न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात + पूंजी संरक्षण बफर [9%+2.50%=11.50%] आरबीआई/2022-23/12डीओआर.सीएपी.आरईसी 3/21-06-201/2022-23, दिनांक 1 अप्रैल, 2022) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार

iii) निवल एनपीए 7% से कम (आरबीआई पेआऊट मैट्रिक्स के अनुसार श्रेणी D के लिए 5 %)

iv) बासेल III अनुपालन

v) टियर 1 लीवरेज कवरेज अनुपात> 3.50%

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाओं, पूंजी आवश्यकताओं या बैंक निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार, बैंक और उसके हितधारकों के लाभ के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणी के शेयरों हेतु लाभांश

वर्तमान में बैंक के पास शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है अर्थात इक्विटी शेयर। विभिन्न श्रेणी के शेयरों के अभाव में लाभांश की घोषणा/ वितरण हेतु मापदंडों का एकल सेट निर्धारित किया गया है।

लाभांश भुगतान का माध्यम:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करेगा।

जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पात्र शेयरधारकों को 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे। यदि लाभांश के रूप में देय राशि एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक है, तो 'सममूल्य पर देय' वारंट या चेक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।

कॉर्पोरेट लेखा विभाग के समन्वय में कंपनी सचिव विभाग, लाभांश संवितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

वैधता:

यह पॉलिसी अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष तक अर्थात 30.06.2025 तक वैध रहेगी। पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार और किसी भी अन्य सांविधिक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देश बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का एक भाग बन जाएंगे और इसके नवीनीकरण के समय पॉलिसी दस्तावेज़ में शामिल किए जाएंगे।

यदि नियत तारीख को या उससे पूर्व पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जाती है, तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।

अनुलग्नक - 'अनुपालन संबंधी अध्याय'

लाभांश संवितरण नीति हेतु नियामकों/ प्राधिकारियों के संक्षिप्त दिशानिर्देश/ आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परिपत्र/संप्रेषण संख्या	विषय
1	भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियमन (परिपत्र सं.: डीबीआर. सं.बीपी. बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01.07.2015 जिसे परिपत्र सं. डीबीआर. बीपी. बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 दिनांक 10.01.2019, परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/42 डीओआर.बीपी.बीसी. सं.15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29.09.2020 एवं परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/93 डीओआर.सीएपी. बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 दिनांक 05.02.2021. के माध्यम से संशोधित किया गया) के साथ पठित ''बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा पर'' भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र - परिपत्र सं.: डीबीओ डी.सं.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005.	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
2	डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी. सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021.	अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फेमवर्क
3	भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एससी आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021- 22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (11.10.2022 को अद्यतन), यथा संशोधित	वित्तीय विवरण-प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश
4	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [धारा 15 (1) एवं (2) और धारा 17]	लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध और प्रारक्षित निधि का अनिवार्य विनियोजन
5	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 43ए	लाभांश संवितरण नीति
6	भारत सरकार के पत्र एफ सं. 10/3/2010-बीओए, दिनांक 18 जनवरी, 2013 एवं भारत सरकार के पत्र एफ सं. 10/4/2021, बीओए, दिनांक 4 जून, 2021 और भारत सरकार के पत्र एफ सं. 7/7/2022-बीओए 1, दिनांक 20 मई 2022	
7	भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देश.	

Dividend Distribution Policy

As per Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [hereinafter referred to as SEBI (LODR) Regulations], the top 1000 listed entities based on market capitalization, calculated as on March 31 of every financial year are required to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed on the website of the listed entity and a web-link shall also be provided in their annual reports. This would enable the investors to take informed decisions while making investments in these high profile companies.

Our Bank is a Nationalized Bank constituted under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is also required to comply with the guidelines in respect of Dividend, issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India, which have been duly incorporated in the Policy.

Objective

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

(1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and

(2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

(a) The Bank's current and prospective financial performance,

(b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)

(c) The Bank's investment and expansion plans, and

(d) The expectations of its shareholder

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Eligibility Criteria for declaration of dividend:

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI vide their Circular No. RBI/2004-05/451; DBOD.NO. BP.BC. 88/21.02.067/ 2004-05 dated May 04, 2005, has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by the bank:

1) Dividend will be paid only out of current year's profit.

2) A bank should have:

   (a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed years and the year for which it proposes to declare dividend.

   Bank is required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. Whenever the buffer falls below 2.5%, automatic constraints on discretionary distributions of earnings (for example, dividends, share buybacks and discretionary staff bonus payments) will be imposed so that the buffer/capital level can be replenished to minimum requirements.

   and

   (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.

   In case bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

3) The bank should comply with the provisions of Sections 15 (Restrictions on Payment of Dividend) and 17 (Transfer of part of profit, not less than 25%, to reserve fund before declaration of dividend) of the Banking Regulation Act,1949.[1]

---

[1]***Section 15 - Restrictions as to payment of dividend***

"[(1)] No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisation expenses, share-selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

[(2)] Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or in the Companies Act, 1956(1 of 1956), a banking company may pay dividends on its shares without writing off-

(i) the depreciation, if any, in the value of its investments in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalised or otherwise accounted for as a loss;

(ii) the depreciation, if any, in the value of its investments in shares, debentures or bonds (other than approved securities) in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company;

(iii) the bad debts, if any, in any case where adequate provision for such debts has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company."

Section 17 - Reserve Fund

"(1) Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall, out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than twenty percent of such profit."

In terms of RBI Master Direction on Financial Statements Presentation and Disclosures dated August 30, 2021 (Updated as on 11.10.2022), the intangible assets recognized and carried in the Balance Sheet of Banks in compliance with Accounting standard-26 shall attract the provisions of Section 15(1) of Banking Regulation (BR) Act, 1949, in terms of which banks are prohibited from declaring any dividend until any expenditure not represented by tangible assets is carried in the balance sheet. Banks desirous of paying dividend while carrying any intangible assets in its books must seek exemption from section 15 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 from the Central Government.

RBI circular no. BP.BC.24/21.04.018/2000-2001 dated 23.09.2000 read with RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures dated August 30, 2021 (Updated as on 11.10.2022), In order to augment capital, Commercial Banks (excluding LABs and RRBs) are required to transfer not less than 25 per cent of the 'net profit' before appropriations to the Statutory Reserve.

4) As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021 dated 25th August, 2021, the bank should appropriate for Investment Fluctuation Reserve (IFR) and Investment reserve from Net Profit for the year after mandatory appropriations.

5) Before dividend declaration, the bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets, staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves, Investment Fluctuation Reserve (IFR), Investment Reserve, Special Reserves, Capital reserves and other appropriations from the current year profit.

6) The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the bank for declaration of dividends.

7) The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/ Government of India/Ministry of Finance from time to time.

8) The declaration of dividend is subject to the any restriction imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated 2nd November, 2021 on 'Prompt Corrective Action Framework" (PCA) for scheduled commercial banks'.

9) The dividend should be declared on per share basis only.

10) In the event of conflict between this policy and extant regulations, the regulations shall prevail.

Quantum of Dividend Payable:

A. RBI/Govt. of India Guidelines

A1. RBI Guidelines:

(a) The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) shall not exceed 40 per cent and shall be as per the matrix furnished herein below.

		Net NPA Ratio			
Category	CRAR	Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax, wherever applicable) to 'net profit during the year'.

(b) In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

(c) The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

A2. Government of India Guidelines

The Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 18th January, 2013 has advised Bank to pay a minimum of 20% of paid up capital or 20% of Net Profit (whichever is higher) as dividend.

In case, Bank decides to pay Interim dividend, the total dividend to be paid by the bank based on the annual results shall be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Ministry of Finance, Govt. of India.

The Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 04th June, 2021 has clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines

issued by RBI and, therefore, specific prior permission shall be sought only if the dividend proposed to be paid is less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under regulatory guidelines/ instructions.

B. Interim Dividend

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy/RBI guidelines.

C. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, interim dividend paid, auditor's qualifications pertaining to statement of accounts & annual financial inspection findings of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc. The MD &CEO shall recommend the dividend payout to Board. The decision of the Board regarding proposal of dividend shall be final.

Circumstances under which the shareholders may or may not expect dividend

The distribution of dividend is subject to compliance of the following conditions, as applicable;

i) Profit in the year under consideration,

ii) CRAR>=11.50% (including CET 1 >=5.50%) (Minimum total capital ratio plus capital conservation buffer {9%+2.50%=11.50%} as per RBI Master Circular vide RBI/2022-23/12 DOR.CAP.REC3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022)

iii) Net NPA less than 7% (5% for Category D as per RBI Payout Matrix)

iv) BASEL III Compliance

v) Tier 1 Leverage Coverage Ratio >3.50%

Utilization of Retained Earnings

The retailed earnings will be used for the Bank's long term growth plans, capital requirements or as per the decision of the bank's board, for the benefit of the bank and its stakeholders or for the compliance of instructions/guidelines received from RBI/ Government of India.

Dividend for Various class of Shares

At present, the bank has only one class of shares i.e. equity shares. In absence of varied class of shares, a single set of parameters has been prescribed for declaring/ distribution of dividend.

Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends.

Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand drafts will be issued to the eligible shareholders. If the amount payable as dividend exceeds one thousand and five hundred rupees, the 'payable-at-par' warrants or cheques shall be sent by speed post.

The Company Secretary Department in coordination with Corporate Accounts Department shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend.

Dividend shall be paid within 30 days from the date of declaration.

Validity:

This policy shall remain valid for three years from the date of approval. Guidelines received from RBI / SEBI/ Government of India and any other statutory bodies during the validity period of the policy will become part of the bank's existing guidelines and will be incorporated in the policy document at the time of its renewal.

The M.D.& CEO may allow continuation of the Policy for a maximum period of six months after the due date of review in case the Policy cannot be reviewed on or before the due date

Annexure – 'Chapter on Compliance'

Following are the brief guidelines/requirements of the regulators/authorities for Dividend Distribution Policy:

Sl No	Circular/Communication No	Subject
1	RBI Circular on 'Declaration of dividends by Banks'- Circular No.: DBOD. NO.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005 read with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulations (Circular No.: DBR.No.BP. BC.1/21.06.201/2015-16 dated 01.07.2015 as amended by Circular No.: DBR.BP.BC.No.20/21.06.201/2018-19 dated 10.01.2019, Circular No.: RBI / 2020- 21/42 DOR.BP.BC.No15/21.06.201/2020-21 dated 29.09.2020 and Circular No.: RBI/2020-21/93 DOR. CAP. BC. No. 34/21.06.201/2020-21 dated 05.02.2021.)	Declaration of Dividends by Banks
2	DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated November 02, 2021	Prompt Corrective Action (PCA) framework for scheduled commercial banks
3	RBI circular RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021- 22 dated August 30, 2021(updated as on 11.10.2022), as amended	Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures
4	Banking Regulation Act, 1949 [Section 15 (1) & (2) and Section 17]	Restriction as to payment of dividend and Mandatory appropriation of Reserve Fund.
5	Regulation 43A Regulations, 2015 of the SEBI (LODR)	Dividend Distribution Policy
6	GOI Letter F. No. 10/3/2010-BOA dated 18th January, 2013 and GOI Letter F. No. 10/4/2021-BOA dated 4th June, 2021 and GOI Letter F. No. 7/7/2022-BOA1 dated 20th May, 2022	Declaration of dividend by Public Sector Banks
7	Other relevant guidelines issued by RBI, SEBI and Government of India from time to time.	

27वीं वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : अलकापुरी, बड़ौदा - 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

(वेबसाइट:www.bankofbaroda.in)

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 27वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से शुक्रवार, दिनांक 07 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2023 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना।

मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना।

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1 सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ. ईएफ. नं. 4/4/2021-बीओ.आई दिनांक 16 जनवरी, 2023 के माध्यम से दिनांक 20 जनवरी 2023 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30 जून, 2023 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री संजीव चड्ढा की पुनः नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 4:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ईएफ. नं. 4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 21 नवंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री ललित त्यागी की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 5:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

''यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ईएफ. नं. 6/2/2022-बीओ. आई दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के माध्यम से 15 दिसंबर, 2022 से अगले आदेशों तक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

मद संख्या 6:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के माध्यम से 01 जुलाई 2023 को कार्य ग्रहण करने की तारीख या उसके बाद या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री संजीव चड्ढा के स्थान पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री देबदत्त चाँद की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 मई 2023

नोट:

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 तथा परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2023 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी

ने भी अपने परिपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2023 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। **27 वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा।**

2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-raju.sv@kfintech.com;/companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 02 जुलाई, 2023 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

3. एजीएम प्रतिभागिता

बैंक ने कैफिन टक्नॉलॉजी लिमिटेड (KFIN), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स हेतु नियुक्त किया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सी) निकाय कॉर्पोरट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंधी समिति, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो आधार पर प्रवेश के कारण कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी केएफएन (KFin) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।

4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

- शेयरधारक को कैफ़िन (KFin) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com/ पर रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए "AGM-Video Conference & Streaming" के आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम और बैंक का नाम चुनना होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम/ फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह किया जाता है।
- साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके। शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में 'स्पीकर रजिस्ट्रेशन' के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
- कृपया नोट करें कि शेयरधारकों की समस्या/ विचार/ प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 30 जून, 2023 तक शेयर धारित हों। 'एजीएम प्रश्न संबंधी' विंडो 04 जुलाई, 2023 प्रातः 10:00 से 05 जुलाई, 2023 सायं 05:00 बजे तक खुली रहेगी।
- वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारकों को https://evoting.kfintech.com/ पर लॉग-इन करना होगा और **''स्पीकर रजिस्ट्रेशन''** पर क्लिक कर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, शहर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित

होगी जिसे एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए। **ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने 04 जुलाई, 2023 से 05 जुलाई, 2023 की अवधि के दौरान अपने आप को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही अपने विचार रखने /प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।**

- ऐसे शेयरधारक जो **विडियो कॉन्फ्रेंस** के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए केफिंटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com/ पर लॉगिन कर देख सकते हैं।

5. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

6. एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग विनिर्दिष्ट तारीख़ - शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी:

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 1 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 7 जुलाई, 2023 तक (दोनों दिन सहित) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 27वीं वार्षिक आम बैठक और लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेगा। तदनुसार, वे शेयरधारक जिनके पास शुक्रवार, 30 जून, 2023 (विनिर्दिष्ट तारीख) को बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

7. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 16 मई, 2023 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु 2/- के इक्विटी शेयर पर रु. 5.50/- (पांच रुपये पचास पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 27 वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

ए) दिनांक 30 जून, 2023 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को;

बी) दिनांक 30 जून, 2023 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;

सी) ये लाभांश 27वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे।

डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी।

8. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु **केफिन को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है।

बी. **रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 04 जुलाई, 2023 को सुबह 9.00 बजे से बृहस्पतिवार, 06 जुलाई, 2023 को शाम 5.00 बजे तक पूरे समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।**

सी. **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।**

इस **निर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार, 30 जून, 2023** को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक का शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

डी. **आरटीए पोर्टल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेश (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों के लिए)** निम्नानुसार हैं:-

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **04 जुलाई, 2023** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें: https://evoting.kfintech.com

ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें।

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें।

iv. आप 'पासवर्ड बदले' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा। नए पासवर्ड में एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने तथा किसी भी संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ई- मेल आदि को अद्यतन करने हेतु कहेगा। आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं। **यह दृढतापूर्वक सिफारिश**

की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

v. आपको नए क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा।

vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा। वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (30 जून, 2023) को शेयरधारक द्वारा यथा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके शेयरधारक (कों) के पास टॉप पर सभी विनियमन के लिए एक बार में ही वोट करने का विकल्प होगा। वैकल्पिक तौर पर आप प्रत्येक संकल्प के लिए ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके प्रत्येक संकल्प के लिए वैयक्तिक रूप से अलग-अलग वोट कर सकते हैं। पुष्टि करने हेतु"OK"पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते। वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है।**

vii. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा। **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार से इतर किसी भी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट देने की अनुमति नहीं होगी।**

viii. उपर्युक्त अनुसार पोर्टल बंद हो जाएगा और बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

ix. बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना अपेक्षित है।

xi. ऐसे शेयरधारक, जो 27वीं एजीएम के लिए नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ-डेट के बीच शेयर अर्जित करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास रजिस्टर किया है, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें।

xii. इस संबंध में किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के श्री एस वी राजू, डीवीपी/ श्री शैबल हरिपद रॉय-एवीपी से ईमेल v-raju.sv@kfintech.com/ shaibal.roy@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

- **केवल डीमैट में प्रतिभूति धारित करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लागू**

  सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा को एक्सेस करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें।

  वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति धारित करने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

  डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आईडीएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता: I. यूआरएल: https://eservices.nsdl.com II. "आइडीईएएस" खंड के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। III. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद "Access to e-Voting" पर क्लिक करें। IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा।	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest के विकल्प का चयन किया है I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल: www.cdslindia.com II. न्यू सिस्टम मायसी पर क्लिक करें। III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। IV. बिना किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। V. अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।

एनएसडीएल	सीडीएसएल
2. ऐसे उपयोगकर्ता जो आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com II. "Register Online for IDeAS" चुनें। III. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। ऐसे उपयोगकर्ता जो आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।	2. ऐसे उपयोगकर्ता जो Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है. I. पंजीकृत करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। II. अपेक्षित फील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट देखें I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ II. "Shareholder/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "login" पर क्लिक करें। III. स्क्रीन पर यथा प्रदर्शित उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करें। IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा।	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट देखें I. यूआरएल: www.cdslindia.com II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करें। III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग प्रक्रियाधीन है।

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले) का अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से लॉगिन

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

ऐसे सदस्य, जो अपना यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए/ पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें।

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य - एनएसडीएल	किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य - सीडीएसएल
लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं।	लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022-23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- **गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए लागू**

गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों हेतु लॉगिन करने की विधि निम्नानुसार है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश निम्नानुसार हैं:

ए. प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल में दिया गया है।

बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार में URL:https://evoting.kfintech.com टाइप करें

सी. आपके ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

डी. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

ई. आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (A-Z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर (@,#,$ आदि) के साथ न्यूनतम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। यह दृढ़तापूर्वक से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

एफ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन पर, सिस्टम आपको EVENT यानी बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने के लिए कहेगा।

एच. वोटिंग पेज पर, विनिर्दिष्ट तारीख को आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाएगी) दिखाई देगी। यदि आप संकल्प हेतु सहमति/ असहमति सभी के लिए वोट देना चाहते हैं तो सभी शेयर दर्ज करें और 'For'/'Against' जैसा भी मामला हो अथवा आंशिक रूप से 'For' और आंशिक रूप से 'Against' पर क्लिक करें, किन्तु 'For' और/या 'Against' को मिलाकर कुल संख्या विनिर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प भी चुन सकते हैं और इन धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

आई. कई फोलियो/ डीमैट खाते रखने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

जे. किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट दें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए 'Ok' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, जब तक कि आपने यह पुष्टि नहीं की है कि आपने संकल्प के लिए मतदान किया है, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं।

के. कॉर्पोरेट/ संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि से इतर) से यह अपेक्षित है कि वे विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ईमेल के माध्यम से scrutnizer@snaco.net पर प्रेषित करें और इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं।

9. वार्षिक आम बैठक में मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित की जाने वाली वोटिंग में अपना वोट देने हेतु पात्र होंगे।

10. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

ए) बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरणों का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तत्काल अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित किया जाना चाहिए।

बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को केवल **संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास रजिस्टर करना चाहिए न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।**

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना संबंधित डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

13. भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरए सडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना दी है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

2. दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

3. जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे (1) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

4. फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 एवं/ अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

14. **शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण**

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश संबंधी किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032. ई-मेल: einward.ris@kfintech.com टोल फ्री/फोन नंबर: 1800-309-4001 व्हाट्सएप नंबर : (91) 9100094099 केप्रिज्म (मोबाइल एप्लिकेशन): https://kprism.kfintech.com/ केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.kfintech.com आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा,** निवेशक सेवाएं विभाग, 7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई - 400 051. टेलीफोन : 022 - 66985731/ 5743, सामान्य नंबर : 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का खंड https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

15. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण - एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों, अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें।

2. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।

3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

   उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रूप में परिवर्तन करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;

ii. शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;

iii. अभौतिकीकरण शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

16. **भौतिक रूप में शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:**

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्र के विवरणों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में अभौतिकीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिसमें शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) प्रस्तुत करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे।

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है। यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुरूप नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्रों के विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में, कृपया बिंदु संख्या 14 में उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें।

17. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/ शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन ("नियमावली") के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.II दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं।

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2013-14 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend और केफिन https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर उपलब्ध हैं।

हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें। यदि बैंक को 31 जुलाई, 2023 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर की गई अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबधित किसी भी दावे के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।

18. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया ध्यान दें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

19. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या कोष को प्रस्तुत नहीं किया जाए। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भविष्य की नियत तारीख निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2015-2016	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	2016-2017	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
3	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं
4	2018-2019	लागू नहीं	**लागू नहीं**	लागू नहीं
5	2019-2020	लागू नहीं		
6	2020-2021	लागू नहीं		
7	2021-2022	27 **जुलाई, 2029**		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (**यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा**) **सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं.** 31 **एवं** 32, **गाचीबोवली,** **फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट**, **नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,** **हैदराबाद - 500 032** **ई-मेलः** einward.ris@kfintech.com **वेबसाइट**: https://www.kfintech.com **टोल फ्री नं. -** 1-800-309-4001	निवेशक सेवाएं विभाग **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**, 7 **वां तल**, **बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,** **सी-**26, **जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा** (**पूर्व**) **मुंबई -** 400 051 **ई मेल** :- investorservices@bankofbaroda.com

20. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया:

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप में भेजा है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें.

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पता एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे ईलेक्ट्रोनिक रूप में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं।
- शेयरधारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- शेयर धारकों से यह अनुरोध भी है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें।
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 मई 2023

व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3: श्री संजीव चड्ढा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पुनः नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 08368448)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रुप में श्री संजीव चड्ढा की पुन:नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, के अनुच्छेद 8 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ. नं. 4/3/2019-बीओ.आई दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से श्री संजीव चड्ढा (जन्म तिथि: 25.06.1963) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में 20 जनवरी 2020 से 19 जनवरी 2023 तक 03 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया है।

इसी क्रम में, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ. नं. 4/4/2021-बीओ.I दिनांक 16.01.2023 के माध्यम से श्री संजीव चड्ढा का कार्यकाल उनकी वर्तमान अधिसूचित तीन वर्षों की नियुक्ति अवधि जो कि 19.01.2023 को समाप्त हो रही थी, को उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30.06.2023 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री संजीव चड्ढा ने 20 जनवरी 2020 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाला है, आपको बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, आपने अपने कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1987 में भारतीय स्टेट बैंक से की थी।

श्री चड्ढा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी अध्यक्ष हैं। आप नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्यरत हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के शासी मंडल में भी हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यदायित्व संभालने से पूर्व श्री चड्ढा एसबीआई की मर्चेंट और निवेश बैंकिंग इकाई एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ तथा एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड एवं एसबीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के अध्यक्ष थे। श्री चड्ढा ने एसबीआई में 33 वर्षों तक कार्य किया है, जहां उन्होंने एसबीआई के यूके परिचालन में क्षेत्रीय प्रमुख, एसबीआई, लॉस एंजिलिस में सीईओ के साथ-साथ एसबीआई समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के रुप में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया है।

श्री संजीव चड्ढा सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।

श्री संजीव चड्ढा को देय पारिश्रमिक/प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री संजीव चड्ढा या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 4: श्री ललित त्यागी, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 08220977)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री ललित त्यागी की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ. नं. 4/6/2021-बीओ.I दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से श्री ललित त्यागी (जन्म तिथि: 14.06.1971) को 21 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2025 तक 03 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री ललित त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया था। आपके पास वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 26 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। आप एक फील्ड बैंकर रहे हैं, आपके पास भारत और विदेश में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में काम करने का व्यापक अनुभव है, इसमें बैंक के विदेशी परिचालनों में दो कार्यकाल अर्थात् ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए शामिल हैं।

आपके पास बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे बेंगलुरू क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक और शाखा प्रमुख तथा बैंक की सबसे बड़ी विदेशी टेरीटरी यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में कार्य करने का सफल अनुभव है।

21 नवंबर 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक थे। आपने कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल-केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के निदेशक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं।

आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस (पीजीडीबीएफ) हैं तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा

भावी नेतृत्व भूमिकाओं के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर के रूप में चुना गया है।

श्री ललित त्यागी को देय पारिश्रमिक/प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री ललित त्यागी या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 5: श्री मुकेश कुमार बंसल, गैर कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) की नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 03359724)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ. नं. 6/2/2022-बीओ.I दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार बंसल (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में 15 दिसंबर 2022 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री मुकेश कुमार बंसल भारतीय प्रशासनिक सेवा (2005 बैच) के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

श्री बंसल वाणिज्य में स्नातक हैं और स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए से आपने एमबीए भी किया है। उन्होंने IGNOU से एम.ए (अर्थशास्त्र) की परीक्षा भी पास की है।

अक्तूबर, 2022 में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी पदस्थापना से पूर्व उन्होंने मार्च 2020 से अक्तूबर 2022 तक माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की।

भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति से पूर्व श्री बंसल ने अपने कैडर राज्य, छत्तीसगढ़ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आपने जिला पंचायत, उत्तरी बस्तर कांकेर के सीईओ एवं नगर निगम, बिलासपुर के आयुक्त के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने 2011 से 2017 तक तीन जिलों कबीरधाम, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया। आप 2017 से 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव थे, साथ ही इस दौरान आपने नया रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त पदभार भी संभाला। इसके अलावा आपने कृषि, जनजातीय विकास, ग्रामीण उद्योग जैसे विभिन्न विभागों में विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

बैंक द्वारा श्री मुकेश कुमार बंसल को कोई पारिश्रमिक/प्रतिफल देय नहीं है।

श्री मुकेश कुमार बंसल या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 6: श्री देबदत्त चाँद, कार्यपालक निदेशक की 01 जुलाई 2023 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 07899346)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री देबदत्त चाँद की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 29.04.2023 के माध्यम से श्री देबदत्त चाँद (जन्म तिथि: 31.01.1971), कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को दिनांक 01.07.2023 को या उसके पश्चात् अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री संजीव चड्ढा के स्थान पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री देबदत्त चाँद को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और आपने दिनांक 10.03.2021 को पदभार ग्रहण किया।

कार्यपालक निदेशक के रूप में आप वर्तमान में कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड - कॉर्पोरेट कारोबार, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग तथा व्यापार एवं विदेशी मुद्रा की निगरानी कर रहे हैं। आपने बैंक में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार और अन्य कार्य यथा मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा / निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा, एस्टेट प्रबंधन और सुरक्षा, घरेलू अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम, धन संपदा प्रबंधन, पूंजी बाजार, एनआरआई कारोबार आदि जैसे कार्यों को भी संभाला है।

आपके पास वाणिज्यिक बैंक एवं विकास वित्त संस्थानों में कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने वर्ष 1994 में इलाहाबाद बैंक में अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की एवं उसके बाद लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में वर्ष 1998 से 2005 तक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। आप वर्ष 2005 में मुख्य प्रबंधक के रूप में पंजाब नैशनल बैंक से जुड़े तथा आगे बढ़ते हुए मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य आरंभ करने से पहले, आप मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पीएनबी के मुंबई अंचल का नेतृत्व कर रहे थे। आपने पंजाब नैशनल बैंक में अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, पटना के प्रमुख, बरेली मंडल के प्रमुख, पंजाब नैशनल बैंक के एकीकृत ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है।

श्री चाँद बी-टेक, एमबीए, सीएआईआईबी, इक्विटी रिसर्च में पीजी डिप्लोमा और सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ एक क्वालिफाइड बैंकर हैं। बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, श्री चाँद ने ट्रेजरी और बाजार जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ कई लीडरशिप भूमिकाओं में परिचालन और स्ट्रेटेजिक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त किए हैं।

श्री चाँद बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड, बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तांजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। इससे पहले, पंजाब नैशनल बैंक में, आप पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, स्विफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अनेक प्राइवेट इक्विटी फंड के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में भी शामिल रहे हैं।

श्री देबदत्त चाँद को देय पारिश्रमिक/प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री देबदत्त चाँद या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 6 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

NOTICE OF 27th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Center, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
(Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 07th July 2023 at 11.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2023, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2022-23.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 3:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the re-appointment of Shri Sanjiv Chadha, as the Managing Director & CEO of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref. eF.no. 4/4/2021-BO.I dated 16th January 2023 issued by Government of India, from 20th January 2023 till the date of his superannuation i.e., on 30th June 2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Item Number 4:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Lalit Tyagi , as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.no. 4/6/2021-BO.I dated 21st November 2022 issued by Government of India, from 21st November 2022 till 20th November 2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Item Number 5:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, as a Non Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref eF.No. 6/2/2022-BO.I dated 15th December 2022 issued by Government of India, from 15th December 2022, until further orders, be and is hereby approved."

Item Number 6:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Debadatta Chand, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification dated 29th April 2023 issued by Government of India, w.e.f. the date of assumption of office on or after 01st July 2023, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

FOR BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 29th May, 2023

NOTES:

1. **ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022, permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM by 30th September 2023. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 05th January 2023.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 27th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.**

2. **Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 02nd July 2023.

3. **AGM Participation**

The Bank has appointed KFin Technologies Limited (KFIN), Registrars and Transfer Agents (RTA), to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Shareholders can join the AGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
- There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of KFN , the e-voting agency at the website address https://evoting.kfintech.com

4. **INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:**

- Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through video conferencing platform provided by KFin. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com. by clicking the Icon of "AGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/Firefox for better experience.
- Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Please note that, Shareholder's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 30th June 2023. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 04th July 2023 till 5.00 PM on 05th July 2023.
- Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com and click on "**Speaker Registration**" by indicating the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the AGM meeting. **Those shareholders who have registered themselves as speakers during 04th July 2023 to 05th July 2023, will only be allowed to express their views/ask questions.**
- Shareholders who are not able to join this Meeting over **video conferencing will** be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.

5. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

6. **Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders*:***

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 01st July 2023 to Friday, 07th July 2023 (both days inclusive)** for the purpose of 27th Annual General Meeting and payment of dividend for the Financial Year 2022-23. Accordingly, the Shareholders holding Bank's Shares as on **Friday, 30th June 2023 (Cut-off Date)** will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM and would also be entitled to receive dividends, if any for FY2022-23.

7. **Payment of Dividend**

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 16th May 2023 has recommended dividend @ ₹ 5.50 (Rupees Five and paise fifty only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2023. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 27th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 30th June 2023;

b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 30th June 2023;

c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 27th Annual General Meeting.

d) Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guidelines.

8. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFIn as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 04th July 2023 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 06th July 2023 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 30th June 2022,** may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting through RTA Portal (for Demat and Physical Shareholders)** are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com on opening of the same on **04th July 2023** at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (30th June 2023) will appear. Shareholder(s) will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT

or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 27th AGM / Annual Report 2022-23 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DVP / Mr. Shaibal Haripada Roy - AVP of Kfin Technologies Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail v-raju.sv@kfintech.com / shaibal.roy@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

Login method for e-voting :

- **Applicable only for Individual members holding securities in Demat**

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: I. URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields.

NSDL	CDSL
3. By visiting the e-Voting website of NSDL I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	3. By visiting the e-Voting website of CDSL I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

- **Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form**

  Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below: Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

a. Initial password is provided in the body of the email.

b. Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.

c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Bank of Baroda

h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/ demat account.

j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together

with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@ snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.

9. **VOTING PROCESS AT THE AGM**

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

10. **SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEEETING**

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

11. **RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEEETING**

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin.

12. **CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. **FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS**

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
2. The folios wherein any one of the above cited document/ details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
4. Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

14. **CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS**

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. **Email :** einward.ris@kfintech.com **Toll Free/ Phone Number :** 1800 309 4001 **WhatsApp Number :** (91) 910 009 4099 **KPRISM (Mobile Application) :** https://kprism.kfintech.com/ **KFINTECH Corporate Website :** https://www.kfintech.com **RTA Website :** https://ris.kfintech.com **Investor Support Centre (DIY Link) :** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**Bank of Baroda** Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 **Tel.** : 022-6698 5731 / 5743 **General Number** : 022-6698 5000-04 (PBX) **E-Mail:**investorservices@bankofbaroda.com **Shareholder's corner section on Bank's Website:** https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

15. **DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.

3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

   In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

   Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

16. **PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :**

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned in point 14.

17. **TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF**

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2014-15 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents. In case Bank does not receive any claim by 31st July 2023, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

18. **CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFFERED TO IEPF:**

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

19. **UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2014-15 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2015-16 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2015-2016	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2	2016-2017	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable
3	2017-2018	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
4	2018-2019	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
5	2019-2020	Not Applicable		
6	2020-2021	Not Applicable		
7	2021-2022	27th July 2029		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2015-16 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	**Investors' Services Department** Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

20. **PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:**

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same.

Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

By Order of the Board of Directors

FOR BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 29th May, 2023

EXPLANATORY STATEMENT:

Item Number 3: To approve re-appointment of Shri Sanjiv Chadha, Managing Director & CEO (DIN: 08368448) :

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for re-appointment of Shri Sanjiv Chadha as the Managing Director & Chief Executive Director of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, , Central Government vide its notification no. F. No. 4/3/2019-BO.I dated 20.01.2020 has appointed Shri Sanjiv Chadha (Date of Birth: 25.6.1963) as the Managing Director & CEO on Board of Bank of Baroda for a period of three years w.e.f. 20th January 2020 till 19th January 2023.

Further, Central Government vide its notification eF.no. 4/4/2021-BO.I dated 16.01.2023 has extended the term of office of Shri Sanjiv Chadha for a further period beyond his currently notified period of appointment of three years that expires on 19.01.2023, till the date of his superannuation i.e. 30.06.2023, or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile:

Shri Sanjiv Chadha, Managing Director & CEO of Bank of Baroda since 20th January 2020 has over 35 years' experience in banking & financial services having started his career with SBI in 1987.

Shri Chadha is also Chairman on the boards of Bank of Baroda (UK) Ltd., IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., BOB Capital Markets Ltd. & BOB Financial Solutions Ltd. He also serves on the board of National Insurance Co. Ltd & is on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM).

Prior to joining Bank of Baroda, Shri Chadha was the MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI, and Chairman of SBICAP Ventures Ltd. and SBI Securities Ltd. Shri Chadha spent 33 years at SBI, where he handled a diverse range of roles including the Regional Head for SBI's UK Operations, CEO of SBI Los Angeles as well as Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group.

Shri Sanjiv Chadha is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi.

Remuneration / Compensation payable to Shri Sanjiv Chadha is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Sanjiv Chadha or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

Item Number 4: To approve appointment of Shri Lalit Tyagi, Executive Director (DIN: 08220977)

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Lalit Tyagi, as an Executive Director of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide its notification eF.no. 4/6/2021-BO.I dated 21.11.2022 has appointed Shri Lalit Tyagi (DoB: 14.06.1971), as Executive Director of Bank of Baroda for a period of three years w.e.f. 21st November 2022 till 20th November 2025 or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile:

Shri Lalit Tyagi, having started his career as Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996, has over 26 years of rich experience in various spectrum of commercial banking, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been a field banker having vast experience of working in different branches / offices in India and abroad, including two stints in Bank's overseas operations; viz. Brussels, Belgium and New York, USA.

He has successful experience of leading Bank's important units such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager & Branch Head of Bank's largest Corporate Financial Services Branch, Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of Bank's largest overseas territory US Operations, New York.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, he was the Chief Executive of Bank's US Operations, New York. He has also served as Director in Canbank Computer Services Ltd. (CCSL – a wholly owned subsidiary of Canara Bank) and Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc.

Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills.

He has Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been identified as one of Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Remuneration / Compensation payable to Shri Lalit Tyagi is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Lalit Tyagi or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM

Item Number 5: To approve appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, Non-Executive Director (Government of India's Nominee Director) (DIN: 03359724)

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a

person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, as a Non-Executive Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification eF.No. 6/2/2022-BO.I dated 15.12.2022 has nominated Shri Mukesh Kumar Bansal (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Bank of Baroda, w.e.f. 15th December 2022 until further orders.

Brief Profile:

Shri Mukesh Kumar Bansal is an officer of Indian Administrative Service (2005 batch). He is presently working as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Bansal is a Commerce graduate and also an MBA from the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA. He has also completed his MA Economics from IGNOU.

Prior to his posting as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance in October, 2022 he worked as Private Secretary to Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, from March, 2020 to October, 2022.

Before being deputed to the Government of India, Shri Bansal held various key positions in his Cadre State of Chattisgarh. He had worked as CEO, Zila Panchayat, North Bastar Kanker, Commissioner Municipal Corporation, Bilaspur. He worked as Collector & District Magistrate in three districts namely Kabirdham, Raigarh & Rajnandgaon from 2011 to 2017. He was Special Secretary to Honble Chief Minister Chhattisgarh from 2017 to 2018 and at that time he also held additional post of CEO, Naya Raipur Development Authority. He had also worked in different departments namely Agriculture, Tribal Development, Rural Industries as Special Secretary.

No Remuneration / Compensation is payable to Shri Mukesh Kumar Bansal by the Bank

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Mukesh Kumar Bansal or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Item Number 6: To approve appointment of Shri Debadatta Chand, Executive Director as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank w.e.f. 01st July 2023 (DIN: 07899346)

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Debadatta Chand, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide notification dated 29.04.2023, Central Government has appointed Shri Debadatta Chand (DoB: 31.01.1971), Executive Director, Bank of Baroda as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 01.07.2023, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Sanjiv Chadha.

Brief Profile:

Shri Debadatta Chand was appointed Executive Director of Bank of Baroda and assumed charge on 10.03.2021.

As Executive Director, he currently oversees Corporate & Institutional Credit, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, Corporate & Institutional Banking and Trade & Foreign exchange. He had also handled the International Banking Business and other functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit/Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security, Estate Management & Security, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business etc. in the Bank.

He has over 28 years of experience in Commercial Banks and Developmental Financial Institutions. He started his career in Allahabad Bank in 1994 as an Officer and subsequently worked as a Manager in Small Industries Development Bank of India [SIDBI] from 1998 to 2005. He joined Punjab National Bank (PNB) in the year 2005 as Chief Manager and rose to the level of Chief General Manager. Prior to joining Bank of Baroda as an Executive Director, he was heading Mumbai Zone of PNB as Chief General Manager. He has also successfully handled responsibilities such as Head of Zonal Audit Office, Patna, Circle Head of Bareilly Region, Head of Integrated Treasury Operations at Punjab National Bank.

Shri Chand is a B.Tech, MBA, CAIIB qualified Banker with a PG Diploma in Equity Research and a Certified Portfolio Manager. During his long stint in the banking Industry, Shri Chand has gained varied exposure in all the important spheres of operational and strategic banking with many leadership roles with specialisation in Treasury and Market Risk Management.

Shri Chand is also on the Board of BOB Capital Markets Ltd., India Infradebt Limited, Baroda Financial Solutions Limited, Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Uganda) Ltd. and Bank of Baroda (Kenya) Ltd. Earlier, when at Punjab National Bank, he was a Member on the Boards of PNB Principal Mutual Fund, SWIFT India Pvt. Ltd and was also on the Board of Governors of many Private Equity funds.

Remuneration / Compensation payable to Shri Debadatta Chand is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Debadatta Chand or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

bob World | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

कॉर्पोरेट सेंटर
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर. सी-26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000-04 (पीबीएक्स)

HEAD OFFICE
Baroda Bhavan, R C Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph : (0265) 2316010

CORPORATE CENTRE
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph : (022) 6698 5000-04 (PBX)

Getting closer to our customers by serving them better, resolving their queries and keeping them updated.

Empowering our customers by promoting products & services through online videos.

Interacting, engaging and connecting with our audience and building a following with our potential customers.

Aiming to become a part of our customer's everyday life and help them create beautiful stories.

Developing meaningful connections because, strong bonds go a long way.

व्यावसायिक दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट वित्त वर्ष – 2022-23

Business Responsibility and Sustainability Report FY 22-23

bob World | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

व्यावसायिक दायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का संदेश

मुझे आपके साथ हमारी पहली संवहनीयता रिपोर्ट साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एक बैंक के रूप में हम अपने ग्राहकों और शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं, साथ ही समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा है।

पिछले वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रमुख व्यावसायिक परिचालनों में स्थिरता लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे-जैसे हम बदलते कारोबारी परिदृश्य से गुजर रहे हैं, हमारा ध्यान कार्यनीतियों को औपचारिक रूप देने, लक्ष्य निर्धारित करने और संवहनीयता की दिशा में निवेश बढ़ाने पर बना हुआ है। बैंक का बीआरएसआर ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यावसायिक परिचालनों में संवहनीय प्रक्रियाओं को एकीकृत करने हेतु इसके निरंतर प्रयासों का परिचायक है। यह बैंक के गैर-वित्तीय प्रकटीकरण और कार्यनिष्पादन में हितधारकों की अंतर्दृष्टि के अनुसार इन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ईएसजी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाता है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस, सामाजिक दायित्व और पर्यावरण प्रभाव के प्रति आपके दृष्टिकोण सहित अपने परिचालनों में संवहनीयता लाने में काफी प्रगति की है। बैंक ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीय विकास मैनुअल (बीआरएसडी) विकसित किया है। जो यह दर्शाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा अपनी सभी व्यावसायिक नीतियों, कार्यनीतियों और प्रक्रियाओं में ईएसजी प्रक्रियाओं का समावेश किस तरह से किया जा रहा है।

बैंक ने हाल ही में निदेशक मंडल की 'सीएसआर एवं संवहनीयता समिति' का गठन किया है जो संवहनीय कार्यनीतियों, नीतियों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये गवर्नेंस के संबंध में बैंक के दर्शन और इसके बुनियादी मूल्यों के अनुरूप हैं। यह फ्रेमवर्क जलवायु जोखिम को भी ध्यान में रखेगा क्योंकि बैंक इसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति सजग है। तदनुसार, बैंक मजबूत ईएसजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के माध्यम से संस्थान में जिम्मेदारीपूर्ण पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर रहा है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में, बैंकिंग परिचालनों का डिजिटलीकरण और बैंकिंग सेवाओं को सुगम बनाना उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और बैंक ने विभिन्न पहलें की हैं जिनसे ग्राहक सुविधा और भी बेहतर हुई है। बैंक सभी के बेहतर और अधिक संवहनीय भविष्य के निर्माण के लिए अपनी संवहनीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करने और अपने हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा का उद्देश्य किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। बैंक को इस बात पर भी गर्व है कि बैंक ने सामाजिक कार्यों जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को समर्थन देने तथा अपने कार्यस्थल पर विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की हैं।

बैंक व्यापक स्तर पर पर्यावरण और समाज पर कारोबारी परिचालनों के प्रभाव को समझता है। इसलिए बैंक अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उत्सर्जन में कमी, प्लास्टिक के विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट के उत्तरदायित्वपूर्ण निपटान के लिए प्रयासरत है। बैंक अपने समग्र कारोबारी परिचालनों पर जलवायु जोखिम के प्रभाव को समझता है। बैंक अपने परिचालन के साथ-साथ अपने क्रेडिट और निवेश पोर्टफोलियो के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक इस अवसर पर अपने सभी शेयरधारकों, ग्राहकों सहित सभी हितधारकों को बैंक के प्रति उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता है। मैं सभी बड़ौदियन (हमारे कर्मचारियों) की कड़ी मेहनत और उत्साह की सराहना करता हूं, जिन्होंने हमारे ग्राहकों को निरंतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया है। मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामकों के प्रति भी उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अंत में, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनके मूल्यवान इनपुट और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

बैंक अपने मूलभूत कार्यों में संवहनीयता लाने के साथ एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में कार्य करना जारी रखेगा।

जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

विषयसूची

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के विवरण
II. उत्पाद/सेवाएं
III. परिचालन
IV. कर्मचारी
V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)
VI. सीएसआर विवरण
VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी अनुपालन

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

खंड सी : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन का प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: - व्यवसाय ईमानदारी और नैतिकता, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से संचालित और शासित किया जाना चाहिए

सिद्धांत 2:- कारोबार में वस्तुएं एवं सेवाएं इस तरीके से प्रदान की जानी चाहिए कि वह संवहनीय और सुरक्षित हों

सिद्धांत 3:- संस्था द्वारा अपने वैल्यू चेन के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

सिद्धांत 4: व्यवसाय में अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

सिद्धांत 5- व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्द्धन करना चाहिए

सिद्धांत 6: व्यवसाय में पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए

सिद्धांत 7: ऐसे व्यवसाय जो सार्वजनिक और विनियामक पॉलिसी को प्रभावित करते हैं उन्हें जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चहिए

सिद्धांत 8: व्यवसाय से समावेशी वृद्धि एवं समुचित विकास को बल मिलना चाहिए

सिद्धांत 9: व्यवसाय को जिम्मेदारी से अपने उपभोक्ताओं से जोड़ कर उनको महत्व दिया जाना चाहिए

व्यावसायिक दायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2022-23

I - सूचीबद्ध संस्था के विवरण

क्र सं	विवरण	जवाब
1	सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	सूचीबद्ध संस्था का नाम	बैंक ऑफ़ बड़ौदा
3	स्थापना का वर्ष	20.07.1908
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	बड़ौदा हाउस, मंडवी, वडोदरा-390001, गुजरात, भारत
5	कार्पोरेट कार्यालय का पता	बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, प्लॉट नं. सी-26, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051, महाराष्ट्र, भारत
6	ई-मेल	ed.jdr@bankofbaroda.com
7	टेलीफोन	02266985010
8	वेबसाइट	www.bankofbaroda.in
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	**वित्त वर्ष 22-23**
10	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	प्रदत्त पूंजी	रु. 1035.53 करोड़
12	बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रश्न/ जानकारी के मामले में संपर्क अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ई-मेल का पता)	श्री इयान डिसूजा मुख्य वित्त अधिकारी 022-66985712 cfo.bcc@bankofbaroda.com
13	रिपोर्टिंग की सीमा- क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (अर्थात् केवल संस्था के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात् संस्था और उन सभी संस्थाओं, जो उसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, को साथ में लिया गया है)।	**स्टैंडअलोन**

II-उत्पाद/ सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर के 90% का लेखांकन):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कुल टर्नओवर में योगदान का%
1	कार्पोरेट बैंकिंग	**कॉर्पोरेट बैंकिंग:** बैंक ऑफ़ बड़ौदा व्यवसाय संबंधी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इन सेवाओं में नकदी प्रबंधन, व्यापार वित्त, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, कॉर्पोरेट उधार, ट्रेजरी समाधान और एडवाइजरी सेवाएं शामिल हैं । नकदी प्रबंधन सोल्यूशन के साथ व्यवसाय अपने संग्रहण, भुगतान और चलनिधि को इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है जिससे निर्बाध नकदी प्रवाह परिचालन सुनिश्चित हो सके । बैंक ऑफ़ बड़ौदा की व्यापार वित्त सेवाएं आयात एवं निर्यात वित्तपोषण, साख पत्र और बैंक गारंटी सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन-देनों को आसानी से करने के लिए व्यवसायों को सक्षम बनाती हैं । बैंक द्वारा पेश किए गए कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के विकल्प व्यवसायों को उनकी अल्पकालिक वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा उनके परिचालनगत नकदी प्रवाह को अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं । कॉर्पोरेट ऋण सेवाएं परियोजना वित्तपोषण, कार्यशील पूंजी ऋण और सावधि ऋण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुकूल ऋण समाधान प्रदान करती हैं । बैंक के ट्रेजरी सोल्यूशन व्यवसायों को उनके विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और निवेश पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में सहायता करते हैं । इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एडवाइजरी सेवाएं कॉर्पोरेट ग्राहकों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और रणनीतिक वित्तीय समाधान उपलब्ध कराती है जिससे उन्हें अपनी वृद्धि एवं विस्तार के लिए व्यवस्थित निर्णय लेने में मदद मिलती है । कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाओं की अपनी व्यापक श्रृंखला के माध्यम से बैंक ऑफ़ बड़ौदा का उद्देश्य व्यवसायों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता करना और सशक्त बनाना है।	39.94
2	एमएसएमई बैंकिंग	**एमएसएमई बैंकिंग:** बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने एमएसएमई बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहयोग करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है । इन सेवाओं में एमएसएमई की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण और व्यापार वित्त सुविधा जैसे अनुकूलित वित्तीय समाधान शामिल हैं । बैंक विशेषीकृत एमएसएमई-केंद्रित उत्पादों	16.55

		की पेशकश भी करता है जो महिलाओं और वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं । इसके अलावा, बैंक ऑफ़ बड़ौदा एमएसएमई की सुविधाओं और दायरे को बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करता है जिसमें ऑनलाइन निधि अंतरण, मोबाइल बैंकिंग और बिजनेस बैंकिंग ऐप शामिल हैं । अपनी विशिष्ट एमएसएमई बैंकिंग पहलों के माध्यम से बैंक ऑफ़ बड़ौदा का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करते हुए इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रगति को सशक्त और सक्षम बनाना है।	
3	कृषि बैंकिंग	**कृषि बैंकिंग:** बैंक ऑफ़ बड़ौदा किसानों और कृषि क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कृषि बैंकिंग सेगमेंट में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है । बैंक कृषि भूमि विकसित करने, कृषि संबंधी मशीनरी की खरीद और कृषि-संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा फसल ऋण एवं निवेश ऋण, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाएं आदि जैसे वित्तपोषण समाधान प्रदान करता है। बैंक विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सामूहिक ऋण गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर अधिक जोर देता है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपनी कृषि बीमा योजनाओं जिसमें फसल, पशुधन और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, के माध्यम से किसानों को सहयोग प्रदान करता है । साथ ही, बैंक किसानों को विशेषीकृत एडवाइजरी सेवाएं प्रदान करता है, उनकी कृषिगत पद्धतियों को अनुकूल बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य-निर्धारण करने में सहायता करता है। कृषक समुदाय की प्रगति और समृद्धि में योगदान देते हुए अपनी शाखाओं और डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से बैंक ऑफ़ बड़ौदा देश भर में अपनी कृषि बैंकिंग सेवाओं की सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है ।	14.27
4	रिटेल बैंकिंग	**खुदरा बैंकिंग:** बैंक ऑफ़ बड़ौदा व्यक्तियों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने रिटेल बैंकिंग प्रभाग के तहत सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है । इन सेवाओं में बचत एवं चालू खाते, सावधि जमा, वैयक्तिक ऋण, गृह ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड शामिल हैं । बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिससे ग्राहक आसानी से अपने खातों को प्रबंधित कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, निधि अंतरण कर सकते हैं और अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । इसके अलावा, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्राहकों को उनके धन को निवेश करने और उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु म्यूचुअल फंड, बीमा योजना और डीमैट सेवाओं	26.3

		जैसे निवेश उत्पादों की पेशकश भी करता है । ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ग्राहकों के वित्तीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुशल, सुरक्षित और व्यक्तिगत रिटेल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है ।	
5	अन्य	**जमाराशियों की एवज में ऋण सहित अन्य सुविधाएं :** बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जमाराशियों की एवज में ऋण सहित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है । जमाराशियों की एवज में ऋण व्यक्तियों को उनकी अल्पकालिक या तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक में उपलब्ध उनकी सावधि जमाराशियों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ग्राहकों हेतु सुविधा एवं सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें, आसान ऋण प्रक्रिया और फ्लेक्सिबल चुकौती विकल्प प्रदान करता है । जमाराशियों की एवज में ऋण लेकर व्यक्ति अपनी सावधि जमा का परिसमापन किए बिना राशि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपनी जमाराशि पर ब्याज अर्जित करते हुए चलनिधि का लाभ उठा सकते हैं । वित्तीय समाधान प्रदान करने में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की प्रतिबद्धता इसे अपनी जमा राशि की एवज में ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है । इसके अलावा, -85-वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों (एफ़एलसीसी) के माध्यम से बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहा है । उन्हें बैंक वित्त के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज के लिए वरीयता दी जाती है। इसके अलावा, बैंक ने 51,780 व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त किया है, जिनमें से 21,720 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं । ये व्यवसाय प्रतिनिधि तकनीक की मदद से समाज के वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचते हैं और इस तरह वित्तीय समावेशन का सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बढ़ावा दे रहे हैं ।	2.93

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/ सेवाएं (संस्था के टर्नओवर के 90% का लेखांकन)

क्र. सं.	उत्पाद/ सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में योगदान का %
1	कार्पोरेट	64191	39.94
2	एमएसएमई		16.55
3	कृषि		14.27
4	रिटेल		26.3
5	अन्य		2.93

III-परिचालन

16. ऐसे स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/ या परिचालन/ कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	253 कार्यालय 8, 200 शाखाएं	8, 453
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नही	10 कार्यालय # 83 शाखाएं*	93 (17 देश)*

* इसमें बैंक की आईएफएससी गिफ्ट सिटी, भारत और विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं भी शामिल हैं किंतु विदेशी संयुक्त उद्यमों/ सहयोगी इकाइयों को शामिल नहीं किया गया है।

इसमें यूएई में बैंक की-9-इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा इकाइयां और मॉरीशस में-1-मोबाइल बैंकिंग इकाई भी शामिल है।

<u>**17. संस्थान का बाजार में विस्तार**</u>

ए. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	35
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	17*

*इसमें बैंक की गिफ्ट सिटी, भारत तथा विदेशी अनुषंगियां भी शामिल हैं परंतु विदेशी संयुक्त उद्यमों/ अनुषंगियों को शामिल नहीं किया गया है।

बी. संस्था के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का कितना योगदान है?

जवाब: यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है क्योंकि सेवा उद्योग से जुड़े होने के कारण बैंक ऐसी किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है जिसे अन्य देशों में निर्यात करने की आवश्यकता पड़े।

सी. ग्राहकों के प्रकार की संक्षिप्त जानकारी

जवाब: बैंकिंग परिचालन में बैंक को विभिन्न ग्राहकों के साथ व्यवहार करना पड़ता है ताकि उन्हें विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जा सकें। ग्राहक विभिन्न उद्योगों और पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं।

इन ग्राहकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- व्यक्ति
- संयुक्त हिन्दू परिवार
- साझेदारी फर्म
- सीमित देयता वाली कंपनियां

- ➢ क्लब और एसोसिएशन
- ➢ न्यास
- ➢ कंपनियां

- **व्यक्ति ग्राहक (एकल व्यक्ति खाता):** यह खाता किसी एक व्यक्ति द्वारा उसकी अपनी और व्यक्तिगत क्षमता में खोला गया खाता है। इस प्रकार के खाते केवल उस एकल व्यक्ति द्वारा रखे और परिचालित किए जाते हैं जिसने खाता खोला है। यह एकमात्र और एकल व्यक्ति ही बैंक का ग्राहक है।

- **व्यक्तियों के संयुक्त खाते:** एक संयुक्त खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है और खाता खोलने के फार्म इत्यादि पर सभी संयुक्त खाता धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। जब दो व्यक्तियों के नाम पर एक संयुक्त खाता खोला जाता है तो खाते का परिचालन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है:
    - कोई एक या उत्तरजीवी
    - संयुक्त रूप से दोनों
    - संयुक्त रूप से दोनों और उत्तरजीवी द्वारा
    - पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी

- **अनिवासी भारतीय (**एनआरआई): अनिवासी भारतीय का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है। किसी भी व्यक्ति को भारतीय मूल का तब माना जाता है जब वह या उसके माता-पिता या उसके दादा/ दादी अथवा नाना-नानी में से कोई भारतीय नागरिक रहे हों। एनआरआई खातों के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं:
    - सामान्य अनिवासी रुपया खाता (एनआरओ खाते)
    - अनिवासी (बाहरी) रुपया खाता (एनआरई खाते)
    - अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशियां (एनआरएनआर खाते) और
    - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआर (बी) खाते)

- **हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ):** संयुक्त हिन्दू परिवार (जेएचएफ) (जिसे हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से भी जाना जाता है) एक विधिक संस्था है और यह हिंदुओं के लिए अद्वितीय है। इसके पास कंपनियों की तरह स्थायी उत्तराधिकार है लेकिन इसके लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। जेएचएफ के प्रमुख कर्ता होते हैं और परिवार के सदस्यों को सह-प्रवर्तक कहा जाता है। जेएचएफ व्यवसाय का प्रबंधन कर्ता द्वारा किया जाता है।

- **साझेदारी फर्मः** साझेदारी, भागीदारों से स्वतंत्र कोई विधिक इकाई नहीं है। यह व्यक्तियों का संघ है। साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। हालांकि, कई बैंक साझेदारी के पंजीकरण पर जोर देते हैं। किसी भी मामले में, अर्थात् जब किसी साझेदारी के लिए खाता खोला जाए तो स्टांप की गई साझेदारी विलेख या साझेदारी पत्र लिया जाना चाहिए।

साझेदारी विलेख में भागीदारों के नाम, साझेदारी का उद्देश्य और अन्य परिचालन विवरण शामिल होंगे, जिनमें व्यवहार के दौरान बैंक को ध्यान में रखना चाहिए।

- **संयुक्त स्टॉक कंपनियां (सीमित देयता वाली कंपनियां):** सीमित देयता वाली भागीदारी (एलएलपी) एक ऐसी साझेदारी है जिसमें कुछ या सभी भागीदारों (क्षेत्राधिकार के आधार पर) की देयताएं सीमित होती हैं। एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 द्वारा शासित होती है। एलएलपी में उनके योगदान की सीमा तक देयताएँ सीमित होती हैं। भागीदारों को सीधे व्यवसाय का प्रबंधन करने का अधिकार है। फर्म और कंपनियां स्वयं को एलएलपी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एलएलपी जनता से निधि नहीं जुटा सकती है।

- **क्लब, सोसाइटी और एसोसिएशन:** क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन आदि अपंजीकृत या पंजीकृत हो सकते हैं। खाता केवल तभी खोला जा सकता है जब उच्च पद और विश्वसनीयता वाले व्यक्ति प्रबंध समिति या गवर्निंग बॉडी में शामिल हों। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति तथा सचिव/ अध्यक्ष द्वारा नवीनतम के रूप में प्रमाणित किए गए उपनियम की प्रति ली जानी चाहिए तथा बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंध समिति/ गवर्निंग बॉडी के संकल्प की प्रमाणित प्रति तथा खाते के परिचालन के लिए पदधारकों आदि के विवरण आदि भी प्राप्त की जाएं।

- **न्यास खाता:** न्यास विलेख निष्पादित करते हुए सेटलर द्वारा न्यास का सृजन किया जाता है। न्यास खाता, न्यास विलेख प्राप्त करने और उसकी जांच करने के बाद ही खोला जा सकता है। न्यास खाते को सभी न्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से तब तक संचालित किया जा सकता है जब तक कि न्यास विलेख में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। कोई भी ट्रस्टी, न्यास विलेख में यथा उपबंधित के अलावा अन्य ट्रस्टी को शक्तियां प्रदान नहीं कर सकता।

- **कंपनियां: ए)** प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बी) पब्लिक लि. कंपनी सी) सरकारी कंपनी डी) एकल स्वामित्व वाली कंपनी

IV-कर्मचारी:

18. वित्त वर्ष की समाप्ति पर विवरण

ए. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	**विवरण**	**कुल (ए)**	**पुरुष**		**महिला**	
			सं (बी)	**% (बी/ए)**	**सं (सी)**	**% (सी/ए)**
			कर्मचारी			
1	स्थायी (डी)	76514	56361	73.66%	20153	26. 34%
2	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	730	621	85.07%	109	14. 93%

3	**कुल कर्मचारी (डी + ई)**	77244	56982	73.77%	20262	26. 23%
कामगार (लागू नहीं)						
4	स्थायी (एफ)	0	0	0	0	0
5	स्थायी के अलावा अन्य (जी)	0	0	0	0	0
6	**कुल कामगार (एफ + जी)**	0	0	0	0	0

बी. दिव्यांग कर्मचारी और कार्मिक:

क्र. सं.	**विवरण**	**कुल (ए)**	**पुरुष**		**महिला**	
			सं (बी)	**% (बी/ ए)**	**सं (सी)**	**% (सी/ ए)**
दिव्यांग कर्मचारी						
1	स्थायी (डी)	2271	1816	79.96%	455	20. 04%
2	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	3	3	100%	0	0. 00%
3	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई)**	2274	1819	79. 99%	455	20. 01%
दिव्यांग कामगार (लागू नहीं)						
4	स्थायी (एफ)	0	0	0	0	0
5	स्थायी के अलावा अन्य (जी)	0	0	0	0	0
6	**कुल दिव्यांग कामगार (एफ + जी)**	0	0	0	0	0

19. महिलाओं की सहभागिता/ समावेशन/ प्रतिनिधित्व:

	कुल (ए)	**महिलाओं की संख्या और प्रतिशत**	
		संख्या (बी)	**% (बी/ए)**
निदेशक मंडल	**12**	**2**	**16.67%**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	**3***	**0**	**-**

*डब्ल्यूटीडी को छोड़कर केएमपी

20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण)

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर की दर)			**वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर की दर)**			**वित्त वर्ष 2020-21 (पिछले वित्त वर्ष से पहले के वर्ष में टर्नओवर की दर)**		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
स्थायी कामगार (लागू नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V-होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

21. (ए) होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम (ए)	होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम आदि दर्शाएं	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का%	क्या वह संस्था, जो कॉलम 'ए' में दर्शायी गई है, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक दायित्व संबंधी पहलों में सहभागिता करती है? (हां/ नहीं)
1	बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लि.	घरेलू अनुषंगी	100%	नहीं
2	बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.	घरेलू अनुषंगी	100%	नहीं
3	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.	घरेलू अनुषंगी	100%	नहीं
4	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लि.	घरेलू अनुषंगी	100%	नहीं
5	नैनीताल बैंक लि.	घरेलू अनुषंगी	98.57%	नहीं
6	बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लि.	घरेलू अनुषंगी	50.10%	नहीं
7	बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्रा. लि.	घरेलू अनुषंगी	50.10%	नहीं
8	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	घरेलू अनुषंगी	65%	नहीं
9	इंडिया इंफ्राडेब्ट लि.	घरेलू संयुक्त उद्यम	40. 99%	नहीं
10	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि.	विदेशी अनुषंगी	80%	नहीं
11	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	विदेशी अनुषंगी	86.70%	नहीं
12	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	विदेशी अनुषंगी	100%	नहीं
13	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	विदेशी अनुषंगी	100%	नहीं
14	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	विदेशी अनुषंगी	100%	नहीं

15	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि.	विदेशी अनुषंगी	100%	नहीं
16	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.	विदेशी अनुषंगी	100%	नहीं
17	इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद	विदेशी संयुक्त उद्यम	40%	नहीं
18	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	विदेशी अनुषंगी	20%	नहीं

VI-सीएसआर विवरण

22. i. क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं): नहीं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू नहीं है, तथापि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई. नं./2005-06/237/डीबीओडी. नं. डीआर. बीसी. 50/13.01/2005-06 दिनांक 21.12.2005 के अनुरूप ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार सृजन सहित विभिन्न परोपकारी कार्य और वित्तीय समावेशन गतिविधियों के रूप में अपना योगदान दे रहा है ।

ii. टर्नओवर (रु. में): ₹99,614.38 करोड़

iii. निवल मालियत (रु. में): ₹ 76,951.07 करोड़

VII-पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी अनुपालन

23.उत्तरदायी कारोबारी व्यवहार संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/ परिवेदना

हितधारक समूह, जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है।	**शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित है (हां/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत समाधान संबंधी नीति के लिए वेब लिंक उपलब्ध कराएं)**	**वित्त वर्ष 22-23**			**वित्त वर्ष 21-22**		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	**वर्ष की समाप्ति पर समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या**	**टिप्पणियां**	**वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या**	**वर्ष की समाप्ति पर समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या**	**टिप्पणियां**
समुदाय	जी हां, व्हिसल ब्लोअर	0	0	शून्य	0	0	शून्य

	दिशानिर्देश उपलब्ध हैं https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/grp-22-24-eng-06-19.pdf						
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	जी हां, व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश उपलब्ध हैं https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/grp-22-24-eng-06-19.pdf	0	0	शून्य	0	0	शून्य
शेयरधारक	जी हां https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/	917	2	- 2- लंबित शिकायतों का समाधान 6, अप्रैल 2023 को कर दिया गया है।	644	0	शून्य
कर्मचारी	जी हां https://www.bankofbaroda.in/-/media/project/bob/countrywebsites/india/shareholders-corner/code-of-ethics-	22	3	* वर्तमान में केवल 2 मामले लंबित हैं जो	25	4	*लंबित मामलों का समाधान किया गया है।

	eng-a4-web-30-05.pdf-			प्रक्रियाधीन हैं।			
ग्राहक	जी हां https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/grp-22-24-eng-06-19.pdf	*957938	44916	शून्य	*863867	*18429	शून्य
वेल्यू चैन साझेदार	जी हां व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश उपलब्ध हैं https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf	0	0	शून्य	0	0	शून्य
अन्य (कृपया ब्यौरा दें)	-	-	-	-	-	-	-

*** (डी एंड डी + 1 में निपटाई गई शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है, डी शिकायत दर्ज करने का दिन/तारीख है)**

24. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबारी व्यवहार संबंधी मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबारी व्यवहार और संवहनीयता संबंधी मुद्दों का उल्लेख करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रदान करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ जोखिम को अपनाने या कम करने संबंधी दृष्टिकोण को निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध करवाएं।

क्र. सं.	**पहचाने गए महत्वपूर्ण मामले**	**यह जोखिम है या अवसर, दर्शाएं (आर/ओ)**	**जोखिम/ अवसर की पहचान करने का तर्क**	**जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण**	**जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ को दर्शाएं)**
1	**ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा**	जोखिम	मौजूदा सांविधिक एवं विनियामक फ्रेमवर्क में ग्राहक सूचना की गोपनीयता का	ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं	• **नकारात्मक:** ग्राहक डेटा/ डेटा के दुरुपयोग से विनियामक जुर्माना या

			अधिदेश दिया गया है।	का अभिनियोजन।	प्रतिष्ठा को नुकसान • धोखाधड़ी अथवा साइबर हमलों से परिचालनगत हानि
2	**जोखिम प्रबंधन**	जोखिम और अवसर	जोखिमः अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के कारण हानि का जोखिम। अन्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, आस्ति एवं देयता प्रबंधन/ चलनिधि जोखिम, जलवायु जोखिम, डिजिटल जोखिम आदि अवसर: प्रभावी जोखिम प्रबंधन से जोखिमों का पता लगाने और समय पर उन्हें कम करने में मदद मिल सकती है। यह बैंक को बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने, कारोबार संबंधी खतरों के उत्पन्न होने से पहले, उन्हें बड़ी समस्याओं के रूप में	• प्रभावी व्यवसाय निरंतरता योजना • उद्यम जोखिम प्रबंधन • बीसीएम और परिचालनगत लचीलापन • मॉडल विकास और सत्यापन	**नकारात्मक:**: ग्राहक को हुई हानि के कारण प्रतिष्ठा को नुकसान। **सकारात्मक:** जोखिम कम करने का परिणाम गुणवत्तापरक कारोबार में वृद्धि होगी।

			उभरने से पहले ही उससे निपटने के द्वारा लागत को कम करने, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को कार्यनीति आयोजना में शामिल करके कारोबारी उद्देश्यों को तत्काल प्राप्त करने, उच्च दक्षता लाने और वित्तीय जोखिम को कम करके लाभ प्रदता बढ़ाने में सहायक होगा		
3	**कारोबारी नैतिकता और गवर्नेंस**	जोखिम और अवसर	**जोखिमः** अनैतिक प्रक्रियाओं और व्यवहार की घटनाएं बैंक की ब्रांड छवि को धूमिल कर सकती हैं और बैंक की प्रतिष्ठा के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। **अवसर:** नैतिकता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, अधिदेशों की पूर्ति के साथ-साथ हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है।	• इस जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय नैतिक आचरण के उच्चतम मानक निर्धारित करने के लिए नैतिक आचरण संहिता लागू की है। • कार्यस्थल पर दूसरों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं बनाई गयी हैं।	**नकारात्मक:** प्रतिष्ठा और हितधारकों का भरोसा खोने के कारण अप्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव **सकारात्मक:** नैतिक प्रक्रियाओं और व्यवहार से सभी हितधारकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद मिल सकती है जिससे अंततः बैंक के लिए बेहतर कारोबारी परिणाम हासिल होंगे।
4	**अनुपालन**	जोखिम और अवसर	**जोखिमः** अनुपालन एक जोखिम है क्योंकि यह बैंक की प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा	• प्रभावी नेतृत्व निगरानी • सुदृढ़ अनुपालन	**नकारात्मक:** लागू नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता

			और निष्पक्ष प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों के पालन से जुड़ा हुआहै. **अवसर:** प्रभावी अनुपालन से ब्रांड के प्रति विश्वनीयता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।	जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं	है, ब्रांड छवि को नुकसान पहुँच सकता है। **सकारात्मक:** प्रभावी अनुपालन से ब्रांड के प्रति विश्वनीयता बढ़ाने और दीर्घकालिक संबंधों के निर्माण में मदद मिल सकती है।
5	**डिजिटलीकरण**	अवसर	डिजिटलीकरण ग्राहक आधार, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, डेटा-आधारित निर्णय लेने और बैंकिंग की सुविधा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।		**सकारात्मक:** डिजिटलीकरण से लागत कम करने, युक्तिसंगत निर्णय लेने और सेवाओं के विस्तार में मदद मिल सकती है।
6	**सामाजिक ऋण**	जोखिम और अवसर	• **अवसर:** वित्तीय रूप से विस्तार करते हुए कारोबारी क्षेत्रों में वृद्धि • आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और अपनी संपत्ति खरीदने हेतु सक्षम बनाना • जोखिम: : उधारकर्ता द्वारा भुगतान न कर पाने की स्थिति में एनपीए होने की संभावना	• बेहतर जोखिम आंकलन पद्धतियों का उपयोग करना • कमजोर वर्ग को बेहतर मूल्य निर्धारण और शर्तों पर सेवा प्रदान की जाती है।	**सकारात्मक** • व्यवसाय में वृद्धि से और अधिक लाभ • क्रॉस-सेल करने हेतु अवसर **नकारात्मक:** • ऋण लागत में वृद्धि

7	ग्राहक संतुष्टि	जोखिम और अवसर	जोखिमः ग्राहक असंतोषपूर्ण बातें फैला सकते हैं, परिणामस्वरूप कारोबार में हानि हो सकती है । अवसर: ग्राहक संतुष्टि से दीर्घकालिक संबंध बन सकते हैं और व्यवसाय विकास में सहायता मिल सकती है ।	• ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र • ग्राहक अभिमत	**नकारात्मक:** असंतुष्ट ग्राहक संबंधी मामलों से ब्रांड की छवि धूमिल हो सकती है । **सकारात्मक:** ग्राहक संतुष्टि व्यवसाय वृद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
8	नियोजन प्रक्रिया	अवसर	नियोजन की प्रक्रिया किसी सेवा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है ।		**सकारात्मक:** कुशल व्यवसाय परिचालन
9	पहुंच और वहनीयता	अवसर	कई वर्षों से बैंक अपने ग्राहकों को किफ़ायती उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में सक्षम रहा है। परिणामस्वरूप, बैंक के प्रति निष्ठावान ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है।		**सकारात्मक:** ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि
10	उपभोक्ता शिक्षा/ जागरूकता	अवसर	ग्राहक जागरूकता से ग्राहक वरीयता को बढ़ाने और धोखाधड़ी के मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।		**सकारात्मक:** धोखाधड़ी संबंधी मामलों में कमी लाना और ग्राहक निष्ठा को बढ़ाना
11	स्थिर वित्तपोषण	अवसर	स्थिर वित्तपोषण जलवायु परिवर्तन और अन्य ईएसजी मुद्दों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है, जिसका वित्तीय		**सकारात्मक:** स्थिर वित्तपोषण को पारंपरिक की तुलना में बेहतर निवेश विकल्प माना जाता है क्योंकि ये दीर्घकालिक रूप से अधिक प्रतिफल और कम जोखिम

			कार्यनिष्पादन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है। बैंकों में स्थिर वित्तपोषण निवेशकों को आकर्षित करने, ग्राहक निष्ठा का पैदा करने, वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने, स्थिर परिचालन और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में सहायक होगा ।		प्रदान करते हैं । इससे बैंक को भविष्य में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलेगी ।

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, पॉलिसियों और प्रक्रियाओं को प्रकट करने में व्यवसायों की मदद करना है।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
पॉलिसी और प्रबंधन प्रक्रिया									
1. ए. क्या आपकी संस्था की पॉलिसी/पॉलिसियों में एनजीआरबीसी के सभी सिद्धांत और मूल तत्व शामिल हैं। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
b. क्या इस पॉलिसी को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है ? (हां/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
c. पॉलिसियों की वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2. क्या संस्था ने पॉलिसी को प्रक्रियाओं में अपनाया है । (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3. क्या ये सूचीबद्ध पॉलिसी आपके वैल्यू चेन भागीदारों पर भी लागू होती हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

(हां/नहीं)									
4. आपके संस्थान द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानक (अर्थात् फॉरेस्ट स्टुवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) और मानक हैं (अर्थात् एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के साथ मैप किए गए हैं।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां
5. निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई हो, में संस्था द्वारा स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धता, उद्देश्य और लक्ष्य	बैंक पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डाले अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अपने हितधारकों के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्थिर बैंकिंग को दीर्घावधि मूल्य सृजन का आधार मानता है। बैंक के पास एक सुविकसित डिजिटल चैनल है जो ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करता है। बैंक ने एलईडी इंस्टालेशन, शाखाओं के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और पेपरलेस परिचालनों जैसे उपायों के रूप में उत्सर्जन को कम करने के लिए आंतरिक रूप से विभिन्न पहलें की हैं।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्रति संस्था का कार्यनिष्पादन और यदि उन्हें पूरा नहीं किया गया है तो इसका कारण बताएं।	सभी महत्वपूर्ण मानदंडों से संबंधित कार्यनिष्पादन को ट्रैक करने के लिए बैंक के पास विभिन्न संकेतक हैं।								
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का वक्तव्य, (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट से संबंधित फ्लेक्सिबिलिटी है) **यह संदेश पहले पृष्ठ पर उपलब्ध है।**									
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व पॉलिसी (पॉलिसियों) के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	जयदीप दत्ता राय, कार्यपालक निदेशक डीआईएन- 8055872								
9. क्या संस्था में स्थिर ता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी निदेशक मंडल की कोई निर्दिष्ट समिति/ निदेशक हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	हां, बैंक में निदेशक मण्डल की एक सीएसआर और स्थिरता समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है।								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः

समीक्षा हेतु विषय	क्या समीक्षा निदेशक/निदेशक मंडल की समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी, इसका उल्लेख करें।									आवृत्ति (वार्षिक/ छमाही/ तिमाही/ कोई अन्य – कृपया विवरण दें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपर्युक्त पॉलिसी के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	वार्षिक रूप से								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी गैर-अनुपालन में सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	वार्षिक रूप से								

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी से अपनी पॉलिसी की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्यांकन कराया है? (हां/ नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं ।	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं किए जाते हैं, तो इसका कारण बताएं: (लागू नहीं)

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां/नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
संस्था उस चरण में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर पॉलिसी बनाने और इसे लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
संस्था में इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इसे आगामी वित्त वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

खंड सी : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं एवं निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके कार्यनिष्पादन को प्रकट करने में मदद करना है । वांछित जानकारी को "अनिवार्य" और "लीडरशिप" के रूप में वर्गीकृत किया गया है । जहां इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है, वहीं लीडरशिप संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाने की दिशा में उच्च स्तर की प्रगति करने की इच्छुक हैं ।

सिद्धांत 1: - कारोबार ईमानदारी से और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से संचालित और शासित किया जाना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिशत कवरेज:

सेगमेंट	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल	7	निदेशक विकास कार्यक्रम, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और धनशोधन निवारण (एएमएल) पर आधारित सीएएफआरएएल (CAFRAL) वर्चुअल कार्यक्रम, डिजिटल ऋण संबंधी मामलों पर सीएएफआरएएल (CAFRAL) वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम, बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में आईडीआरबीटी प्रमाणन	100% (12/12)

		कार्यक्रम (ऑनलाइन मोड से), जलवायु जोखिम और स्थिर वित्तपोषण, बैंक के निदेशक मंडल, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी के लिए गवर्नेंस एवं एश्योरेंस पर सीएएफआरएएल (CAFRAL) कार्यक्रम, भारत में वित्तीय बाज़ार: भविष्य क्या है? पर सीएएफआरएएल (CAFRAL) वर्चुअल सम्मेलन	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0	-	-
बीओडी और केएमपी से इतर कर्मचारी	वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1072 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए कर्मचारियों द्वारा इस सिद्धांत से संबंधित विभिन्न विषयों पर 4 ई-लर्निंग मॉड्यूल किए गए	माइंडफुल लिविंग, पॉश कार्यशाला, लीडरशिप टूल, परिवर्तन प्रबंधन, जीवन में सकारात्मकता, अच्छे से महान - अपने नायक बनें, बीसीएसबीआई कार्यशाला, नैतिक आचरण और निवारक सतर्कता, तनाव प्रबंधन और कार्य जीवन संतुलन, अंत: व्यक्तित्व, कर्मचारियों हेतु कौशल और अनुकूल व्यवहार, नए भर्ती किए गए व्यवसाय सहयोगियों को ऑनबोर्ड करना, पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, बड़ौदा स्टार कार्यक्रम, बड़ौदा मित्र कार्यक्रम,	68.55% (52953)

		महिला सशक्तिकरण, नैतिकता, आरक्षण नीति पर कार्यशाला।	
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. वित्त वर्ष में नियामकों/ कानून प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (संस्था द्वारा या निदेशकों/ केएमपी द्वारा) से संबंधित जुर्माने/ हर्जाने/ दंड/ अवार्ड/ कंपाउंडिंग शुल्क/ निपटान राशि आईडी के विवरण संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रारूप नोट में भौतिकता के आधार पर प्रकट किए जाएंगे जैसा कि सेबी के विनियम 30 एफ (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट है और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धान्त	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम**	**राशि (रुपए में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील दायर की गई है? (हां/ नहीं)**
दंड/जुर्माना	0	0	0	0	0
निपटान	0	0	0	0	0
कंपाउंडिंग शुल्क	0	0	0	0	0
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धान्त	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम**	**राशि (रुपए में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील दायर की गई है? (हां/ नहीं)**
कारावास	0	0	0	0	0
दंड	0	0	0	0	0

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में दर्शाए गए मामलों में से ऐसे मामलों में दायर की गई अपील/ संशोधन के विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है।

मामले का विवरण	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम
0	0

4. क्या संस्था में कोई भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी पॉलिसी है ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, पॉलिसी से संबंधित वेब-लिंक उपलब्ध कराएं ।

जवाब. जी हां, बैंक की नैतिक आचरण संहिता में रिश्वत विरोधी अपेक्षाओं को शामिल किया गया है ।

https://www.bankofbaroda.in//media/project/bob/countrywebsites/india/shareholders-corner/code-of-ethics-eng-a4-web-30-05.pdf pg 23

बैंक ने निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से अनैतिक प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और धन की हेराफेरी की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सतर्कता विभाग स्थापित किया है।

निवारक सतर्कता (पीवी) प्रबंधन और सुशासन का एक ऐसा टूल है जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने/ कम करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के उपायों को अपनाना शामिल है ।

इसमें संगठन की पॉलिसी, सिस्टम और प्रक्रियाओं में कमजोरियों की पहचान करना और भ्रष्टाचार के दायरे को कम करने तथा बेहतर परिचालनगत परिणामों के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना भी शामिल है ।

बैंक के निवारक सतर्कता उपायों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: –

- अधिकारियों द्वारा दायर की गई वार्षिक संपत्ति विवरणियों (एपीआर) की ऑनलाइन प्रस्तुति और उनकी 100% संवीक्षा ।
- सहमत अधिकारियों की सूची तैयार करना जिनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा के विरुद्ध शिकायतें, शंका या संदेह हैं । यह सूची सीबीआई प्राधिकारियों के परामर्श से प्रतिवर्ष तैयार की जाती है ।
- संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची वार्षिक आधार पर तैयार / उसकी समीक्षा की जाती है ।
- मानव संसाधन प्रबंधन विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त किसी भी सूची में दर्शाए गए अधिकारियों को संवेदनशील कार्यदायित्वों में पदस्थ न किया जाए ।
- बैंक में संवेदनशील पदों पर स्टाफ के रोटेशन की निगरानी की जाती है और मासिक रिपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचना प्रस्तुत की जाती है ।
- बैंक में आंतरिक बिसल ब्लोअर नीति को लागू किया गया है ।
- सतर्कता विभाग के लिए दिनांक 01.04.2018 से एक विशेष पोर्टल 'बॉब-ई-विजिल' कार्यरत है ।
- विभिन्न बोलीकर्ताओं की स्थिति तथा उस एल-1 एजेंसी का नाम जिसे कार्य सौंपा गया है, को दर्शाते हुए सौपी गई संविदा का सारांश मासिक आधार पर कॉर्पोरेट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

- धोखाधड़ी को नियंत्रित करने/ रोकने के उपाय के रूप में इंटरप्राइज-वाइड फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन (ईएफआरएमएस) लागू किया गया है।
- विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के समय तथा निवारक सतर्कता लेखा परीक्षा के दौरान स्टाफ खातों की जांच की जाती है । निवारक सतर्कता उपाय के रूप में स्टाफ के खातों से संबंधित नकदी लेन-देन की निगरानी के लिए आईटी विभाग के माध्यम से एक निगरानी सिस्टम की शुरूआत की गई है ।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी शिकायतों की जांच पड़ताल सुनिश्चित करते हैं और जहां भी आवश्यक हो, उचित कार्रवाई करते हैं ।
- धोखाधड़ी/ अनियमितताओं से बचने के लिए फील्ड स्तरीय कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए उनसे सीधे संवाद करना । इससे फील्ड स्तरीय कर्मचारियों से सीधे अभिमत प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।
- आंतरिक रूप से आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवारक सतर्कता संबंधी एक सत्र अनिवार्य कर दिया गया है ।
- संगठन ने खरीद, संविदा, भर्ती आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैनुअल तैयार किया है और ये मैनुअल केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किए जाते हैं ।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं बल्कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए तथा निर्धारित दिशानिर्देशों आदि के अनुरूप किया जाए।
- आंतरिक सलाहकार समिति, स्रोत सूचना और अन्य इनपुट से प्राप्त संदर्भ के आधार पर, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित वर्टिकल को उपयुक्त व्यवस्थित सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं ।
- रु. 50 लाख और उससे अधिक की मंजूरी वाले एकबारगी निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों की जांच सुनिश्चित की जा रही है और संबंधित वर्टिकल के साथ टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हो, पर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है ।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी टेरीटरिज सहित पूरे बैंक/ देश में विभिन्न निवारक सतर्कता गतिविधियों के आयोजन के साथ-साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।
- बैंक की आंतरिक एपेक्स प्रशिक्षण अकादमी के माध्यम से जांच अधिकारियों (आईओ), पूछताछ प्राधिकारी (आईए)/ प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों (पीओ) के लिए क्रमशः 'जांच तकनीक' और 'विभागीय जांच' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- अनुशासनात्मक प्राधिकारियों (डीए) के लिए भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- सभी स्तरों पर सतर्कता प्रशासन के मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण के लिए नियमित अंतराल पर बैंक की सतर्कता टीम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने रिश्वतखोरी/ भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है :

	वित्त वर्ष 22-23		**वित्त वर्ष 21-22**
निदेशक	0	**निदेशक**	0
केएमपी	0	**केएमपी**	0
कर्मचारी	03	**कर्मचारी**	0
कामगार	लागू नहीं	**कामगार**	लागू नहीं

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरणः

	वित्त वर्ष 22-23		**वित्त वर्ष 21-22**	
	संख्या	**टिप्पणियां**	**संख्या**	**टिप्पणियां**
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	शून्य	0	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	शून्य	0	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

जवाब. यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है क्योंकि उपर्युक्त बिंदु संख्या 2 एवं 6 के अनुसार भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माने/ हर्जाने/ की गई कार्रवाई से संबंधित कोई भी मामला नहीं है।

<u>**लीडरशिप संकेतक:**</u>

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर वैल्यू चेन भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	**प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत**	**जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शामिल वैल्यू चेन भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य द्वारा) का %**
चालू वित्त वर्ष में वैल्यू चेन भागीदारों के लिए इस प्रकार का कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं

2. क्या संस्था में निदेशक मंडल के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/ इसे रोकने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।

जवाब. जी हाँ, निदेशक मंडल के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / इसे रोकने के लिए बैंक में "निदेशक मंडल की आचरण संहिता" है जो बैंक की वेबसाइट - https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents पर उपलब्ध है ।

सिद्धान्त 2:- कारोबार में वस्तुएं एवं सेवाएं इस तरीके से प्रदान की जानी चाहिए कि वह संवहनीय और सुरक्षित हो ।

लीडरशिप संकेतक :

1. संस्था द्वारा किए गए कुल आर एवं डी और कैपेक्स निवेशों के लिए क्रमशः उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट तकनीकियों में आर एंड डी और पूंजीगत **व्यय** (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत ।

	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधारों का विवरण
आर एवं डी	0	0	शून्य
कैपेक्स	0	0	शून्य

*कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए की गई कार्रवाई (अर्थात् सौर पैनलों के संस्थापन, हरित भवन प्रमाणन, हरित पहल आदि) को ओपेक्स के तहत लागू किया गया था ।

2.ए. क्या संस्था के पास संवहनीयता सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां नहीं)

जवाब. जी हां, संवहनीय सोर्सिंग बैंक की खरीद नीतियों/ मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में सन्निहित है ।

2.बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थिर रूप से प्राप्त किए गए?

जवाब. वर्तमान में, बैंक सोर्स किए गए इनपुट के प्रतिशत की गणना नहीं कर रहा है । बैंक सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मदों को सोर्स करता है ।

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य कचरे को पुन: उपयोग में लाने, रिसाइकल करने और निपटान के लिए अपने उत्पादों को निष्क्रिय होने के बाद सुरक्षित रूप से पुनर्निर्मित करने हेतु अपनायी गई प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
   जवाब. यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है क्योंकि बैंक सेवा क्षेत्र से जुड़ा है और यह ग्राहकों के लिए किसी भी सामान का उत्पादन नहीं करता है ।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

जवाब. यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है क्योंकि बैंक सेवा उद्योग से जुड़ा है और यह ग्राहकों के लिए किसी भी सामान का उत्पादन नहीं करता है।

लीडरशिप संकेतक :

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन-चक्र आकलन/ मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

एनआईसी कोड	**उत्पाद/ सेवा का नाम**	**कुल टर्नओवर में योगदान का %**	**सीमा जिसके लिए जीवन-चक्र आकलन/ मूल्यांकन किया गया था**	**क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां/ नहीं)**	**सार्वजनिक डोमेन में परिणाम जारी किए गए (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पादों/ सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरण संबंधी समस्या और/ या जोखिम उत्पन्न होता है, जिसका जीवन-चक्र आकलन/ मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य तरीके से पहचान की गई है तो इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ संक्षेप में इसका वर्णन करें।

उत्पाद/ सेवा का नाम	**जोखिम/ समस्याओं का ब्योरा**	**कृत कार्रवाई**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के संदर्भ में) में से रिसाइकल की गई या पुन: उपयोग लाई गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

जवाब. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में रिसाइकल की गई या पुन: उपयोग में लाई गई ऐसी कोई इनपुट सामग्री नहीं हैं।

इनपुट सामग्री दर्शाएं	**कुल सामग्री में से रिसाइकल की गई और पुन: उपयोग में लाई गई इनपुट सामग्री**	
	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्त वर्ष	**वित्त वर्ष 2021-22 गत वित्त वर्ष**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4. उत्पाद की उपयोगिता के समापन पर पुनर्निर्मित उत्पादों और पैकेजिंग के संबंध में पुन: उपयोग में लाए गए, रिसाइकल किए गए और सुरक्षित रूप से निपटान किए गए उत्पादों की मात्रा (मेट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप में दर्शाएं:

	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्त वर्ष			**वित्त वर्ष 2021-22 गत वित्त वर्ष**		
	पुन: उपयोग में लाए गए	**रिसाइकल किए गए**	**सुरक्षित रूप से निपटान किए गए**	**पुन: उपयोग में लाए गए**	**रिसाइकल किए गए**	**सुरक्षित रूप से निपटान किए गए**
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	0	0	0	0	0	0
ई- कचरा	0	0	0	0	0	0
खतरनाक अपशिष्ट	0	0	0	0	0	0
अन्य अपशिष्ट	0	0	0	0	0	0

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनर्निर्मित उत्पाद और उनकी पैकेजिंग संबंधी सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	**पुनर्निर्मित उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में**
0	0

सिद्धांत 3:- संस्था द्वारा अपने वैल्यू चेन के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

<u>अनिवार्य संकेतक:</u>

1. ए) कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित उपायों का विवरण:

श्रेणी	**निम्नलिखित के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों का %**										
	कुल (ए)	**स्वास्थ्य बीमा**		**दुर्घटना बीमा**		**मातृत्व लाभ**		**पितृत्व लाभ**		**डे केयर सुविधाएं**	
		संख्या (बी)	**% (बी/ए)**	**संख्या (सी)**	**% (सी/ए)**	**संख्या (डी)**	**% (डी/ए)**	**संख्या (ई)**	**% (ई/ए)**	**संख्या (एफ)**	**% (एफ/ए)**
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	56361	56361	100%	56361	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	56361	100%	56361	100%
महिला	20153	20153	100%	20153	100%	20153	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	20153	100%

कुल	76514	76514	100%	76514	100%	20153	26.34%	56361	73.66%	76514	100%
स्थायी कर्मचारियों से इतर कर्मचारी											
पुरुष	621	621	100%	621	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0	0
महिला	109	109	100%	109	100%	109	100%	0	0	0	0
कुल	730	730	100%	730	100%	109	14.93%	0	0	0	0

* बैंक ऑन-साइट क्रेच के माध्यम से डे केयर सुविधाएं प्रदान करता है जो वर्तमान में मुंबई, बड़ौदा और बेंगलुरु में संचालित हैं। इन केंद्रों पर पदस्थ कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्य कर्मचारी ऑफ-साइट और निजी डे केयर सुविधाओं के लिए उनके द्वारा व्यय की गई सब्सिडी राशि/ खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

बी) कामगारों (Workers) के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण: (लागू नहीं)

श्रेणी	निम्नलिखित के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों का % (लागू नहीं)										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी /ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कामगार											
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थायी कामगारों से इतर (लागू नहीं)											
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 22-23			वित्त वर्ष 21-22		
	कुल कर्मचारियों के % के सापेक्ष कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के % के सापेक्ष कवर किए गए कामगारों की संख्या (लागू नहीं)	कटौती और प्राधिकरण के पास जमा (हां/नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारी के % के सापेक्ष कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के सापेक्ष कवर किए गए श्रमिकों की संख्या (लागू नहीं)	प्राधिकृत कटौती / जमा (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ़	24.53%	0	हां	26.00%	0	हां
ग्रेच्युटी	100%	0	हां	100%	0	हां

ईएसआई	100% (समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत कवर)	0	**हां**	100% (समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत कवर)	0	**हां**
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें (राष्ट्रीय पेंशन योजना)	75.47%	0	**हां**	74%	0	**हां**

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्थान के परिसर/ कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए पहुंच योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्थान द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर: हां, बैंक के परिसर/ कार्यालय बैंक के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पहुंच योग्य हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

4. क्या संस्थान के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

उत्तर- हाँ, बैंक की एक नीति है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। (https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/equal-opportunity-policy-03-19.pdf) एक नियोक्ता के रूप में बैंक अपने सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक / वेतन, पदोन्नति और अन्य लाभ अन्य कर्मचारियों के बराबर हैं। दिव्यांग कर्मचारियों को कार्य दायित्व सौंपते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी दिव्यांगता के बावजूद सहूलियत से अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके।

बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों को विभिन्न लाभ/ परिलब्धियां प्रदान की हैं जैसे दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, निश्चित सीमाओं के भीतर श्रवण यंत्र (श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए), कृत्रिम अंग (अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, दृष्टिबाधित और अस्थि दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ते का भुगतान, ग्रामीण/ अर्ध-शहरी पोस्टिंग से छूट, बैंक

की आवासीय व्यवस्था का वरीयता आधार पर आवंटन, सुविधाजनक पोस्टिंग आदि का प्रावधान किया गया है। बैंक ऐसे कर्मचारियों जिन्हें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में समस्या होती है और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक साथी के साथ आधिकारिक ड्यूटी/ प्रशिक्षण पर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति भी प्रदान करता है।

इस संदर्भ में सरकार के निदेशों के अनुरूप दिव्यांग कर्मचारी अपनी दिव्यांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नवीकरण, चिकित्सा जांच आदि और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के विकास से संबंधित सम्मेलन/सेमिनार/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए -4-दिनों और -10-दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए भी पात्र हैं।

बैंक ने **शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के सशक्तिकरण** के लिए एसबीआई फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं ताकि उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उन्हें कार्यस्थल पर अधिक कार्यक्षम और कुशल बनाया जा सके। एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए कार्य दायित्वों का निर्धारण किया है और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऑनलाइन कार्यशालाओं और वेबिनार तथा मानव संसाधन कार्मिकों और कार्यपालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक समान और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विविधता, इक्विटी और समावेशन (डीईआई) पर नीति बनाई है। डीईआई नीति बैंक में विद्यमान विभिन्न प्रकार की विविधताओं जैसे लैंगिक विविधता, विशिष्ट सक्षमता संबंधी विविधता, जातीय विविधता, पीढ़ी-दर-पीढ़ी विविधता, बहु-भाषिक विविधता, जाति और वर्ग विविधता का समाधान करती है। विशेष रूप से विशिष्ट सक्षमता संबंधी विविधता के अंतर्गत, नीति में विभिन्न सुधार किए गए हैं जैसे, कहीं से भी कार्य, विशिष्ट सक्षमता वाले कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए जुड़ाव कार्यक्रम, विशेष रूप से विशिष्ट सक्षमता संबंधी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी), सहयोग और समर्थन के लिए मेंटर नियुक्त करना, उनकी क्षमताओं के अनुरूप जॉब-अलाइमेंट आदि।

5. पैरेंटल अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों एवं कामगारों की कार्य पर वापसी और रिटेंशन दर।

	स्थायी कर्मचारी		**स्थायी कामगार (लागू नहीं)**	
लिंग	**कार्य पर वापसी का दर**	**रिटेंशन दर**	**कार्य पर वापसी का दर**	**रिटेंशन दर**
पुरुष	100.00%	100.00%	0	0
स्त्री	99.89%	99.55%	0	0
कुल	99.96%	99.84%	0	0

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां/ नहीं (यदि हां, तो प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगार के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, बैंक ने शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए प्रभावी और समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र 'बड़ौदा समाधान' स्थापित किया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए शिकायतों के अंतर्गत बैंक की नीतियों/ नियमों/ निर्णयों/ सेवा शर्तों/ लाभों आदि के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का समावेश है।
स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन (नों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	**वित्त वर्ष 22-23**			**वित्त वर्ष 21-22**		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ए)	**संबंधित श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)**	**% (बी/ए)**	**संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगारों (सी)**	**संबंधित श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों/ कामगार की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)**	**% (डी/सी)**
कुल स्थायी कर्मचारी	76514	66000	86.26%	78754	70680	89.75%
पुरुष	56361	47731	84.69%	58134	51586	88.74%
स्त्री	20153	18269	90.65%	20620	19094	92.60%
कुल स्थायी कामगार	लागू नहीं	0	0	0	0	0

पुरुष	लागू नहीं	0	0	0	0	0
स्त्री	लागू नहीं	0	0	0	0	0

8. कर्मचारियों एवं कामगार को दिये गये प्रशिक्षण के विवरण:

श्रेणी	**वित्त वर्ष 22-23**					**वित्त वर्ष 21-22**				
	कुल(ए)	**स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर**		**कौशल उन्नयन पर**		**कुल (डी)**	**स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर**		**कौशल उन्नयन पर**	
		संख्या (बी)	**% (बी/ए)**	**संख्या (सी)**	**% (सी/ए)**		**संख्या (ई)**	**% (ई/डी)**	**संख्या (एफ़)**	**% (एफ़/डी)**
कर्मचारी										
पुरुष	56982	32855	58%	50487	89%	58454	18624	32%	30948	53%
स्त्री	20262	11960	59%	17924	88%	20719	5179	25%	11828	57%
कुल	77244	44815	58%	68411	89%	79173	23803	30%	42776	54%
कामगार (लागू नहीं)										
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्त्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा के विवरण:

श्रेणी	**वित्त वर्ष 22-23**			**वित्त वर्ष 21-22**		
	कुल (ए)	**संख्या (बी)**	**%(बी/ए)**	**कुल (सी)**	**संख्या (डी)**	**%(डी/ सी)**
कर्मचारी						
पुरुष	56982	56982	100%	58454	58454	100%
स्त्री	20262	20262	100%	20719	20719	100%
कुल	77244	77244	100%	79173	79173	100%
कामगार (लागू नहीं)						
पुरुष	0	0	0	0	0	0
स्त्री	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए) क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था में क्या शामिल है, कृपया विवरण दें।

जवाब: हां, बैंक के पास व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा एसओपी है जो निम्नलिखित बाधाओं और उनसे जुड़े जोखिमों का ध्यान रखता है:

क्र.सं.	गतिविधि	बाधाएँ	जोखिम
1	ट्रांसफार्मर संचालन	दोषपूर्ण केबल, पैनल, सिस्टम	बिजली का झटका, बिजली से जलना
2	कंप्रेसर रूम में काम करना	दोषपूर्ण केबल, पैनल, सिस्टम	बिजली का झटका, बिजली से जलना
3	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर काम करना	अपशिष्ट जल की सफाई के दौरान दुर्गंध, कीचड़ में फिसलना और एसटीपी रसायनों के संपर्क में आना	बिजली का झटका, गंध के कारण परेशानी फिसलने से शरीर पर चोट लगना
4	डीजी परिचालन	दोषपूर्ण केबल, पैनल, सिस्टम, शोर	बिजली का झटका, जलना शोर के कारण सिरदर्द
5	ऊंचाई पर काम करना	किसी व्यक्ति का गिरना	शरीर पर कई चोटें जान का जोखिम
6	कैंटीन संचालन	फर्श गीला होने के कारण फिसलना	फिसलन की स्थिति के कारण गिरना शरीर पर चोट लगाना
7	शौचालयों का उपयोग	फर्श गीला होने के कारण फिसलना	फिसलन के कारण गिरना
8	कागज कतरन मशीन	घूमने वाला हिस्सा	हाथ में चोट
9	प्रधान कार्यालयों और शाखाओं में सामान्य बैंकिंग परिचालन	दोषपूर्ण केबल, पैनल, सिस्टम	बिजली का झटका, बिजली से आग लगना

बैंक के पास **"ड्यूटी के दौरान इंज्यूरी"** योजना भी है जो सभी कर्मचारियों को कवर करती है। ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगने पर वह अपने सामान्य चिकित्सा सहायता की पात्रता के अलावा उसके द्वारा किए गए चिकित्सा उपचार की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति हेतु भी होगा/ होगी। ड्यूटी के दौरान चाहे बैंक में हो या कहीं और/या किसी खेल प्रतियोगिता आदि में बैंक के लिए खेलते समय दुर्घटना/ चोट लगने की स्थिति में कर्मचारियों को विशेष अवकाश और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति भी स्वीकृत की जाती है।

कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ, जब वे ड्यूटी के दौरान बैंक में या कहीं और प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण पर या किसी आधिकारिक खेल टूर्नामेंट में बैंक के लिए खेलते समय या किसी खेल टीम का राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते समय घायल हो जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तब लाभ के पात्र होंगे।

बी) इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

जवाब: बैंक द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों और जोखिमों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

- अंचल कार्यालय में तैनात अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार शाखाओं/सीसी/कार्यालयों की आवधिक अग्नि/सुरक्षा लेखापरीक्षा की जा रही है।
- पहचाने गए जोखिम/ खतरे को नियंत्रित/कम करने के लिए निरीक्षण और आवश्यक अनुशंसा के माध्यम से जोखिम की पहचान की जा रही है।
- शाखाओं/कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और निर्धारित जोखिमों /खतरों को नियंत्रित/ कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा करने के लिए अंचल कार्यालयों में बैठक आयोजित की जाती है।
- बैंक के क्वालिफाइड अग्नि सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, सभी अंचलों और क्षेत्रों को अग्निशमन परामर्श जारी किया जाता है

सी) क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और कामगारों को ऐसे जोखिमों से बचाने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/ नहीं)?

जवाब: लागू नहीं।

डी) क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर-पेशेवर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां नहीं)?

जवाब: हां ।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण प्रस्तुत है:

सुरक्षा संबंधी घटना/ संख्या	**श्रेणी**	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 21-22**
लास्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए घंटे)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
मौतों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
कार्य-संबंधी गंभीर चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

जवाब: बैंक ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण पहलू को कर्मचारी जुड़ाव नीति के एक भाग के रूप में लिया है। हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बैंक में निम्नलिखित गतिविधियों को संस्थागत रूप दिया गया है:

स्वास्थ्य

- योग और मेडिटेशन क्लब
- स्वास्थ्य और वेलनेस अभियान
- स्वास्थ्य जांच योजना
- समूह स्वास्थ्य बीमा
- जीटीएलआई के बदले में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- कर्मचारी सहायता कार्यक्रम
- कर्मचारी परामर्श कार्यक्रम

अग्नि शमन

- परिसर में स्थापित अग्नि शमन /सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव।
- शाखाओं/सीसी/कार्यालयों की समय-समय पर अग्नि/सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना।
- शाखाओं/कार्यालयों को समय-समय पर अग्निशमन संबंधी परामर्श देना।
- अग्नि/सुरक्षा अधिकारी के दौरे के दौरान अग्नि निवारक उपायों के बारे में कर्मचारियों के सदस्यों को प्रशिक्षण।
- सेवा प्रदाता द्वारा अग्निशमन यंत्रों की वार्षिक रिफिलिंग के दौरान अग्निशमन यंत्रों का उपयोग कैसे करें, इस पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- सुविधा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रत्येक शाखा/ कार्यालय के लिए दो साल में एक बार इलेक्ट्रिक ऑडिट किया जाता है।
- बैंक की सभी बहुमंजिली इमारतों में सालाना मॉक फायर निकासी अभ्यास आयोजित किया जाता है।

13. कर्मचारियों और कामगारों के द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

	वित्त वर्ष 22-23			**वित्त वर्ष 21-22**		
	वर्ष के दौरान दर्ज	**वर्ष के अंत में लंबित निस्तारण**	**टिप्पणी**	**वर्ष के दौरान दर्ज**	**वर्ष के अंत में लंबित निस्तारण**	**टिप्पणी**
काम करने की स्थिति	0	0	0	0	0	0
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	0	0	0	0

14. वर्ष के लिए आकलन

	आपके जिन संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था	0
कार्य करने की स्थिति	**83%** **(वित्तीय वर्ष के दौरान शाखाओं के एचआर ऑडिट के अनुसार)**

15. सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

जवाब: प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियों पर कोई आकलन नहीं किया गया था। कार्य की परिस्थितियों के संबंध में लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं मिला।

<u>लीडरशिप संकेतक:</u>

1. क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हां/नहीं) (बी) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है?

जवाब: हां, बैंक के पास ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जो शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को ऐसी स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जहां कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक के पास मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति/ अनुकंपा आधार पर वित्तीय राहत के भुगतान की योजना भी है, जहां परिवार निर्धन है और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता का पात्र है।

कामगार - लागू नहीं - कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कोई भी प्रक्रिया कामगारों के लिए लागू नहीं है क्योंकि बैंक के परिसर में कोई भी कामगार नहीं है।

2. वेल्यू चेन भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशि की कटौती कर जमा कर दी गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताएं।

उत्तर: बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वेल्यू चेन पार्टनर से टीडीएस और जीएसटी जैसे सांविधिक देयता की कटौती नियमों के अनुसार की जाती है।

3. उन कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें कार्य के दौरान गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में दिया गया है:

प्रभावित कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या		**ऐसे कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोज़गार दिया गया है**	
वित्त वर्ष 22-23	**वित्त वर्ष 21-22**	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 21-22**
0	0	0	0
0	0	0	0

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के पश्चात प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/ नहीं)

उत्तर: नहीं

5. वेल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन संबंधी विवरण:

	ऐसे वेल्यू चेन भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम	40.2%
कार्य की स्थिति	40.2%

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियों के आकलन और वेल्यू चेन भागीदारों की कार्य की स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

उत्तर: यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों पर कोई आकलन नहीं किया गया है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों में अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

<u>आवश्यक संकेतक</u>

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों का निर्धारण करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

उत्तर: बैंक के लिए प्रमुख हितधारक समूहों का निर्धारण निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है:

ए) ग्राहक: बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते रखने वाले ऋण या अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति या संगठन हैं।

बी) कर्मचारी: बैंक के ऐसे स्टाफ सदस्य जो विभिन्न विभागों और प्रभागों जैसे बैंकिंग परिचालन, वित्त, मानव संसाधन, आदि में काम करते हैं।

सी) निवेशक: व्यक्ति या संस्थान जो बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों को धारणकरते हैं और बैंक के कार्य निष्पादन में वित्तीय रुचि रखते हैं।

डी) भारत सरकार: जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और कोई भी ऐसा निर्णय जो बैंक के परिचालन को प्रभावित करता है, सरकार की नीतियों और पहलों को प्रभावित कर सकता है।

ई) नियामक बैंकों के परिचालन के लिए नियम और दिशानिर्देश प्रदान कर रहे हैं

एफ) वेल्यू चेन भागीदार : विक्रेता और ठेकेदार जो बैंक ऑफ बड़ौदा को सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं।

जी) समुदाय: जिन क्षेत्रों में बैंक ऑफ बड़ौदा परिचालित होता है वहां के लोग और समुदाय, जो बैंक की गतिविधियों और नीतियों से प्रभावित होते हैं।

एच) शेयरधारक: वे व्यक्ति जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर हैं और जिनका बैंक के कार्यनिष्पादन में वित्तीय हित है।

2. आपकी संस्था के लिए प्रमुख रूप से निर्धारित हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति ।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और उपेक्षित समूहों के रूप में निर्धारण किया गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	बैठक की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / तिमाही / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
समुदाय	हाँ	लागू नहीं	निरंतर आधार पर	i. युवाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार बढ़ाने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ii. महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता सहित वित्तीय साक्षरता में सुधार

				करना iii. वंचित समूहों, विशेषकर किसानों, श्रमिकों आदि की आय में वृद्धि करना। iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के व्यापक दायरे में आने वाली और बोर्ड की सीएसआर और संवहनीयता समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य गतिविधियां
निवेशक एवं हितधारक	नहीं	बैंक अपने निवेशकों के साथ निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क करता है: 1. अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल 2. मीडिया इंटरेक्शन 3. रोड शो 4. एनालिस्ट मीट 5. सम्मेलन 6. संस्थागत निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष बैठकें/कॉल 7. संस्थागत निवेशकों के समूह की बैठकें/फीडबैक सत्रों का आयोजन	अर्निंग कॉल के लिए तिमाही, शेष के लिए निरंतर आधार पर	विभिन्न बैठकों/ कॉल के दौरान, बैंक निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करता है: 1. तिमाही के दौरान आय प्रदर्शन 2. भविष्य के लिए रणनीतिक योजना 3. बैंक के विभिन्न खंडों पर अंतर्दृष्टि और निवेशकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को हल करना। 4. व्यापक क्षेत्रीय/ स्थूल रुझान और बैंक पर इसका प्रभाव 5. समकक्ष रणनीति के संबंध में निवेशकों से प्रतिक्रिया और सुझाव स्वीकार करना ।
कर्मचारी	नहीं	बैंक अपने कर्मचारियों के साथ निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क करता है: 1. औपचारिक/ अनऔपचारिक/ डीओ पत्र 2. परिपत्र	निरंतर आधार पर	1. विजन और मिशन का संप्रेषण 2. कर्मचारी जुड़ाव 3. ज्ञानार्जन और विकास 4. बीओबी द्वारा शुरू की गई नई पहलें

		3. बैठकें 4. ईमेल, एसएमएस, वेबकास्ट आदि। 5. संचार के आंतरिक चैनल अर्थात् बड़ौदा समाधान (शिकायत निवारण), बड़ौदा सुझाव (कर्मचारी सुझाव), यामर (आंतरिक सामाजिक नेटवर्क) 6. सम्मेलन एवं कोंक्लेव 7. टाउनहॉल बैठकें 8. जुड़ाव सर्वेक्षण 9. वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संबोधन 10. न्यूज़लेटर्स और प्रकाशन 11. सीएसआर, वेलनेस आदि जैसी पहलें।		5. व्यावसायिक परिणामों, प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के संदर्भ में वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचार 6. कर्मचारी पुरस्कार और सम्मान कार्यक्रम 7. कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान करना 8. कर्मचारियों के विचारों और सुझावों को ग्रहण करना 9. कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा
ग्राहक	नहीं	बैंक अपने ग्राहकों के साथ निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क करता है: 1. शाखाओं/ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 2. डिजिटल माध्यमों से 3. एजेंट जो नियमित रूप से ग्राहक कॉल अटेंड करते हैं और ग्राहकों को कॉल करते हैं 4. एसएमएस 5. इनबाउंड (आईवीआर)- 6. ई-मेल - 7. आउटबाउंड (वॉयस ब्लास्ट) 8. चैटबॉट	ग्राहक बातचीत दैनिक आधार पर होती है	1. संपर्क केंद्र एजेंट नियमित आधार पर ग्राहकों से संपर्क करते हैं ताकि वे उनकी धारणा जान सकें, बैंक के सेवा चैनल जैसे एटीएम, शाखा और डिजिटल चैनल (आईबी और एमबी), कासा और ऋण खाता खोलने आदि का उपयोग करने पर उनके अनुभवों का मूल्यांकन कर सकें। 2. बैंक 10-स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग करके ग्राहकों को शाखा संपर्क के दौरान उनके अनुभव पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए एसएमएस भेजता है। शाखाओं/ कार्यालयों में कर्मचारी

				ग्राहकों को बैंकिंग लेनदेन संबंधी सेवा देने , नए उत्पाद और सेवाओं की पेशकश करने, उनका फीडबैक लेने, उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने और परामर्श/ शिकायत निवारण भी उपलब्ध कराते हैं। 3. इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से, बैंक समय-समय पर विभिन्न सूचनाएं/ अधिसूचनाएं भेजता रहता है। 4. मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/ कैश रिसाइक्लर, व्हाट्सऐप बैंकिंग जैसे डिजिटल चैनल भी उपर्युक्त लेनदेन को डिजिटल तरीके से और डिजिटल माध्यम से प्रदान करते हैं। 5. ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के बाद बैंक 10-स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग करके उन्हें उपलब्ध कराए गए समाधान के साथ ही उनकी संतुष्टि के बारे में पूछताछ करता है। 6. चालू खाता/ बचत खाता और ऋण खाता खोलने के बाद, संपर्क

				केंद्र एजेंट उन ग्राहकों को खाता खोलने की प्रक्रिया पर उनकी संतुष्टि का स्तर जानने के लिए 10-स्टार पैमाने पर उनके अनुभव प्राप्त करने हेतु कॉल करते हैं। 7. इनबाउंड (आईवीआर) –ग्राहक किसी भी प्रश्न के लिए कॉल सेंटर पर कॉल करते हैं जहां आईवीआर विकल्पों के माध्यम से ग्राहक अपेक्षित जवाब/सूचना प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न/ सेवा के समाधान के बाद आईवीआर के माध्यम से ग्राहकों से 10 स्टार स्केल पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया जाता है) 8. आउटबाउंड - आउटबाउंड - वॉयस ब्लास्ट कॉल के माध्यम से ग्राहकों को सामान्य जानकारी प्रदान की जाती हैं 9. ईमेल - सूचना प्रदान करने और कोई लिंक भेजने के लिए लक्षित ग्राहकों को ईमेल भेजा जाता है जिसके माध्यम से ग्राहकों से 10 स्टार पैमाने पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया जाता है।

				10. चैटबॉट-चैटबॉट विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राहकों के साथ संवाद भी करता है। चैटबॉट के साथ चैट पूरी होने के बाद 10 स्टार स्केल पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर एक पॉप अप संदेश प्रदर्शित होता है 11. टैब बैंकिंग- टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने के बाद ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर एक पॉप अप संदेश प्रदर्शित होता है, जो 10 स्टार पैमाने पर होता है।
वैल्यू चेन भागीदार	नहीं	एसएमएस, ईमेल, व्यक्तिगत बातचीत	मासिक	1. कानूनों/आचरण संहिता/ अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करना 2. ग्राहक की किसी भी शिकायत को दूर करना

<u>लीडरशिप संकेतक</u>

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श की प्रक्रिया के बारे में बताएं या यदि परामर्श सौंपा जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।

   जवाब : बैंक विभिन्न चैनलों के माध्यम से और नियमित अंतराल पर अपने सभी हितधारकों के साथ लगातार संपर्क रखता है। विभिन्न हितधारकों से इन फीडबैक की समीक्षा करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समितियां हैं :

- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
- बोर्ड की नीतिपरक मानव संसाधन परामर्श समिति
- निवेशक संरक्षण समिति
- बोर्ड की सीएसआर और संवहनीयता समिति

अपने उत्पादों, सेवाओं और आचरण को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक को दीर्घकालिक मूल्य निर्माण में उचित महत्व दिया जाता है। साथ ही, बैंक ने अपने प्रमुख महत्त्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट एंड मैटेरियलिटी असेसमेंट (SEMA) किया है, जिसमें बैंक के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी मुद्दे शामिल हैं। बैंक विभिन्न सर्वेक्षणों और प्रश्नावली के माध्यम से भी अपने हितधारकों के साथ संपर्क रखता है।

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की निर्धारण और प्रबंधन में सहयोग के लिए हितधारक के परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)। यदि ऐसा है, तो उदाहरणों सहित विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

जवाब : हाँ हितधारक के परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों के निर्धारण और प्रबंधन के सहयोग के लिए किया जाता है। हितधारक परामर्श के माध्यम से, बैंक ने प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की पहचान की है जो हितधारकों और उनके परिचालनों के लिए प्रासंगिक हैं। इससे बैंक को अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने और सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसने संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने में भी मदद की है। हितधारकों के जुड़ाव से बैंक को अपने हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने, अधिक प्रभावी रणनीति विकसित करने और उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद मिलती है।

3. कमजोर/ हाशिए के हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ, जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

जवाब : बैंक अपने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) के माध्यम से 64- जिलों में, जहां बैंक लीड बैंक के रूप में कार्यरत है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विभिन्न कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, खाद निर्माण, बकरी / भेड़ पालन आदि का संचालन कर रहा है।

- बैंक - 85-वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (FLCC) के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहा है।

- RSETIs में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को विशेष वरीयता दी जाती है। इसके अलावा, उन्हें बैंक वित्त के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज के लिए भी वरीयता दी जाती है।
- बैंक ने 51,780 व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त किया है, जिनमें से 21,720 ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि, प्रौद्योगिकी की मदद से, समाज के वंचित वर्गों को 52 वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचते हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।
- बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दूरस्थ क्षेत्रों और पहाड़ी स्थानों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रोत्साहन प्रदान करता है। बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों को लेनदेन कमीशन के अतिरिक्त निश्चित प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

सिद्धांत 5- "व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्द्धन करना चाहिए"

आवश्यक संकेतक

1. जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को संस्था के मानवाधिकार संबंधी मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, उनके विवरण निम्नानुसार हैः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (ए)	कवर करने वाले स्टाफ सदस्यों / श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर करने वाले स्टाफ सदस्यों / श्रमिकों की संख्या (बी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	76514	44803	59%	78754	53777	68%
अन्य स्थाय	730	12	2%	419	0	0
कुल कर्मचारी	77244	44815	58%	79173	53777	68%
कामगार (लागू नहीं)						
स्थायी	0	0	0	0	0	0
स्थायी के अलावा अन्य	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नानुसार हैः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ ए)	संख्या (सी)	% (सी/ ए)		संख्या (ई)	% (ई/ डी)	संख्या (एफ)	% (एफ / डी)
कर्मचारी										
स्थायी	76514	शून्य	शून्य	76514	100%	78754	शून्य	शून्य	78754	100%
पुरुष	56361	शून्य	शून्य	56361	100%	58134	शून्य	शून्य	58134	100%
महिला	20153	शून्य	शून्य	20153	100%	20620	शून्य	शून्य	20620	100%
अन्य स्थायी	730	शून्य	शून्य	730	100%	419	शून्य	शून्य	419	100%
पुरुष	621	शून्य	शून्य	621	100%	320	शून्य	शून्य	320	100%
महिला	109	शून्य	शून्य	109	100%	99	शून्य	शून्य	99	100%
(लागू नहीं)										
स्थायी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य स्थायी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नानुसार हैः

	पुरुष		महिला	
	संख्या	सबंधित श्रेणी में पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी का औसत (प्रति वर्ष)	संख्या	सबंधित श्रेणी में पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी का औसत(प्रति वर्ष)
निदेशक मंडल (बीओडी)	10	33,35,450	2	25,00,000
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	3	3024723	0	0
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य स्टाफ सदस्य	56979	1037343	20262	967418
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या आपके पास मानव अधिकार के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान की गई समस्याओं के समाधान हेतु कोई जवाबदायी केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है? (हां नहीं)

जवाब: जी हां, बैंक ने अंचल कार्यालयों में संपर्क अधिकारी तथा शीर्ष स्तर पर संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं- बैंक प्रत्येक अंचल में एक संपर्क अधिकारी तथा शीर्ष स्तर पर एक मुख्य संपर्क अधिकारी को नियुक्त करता है। मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा भूतपूर्व सैनिकों की किसी भी अन्य समस्याओं के समाधान हेतु अंचल स्तर पर 18 संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बैंक ने महिला स्टाफ सदस्यों की पीओएसएच शिकायतों की जांच करने और उनके निवारण के लिए एक संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में एक महिला संपर्क अधिकारी और एक मुख्य महिला संपर्क अधिकारी को भी नियुक्त किया हैं।

5. मानवाधिकार की समस्याओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित आंतरिक प्रणाली का वर्णन करें।

जवाब: मानवाधिकार की समस्याओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु बैंक में निम्नलिखित प्रणाली हैं:

<u>बड़ौदा समाधान:</u> बैंक ने शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की समस्याओं एवं शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से समाधान करने हेतु एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र 'बड़ौदा समाधान' स्थापित किया है। इस योजना में बैंक की नीतियों/ नियमों/ निर्णयों/ सेवा शर्तों/ लाभों आदि के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं शामिल होगी।

<u>स्ट्रक्चर मीटिंग</u> बैंक में कामगार संघों/ अधिकारियों के संघ तथा एससी/एसटी कर्मचारियों एवं ओबीसी कर्मचारियों के कल्याण संघों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जो विभिन्न मुद्दों/ शिकायतों पर चर्चा करने और उनके पारस्परिक समाधान में सहायता करती है, जिसमें मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। इस प्रणाली को मुख्य रूप से समस्याओं और शिकायतों के पारस्परिक समाधान हेतु तैयार किया गया है। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण ने बैंक में अच्छे औद्योगिक संबंधों और सहयोगपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के अलावा बैंक में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

<u>कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:</u> कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के प्रबंधन हेतु बैंक में सुसंगत और सुदृढ़ प्रणाली है। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के समाधान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 148 महिला संपर्क अधिकारी नियुक्त की गई हैं। अंचल स्तर पर 18 अधिकार प्राप्त समितियां तथा कॉर्पोरेट स्तर पर 1 उच्च स्तरीय समिति है। ये इकाइयां न केवल बैंक में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करती हैं बल्कि पुरुष स्टाफ सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों को लिंग संवेदनशीलता और पेशेवर आचरण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं, व्याख्यानों और सेमिनारों जैसी कई पहलें भी करती हैं। इसके अलावा, बैंक ने एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक मॉड्यूल भी तैयार किया है।

6. निम्नलिखित पर कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या:

	2022-23 : चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22: पिछला वित्त वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायते	**वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायते**	**टिप्पणियां**	**वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायते**	**वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायते**	**टिप्पणियां**
यौन उत्पीड़न	22	3	आज की तारीख में केवल 2 मामले लंबित हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं	25	4	लंबित मामलों का समाधान हो चुका है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	0
बाल श्रम	0	0	0	0	0	0
बेगार/ अनैच्छिक श्रम	0	0	0	0	0	0
मजदूरी	0	0	0	0	0	0
मानवाधिकार से संबंधित अन्य मुद्दे	0	0	0	0	0	0

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए तंत्र।

जवाब: बैंक ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है, जो सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पाए गए अनैतिक आचरण, कदाचार, अनियमितताओं आदि को रिपोर्ट करने हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है और सभी कर्मचारियों को सीआरओ द्वारा एक्सेस किए गए पोर्टल के माध्यम से गोपनीयता के साथ रिपोर्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। बैंक में यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु नीति (पीओएसएच) उपलब्ध है और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में आवश्यक निवारण तंत्र स्थापित किया है जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करती है।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक करारों और संविदाओं का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

जवाब: हां, मानवाधिकार आवश्यकताएं हमारे व्यापारिक करारों और संविदाओं का एक हिस्सा हैं।

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	0
बेगार/ अनैच्छिक श्रम	0
यौन उत्पीड़न	83%- शाखाओं/कार्यालयों की मानव संसाधन लेखापरीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। उपर्युक्त के अलावा एक तृतीय पक्ष के सदस्य (एनजीओ प्रतिनिधि) को आंतरिक शिकायत समितियों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	83% - शाखाओं/कार्यालयों का मानव संसाधन लेखापरीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। मानव संसाधन लेखापरीक्षा के अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोगों, संसदीय समितियों, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार आदि जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
मजदूरी	**83% -** सभी स्टाफ सदस्यों का निर्धारित वेतन सरकार द्वारा परिभाषित न्यूनतम वेतन से काफी अधिक है।
अन्य- कृपया स्पष्ट करें	0

10. उपर्युक्त प्रश्न 9 के मूल्यांकन से दृष्टिगोचर होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं के समाधान के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
जवाब: बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन में कोई जोखिम/ चिंता दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. मानवाधिकार संबंधी परिवाद/ शिकायतों के निवारण के फलस्वरूप संशोधित/ शुरू की जा रही कारोबारी प्रक्रिया का विवरण।

जवाब: बैंक ने वर्तमान में मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। तथापि, बैंक के 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' के अंतर्गत संबंधित कर्मचारियों के लिए परामर्श और सुधारात्मक तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है ताकि शाखा/कार्यालयों के बीच परस्पर संबंध स्थापित किया जा सके। बैंक के कर्मचारियों में असंगत व्यवहार की सतत आदत को देखते हुए उन्हें 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रबंधकीय रेफरल के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु भेजा जा रहा है। किसी भी पीड़ित स्टाफ सदस्य के लिए किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता का आकलन करने और उसकी पहचान करने हेतु प्रथम संपर्क केंद्र के रूप में नोडल मानसिक स्वास्थ्य कर्मी निर्धारित किया गया है।

2. मानवाधिकार के दायरे और कवरेज के संबंध में की गई समुचित कार्रवाई का विवरण।
जवाब: मानवाधिकारों से जुड़े शून्य मुद्दों के कारण बैंक ने कोई समुचित कार्रवाई नहीं की है। बैंक ने अपनी मानवाधिकार नीति को मूल्य श्रृंखला के अपने साझेदारों तक भी विस्तारित किया है।
3. क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप दिव्यांग आगंतुकों के लिए उपलब्ध है?

जवाब: जी हां, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक के परिसरों/कार्यालयों को दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ बनाने के लिए बैंक में प्रावधान किए गए हैं।

4. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन संबंधी विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) का % जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	40.2%
कार्यस्थल पर भेदभाव	40.2%
बाल श्रम	40.2%
बेगार/ अनैच्छिक श्रम	40.2%
मजदूरी	0
अन्य- कृपया स्पष्ट करें	0

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के मूल्यांकन से दृष्टिगोचर होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं के समाधान के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

जवाब: बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन में कोई जोखिम/ चिंता दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

सिद्धांत 6: "व्यवसाय में पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।"

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणज में) और ऊर्जा गहनता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें:

मानदंड	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
कुल बिजली खपत (ए)	752220410000000 जे	529365790000000जे
कुल ईंधन खपत (बी)	75632990000000 जे	67892220000000जे
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा क्षमता (सी)	0	
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	82,78,53,40,00,00,000जे	59,72,58,01,00,00,000जे
टर्नओवर के प्रति रुपये के सापेक्ष ऊर्जा क्षमता *(कुल ऊर्जा खपत/ रुपये में टर्नओवर)*	831	734
ऊर्जा क्षमता *(वैकल्पिक)* - संस्था द्वारा प्रासंगिक मैट्रिक का चयन किया जा सकता है।	0	0

*नोट: यदि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया हो तो उसका विवरण दें? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं?

जवाब: नहीं

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में निर्धारित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो यह प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं? यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जानकारी दें? (लागू नहीं)

जवाब: यह प्रश्न लागू नहीं है क्योंकि बैंक सरकार की पीएटी योजना के अंतर्गत नहीं आता है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें:

मानदंड	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
स्रोत द्वारा निकाला गया जल (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	167428.28	134764
(ii) भूजल	94170	97933
(iii) थर्ड पार्टी वॉटर (टैंकर)	2815	1950
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य (बोतलबंद पानी)	790.16	1480.57
निकाले गए जल की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	265203.44	236127.58
जल उपभोग की कुल मात्रा	261896.36	213083.57
टर्नओवर के प्रति रुपये के सापेक्ष जल की तीव्रता *(जल उपभोग/ टर्नओवर)*	**0.000000262**	**0.000000261**
जल की तीव्रता *(वैकल्पिक)* - संस्था द्वारा संबंधित मैट्रिक का चयन किया जा सकता है।	0	0

*नोट: यदि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन किया गया है। /आश्वासन दिया गया हो तो उसका विवरण दें? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं?

जवाब: नहीं

4. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई व्यवस्था लागू की है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और क्रियान्वयन का विवरण दें?

जवाब: जी नहीं, बैंक ने अपने बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है, जिसके उपचारित जल का उपयोग भूनिर्माण के लिए किया जाता है।

5. कृपया संस्था द्वारा किए जाने वाले वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें:

मानदंड	*कृपया इकाई स्पष्ट करें*	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
NOx	Mg/Nm^3	316928049.62	डेटा उपलब्ध नहीं
SOx	Mg/Nm^3	107613907.93	डेटा उपलब्ध नहीं
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	Mg/Nm^3	78356845.35	डेटा उपलब्ध नहीं
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	0	0
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	0	0
नुकसानदायक वायु प्रदूषक (HAP)	लागू नहीं	0	0
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं	0	0

*नोट: यदि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया गया है।/आश्वासन दिया गया हो तो उसका विवरण दें? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं?

जवाब: नहीं

6. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी गहनता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	*इकाई*	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में वर्गीकरण, यदि उपलब्ध हो)	*ग्राम CO2 के समतुल्य*	5604400000	5030810000
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में वर्गीकरण, यदि उपलब्ध हो)	*ग्राम CO2 के समतुल्य*	148354580000	117637840000
टर्नओवर के प्रति रुपये के सापेक्ष कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन		**0.154**	**0.150**
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता *(वैकल्पिक)* - संस्था द्वारा संबंधित मैट्रिक का चयन किया जा सकता है।	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

*नोट: यदि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन किया गया है।/आश्वासन दिया गया हो तो उसका विवरण दें? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं?

जवाब: नहीं

7 क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

जवाब: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

- पूरे भारत में बैंक के अपने परिसरों के लिए आईजीबीसी से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्रीन अभियान शुरू किया गया है।
- ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में बैंक के चुनिंदा स्वामित्व वाले परिसरों का निर्धारण किया गया है।
- बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर के लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट गोल्ड रेटिंग और बड़ौदा सन टॉवर बिल्डिंग (कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग) के लिए सिल्वर रेटिंग प्राप्त किया है। भारत में बैंक के अन्य चार भवनों को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त हुई है।
- बीसीसी और बीएसटी के सभी वाशरूम में जल रहित मूत्रालय (कुल संख्या 120) स्थापित किए गए हैं, जिससे साल में लगभग सात लाख लीटर पानी की बचत हुई है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।
- कार्पोरेट कार्यालय भवनों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित की गई है।
- रिसाइकल पानी को बीसीसी परिसर में संगृहीत किया जा रहा है और वॉशरूम में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में लगभग 175 शाखाएं सौर ऊर्जा पर चलाई जा रही हैं, जिससे बिजली की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। हरित ऊर्जा/ नवीकरणीय/ सौर ऊर्जा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप लगभग 2400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ।
- कार्पोरेट कार्यालय भवन, मुंबई में सभी बाउंड्री लाइटे सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं और सौर ट्री की मदद से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाया गया है।
- सभी घरेलू शाखाओं में ऊर्जा की कमी के लिए परिसर में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।
- बैंक के बीकेसी, मुंबई स्थित भवन में एक बड़े आकार का बायो-गैस संयंत्र (500 कि.ग्रा. गीले अपशिष्ट की क्षमता) स्थापित किया गया है, जो कुकिंग गैस का उत्पादन करता है जिसे की बैंक के कैंटीन और बगीचे/ लॉन में प्रयोग में लाया जाता है।

8. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मैट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा *(ए)*	11.87 मैट्रिक टन	12.45 मीट्रिक टन
ई-कचरा *(बी)*	4.851 मैट्रिक टन	5.258 मीट्रिक टन
जैव चिकित्सा अपशिष्ट *(सी)*	लागू नहीं	लागू नहीं
निर्माण और विध्वंस संबंधी अपशिष्ट *(डी)*	0.006 एमटी#	6.010 मीट्रिक टन
बैटरी संबंधी अपशिष्ट *(ई)*	500.62	पैन इंडिया के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है

रेडियोधर्मी अपशिष्ट ***(एफ)***	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य नुकसानदायक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। ***(जी)***	0.0709 मीट्रिक टन	0.6550 मीट्रिक टन
जनरेट हुए अन्य गैर- नुकसानदायक अपशिष्ट (**एच**)। *कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई हो।* (संघटन के अनुसार बेक-अप अर्थात् क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)	**पेपर** – 20.50 मीट्रिक टन **लकड़ी** - 0.032 मीट्रिक टन **धातु** - 0.00064 मीट्रिक टन **खाद्य** - 40.383 मीट्रिक टन	**पेपर** - 21.18 एमटी **लकड़ी** - 0.150 मीट्रिक टन **धातु** - 0.00100 मीट्रिक टन **खाद्य** - 54.38 मीट्रिक टन
कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	578.33 मीट्रिक टन	100.10 मीट्रिक टन (बैटरी संबंधी अपशिष्ट अतिरिक्त)
जनरेट हुए प्रत्येक श्रेणी के अपशिष्ट को रिसाइकल करने, पुन: उपयोग करने या रिकवरी के अन्य माध्यमों से पुन: प्राप्त किए गए कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) रिसाइकल किए गए	389404.6	483758.5
(ii) पुन: उपयोग में लाए गए	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) अन्य वसूली संबंधी कार्य	500.62	लागू नहीं
कुल		-
जनरेट हुए प्रत्येक श्रेणी के अपशिष्ट के लिए, रिसाइकल करने, पुन: उपयोग करने या रिकवरी के अन्य माध्यमों से पुन: प्राप्त किए गए कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
(ii) लैंडफिलिंग	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
(iii) अन्य निपटान परिचालन	प्राधिकृत रिसाइकिलरों को ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट का निपटान किया गया	प्राधिकृत रिसाइकिलरों को ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट का निपटान किया गया
कुल		

#निर्माण अपशिष्ट में उल्लेखनीय अंतर होने का कारण वित्त वर्ष 2023 के दौरान बहुत कम निर्माण गतिविधि हो सकती है।

*नोट: उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी से कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन किया गया है/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जवाब. नहीं।

9. अपने प्रतिष्ठान में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन करें । अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में नुकसानदायक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं का वर्णन करें ।

जवाब.

क्रमांक	**अपशिष्ट के प्रकार**	**संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण**	**निपटान प्रणाली**
गैर- नुकसानदायक **अपशिष्ट**			
1	कागज अपशिष्ट	अपशिष्ट को एकत्र कर इसे अलग-अलग करना। इसे किसी निर्धारित स्थान पर संग्रहीत करना ।	अपशिष्ट का निपटान किसी ऐसी एजेंसी में करें जो इसे रिसाइकल करेगी । निपटान का रिकॉर्ड रखें ।
2	लकड़ी अपशिष्ट	अपशिष्ट को एकत्र कर अलग-अलग करना।	अपशिष्ट का निपटान किसी ऐसी एजेंसी में करें जो इसे रिसाइकल करेगी । निपटान का रिकॉर्ड रखें ।
3	धातु अपशिष्ट	अपशिष्ट को एकत्र कर अलग-अलग करना। इसे किसी निर्धारित स्थान पर स्टोर करना ।	अपशिष्ट का निपटान किसी ऐसी एजेंसी में करें जो इसे रिसाइकल करेगी । निपटान का रिकॉर्ड रखें ।
4	खाली प्लास्टिक की बोतलें	अपशिष्ट को एकत्र कर अलग-अलग करना । इसे किसी निर्धारित स्थान पर संग्रहीत करना ।	अपशिष्ट का निपटान किसी ऐसी एजेंसी में करें जो इसे रिसाइकल करेगी । निपटान का रिकॉर्ड रखें ।
5	खाद्य अपशिष्ट	अपशिष्ट को एकत्र कर इसे अलग-अलग करना।	जहां भी संभव हो, खाने के अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करें ।
6	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी)	अपशिष्ट को एकत्र कर इसे अलग-अलग करना।	राज्य/स्थानीय कानूनी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान करें। निपटान का रिकॉर्ड रखें।
नुकसानदायक अपशिष्ट			
7	प्रयोग यौगी न हो ऐसा तेल	तेल को खाली ड्रम में एकत्र करना और इसे सुरक्षित रखना ।	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जहां भी लागू हो, द्वारा प्राधिकृत एजेंसी में तेल का निपटान करें।
बैटरी अपशिष्ट			
8	**बैटरी संबंधी अपशिष्ट**	बैटरियों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें ।	बैटरी को प्राधिकृत रिसाइकलर को भेजें और इसका रिकॉर्ड रखें ।

10. यदि संस्था का परिचालन क्षेत्र में/ कार्यालय के आसपास ऐसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र । (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/ मंजूरी की आवश्यकता है तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में स्पष्ट विवरण दें ।

क्र.सं.	परिचालन/ कार्यालय स्थल	परिचालन के प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/ क्लीयरेंस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) । यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी आकलन का विवरण:

परियोजना के नाम एवं संक्षिप्त विवरण	**ईआईए अधिसूचना संख्या**	**तारीख**	**क्या किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/ नहीं)**	**सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए परिणाम (हां / नहीं)**	**प्रासंगिक वेब लिंक**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

12. क्या यह संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियम/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसमें निहित अन्य नियमों का अनुपालन करती है ? (हाँ/ नहीं) । यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन संबंधी विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

जवाब. जी हाँ।

क्र. सं.	**उस कानून/ विनियम/ दिशानिर्देश को दर्शाएं जिनका अनुपालन नहीं किया गया था**	**गैर-अनुपालन संबंधी विवरण प्रदान करें**	**पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी विनियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना / दंड / की गई कार्रवाई**	**की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो**
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लीडरशिप संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत हुई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 21-22**
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (ए)	5985880000000जे	284000000000जे
कुल ईंधन की खपत (बी)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
नवीकरणीय स्रोतों से खपत हुई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	5985.88 जीजे	2840.00 जीजे
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (डी)	75220410000000 जे	529365790000000 जे
कुल ईंधन की खपत (ई)	75632990000000 जे	67892220000000 जे
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (एफ)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत हुई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	8278534000000 जे	5972580100000 जे

* नोट: उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी से कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया गया है/ कोई आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जवाब. नहीं।

2. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (लागू नहीं)

मानदंड	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 21-22**
गंतव्य स्थान और उपाय के स्तर से जल स्राव (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	0	0
- कोई उपाय नहीं किया गया	0	0
- उपाय के साथ – कृपया उपाय का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(ii) भू-जल के लिए	0	0
- कोई उपाय नहीं किया गया	0	0
- उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल के लिए	0	0
- कोई उपाय नहीं किया गया	0	0
- उपाय के साथ – कृपया उपाय का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजे गए	0	0
- कोई उपाय नहीं किया गया	0	0

- उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य	0	0
- कोई उपाय नहीं किया गया	0	0
- उपाय के साथ – कृपया उपाय का स्तर स्पष्ट करें	0	0
कुल जल स्राव की मात्रा (किलोलीटर में)	0	0

* नोट: उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी से कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया गया है/ कोई आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जवाब. नहीं।

3. जल की कमी वाले क्षेत्रों में निकाला गया जल, तीव्रता और उसका स्राव (किलोलीटर में): जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/ संयंत्रों के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: (डेटा उपलब्ध नहीं है)

   (i) क्षेत्र का नाम

   (ii) परिचालन का स्वरूप

   (iii) निम्नलिखित प्रारूप में निकाला गया जल, उपभोक्ता और स्राव:

मानदंड	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 21-22**
विभिन्न स्रोतों द्वारा निकाला गया जल (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0	0
(ii) भू-जल	0	0
(iii) अन्य पक्ष से प्राप्त जल (बोतल बंद जल)	0	0
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
निकाले गए जल की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	0	0
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**0**	**0**
टर्नओवर के प्रति रुपये के सापेक्ष जल की तीव्रता (इंटेंसटी) *(जल उपभोग/ टर्नओवर)*	0	0
जल की तीव्रता (*वैकल्पिक*) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है।	0	0
गंतव्य एवं उपाय के स्तर के अनुसार जल स्राव (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	0	0
- कोई उपाय नहीं	0	0
- उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर स्पष्ट करें	0	0
(ii) भू-जल में	0	0

- कोई उपाय नहीं	0	0
- उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर स्पष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल में	0	0
-कोई उपाय नहीं	0	0
-उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर स्पष्ट करें	0	0
(iv) थर्ड पार्टी को भेजा गया	0	0
- कोई उपाय नहीं	0	0
-उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर स्पष्ट करें	0	0
(v) अन्य	0	0
- कोई उपाय नहीं	0	0
-उपाय के साथ - कृपया उपाय का स्तर स्पष्ट करें	0	0
जल स्राव की मात्रा (किलोलीटर में)	0	0

* नोट: यदि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है तो उसे सूचित करें? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम।

जवाब : जी नहीं

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 इमिशन एवं इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करेंः (अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध नहीं)

मानदंड	*इकाई*	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 21-22**
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी को सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3, यदि उपलब्ध हो)	*मेट्रिक टन सीओ2 के समतुल्य*	0	0
कुल स्कोप 3 इमिशन का प्रति रुपया टर्नओवर		0	0
कुल स्कोप 3 इमिशन तीव्रता (*वैकल्पिक*) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			

* नोट: यदि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है तो उसे सूचित करें? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम।

जवाब : जी नहीं

5. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में रोकथाम एवं उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

जवाब : यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है क्योंकि भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई कार्यालय/ शाखाएं कार्यरत नहीं हैं।

6. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने के लिए या उत्सर्जन/ दूषित स्राव/ अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण होने वाले प्रभावों को कम करने हेतु कोई विशिष्ट पहल की है या नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इस तरह के प्रयासों के साथ-साथ परिणाम का विवरण भी प्रदान करें:

क्रम संख्या	की गई पहल	इस पहल का विवरण *(वेब-लिंक, यदि कोई हो, संक्षिप्त रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है)*	पहल का परिणाम
1	निर्जल मूत्रालय		जल संरक्षण
2	कागज रहित (पेपरलैस) ऑफिस पहल	वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 23 का संदर्भ ग्रहण करें। (www.bankofbaroda.in)	जल एवं वृक्षों को बचाना
3	175 से अधिक शाखाओं में सोलर पैनलों को लगाना	वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 23 का संदर्भ ग्रहण करें। (www.bankofbaroda.in)	हरित ऊर्जा/ नवीकरणीय/ सौर ऊर्जा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप कुल 2400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है।

7. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/ वेब लिंक में विवरण दें।

जवाब : जी हां, बैंक के पास आपदा प्रबंधन योजना है जो व्यावसायिक निरंतरता योजना का हिस्सा है जिसे जोखिम विभाग द्वारा तैयार एवं संचालित किया गया है। बैंक के पास सुपरिभाषित व्यापक मूल्य श्रृंखला, सहनीय सीमा सहित प्रभाव श्रेणी भी है। प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए मूल्य शृंखला भी है। बैंक ने सभी विभागों के लिए व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण (बीआईए) और जोखिम मूल्यांकन (आरए) भी किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिभूति सारांश है जो चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न आपदा और मानक परिचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।

8. संस्था के वैल्यू चेन से उत्पन्न पर्यावरण के लिए किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाएं। क्या संस्था द्वारा इसे कम करने या अनुकूल बनाने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं।

जवाब : वर्तमान में, बैंक के वैल्यू चेन भागीदारों से उत्पन्न होने वाले किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

9. वैल्यू चैन भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसायिक राशि के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी मूल्यांकन किया गया था।

जवाब : बैंक ने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

सिद्धांत 7: ऐसे व्यवसाय जो सार्वजनिक और विनियामक पॉलिसी को प्रभावित करते हैं उन्हें जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चहिए।

<u>**अनिवार्य संकेतक**</u>

1.ए. व्यापार एवं उद्योग चेम्बर/ एसोसिएशन के साथ संबद्धताओं की संख्या

जवाब: 10

बी. शीर्ष 10 सिद्धांतों एवं उद्योग चैंबरों/ एसोसिएशनों की सूची (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो संस्था व्यापार एवं उद्योग चैंबरों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) की सदस्य/ संबद्ध है।

क्रम. संख्या	**व्यापार एवं उद्योग चैंबर/ एसोसिएशन के नाम**	**व्यापार एवं उद्योग चैंबर/ एसोसिएशन का दायरा (राज्य/राष्ट्रीय)**
1	फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया	राष्ट्रीय
2	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
3	भारतीय प्राथमिक व्यपारी संघ	राष्ट्रीय
4	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
5	भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पत्ति संघ (एफआईएमएमडीए)	राष्ट्रीय
6	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)	राष्ट्रीय
7	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)	राष्ट्रीय
8	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)	राष्ट्रीय
9	उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (सीएएफआरएएल)	राष्ट्रीय
10	यूबीएफ – यूएई बैंक	अंतर्राष्ट्रीय

2. विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा गैर-प्रतिस्पर्धी आचरण से संबंधित किसी भी मामले में की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
0	0	0

<u>लीडरशिप संकेतक</u>

1. संस्था द्वारा समर्थित पब्लिक पॉलिसियों की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	समर्थित पब्लिक पॉलिसी	ऐसे समर्थन के लिए अपनाए गए तरीके	क्या यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की आवधिकता (वार्षिक/छमाही/तिमाही/अन्य- कृपया विनिर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

देश के सर्वश्रेष्ठ वाणिज्यिक बैंकों में से एक होने के नाते बैंक विशेष रूप से बैंकिंग उद्योग के परिचालनों और विनियमन को शासित करने वाली नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन संबंधी नीति एवं बैंकिंग उद्योग के स्थिर विकास की नीतियां तैयार करने वाले नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।

सिद्धांत 8: व्यवसाय से समावेशी वृद्धि एवं समुचित विकास को बल मिलना चाहिए

<u>अनिवार्य संकेतक</u>

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव संबंधी आकलन (एसआईए) को विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख़	क्या किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम जारी किए गए (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)	लागू नहीं	मई–जून 2021	हां	हां	http://www.nacer.in

2. आपकी संस्था द्वारा जिन परियोजना (परियोजनाओं) का पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है, से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्र.स.	परियोजना का नाम जिसका आर एंड आर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का%	वित्त वर्ष में पीएएफ को प्रदत्त की गई राशि (भारतीय रूपये में)
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनका निस्तारण करने संबंधी तंत्र का विवरण दें।

जवाब: यदि बैंक के किसी ग्राहक को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सीएसआर के बारे में कोई शिकायत है तो उनसे अनुरोध है कि वे इस मामले के समाधान के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।

स्तर	एस्केलेशन	विवरण
	ऑनलाइन शिकायत एसपीजीआरएस (सीबेल सीआरएम)	वैकल्पिक रूप से ग्राहक शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं जिसके लिए हमारे बैंक की वेबसाइट के होमपेज पर एक "ऑनलाइन शिकायत (एसपीजीआरएस)" आइकन उपलब्ध कराया गया है। एसपीजीआरएस में शिकायत दर्ज करने के बाद सिस्टम द्वारा पावती स्वरूप और शिकायत की प्रगति को ट्रैक करने हेतु भी एक "ट्रैकर आईडी" उपलब्ध करायी जाती है। शिकायतकर्ता को इस "ट्रैकर आईडी" संदर्भ को संरक्षित रखना होगा। ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करें bobcrm.bankofbaroda.co.in/onlinecomplaint/frmMain.aspx?source=WEBSITE&sid=&id=
स्तर-1	क्षेत्रीय स्तर	यदि ग्राहक की संतुष्टि के अनुरूप शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो मामले को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जिनके नाम, पते एवं अन्य विवरण निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करके प्राप्त किए जा सकते हैं। bobcrm.bankofbaroda.co.in/onlinecomplaint/frmMain.aspx?source=WEBSITE&sid=&id=
स्तर -2	अंचल स्तर	यदि किसी शिकायत का अभी तक निवारण नहीं किया गया है तो इस मामले को अगले स्तर पर अर्थात् संबंधित अंचल प्रबंधक के संज्ञान में लाया जाएगा।

स्तर -3	नोडल कार्यालय स्तर	यदि शिकायतकर्ता अभी भी प्राप्त प्रतिउत्तर से असंतुष्ट महसूस करता है, तो वे निम्नलिखित पते पर मामले की पूरी जानकारी देते हुए प्रधान कार्यालय में ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए नामित बैंक के प्रधान नोडल अधिकारी को शिकायत भेज सकते हैं: महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा भवन, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा - 390007, (गुजरात) भारत टेलीफोन: (0265) 231-6792 ईमेल : gm.ops.ho@bankofbaroda.com
-	बाह्य एजेंसियां	इसके बाद भी, यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे निम्नलिखित से सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल योजना 2006 के अंतर्गत राज्यों की राजधानियों में स्थित बैंकिंग लोकपाल

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (कुल इनपुट मूल्य के अनुसार इनपुट): (लागू नहीं)

	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	0	0
जिले में और आस-पास के जिलों से सीधे प्राप्त	0	0

लीडरशिप संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव के आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपर्युक्त अनिवार्य संकेतकों का प्रश्न सं.1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य	लागू

2. सरकारी निकायों द्वारा यथा निर्धारित नामित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (लाख में)
1.	बिहार	सीतामढ़ी	20.99
2.	गुजरात	दाहोद	19.71
3.	गुजरात	नर्मदा	20.78

4.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	24.90
5.	उत्तराखंड	उधमसिंह नगर	19.06
6.	राजस्थान	जैसलमेर (कक्षा 10 एवं 12 की शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति)	0.48
7.	राजस्थान	बारां (कक्षा 10 एवं 12 की शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति)	0.60
8.	गुजरात	नर्मदा (कक्षा 10 और 12 की बालिकाओं को छात्रवृत्ति)	0.42
9.	गुजरात	दाहोद (कक्षा 10 एवं 12 की शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति)	0.45
10.	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव (कक्षा 10 एवं 12 की शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति)	39.39

3. ए) क्या आपके पास कोई ऐसी निर्धारित खरीद नीति है जिसके अनुसार आप मार्जिनलाइज्ड/ बुलनरेबल समूहों में शामिल आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

जवाब: जी हां, बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है जिसका आधार व्यापक है और यह किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं करते हैं तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निविदा प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, बैंक भी जेम पोर्टल से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करता है। (सरकारी ई-मार्केटप्लेस - विभिन्न सरकारी विभागों/ संगठनों/ पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। जेम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता एवं गति को बढ़ाना है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जेम के माध्यम से खरीद को प्राधिकृत किया गया है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में एक नए नियम संख्या 149 को जोड़कर अनिवार्य बनाया गया है।

(बी) आप किस मार्जिनलाइज्ड/ बुलनरेबल समूह से खरीदी करते हैं?

जवाब: जी हां, बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है जिसका आधार व्यापक है और यह किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं करते हैं तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निविदा प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, बैंक भी जेम पोर्टल से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करता है। (सरकारी ई-मार्केटप्लेस - विभिन्न सरकारी विभागों/ संगठनों/ पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। जेम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता एवं गति को बढ़ाना है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जेम के माध्यम से खरीद को प्राधिकृत किया गया है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में एक नए नियम संख्या 149 को जोड़कर अनिवार्य बनाया गया है।

सी) कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का यह कितना प्रतिशत होता है?

जवाब: जी हां, बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है जिसका आधार व्यापक है और यह किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं करते हैं तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निविदा प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, बैंक भी जेम पोर्टल से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करता है। (सरकारी ई-मार्केटप्लेस - विभिन्न सरकारी विभागों/ संगठनों/ पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। जेम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता एवं गति को बढ़ाना है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जेम के माध्यम से खरीद को प्राधिकृत किया गया है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में एक नए नियम संख्या 149 को जोड़कर अनिवार्य बनाया गया है।

4. ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर (चालू वित्त वर्ष में) आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से व्युत्पन्न और साझा किए गए लाभों का विवरण

क्र.सं.	ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी	निजी /अधिग्रहीत (हां/नहीं)	लाभ साझा किए गए (हां/नहीं)	लाभ शेयर की गणना का आधार
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसे विवाद जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग शामिल है, में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरणः

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	मार्जिनलइज्ड एवं बलनरेबल समूहों के लाभार्थियों का%
1	सत्यमंगलम बाघ संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु ट्रस्ट को दान	0	लागू नहीं
2	गरीब परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्व प्रकाश मिशन एनजीओ को दान	47	100%
3	आंध्रा प्रदेश के मंगलगिरी टाउन में दो वितरण वाहनों की खरीद के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दान	50000	100%

4	उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 11 स्थानों पर 36 सीसीटीवी कैमरों के संस्थापन के लिए जीएनआईडीए को दान	0	लागू नहीं
5	बाल्यावस्था कैंसर के उपचार के लिए आरोह 'गिविंग होप' एनजीओ को उनकी चिकित्सा सहायता परियोजना के लिए दान	48	100%
6	वृक्षारोपण नमूने के लिए संकल्प तरू फाउंडेशन को दान	303	लागू नहीं
7	आरसेटी एवं एफएलसी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए बीएसवीएस ट्रस्ट को वित्तपोषण	438521	89.16% (महिला) 43.74% (एससी/एसटी) आरसेटी द्वारा महिला और एससी/एसटी लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

सिद्धांत 9 व्यवसाय को जिम्मेदारी से अपने उपभोक्ताओं से जोड़ कर उनको महत्व दिया जाना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों एवं फीडबैक को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित तंत्र का वर्णन करें।

जवाब: बैंक ने ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली तैयार की है। शिकायतकर्ता शाखा, संपर्क केंद्र, वेब पोर्टल, ई-मेल, पत्र, नेट बैंकिंग या किसी भी अन्य उपलब्ध चैनल के माध्यम से बैंक में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक के पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत प्रबंधन प्रणाली को शिकायत के संपूर्ण निस्तारण के लिए शिकायत के स्वरूप के आधार पर अपेक्षित सभी अनिवार्य जानकारी को एकत्र करने हेतु अच्छी तरह डिजाइन किया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से निस्तारण की अपेक्षित तारीख के साथ एक विशिष्ट ट्रैकर आईडी भेजी जाती है। शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं, शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं, शिकायत के निस्तारण को देख सकते है, निस्तारण प्रक्रिया पर अपना अभिमत दे सकते हैं, और शिकायत को पुनः खोल सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने, उसके निस्तारण, प्रभावी निगरानी, शिकायतों की ट्रैकिंग (डिजिटल एवं गैर डिजिटल) हेतु सभी शिकायतों के लिए एकल रिपॉजिटरी उपलब्ध कराने हेतु सीबेल सीआरएम शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया गया है। सीबेल सीआरएम में पंजीकृत होने के बाद शिकायतों को पूर्व-निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारण के लिए शिकायत की श्रेणी के आधार पर पूर्व-निर्धारित निस्तारणकर्ता समूह को मैप किया जाता है। निर्धारित निस्तारणकर्ता समूह शिकायतों के सर्वोत्तम उचित निसतारण के साथ निस्तारित करने का प्रयास करते हैं।

शिकायत के निस्तारण के बाद ग्राहक को तदनुसार एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। शिकायतकर्ता वेब पोर्टल, शाखा में जाकर या संपर्क केंद्र से संपर्क कर निस्तारण की स्थिति देख/जान सकते

हैं। शिकायतकर्ता निस्तारण प्रक्रिया/ गुणवत्ता पर अपना अभिमत दे सकते हैं। शिकायत को पुनःखोलने का प्रावधान उपलब्ध है। पुनःखोले गए शिकायत को उच्च स्तरीय की जांच तथा निस्तारणकर्ता समूह द्वारा दिए गए समाधान की समीक्षा के लिए अगले स्तर के प्राधिकारी को मैप किया जाता है।

2. सभी उत्पादों/ सेवाओं से प्राप्त टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/ सेवाओं का टर्नओवर जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता हैः

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग	100%*
रिसाइकलिंग और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

खाता खोलने पर ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाने वाले वेलकम किट में सूचनाप्रद सामग्री जैसे स्मार्ट बैंकिंग बुकलेट, प्रतिबद्धता संहिता तथा नियम एवं शर्ते शामिल हैं।

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या हैः

	वित्त वर्ष 2022-23		**टिप्पणी**	**वित्त वर्ष 2021-22**		**टिप्पणी**
	वर्ष के दौरान प्राप्त	**वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें**		**वर्ष के दौरान प्राप्त**	**वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें**	
डेटा निजता	0	0	शून्य	0	0	शून्य
विज्ञापन	0	0	शून्य	0	0	शून्य
साइबर सुरक्षा	0	0	शून्य	0	0	शून्य
अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी	0	0	शून्य	0	0	शून्य
प्रतिबंधित व्यापार पद्धति	लागू नहीं	0	शून्य	0	0	शून्य
अनुचित व्यापार पद्धति						
अन्य*	957938	44916	शून्य	863867	18429	शून्य

***(डी एवं डी+1 में निस्तारित की गई शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है) इसमें बैंक को प्राप्त सभी शिकायतें शामिल हैं।**

4. सुरक्षा मामलों के कारण उत्पाद वापस लिए जाने संबंधी घटनाओं का विवरणः (लागू नहीं)

	संख्या	वापस लिए जाने को कारण
स्वैच्छिक रूप से वापस लिए गए	0	0

दवाब में वापस लिए गए	0	0

5. क्या इस संस्था में साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के लिए कोई फ्रेमवर्क/ पॉलिसी है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो इस पॉलिसी का वेब लिंक प्रदान करें।

जवाब: जी हां, बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा पॉलिसी उपलब्ध है, ये पॉलिसी वर्गीकृत हैं अत: कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं और बैंक के इंट्रानेट पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। बैंक में साइबर सुरक्षा पॉलिसी उपलब्ध है और 'सूचना संबंधी गोपनीयता' से संबंधित दिशानिर्देश बैंक की सूचना सुरक्षा पॉलिसी में दिए गए हैं।
उपर्युक्त पॉलिसी अर्थात् साइबर सुरक्षा पॉलिसी एवं सूचना सुरक्षा पॉलिसी बैंक के सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

6. विज्ञापन से संबंधित मामलों पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई और अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के डेटा संबंधी गोपनीयता; उत्पाद वापस लिए जाने संबंधी घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/ सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने/ की गई कार्रवाई संबंधी विवरण प्रदान करें।

जवाब: ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, अत: सुधारात्मक कार्रवाई लागू नहीं होती है।

लीडरशिप संकेतक

1. चैनल/ प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है (वेब लिंक प्रदान करें, यदि उपलब्ध हो)।
   जवाब: बैंक अपने उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी देने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/ का उपयोग करता है।

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित और जागरूक करने के लिए की गई कार्रवाई।
   जवाब: परिचालन के क्षेत्रों से संबंधित पॉलिसी जैसे शिकायत निवारण पॉलिसी, ग्राहक अधिकार पॉलिसी, नागरिक चार्टर आदि बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं और पॉलिसी की अवधि के अनुसार इन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

   - शाखा के सूचना बोर्ड पर विशिष्ट जानकारी प्रदर्शित की जाती है ताकि ग्राहकों को बैंक में किए जा रहे परिवर्तनों तथा बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
   - बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की विशेषताओं के सुरक्षित तथा जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना ताकि आम जनता में जागरूकता फैलाई जा सके।
   - बैंक द्वारा शुरू किए गए नए उत्पादों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए समय-समय पर बैनरों पर सूचना प्रदर्शित करना।

-ग्राहकों को विभिन्न प्रिंट मीडिया (जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, काफी टेबल बुक आदि), ओओएच मीडिया (होर्डिंग, डिजिटल डिस्प्ले पैनल आदि के माध्यम से), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (जैसे टेलीविजन और रेडियो चैनल) के माध्यम से जागरूक करना।
- अंचल, क्षेत्र, शाखाओं एवं व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से बैंक द्वारा विभिन्न कैंपों का आयोजित किया गया।

3. उपभोक्ताओं को अनिवार्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न होने/ इसे बंद किए जाने संबंधी के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र उपलब्ध हैं।
जवाब: बैंक के ग्राहकों को सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, के बारे में एसएमएस, वेबसाइट नोटिस आदि के माध्यम से सूचित किया जाता है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य किए गए उत्पादों के अलावा उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/ नहीं/ लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं, संस्था या समग्र रूप से संस्था के परिचालन के महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)

जवाब: जी हां, बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर आम जन की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई गई है। शाखाओं में उपलब्ध व्यापक सूचना बोर्ड में भी संबंधित जानकारी शामिल है।

बैंक निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता हैः

- टच पॉइंट (बॉटम-अप दृष्टिकोण) - बैंक शाखा/ चैनल संवाद पर ग्राहक संतुष्टि को कैप्चर करने के लिए समय-समय पर टच पॉइंट सर्वेक्षण आयोजित करता है।
- ऐसे ग्राहक जो खाता खोलने/ लेनदेन जैसी नियमित बैंकिंग गतिविधियों के लिए शाखा, डिजिटल चैनलों के माध्यम संपर्क करते हैं, उनकी धारणा एवं संतुष्टि के स्तर को समझने के लिए उनसे संपर्क किया जाता है।
- व्यवसाय एवं उत्पाद (टॉप-डाउन दृष्टिकोण) - यह सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धा/ उद्योग के सापेक्ष सुधार एवं बेंचमार्किंग स्थापित करने के लिए कार्यनीति बनाने हेतु उत्पाद और/या सेवाओं के बारे में ग्राहकों की धारणा का पता लगाने के लिए किया जाता है।

5. डेटा उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेंः

ए) प्रभाव सहित डेटा उल्लंघन संबंधी घटनाओं की संख्या
जवाब: बैंक द्वारा ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है

बी) डेटा उल्लंघन का प्रतिशत जिसमें ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी शामिल है
जवाब: शून्य

Message from Director Responsible for the Business Responsibility and Sustainability Report

It is my great pleasure to share with you our maiden report on sustainability. As a Bank, we have always been committed to creating value for our customers and shareholders, while also being mindful of our impact on society and the environment.

Over the past year, the Bank has taken significant steps towards embedding sustainability into its core business operations. As we navigate through the changing business landscape, our focus remains on formalizing strategies, setting targets, and increasing investments towards sustainability. The Bank's BRSR is a testament to its continued efforts to integrate sustainable practices in its business operations, to ensure a better future for customers, employees, and society. It also aligns stakeholder insights into the Bank's non-financial disclosures and performance with national and global ESG standards and guidelines.

The Bank has made great strides in embedding sustainability into its operations, including our approach to risk management, governance, social responsibility and environmental impact. Bank has developed the Business Responsibility and Sustainable Development Manual (BRSD) which elucidates how Bank of Baroda integrates ESG practices across its business policies, strategy and procedures.

The Bank has recently constituted a 'CSR & Sustainability Committee of the Board' which oversees the implementation of sustainable strategies, policies and practices and ensures that it is aligned with the Bank's philosophy on governance and its core values. The framework will also take climate risk into account as the Bank identifies the challenges it poses on the financial sector. The Bank is accordingly integrating responsible Environment, Social and Governance practices across the organization through a robust ESG governance framework.

At Bank of Baroda, digitizing the banking operations and improving the ease of banking is of paramount importance and Bank has been undertaking numerous initiatives that have increased customer convenience. The Bank remains committed to constantly improving its sustainability practices and collaborating with its stakeholders to build a better, more sustainable future for all. Bank of Baroda aims to promote financial inclusion, especially among marginalized communities, by providing access to affordable financial products and services. The Bank is also proud to have launched several initiatives to support social causes, such as education and healthcare, and to promote diversity, equity, and inclusion in its workplace.

The Bank recognizes the impact of business operations on environment and society at large. The Bank therefore strives for conservation of natural resources, emission reduction, judicious use of plastic, responsible disposal of waste, among others. The Bank recognizes the impact of climate risk on its overall business operations. The Bank shall be committed to minimize the impact arising from both its operational as well as its credit and investment portfolio's environmental footprint.

The Bank would like to take this opportunity to sincerely thank all the stakeholders including shareholders, customers for their continued support and trust in the Bank. I would like to place on record my appreciation for all Barodians (our employees) for their hard work and enthusiasm who have ensured continuous services to our customers. I also express my sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India, SEBI and other regulators for their continuous support and guidance. Last but not the least is to place on record my thanks and appreciation to all the Board members for their valuable inputs and guidance.

The Bank shall remain committed to being a responsible corporate citizen with sustainability at its core and will continue to work towards creating a better world for future generations to come.

Joydeep Dutta Roy
Executive Director
Bank of Baroda

Table of Contents

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES 5

I – Details of the listed entity 5

II – Product/Service 5

III – Operations 7

IV – Employees 9

V – Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures) 10

VI – CSR Details 10

VII – Transparency and Disclosures Compliances 11

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES 15

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE 17

PRINCIPLE 1: Ethics, Transparency and Accountability 17

PRINCIPLE 2: Product Life Cycle Sustainability 22

PRINCIPLE 3: Employee Well-Being 24

PRINCIPLE 4: Stakeholder Engagement 31

PRINCIPLE 5: Human Rights 35

PRINCIPLE 6: Environment 39

PRINCIPLE 7: Policy Advocacy 46

PRINCIPLE 8: Inclusive Growth and Equitable Development 47

PRINCIPLE 9: Customer Value Creation 50

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

FY 2022-23

I – Details of the listed entity

Sl. No.	Particulars	Response
1	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	Not Applicable
2	Name of the Listed Entity	Bank of Baroda
3	Year of incorporation	20-07-1908
4	Registered office address	Baroda House, Mandvi, Vadodara – 390001, Gujarat, India
5	Corporate address	Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051, Maharashtra, India
6	E-mail	**ed.jdr@bankofbaroda.co.in**
7	Telephone	**022-66985010**
8	Website	www.bankofbaroda.in
9	Financial year for which reporting is being done	**FY 22-23**
10	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11	Paid-up Capital	INR 1035.53 crore
12	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Shri Ian Desouza Chief Financial Officer 022-66985712 cfo.bcc@bankofbaroda.co.in
13	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).	**Standalone**

II – Product/Service

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% Of total Turnover contributed
1	Corporate Banking	Bank of Baroda offers a comprehensive range of services in corporate banking, catering to the diverse needs of businesses. The services encompass cash management, trade finance, working capital financing, corporate lending, treasury solutions, and advisory services. With cash management solutions, businesses can efficiently manage their collections, payments, and liquidity through electronic channels, ensuring seamless cash flow operations. Bank of Baroda's trade finance services enable businesses to facilitate international trade transactions with ease, including import and export financing, letters of credit, and bank guarantees. Working capital financing options offered by the Bank help businesses meet their short-term funding requirements and optimize their operational cash flows. Corporate lending services provide tailored credit solutions for various purposes like project financing, working capital loans, and term loans. The Bank's treasury solutions assist businesses in managing their foreign exchange risks, interest rate	39.94

		risks, and investment portfolios. Additionally, Bank of Baroda's advisory services provide expert guidance and strategic financial solutions to corporate clients, helping them make informed decisions for their growth and expansion. Through its comprehensive suite of corporate banking services, Bank of Baroda aims to support and empower businesses in achieving their financial goals.	
2	MSME Banking	Bank of Baroda provides a comprehensive range of services to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through its MSME banking platform. These services include tailored financial solutions, such as working capital loans, term loans, and trade finance facilities, designed to meet the unique needs of MSMEs. The Bank also offers specialized MSME-focused products which promotes entrepreneurship among women and marginalized communities. Additionally, Bank of Baroda facilitates MSMEs with digital banking services, including online fund transfers, mobile banking, and business banking apps, enhancing their convenience and accessibility. With its dedicated MSME banking initiatives, Bank of Baroda aims to empower and enable the growth of these vital sectors, contributing to the development of the Indian economy.	16.55
3	Agriculture Banking	Bank of Baroda offers a comprehensive range of services under its Agriculture banking segment, catering to the unique needs of farmers and the agricultural sector. The bank provides financing solutions, such as crop loans and investment credit for farmland development, purchase of agricultural machinery, promoting agri-allied activities, term loans and working capital facilities to the Food & Agro processing sector etc. The Bank gives a lot of thrust on uplifting the living standards of the financially weak people, especially through its group lending activities involving SHGs. Bank of Baroda supports farmers through its agricultural insurance schemes, covering crop, livestock, and farm infrastructure. Additionally, the bank provides specialized advisory services to farmers, assisting them in optimizing their agricultural practices, enhancing productivity and realizing better prices for their produce. With its robust network of branches and digital banking facilities, Bank of Baroda ensures convenient access to its agriculture banking services across the country, contributing to the growth and prosperity of the farming community.	14.27
4	Retail Banking	Bank of Baroda offers a comprehensive range of services under its retail banking division to cater to the diverse financial needs of individuals. These services include savings and current accounts, fixed deposits, loans such as personal loans, home loans, car loans, education loan, loan against property, credit cards, debit cards, and prepaid cards. The Bank also provides various digital banking facilities like internet banking, mobile banking, and SMS banking, allowing customers to conveniently manage their accounts, make payments, transfer funds, and access a host of other services. Additionally, Bank of Baroda offers investment products such as mutual funds, insurance plans, and demat services, enabling customers to grow their wealth and protect their assets. With a customer-centric approach, Bank of Baroda strives to deliver efficient, secure, and personalized retail banking services to meet the financial goals and aspirations of its customers	26.3
5	Others	Bank of Baroda offers a comprehensive range of services, including loans against deposits, to meet the diverse financial needs of its customers. Loans against deposits enable individuals to leverage the value of their fixed deposits with the Bank to meet their short-term or immediate financial requirements. Bank of Baroda provides competitive interest rates, hassle-free loan processing, and flexible repayment options, ensuring convenience and ease for its customers. By availing loans against deposits, individuals can access funds without liquidating their fixed deposits, thereby enjoying the benefits of liquidity while earning interest on their deposits. Bank of Baroda’s commitment in providing financial solutions make it a reliable choice for individuals seeking loans against their deposits. Further, through -85- Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCC), Bank is imparting financial literacy in rural areas including to persons of scheduled castes and scheduled tribes	2.93

		communities. They are given preference for credit linkages through Bank finance. Moreover, Bank has engaged 51,780 Business Correspondents (BCs) out of which 21,720 are functioning in rural areas. The business correspondents, with the help of technology, reach out to remote and far-flung areas to provide financial services to unprivileged sections of the society and thereby provide the last mile connectivity for Financial Inclusion.	

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover)

S. No.	Product/Service	NIC Code	% Of total Turnover contributed
1	Corporate	64191	39.94
2	MSME		16.55
3	Agriculture		14.27
4	Retail		26.3
5	Others		2.93

III – Operations

16. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable	253 offices and 8,200 branches	8,453
International	Not Applicable	10 offices# and 83 Branches*	93 (17 Countries) *

* It also includes the Bank's IFSC Gift City, India and branches of overseas subsidiaries but excluding overseas JV/Associates

It also includes the Bank's -9- Electronic Banking Service Units in UAE and -1- Mobile Banking Unit in Mauritius

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States and UTs)	35
International (No. of Countries)	17*

* It also includes the Bank's Gift City, India and overseas Subsidiaries but excluding overseas JV/Associates

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Ans. This question is not applicable to the Bank as Bank being in the service industry does not manufacture anything which needs to be exported to other nations.

c. A brief on types of customers

Ans. In banking operation, the Bank has to deal with different types of customers to provide them various financial products and services. Their customers come from a wide spectrum of industries and backgrounds.

Majorly these customers can be classified as follows:

- Individuals
- Joint Hindu Families
- Partnership Firms
- Limited Liability Companies
- Clubs and Associations
- Trusts
- Companies

- **Individual Customer (Single Person Account):** It is an account opened by one person in his/her own and individual capacity. Such type of accounts is maintained and operated upon only by the single person who has opened the account. This sole and single person is the customer of the bank.

- **Joint Accounts of Individuals:** A joint account may be opened by two or more persons and the account opening form etc., should be signed by all the joint account holders. When a joint account is opened in the name of two persons, the account operations may be done by
    - Either or survivor
    - Both jointly
    - Both jointly and by the survivor
    - Former or survivor
- **Non-resident individuals (NRIs):** Non-Resident Indian means, a person, being a citizen of India or a person of Indian origin residing outside India. A person is considered Indian Origin when he or his parents or any of his grandparents were Indian National. Various Types of NRI Accounts:
    - Ordinary Non-resident Rupee Accounts (NRO Accounts);
    - Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts);
    - Non-resident (Non-Repatriable) Rupee Deposits (NRNR Accounts); and
    - Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (FCNR (B) Accounts)
- **Hindu Undivided Family (HUF):** Joint Hindu Family (JHF) (also known as Hindu Undivided family) is a legal entity and is unique for Hindus. It has perpetual succession like companies; but it does not require any registration. The head of JHF is the Karta and members of the family are called coparceners. The JHF business is managed by Karta.
- **Partnership Firm:** A partnership is not a legal entity independent of partners. It is an association of persons. Registration of a partnership is not compulsory under Partnership Act. However, many banks insist on registration of a partnership. In any case, i.e., stamped partnership deed or Partnership letter should be taken when an account is opened for a partnership. The partnership deed will contain names of the partners, objective of the partnership, and other operational details, which should be taken note of by the bank in its dealings.
- **Joint stock companies (Limited Liability Companies):** A limited liability partnership (LLP) is a partnership in which some or all partners (depending on the jurisdiction) have limited liabilities. LLP is governed by limited liability partnership Act 2008. Liability is limited to the extent of his contribution in the LLP. Partners have a right to manage the business directly. Firms and companies can get themselves converted into LLP. LLP cannot raise fund from public.
- **Clubs, Societies and Associations:** The clubs, societies, association etc., may be unregistered or registered. Account may be opened only if persons of high standing and reliability are in the managing committee or governing body. Copy of certificate of registration and copy of byelaw, certified to be the latest, by the Secretary/President are required to be obtained and also a certified copy of the resolution of the Managing Committee/Governing body to open the bank account and giving details of office bearers etc., to operate the account.
- **Trust Account:** Trusts are created by the settler by executing a Trust Deed. A trust account can be opened only after obtaining and scrutinizing the trust deed. The Trust account has to be operated by all the trustees jointly unless provided otherwise in the trust deed. A trustee cannot delegate the powers to other Trustees except as provided for in the Trust Deed.
- **Companies:** a) Private Ltd. Company b) Public Ltd. Company c) Government Company d) One person Company.

IV – Employees

18. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	77244	56982	73.77%	20262	26.23%
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	**Total employees (D + E)**	77244	56982	73.77%	20262	26.23%
WORKERS (Not Applicable)						
4.	Permanent (F)	0	0	0	0	0
5.	Other than Permanent (G)	0	0	0	0	0
6.	**Total workers (F + G)**	0	0	0	0	0

b. Differently abled employees and workers:

S. No	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	2274	1819	79.99%	455	20.01%
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	**Total differently abled employees (D + E)**	2274	1819	79.99%	455	20.01%
DIFFERENTLY ABLED WORKERS (Not Applicable)						
4.	Permanent (F)	0	0	0	0	0
5.	Other than permanent (G)	0	0	0	0	0
6.	**Total differently abled workers (F + G)**	0	0	0	0	0

19. Participation/Inclusion/Representation of women:

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	12	2	16.67%
Key Management Personnel	3*	0	-

*KMPs excluding WTDs.

20. Turnover rate for permanent employees and workers (Disclose trends for the past 3 years)

	FY2022-23 (Turnover rate in current FY)			FY 2021-22 (Turnover rate in previous FY)			FY 2020-21 (Turnover rate in the year prior to the previous FY)		
	Male	**Female**	**Total**	**Male**	**Female**	**Total**	**Male**	**Female**	**Total**
Permanent Employees	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Permanent Workers (Not Applicable)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V – Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

21. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

S. No.	Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% Of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1.	BOB Financial Solutions Ltd.	Domestic Subsidiary	100%	No
2.	BOB Capital Markets Ltd.	Domestic Subsidiary	100%	No
3.	Baroda Global Shared Services Ltd.	Domestic Subsidiary	100%	No
4.	BarodaSun Technologies Ltd.	Domestic Subsidiary	100%	No
5.	The Nainital Bank Ltd.	Domestic Subsidiary	98.57%	No
6.	Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.	Domestic Subsidiary	50.10%	No
7.	Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.	Domestic Subsidiary	50.10%	No
8.	IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	Domestic Subsidiary	65%	No
9.	India Infradebt Ltd.	Domestic JV	40.99%	No
10.	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	Overseas Subsidiary	80%	No
11.	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	Overseas Subsidiary	86.70%	No
12.	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	Overseas Subsidiary	100%	No
13.	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	Overseas Subsidiary	100%	No
14.	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	Overseas Subsidiary	100%	. No
15.	Bank of Baroda (UK) Ltd.	Overseas Subsidiary	100%	No
16.	Bank of Baroda (Guyana) Inc.	Overseas Subsidiary	100%	No
17.	India International Bank Malaysia Berhad	Overseas Joint Venture	40%	No
18.	Indo Zambia Bank Ltd.	Overseas Associate	20%	No

VI – CSR Details

22. **i.** Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No): No, CSR is not applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 however the Bank does various charitable and financial inclusion activities including rural self-employment generation through the Rural Self Employment Training Institute (RSETI) in terms of RBI Circular no. RBI.No./2005-06/237/DBOD.No.Dir.BC.50/13.01.01/2005-06 dated 21.12.2005.
    ii. Turnover (in Rs.): INR 99,614.38 crore
    iii. Net worth (in Rs.): INR 76,951.07 crore

VII – Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) *(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)*	FY 22-23			FY 21-22		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes, Whistle-blower guidelines is available https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/grp-22-24-eng-06-19.pdf	0	0	NIL	0	0	NIL
Investors (other than shareholders)	Yes, Whistle-blower guidelines is available https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/grp-22-24-eng-06-19.pdf	0	0	NIL	0	0	NIL
Shareholders	Yes, https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/	917	2	-2- Pending Complaints are resolved as on 6th APRIL 2023	644	0	NIL
Employees	Yes, https://www.bankofbaroda.in/-/media/project/bob/countrywebsites/india/shareholders-corner/code-of-ethics-eng-a4-web-30-05.pdf	22	3	As on date only 2 cases are pending which are under process.	25	4	pending cases have since been resolved
Customers	Yes, https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/grp-22-24-eng-06-19.pdf	***957938**	**44916**	**NIL**	*** 863867**	*** 18429**	**NIL**
Value Chain Partners	Yes, Whistle-blower guidelines is available https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf	0	0	NIL	0	0	NIL
Other (please specify)	-	-	-	-	-	-	-

***(Complaints resolved in D & D+1 is excluded, D being day/date of complaint)**

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	**Customer privacy and data security**	Risk	The extant Statutory & Regulatory framework mandate confidentiality of customer information.	Deployment of Security Practices and Procedures to ensure customer privacy and data security.	**Negative:** • Regulatory penalties or reputational damage from misuse of customer data / data breaches. • Operational losses from fraud or cyber-attacks.
2.	**Risk Management**	Risk and Opportunity	Risk: The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Other risks include: Credit Risk, Market Risk, Asset & Liability Management/Liquidity Risk, Climate Risk, Digital Risk, etc. Opportunity: Effective Risk Management can help in identifying risks and mitigate them in time. It will allow the Bank to withstand the competition on the market, reduce costs by dealing with business threats before they arise, rather than allowing them to develop into bigger problems, achieve immediate business objectives by incorporating environmental issues into strategic planning, lead to higher efficiency, increased profitability mitigating financial risk.	• Effective Business Continuity Plan • Enterprise Risk Management • BCM & Operational Resilience • Model Development and Validation	**Negative:** Reputational damage leading to loss of customers **Positive:** Risk mitigation can lead to quality business growth

3	**Business Ethics and Governance**	Risk and Opportunity	**Risk**: Instances of unethical practices and behavior can tarnish brand image and pose reputational risk for the Bank. **Opportunity**: Building a culture of ethics and transparency is linked with the fulfillment of mandates as well as strengthening relationships with stakeholders.	• To mitigate this risk, the Bank has put in place the Code of Ethics to set the highest standards of ethical conduct while dealing with all the stakeholders • Policies and processes in place to avoid workplace discrimination, harassment, and corruption, among others	**Negative**: Indirect financial impact because of loss of reputation and stakeholder confidence **Positive**: Ethical practices and behavior can help in building long term relationship with all the stakeholders which will eventually lead to improved business outcomes for the Bank.
4	**Compliance**	Risk and Opportunity	**Risk:** Compliance is a risk since a bank's reputation is closely linked to its adherence to principles of integrity and fair practices. **Opportunity**: Effective compliance can help in building brand trust.	• Effective leadership oversights • Robust compliance risk management policies and procedures	**Negative:** Instances of non-compliance with applicable rules and regulations can result in fines/penalties, loss of brand image **Positive:** Effective compliance can help in building brand image and long-term relationship
5	**Digitization**	Opportunity	Digitization can help in improved customer acquisition, customer experience, data-driven decision making, and enhance convenience of banking		**Positive**: Digitization can help in cost reduction, informed decision-making, and expanding services
6	**Social Lending**	Risk and Opportunity	**Opportunity**: • Increase in business segments by expanding into the financially weaker class of society. • Enabling the financially weak to be financially independent and become asset owners **Risk**: : Incurring an NPA in case of the inability of the borrower to pay	• Using better underwriting methods. • Weaker sections are serviced at better pricing and terms.	**Positive:** • Increase in business leading to more turnover and better reach. • Opportunities for cross-sell **Negative:** • Increase in credit cost.

7	**Customer Satisfaction**	Risk and Opportunity	**Risk**: Customers can spread the word of dissatisfaction, resulting in loss of business **Opportunity:** Customer satisfaction can aid in building long-term relationships and business growth	• Customer grievance redressal mechanism • Customer feedback	**Negative**: Instances of unsatisfied customers can result in losing brand trust **Positive**: Customer satisfaction can positively impact the business growth
8	**Employment practices**	Opportunity	Employment practices are a critical aspect to a service industry		**Positive**: Efficient business operations
9	**Access & Affordability**	Opportunity	Over the course of several years, the bank has been able to offer cost-effective products and services to its clientele. As a result, this has facilitated the expansion of its customer base who remain loyal to the Bank.		**Positive**: Increased customer satisfaction
10	**Consumer Education/ Awareness**	Opportunity	Customer awareness can help in building customer preference and reducing cases of frauds		**Positive**: Reduce cases of frauds and increase customer loyalty
11	**Sustainable Finance**	Opportunity	Sustainable finance can help to mitigate risks associated with climate change and other ESG issues, which can have a significant impact on financial performance. Sustainable finance in banks will help in attracting investors, build customer loyalty, improve financial performance, make operation sustainable and gain a competitive edge		**Positive**: Sustainable finance are considered as better investment option than the traditional ones as they provide higher returns and lower risk over the long term. It will also help Bank to mitigate the risks which may arise in future.

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	The Bank is committed to grow its business and engage with its stakeholders in a responsible manner with minimal impacts on environment. The Bank considers sustainable banking as a foundation for long term value creation. The Bank has a well-developed digital channel that offers seamless banking experience to the customers while simultaneously reducing carbon footprints. The Bank has taken various initiatives internally to reduce the emissions such as LED installations, renewable sources of energy for branches and paperless operations.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	The Bank has various indicators to track the performance across all the important parameters.								
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (*listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)* **The Message can be found in the first page**									
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Joydeep Dutta Roy, Executive Director DIN- 8055872								
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes, the Bank has a CSR & Sustainability committee of the Board which is responsible for decision making on sustainability related issues								

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	**Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee**									**Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)**								
	P 1	**P 2**	**P 3**	**P 4**	**P 5**	**P 6**	**P 7**	**P 8**	**P 9**	**P 1**	**P 2**	**P 3**	**P 4**	**P 5**	**P 6**	**P 7**	**P 8**	**P 9**
Performance against above policies and follow up action	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Annually								
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and rectification of any non-compliances	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Annually								

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	**P 1**	**P 2**	**P 3**	**P 4**	**P 5**	**P 6**	**P 7**	**P 8**	**P 9**
	N	N	N	N	N	N	N	N	N

12. If answer to question (1) above is "No" i.e., not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	**P 1**	**P 2**	**P 3**	**P 4**	**P 5**	**P 6**	**P 7**	**P 8**	**P 9**
The entity does not consider the principles material to its business (Yes/No)	Not Applicable								
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)									
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)									
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)									
Any other reason (please specify)									

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally, and ethically responsible.

PRINCIPLE 1: Ethics, Transparency and Accountability
(Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable)

__Essential Indicators__

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics /principles covered under the training and its impact	%Age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	7	Directors Development Programme, CAFRAL Virtual Program on Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML), CAFRAL Virtual Learning Program on Issues in Digital Lending, IDRBT Certification Programmes in IT and Cyber Security (Online Mode) for Board Members of Banks, Climate Risk and Sustainable Finance, CAFRAL Program on Governance and Assurance for Directors on Boards of Banks, FIs and NBFCs, CAFRAL Virtual Conference on Financial Markets in India: What the Future Holds	100% (12/12)
Key Managerial Personnel.	0	-	-
Employees other than BoD and KMPs	1072 training & awareness programmes held during the F.Y. 2023. 4 E-Learning modules on various topics related to the Principles	Mindful living, posh workshop, tools of leadership, change management, positivity in life, good to great - be your own hero, BCSBI workshop, ethical conduct & preventive vigilance, stress management and work life balance, intra persona, skills and conducive behaviour for employees, onboarding of	68.55% (52953)

	undertaken by the employees.	newly recruited business associates, pre-promotion training, Baroda star program, Baroda Mitra program, women empowerment, Ethics, workshop on reservation policy.	
Workers	Not Applicable		

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount id in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format note: the entity shall make disclosures based on materiality as specified in Regulation 30 f SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an Appeal been preferred?(Yes/No)**
Penalty/ Fine	0	0	0	0	0
Settlement	0	0	0	0	0
Compounding fee	0	0	0	0	0
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an Appeal been preferred?(Yes/No)**
Imprisonment	0	0	0	0	0
Punishment	0	0	0	0	0

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**
0	0

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Ans. Yes, the Bank's code of ethics covers the requirement of anti-bribery. https://www.bankofbaroda.in/-/media/project/bob/countrywebsites/india/shareholders-corner/code-of-ethics-eng-a4-web-30-05.pdf pg. 23

The Bank has set up a vigilance function on the lines of Central Vigilance Commission (CVC) guidelines to check unethical practices, corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds through preventive vigilance measures.

Preventive Vigilance (PV) is a tool of Management & Good Governance, involving adoption of measures to improve systems & procedures to eliminate / reduce corruption, promote transparency & improve ease of business.

It also involves identifying the vulnerabilities in the Organization's policies, systems & procedures & recommending corrective measures to reduce the scope of corruption and also for better operational results.

The Bank's Preventive Vigilance measures mainly include: -

- Online submission and 100% scrutiny of Annual Property Returns (APR) filed by officers
- Preparing an Agreed List of officers against whose honesty or integrity there are complaints, doubts or suspicion. This list is prepared annually in consultation with the CBI authorities.
- List of Officers of Doubtful integrity is prepared / reviewed annually.
- HRM Department ensures that the officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments.
- Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the Central Vigilance Commission by way of monthly reports.
- Internal Whistle Blower Policy has been made functional in the Bank.
- A dedicated portal for vigilance function 'Bob-e-vigil' is functional since 01.04.2018.
- Summary of contracts awarded, showing position of various bidders and name of the agency L1 to whom the work is awarded, is displayed in corporate website on monthly basis.
- As a tool to control/ prevent frauds, an Enterprise-wide Fraud Management Solution (EFRMS) has been put in place.
- Scrutiny of staff accounts is being undertaken at the time of regular inspection and during the Preventive Vigilance Audits conducted by the Vigilance Officers of various Zones/ Regions. As a preventive vigilance measure, a system of surveillance has been introduced through IT department, to monitor the cash transactions in the staff accounts.
- The Chief Vigilance Officer ensures investigation of complaints having vigilance overtones and takes appropriate action wherever required.
- Direct interaction with field functionaries for their sensitization in avoiding frauds / irregularities. It also helps in taking direct feedback from field functionaries as to the ground level conditions.
- In all the training programmes conducted internally, one session has been made mandatory for Preventive Vigilance.
- The Organisation has prepared manuals on important subjects such as purchases, contracts, procurement, recruitment, etc. and that these manuals are updated from time to time and conform to the guidelines issued by the Central Vigilance Commission and other concerned Ministries of the Government of India.
- It is ensured that discretionary powers are not exercised arbitrarily but in a transparent and fair manner; and in accordance with laid down guidelines etc.
- Based on the references received though Internal Advisory Committee, source information and other inputs, suitable systemic improvements are being suggested to concerned verticals wherever required.
- Scrutiny of One-Time Settlements (OTS) proposals with sanction of Rs.50 lacs and above is being ensured and observations / suggestions, if any, are being suitably taken up with concerned verticals.
- As per the directions of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week has been observed along with organising various preventive vigilance activities across the Bank / country including in overseas territories.

- Organised training programme for Investigating Officers (IOs), Inquiring Authority (IA) / Presenting Officers (POs) on 'Investigation Techniques' and 'Departmental Enquiries' respectively through internal Apex Training Academy of the Bank.

- Training programmes have also been organised for Disciplinary Authorities (DAs) covering various aspects of Disciplinary Proceedings Process.

- Organised review meeting of Vigilance Teams of the Bank at regular intervals for evaluation and re-calibration of vigilance administration at all levels.

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 22-23		**FY 21-22**
Directors	0	**Directors**	0
KMPs	0	**KMPs**	0
Employees	03	**Employees**	0
Workers	Not Applicable	**Workers**	Not Applicable

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 22-23		**FY 21-22**	
	Number	**Remarks**	**Number**	**Remarks**
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	NIL	0	NIL
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	NIL	0	NIL

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Ans. The question is Not Applicable to the Bank as no issues related to fines / penalties / action were taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest as per point number 2 & 6 mentioned above.

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
No Such Awareness programme held for value chain partners in current financial year	Not Applicable	

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If yes, provide details of the same.

   Ans. Yes, Bank is having "Code of Conduct of Board of Directors" to avoid / manage conflict of interest involving members of the Board, which is available on Bank's website at - https://www.bankofbaroda.in/customer-support/policy-documents .

PRINCIPLE 2: Product Life Cycle Sustainability
(Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe)

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital **expenditure** (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

	FY 22-23	FY 21-22	Details of Improvements in Environmental and social impacts
R&D	0	0	NIL
Capex	0	0	NIL*

*Please note, the steps (viz. Installation of Solar Panels, Green Building certification, Green Initiatives etc.) taken for improvements in Environmental impacts were implemented under OPEX.

2.a. Does the entity have procedures in place for sustainable Sourcing? (Yes/No)

Ans. Yes, sustainable sourcing is embedded in Bank's procurement policies/Standard Operating Procedures (SOP).

2.b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

Ans. Currently, the Bank is not calculating the percentage of inputs sourced. The Bank sources items as per the CVC guidelines

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

   Ans. The question is Not Applicable for the Bank as the Bank is in the service industry and does not produce any goods for the customers.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

   Ans. The question is Not Applicable for the Bank as the Bank is in the service industry and does not produce any goods for the customers.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product /Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective/ Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
Not Applicable					

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

Name of Product / Service	Description of the risk / concern	Action Taken
Not Applicable		

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

Ans. No such uses of recycled or reused Input material It Department.

Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2022-23:Current Financial Year	FY 2021-22 :Previous Financial Year
Not Applicable		

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:

	FY2022-23 :Current Financial Year			FY 2021-22:Previous Financial Year		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics(including packaging)	Not applicable					
E-waste						
Hazardous waste						
Other waste						

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
Not Applicable	

PRINCIPLE 3: Employee Well-Being
(Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains)

Essential Indicators

1. a) Details of measures for the well-being of employees:

Category	% Of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B /A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D /A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent employees											
Male	56982	56982	100%	56982	100%	N/A	N/A	56361	98.91%	56982	100%
Female	20262	20262	100%	20262	100%	20262	100%	N/A	N/A	20262	100%
Total	77244	77244	100%	77244	100%	20262	26.23%	56361	72.96%	77244	100%
Other than Permanent employees											
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* The Bank offers Day Care facilities through on-site crèches which are presently operating in Mumbai, Baroda and Bengaluru. Employees deployed at these centres can avail the benefit of the same. Other employees are eligible for reimbursement of a subsidy amount /expenses incurred by them for off-site and private day care facilites.

b) Details of measures for the well-being of workers: (Not Applicable)

Category	% Of workers covered by (Not Applicable)										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B /A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D /A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent workers											
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other than Permanent workers (Not Applicable)											
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year:

Benefits	FY 22-23			FY 21-22		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers (Not Applicable)	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N/A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers (Not Applicable)	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N/A)
PF	24.53%	0	Y	26.00%	0	Y
Gratuity	100%	0	Y	100%	0	Y

ESI	100% (Covered under Group Medical Insurance Policy)	0	Y	100%(Covered under Group Medical Insurance Policy)	0	Y
Others – please specify (National Pension Scheme)	75.47%	0	Y	74.00%	0	Y

3. **Accessibility of workplaces**

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Ans. Yes, the premises/ offices of the Bank are accessible to differently abled employees of the Bank. A circular has also been issued for providing banking services to differently abled persons with all the help and facilities which needs to be provided.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Ans. Yes, the Bank has a policy in place which is available publicly (https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/pdfs/equal-opportunity-policy-03-19.pdf). The Bank, as an employer, provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability.

The Bank has extended various benefits/perquisites to staff members with disabilities such as provision of special computer software for visually impaired employees, financial assistance for purchasing hearing aid (for hearing impaired persons),artificial limbs (for orthopedically challenged persons) within certain limits, payment of conveyance allowance to blind and orthopedically challenged employees, exemption from rural/semi-urban postings, preferential allotment of the Bank's residential accommodation, convenient place of posting etc. The Bank also provides travel reimbursements for people with disabilities who have difficulties in moving independently and for Visually Impaired persons along with a companion to assist them to freely travel on official duty/trainings.

In terms of Govt. directives, employees with disability are also eligible to avail special casual leave of -4- days and -10- days for specific requirements relating to disabilities of the employee viz. renewal of disability certificate, medical check-up etc. and for participating in Conference/ Seminars/ Trainings/ Workshops related to development of persons with disabilities as specified by the Ministry of Social Justice and Empowerment.

The Bank has also signed an MOU with SBI foundation for the Empowerment of the Physically Challenged Employees so as to focus on their development and enable them to be more productive & efficient at the workplace. In association with SBI foundation, Bank has enumerated the job roles for visually impaired employees and conducted various training programs, online workshops and webinars for PWD employees and sensitization program for HR functionaries and Executives.

Apart from the above, the Bank has put in place a Policy on Diversity, Equity and Inclusion (DEI) to promote an equitable and inclusive environment through impartial and fair policies and programs. The DEI Policy addresses various types of Diversity that exists in the Bank such as Gender Diversity, Specially-abled Diversity, Ethnic Diversity, Generational Diversity, Multi-linguistic Diversity, Caste and Class diversity. Under the Specially-abled Diversity, the Policy puts in place various interventions viz. Work from Anywhere, Engagement Programmes for promoting sensitization towards Specially abled, Standard Operating Procedures (SOPs) for facilitating Specially Abled employee, Assigning Mentors for assistance and support, Job-alignment with their capabilities, etc.

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

	Permanent employees		**Permanent workers (Not Applicable)**	
Gender	**Return to work rate**	**Retention rate**	**Return to work rate**	**Retention rate**
Male	100.00%	100.00%	0	0
Female	99.89%	99.55%	0	0
Total	99.96%	99.84%	0	0

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No *(If yes, then give details of the mechanism in brief)*
Permanent Workers	Not Applicable
Other than Permanent Workers	Not Applicable
Permanent Employees	Yes, the Bank has put in place an online Grievance Redressal Mechanism 'Baroda Samadhan', in order to address employees' concern areas and grievances in an effective and time-bound manner to strengthen transparency and fairness in the grievance redressal process. Grievance for the purpose of this scheme would range from any issues arising out of the implementation of the policies /rules /decisions /service conditions /benefits, etc. of the Bank.
Other than Permanent Employees	Not Applicable

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	**FY 22-23**			**FY 21-22**		
	Total employees / workers in respective category (A)	**No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)**	**% (B / A)**	**Total employees/ workers in respective category (C)**	**No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)**	**% (D / C)**
Total Permanent Employees	77244	66000	85.44%	79173	70680	89.27%
Male	56982	47731	83.77%	58454	51586	88.25%
Female	20262	18269	90.16%	20719	19094	92.16%
Total Permanent Workers	NA	0	0	0	0	0
Male	NA	0	0	0	0	0
Female	NA	0	0	0	0	0

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 22-23					FY 21-22				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No.(B)	% (B/A)	No. (C)	% (C /A)		No.(E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Male	56982	32855	58%	50487	89%	58454	18624	32%	30948	53%
Female	20262	11960	59%	17924	88%	20719	5179	25%	11828	57%
Total	77244	44815	58%	68411	89%	79173	23803	30%	42776	54%
Workers (Not Applicable)										
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 22-23			FY 21-22		
	Total (A)	No. (B)	% (B / A)	Total (C)	No. (D)	% (D / C)
Employees						
Male	56982	56982	100%	58454	58454	100%
Female	20262	20262	100%	20719	20719	100%
Total	77244	77244	100%	79173	79173	100%
Workers (Not Applicable)						
Male	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

10. Health and safety management system:

a) Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Ans. Yes, the Bank has an occupation health and safety SOP in place that takes care of the following hazards and their associated risks:

Sr.No.	Activity	Hazard	Risk
1	Transformer operations	Faulty cables, panels, systems	Electric shock, burn Electrocution
2	Working in compressor room	Faulty cables, panels, systems	Electric shock, burn Electrocution
3	Working inside Sewage Treatment Plant	Smell during handling of wastewater, sludge Slip and trip hazard Exposure to STP chemicals	Electrocution Irritation due to smell, fatigue Body injury due to slip Etching
4	DG operations	Faulty cables, panels, systems Noise	Electric shock, burn Electrocution Headache due to noise
5	Working at height	Fall of a person	Multiple body injuries Fatality
6	Canteen operations	Slip due to wet floor	Fall due to slippery conditions Body injury
7	Use of toilets	Slip due to wet floor	Fall due to slippery conditions
8	Paper shredding machine	Rotating parts	Hand injury
9	Normal banking operations in head offices and branches	Faulty cables, panels, systems	Electric shock, burn Electrocution

The Bank also has an “**Injury while on Duty**” Scheme which covers all employees. In cases of injuries sustained by an employee while on duty, he/she will be entitled to reimbursement of the actual cost of medical treatment incurred by him in addition to his normal medical aid entitlement. Special leaves and reimbursement of medical expenses is also sanctioned to employees in case of accident/injury while on duty whether in Bank or elsewhere/ or while playing for the Bank in a sports competition, etc.

The employees can avail these schemes when they get injured / hurt or meeting with an accident while on duty whether in the bank or elsewhere including on deputation and training or while playing for the Bank in any official sports tournament or while representing a sports team at the state or National level in any tournament.

b) What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Ans. The processes used to identify work-related hazards and risks on routine and non-routine basis by the Bank are as follows:

- Periodical Fire/Security Audits of the Branches/CCs/Offices as per laid down frequency are being conducted by the Fire officer posted at zonal office.
- Risk identification through inspection and necessary recommendation are being conveyed to control/mitigate the identified risk/hazard.
- Meeting is conducted at zonal offices to discuss the various issues related to Fire Safety at branches/offices and how to go ahead to control/mitigate the identified risk/hazard.
- Inspections are carried out by qualified Fire Safety officer of the Bank.
  Based on inspection reports, fire advisory is issued to all Zones & Regions

c) Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)?

Ans. Not Applicable

d) Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)?

Ans. Yes

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	**Category**	**FY 22-23**	**FY 21-22**
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	0	0
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
Total recordable work-related injuries	Employees	0	0
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
No. of fatalities	Employees	0	0
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	0	0
	Workers	Not Applicable	Not Applicable

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Ans. The Bank has taken up employees Health and Wellness aspect as a part of Employee Engagement Policy of the Bank. The following activities are institutionalized across the Bank to enhance the health and wellness of our employees:

Health

- Yoga And Meditation Clubs
- Health and Wellness Drives
- Health Check-up scheme
- Group Health Insurance
- Payment of Ex-gratia as financial assistance to the dependents of deceased employees in lieu of GTLI
- Group Personal Accident Insurance
- Employee Assistance Programme
- Employee Counselling Programme

Fire Safety

- Installation and Maintenance of Fire Safety/Security equipment installed in the premises.
- Conducting periodical Fire/Security Audits of the Branches/CCs/Offices.
- Circulation of Fire Advisory from time to time to the branches/Offices
- Training to the staff members about the Fire Preventive Measures during visit of Fire/Security Officer.
- Trainings on how to use fire extinguishers is being provided during annual refilling of Fire Extinguishers by service provider.
- Electric audit is being conducted once in two years for each branch/office by Facilities management department.
- Mock fire evacuation drills conducted in all high-rise buildings of the Bank annually.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 22-23			**FY 21-22**		
	Filed during the year	**Pending resolution at the end of year**	**Remarks**	**Filed during the year**	**Pending resolution at the end of year**	**Remarks**
Working Conditions	0	0	Nil	0	0	Nil
Health & Safety	0	0	Nil	0	0	Nil

14. Assessments for the year

	% Of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	0
Working Conditions	**83% (As per HR Audit of branches completed during the F.Y.)**

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.
Ans. The question is Not Applicable for the Bank as no assessments on health & safety practices were conducted. Regarding, working conditions there were no significant finding in the audit.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N)?

Ans. Yes, the Bank has in place, a scheme of payment of Ex-gratia as financial and Group Personal Accident Insurance Policies for providing financial cushion to bereaved family members in such an eventuality where employee dies while in service.

Apart from the above, the Bank also has a scheme for Compassionate Appointment/ Payment of Ex-Gratia Financial relief on Compassionate grounds for the dependents of the deceased employees, where the family is indigent, and deserves immediate assistance for relief from financial destitution.

Workers – Not Applicable.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

Ans. The Bank ensures that statutory dues such as TDS and GST from the value chain partners are deducted as per regulations.

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work- related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

Total no. of affected employees / workers		**No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable Employment.**	
FY 22-23	**FY 21-22**	**FY 22-23**	**FY 21-22**
0	0	0	0
0	0	0	0

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)

Ans. No

5. Details on assessment of value chain partners:

	% Of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	40.2%
Working Conditions	40.2%

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Ans. The question is Not Applicable for the Bank as no assessments on health & safety practices were conducted.

PRINCIPLE 4: Stakeholder Engagement
(Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders)

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

   Ans. Key stakeholder groups for the Bank is identified by taking into consideration the following factors:
   - Customers: Individuals or organizations who hold accounts, avail of loans or other financial products and services from BoB.
   - Employees: The Bank's staff members who work in various departments and functions such as banking operations, finance, human resources, etc. among others.
   - Investors: Individuals or institutions who own shares of Bank of Baroda and have a financial interest in the Bank's performance.
   - Government of India: as Bank of Baroda is a public sector bank, and any decisions that impact the Banks operations can affect the Government's policies and initiatives.
   - Regulators are providing the rules and guidelines for Banks operations.
   - Value Chain Partners: Vendors and contractors who provide goods and services to Bank of Baroda.
   - Community: The people and communities in the areas where Bank of Baroda operates, who are impacted by the Bank's activities and policies.
   - Shareholders: Individuals who own shares of Bank of Baroda and have a financial interest in the Bank's performance.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Community	Yes	Not Available	Continuous basis	➢ Promoting Employment Enhancing Skill Training Programs, with focus on youth ➢ Improving Financial Literacy, including digital literacy, particularly for women ➢ Enhancing incomes of the disadvantaged groups, particularly farmers, workers etc. ➢ Any other activities falling within the broad scope of Schedule VII of the Companies Act, 2013 and identified by the CSR & Sustainability Committee of the Board.
Investors & Shareholders	No	The Bank interacts with its investors through: 1. Earning Conference Calls 2. Media Interactions 3. Road Shows 4. Analyst Meet 5. Conferences	Quarterly for Earnings Calls. Remaining on a continuous basis	During the various meets/calls, the Bank discusses about the following things: ➢ Earnings performance during the quarter ➢ Strategic roadmap for the future ➢ Insights on the various segments of the bank and resolving queries raised by Investors. ➢ Broad sectorial / macro trends and impact of the same on bank ➢ Accept feedback and suggestions from Investors regarding peer strategy.

		6. One-on-One meetings / Calls with Institutional Investors 7. Group of Institutional Investors meetings / calls Feedback sessions		
Employees	No	The Bank interacts with its employees through: 1. Formal/informal/DO Letters 2. Circulars 3. Meetings 4. Emails, SMS, Webcasts etc. 5. Internal channels of communication viz. Baroda Samadhan (Grievance Redressal), Baroda Sujhav (Employee Suggestions), Yammer (Internal Social Network) 6. Conferences and Conclaves 7. Townhall meetings 8. Engagement Surveys 9. Address by Senior Management 10. Newsletters & Publications 11. Through initiatives like CSR, Wellness initiatives etc.	Continuous basis	➢ Communication of Vision and Mission ➢ Employee Engagement ➢ Learning and Development ➢ Communicating new initiatives started by BOB ➢ Communication by senior management in terms of business results, priorities & expectations ➢ Employee rewards & recognitions ➢ To addressing employee grievances & queries ➢ Capturing employees' ideas & suggestions ➢ Employee Wellness and Safety
Customers	No	The Bank interacts with its customers through: 1. Employees at branches/offices 2. Digital channels 3. Agents who regularly attend to customer calls and call the customers 4. SMS 5. Inbound (IVR)- 6. Email - 7. Outbound (Voice Blast) 8. Chatbot	Customer interactions happen on a daily basis	➢ Contact Centre Agents contact customers on a regular basis to record their perception, evaluate their experience on using the bank's services channel such as ATMs, branch visits, and Digital channel (IB & MB), CASA & Loan account opening, etc. ➢ The Bank sends SMS to customers for providing various information or for asking feedback on their experience during branch interaction using a 10-star rating system. Employees at branches/offices to service their banking transactions, offer new products and services, take their feedback, assess requirements and also provide advisory/grievance handling. ➢ Through the use of internet banking/mobile banking services, the Bank keeps sending various information/ notifications from time to time. ➢ Digital channels like Mobile banking, Internet banking, ATMs,/Cash Recyclers, WhatsApp banking also provide the above transaction though in a digitised manner and through a digital medium. ➢ After resolving the customer complaints, the bank enquires about their satisfaction with the redressal offered to them using a 10-star rating system.

				➢ After opening of a CA/SA account and Loan account, Contact Centre Agents call those customers to capture their satisfaction on the process involved in opening of the account their experience on a 10-star scale. ➢ Inbound (IVR) - Customers call at the call centre for any query where through IVR options, the customer can get the desired replies / information. After resolution of any query / service the customers are requested through IVR for providing his/her feedback on a 10 star scale) ➢ Outbound - Through Voice Blast call to customer to provide any general information to customers. ➢ Email- An email is sent to targeted customers to provide information and also through sending a link through which customers are requested to provide there feedback on a 10 star scale. ➢ Chatbot-The Chatbot also interacts with customers for providing various information. After completion of chat with Chatbot a Pop up Message is displayed on the screen for getting customers feedback on 10 star scale. ➢ Tab Banking- Customer accounts are opened on the Tab. After the account is opened through Tab banking a Pop up Message is displayed on the screen for getting customers feedback on a 10 star scale.
Value chain Partners	No	SMS, Emails, personal interactions	Monthly	➢ To monitor their compliance with laws/code of conduct/other requirements ➢ To redress any grievances

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

   Ans. Bank engages continuously with all its stakeholders through different channels and at regular intervals. The Bank has Board level committees as mentioned below with roles assigned to review these feedback from various stakeholders:
   - Customer Service Committee of the Board
   - Strategic HR Advisory Committee of the Board
   - Investor Protection Committee
   - CSR & Sustainability Committee of the Board

   The feedback to improve its products, services and Conduct are given due importance in long term value creation. Also, the Bank has undertaken a Stakeholders Engagement and Materiality Assessment (SEMA) to gain knowledge on its key material topics that encompasses the environment, social and governance issues of the Bank. Bank also engages with its stakeholders through various surveys and questionnaires.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

   Ans. Yes stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics. Through stakeholder consultation, Bank has identified the key environmental and social issues that are relevant to the stakeholders and their operations. This helps the Bank prioritize its efforts and focus on the most pressing issues. It has also helped identify potential risks

and opportunities and develop strategies to mitigate negative impacts and enhance positive ones. Engagement of stakeholders has helped the Bank understand the needs and expectations of their stakeholders, develop more effective strategies, and enhance their environmental and social performance.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

Ans. The Bank is conducting various Agricultural training programs such as dairy, poultry, fish farming, compost manufacturing, goat/sheep rearing etc. to Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities through its Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in-64- districts where Bank is identified as Lead Bank.

- Through -85-Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCC), Bank is imparting financial literacy in rural areas including to persons of scheduled castes and scheduled tribes communities.
- During selection of candidates for training in RSETIs, special preference is given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes beneficiaries. Further, they are also given preference for credit linkages through Bank finance.
- Bank has engaged 51,780 Business Correspondents (BCs) out of which 21,720 are functioning in rural areas. The business correspondents, with the help of technology, reach out to remote and far-flung areas to provide the bouquet of 52 financial services to unprivileged sections of the society and thereby provide the last mile connectivity for Financial Inclusion.
- The Bank encourages the Business Correspondents to continuously extend Banking Services to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, people living in remote areas and hilly places. Bank is providing fixed incentive in addition to the transactional commission to the BCs.

PRINCIPLE 5: Human Rights
(Businesses should respect and promote human rights)

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 22-23			FY 21-22		
	Total (A)	**No. of employees'/ workers covered (B)**	**% (B / A)**	**Total (C)**	**No. of employees' /workers covered (D)**	**% (D / C)**
Employees						
Permanent	77244	44815	58%	79173	53777	68%
Other permanent	0	0	0	0	0	0
Total Employees	77244	44815	58%	79173	53777	68%
Workers (Not Applicable)						
Permanent	0	0	0	0	0	0
Other than permanent	0	0	0	0	0	0
Total Workers	0	0	0	0	0	0

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 22-23					FY 21-22				
	Total (A)	**Equal to Minimum Wage**		**More than Minimum Wage**		**Total (D)**	**Equal to Minimum Wage**		**More than Minimum Wage**	
		No. (B)	**% (B /A)**	**No. (C)**	**% (C /A)**		**No. (E)**	**% (E /D)**	**No. (F)**	**% (F /D)**
Employees										
Permanent	77244	NIL	NIL	77244	100%	79173	NIL	NIL	79173	100%
Male	56982	NIL	NIL	56982	100%	58454	NIL	NIL	58454	100%
Female	20262	NIL	NIL	20262	100%	20719	NIL	NIL	20719	100%
Other Permanent	0	NIL	NIL	0	0	0	NIL	NIL	0	0
Male	0	NIL	NIL	0	0	0	NIL	NIL	0	0
Female	0	NIL	NIL	0	0	0	NIL	NIL	0	0
Workers (Not Applicable)										
Permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

	Male		**Female**	
	Number	**Median remuneration/ salary/ wages of respective category (pa)**	**Number**	**Median remuneration/ salary/ wages of respective category (pa)**
Board of Directors (BoD)	10	33,35,450	2	25.00,000
Key Managerial Personnel	3	3024723	0	0
Employees other than BoD and KMP	56979	1037343	20262	967418
Workers	Not Applicable		Not Applicable	

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Ans: Yes, the Bank has Liaison Officers at Zones and Apex level - Bank identifies one liaison officer at each Zone and one Chief Liaison Officer at Apex Level. There are 18 Liaison Officers appointed at Zonal level to address the issues related to human rights or any other issues of SC/ST/ OBC and ex-servicemen. The Bank also has appointed Lady Liaison Officer in each region and a Chief Lady Liaison Officer to look into and be a focal point for investigation and addressing POSH complaints from lady staff members.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

Ans. The Bank has the following mechanisms in place to address the grievances related to human rights issues:
Baroda Samadhan: The Bank has put in place an online Grievance Redressal Mechanism 'Baroda Samadhan', in order to address employees' concern areas and grievances in an effective and time-bound manner to strengthen transparency and fairness in the grievance redressal process. Grievance for the purpose of this scheme would range from any issues arising out of the implementation of the policies/ rules/ decisions/ service conditions/ benefits, etc. of the organization.

Structured Meetings: The Bank has a well-established system of holding structured meetings with the Workmen' Unions / Officers' Association and also with the Welfare associations of the SC/ST employees and OBC employees, which help in discussing various issues / grievances across the table and collaborating for finding mutual solutions for the same, including for those related to human rights. This system has been designed with a view to further the cause of mutual resolution of issues and grievances. This systematic approach has played an important role in furthering the cause of employer-employee relationship in the Bank besides promoting good industrial relations and a collaborative climate in the Bank.

Preventing sexual harassment of women at workplace: The Bank has a very good and robust setup for managing issues related to sexual harassment of women at workplace. There are 148 Lady Liaison Officers appointed at regional level to address the issues related to sexual harassment. There are 18 empowered Zonal Level committees and 1 Apex level committee at corporate level. These units not only look into the matters of sexual harassment of women in the Bank, but also undertake many initiatives like workshops, lectures and seminars to sensitize all the sections of the employees including the male staff on gender sensitivity and professional conduct. In addition to this, Bank has also formulated a module on Prevention of Sexual Harassment in the online learning platform as a mandatory course.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2022-23 :Current Financial Year			FY 2021-22 :Previous Financial Year		
	Filed during the year	**Pending resolution at the end of year**	**Remarks**	**Filed during the year**	**Pending resolution at the end of year**	**Remarks**
Sexual Harassment	22	3	As on date only 2 cases are pending which are under process	25	4	Pending cases have been resolved
Discrimination at workplace	0	0	0	0	0	0
Child Labour	0	0	0	0	0	0
Forced Labour/Involuntary Labour	0	0	0	0	0	0
Wages	0	0	0	0	0	0
Other human rights related issues	0	0	0	0	0	0

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Ans: The Bank has in place a Whistle Blower Policy, which provides a framework and empowers all the employees to report for unethical conducts, malpractices, wrongdoings etc. noticed at the workplace in a very confidential manner through a portal exclusively accessed by the CRO. The Bank has a Policy on Prevention of Sexual Harassment (POSH) and has put in place the necessary redressal mechanisms in the form of Internal Complaints Committee (ICC) that investigates cases of sexual misconduct through a fair and transparent process

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Ans. Yes, human rights requirements form a part of our business agreements and contracts.

9. Assessments for the year:

	% Of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	0
Forced/involuntary labour	0
Sexual harassment	**83%** - Through HR Audits of the Branches/ Offices. Apart from the above a third party member (NGO representative) is included as a part of the internal complaints committees.
Discrimination at workplace	**83% -** Through HR Audits of the Branches/ Offices. Apart from HR Audit, periodical reviews are being undertaken by Govt. agencies like National Commissions for SC/ST/OBC, Parliamentary Committees, Department of Financial Services, Government of India, etc.
Wages	**83% -** The pay structure of all the employees is well above the minimum wages defined by the Government.
Others – please specify	0

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

Ans. The Bank has not recorded any significant risks/concern during the assessments.

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

   Ans. The Bank has currently not recorded any grievances related to human rights. However, counselling and corrective techniques are being provided under the Bank's 'Employee Assistance Program' for the concerned employees to build good interpersonal relationships within the Branch/ Offices. Employees of the Bank in persistent habit of non-conforming behavior are being referred for psychological counselling under managerial referrals under the Employee Assistance Program. Nodal Mental Health Ambassadors have been identified as a first point of contact for assessing and identifying any mental concerns for any grieving staff member.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

   Ans. Due to zero issues arising from human rights, the Bank has not undertaken any due-diligence. Bank has also extended its human rights policy to its value chain partners.

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

   Ans. Yes, the Bank has provisions in place which makes the premises/offices of the Bank accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

4. Details on assessment of value chain partners:

	% Of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	40.2%
Discrimination at workplace	40.2%
Child Labour	40.2%
Forced Labour/Involuntary Labour	40.2%
Wages	0
Others – please specify	0

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

   Ans. No risks/ concerns were arisen from the assessments conducted by the Bank.

PRINCIPLE 6: Environment
(Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment)

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 22-23	FY 21-22
Total electricity consumption (A)	752220410000000 J	529365790000000 J
Total fuel consumption (B)	75632990000000 J	67892220000000 J
Energy consumption through other sources (C)	0	0
Total energy consumption (A+B+C)	82,78,53,40,00,00,000J	59,72,58,01,00,00,000J
Energy intensity per rupee of turnover *(Total energy consumption/ turnover in rupees)*	831	734
Energy intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity	0	0

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Ans. No.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any. (Not Applicable)

Ans. The question is Not Applicable as the Bank does not fall under the PAT scheme of the Government

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

Parameter	FY 22-23	FY 21-22
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	167428.28	134764.00
(ii) Groundwater	94170	97933
(iii) Third party water (Tanker)	2815	1950
(iv) Seawater / desalinated water	0	0
(v) Others (Bottled water)	790.16	1480.57
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	265203.44	236127.58
Total volume of water consumption	261896.36	213083.57
Water intensity per rupee of turnover *(Water consumed / turnover)*	**0.000000262**	**0.000000261**
Water intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity	0	0

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

Ans. No

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

Ans. No, however the Bank has installed Sewage Treatment Plant at its Baroda Corporate Centre Mumbai office where the treated water is used for landscaping.

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	***Please specify unit***	**FY 22-23**	**FY 21-22**
NOx	Mg/Nm^3	316928049.62	Data not available
SOx	Mg/Nm^3	107613907.93	Data not available
Particulate matter (PM)	Mg/Nm^3	78356845.35	Data not available
Persistent organic pollutants (POP)	Not applicable	0	0
Volatile organic compounds (VOC)	Not applicable	0	0
Hazardous air pollutants (HAP)	Not applicable	0	0
Others – please specify	Not applicable	0	0

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Ans. No.

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	***Unit***	**FY 22-23**	**FY 21-22**
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	*Grams CO2 equivalent*	5604400000	5030810000
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	*Grams CO2 equivalent*	148354580000	117637840000
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover		**0.154**	**0.150**
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity		Not Available	Not Available

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

Ans. No.

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If yes, then provide details.

Ans. Bank has undertaken the following initiatives to reduce Green House Gas emission:

- Green Drive has been initiated to obtain Green Building Certification from IGBC for Bank's own premises PAN India.
- Bank's select owned premises are identified PAN India for obtaining Green Building Certification.
- Bank has Green Building Certificate GOLD rating for Baroda Corporate Centre and SILVER rating for Baroda Sun Tower Building (Corporate Office Buildings) through IGBC (Indian Green Building Council). -4- of Bank's other buildings in India have green building rating.
- Waterless Urinals (120 no. s) installed at BCC & BST in all washrooms, saving of approx. 7 Lakh liters of water a year. The same is being implemented in other Administrative Offices –PAN India in phased manner.
- Rainwater Harvesting System set up in the Corporate Office Buildings.
- Recycled Water is being stored in BCC Building and is being used in washrooms.
- Around -175- branches in rural/semi urban areas are being run on Solar Energy, thereby reducing the consumption of power and carbon dioxide emissions. Approx.2400 Tons of Carbon Dioxide Emission reduced as a result of using Green/renewable/solar Energy.
- All boundary lights in the Corporate Office Building, Mumbai are powered through Solar Energy, with the help of a Solar Tree, thereby adopting renewable energy sources.
- All domestic branches have LED lights installed in the premises for reduction of energy.
- Bio-Gas plant (capacity of 500Kg wet waste) is installed at Bank's building at BKC, Mumbai which produces cooking gas that is used in Bank's canteen and organic manure is used in garden/lawns.

8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 22-23	FY 21-22
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste ***(A)***	11.87 MT	12.45 MT
E-waste ***(B)***	4.851 MT	5.258 MT
Bio-medical waste ***(C)***	Not applicable	Not applicable
Construction and demolition waste ***(D)***	0.006 MT#	6.010 MT
Battery waste ***(E)***	500.62	Data not available for Pan India
Radioactive waste ***(F)***	Not applicable	Not applicable
Other Hazardous waste. Please specify, if any. ***(G)***	0.0709 MT	0.6550 MT
Other Non-hazardous waste generated (***H).*** *Please specify, if any.* (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	**Paper**- 20.50 MT **Wood**- 0.032 MT **Metal**- 0.00064 MT **Food**- 40.383 MT	**Paper**- 21.18 MT **Wood**- 0.150 MT **Metal**- 0.00100 MT **Food**- 54.38 MT
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	578.33 MT	100.10 MT (excluding battery waste)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled	389404.6	483758.5
(ii) Re-used	Not applicable	Not applicable
(iii) Other recovery operations	500.62	Not available
Total		-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	**Not applicable**	**Not applicable**
(ii) Landfilling	**Not applicable**	**Not applicable**
(iii) Other disposal operations	E waste & Battery waste disposed to authorised recyclers	E waste & Battery waste disposed to authorised recyclers
Total		

#The marked difference in construction waste can be due to negligible construction activity for the financial year 2023.

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

Ans. No.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Sr.No.	Type of waste	Collection, segregation, and storage	Disposal mechanism
Non-hazardous waste			
1	Paper waste	Collect and segregate the waste. Store it in a designated place	Dispose the waste to an agency who will do recycling. Keep the record of disposal
2	Wood waste	Collect and segregate the waste.	Dispose the waste to an agency who will do recycling. Keep the record of disposal
3	Metal waste	Collect and segregate the waste. Store it in a designated place	Dispose the waste to an agency who will do recycling. Keep the record of disposal
4	Empty plastic bottles	Collect and segregate the waste. Store it in a designated place	Dispose the waste to an agency who will do recycling Keep the record of disposal
5	Food waste	Collect and segregate the waste.	Convert the food waste into manure, wherever possible.
6	Construction and demolition waste (C&D)	Collect and segregate the waste.	Dispose the waste as per state/local legal norms. Keep the record of disposal.
Hazardous waste			
7	Waste oil	Collect the oil in empty drum and store it safely.	Dispose the oil to State Pollution Control Board authorized agency, wherever applicable.
Battery waste			
8	Battery waste	Store the batteries in cool and dry place	Send the batteries to authorized recycler and keep the records.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format.

S. No.	Location of operations/offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N). If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
	Not Applicable		

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Not Applicable					

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India, such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, and Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

Ans. Yes

S. No.	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
	Not Applicable			

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:

Parameter	FY 22-23	FY 21-22
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	5985880000000 J	284000000000 J
Total fuel consumption (B)	Not applicable	
Energy consumption through other sources (C)	Not applicable	
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	5985.88 GJ	2840.00 GJ
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	752220410000000 J	529365790000000 J
Total fuel consumption (E)	75632990000000 J	67892220000000 J
Energy consumption through other sources (F)	Not applicable	
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	8278534000000 J	5972580100000 J

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Ans. No.

2. Provide the following details related to water discharged

Parameter	FY 22-23	FY 21-22
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	Not Applicable	
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) To Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) To Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
-With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Ans. No.

3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kiloliters): For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:
   (i) Name of the area

(ii) Nature of operations

(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:

Parameter	**FY 22-23**	**FY 21-22**
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	0	0
(ii) Groundwater	0	0
(iii) Third party water (Bottled water)	0	0
(iv) Seawater / desalinated water	0	0
(v) Others	0	0
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	0	0
Total volume of water consumption (in kilolitres)	**0**	**0**
Water intensity per rupee of turnover *(Water consumed / turnover)*	0	0
Water intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity.	0	0
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Into Surface water	0	0
- No treatment	0	0
-With treatment – please specify level of treatment	0	0
(ii) Into Groundwater	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(iii) Into Seawater	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(iv) Sent to third parties	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(v) Others	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
Total water discharged (in kilolitres)	0	0

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Ans. No.

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

Parameter	***Unit***	**FY 22-23**	**FY 21-22**
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	*Metric tonnes of CO2 equivalent*	0	0
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover		0	0
Total Scope 3 emission intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity			

* Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Ans. No

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

   Ans. The question is not applicable for the Bank as there are no offices/branches working in ecologically sensitive areas of India.

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

Sr. No	**Initiative undertaken**	**Details of the initiative *(Web-link, if any, may be provided along-with summary)***	**Outcome of the initiative**
1	Waterless Urinals		Conserving Water
2	Paperless office initiative	Refer Annual Report FY23 (www.bankofbaroda.in)	Saving Water and Trees
3	Instalment of Solar panels in more than 175 number of branches	Refer Annual Report FY23 (www.bankofbaroda.in)	Total 2400 Tons of Carbon Dioxide Emission reduced as a result of using Green Energy/renewable/solar energy.

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

   Ans. Yes, the Bank has a disaster management plan which is part of the Business Continuity Plan formulated and maintained by its Risk Department. Bank also has a well-defined comprehensive value chain, impact categories with tolerance thresholds. Value chains for each product category is also in place. Bank has also performed Business Impact Analysis (BIA) & Risk Assessment (RA) for all departments. In addition to this, Bank has a Board approved Security Compendium which define the various Disaster and Standard operating procedures w.r.t. contingent planning to meet threats.

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

   Ans. At present no significant impact has been reported arising from value chain partners of the Bank.

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

   Ans. The Bank has not conducted any assessments for value chain partners.

PRINCIPLE 7: Policy Advocacy

(Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent)

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations

   Ans. 10

   b. List the top 10 principle and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to - Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National).

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Forex Association of India	National
2	Foreign Exchange Dealers' association of India (FEDAI)	National
3	Primary Dealers Association of India	National
4	Indian Banks' Association (IBA)	National
5	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)	National
6	Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)	National
7	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National
8	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
9	Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)	National
10	UBF – UAE Banks	International

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti- competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
0	0	0

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
Not Applicable					

Bank being one of the largest commercial banks in the country works closely with policymakers and policymaking associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry, monetary policy, financial inclusion related policies and sustainable development of the banking industry.

PRINCIPLE 8: Inclusive Growth and Equitable Development
(Businesses should promote inclusive growth and equitable development)

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes /No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Rural Self Employment Training Institute (RSETI)	NA	May –June 2021	Yes	Yes	http://www.nacer.in

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

S. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% Of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
Not Applicable						

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Ans. In case any of the Bank's customers are having any complaint about CSR of Bank of Baroda, s/he is requested to approach concerned Branch Manager to resolve the matter.

If any customer is not satisfied with reply the customer is requested to follow the established escalation levels given below:

Levels	Escalation	Particulars
	Online Complaint SPGRS (Siebel CRM)	Alternatively, customer may register complaint online, for which an icon "Online Complaint (SPGRS)" has been provided at home page of our bank's website. Upon lodging the complaint in SPGRS, the system provides a "Tracker Id" as an acknowledgement and also to track the progress of the complaint. Complainant has to preserve the "Tracker Id" reference Click here to fill Online Complaint Form bobcrm.bankofbaroda.co.in/onlinecomplaint/frmMain.aspx?source=WEBSITE&sid=&id=
Level-1	Regional Level	If the complaint is not redressed to the satisfaction of the customer, the matter may be taken up with the Regional Manager concerned whose name, address and other details may be obtained by clicking the link below: bobcrm.bankofbaroda.co.in/onlinecomplaint/frmMain.aspx?source=WEBSITE&sid=&id=
Level-2	Zonal Level	If still any complaint is not redressed, the matter may be taken up with the next level i.e., Zonal Manager concerned.
Level-3	Nodal Office Level	If the complainant still feels unsatisfied with the responses received, s/he can address the complaint to the Bank's Principal Nodal Officer at Head Office designated to deal with customers' complaints / grievance giving full details of the case on the below mentioned address: General Manager (Operations & Services) Bank of Baroda, Head Office, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, BARODA - 390007, (Gujarat) India.

		Tel. : (0265) 231-6792, Email : gm.ops.ho@bankofbaroda.com
-	External Agencies	Even after this, if s/he is not satisfied, S/he is free to take recourse to the following: The Banking Ombudsman located in State Capitals under RBI Ombudsman Scheme 2006.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: (Not Applicable)

	FY 22-23	FY 21-22
Directly sourced from MSMEs/ small producers	0	0
Sourced directly from within the district and neighbouring districts	0	0

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
NIL	Not Applicable

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

S. No.	State	Aspirational District	Amount spent (In lakhs)
1.	Bihar	Sitamarhi	20.99
2.	Gujarat	Dahod	19.71
3.	Gujarat	Narmada	20.78
4.	UP	Fatehpur	24.90
5.	Uttarakhand	Udhamsingh Nagar	19.06
6.	Rajasthan	Jaisalmer (Scholarship to Girl Toppers of class 10 and 12)	0.48
7.	Rajasthan	Baran (Scholarship to Girl Toppers of class 10 and 12)	0.60
8.	Gujarat	Narmada (Scholarship to Girl Toppers of class 10 and 12)	0.42
9.	Gujarat	Dahod (Scholarship to Girl Toppers of class 10 and 12)	0.45
10.	Chhattisgarh	Rajnandgaon (Running Center for Financial Literacy in 5 blocks)	39.39

3. a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

Ans. Yes, the Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines which are broad based and do not discriminate against any group and ensure to carry out the Tendering process in a fair and transparent manner. Moreover, Bank also procures goods and services from GeM Portal (Government e Marketplace-facilitates online procurement of common use Goods & Services required by various Government Departments / Organisations / PSUs. GeM aims to enhance transparency, efficiency and speed in public procurement. The purchases through GeM by Government users have been authorised and made mandatory by Ministry of Finance by adding a new Rule No. 149 in the General Financial Rules, 2017).

b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

Ans. Yes**,** the Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines which are broad based and do not discriminate against any group and ensure to carry out the Tendering process in a fair and transparent manner. Moreover, Bank also procures goods and services from GeM Portal (Government

e Marketplace-facilitates online procurement of common use Goods & Services required by various Government Departments / Organisations / PSUs. GeM aims to enhance transparency, efficiency and speed in public procurement. The purchases through GeM by Government users have been authorised and made mandatory by Ministry of Finance by adding a new Rule No. 149 in the General Financial Rules, 2017).

c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

Ans. Yes the Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines which are broad based and do not discriminate against any group and ensure to carry out the Tendering process in a fair and transparent manner. Moreover, Bank also procures goods and services from GeM Portal (Government e Marketplace-facilitates online procurement of common use Goods & Services required by various Government Departments / Organisations / PSUs. GeM aims to enhance transparency, efficiency and speed in public procurement. The purchases through GeM by Government users have been authorised and made mandatory by Ministry of Finance by adding a new Rule No. 149 in the General Financial Rules, 2017).

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge

S. No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/ Acquired (Yes/No)	Benefit shared (Yes / No)	Basis of calculating benefit share
Not Applicable				

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken
Not Applicable		

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

S. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Projects	% Of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1	Donation to Sathyamangalam Tiger Conservation Foundation, Tamil Nadu Trust	0	Not Available
2	Donation to Vishwa Prakash Mission NGO for providing financial assistance to deserving students from poor families	47	100%
3	Donation to Akshaya Patra Foundation procurement of two distribution vehicles in Mangalagiri Town, A.P	50000	100%
4	Donation to GNIDA for installation of 36 CCTV cameras at 11 locations in Guatam Buddh Nagar District, UP	0	Not Available
5	Donation to Aroh giving hope NGO for their medical support project for curing Childhood Cancer	48	100%
6	Donation to SankalpTaru Foundation for plantation sampling	303	Not Available
7	Funding to BSVS Trust for running activities of RSETIs and FLCs	438521	89.16 % (Women) 43.74 % (SC.ST) Women and SC/ST beneficiaries have been trained by RSETIs

PRINCIPLE 9: Customer Value Creation
(Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner)

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Ans. The Bank has built effective Grievance Redressal mechanism to address customer grievances. A Complainant may lodge his grievance with the Bank through Branch, Contact Centre, Web portal, e-mail, Letters, Net Banking or any other available channel. Grievance Management System on the Bank's portal is well designed to collect all mandatory information required, basis the nature of grievance, for complete resolution. Upon lodgment of complaint, complainant is intimated a Unique Tracker ID with Expected date of resolution through SMS Text and E-mail. Complainant can lodge complaint, append document, track Complaint, view resolution, give Feedback on resolution process, reopen grievance.

In order to have a single repository of all the Grievances for Lodgment, Resolution, effective Monitoring, Tracking of Grievances (Digital and Non Digital), Grievance module of Siebel CRM has been developed. Grievances once registered in Siebel CRM are mapped to pre-defined Resolver groups, basis the category of complaint for resolution within pre-defined TAT. Designated resolver groups endeavor to resolve the grievances with best suitable resolution.

After resolution of the grievance, customer is intimated through SMS/E-mail accordingly. Complainant can view the resolution by visiting the Web portal, Branch or reaching Contact Centre. Complainant can give feedback on resolution process/quality. Provision to reopen the grievance is also in place. Upon reopening, the grievance is mapped to next level authority for higher level of examination and reviewing the resolution given by the resolver group.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	100%*
Recycling and/or safe disposal	Not Applicable

* Welcome kits provided to the customers on account opening has informative literature such as Smart banking booklet, code of commitment and terms and conditions

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2022-23		**Remarks**	**FY 2021-22**		**Remarks**
	Received during the year	**Pending resolution at end of year**		**Received during the year**	**Pending resolution at end of year**	
Data privacy	0	0	NIL	0	0	NIL
Advertising	0	0	NIL	0	0	NIL
Cyber-security	0	0	NIL	0	0	NIL
Delivery of essential services	0	0	NIL	0	0	NIL
Restrictive Trade Practices	NA	0	NIL	NA	0	NIL
Unfair Trade Practices	NA	0	NIL	NA	0	NIL
Other*	957938	44916	NIL	863867	18429	NIL

*(Complaints resolved in D & D+1 is excluded). It includes all the complaints received by the Bank

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	Not Applicable	
Forced recalls		

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Ans. Yes, the Bank has a Board approved policy on Information Security as well as on Cyber Security. The policies are classified and hence are accessible to employees and hosted on Bank's intranet portal.

The Bank has a Cyber Security Policy and the guidelines pertaining to 'Privacy of Information' are furnished in the Information Security Policy of the Bank.

The aforesaid policies, i.e., Cyber Security Policy and Information Security Policy are published by Information Security Department of the Bank.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/ action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Ans. Given that no such incidents have happened, the corrective actions are not applicable

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Ans. The Bank uses its official website to communicate information on products and services of the entity. https://www.bankofbaroda.in/

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Ans. Policies pertaining to the areas of operation such as Grievance Redressal Policy, Customer Rights Policy, Citizens Charter, etc. is uploaded on the Bank's website and updated continuously as per the tenure of the policy.

- Specific information is displayed on the Branch Notice Board so that customers should be aware of the changes being made in the bank and usability of bank's products and services.
- Display of features of Bank's products and services on the bank's website for safe & responsible usage thereby spreading awareness among the general public.
- Display of information on the Banners from time to time informing about the new products launched by the Bank.
- Educating customers through various Print Media (Such as Newspapers, Magazine, Coffee Table Book, etc.),OOH media (Through Hoarding ,Digital Display Panel etc.),Electronics Media(such as on Televisions,& Radio Channels)
- On various Camps organized by Bank through Zone, Region, Branches & Business Correspondents locations.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

   Ans. The Bank's customers are informed of disruption in service, if any, through SMS, website notice, etc.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

   Ans. Yes. Information about the Bank's products and services are placed on the Bank's website for information of the public. Comprehensive Notice Boards at branches also contain the relevant information.

   Bank conducts Customer Satisfaction survey on these following areas:

   - Touch point (Bottom-Up approach) –Bank conducts Touch point survey periodically to capture customer satisfaction on branch/channel interaction.
   - A customer who interacts with the Branch, Digital Channels for regular banking activity like account opening/transactions is contacted to understand their perception and level of satisfaction.
   - Business & product (Top-down approach) – This survey is conducted to gauge customer's perception about the product and /or services to initiate strategies for improvement and benchmarking the Bank against competition/ industry.

5. Provide the following information relating to data breaches:
   a) Number of instances of data breaches along-with impact
   Ans. No such incidents were reported by the Bank

   b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers
   Ans. NIL

==